....पढ़ें सिर्फ उतना, सेलेक्शन के लिए ज़रूरी है जितना !

वर्ष 4 : अंक 40 : मई 2025 : मूल्य ₹100/-

संस्कृति IAS

करेंट अप-टू-डेट

मासिक करेंट अफेयर्स संकलन

- महत्त्वपूर्ण पत्रिकाओं का सार-संग्रह
  (योजना, कुरुक्षेत्र, डाउन टू अर्थ, ई.पी.डब्ल्यू., साइन्स रिपोर्टर)
- सीसैट एवं निबंध
- क्विक रिवीज़न

संस्कृति IAS

हिन्दी माध्यम

संस्कृति पब्लिकेशन्स की प्रस्तुति

CSE: PYQs · GS Booklet · Synopsis · Practice Set

STATE PCS: MPPSC · UPPSC · BPSC · RAS

पुस्तकों की विशेषताएँ

परीक्षा के वर्तमान पैटर्न पर आधारित अध्ययन सामग्री

आवश्यक सारणी, फ्लोचार्ट तथा मानचित्रों के माध्यम से प्रस्तुतीकरण

विषयवस्तु की सरलता, प्रामाणिकता तथा परीक्षापयोगी बनाने पर विशेष बल

636, भू-तल, मुखर्जी नगर, दिल्ली-110009 9555 124 124 sanskritiias.com

संस्कृति करेंट अप-टू-डेट

वर्ष 4 | अंक 40 | मई 2025 | ₹100

प्रधान संपादक

अखिल मूर्ति

परामर्शदाता मंडल

अमित कुमार सिंह, ए.के. अरुण, सीबीपी श्रीवास्तव, कुमार गौरव, के.पी. द्विवेदी, राजेश मिश्रा, रीतेश आर. जायसवाल

मुख्य कार्यकारी अधिकारी

शिवेश मिश्रा

संपादक

सुशील शिवनाथ

विज़ुअलाइज़ेशन

मो. साजिद सैफी

संपादकीय परामर्श

मनोज कुमार, अजेंद्र कुमार सिंह, पंकज तिवारी, पुनीत पाल, शिव कुमार चौबे

संपादन सहयोग

अभिषेक शुक्ल

लेखन एवं संकलन

अभिजित मिश्र, विपिन चौधरी, देवराज सिंह, प्रीति गुप्ता, हरिशंकर, ऋषि कुमार शर्मा

प्रूफरीडिंग सहयोग

कमलेश पाण्डेय, रेनू

टाइपसेटिंग और डिज़ाइनिंग

तनवीर खान, संतोष झा, जसवीर सिंह, अमित कुमार, गुलफाम, हेम राज, निकित

संपादकीय पत्र व्यवहार

संपादक
संस्कृति करेंट अप-टू-डेट
संस्कृति पब्लिकेशन्स
E-mail: sushilnathkumar@gmail.com
636, भू-तल, डॉ. मुखर्जी नगर, दिल्ली-110009

विधिक घोषणाएँ

- इस पत्रिका में प्रकाशित लेखों में व्यक्त विचार लेखकों के अपने हैं। यह आवश्यक नहीं कि संपादक या प्रकाशक का दृष्टिकोण भी वही हो। हमारी कोशिश यही रहती है कि विभिन्न विचारधाराओं वाले लेखकों के लेख शामिल करें, ताकि पाठकों को किसी विषय पर अलग-अलग दृष्टिकोण मिल सकें।
- इस पत्रिका में प्रकाशित सूचनाएँ, समाचार, ज्ञान एवं तथ्य पूरी तरह से सत्यापित किए गए हैं। फिर भी, यदि कोई जानकारी या तथ्य गलत प्रकाशित हो गया हो तो प्रकाशक, संपादक या मुद्रक उससे किसी व्यक्ति-विशेष या संस्था को पहुँची क्षति के लिए ज़िम्मेदार नहीं है।
- हम विश्वास करते हैं कि इस पत्रिका में छपे लेख लेखकों द्वारा मौलिक रूप से लिखे गए हैं। अगर कॉपीराइट उल्लंघन का कोई मामला सामने आता है तो लेखक को ज़िम्मेदार ठहराया जाएगा।
- सभी विवादों का निपटारा दिल्ली न्यायिक क्षेत्र में होगा।
- © कॉपीराइट: संस्कृति पब्लिकेशन्स, सर्वाधिकार सुरक्षित। इस प्रकाशन के किसी भी अंश का प्रकाशन अथवा उपयोग, प्रतिलिपिकरण, ऐसे यंत्र में भंडारण जिससे इसे पुनः प्राप्त किया जा सकता हो या स्थानांतरण, किसी भी रूप में या किसी भी विधि से (इलेक्ट्रॉनिक, यांत्रिक, फोटो-प्रतिलिपि, रिकॉर्डिंग या किसी अन्य प्रकार से) प्रकाशक की पूर्वानुमति के बिना नहीं किया जा सकता।

पत्रिका की गुणवत्ता से संबंधित शिकायतों व सुझावों के लिए संपर्क (WhatsApp) करें – 8800873762 (सुशीलनाथ कुमार)

वितरण, विज्ञापन एवं पत्रिका के सब्सक्रिप्शन के लिए संपर्क (WhatsApp) करें – 7428085757 (नरेंद्र प्रताप)

स्वामी, मुद्रक एवं प्रकाशक अखिल मूर्ति द्वारा
636, भू-तल, डॉ. मुखर्जी नगर, दिल्ली-09 से प्रकाशित एवं
एस.के. इंटरप्राईज़ेज, प्लॉट न. 92/6/2 एवं 92/15, रोड न.-1,
मुंडका उद्योग नगर (साउथ साइड) इंड्स्ट्रियल एरिया,
नई दिल्ली-110041 से मुद्रित।

इस अंक में

संपादकीय 8

करेंट अफेयर्स 9-121

राजव्यवस्था एवं शासन 9-23

उच्च न्यायपालिका में लैंगिक अंतराल 9
पंचायती राज प्रणाली में प्रधान पति प्रथा का उन्मूलन 10
आव्रजन एवं विदेशी विषयक विधेयक, 2025 11
नाट्य प्रदर्शन अधिनियम का निरसन 13
स्कूल परिसर में स्मार्टफोन के उपयोग पर दिशा-निर्देश 14
भारत में उपभोक्ता अधिकारों का संरक्षण 15
सार्वजनिक अनुबंधों में धार्मिक आरक्षण 16
मतदाता फोटो पहचान-पत्र संख्या एवं संबंधित मुद्दे 17
महिलाओं की गिरफ्तारी पर न्यायालय का निर्णय 18
भारत में कैंसर संबंधित मुद्दे 19
भारत में अंग प्रत्यारोपण संबंधित मुद्दे 19
बहुभाषी शिक्षा पर यूनेस्को की रिपोर्ट 20
महाराष्ट्र स्लम क्षेत्र अधिनियम, 1971 की समीक्षा 22
राजस्थान कोचिंग सेंटर (नियंत्रण व विनियमन) विधेयक 22
APAAR ID एवं संबद्ध मुद्दे 23

अंतर्राष्ट्रीय संबंध 24-28

हेग सेवा अभिसमय तथा भारत 24
रायसीना संवाद 25
भारत-श्रीलंका समुद्री सीमा मुद्दे 26
भारत-भूटान द्विपक्षीय संबंध 27

आर्थिक घटनाक्रम 29-37

आभासी डिजिटल परिसंपत्तियों पर करारोपण 29
भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा रुपया-डॉलर विनिमय 30
उच्च आय से संबंधित विश्व बैंक की रिपोर्ट 31
ऑनलाइन गेमिंग से संबंधित विभिन्न मुद्दे 32
भारत में ए.आई. कार्यबल संकट 33
अर्थव्यवस्था की स्थिति : RBI रिपोर्ट 35
उपभोक्ता ऋण में वृद्धि 36
वित्तीय क्षेत्र स्थिरता मूल्यांकन 36
MSME मानदंडों में संशोधन 37

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी 38-53

भारत में ए.आई. क्रांति 38
अंतरिक्ष यात्रा के स्वास्थ्य संबंधी खतरें 40
स्टारलिंक : लाभ, उपयोगिता एवं चुनौतियाँ 41
ऑनलाइन सामग्री को ब्लॉक करने संबंधी मुद्दे 42
वित्तीय धोखाधड़ी में जेनरेटिव ए.आई. का दुरुपयोग 43
पावर हेड टेस्ट आर्टिकल परीक्षण 43
ध्वनिक हथियार : कार्यप्रणाली, प्रकार एवं प्रभाव 44
विज्ञान धारा : भारत की वैज्ञानिक प्रगति के लिए उत्प्रेरक 45
नासा का SPHEREx टेलीस्कोप एवं पंच मिशन 47
मेजराना-1 क्वांटम चिप 48
न्यूनतम आहार विविधता 48
चंद्रयान- 5 49
मेलियोइडोसिस 49
स्पाइनल मस्कुलर अट्रोफी 50
क्यासानूर फॉरेस्ट डिजीज़ 50
ह्यूमन कोरोनावायरस 51
POLG माइटोकॉन्ड्रियल रोग 51
हंतावायरस पल्मोनरी सिंड्रोम 52
क्वांटम कंप्यूटिंग पर रणनीतिक पत्र 52
HKU5-CoV-2 वायरस 52
टेक्नोलॉजी एडॉप्शन फंड 53

पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी 54-68

वन्य एवं वन्यजीव 54-59

राष्ट्रीय वन्यजीव स्वास्थ्य नीति का प्रस्ताव 54
वनों के वित्तयन संबंधी रिपोर्ट 55
नदी डॉल्फिन गणना रिपोर्ट 56
पोबितोरा वन्यजीव अभयारण्य 56

जंपिंग स्पाइडर की नई प्रजाति 57
चमगादड़ की नई प्रजाति 58
गोलियथ बीटल 58
ब्लू-चीक्ड बी-ईटर 58
नोथोब्रांचियस सिल्वेटिकस 59

प्रदूषण ***59-60***
उच्च पराबैंगनी विकिरण का स्वास्थ्य पर प्रभाव 59
ओशन डिग्रेडेबल प्लास्टिक 60

जलवायु परिवर्तन ***60-65***
ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन का उपग्रहों पर प्रभाव 60
कृत्रिम बुद्धिमत्ता के विकास का पर्यावरणीय प्रभाव 61
चक्रीय अर्थव्यवस्था में भारत का नेतृत्व 62
ग्लेशियर से मीथेन उत्सर्जन 64
ताज ट्रेपेज़ियम ज़ोन 64

जैव विविधता ***65-66***
माधव टाइगर रिज़र्व 65

पर्यावरणीय संस्थान ***66-67***
राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड 66

विविध ***67-68***
ब्लैक प्लास्टिक से संबंधित अध्ययन 67
प्रकृति 2025 68

भूगोल ***69-76***

भू-भौतिकी घटनाएँ ***69-70***
हीट एक्शन प्लान में दीर्घकालिक रणनीति 69
माउंट लेवोटोबी लाकी-लाकी 70

संसाधन ***70-75***
अपतटीय खनन एवं संबंधित मुद्दे 70
लघु खनिजों का प्रमुख खनिजों में पुनर्वर्गीकरण 72
संयुक्त राष्ट्र विश्व जल विकास रिपोर्ट, 2025 74

चर्चित समुदाय एवं स्थल ***75-76***
मोरन समुदाय 75
विक्टोरिया झील के रंग में परिवर्तन 75
नैनी झील का गिरता जलस्तर 76

कृषि ***77-78***

पशुधन स्वास्थ्य एवं रोग नियंत्रण कार्यक्रम 77
ठंडे एवं शुष्क क्षेत्रों के लिए आकस्मिक फसल योजना 78

उद्योग ***79***

IRCTC एवं IRFC को नवरत्न दर्जा 79

अवसंरचना ***80-81***

राष्ट्रीय रोपवे विकास कार्यक्रम : पर्वतमाला परियोजना 80
भारत संचार निगम लिमिटेड का पुनरुत्थान 81

इतिहास, कला एवं संस्कृति ***82-86***

मेनहिर 82
नेजा मेला 83
थलंगारा टोपी 83
मिर्ज़ा गालिब 83
हुस्कुर मद्दुरम्मा देवी जात्रा महोत्सव 84
स्पेन में प्रागैतिहासिक मानव जीवाश्म की खोज 84
जलानाथेश्वर मंदिर 85
न्योकुम युलो महोत्सव 85
जहान-ए-खुसरो, 2025 86

सामाजिक मुद्दे ***87-89***

जनजातियों की पहचान के लिए मानदंड में बदलाव की मांग 87
महिला अधिकारों पर समीक्षा रिपोर्ट 88

सामाजिक न्याय एवं कल्याण ***90-93***

अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस और भारत में महिलाएँ 90
जातिगत भेदभाव पर यू.जी.सी. का मसौदा नियम 91
भारत में सामाजिक न्याय का विकास 91
भारत में दिव्यांग कैदियों की स्थिति 93

आंतरिक सुरक्षा ***94-97***

गोल्डन डोम 94
भारत-म्याँमार सीमा सुरक्षा संबंधी मुद्दे 94
भारतीय वायु सेना का आधुनिकीकरण 96
अस्त्र मिसाइल 97

नीतिशास्त्र, सत्यनिष्ठा एवं अभिरुचि ***98-101***

स्वास्थ्य देखभाल अवसंरचना में करुणा की आवश्यकता 98

केस स्टडी ***99-101***

केस स्टडी-1 99
केस स्टडी-2 101

विविध 102-121

अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम 102-103
- ऑपरेशन स्काई शील्ड 102
- वानुअतु का गोल्डन पासपोर्ट 102

सूचकांक एवं रिपोर्ट 103-106
- विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 103
- वैश्विक हथियार हस्तांतरण रिपोर्ट, 2025 104
- भारत में आवास की प्रवृत्ति एवं प्रगति रिपोर्ट, 2024 105
- वैश्विक आतंकवाद सूचकांक, 2025 105
- विश्व खुशहाली रिपोर्ट, 2025 106

योजनाएँ एवं कार्यक्रम 106-109
- विशेष क्षमता निर्माण कोर्स 106
- इलेक्ट्रॉनिक घटक प्रोत्साहन योजना 107
- प्रधानमंत्री युवा लेखक परामर्श योजना 108
- संसद भाषिणी पहल 108
- संशोधित राष्ट्रीय गोकुल मिशन 108

महत्त्वपूर्ण मंत्रालय एवं संगठन 109-111
- प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग 109

अंतर्राष्ट्रीय संगठन 111-113
- हिंद महासागर रिम एसोसिएशन 111

महत्त्वपूर्ण खेल घटनाक्रम 113

महत्त्वपूर्ण दिवस 115

महत्त्वपूर्ण पुरस्कार 116

महत्त्वपूर्ण पुस्तकें 117

महत्त्वपूर्ण व्यक्ति एवं नियुक्तियाँ 118

महत्त्वपूर्ण सम्मेलन एवं आयोजन 119

महत्त्वपूर्ण शब्दावली 120

महत्त्वपूर्ण पत्रिकाओं का सार 122-144

- योजना 122-129
- कुरुक्षेत्र 129-133
- डाउन टू अर्थ 134-139
- इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली 139-141
- साइन्स रिपोर्टर 142-144

निबंध उद्धरण 145

क्विक रिवीज़न 146-162

- महत्त्वपूर्ण तथ्य : एक नज़र में 146-153
- मानचित्र अध्ययन 154-155
- प्रारंभिक परीक्षा आधारित प्रश्न 156-161
- मुख्य परीक्षा आधारित प्रश्न 162

हिंदी माध्यम

संस्कृति IAS

दिल्ली के साथ अब
प्रयागराज में भी...

दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम

Distance Learning Programme DLP

दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम की विशेषताएँ

- यह कार्यक्रम ऐसे विद्यार्थियों को ध्यान में रखकर तैयार (डिज़ाइन) किया गया है, जो किन्हीं वजहों से हमारे कक्षा कार्यक्रम का हिस्सा नहीं बन पा रहे हैं।
- दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम की अध्ययन सामग्री प्रकृति में सरल, संक्षिप्त, प्रामाणिक और परीक्षोन्मुखी है। इसे हिंदी माध्यम की सर्वश्रेष्ठ अध्यापकों की टीम के निर्देशन एवं मार्गदर्शन में अनुभवी एवं प्रतिबद्ध कॉन्टेंट राइटरों द्वारा तैयार किया गया है।
- सिविल सेवा परीक्षा के नवीनतम पैटर्न पर आधारित अध्ययन सामग्री इस तरह से तैयार की गई है कि कोई भी टॉपिक छूटने न पाए, अर्थात् अध्ययन की सरलता हेतु सभी अध्यायों में महत्त्वपूर्ण तथ्यों का उचित समावेश किया गया है।
- अध्ययन सामग्री को पैराग्राफ्स, बुलेट फॉर्म, सारणी, मानचित्र एवं फ्लोचार्ट के माध्यम से उपयोगी एवं सरल बनाया गया है।

Fee Details

IAS Prelims	₹ 9,000
IAS Mains	₹ 12,000
IAS Prelims + Mains	₹ 14,000
IAS Optional History	₹ 6,000
IAS Optional Geog.	₹ 6,000

प्रिलिम्स अध्ययन सामग्री
25 Booklets

मेन्स अध्ययन सामग्री
27 Booklets

प्री.+मेन्स अध्ययन सामग्री
35 Booklets

For Demo

636, भू-तल, मुखर्जी नगर, दिल्ली-110009 9555 124 124 sanskritiias.com

कृत्रिम बुद्धिमत्ता का समावेशी पक्ष

प्रिय विद्यार्थियों,

मार्च का महीना संसार भर की स्त्रियों के सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक विकास से संबंधित आयोजनों के लिए एक आरक्षित महीना बन गया है जिसके चलते अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सरकारी व स्वयंसेवी संस्थाएँ, स्त्रियों के सर्वांगीण विकास को केंद्र में रखते हुए अपने-अपने स्तर पर विभिन्न आयोजनों का शुभारंभ करती हैं। इसी माह स्त्रियों से संबंधित अनेक मुद्दों पर विमर्शों का दौर चलता है, लैंगिक समानता की दिशा में जारी कार्रवाईयों को लेकर कई निर्णय भी लिए जाते हैं।

इसके अतिरिक्त साल भर में मार्च के इस खास महीने में विश्व भर में हर साल विशेष तौर पर स्त्रियों के लिए निर्मित संवैधानिक प्रावधानों तक उनकी पहुँच सुनिश्चित करने के साथ ही सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक समानता के अवसर निर्मित करने के इरादों के साथ स्त्रियों के चहुमुखी सशक्तीकरण के ग्राफ को ऊपर उठाने की जानकारी का खुलासा करते हुए विभिन्न संस्थान अपनी वार्षिक रिपोर्ट में महिलाओं के सशक्तीकरण के विकास का लेखा-जोखा प्रस्तुत करते हैं, ताकि उनके संस्थानों में स्त्री सशक्तीकरण से संबंधित प्रगति की जानकारियों को सार्वजनिक किया जा सके।

हर वर्ष 8 मार्च को एक नया विषय दिया जाता है। इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस-2025 का शीर्षक, 'सभी महिलाओं और बालिकाओं के लिए अधिकार, समानता एवं सशक्तीकरण' है।

भारत समेत पूरे विश्व में स्त्री संबंधित मुद्दों को लेकर अभी कई सोपान चढ़े जाने बाकी हैं। अब तक के अनुभवों से यह बात तो एकदम साफ हो चुकी है कि आधी आबादी के हितों को ध्यान रखने के निर्देशों के साथ निर्मित किए गए आधुनिकता के तमाम उपकरण या नियम स्त्रियों के लिए कई तरह की चुनौतियाँ भी लेकर आते हैं। कृत्रिम बुद्धिमत्ता के क्षेत्र में भी स्त्रियों को कई चुनौतियों से गुज़रना पड़ रहा है।

विश्व भर में विकास की दृष्टि से कई महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों में तेज़ी से होने वाले नवाचारों की एक कड़ी ए.आई. यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता का क्षेत्र आजकल अत्यधिक चर्चा में है। कंप्यूटर विज्ञान की इस शाखा में बुद्धिमत्त युक्त मशीनों यानी ऐसे कंप्यूटर प्रोग्रामों का प्रयोग किया जाता है जिन्हें विज्ञान और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में मनुष्य जैसी मस्तिष्क क्षमता के साथ निर्मित किया गया है।

भारत में जहाँ शिक्षा, वित्त एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र में कृत्रिम बुद्धिमत्ता का व्यापक इस्तेमाल किया जा रहा है वहीं इसके प्रयोग के चलते कई तरह की उम्मीदों के साथ-साथ कई संशय भी गहरा रहे हैं क्योंकि भारत जैसे विकाशील देश में 23% शहरी जनसंख्या और केवल 4% ग्रामीण आबादी के पास ही कंप्यूटर की पहुँच है। अति आधुनिक समय में बेहद कम डिजिटल साक्षरता के साथ मैदान में उतरी विज्ञान की यह आधुनिक शाखा भारत की आधी आबादी के लिए कितनी कारगर सिद्ध होगी और इसमें उनकी भागीदारी का स्तर कितने प्रतिशत होगा इसका निर्धारण आने वाला समय करेगा।

पारंपरिक सांस्कृतिक पूर्वाग्रहों के चलते जहाँ हमारे भारतीय समाज में लड़कों को गणित, सांख्यिकी जैसे बुद्धिमत्ता के क्षेत्रों में लड़कियों से अधिक कुशल माना जाता है, ऐसी सोच वाले हमारे समाज में अगर यदि ए.आई. डिज़ाइन प्रक्रिया में स्त्रियों को शामिल नहीं किया जाएगा तो यह प्रौद्योगिकी समावेशी कैसे हो सकेगी। इसीलिए ए.आई. सॉफ्टवेयर बनाने में इस क्षेत्र में प्रशिक्षित स्त्रियों का प्रतिनिधित्व बढ़ाया जाना चाहिए क्योंकि यदि निर्माण में एक पक्ष ही शामिल रहेगा तो इस नई प्रौद्योगिकी में स्त्रियों के प्रति सामाजिक पूर्वाग्रहों का खतरा बना रह सकता है। इसके अलावा कृत्रिम बुद्धिमत्ता कार्यालयों के साथ-साथ घरों में भी लैंगिक असमानताओं को कैसे कम करने में मदद कर सकता है, इस ओर अधिक ध्यान देने की ज़रूरत है।

इसके साथ ही हमें यह समझना भी ज़रूरी है कि समाज में जब भी कोई भी नई चीज़ इंट्रोड्यूस की जाती है तब शुरुआती तौर पर कानूनी और सामाजिक तौर एक गंभीर विमर्श की ज़रूरत महसूस होती है क्योंकि यह बात अक्षरत: सही है कि जब तक समाज में उसे लेकर व्यापक स्तर पर चर्चा नहीं होती उसके नकारात्मक प्रभावों को हल नहीं किया जाता तो समय के साथ उस योजना का शिथिल होना तय होता है।

अब तक यह देखा गया है कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता द्वारा संचालित भर्ती प्रक्रियाओं में पूर्वाग्रह काफी हद तक कम हो गए हैं क्योंकि इसके ज़रिए उम्मीदवारों का चयन लिंग के आधार पर नहीं बल्कि उनके कौशल के आधार पर किया जाता है। इसके ऐसे ही कई सकारात्मक पहलुओं के साथ कृत्रिम बुद्धिमत्ता का यह आधुनिक विज्ञान सफल माना जा सकेगा जब इससे बिना किसी भेदभाव के पूरा समाज लाभान्वित होगा।

इसकी मदद से 8 मार्च का यह थीम जिसमें सभी महिलाओं और लड़कियों के लिए समान अधिकार, समानता और सशक्तीकरण का आह्वान किया गया पूरा हो सकेगा और कृत्रिम बुद्धिमत्ता एक समावेशी अवधारणा के लिए एक नई प्रेरक शक्ति बनकर सामने आ सकेगी।

शुभकामनाओं सहित

AMurti

(अखिल मूर्ति)

राजव्यवस्था एवं शासन

उच्च न्यायपालिका में लैंगिक अंतराल

संदर्भ

भारत में विगत 100 वर्षों में कानून के क्षेत्र में हुई प्रगति के बावजूद उच्च न्यायपालिका में महिलाओं का प्रतिनिधित्व अत्यंत निम्न है जो कि न्यायिक प्रणाली में व्याप्त लैंगिक अंतराल को दर्शाता है।

उच्च न्यायपालिका में लैंगिक अंतराल की वर्तमान स्थिति

- वर्तमान में उच्च न्यायालयों में महिला न्यायाधीशों की हिस्सेदारी केवल 14.27% (764 में से 109) है। आठ उच्च न्यायालयों में महिला न्यायाधीशों की संख्या केवल एक तक ही सीमित है।
  - उत्तराखंड, मेघालय एवं त्रिपुरा के उच्च न्यायालयों में कोई महिला न्यायाधीश नहीं हैं।
  - इलाहाबाद उच्च न्यायालय, में केवल तीन महिला न्यायाधीश (2%) हैं, जबकि वर्तमान में यह देश का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय है।
  - उच्च न्यायालयों में महिला न्यायाधीशों की संख्या असमान रूप से कम है। साथ ही, उन्हें पुरुषों की तुलना में बाद में नियुक्ति मिलती है।
- वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में केवल दो महिला न्यायाधीश न्यायमूर्ति बी.वी. नागरत्ना एवं न्यायमूर्ति बेला त्रिवेदी कार्यरत हैं।
  - सर्वोच्च न्यायालय में नियुक्त किए गए पिछले 28 न्यायाधीशों में से कोई महिला न्यायाधीश नहीं है।
  - पिछले 75 वर्षों में सर्वोच्च न्यायालय ने बार एसोसिएशन से नौ सदस्यों को सीधे सर्वोच्च न्यायालय में पदोन्नत किया है जिसमें केवल एक महिला (इन्दु मल्होत्रा) शामिल है।

लैंगिक अंतराल के कारण

कॉलेजियम प्रणाली में स्पष्ट मानदंडों का अभाव

भारत में उच्च न्यायपालिका में नियुक्तियों के लिए कॉलेजियम प्रणाली में पात्रता एवं योग्यता के लिए लैंगिक आधार के लिए कोई स्पष्ट मानदंड नहीं हैं। नियुक्तियों में महिलाओं की तुलना में प्रायः पुरुषों को वरीयता दिया जाता है।

न्यायिक अनुसंशाओं में विभेद

कई बार कॉलेजियम द्वारा महिलाओं के नामों की सिफारिश करने पर भी सरकार उसकी पुष्टि नहीं करती है। उदाहरण के लिए, वर्ष 2020 से अब तक उच्च न्यायालयों में नियुक्ति के लिए कॉलेजियम ने नौ महिलाओं के नामों की सिफारिश की, किंतु उनकी पुष्टि नहीं की गई।

अंतर्निहित पूर्वाग्रह

महिला न्यायाधीशों के पास आवश्यक योग्यता होने के बावजूद अंतर्निहित पूर्वाग्रहों एवं संस्थागत समर्थन की कमी के कारण उन पर विचार नहीं किया जाता है।

प्रणालीगत असमानता

यद्यपि कई महिलाएँ कानूनी पेशे में हैं किंतु कार्यस्थल पर भेदभाव, मार्गदर्शन की कमी एवं करियर की प्रगति में पूर्वाग्रहों के कारण इन पदों पर कम ही पहुँच पाती हैं। इसके अलावा कानूनी पेशे में महिलाओं को कम योग्य समझा जाता है।

नियुक्ति की औसत आयु में अंतर

नियुक्तियों के संदर्भ में पुरुषों की औसत आयु 51.8 वर्ष है जबकि महिलाओं के लिए यह 53 वर्ष है। इस प्रकार, महिला न्यायाधीश वरिष्ठता तक नहीं पहुँच पाती हैं।

बुनियादी सुविधाओं का अभाव

- न्यायालयों में बुनियादी सुविधाओं के अभाव के कारण न्यायपालिका में काम करने वाली महिला वकीलों, न्यायाधीशों एवं कर्मचारियों के लिए अनेक समस्याएँ होती हैं।
  - विधि सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी द्वारा किए गए एक सर्वेक्षण के अनुसार, लगभग 100 ज़िला न्यायालयों में महिलाओं के लिए समर्पित शौचालय नहीं हैं।
  - इसके अलावा प्रमुख उच्च न्यायालयों सहित कई अन्य न्यायालयों में महिला न्यायाधीशों के लिए भी पर्याप्त शौचालय नहीं हैं।

आगे की राह

न्यायपालिका में महिलाओं का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करके न्यायालयों की वैधता में वृद्धि करने तथा समावेशी न्यायपालिका के लिए निम्नलिखित सुधार की आवश्यकता है–

- **कॉलेजियम की एक पारदर्शी प्रक्रिया :** कॉलेजियम को एक पारदर्शी प्रक्रिया का अनुसरण करना चाहिए जिसमें उत्कृष्टता एवं उच्चतम मानकों के आधार पर स्पष्ट मानदंड व एक निर्दिष्ट समय सीमा होनी चाहिए।

- **लैंगिक प्रतिनिधित्व की अनिवार्यता :** न्यायिक नियुक्तियों में लैंगिक संतुलन न्यायपालिका का घोषित उद्देश्य होना चाहिए। इसके लिए न्यायपालिका को एक ऐसी नीति बनानी चाहिए जो यह सुनिश्चित करे कि उच्च न्यायपालिका में कम-से-कम एक-तिहाई न्यायाधीश महिलाएँ हों।
- **विविधता के साथ योग्यता :** नियुक्तियों के संदर्भ में विविधता एवं योग्यता को एक-दूसरे के पूरक के रूप में देखा जाना चाहिए। इसके लिए एक ऐसी प्रक्रिया की आवश्यकता है जो केवल योग्यता के आधार पर चयन सुनिश्चित करने के साथ ही नियुक्त व्यक्तियों की श्रेणी में विविधता को प्रोत्साहित करती हो।
- **अनुशंसाओं की समीक्षा :** सरकार को एक ऐसी नीति अपनानी चाहिए जिसमें कॉलेजियम द्वारा अनुशंसित उम्मीदवारों, विशेष रूप से महिलाओं को अस्वीकार करते समय निर्दिष्ट स्पष्टीकरण की आवश्यकता हो।
- **मार्गदर्शन एवं नेतृत्व समर्थन :** नेतृत्व की भूमिकाओं के लिए महिला वकीलों को सलाह देने और प्रशिक्षित करने के लिए समर्पित कार्यक्रम की आवश्यकता है जो प्रणालीगत बाधाओं को समाप्त करने में सहायक हो।
- संवैधानिक अदालतों को सही मायने में लैंगिक रूप से समावेशी होनी चाहिए जहाँ महिलाएँ अपनी न्यायिक भूमिकाओं का बेहतर तरीके से निर्वहन कर सकें।

क्या आप जानते हैं

- पहली महिला वकील कॉर्नेलिया सोराबजी को वर्ष 1924 में वकालत करने का अधिकार प्राप्त हुआ था।
- सर्वोच्च न्यायालय में पहली महिला न्यायाधीश एम. फातिमा बीवी (1989-92) थीं।

पंचायती राज प्रणाली में प्रधान पति प्रथा का उन्मूलन

संदर्भ

ग्राम पंचायतों में महिला प्रधानों का प्रतिनिधित्व पुरुष सदस्यों द्वारा किए जाने के मुद्दे की जाँच के लिए वर्ष 2023 में गठित सलाहकार समिति ने अपनी रिपोर्ट पंचायती राज मंत्रालय को सौंप दी है।

भारत में पंचायती राज प्रणाली के बारे में

- भारत में तीनों स्तरों- ग्राम पंचायत (गाँव स्तर पर), पंचायत समिति (ब्लॉक स्तर पर) और ज़िला परिषद् (ज़िला स्तर पर) पर लगभग 2.63 लाख पंचायतें हैं।
- इन सभी पंचायतों में 32.29 लाख निर्वाचित प्रतिनिधि हैं जिनमें से 15.03 लाख (46.6%) महिलाएँ हैं।
- पंचायत अधिकारियों की संख्या में महिलाओं का अनुपात काफी बढ़ने के बाद भी निर्णयकारी प्रक्रिया में उनकी प्रभावी भागीदारी अभी भी बहुत कम है।

प्रधान पति प्रथा का उद्भव

- वर्ष 1992 में 73वें संविधान (संशोधन) अधिनियम के माध्यम से अनुच्छेद 243D के अंतर्गत ज़मीनी स्तर पर लोकतंत्र में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए एक-तिहाई सीटों का आरक्षण अनिवार्य किया गया था।
- इस आरक्षण के साथ ही देश में 'प्रधान पति' प्रथा की शुरुआत हुई जिसने धीरे-धीरे व्यापक रूप ले लिया।
- 'प्रधान पति' से तात्पर्य केवल 'सरपंच पति' या 'मुखिया पति' तक ही सीमित नहीं होता है, बल्कि इसका अर्थ ऐसे पुरुषों से है जो आधिकारिक रूप से चुनी गई महिलाओं की शक्तियों का इस्तेमाल करते हैं।
- प्रधान पति की संस्कृति उत्तरी राज्यों, विशेषकर उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा एवं राजस्थान में अधिक प्रचलित है।

प्रधान पति प्रथा का उन्मूलन

- इस प्रथा के उन्मूलन के लिए केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय की ओर से पूर्व खान सचिव सुशील कुमार की अध्यक्षता में सलाहकार समिति गठित की गई थी।
- यह समिति 6 जुलाई, 2023 के सर्वोच्च न्यायालय के आदेश की अनुवर्ती थी।
- समिति ने हाल ही में 'पंचायती राज प्रणालियों एवं संस्थाओं में महिलाओं के प्रतिनिधित्व तथा उनकी भूमिका में परिवर्तन : प्रॉक्सी भागीदारी के प्रयासों को समाप्त करना' विषय पर अपनी रिपोर्ट मंत्रालय को सौंपी है।
- समिति की रिपोर्ट के अनुसार 'प्रधान पति' या 'सरपंच पति' या 'मुखिया पति' का मुद्दा छद्म राजनीति के एक ऐसे तरीके का प्रतीक है जो पूरे देश में प्रचलित है।
- पंचायती राज मंत्रालय ने इस रिपोर्ट को मंजूर कर लिया है। अब केंद्र सरकार के स्तर पर इस पर निर्णय किया जाएगा।

सलाहकार समिति की प्रमुख सिफारिशें

- प्रधान पति पर प्रतिबंध लगाने वाले आदेशों का उल्लंघन करने वालों पर जुर्माना एवं गंभीर दंड
- पंचायती राज के सभी स्तरों पर प्रशासन को महिला प्रतिनिधि से जुड़ना चाहिए न कि उनके प्रॉक्सी (पुरुष रिश्तेदारों) के साथ
- पंचायत अध्यक्ष का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम स्कूल स्तर की शिक्षा अनिवार्य की जानी चाहिए, चाहे वह किसी भी लिंग का हो

- सामाजिक मानदंडों को चुनौती देने वाली महिला नेताओं की सफलता की कहानियों का विशेष उल्लेख
- केरल की तरह वार्ड-स्तरीय समितियों में लिंग-विशिष्ट कोटा जैसी पहल
- प्रधान पति विरोधी प्रतियोगिता
- महिला लोकपाल की नियुक्ति
- ग्राम सभा में महिला प्रधानों का सार्वजनिक शपथ ग्रहण
- महिला पंचायत नेताओं का संघ बनाना
- प्रॉक्सी नेतृत्व के बारे में गोपनीय शिकायतों के लिए हेल्पलाइन, महिला निगरानी समिति प्रणालियाँ, सत्यापित मामलों में मुखबिर को पुरस्कार

तकनीक-आधारित समाधान

- बैठकों की वीडियो रिकॉर्डिंग कराना
- ए.आई. द्वारा महिला प्रतिनिधियों को कानून से संबंधित जानकारी देना
- दैनिक कामकाज में मदद के लिए एक वाट्सएप ग्रुप
- पंचायती राज मंत्रालय के पंचायत निर्णय पोर्टल का उपयोग

आगे की राह

- यूनेस्को के एक अध्ययन के अनुसार, महिलाओं के निर्णय प्रक्रिया में भागीदारी से विकास का लक्ष्य बेहतर प्राप्त किया जा सकता है क्योंकि उनके पास प्राय: अपने समुदायों में महिलाओं एवं बच्चों के सामने आने वाली विशिष्ट आवश्यकताओं और चुनौतियों के बारे में विशिष्ट समझ होती है।
- कई अध्ययन यह भी कहते हैं कि निर्णय लेने में महिलाओं की भागीदारी से महिला नीतिगत चिंताओं के प्रति जवाबदेही बढ़ती है।
- महिलाएँ प्राय: सामाजिक कल्याण, स्वास्थ्य, शिक्षा एवं स्वच्छता के मुद्दों को प्राथमिकता देती हैं जो सामुदायिक विकास के लिए महत्त्वपूर्ण हैं।
- जब महिलाएँ पंचायतों में नेतृत्व करती हैं तो वे अन्य महिलाओं एवं बालिकाओं के लिए आदर्श बन जाती हैं और दूसरी महिलाओं को भी आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती हैं।

आव्रजन एवं विदेशी विषयक विधेयक, 2025

संदर्भ

11 मार्च, 2025 को लोक सभा में आव्रजन एवं विदेशी विषयक विधेयक, 2025 (The Immigration and Foreigners Bill, 2025) प्रस्तुत किया गया।

आव्रजन एवं विदेशी विषयक विधेयक, 2025

- **परिचय :** इस विधेयक में छह अध्याय हैं, जिसमें 35 खंड एवं मौजूदा कानूनों को सामूहिक रूप से एक ही दस्तावेज़ में समाहित किया गया है।
- **उद्देश्य :** भारत में विदेशियों के आव्रजन, प्रवेश एवं प्रवास को विनियमित करना।
- यह विधेयक निम्नलिखित अधिनियमों को निरस्त करता है-
  - पासपोर्ट (भारत में प्रवेश) अधिनियम, 1920
  - विदेशियों का पंजीकरण अधिनियम, 1939
  - विदेशी नागरिक अधिनियम, 1946
  - अप्रवास (वाहक दायित्व) अधिनियम, 2000
  - इनमें से तीन कानून 'संविधान-पूर्व काल' के हैं जिन्हें प्रथम एवं द्वितीय विश्वयुद्ध के 'असाधारण समय' के दौरान लाया गया था।

आव्रजन एवं विदेशी विषयक विधेयक की मुख्य विशेषताएँ

आव्रजन (Immigration)

- पासपोर्ट (भारत में प्रवेश) अधिनियम, 1920 केंद्र सरकार को भारत में प्रवेश करने वाले व्यक्तियों के लिए पासपोर्ट रखने के लिए नियम बनाने का अधिकार देता है।
- प्रस्तुत विधेयक में प्रावधान है कि भारत में प्रवेश करने या यहाँ से जाने वाले व्यक्तियों के पास वैध पासपोर्ट या अन्य वैध यात्रा दस्तावेज़ों के साथ वैध वीज़ा (विदेशियों के लिए) भी होना चाहिए।
  - इन दस्तावेज़ों की जाँच आव्रजन अधिकारी द्वारा की जा सकती है।
- यह विधेयक केंद्र सरकार को भारत में प्रवेश करने और भारत से बाहर निकलने के लिए नामित आव्रजन चौकियों को अधिसूचित करने का अधिकार देता है।
  - इन चौकियों पर आव्रजन अधिकारी या अन्य निर्दिष्ट अधिकारी तैनात होंगे।
- यह विधेयक आव्रजन कार्यों एवं अन्य निर्धारित कार्यों को करने के लिए आव्रजन ब्यूरो की स्थापना का प्रावधान करता है।
- आव्रजन कार्यों में निम्नलिखित शामिल हैं-
  (i) वीज़ा जारी करना और भारत में प्रवेश का विनियमन, या
  (ii) भारत में पारगमन, प्रवास और भारत से बाहर निकलना
- केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त ब्यूरो का आयुक्त, आव्रजन एवं अन्य निर्धारित कार्यों की निगरानी करेगा।

प्रवेश से वंचन

- विधेयक के अनुसार, किसी भी विदेशी को भारत में प्रवेश करने या रहने की अनुमति नहीं दी जाएगी, यदि वह भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा, संप्रभुता एवं अखंडता के लिए खतरा, किसी विदेशी देश के साथ संबंधों या सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए खतरा या ऐसे

अन्य आधारों पर अयोग्य पाया जाता है, जैसा केंद्र सरकार निर्दिष्ट करती है।

- पहले किसी भी कानून या नियमों में इन कारणों का स्पष्ट उल्लेख नहीं किया गया था।

- इस मामले में आव्रजन अधिकारी का निर्णय अंतिम एवं बाध्यकारी होगा।

विदेशियों का पंजीकरण

- विदेशियों का पंजीकरण अधिनियम, 1939 केंद्र सरकार को विदेशियों के लिए नियम बनाने का अधिकार प्रदान करता है, ताकि वे अपनी उपस्थिति की सूचना निर्धारित प्राधिकारी को दे सकें।
- इस विधेयक में प्रावधान है कि भारत आने पर विदेशियों को पंजीकरण अधिकारी के समक्ष पंजीकरण कराना होगा।

निर्धारित जानकारी प्रदान करने के लिए व्यक्तियों/संस्थाओं का दायित्व

- विदेशी नागरिक अधिनियम, 1946 में यात्रियों/चालक दल को ले जाने वाले जहाज़ के स्वामियों/विमानों के पायलटों पर जहाज़ पर सवार विदेशियों के बारे में निर्धारित जानकारी प्रदान करने का दायित्व डाला गया है।
  - विदेशियों को आवास प्रदान करने वाले होटल संचालकों को भी ऐसी जानकारी प्रदान करनी होगी।
- विधेयक में भारत में उतरने या विमान से उतरने वाले वाहकों (Carriers) को जहाज़ पर सवार चालक दल/यात्रियों की जानकारी नागरिक प्राधिकरण या आव्रजन अधिकारी को प्रदान करने की आवश्यकता है।
- विधेयक में यह भी कहा गया है कि शैक्षणिक संस्थानों को विदेशियों को प्रवेश देने के बारे में पंजीकरण अधिकारी को निर्धारित जानकारी प्रदान करनी चाहिए।
- चिकित्सा संस्थानों को इनडोर उपचार का लाभ उठाने वाले विदेशी रोगियों या आवास सुविधाओं का लाभ उठाने वाले उनके परिचारकों के बारे में पंजीकरण अधिकारी को जानकारी प्रदान करनी चाहिए।

वाहक (Carrier)

- अप्रवास (वाहक दायित्व) अधिनियम, 2000 के अनुसार, वाहक वह व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह है जो जल या वायु मार्ग से यात्रियों के परिवहन के व्यवसाय में संलग्न है।
- विधेयक में परिभाषा का विस्तार करते हुए इसमें विमान, जहाज़ या परिवहन के किसी अन्य साधन के माध्यम से वायु, जल या भूमि द्वारा यात्रियों तथा माल के परिवहन को शामिल किया गया है।
- विधेयक में विमान/जहाज़/परिवहन के किसी अन्य साधन को भी भारत से प्रस्थान करने से प्रतिबंधित किया गया है जब तक कि आव्रजन अधिकारी से मंज़ूरी नहीं मिल जाती है।
- यह मंज़ूरी एक निर्धारित सामान्य घोषणा प्रस्तुत करने पर दी जाएगी।

अपराध एवं दंड

- चारों अधिनियम विभिन्न प्रावधानों के उल्लंघन पर दंड लगाने का प्रावधान करते हैं।
- यह विधेयक कुछ अपराधों के लिए दंड में बदलाव करने का प्रयास करता है।
  - उदाहरण के लिए, पासपोर्ट (भारत में प्रवेश) अधिनियम 1920 के तहत वैध पासपोर्ट के बिना प्रवेश करने पर पाँच वर्ष तक की कैद, 50,000 रुपए तक का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं।
  - इस विधेयक में वैध पासपोर्ट या अन्य यात्रा दस्तावेज़ों के बिना प्रवेश करने वाले विदेशियों को पाँच वर्ष तक की कैद, पाँच लाख रुपए तक का जुर्माना या दोनों से दंडित करने का प्रावधान है।
  - वीज़ा अवधि से अधिक समय तक रुकने पर तीन वर्ष की सज़ा और 3 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है।

गिरफ्तारी की शक्ति

- पासपोर्ट (भारत में प्रवेश) अधिनियम, 1920 किसी भी पुलिस अधिकारी (सब-इंस्पेक्टर से नीचे का पद नहीं) और सीमा शुल्क विभाग के किसी भी अधिकारी को बिना पासपोर्ट के भारत में प्रवेश करने वाले व्यक्तियों को बिना वारंट के गिरफ्तार करने का अधिकार देता है।
- यह विधेयक हेड कांस्टेबल से नीचे के पद के पुलिस अधिकारियों को बिना वारंट के गिरफ्तार करने का अधिकार देता है।

स्पष्ट परिभाषाएँ

- यह आव्रजन अधिकारी के कार्यों, पासपोर्ट एवं वीज़ा की आवश्यकताओं व विदेशियों और उनके पंजीकरण से संबंधित मामलों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करता है।
- हालाँकि, आव्रजन ब्यूरो (BoI) पहले से ही मौजूद है किंतु यह विधेयक आव्रजन कार्यों, आव्रजन अधिकारी एवं BoI के लिए कानूनी बैकअप प्रदान करने का प्रयास करता है।
- यह विश्वविद्यालयों एवं शैक्षणिक संस्थानों, अस्पतालों, नर्सिंग होम व चिकित्सा संस्थानों में किसी भी विदेशी को प्रवेश देने के दायित्वों से संबंधित प्रावधानों को परिभाषित करता है।

राज्यों के अधिकार

- गृह मंत्रालय ने वर्ष 2024 में झारखंड उच्च न्यायालय को सूचित किया था कि केंद्र सरकार के पास अवैध रूप से निवास कर

रहे विदेशियों का पता लगाने और उन्हें निर्वासित करने के लिए विशेष रूप से समर्पित कोई अलग संघीय पुलिस बल नहीं है, इसलिए इस संबंध में कार्रवाई राज्य पुलिस को सौंपी गई है।

- 24 अप्रैल, 2014 और 1 जुलाई, 2019 को जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार, यदि किसी विदेशी के पास वैध यात्रा दस्तावेज़/पासपोर्ट है और उसके खिलाफ कोई अन्य अदालती मामला लंबित नहीं है तो उसे राज्य सरकार द्वारा सज़ा/अदालती कार्यवाही पूरी होने के बाद निर्वासित किया जा सकता है।

हिरासत केंद्र

- इस विधेयक में 'हिरासत केंद्र' शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है। विधेयक की धारा 13 में कहा गया है कि विदेशियों को निवास के लिए अलग से निर्धारित स्थान पर निगरानी में रहना आवश्यक है।
  - ऐसे स्थान रखरखाव, अनुशासन एवं अपराधों व अनुशासन के उल्लंघन की सज़ा की शर्तों के अधीन होंगे, जैसा केंद्र सरकार समय-समय पर निर्धारित कर सकती है।
  - वर्ष 2019 में सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश के बाद गृह मंत्रालय ने वैध यात्रा दस्तावेज़ों के अभाव में निर्वासन की प्रतीक्षा कर रहे विदेशी नागरिकों की आवाजाही को प्रतिबंधित करने और यह सुनिश्चित करने के लिए हिरासत केंद्र मैनुअल को अंतिम रूप दिया कि वे शीघ्र प्रत्यावर्तन एवं निर्वासन के लिए हर समय शारीरिक रूप से उपलब्ध रहें।
  - मैनुअल में कहा गया है कि राज्यों को हिरासत केंद्र/होल्डिंग सेंटर/कैंप स्थापित करने के लिए गृह मंत्रालय से 'किसी विशेष अनुमोदन' की आवश्यकता नहीं है।

नाट्य प्रदर्शन अधिनियम का निरसन

संदर्भ

हाल ही में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने औपनिवेशिक कानून नाट्य प्रदर्शन अधिनियम, 1876 (Dramatic Performance Act, 1876) की चर्चा की है।

नाट्य प्रदर्शन अधिनियम, 1876 के बारे में

- यह औपनिवेशिक कानून सार्वजनिक स्थानों पर नृत्य करने वाले लोगों को गिरफ्तार करने की शक्ति प्रदान करता था।
- ब्रिटिश सरकार ने अक्तूबर 1875 से मई 1876 तक प्रिंस ऑफ वेल्स 'अल्बर्ट एडवर्ड' की भारत यात्रा के बाद उभरते भारतीय राष्ट्रवादी भावना को दबाने के लिए यह कानून लागू किया था।
  - इस अवधि के दौरान लागू किए गए अन्य कानूनों में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, 1878 और 1870 का राजद्रोह कानून शामिल थे।

नाट्य प्रदर्शन अधिनियम, 1876 के प्रमुख प्रावधान

- इसके द्वारा सरकार को निंदनीय, अपमानजनक, राजद्रोह वाले या अश्लील सार्वजनिक नाट्य प्रदर्शनों पर प्रतिबंध लगाने की शक्तियाँ प्रदान की गई थी।
- इसके तहत कोई भी मजिस्ट्रेट किसी भी घर, कमरे या स्थान की तलाशी एवं ज़ब्ती का वारंट दे सकता था। इसमें तीन महीने तक की जेल एवं जुर्माना या दोनों का प्रावधान था।

स्वतंत्रता के बाद कानून की स्थिति

- यह कानून स्वतंत्रता के बाद वर्ष 1956 से ही एक वैध (Valid) कानून नहीं रह गया था।
  - 10 मई, 1956 को राज्य बनाम बाबू लाल एवं अन्य मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने इस कानून को भारतीय संविधान से असंगत घोषित कर दिया था।
- यह कानून मध्य प्रदेश, कर्नाटक, दिल्ली एवं तमिलनाडु सहित राज्य स्तर पर भी लाया गया था किंतु, कई राज्यों व केंद्र-शासित प्रदेशों में इस कानून को निरस्त कर दिया गया।
- केंद्र सरकार द्वारा अप्रचलित कानूनों को समाप्त करने की पहल के तहत वर्ष 2018 में संसद द्वारा निरसन एवं संशोधन (द्वितीय) अधिनियम, 2017 के माध्यम से इस कानून को औपचारिक रूप से निरस्त (Repeal) कर दिया गया।
- अप्रचलित कानूनों को निरस्त करना 'व्यापार सुगमता' सूचकांक में सुधार लाने के लिए केंद्र सरकार का प्रमुख प्रयास रहा है।
  - वर्ष 2014 से अब तक सरकार ने 2,000 से ज़्यादा ऐसे अप्रचलित कानूनों को निरस्त कर दिया है।
  - परिभाषा के अनुसार, अप्रचलित कानून वे कानून हैं जो अब उपयोग में नहीं हैं।

इसे भी जानिए!

भारत में औपनिवेशिक काल के कानून के बारे में

- संविधान के अनुच्छेद 372 के अनुसार, 'संविधान के अधीन रहते हुए, संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले भारत के राज्यक्षेत्र में प्रवृत्त सभी विधियाँ तब तक प्रवृत्त बनी रहेंगी जब तक उन्हें सक्षम विधानमंडल या अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा परिवर्तित, निरसित या संशोधित नहीं कर दिया जाता है'। अर्थात्, स्वतंत्रता के पूर्व लागू कानून स्वतंत्रता के बाद भी लागू रहेंगे।
- हालाँकि, औपनिवेशिक कानूनों को संवैधानिकता का दर्जा प्राप्त नहीं है जिसका अर्थ है कि जब किसी औपनिवेशिक कानून को चुनौती दी जाती है तो उसे वैध बनाने के लिए सरकार को उसका बचाव करना होगा।
- स्वतंत्र भारत की संसद द्वारा निर्मित अन्य कानून तब तक संवैधानिक माने जाते हैं जब तक कि अन्यथा घोषित न किया जाए। अर्थात्, जब न्यायालय में चुनौती दी जाती है तो यह साबित करने का दायित्व याचिकाकर्ता पर होता है कि कानून संविधान का उल्लंघन करता है।

स्कूल परिसर में स्मार्टफोन के उपयोग पर दिशा-निर्देश

संदर्भ

दिल्ली उच्च न्यायालय ने स्कूली बच्चों एवं उनके अभिभावकों के लिए एक महत्त्वपूर्ण आदेश के तहत स्कूल परिसर में स्मार्टफोन के उपयोग के लिए कुछ 'दिशा-निर्देश' जारी किए।

मुद्दे की पृष्ठभूमि

- यह मामला एक नाबालिग छात्र से संबंधित था जिसे स्कूल परिसर में स्मार्टफोन का दुरुपयोग करने के लिए दंडित किया गया था। छात्र पक्ष एवं स्कूल पक्ष दोनों ने दिल्ली उच्च न्यायालय से स्कूलों में 'सेलुलर फोन' के प्रयोग के लिए दिशा-निर्देश तय करने को कहा।
- न्यायालय के अनुसार, वर्तमान में स्कूल जाने वाले छात्रों द्वारा स्मार्टफोन के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध अवांछनीय व अव्यावहारिक दृष्टिकोण है।
- यद्यपि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) एवं केंद्रीय विद्यालय संगठन (KVS) ने वर्ष 2009 में इस मुद्दे पर कुछ दिशा-निर्देश बनाए थे किंतु इसके वांछित परिणाम प्राप्त नहीं हुए।

दिशा-निर्देशों के बारे में

- न्यायालय द्वारा जारी दिशा-निर्देश स्कूली छात्रों को स्मार्टफोन के उपयोग की अनुमति देने के लाभकारी एवं हानिकारक प्रभावों के बीच संतुलन स्थापित करने के लिए मार्गदर्शक सिद्धांतों के रूप में कार्य करेंगे।
- न्यायालय के वर्तमान दिशा-निर्देशों को सी.बी.एस.ई., शिक्षा निदेशालय (दिल्ली सरकार) एवं के.वी.एस. द्वारा लागू करने एवं स्कूलों द्वारा स्मार्टफोन उपयोग की नीतियाँ लागू करने का निर्देश दिया गया है।
- दिल्ली उच्च न्यायालय के अनुसार, स्कूली छात्रों द्वारा स्मार्टफोन के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध एक 'अवांछनीय व अव्यावहारिक' दृष्टिकोण है तथा इसका विनियमन एवं निगरानी की जानी चाहिए।
- स्कूलों को छात्रों को ज़िम्मेदार ऑनलाइन व्यवहार, डिजिटल शिष्टाचार एवं स्मार्टफोन के नैतिक उपयोग के बारे में शिक्षित करना चाहिए।
- स्मार्टफोन के अंधाधुंध उपयोग के हानिकारक प्रभावों के अलावा ये उपकरण लाभकारी उद्देश्यों की पूर्ति भी करते हैं जिनमें माता-पिता एवं बच्चों के बीच समन्वय स्थापित करने और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने में सहायता करना शामिल है।
- जहाँ भी स्मार्टफोन को सुरक्षित रखने की व्यवस्था करना संभव हो, वहाँ छात्रों को स्कूल में प्रवेश करते समय अपने डिवाइस जमा कराने और घर लौटने पर उन्हें वापस लेने की सुविधा होनी चाहिए।
- नीति में सुरक्षा एवं समन्वय के उद्देश्य से कनेक्टिविटी के लिए स्मार्टफोन के उपयोग की अनुमति होनी चाहिए, किंतु मनोरंजन या मन बहलाने के लिए स्मार्टफोन के उपयोग की अनुमति नहीं होनी चाहिए।
- स्कूलों में स्मार्टफोन के उपयोग को विनियमित करने और निगरानी करने की नीति अभिभावकों, शिक्षकों व विशेषज्ञों के परामर्श से बनाई जानी चाहिए, ताकि सभी पक्षों की चिंताओं को कम करने के लिए एक संतुलित दृष्टिकोण विकसित किया जा सके।
- नीति में स्कूलों में स्मार्टफोन के उपयोग के नियमों के उल्लंघन के लिए पारदर्शी, निष्पक्ष एवं लागू करने योग्य परिणाम स्थापित किए जाने चाहिए तथा अत्यधिक कठोरता बरते बिना सुसंगत अनुप्रयोग सुनिश्चित किया जाना चाहिए।
- किसी भी उल्लंघन में किसी छात्र को अनुशासित करने के उपाय के रूप में एक निश्चित अवधि के लिए स्मार्टफोन ज़ब्त करना या किसी छात्र को निर्दिष्ट दिनों के लिए डिवाइस ले जाने से रोकना शामिल हो सकता है।
- प्रौद्योगिकी की तीव्र प्रगति को देखते हुए उभरती चुनौतियों से निपटने के लिए नीति की नियमित समीक्षा एवं उसमें संशोधन किया जाना चाहिए।

कक्षाओं में स्मार्टफोन के प्रभाव पर अध्ययन

- संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन (UNESCO) जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने भी स्मार्टफोन एवं कक्षा में पढ़ाई को एकीकृत करते समय संतुलित दृष्टिकोण की वकालत की है।
- वर्ष 2023 वैश्विक शिक्षा निगरानी रिपोर्ट के अनुसार, स्मार्टफोन के उपयोग का नकारात्मक प्रभाव ज़्यादातर ध्यान भटकाने वाली गतिविधियों में वृद्धि और सीखने के समय में गैर-शैक्षणिक गतिविधियों में समय व्यतीत करने से जुड़ा है।
- कक्षाओं में स्मार्टफोन के इस्तेमाल से छात्र गैर-स्कूल-संबंधी गतिविधियों में संलग्न हो जाते हैं जो स्मरण-शक्ति एवं समझने की क्षमता को प्रभावित करता है।
- हालाँकि, रिपोर्ट में अन्य शोध भी प्रस्तुत किए गए हैं जो बताते हैं कि सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के उपयोग का पढ़ने, गणित व विज्ञान के अंकों के साथ 'एक सीमा तक' सकारात्मक संबंध है। इस सीमा से परे शोध में 'शैक्षणिक लाभ में कमी' पाई गई।

भारत में उपभोक्ता अधिकारों का संरक्षण

संदर्भ

वैश्विक स्तर पर 15 मार्च को उपभोक्ता अधिकार एवं संरक्षण को बनाए रखने के लिए विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस का आयोजन किया गया।

भारत में उपभोक्ता अधिकारों का संरक्षण

- भारत सरकार के उपभोक्ता कार्य विभाग ने उपभोक्ताओं को सशक्त बनाने, शिकायत निवारण तंत्र को मज़बूत करने और पारदर्शी एवं निष्पक्ष बाज़ार सुनिश्चित करने के लिए कई नई पहल व नीतियाँ शुरू की हैं।
- प्रमुख विकास पहलों में ई-कॉमर्स विनियमन, डिजिटल उपभोक्ता संरक्षण, उत्पाद सुरक्षा मानकों और सतत् उपभोग पहलों में सुधार शामिल हैं। इनका वर्णन निम्नलिखित है –

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019

- वैश्वीकरण, प्रौद्योगिकी, ई-कॉमर्स बाज़ार आदि के नए युग में उपभोक्ता संरक्षण को नियंत्रित करने वाले ढाँचे को आधुनिक बनाने के उद्देश्य से उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 को अधिनियमित किया गया।
  - यह उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 को प्रतिस्थापित करता है।
- इस अधिनियम में ज़िला, राज्य एवं केंद्रीय स्तरों पर त्रि-स्तरीय अर्द्ध-न्यायिक तंत्र का प्रावधान है जिसे सामान्यत: उपभोक्ता आयोग के रूप में जाना जाता है।
  - यह उपभोक्ता अधिकारों की सुरक्षा एवं अनुचित व्यापार प्रथाओं से संबंधित विवादों सहित उपभोक्ता विवादों का सरल व त्वरित निवारण करता है।
- इन आयोगों के पास उपभोक्ताओं को एक विशिष्ट प्रकृति की राहत देने और उचित मुआवज़ा देने का अधिकार है।

उपभोक्ता कल्याण कोष

- उपभोक्ता कल्याण कोष का समग्र उद्देश्य उपभोक्ताओं के कल्याण को बढ़ावा देने और उनका संरक्षण करने तथा देश में उपभोक्ता आंदोलन को मज़बूत करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है।
- नियमों के तहत राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को उपभोक्ता कल्याण कोष निर्मित करने के लिए 75:25 के आधार पर (विशेष श्रेणी के राज्यों/संघ शासित प्रदेशों के मामले में 90:10) एकमुश्त अनुदान स्वरूप सीड मनी (Seed Money) के रूप में धनराशि प्रदान की जाती है।
- राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को प्रतिवर्ष कल्याण कोष से प्राप्त ब्याज द्वारा स्थानीय स्तर पर उपभोक्ता कल्याण से संबंधित परियोजनाओं के संचालन की आवश्यकता होती है।
- वर्तमान में कुल 24 राज्यों एवं 1 केंद्र-शासित प्रदेश ने उपभोक्ता कल्याण कोष की स्थापना की है।

विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस के बारे में

- **परिचय :** यह दिवस सभी उपभोक्ताओं के मूल अधिकारों को बढ़ावा देने और उन अधिकारों के सम्मान एवं संरक्षण को प्रोत्साहित करने का अवसर है।
- **वर्ष 2025 का लक्ष्य :** सतत् जीवनशैली प्राप्त करने के लिए आवश्यक मार्गों पर प्रकाश डालना और दुनिया भर में मज़बूत उपभोक्ता संरक्षण एवं सशक्तीकरण का आह्वान करना
- **प्रारंभ :** पहली बार वर्ष 1983 में आयोजित
  - यह तिथि राष्ट्रपति जॉन एफ. कैनेडी के 15 मार्च, 1962 को अमेरिकी कांग्रेस में दिए गए संबोधन की याद में है जहाँ वे औपचारिक रूप से उपभोक्ता अधिकारों को मान्यता देने वाले पहले वैश्विक नेता थे।
- **इस वर्ष की थीम :** सतत् जीवनशैली के लिए एक उचित बदलाव

उपभोक्ता शिकायत निवारण तंत्र को मज़बूत बनाना

ई-दाखिल पोर्टल

- ई-दाखिल पोर्टल को 7 सितंबर, 2020 को राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने लॉन्च किया था।
- कोविड-19 में उपभोक्ताओं पर लगे प्रतिबंधों के कारण ई-दाखिल पोर्टल को उपभोक्ता शिकायत दर्ज करने के लिए सस्ती, त्वरित एवं सुगम प्रणाली के रूप में प्रस्तुत किया गया था।

राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन में सुधार

उपभोक्ता शिकायत निवारण प्रक्रिया को अधिक सुदृढ़ करने के लिए राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन (NCH) ने एन.सी.एच. 2.0 पहल शुरू की है जिसमें शिकायत निवारण को कारगर बनाने के लिए उन्नत तकनीक शामिल है। एन.सी.एच. द्वारा प्राप्त कॉलों की संख्या दस गुना से अधिक बढ़ गई है।

जागो ग्राहक जागो पोर्टल और मोबाइल ऐप

यह पोर्टल उपभोक्ताओं को सूचित निर्णय लेने और बाज़ार में अपने अधिकारों का दावा करने के लिए आवश्यक जानकारी, संसाधन व सहायता प्रदान कर उन्हें सशक्त बनाने के लिए समर्पित है।

ई-कॉमर्स और डिजिटल लेनदेन में उपभोक्ता संरक्षण

नए ई-कॉमर्स दिशा-निर्देश

- ई-कॉमर्स में अनुचित व्यापार प्रथाओं से उपभोक्ताओं को बचाने के लिए उपभोक्ता कार्य विभाग ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के प्रावधानों के तहत उपभोक्ता संरक्षण (ई-कॉमर्स) नियम, 2020 को भी अधिसूचित किया है।
  - ये नियम, अन्य बातों के साथ-साथ, ई-कॉमर्स संस्थाओं की ज़िम्मेदारियों को रेखांकित करते हैं और ग्राहक शिकायत निवारण के प्रावधानों सहित मार्केटप्लेस एवं इन्वेंट्री ई-कॉमर्स संस्थाओं की देनदारियों को निर्दिष्ट करते हैं।
- केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने 30 नवंबर, 2023 को डार्क पैटर्न की रोकथाम एवं विनियमन के लिए दिशा-निर्देश, 2023 जारी किए।
  - ये दिशा-निर्देश ई-कॉमर्स क्षेत्र में पहचाने गए 13 विशिष्ट डार्क पैटर्न को संबोधित एवं विनियमित करते हैं जिसका उद्देश्य उपभोक्ताओं को गुमराह करने वाली भ्रामक प्रथाओं को रोकना है।

बी.आई.एस. द्वारा ई-कॉमर्स स्व-शासन के लिए मसौदा दिशा-निर्देश

- भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) द्वारा ई-कॉमर्स स्व-शासन के लिए सिद्धांत एवं दिशा-निर्देश पर जारी मसौदा ऑनलाइन मार्केटप्लेस के लिए पारदर्शी, निष्पक्ष व उपभोक्ता-अनुकूल ढाँचा स्थापित करने का लक्ष्य रखता है।
- यह नैतिक ई-कॉमर्स संचालन सुनिश्चित करने के लिए तीन प्रमुख चरणों- लेनदेन-पूर्व, अनुबंध निर्माण और लेनदेन-पश्चात् के सिद्धांतों को रेखांकित करता है।
- दस्तावेज़ में स्पष्ट उत्पाद प्रकटीकरण अनिवार्य है जिसमें मूल्य निर्धारण खंड, विक्रेता का विवरण, मूल देश, वापसी नीतियाँ और डाटा गोपनीयता उपाय शामिल हैं।
- यह लेनदेन के लिए स्पष्ट उपभोक्ता सहमति को लागू करने के साथ ही, भ्रामक विज्ञापनों को प्रतिबंधित करता है और उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के तहत शिकायत निवारण तंत्र को मज़बूत करता है।
- दस्तावेज़ में जालसाज़ी-रोधी उपाय भी शामिल हैं। यह अनिवार्य करता है कि ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म उपभोक्ता डाटा की सुरक्षा तथा विपणन संचार के लिए स्पष्ट सहमति प्राप्त करने के साथ ही विवाद समाधान के लिए सुलभ तंत्र प्रदान करें।

आगे की राह

यदि बी.आई.एस. द्वारा जारी मसौदा दिशा-निर्देशों को लागू किया जाता है, तो यह ढाँचा ई-कॉमर्स में उपभोक्ता विश्वास को बढ़ावा देने के साथ ही, नैतिक व्यावसायिक आचरण को बढ़ावा देगा और भारत में एक अधिक जवाबदेह डिजिटल बाज़ार का निर्माण करेगा। भारत द्वारा अधिक सुरक्षित, पारदर्शी एवं उपभोक्ता-अनुकूल अर्थव्यवस्था सुनिश्चित करने की आवश्यकता है।

सार्वजनिक अनुबंधों में धार्मिक आरक्षण

संदर्भ

हाल ही में, कर्नाटक विधान सभा में 'कर्नाटक सार्वजनिक खरीद पारदर्शिता (संशोधन) विधेयक, 2025' पारित किया गया।

कर्नाटक सार्वजनिक खरीद पारदर्शिता (संशोधन) विधेयक, 2025 के बारे में

- **घोषणा :** कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने 7 मार्च, 2025 को प्रस्तुत किए गए वर्ष 2025-26 के बजट में इन संशोधनों की घोषणा की थी।
- **उद्देश्य :** पिछड़े वर्गों के बीच बेरोज़गारी को दूर करना और सरकारी निर्माण परियोजनाओं में उनकी भागीदारी को बढ़ावा देना
- **मुख्य प्रावधान :**
  - 2 करोड़ रुपए तक के (सिविल) कार्यों और 1 करोड़ रुपए तक के माल/सेवा खरीद अनुबंध में ओ.बी.सी. की श्रेणी 2-B के अंतर्गत मुस्लिम धर्म के व्यक्तियों को 4% का आरक्षण
  - अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों व पिछड़े वर्गों के बीच 1 करोड़ रुपए तक के मूल्य अनुबंधों के लिए अधिसूचित विभागों में निर्माण कार्यों को छोड़कर वस्तुओं एवं सेवाओं की खरीद में आरक्षण
  - अनुसूचित जाति (SC) के लिए 17.5%, अनुसूचित जनजाति (ST) के लिए 6.95%, ओ.बी.सी. की श्रेणी-1 के लिए 4%, श्रेणी-2A के लिए 15% और श्रेणी- 2B (मुस्लिम) के लिए 4% की सीमा तक का आरक्षण
  - इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों का उल्लंघन करने पर तीन वर्ष तक के कारावास और पाँच हज़ार रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान
- **मूल अधिनियम :** यह अधिनियम मूलतः वर्ष 1999 में पारित किया गया था।
  - इसका उद्देश्य राज्य में सार्वजनिक अनुबंधों में पारदर्शिता बनाए रखना था, जिसमें संवेदनशील एवं उपेक्षित वर्गों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई थी।
  - इसमें कर्नाटक में सिविल कार्य अनुबंधों में एस.सी./एस.टी. के 24%, जबकि ओ.बी.सी. से संबंधित श्रेणी-1 तथा श्रेणी-2A के लिए क्रमशः 4% व 15% आरक्षण है।

विधेयक के पक्ष में सरकार का मत

- मानव विकास सूचकांक-2022 के अनुसार, राज्य में मुस्लिमों के लिए स्वास्थ्य, शिक्षा, आवास एवं अन्य मापदंडों में सामाजिक-आर्थिक संकेतक निम्न स्थिति में हैं।
- राज्य की आबादी में मुस्लिमों की हिस्सेदारी 15% है, जबकि बजट में अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए 4,514 करोड़ रुपए निर्धारित किए गए हैं जो बजट आकार का मात्र 1.1% है।
- मुसलमान सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े हैं और सिविल सेवा में उनका पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है।

विधेयक के विरोध में विपक्ष का मत

- संविधान में धर्म-आधारित आरक्षण का प्रावधान नहीं है। डॉ. आंबेडकर एवं सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे नेताओं ने संविधान सभा में धर्म-आधारित आरक्षण का विरोध किया था।
- विपक्ष के अनुसार, क्या कर्नाटक सरकार के पास आरक्षण को उचित ठहराने के लिए जनसंख्या एवं पिछड़ेपन के उचित आँकड़ें हैं?
- मुसलमानों में पिछड़े समुदायों को आरक्षण देने में कोई समस्या नहीं है, किंतु एक पूरे धार्मिक समूह को आरक्षण नहीं दिया जाना चाहिए।
- इस विधेयक से समाज में ध्रुवीकरण बढ़ेगा और धार्मिक समाजों के बीच सामाजिक ताने-बाने एवं सद्भाव को नुकसान होगा।
- विपक्ष ने राज्यपाल से इस विधेयक को असंवैधानिक घोषित कर रद्द करने का आग्रह किया है।

आगे की राह

- सरकार को धर्म-आधारित आरक्षण के स्थान पर उस धर्म में सामाजिक एवं आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों की पहचान कर उन्हें मुख्यधारा में लाने का प्रयास करना चाहिए।
- कर्नाटक सरकार के इस कदम से अन्य राज्यों में भी धर्म-आधारित आरक्षण की मांग उठ सकती है जिससे पूरे देश में धार्मिक सद्भाव में विकृति आ सकती है।
- भारत के संविधान निर्माताओं ने एक ऐसे भारत का सपना देखा था, जहाँ आरक्षण की व्यवस्था समय के साथ समाप्त हो जाएगी किंतु वर्तमान परिदृश्य में ऐसा संभव नहीं लगता है।

मतदाता फोटो पहचान-पत्र संख्या एवं संबंधित मुद्दे

संदर्भ

दो अलग-अलग राज्यों पश्चिम बंगाल एवं गुजरात में मतदाताओं को एक ही मतदाता फोटो पहचान-पत्र संख्या मिलने की कुछ रिपोर्ट्स पर चुनाव आयोग ने संज्ञान लेते हुए स्पष्टीकरण जारी किया है।

मतदाता फोटो पहचान-पत्र संख्या के बारे में

- मतदाता फोटो पहचान-पत्र (Electors Photo Identification Card : EPIC) संख्या भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा प्रत्येक मतदाता को जारी की जाने वाली 10 अंकीय मतदाता पहचान-पत्र संख्या होती है।
- भारत के चुनाव आयोग द्वारा जारी किया गया मतदाता पहचान-पत्र 18 वर्ष से अधिक आयु के भारतीय नागरिकों के लिए पहचान प्रमाण के रूप में कार्य करता है।
- यह कार्ड भारतीयों को नगरपालिका, राज्य एवं राष्ट्रीय चुनावों में अपने मताधिकार की भी अनुमति देता है।

ई.पी.आई.सी. संख्या के मुख्य उपयोग

- **चुनावी सेवाओं तक पहुँच :** ई.पी.आई.सी. संख्या की मदद से विभिन्न चुनावी सेवाओं तक पहुँच बनाई जा सकती है, जैसे- मतदाता स्थिति की जाँच करना, मतदाता पहचान-पत्र पर जानकारी बदलना और मतदाता पहचान-पत्र आवेदन करना।
- **धोखाधड़ी से बचाव :** प्रत्येक मतदाता के लिए ई.पी.आई.सी. संख्या अलग-अलग होने के कारण इससे फर्ज़ी मतदान से बचा जा सकता है।
- **पंजीकृत मतदाताओं की पहचान :** इस संख्या के होने से व्यक्ति के वोट देने की योग्यता का और साथ ही मतदाता सूची में विवरण पाया जा सकता है।
- **चुनाव प्रक्रिया में भागीदारी :** इस संख्या के आधार पर मतदाता सूची का विवरण राज्य एवं केंद्र सरकारों द्वारा निर्धारित किया जाता है।

संबंधित मुद्दे

- **ई.पी.आई.सी. संख्या का दोहराव :** अनेक राजनीतिक नेताओं द्वारा ई.पी.आई.सी. संख्या के दोहराव के आरोप लगाए गए हैं जिससे निर्वाचन प्रणाली की शुचिता पर प्रश्नचिह्न लगते हैं।
  - बंगाल के कुछ प्रवासी श्रमिकों को आवंटित ई.पी.आई.सी. संख्या गुजरात व हरियाणा के मतदाताओं को भी आवंटित किए गए थे।
- **दोहराव के कारण :** चुनाव आयोग के अनुसार, विभिन्न राज्यों के कुछ मतदाताओं को समान ई.पी.आई.सी. संख्या/श्रृंखला का आवंटन सभी राज्यों के मतदाता सूची डाटाबेस को ई.आर.ओ. नेट प्लेटफॉर्म पर स्थानांतरित करने से पहले अपनाई गई विकेंद्रीकृत एवं मैनुअल प्रणाली के कारण हुआ।
  - ई.आर.ओ. नेट एक वेब-आधारित प्लेटफॉर्म है जिसे चुनाव अधिकारियों के लिए कई भाषाओं एवं लिपियों में विकसित किया गया है ताकि पंजीकरण, स्थानांतरण व मतदाता सूची से नामों के विलोपन से संबंधित सभी प्रक्रियाओं का प्रबंधन किया जा सके।

चुनाव आयोग द्वारा स्पष्टीकरण

- चुनाव आयोग के अनुसार, कुछ मतदाताओं की ई.पी.आई.सी. संख्या समान हो सकती हैं किंतु जनसांख्यिकीय विवरण, विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र एवं मतदान केंद्र सहित अन्य विवरण समान ई.पी.आई.सी. संख्या वाले मतदाताओं के लिए अलग-अलग हैं।
- ई.पी.आई.सी. संख्या के समान होने के बावजूद कोई भी मतदाता अपने राज्य के अपने संबंधित निर्वाचन क्षेत्र में केवल अपने निर्दिष्ट मतदान केंद्र पर ही वोट डाल सकता है जहाँ वे मतदाता सूची में नामांकित हैं।

महिलाओं की गिरफ्तारी पर न्यायालय का निर्णय

संदर्भ

मद्रास उच्च न्यायालय की मदुरै पीठ ने दीपा बनाम एस. विजयलक्ष्मी एवं अन्य मामले में निर्णय दिया कि सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले किसी महिला की गिरफ्तारी को प्रतिबंधित करने संबंधी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), 2023 में उल्लेखित कानूनी प्रावधान अनिवार्य न होकर निर्देशात्मक हैं।

हालिया निर्णय एवं संबंधित तर्क

- इस मामले में एक महिला को रात 8 बजे गिरफ्तार किया गया था जिसे उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश ने दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) की धारा 46(4) का उल्लंघन माना था।
  - हालाँकि, उच्च न्यायालय की दो न्यायाधीशों वाली पीठ ने माना कि CrPC की धारा 46(4) अनिवार्य न होकर केवल निर्देशात्मक है।
- मद्रास उच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि सी.आर.पी.सी. की धारा 46(4) में इस प्रावधान का पालन न करने के परिणाम नहीं बताए गए हैं। यदि यह प्रावधान अनिवार्य होता तो इसके गैर-अनुपालन के परिणामों के लिए प्रावधान किया गया होता।
- उच्च न्यायालय के अनुसार, किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी करने वाला कोई पुलिस अधिकारी सार्वजनिक कर्तव्य का निर्वहन करता है।
- न्यायालय ने रेखांकित किया है कि यद्यपि प्रक्रिया का ऐसा यांत्रिक पालन सार्वजनिक हित को नुकसान पहुँचा सकता है किंतु, सी.आर.पी.सी. की धारा 46(4) को निर्देशात्मक एवं अनिवार्य न मानते हुए भी पुलिस इस प्रावधान को निरर्थक नहीं बना सकती है।
  - वैधानिक आवश्यकता का पालन न करने पर गिरफ्तारी को अवैध घोषित नहीं किया जा सकता है किंतु, अधिकारी को इस प्रावधान का पालन न कर पाने के लिए स्पष्टीकरण देना पड़ सकता है।
  - न्यायालय ने पुलिस को असाधारण परिस्थितियों को स्पष्ट करने के लिए दिशा-निर्देश जारी करने का भी आदेश दिया है।

गिरफ्तारी के संबंध में महिलाओं को प्रदत्त सुरक्षा उपाय

- पुलिस द्वारा किसी महिला की गिरफ्तारी के लिए बी.एन.एस.एस. की धारा 43(5) (पूर्व में CrPC की धारा 46(4) के अनुरूप) के तहत दो सुरक्षा उपाय प्रदान किए गए हैं :
  - असाधारण परिस्थितियों को छोड़कर सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले किसी महिला की गिरफ्तारी नहीं की जाएगी।
  - असाधारण परिस्थितियों में भी, महिला पुलिस अधिकारी को इस संबंध में लिखित रिपोर्ट देकर संबंधित क्षेत्राधिकार वाले मजिस्ट्रेट की पूर्व अनुमति लेनी होगी।
- सी.आर.पी.सी. की धारा 46(4) महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक लाभकारी प्रावधान है। हालाँकि, प्रावधान यह स्पष्ट नहीं करता है कि असाधारण स्थिति क्या होगी?
- इसके अलावा, धारा 46(1) के प्रावधान के अनुसार, गिरफ्तार करने वाले पुलिस अधिकारी को महिला के शरीर को तब तक नहीं छूना चाहिए, जब तक कि वह महिला पुलिस अधिकारी न हो या परिस्थितियों की अन्यथा आवश्यकता न हो।

सी.आर.पी.सी. की धारा 46(4) का उद्भव

- महिलाओं की हिरासत पर भारतीय विधि आयोग की 135वीं रिपोर्ट (वर्ष 1989) में सिफारिश की गई थी कि सामान्यत: सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले किसी भी महिला को गिरफ्तार नहीं किया जाना चाहिए।
  - इसके अनुसार, यदि कोई असाधारण मामला है तो तत्काल वरिष्ठ अधिकारी की पूर्व अनुमति प्राप्त की जानी चाहिए।
  - यदि मामला अत्यावश्यक है तो तत्काल वरिष्ठ अधिकारी और मजिस्ट्रेट को कारणों के साथ गिरफ्तारी की रिपोर्ट दी जानी चाहिए।
- वर्ष 1996 में विधि आयोग की 154वीं रिपोर्ट में भी इसी तरह की सिफारिशें की गई थीं।
- विभिन्न विधि आयोगों की सिफारिशों के पश्चात् वर्ष 2005 में कुछ बदलावों के साथ सी.आर.पी.सी. की धारा 46(4) को शामिल किया गया था।

सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय

- एक मामले में बॉम्बे उच्च न्यायालय की नागपुर पीठ ने राज्य के पुलिस अधिकारियों को निर्देश जारी किया कि-
  - किसी भी महिला को महिला कांस्टेबल की मौजूदगी के बिना हिरासत में नहीं लिया जाएगा।
  - किसी भी मामले में सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले महिला की गिरफ्तारी नहीं की जाएगी।

- इस मामले में अपील के बाद सर्वोच्च न्यायालय ने टिप्पणी की कि किसी भी परिस्थिति में उक्त निर्देश का सख्ती से पालन करने से व्यावहारिक कठिनाइयाँ उत्पन्न होंगी।

भारत में कैंसर संबंधित मुद्दे

संदर्भ

हाल ही में, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद् (ICMR) ने भारत में कैंसर की स्थिति के संबंध में एक अध्ययन प्रस्तुत किया है।

भारत में कैंसर की स्थिति पर आई.सी.एम.आर. के अध्ययन के बारे में

- आई.सी.एम.आर. द्वारा यह अध्ययन ग्लोबल कैंसर ऑब्ज़र्वेटरी (GLOBOCAN) 2022 अनुमानों द्वारा प्रस्तुत आँकड़ों पर आधारित है।
  - ग्लोबोकैन एक ऑनलाइन डाटाबेस है जो 185 देशों में 36 प्रकार के कैंसर तथा सभी कैंसर प्रभावित स्थलों के लिए वैश्विक कैंसर आँकड़े और घटनाओं व मृत्यु दर का अनुमान उपलब्ध कराता है।
- इस अध्ययन में भारत में लिंग-आधारित चार अलग-अलग आयु समूहों (बचपन, प्रजनन आयु, मध्यम आयु एवं वृद्धावस्था) में 36 प्रकार के कैंसर की जाँच की गई।
  - कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसमें शरीर की कुछ कोशिकाएँ अनियंत्रित रूप से बढ़ती हैं और शरीर के अन्य भागों में फैल जाती हैं।

विश्लेषण के प्रमुख निष्कर्ष

- कैंसर की घटनाओं के संदर्भ में अमेरिका एवं चीन के बाद भारत तीसरे स्थान पर है, जबकि मृत्यु दर में चीन के बाद दूसरे स्थान पर है।
- भारत में महिलाएँ स्तन कैंसर से अधिक प्रभावित होती हैं, जबकि फेफड़े के कैंसर से महिला एवं पुरुष दोनों में सर्वाधिक मौतें होती हैं।
- भारत में लगभग हर पाँच में से तीन व्यक्ति की कैंसर के निदान के बाद मौत हो जाती है।
- भारत में बाल एवं प्रजनन आयु वर्ग के व्यक्तियों में कैंसर होने और इससे मौत का जोखिम सबसे कम है, जबकि मध्यम आयु वर्ग एवं वृद्धावस्था के व्यक्तियों में कैंसर होने और इससे मौत का जोखिम सर्वाधिक है।
  - कैंसर की घटनाओं एवं मृत्यु दर का एक महत्त्वपूर्ण हिस्सा (70%) मध्यम आयु वर्ग व वृद्धावस्था समूहों में केंद्रित है।
  - पिछले दशक में पुरुषों की तुलना में महिलाओं में कैंसर से संबंधित मृत्यु दर में तेज़ी से वृद्धि हुई है।
- वर्ष 2012 से वर्ष 2022 के बीच कैंसर की घटनाओं में 36% की वृद्धि हुई है जो वर्ष 2012 में 1.01 मिलियन से बढ़कर वर्ष 2022 में 1.38 मिलियन हो गई है।
- कैंसर से संबंधित मौतों में भी 30.3% की वृद्धि देखी गई है जो वर्ष 2012 में 0.68 मिलियन से बढ़कर वर्ष 2022 में 0.89 मिलियन हो गई।
- वर्ष 2022 से वर्ष 2050 के मध्य कैंसर से मृत्यु दर 64.7% से बढ़कर 109.6% हो जाएगी।

सुझाव

ये विश्लेषण व्यापक रणनीतियों के माध्यम से लिंग विशिष्ट और प्रचलित सामान्य कैंसर के प्रबंधन के उद्देश्य से लक्षित हस्तक्षेपों के लिए एक लचीले ढाँचे को विकसित करने और लागू करने के महत्त्व पर बल देते हैं।

भारत में अंग प्रत्यारोपण संबंधित मुद्दे

संदर्भ

केंद्र सरकार ने अस्पतालों द्वारा अंग प्रत्यारोपण गतिविधियों के आँकड़ें स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के साथ साझा नहीं करने पर गंभीर चिंता व्यक्त की है।

भारत में अंग प्रत्यारोपण की स्थिति

- राष्ट्रीय अंग एवं ऊतक प्रत्यारोपण संगठन (NOTTO) की रिपोर्ट, 2023-24 के अनुसार :
  - वर्ष 2023 में देश में कुल 18,378 अंग प्रत्यारोपण किए गए।
  - मृतक-दाता प्रत्यारोपण वर्ष 2013 में 837 से बढ़कर वर्ष 2023 में 2,935 हो गया।
  - 63% जीवित दाता महिलाएँ थीं जबकि मृत दाता पुरुष 77% थे।
  - प्राप्तकर्ताओं में 30% महिलाएँ थीं, जिसमें से 47% से अधिक महिलाओं में फेफड़े का प्रत्यारोपण किया गया था।
  - 1,851 अंग प्रत्यारोपण विदेशी नागरिकों में किए गए हैं, उसके बाद क्रमश: राजस्थान व पश्चिम बंगाल के निवासियों में प्रत्यारोपण किया गया है।

अंग प्रत्यारोपण संबंधित हालिया मुद्दे

- **आँकड़ों को अद्यतन करने में कमी :** राष्ट्रीय अंग एवं ऊतक प्रत्यारोपण संगठन (NOTTO) ने सभी राज्यों/केंद्र-शासित प्रदेशों को भेजे गए एक पत्र में अंग प्रत्यारोपण आँकड़ों को अद्यतन करने में प्रत्यारोपण अस्पतालों के गैर-अनुपालन की जाँच के लिए सक्षम प्राधिकारी के तत्काल हस्तक्षेप का आह्वान किया है।
  - यह गंभीर रूप से चिंतनीय है कि कई पंजीकृत प्रत्यारोपण अस्पताल लगातार अंग प्रत्यारोपण गतिविधियों पर दैनिक एवं

मासिक डाटा प्रस्तुत करने तथा राष्ट्रीय प्रत्यारोपण रजिस्ट्री पर प्रत्यारोपण को पंजीकृत करने में विफल रहे हैं।
- इस तरह का गैर-अनुपालन NOTTO की अपने अनिवार्य दायित्वों को पूरा करने की क्षमता को कमज़ोर करता है और देश भर में अंगदान दरों को बढ़ाने के व्यापक उद्देश्य को बाधित करता है।

- **48 घंटे के भीतर ऑनलाइन डाटा अपडेट**
  - केंद्र ने राज्य स्वास्थ्य सचिवों से अस्पतालों एवं प्रत्यारोपण केंद्रों को निर्देश देने को कहा है कि वे मृतक के साथ-साथ जीवित दाताओं एवं प्राप्तकर्ताओं से संबंधित व्यापक डाटा मासिक आधार पर प्रस्तुत करें।
  - NOTTO वेब पोर्टल पर नियमित रूप से डाटा को ऑनलाइन अपडेट करना और प्रत्यारोपण प्रक्रिया के 48 घंटों के भीतर जीवित प्रत्यारोपण के दाताओं एवं प्राप्तकर्ताओं दोनों को राष्ट्रीय प्रत्यारोपण रजिस्ट्री में पंजीकृत करना अनिवार्य था।
- **राष्ट्रीय प्रत्यारोपण रजिस्ट्री :** मानव अंग एवं ऊतक प्रत्यारोपण अधिनियम (THOTA), 1994 की धारा 13D के प्रावधानों के अंतर्गत NOTTO को राष्ट्रीय प्रत्यारोपण रजिस्ट्री की स्थापना एवं रखरखाव की वैधानिक ज़िम्मेदारी सौंपी गई है।
  - यह रजिस्ट्री अंग एवं ऊतक प्रत्यारोपण गतिविधियों की निगरानी करने, पारदर्शिता सुनिश्चित करने, समान अंग आवंटन की सुविधा प्रदान करने और देश में अंग व ऊतक दान को बढ़ाने के लिए नीति-निर्माण का समर्थन करने के लिए आवश्यक है।
- **विदेशियों को प्राथमिकता :** कुछ रिपोर्ट में भारतीय रोगियों की अनदेखी कर विदेशी नागरिकों को अंग प्रत्यारोपित करने के आरोप लगे हैं।
  - इन आरोपों के बाद अंग प्रत्यारोपण के नियम कठोर कर दिए गए थे।
  - स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा इन संशोधित दिशा-निर्देशों को सख्ती से लागू करने के लिए विभिन्न परिपत्र जारी किए गए।

मानव अंग प्रत्यारोपण (संशोधन) अधिनियम, 2011 के बारे में

- इसमें अंगों के साथ-साथ ऊतकों को भी शामिल किया गया है।
- इसमें निकट संबंधी की परिभाषा का विस्तार किया गया है जिसमें पोते-पोतियों, दादा-दादी को भी शामिल किया गया है।
- स्वैप दान का प्रावधान शामिल किया गया है।
- आई.सी.यू. में भर्ती संभावित दाताओं के परिचारकों से अनिवार्य पूछताछ करने और उन्हें दान करने के विकल्प के बारे में सूचित करने का प्रावधान है।
- इस अधिनियम के तहत पंजीकृत सभी अस्पतालों में अनिवार्य 'प्रत्यारोपण समन्वयक' का प्रावधान है।
- कमज़ोर एवं गरीबों की रक्षा के लिए अंगों के व्यापार के लिए उच्च दंड का प्रावधान किया गया है।
- मस्तिष्क मृत्यु प्रमाणन बोर्ड के गठन को सरल बनाया गया है।
- उपयुक्त प्राधिकारी की सहायता और सलाह देने के लिए सलाहकार समिति का प्रावधान है।
- अधिनियम में नाबालिगों एवं विदेशी नागरिकों के मामले में अधिक सावधानी बरतने तथा मानसिक रूप से विकलांग व्यक्तियों से अंगदान पर रोक लगाने का प्रावधान किया गया है।
- संशोधन अधिनियम के अनुसरण में मानव अंगों एवं ऊतकों के प्रत्यारोपण नियम, 2014 को अधिसूचित किया गया है।

इसे भी जानिए!

राष्ट्रीय अंग एवं ऊतक प्रत्यारोपण संगठन (NOTTO) के बारे में

- **परिचय :** यह स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के अंतर्गत स्थापित एक राष्ट्रीय स्तर का संगठन है।
- **स्थित :** सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली
- इसके निम्नलिखित दो प्रभाग हैं-

1. राष्ट्रीय मानव अंग एवं ऊतक निष्कासन व भंडारण नेटवर्क
   - मानव अंग प्रत्यारोपण (संशोधन) अधिनियम, 2011 के अनुसार इसे अनिवार्य बनाया गया है।
   - नेटवर्क की स्थापना शुरुआत में दिल्ली के लिए की गई थी, जिसे अब देश के अन्य राज्यों व क्षेत्रों में विस्तारित किया जा रहा है।
2. राष्ट्रीय जैव पदार्थ केंद्र
   - जैव पदार्थ की खरीद, भंडारण एवं वितरण गतिविधियों सहित ऊतक प्रत्यारोपण की मांगों को पूरा करने के लिए राष्ट्रीय स्तर के ऊतक बैंक की स्थापना करना अनिवार्य किया गया है।
   - इसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य ऊतकों की 'मांग' एवं 'आपूर्ति' के बीच के अंतर को कम करना तथा विभिन्न ऊतकों की उपलब्धता में 'गुणवत्ता आश्वासन' सुनिश्चित करना है।

बहुभाषी शिक्षा पर यूनेस्को की रिपोर्ट

संदर्भ

यूनेस्को ने बहुभाषी शिक्षा के महत्त्व पर एक रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट का संकलन अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस (21 फरवरी) के आयोजन के 25वें वर्ष के अवसर पर किया गया।

रिपोर्ट के बारे में

- **रिपोर्ट की थीम :** 'भाषाएँ मायने रखती हैं: बहुभाषी शिक्षा पर वैश्विक मार्गदर्शन' (Languages Matter: Global Guidance on Multilingual Education)
- **महत्त्व :** रिपोर्ट में राष्ट्रों से बहुभाषी शिक्षा नीतियों एवं प्रथाओं के कार्यान्वयन की सिफारिश की गई है जिनका लक्ष्य सभी शिक्षार्थियों को लाभान्वित करने वाली शैक्षिक प्रणाली बनाना है।

रिपोर्ट के प्रमुख निष्कर्ष

- रिपोर्ट के अनुसार, विश्व के लगभग 40% से अधिक शिक्षार्थियों को अभी भी उस भाषा में शिक्षा नहीं मिल पा रही है जिसे वे सबसे अच्छी तरह समझते हैं। इससे वैश्विक शिक्षा संकट गंभीर हो रहा है और आर्थिक वृद्धि एवं सतत् विकास की प्रगति में बाधा आ रही है।
  - निम्न एवं मध्यम आय वाले कुछ देशों में यह आँकड़ा 90% तक है जिससे लगभग एक अरब से अधिक शिक्षार्थी प्रभावित होते हैं।
- मातृभाषा-आधारित बहुभाषी शिक्षा पर हुए अनेक शोध के अनुसार, बच्चों के प्रारंभिक वर्षों में अधिगम (सीखने) परिणामों में उल्लेखनीय सुधार तभी होगा जब उन्हें उन भाषाओं में पढ़ाया जाता है जिन्हें वे समझते हैं।
- घरेलू भाषा की भूमिका के बारे में देशों की बढ़ती समझ के बावजूद नीतिगत पहल सीमित है।
  - घरेलू भाषाओं के उपयोग संबंधी कार्यान्वयन चुनौतियों में शिक्षकों की सीमित क्षमता, घरेलू भाषाओं में सामग्री का अनुपलब्ध होना तथा सामुदायिक विरोध आदि शामिल हैं।
- 31 मिलियन से अधिक विस्थापित युवा शिक्षा में भाषा संबंधी बाधाओं का सामना कर रहे हैं।
- देशों को शिक्षा में विविध भाषायी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है जो ऐतिहासिक एवं समकालीन दोनों कारकों से उत्पन्न होती हैं।
  - ऐतिहासिक कारकों में उपनिवेशवाद के समय स्थानीय आबादी पर थोपी गई भाषाओं से शैक्षिक असमानताएँ पैदा होती हैं।
  - समकालीन कारकों में आप्रवासन के कारण कक्षाओं में नई भाषाओं से भाषायी विविधता समृद्ध होती है किंतु शिक्षण एवं मूल्यांकन में चुनौतियाँ भी उत्पन्न होती हैं।
- बहुभाषी शिक्षा दीर्घकालिक रिटर्न के साथ एक लागत प्रभावी निवेश है। हालाँकि, संसाधनों को विकसित करने और शिक्षकों को प्रशिक्षित करने के लिए शुरुआती लागत की आवश्यकता होती है किंतु, उनके लाभ दीर्घकालिक होते हैं जिसमें बेहतर शैक्षिक परिणाम, सामाजिक सामंजस्य, समावेशी आर्थिक विकास एवं सतत् विकास आदि शामिल हैं।

प्रमुख सुझाव

- शैक्षिक भाषा नीतियों में संदर्भ-विशिष्ट दृष्टिकोणों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए तथा भाषा परिवर्तन को पाठ्यक्रम समायोजनों द्वारा उस कक्षा के लिए अनुकूलित शिक्षण एवं सीखने की सामग्री द्वारा समर्थित किया जाना चाहिए।
- महत्त्वपूर्ण आप्रवासी आबादी वाले देशों में नीतियों को प्रभावी भाषा कार्यक्रमों, योग्य शिक्षकों के विकास एवं कार्यान्वयन तथा समावेशी शिक्षण वातावरण का समर्थन करने वाला होना चाहिए जो सभी की विविध भाषायी आवश्यकताओं को पूरा कर सके।
- बहुभाषी संदर्भों में प्रशिक्षण से घरेलू एवं दूसरी दोनों भाषाओं में दक्षता सुनिश्चित होनी चाहिए तथा प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षकों को सांस्कृतिक एवं भाषायी रूप से उत्तरदायी शिक्षण शास्त्र पर प्रशिक्षित किया जाना चाहिए।
- नई बहुभाषी शिक्षा नीतियों की सफलता सुनिश्चित करने के लिए स्कूलों के बाहर मज़बूत सहायता प्रणालियों की योजना बनाना तथा स्कूलों में समावेशन को बढ़ावा देना भी सिफारिशों में शामिल हैं।
- देशों को चयन, भर्ती एवं प्रशिक्षण में स्कूलों में समावेशन को बढ़ावा देना सुनिश्चित करना चाहिए जिसमें बहुभाषी छात्रों की ज़रूरतें भी शामिल हों।
- राष्ट्रीय शिक्षा एवं कानूनी ढाँचे और राष्ट्रीय शिक्षा नीतियों के भीतर बहुभाषी शिक्षा के लिए राजनीतिक प्रतिबद्धताओं को औपचारिक रूप देने से सभी शिक्षार्थियों को उनकी सांस्कृतिक एवं भाषायी पृष्ठभूमि के साथ संरेखित भाषाओं में शिक्षा का अधिकार सुनिश्चित होगा।
- शिक्षार्थियों की भाषाओं में सांस्कृतिक रूप से ज़िम्मेदार एवं प्रासंगिक रूप से उपयुक्त शिक्षण सामग्री विकसित करना चाहिए, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि मूल्यांकन शिक्षार्थियों के उस भाषा में सामग्री ज्ञान को सटीक रूप से दर्शाता हो जिसमें इसे प्राप्त किया गया था।

क्या आप जानते हैं

- वैश्विक स्तर पर लगभग 7,000 से ज़्यादा भाषाएँ बोली जाती हैं जिनमें से 80% अफ्रीका, एशिया एवं प्रशांत क्षेत्र में बोली जाती हैं।
- यूनेस्को के अनुसार, सदी के अंत तक 1,500 से अधिक भाषाएँ लुप्त होने की कगार पर हैं जिससे मूल्यवान सांस्कृतिक, ऐतिहासिक एवं पर्यावरणीय ज्ञान समाप्त हो सकता है।

महाराष्ट्र स्लम क्षेत्र अधिनियम, 1971 की समीक्षा

संदर्भ

बॉम्बे उच्च न्यायालय ने महाराष्ट्र स्लम क्षेत्र अधिनियम, 1971 की अपनी तरह की पहली समीक्षा शुरू की। आमतौर पर न्यायपालिका संवैधानिकता के प्रश्न पर कानूनों की समीक्षा करती है। हालाँकि, यह समीक्षा इस मायने में अद्वितीय है क्योंकि यह विधायी खामियों को चिह्नित करने का प्रयास करती है।

समीक्षा की पृष्ठभूमि

- वर्ष 1971 के कानून की समीक्षा की पृष्ठभूमि बोरीवली में वर्ष 2003 में एक झुग्गी पुनर्विकास परियोजना से जुड़ा हुआ है।
- पिछले कई वर्षों से अदालतें झुग्गी पुनर्विकास परियोजनाओं में शामिल डेवलपर्स द्वारा 'अनुचित देरी' के मामलों के कारण 1971 के अधिनियम की प्रभावशीलता पर सवाल उठाती रही हैं।
- अदालतों ने कहा है कि इस तरह की देरी झुग्गी-झोपड़ियों में रहने वालों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है जिसमें आश्रय एवं आजीविका का अधिकार भी शामिल है।
- नेशनल ज्यूडिशियल डाटा ग्रिड के आँकड़ों का हवाला देते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि 1971 के अधिनियम के तहत विवादों से जुड़े 1,612 मामले वर्तमान में बॉम्बे उच्च न्यायालय में लंबित हैं। इनमें से 135 मामले 10 वर्ष से भी ज़्यादा पुराने हैं।
- सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि किसी भी स्थिति में, स्लम पुनर्वास योजना के तहत परियोजना के क्रियान्वयन को रियल एस्टेट विकास परियोजना के रूप में नहीं देखा जा सकता है। इसमें एक सार्वजनिक उद्देश्य शामिल है जो झुग्गियों में रहने वाले लोगों के जीवन के अधिकार से जुड़ा हुआ है क्योंकि वे दयनीय परिस्थितियों में रह रहे हैं।

महाराष्ट्र स्लम क्षेत्र अधिनियम, 1971 के बारे में

- यह अधिनियम झुग्गी-झोपड़ियों की पहचान एवं पुनर्विकास से संबंधित है। इसने मुंबई के वास्तुशिल्प परिदृश्य को आकार देने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
- यह कानून महाराष्ट्र सरकार को किसी क्षेत्र को 'झुग्गी क्षेत्र' घोषित करने और आवश्यकता पड़ने पर उसका अधिग्रहण करने का अधिकार देता है। इस अधिनियम के तहत पुनर्वास की देखरेख के लिए एक वैधानिक निकाय 'स्लम पुनर्वास प्राधिकरण (SRA)' का निर्माण किया गया है जो निर्दिष्ट क्षेत्र के पुनर्विकास का कार्य किसी भी एजेंसी या डेवलपर को सौंप सकता है।
- इस कानून में झुग्गीवासियों के स्थानांतरण एवं पुनर्वास का भी प्रावधान है।

न्यायालय द्वारा पहचान किए गए समीक्षा के बिंदु

यह समीक्षा राज्य कानून से संबंधित है, इसलिए सर्वोच्च न्यायालय ने बॉम्बे उच्च न्यायालय को कानून के कामकाज की समीक्षा के लिए स्वप्रेरणा से कार्यवाही शुरू करने के लिए एक पीठ का गठन करने का निर्देश दिया, ताकि निर्णय में चर्चा की गई समस्याओं के कारणों की पहचान की जा सके। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा समीक्षा की आवश्यकता वाले पहचान किए गए प्रमुख क्षेत्र निम्नलिखित हैं–

- **भूमि की पहचान एवं मलिन बस्ती के रूप में घोषणा :** इस समस्या में भूमि को मान्यता देने में अधिकारियों की भूमिका की जाँच शामिल है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि निर्णय लेने की इस प्रक्रिया में बिल्डर्स के कपटपूर्ण हस्तक्षेप से स्वतंत्रता व ईमानदारी पर संदेह पैदा होता है।
- **झुग्गीवासियों की पहचान :** झुग्गीवासियों की स्थिति के प्रमाण का पता लगाना एक जटिल प्रक्रिया है और इससे झुग्गीवासियों के बीच प्रतिस्पर्द्धात्मक दावे पैदा होते हैं जिससे मुकदमेबाज़ी को बढ़ावा मिलता है।
- **डेवलपर का चयन :** कानून यह निर्णय झुग्गीवासियों की सहकारी समितियों पर छोड़ देता है जिनके साथ प्राय: प्रतिस्पर्द्धी एवं प्रतिद्वंद्वी डेवलपर्स द्वारा छेड़छाड़ की जाती है।
- **पुनर्विकास एवं बिक्री के लिए भूमि का आवंटन :** डेवलपर्स बिक्री योग्य क्षेत्र के अनुपात को बढ़ाना चाहते हैं जिसके कारण झुग्गीवासियों द्वारा कानून के तहत भूमि के अभाव के कारण विरोध किया जाता है।
- **पुनर्विकास लंबित रहने तक झुग्गीवासियों के लिए पारगमन आवास उपलब्ध कराने का दायित्व :** न्यायालय ने कहा है कि कभी-कभी, डेवलपर्स समय पर ट्रांजिट आवास उपलब्ध नहीं कराते है या अपर्याप्त विकल्प देते हैं। ऐसे भी उदाहरण हैं जहाँ कुछ झुग्गी-झोपड़ी निवासी संबंधित क्षेत्र को खाली करने से इनकार कर देते हैं क्योंकि ट्रांजिट आवास या तो असुविधाजनक होता है या उन्हें दी जाने वाली ट्रांजिट किराया राशि अपर्याप्त होती है।
- **वैधानिक प्राधिकारियों के कामकाज में स्वतंत्रता एवं निष्पक्षता का अभाव :** न्यायालय ने वैधानिक उपायों की प्रभावशीलता पर भी चिंता जताई है और कहा कि कानून के तहत अधिकारियों की जवाबदेही में कमी है।

राजस्थान कोचिंग सेंटर (नियंत्रण व विनियमन) विधेयक

संदर्भ

राजस्थान विधान सभा में कोचिंग सेंटरों को विनियमित व नियंत्रित करने के उद्देश्य से राजस्थान कोचिंग सेंटर (नियंत्रण एवं विनियमन) विधेयक, 2025 प्रस्तुत किया गया। इस विधेयक को 8 मार्च को कैबिनेट ने मंज़ूरी प्रदान की थी।

प्रस्तावित विधेयक के बारे में

- **उद्देश्य :** कोचिंग संस्थानों के व्यावसायीकरण पर अंकुश लगाना एवं छात्र कल्याण सुनिश्चित करने के साथ ही छात्रों की आत्महत्या के मुद्दे से निपटना
- **आवश्यकता :** कोचिंग हब कोटा में छात्रों की आत्महत्या की बढ़ती घटनाओं के कारण

राजस्थान कोचिंग सेंटर (नियंत्रण एवं विनियमन) विधेयक के प्रमुख प्रावधान

- **अनिवार्य पंजीकरण :** प्रस्तावित विधेयक में सभी कोचिंग संस्थानों के लिए पंजीकरण अनिवार्य कर दिया गया है और 50 या उससे अधिक छात्रों वाले कोचिंग सेंटरों को कानूनी दायरे में लाया जाएगा।
- **जुर्माने का प्रावधान :** पंजीकरण शर्तों का उल्लंघन करने वाले कोचिंग सेंटरों पर पहली बार अपराध करने पर 2 लाख रुपए, दूसरी बार अपराध करने पर 5 लाख रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान है। बार-बार उल्लंघन के मामले में पंजीकरण रद्द करने का प्रावधान है।
- **विनियमन प्राधिकरण की स्थापना :** प्रस्तावित विधेयक में नए नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए एक निरीक्षण निकाय के रूप में 'राजस्थान कोचिंग सेंटर नियंत्रण एवं विनियमन प्राधिकरण' की स्थापना का भी प्रावधान है।
- **शुल्क संबंधी प्रावधान :** विधेयक में कोचिंग सेंटरों द्वारा मनमानी शुल्क वसूलने पर अंकुश लगाने एवं शुल्क को उचित एवं तर्कसंगत बनाने पर बल दिया गया है तथा सभी प्रकार के शुल्क के लिए आवश्यक रसीदें उपलब्ध कराना अनिवार्य कर दिया गया है।
    - यदि कोई छात्र बीच में कोर्स छोड़ देता है तो कोचिंग सेंटर को दस दिनों के भीतर शेष अवधि की शुल्क आनुपातिक आधार पर वापस करनी होगी।
    - कोचिंग केंद्रों को संपूर्ण शुल्क एकमुश्त लेने से प्रतिबंधित किया गया है तथा उन्हें अभिभावकों को पाठ्यक्रम अवधि के दौरान कम-से-कम चार बराबर किस्तों में भुगतान करने का विकल्प देना होगा।
- **भ्रामक विज्ञापनों पर प्रतिबंध :** यह विधेयक भ्रामक विज्ञापनों एवं उच्च रैंक या अंकों की गारंटी पर प्रतिबंध लगाता है।
- **कक्षा की अधिकतम समय सीमा :** छात्रों में थकान को रोकने के लिए इस विधेयक में कोचिंग सत्रों को प्रतिदिन अधिकतम पाँच घंटे तक सीमित कर दिया गया है तथा छात्रों एवं शिक्षकों दोनों के लिए सप्ताह में एक दिन की छुट्टी अनिवार्य कर दी गई है।
- **काउंसलिंग संबंधी प्रावधान :** कोचिंग सेंटरों को छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखने के लिए काउंसलिंग सिस्टम विकसित करने संबंधी प्रावधान किए गए हैं।
- **शिकायत निवारण के लिए समिति :** छात्र, अभिभावक, शिक्षक आदि की शिकायतों के निवारण के लिए ज़िला स्तर पर एक समिति का गठन किया जाएगा जो 30 दिनों के भीतर शिकायतों का समाधान करेगी।

APAAR ID एवं संबद्ध मुद्दे

- **नाम :** ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री (Automated Permanent Academic Account Registry : APAAR)
- **क्या है :** सरकार द्वारा 'वन नेशन, वन स्टूडेंट' के रूप में वर्णित 12-अंकीय आई.डी. कार्ड
- **उद्देश्य :** छात्रों की शैक्षणिक जानकारी एवं उपलब्धियों को संचित एवं संगृहीत करना
- **प्रस्तुत :** राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 और राष्ट्रीय क्रेडिट एवं योग्यता फ्रेमवर्क (NCRF) के अनुसार पेश

APAAR ID से संबंधित प्रमुख बिंदु

- यह आई.डी. आधार से जुड़ी होती है और संबंधित डाटा डिजिलॉकर में संगृहीत होता है। यह रजिस्ट्री छात्रों को उनकी मार्कशीट एवं संस्थागत संबद्धता पर मानकीकृत डाटा प्रदान करती है।
- APAAR को यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस (UDISE+) पोर्टल के माध्यम से तैयार किया जाता है जिसमें क्षेत्रीय शैक्षणिक आँकड़े और स्कूलों, शिक्षकों एवं छात्रों से संबंधित डाटा शामिल होता है।
- यह आई.डी. नीति-निर्माण एवं विश्लेषण के लिए शैक्षिक डाटा संग्रह में सुधार लाने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 के अधिदेश का एक महत्त्वपूर्ण पहलू है।
- **APAAR ID के लाभ :** दूसरे स्कूल में स्थानांतरण, प्रवेश परीक्षा, नौकरी के लिए आवेदन, कौशल, अपस्किलिंग आदि पर डाटा को स्थायी रूप से रिकॉर्ड रखने के लिए महत्त्वपूर्ण है।
    - यह प्रणाली विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों के लिए किसी भी छात्र के शैक्षणिक ट्रांसक्रिप्ट को तेज़ी से संसाधित करने और सत्यापित करने का एक महत्त्वपूर्ण साधन है।

APAAR ID: निजता संबंधी मुद्दे

- शिक्षा मंत्रालय की वेबसाइट के अनुसार, यह कार्यक्रम अनिवार्य नहीं है। फिर भी मंत्रालय द्वारा केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) से संबद्ध स्कूलों में अपार आई.डी. के लिए 100% छात्र पंजीकरण का दबाव बनाया जा रहा है।
- इसके अतिरिक्त बिना किसी मज़बूत सुरक्षा उपायों के मुक्त एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस (API) और डाटा शेयरिंग चैनल होने से बच्चों का डाटा तीसरे पक्ष के पास जा सकता है जिसका प्रयोग अन्य उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है।
- चूँकि इसकी अनिवार्यता संबंधी प्रावधान नहीं होने के बावजूद भी कर्नाटक और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों ने भी अपने अधीन विद्यालयों से सभी विद्यार्थियों को यह पहचान-पत्र जारी किए जाने दबाव बना रहे हैं।
- अत: विशेषज्ञों का तर्क है कि बिना किसी कानून के नाबालिगों के डाटा का बड़े पैमाने पर संग्रह करना असंवैधानिक है। डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट, 2023 की धारा 9(3) भी विशेष रूप से 'बच्चों की ट्रैकिंग या व्यवहार संबंधी निगरानी या बच्चों पर लक्षित विज्ञापन' पर प्रतिबंध लगाती है।

अंतर्राष्ट्रीय संबंध

हेग सेवा अभिसमय तथा भारत

संदर्भ

अमेरिकी प्रतिभूति एवं विनिमय आयोग (Securities and Exchange Commission : SEC) ने न्यूयॉर्क के एक न्यायालय को सूचित किया है कि प्रतिभूति एवं वायर धोखाधड़ी मामले में भारतीय अरबपति गौतम अडानी तथा उनके भतीजे सागर अडानी को समन देने के लिए उसने 'हेग सर्विस कन्वेंशन' के तहत भारत सरकार से सहायता मांगी है।

हालिया वाद

- अमेरिकी न्याय विभाग एवं एस.ई.सी. ने गौतम अडानी पर अडानी समूह की सौर परियोजनाओं के समर्थन के लिए भारतीय सरकारी अधिकारियों को कथित तौर पर 250 मिलियन डॉलर से अधिक की रिश्वत देने के आरोप लगाए गए थे।
- एस.ई.सी. ने न्यायालय को सूचित किया कि उसने भारत के विधि एवं न्याय मंत्रालय से प्रतिवादियों को समन भेजने में सुविधा प्रदान करने के लिए इस अभिसमय के अनुच्छेद 5(ए) का हवाला दिया है।
- 10 फरवरी, 2025 को ट्रंप प्रशासन ने विदेशी भ्रष्ट आचरण अधिनियम (Foreign Corrupt Practices Act : FCPA) के प्रवर्तन को 180 दिनों के लिए रोक दिया था।
    - एफ.सी.पी.ए. अमेरिकी संस्थाओं एवं व्यक्तियों को व्यापार लाभ प्राप्त करने के लिए विदेशी सरकारों, राजनीतिक दलों या अधिकारियों को रिश्वत देने से रोकता है।
    - यह उन कानूनों में से एक है जिसके तहत अडानी पर आरोप लगाए गए हैं। हालाँकि, यह आदेश पूर्वव्यापी रूप से लागू नहीं होता है।

हेग अभिसमय के बारे में

- सीमा पार मुकदमेबाज़ी में वृद्धि के साथ विदेशी अधिकार क्षेत्रों में रहने वाले पक्षों को न्यायिक एवं न्यायेतर समन प्रदान करने के लिए एक प्रभावी एवं विश्वसनीय तंत्र की आवश्यकता के परिणामस्वरूप वर्ष 1965 में देशों ने निजी अंतर्राष्ट्रीय कानून पर हेग अभिसमय को अपनाया।
    - इसे औपचारिक रूप से 'सिविल या वाणिज्यिक मामलों में न्यायिक एवं न्यायेतर समन का विदेश में क्रियान्वयन अभिसमय, 1965' के रूप में जाना जाता है।
- यह बहुपक्षीय संधि सुनिश्चित करती है कि विदेशी अधिकार क्षेत्रों में मुकदमा चलाने वाले प्रतिवादियों को कानूनी कार्रवाई की समय पर एवं वास्तविक सूचना के साथ ही समन के क्रियान्वयन (तामील) होने के प्रमाण की भी सुविधा मिले।
- भारत एवं अमेरिका सहित 84 देश इस अभिसमय के पक्षकार हैं।

हेग अभिसमय की कार्यप्रणाली

- हेग अभिसमय की प्रक्रियाएँ तभी लागू होती हैं जब समन भेजने वाले और प्राप्त करने वाले दोनों देश इसके हस्ताक्षरकर्ता हों।
- अभिसमय के अनुसार, प्रत्येक सदस्य देश को अनुरोधों को संसाधित करने और अन्य हस्ताक्षरकर्ता देशों से समन तामील (Serve) करने को सुविधाजनक बनाने के लिए एक केंद्रीय प्राधिकरण भी नामित किया जाना चाहिए।
- अभिसमय के हस्ताक्षरकर्ता देश अपने अधिकार क्षेत्र में दस्तावेज़ों/समन के प्रेषण के तरीकों का चयन कर सकते हैं।
- इस अभिसमय के तहत प्राथमिक तरीका नामित केंद्रीय अधिकारियों के माध्यम से समन प्रेषित करने का है।
    - हालाँकि, वैकल्पिक चैनल भी उपलब्ध हैं, जिनमें- डाक सेवा, राजनयिक एवं कांसुलर चैनल, दोनों देशों के न्यायिक अधिकारियों के बीच सीधा संचार, इच्छुक पक्ष व प्राप्तकर्ता राज्य के न्यायिक अधिकारियों के बीच सीधा संपर्क तथा सरकारी प्राधिकारियों के बीच सीधा संचार शामिल हैं।

भारत में प्रतिवादियों पर अभिसमय का लागू होना

- 23 नवंबर, 2006 को कुछ शर्तों के साथ भारत हेग अभिसमय में शामिल हुआ। भारत की शर्तों में अनुच्छेद 10 के तहत समन तामील करने की सभी वैकल्पिक सेवा विधियों का स्पष्ट रूप से विरोध किया गया था।
- भारत राजनयिक या कांसुलर चैनलों के माध्यम से न्यायिक दस्तावेज़ों से संबंधित समन सेवा को प्रतिबंधित करता है, सिवाय इसके कि जब समन प्राप्तकर्ता अनुरोध करने वाले देश का नागरिक हो।
    - उदाहरण के लिए, एक अमेरिकी अदालत भारत में अमेरिकी राजनयिक या कांसुलर चैनलों के माध्यम से दस्तावेज़ों को प्रेषित नहीं कर सकती है, जब तक कि प्राप्तकर्ता भारत में रहने वाला एक अमेरिकी नागरिक न हो।
- इसके अतिरिक्त, सभी सेवा अनुरोध अंग्रेज़ी में होने चाहिए या अंग्रेज़ी अनुवाद के साथ होने चाहिए।
- भारत में समन से संबंधित वैध सेवा केवल भारत के नामित केंद्रीय प्राधिकरण 'विधि एवं न्याय मंत्रालय' के माध्यम से निष्पादित की जा सकती है।
- विधि एवं न्याय मंत्रालय को सेवा अनुरोध को अस्वीकार करने की अनुमति है किंतु, उसे इस तरह के इनकार के कारणों को निर्दिष्ट करना होगा।

- उदाहरण के लिए, हेग अभिसमय के अनुच्छेद 13 के तहत यदि राज्य को लगता है कि उसकी संप्रभुता या सुरक्षा से समझौता किया जा रहा है तो उसके द्वारा अनुरोध को अस्वीकार किया जा सकता है।
- कोई देश केवल इस आधार पर दस्तावेज़/समन प्रेषित करने की सेवा अनुरोध को अस्वीकार नहीं कर सकता है कि वह अपने घरेलू कानून के तहत इस विषयवस्तु पर विशेष अधिकार क्षेत्र रखता है।
- इसी तरह, अभिसमय के अनुच्छेद 29 के तहत किसी अनुरोध को केवल इसलिए अस्वीकार नहीं किया जा सकता है क्योंकि राज्य का आंतरिक कानून कार्रवाई के अधिकार को मान्यता नहीं देता है।

❖ यदि केंद्रीय प्राधिकरण कोई आपत्ति नहीं उठाता है, तो वह प्रतिवादी को समन तामील करने के साथ आगे बढ़ता है।
- फिर इस तामील को सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 29(सी) के तहत भारतीय न्यायालय द्वारा जारी समन के रूप में माना जाता है।

संबंधित मुद्दे पर न्यायिक निर्णय

वर्तमान में चर्चा का विषय यह है कि क्या अभिसमय के अनुच्छेद 10 के तहत सोशल मीडिया एवं ईमेल जैसे वैकल्पिक चैनलों के माध्यम से समन तामील करने की सेवा भारत में प्रतिबंधित है।

फेडरल ट्रेड कमीशन बनाम पीसीकेयर 247 इंक. वाद (2013)

फेडरल ट्रेड कमीशन बनाम पीसीकेयर 247 इंक. (2013) में एक अमेरिकी ज़िला न्यायालय ने फैसला सुनाया कि फेसबुक एवं ईमेल के माध्यम से भारत में प्रक्रिया की सेवा अनुमेय है।

पंजाब नेशनल बैंक (इंटरनेशनल) लिमिटेड बनाम बोरिस शिपिंग लिमिटेड एवं अन्य वाद (2019)

पंजाब नेशनल बैंक (इंटरनेशनल) लिमिटेड बनाम बोरिस शिपिंग लिमिटेड एवं अन्य वाद (2019) में इंग्लैंड व वेल्स उच्च न्यायालय (क्वींस बेंच डिवीज़न) ने एक अधीनस्थ न्यायालय के फैसले को पलट दिया, जिसने भारत में रहने वाले प्रतिवादियों पर वैकल्पिक तरीकों के माध्यम से समन तालीम करने की अनुमति दी थी।

रॉकफेलर टेक्नोलॉजी इन्वेस्टमेंट्स बनाम चांगझोउ सिनोटाइप टेक्नोलॉजी कंपनी वाद (2020)

रॉकफेलर टेक्नोलॉजी इन्वेस्टमेंट्स बनाम चांगझोउ सिनोटाइप टेक्नोलॉजी कंपनी वाद (2020) में कैलिफोर्निया के सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि हस्ताक्षरकर्ता राज्य के अभिसमय के अनुच्छेद 10 पर स्पष्ट रूप से आपत्ति जताने के बाद भी समन सेवा को वैध माना जा सकता है यदि दोनों पक्ष अपने अनुबंध में वैकल्पिक विधि पर स्पष्ट रूप से सहमत हों।

एकतरफा निर्णय जारी किया जाना

❖ यदि कोई विदेशी सरकार अपने अधिकार क्षेत्र में रहने वाले प्रतिवादी को समन भेजने में सहयोग करने से इनकार करती है तो अभिसमय के तहत एकतरफा निर्णय जारी किया जा सकता है।

❖ हालाँकि, अनुच्छेद 15 में कुछ विशिष्ट शर्तें निर्धारित की गई हैं, जिन्हें इस तरह का निर्णय दिए जाने से पहले पूरा किया जाना चाहिए:
- समन को अभिसमय में उल्लिखित विधियों में से किसी एक के माध्यम से प्रेषित किया जाना चाहिए।
- समन प्रेषित होने के बाद से कम-से-कम छह महीने बीत चुके हों।
- प्राप्तकर्ता राज्य के सक्षम अधिकारियों के माध्यम से इसे प्राप्त करने के सभी उचित प्रयासों के बावजूद समन तामील होने का कोई प्रमाण-पत्र प्राप्त न हुआ हो।

❖ भारत ने स्पष्ट रूप से घोषणा की है कि भारतीय अदालतें सीमा पार विवादों में एकतरफा निर्णय (Default Verdict) जारी कर सकती हैं, भले ही संबंधित सेवा या तामील का कोई प्रमाण-पत्र प्राप्त न हुआ हो, बशर्ते कि अनुच्छेद 15 के तहत सभी शर्तें पूरी की गई हों।

डुओंग बनाम डी.डी.जी. बी.आई.एम. सर्विसेज एल.एल.सी. वाद (2023)

इस वाद में अमेरिकी वादी ने हेग अभिसमय द्वारा निर्धारित भारत के केंद्रीय प्राधिकरण के माध्यम से तालीम को प्रभावी बनाने में कठिनाइयों का हवाला देते हुए ईमेल के माध्यम से भारतीय प्रतिवादियों को समन/दस्तावेज़ जारी करने की अनुमति मांगी।

रायसीना संवाद

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रायसीना डायलॉग के 10वें संस्करण का नई दिल्ली में उद्घाटन किया।

रायसीना संवाद-2025 के बारे में

❖ रायसीना डायलॉग भारत का भू-राजनीति और भू-अर्थशास्त्र पर प्रमुख सम्मेलन है, जो वैश्विक समुदाय के सामने आने वाले सबसे चुनौतीपूर्ण मुद्दों को संबोधित करने के लिए प्रतिबद्ध है।

❖ **आयोजनकर्ता :** ऑब्ज़र्वर रिसर्च फाउंडेशन द्वारा विदेश मंत्रालय के सहयोग से

❖ **मुख्य अतिथि :** न्यूज़ीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन

❖ **थीम :** कालचक्र : लोग, शांति एवं ग्रह

चर्चा के प्रमुख विषय

- **तनाव परीक्षण :** संधियों का सत्य के क्षण से सामना
- **हिंद-प्रशांत क्षेत्र में उथल-पुथल :** निवेश, नवाचार एवं ऊर्जा
- **संरक्षक और देवदूत :** विकास से विनिवेश को रोकना
- **संकट समन्वय :** नई आर्थिक व्यवस्था की अनिवार्यताएँ
- **प्रतिस्पर्द्धा एवं सहयोग :** भविष्य को सुरक्षित करना
- **लचीलापन एवं विविधीकरण :** व्यापार का पुनर्गठन
- **उपशमन कार्यवाइयों के लिए धन जुटाना :** हरित वित्त और समर्थन जोखिम

भारत-श्रीलंका समुद्री सीमा मुद्दे

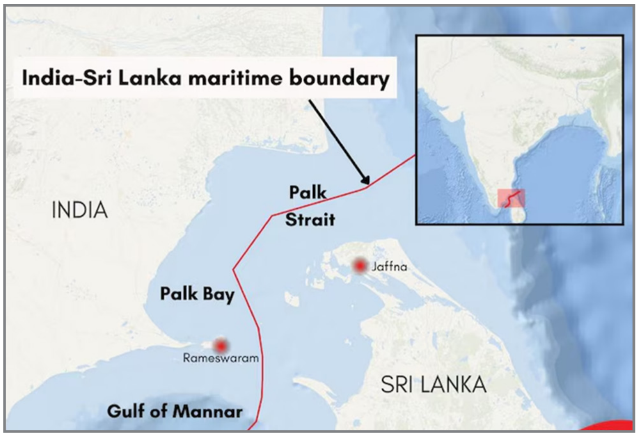

संदर्भ

श्रीलंका की नौसेना द्वारा समुद्री सीमा का उल्लंघन करने पर 14 भारतीय मछुआरों को गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद से भारत-श्रीलंका समुद्री समझौता चर्चा का केंद्र बना हुआ है।

भारत-श्रीलंका समुद्री सीमा समझौता

- इस समझौते पर वर्ष 1974 और वर्ष 1976 में भारत तथा श्रीलंका के मध्य अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा (International Maritime Boundary Line : IMBL) को परिभाषित करने के लिए हस्ताक्षर किए गए थे।
- इसमें 4 समझौते शामिल हैं :

1. दोनों देशों के बीच पाक जलडमरूमध्य के जल में सीमा निर्धारण और संबंधित मामलों पर समझौता (वर्ष 1974 में हस्ताक्षरित)
   - इस समझौते के अनुसार, कच्चाथिवु द्वीप भारत-श्रीलंका अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा रेखा पर श्रीलंका के हिस्से में स्थित है और यहाँ भारतीय मछुआरों को मछली पकड़ने की अनुमति नहीं है।
     - यह द्वीप धनुष्कोडी से केवल 32 किमी. उत्तर में स्थित है जो भारतीय मछुआरों के लिए मुख्यत: दो कारणों से महत्त्वपूर्ण है-
       (क) यहाँ हज़ारों लोग वार्षिक सेंट एंटोनी चर्च उत्सव में भाग लेने के लिए जाते हैं।
       (ख) भारतीय मछुआरे आराम करने एवं मछली पकड़ने के जाल सुखाने के लिए यहाँ रुकते हैं।
2. मन्नार की खाड़ी एवं बंगाल की खाड़ी में समुद्री सीमा निर्धारण व संबंधित मामला समझौता (वर्ष 1976 में हस्ताक्षरित)
3. मन्नार की खाड़ी में भारत, श्रीलंका एवं मालदीव के बीच ट्राई-जंक्शन बिंदु का निर्धारण (वर्ष 1976 में हस्ताक्षरित)
4. मन्नार की खाड़ी में समुद्री सीमा का विस्तार (वर्ष 1976 में हस्ताक्षरित)

मछुआरों से संबंधित विवाद

- **ऐतिहासिक कारक :** तमिलनाडु के मछुआरे दावा करते हैं कि वे एवं उनके पूर्वज सदियों व पीढ़ियों से आई.एम.बी.एल. से परे जल में मछली पकड़ते आ रहे हैं।
  - यह दावा इतिहास, भौगोलिक निकटता एवं साझा तमिल जातीय पहचान पर आधारित है।
  - निकटतम बिंदु पर दोनों देश 10 समुद्री मील या 18.5 किमी. दूर हैं।
- **मछली भंडार में कमी :** आई.एम.बी.एल. के भारतीय क्षेत्र में मछली भंडार में लगातार कमी आना इस तरह के अतिक्रमण के पीछे मुख्य प्रेरणा है।
- **समुद्री सीमा का आभासी निर्धारण :** समुद्री सीमाओं पर भटक जाने के कई मामले सामने आए हैं क्योंकि राष्ट्रों द्वारा सीमांकित ये काल्पनिक रेखाएँ जल में स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती हैं।
- **बॉटम ट्रॉलिंग प्रथा :** भारतीय मछुआरों द्वारा बॉटम ट्रॉलिंग मछली पकड़ने की गैर-संधारणीय प्रथा दोनों देशों के बीच विवाद सुलझाने के प्रयासों में बाधा बन रही है।
  - इस तकनीक में मछली एवं अन्य समुद्री प्रजातियों को पकड़ने के लिए समुद्र तल पर जाल डाला जाता है।

श्रीलंका का पक्ष

श्रीलंका का दावा है कि भारतीय मछुआरों का अतिक्रमण प्राय: सुनियोजित होता है। श्रीलंका अपने जलक्षेत्र में भारतीय मछुआरों द्वारा मत्स्यन को अवैध शिकार मानता है। उनके अनुसार, यह प्रथा दोनों देशों की राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे में डाल सकती है।

आगे की राह

- **वित्तीय सहायता :** भारत में सरकार ने मछुआरों को गहन समुद्र में मत्स्यन के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से ट्रॉलरों के संशोधन व पुनर्खरीद की योजनाएँ शुरू की हैं। हालाँकि, इन योजनाओं की गति धीमी है।

- **नया समझौता :** श्रीलंका द्वारा बार-बार मछुआरों को कैद करने की समस्या को संबोधित करने के लिए एक नए समझौते की आवश्यकता है।
  - राजनीतिक रूप से निर्मित आई.एम.बी.एल न तो मत्स्यन की और न ही मछुआरों की गतिविधियों को रोक सकती है।
- **संयुक्त निगरानी :** दोनों देशों की समुद्री पुलिस द्वारा संयुक्त गश्त की व्यवस्था की जानी चाहिए।
- **तकनीक प्रयोग :** मछुआरों को जी.पी.एस. से ट्रैक किया जाना चाहिए।
- **आजीविका के वैकल्पिक उपाय :** भारतीय जल क्षेत्र में मछली की कमी से संबंधित मुद्दों के समाधान के लिए आजीविका-आधारित नए दृष्टिकोण अपनाना चाहिए।
  - विशेषज्ञों के अनुसार, गहन समुद्र में मछली पकड़ना ही इसका एकमात्र व्यावहारिक विकल्प है जिसके लिए भारत सरकार को प्रभावित मछुआरों को वित्तपोषण, प्रशिक्षण एवं प्रेरणा देने के लिए बेहतर तथा लगातार प्रयास करने होंगे।

भारत-भूटान द्विपक्षीय संबंध

संदर्भ

भूटान के प्रधानमंत्री दाशो शेरिंग तोबगे ने स्कूल ऑफ अल्टीमेट लीडरशिप (SOUL) सम्मेलन में भाग लेने के लिए फरवरी 2025 में भारत की आधिकारिक यात्रा की।

भूटान के प्रधानमंत्री की हालिया भारत यात्रा

- प्रधानमंत्री शेरिंग तोबगे की यात्रा दोनों देशों के बीच नियमित उच्चस्तरीय आदान-प्रदान की परंपरा के अनुरूप है। इस दौरान तोबगे ने प्रधानमंत्री मोदी के साथ बैठक की।

स्कूल ऑफ अल्टीमेट लीडरशिप (SOUL)

- यह एक निजी तौर पर वित्तपोषित संस्थान है जिसे समान विचारधारा वाले व्यक्तियों द्वारा स्थापित किया गया है। यह गांधीनगर के गिफ्ट शहर के पास स्थित है।
- इसका लक्ष्य नए नेतृत्व प्रतिमान को अपनाकर नेताओं को सामाजिक लाभ के लिए एक सकारात्मक शक्ति बनने में सक्षम करना है।
- इसका उद्देश्य एक ऐसा मंच प्रदान करना है जहाँ जीवन के विभिन्न, क्षेत्रों- खेल, कला, राजनीति, मीडिया, आध्यात्मिक दुनिया, सार्वजनिक नीति, व्यवसाय और सामाजिक क्षेत्र के नेतृत्वकर्ता युवा पीढ़ियों को प्रेरित करने के लिए अपनी सफलताओं एवं असफलताओं को साझा करते हैं।

- भारतीय विदेश मंत्रालय के अनुसार, भारत एवं भूटान के बीच सभी स्तरों पर विश्वास, सद्भावना व आपसी समझ के आधार पर मित्रता और सहयोग के 'अनुकरणीय संबंध' (Exemplary Ties) हैं।

भारत-भूटान द्विपक्षीय संबंधों के बारे में

राजनयिक संबंध

- भारत एवं भूटान के बीच औपचारिक राजनयिक संबंध वर्ष 1968 में स्थापित हुए थे।
- भारत-भूटान संबंधों का मूल आधार दोनों देशों के मध्य वर्ष 1949 में हस्ताक्षरित मैत्री एवं सहयोग संधि है, जिसे फरवरी 2007 में नवीनीकृत किया गया।
- भूटान के राजा ने दिसंबर 2021 में प्रधानमंत्री मोदी को भूटान के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द ड्रुक ग्यालपो से सम्मानित किया था।

व्यापार एवं आर्थिक संबंध

- आयात स्रोत और निर्यात गंतव्य दोनों के रूप में भूटान का शीर्ष व्यापारिक भागीदार भारत ही है।
- **द्विपक्षीय व्यापार :** वर्ष 2014 से भूटान के साथ भारत का व्यापार (बिजली को छोड़कर) वर्ष 2014-15 में 484 मिलियन डॉलर से लगभग तिगुना बढ़कर वर्ष 2022-23 में 1,606 मिलियन डॉलर हो गया है जो भूटान के कुल व्यापार का लगभग 73% है।
- **भारत द्वारा भूटान को शीर्ष निर्यात :** पेट्रोल एवं डीज़ल, यात्री कार, चावल, लकड़ी का कोयला, सेलफोन, कोक एवं सेमीकोक, सोयाबीन तेल, इलेक्ट्रिक जेनरेटर व मोटर, टरबाइन के पुर्ज़े, परिवहन वाहन, बिटुमेन आदि।
- **भारत द्वारा भूटान से शीर्ष आयात :** फेरो-सिलिकॉन, फेरो-सिलिको-मैंगनीज़, डोलोमाइट चिप, साधारण पोर्टलैंड सीमेंट, सिलिकॉन कार्बाइड, इलायची, सुपारी, संतरे, लोहे या गैर-मिश्रधातु इस्पात के अर्द्ध-तैयार उत्पाद, बोल्डर, आदि।
- **निवेश :** भूटान में निवेश का प्रमुख स्रोत भारत ही है जिसमें देश के कुल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का 50% शामिल है।
- **मुक्त व्यापार :** भारत-भूटान व्यापार, वाणिज्य एवं पारगमन समझौता, 1972 दोनों देशों के बीच एक मुक्त व्यापार व्यवस्था स्थापित करता है।
  - यह समझौता तीसरे देशों को भूटान से निर्यात के शुल्क मुक्त पारगमन का भी प्रावधान करता है।

विकास भागीदारी

- भारत 1960 के दशक की शुरुआत से ही भूटान के सामाजिक-आर्थिक विकास में आर्थिक सहायता दे रहा है।

- 12वीं पंचवर्षीय योजना के लिए, भारत का 4,500 करोड़ रुपए का योगदान भूटान के कुल बाह्य अनुदान घटक का 73% है।
- भारत सरकार की सहायता के प्रमुख क्षेत्रों में कृषि एवं सिंचाई विकास, आई.सी.टी., स्वास्थ्य, औद्योगिक विकास, सड़क परिवहन, ऊर्जा, नागरिक उड्डयन, शहरी विकास, मानव संसाधन विकास, क्षमता निर्माण, छात्रवृत्ति, शिक्षा एवं संस्कृति शामिल हैं।
- वर्तमान में भूटान में 83 से अधिक बड़ी तथा मध्यवर्ती परियोजनाएँ (परियोजना से संबद्ध सहायता के तहत परियोजनाएँ) व 524 लघु विकास परियोजनाएँ/एच.आई.सी.डी.पी. कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं।

जल-विद्युत सहयोग

- जल-विद्युत क्षेत्र में भारत व भूटान के बीच सहयोग वर्ष 2006 के द्विपक्षीय सहयोग समझौते और वर्ष 2009 में हस्ताक्षरित समझौते के प्रोटोकॉल के अंतर्गत आता है।
- भूटान में कुल 2,136 मेगावाट की चार जल-विद्युत परियोजनाएँ (HEP) पहले से ही चालू हैं और भारत को विद्युत आपूर्ति कर रही हैं-
    - चुखा जल-विद्युत परियोजना (336 मेगावाट)
    - कुरिचू जल-विद्युत परियोजना (60 मेगावाट)
    - ताला जल-विद्युत परियोजना (1020 मेगावाट)
    - मंगदेछू जल-विद्युत परियोजना (720 मेगावाट)
- भूटान सरकार के आँकड़ों के अनुसार, वर्ष 2022 में भारत द्वारा भूटान से 2,448 करोड़ रुपए मूल्य की बिजली का आयात किया गया है।

शैक्षिक, सांस्कृतिक सहयोग और लोगों के बीच आदान-प्रदान

- भूटान के छात्रों को चिकित्सा, इंजीनियरिंग आदि सहित विभिन्न विषयों में भारत में अध्ययन के लिए प्रतिवर्ष 1,000 से अधिक छात्रवृत्तियाँ प्रदान की जा रही हैं।
- लगभग 4,000 भूटानी छात्र स्व-वित्तपोषित आधार पर भारतीय विश्वविद्यालयों में स्नातक पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत हैं।
- भारत-भूटान फाउंडेशन की स्थापना वर्ष 2003 में शिक्षा, कला एवं संस्कृति और पर्यावरण संरक्षण जैसे क्षेत्रों में लोगों के बीच आदान-प्रदान को बढ़ाने के उद्देश्य से की गई थी।

सांस्कृतिक और बौद्ध संबंध

- कई भूटानी तीर्थयात्री भारत में बोधगया, राजगीर, नालंदा, सिक्किम, उदयगिरि व अन्य बौद्ध स्थलों की यात्रा करते हैं।
- राजनयिक संबंधों की 50वीं वर्षगाँठ समारोह के एक हिस्से के रूप में भारत सरकार ने 18 लाम नेतेन (बौद्ध भिक्षुओं) और भूटान के केंद्रीय मठवासी निकाय के प्रतिनिधियों की भारत यात्रा प्रायोजित की।

विज्ञान एवं तकनीकी सहयोग

- भूटान भीम ऐप लॉन्च करने वाला दूसरा देश बन गया है जिससे दोनों देशों के बीच वित्तीय संबंध गहरे हुए हैं।
- भूटान के साथ कई प्रौद्योगिकी पहलों पर भारत सहयोग कर रहा है, जैसे- डिजिटल ड्रुक्युल के लिए भूटान के सभी 20 ज़िलों में गेवोग (गाँव) स्तर तक ऑप्टिकल फाइबर बैकबोन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की गई है और भूटान के लिए तीसरे अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेट गेटवे की स्थापना के लिए समर्थन।

अंतरिक्ष सहयोग

- अगस्त 2019 में दोनों देश भूटान के लिए एक छोटे उपग्रह के संयुक्त विकास पर सहयोग करने के लिए सहमत हुए।
- नवंबर 2020 में बाह्य अंतरिक्ष के शांतिपूर्ण उपयोग में सहयोग पर भारत व भूटान के बीच समझौता ज्ञापन।
- इसरो एवं सूचना व प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा संयुक्त रूप से विकसित एक उपग्रह 'भारत-भूटान सैट' को 26 नवंबर, 2022 को इसरो के ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान (PSLV) द्वारा लॉन्च किया गया।

भूटान में प्रवासी भारतीय

- लगभग 50,000 भारतीय नागरिक भूटान में कार्यरत हैं। ये मुख्यत: निर्माण क्षेत्र, शिक्षा एवं बुनियादी ढाँचा परियोजनाओं में शामिल तकनीकी सलाहकार क्षेत्र में हैं।
- कुछ भारतीय दैनिक मज़दूर के लिए भी प्रतिदिन सीमावर्ती कस्बों से भूटान आते-जाते हैं जो दोनों देशों के बीच घनिष्ठ आर्थिक निर्भरता का संकेत है।

भूटान : देशनामा

- **अवस्थिति :** दक्षिण-एशिया के पूर्वी हिमालयी क्षेत्र में भारत और चीन के मध्य स्थित
- **राजनीतिक व्यवस्था :** संवैधानिक राजतंत्र
- **जलवायु :** उष्णकटिबंधीय
- **मुद्रा :** नगुलट्रम (Ngultrum)
- **अर्थव्यवस्था :** $19 बिलियन (PPP 2024 के अनुसार)
- **राजधानी :** थिंपू
- **प्रमुख भाषा :** तिब्बती-बर्मन भाषा परिवार की भाषा 'ज़ोंगखा' भूटान की आधिकारिक एवं राष्ट्रीय भाषा है।
- **क्षेत्रफल :** 38,394 किमी^{2} (विश्व में 131वाँ स्थान)

आर्थिक घटनाक्रम

आभासी डिजिटल परिसंपत्तियों पर करारोपण

संदर्भ

वर्तमान में डिजिटल अर्थव्यवस्थाएँ और ब्लॉकचेन तकनीक वैश्विक वित्त व्यवस्था को नया आकार दे रही हैं। हालाँकि, इस नए परिदृश्य में भारत सहित दुनिया भर की सरकारें आभासी डिजिटल परिसंपत्तियों (Virtual Digital Assets : VDAs) के वर्गीकरण, विनियमन एवं कराधान से सबंधित चुनौतियों का सामना कर रही हैं। इन चुनौतियों से निपटने के लिए भारत ने आयकर विधेयक, 2025 प्रस्तुत किया है।

आयकर विधेयक, 2025 की प्रमुख विशेषताएँ

- आयकर विधेयक, 2025 में वी.डी.ए. के लिए एक व्यापक कानूनी ढाँचा प्रस्तुत किया गया है। इसकी धारा 2(111) में वी.डी.ए. को परिभाषित किया गया है जो देश के कर ढाँचे को वैश्विक परिदृश्य के साथ संरेखित करता है।
- भारत में पहली बार, आयकर विधेयक, 2025 स्पष्ट रूप से वी.डी.ए. को संपत्ति (धारा 92 (5) (f)) एवं पूंजीगत परिसंपत्ति के रूप में मान्यता देता है।
- कराधान, अनुपालन एवं कानूनी मान्यता के संदर्भ में इस वर्गीकरण के दूरगामी परिणाम हैं।
- इस विधेयक में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि वी.डी.ए. में क्रिप्टो संपत्तियाँ, नॉन-फंजिबल टोकन (NFT) एवं इसी तरह की अन्य डिजिटल संपत्तियाँ शामिल हैं।

पूंजीगत परिसंपत्ति के रूप में

- वी.डी.ए. को धारा 76(1) के तहत पूंजीगत परिसंपत्ति के रूप में वर्गीकृत किया गया है।
  - इसका अर्थ है कि उनकी बिक्री, हस्तांतरण या विनिमय से होने वाले किसी भी लाभ पर रियल एस्टेट, स्टॉक व बॉन्ड के समान पूंजीगत लाभ प्रावधानों के तहत कर लगाया जाएगा।
- वी.डी.ए. को पूंजीगत संपत्ति के रूप में मानकर, सरकार यह सुनिश्चित करती है कि लेनदेन, मानक परिसंपत्ति कराधान सिद्धांतों के अधीन हों जिससे अनियमित वित्तीय साधनों के रूप में उनके दुरुपयोग को रोका जा सके।
- आयकर विधेयक, 2025 वी.डी.ए. हस्तांतरण से होने वाली आय पर 30% कर है।

कर कटौती का लाभ नहीं

- पारंपरिक पूंजीगत संपत्तियों के विपरीत इस विधेयक में डिजिटल परिसंपत्तियों में किसी भी प्रकार की कर कटौती (अधिग्रहण या लेनदेन की लागत के अलावा) की अनुमति नहीं है।
  - इसका अर्थ है कि कर योग्य आय की गणना करते समय माइनिंग, लेनदेन शुल्क, प्लेटफॉर्म कमीशन और गैस शुल्क से संबंधित खर्चों में कटौती नहीं की जा सकती है।
  - उदाहरण के लिए, यदि कोई निवेशक ₹5 लाख में इथेरियम (क्रिप्टोकरेंसी) खरीदकर इसे ₹7 लाख में बेचता है तो ₹2 लाख के लाभ पर एकसमान 30% कर लगाया जाता है।

गैस शुल्क (Gas Fee)

ब्लॉकचेन तकनीक में गैस शुल्क शब्द का प्रयोग ब्लॉकचेन नेटवर्क द्वारा लगाए जाने वाले लेनदेन शुल्क के लिए किया जाता है। गैस शुल्क ब्लॉकचेन पर किसी भी ऐसे कार्य के लिए लिया जाता है जिसके लिए सत्यापन की आवश्यकता होती है, जैसे कि क्रिप्टोकरेंसी को स्थानांतरित करना आदि।

स्रोत पर कर कटौती

- विधेयक की धारा 393 में वी.डी.ए. के हस्तांतरण पर 1% स्रोत पर कर कटौती (Tax Deductions at Source : TDS) का उल्लेख किया गया है।
  - यह पीयर-टू-पीयर (P2P) लेनदेन में भी लागू होता है और यह सुनिश्चित करता है कि सरकार बड़े क्रिप्टो लेनदेन को ट्रैक करती है।
  - टी.डी.एस. छूट की सीमा छोटे व्यापारियों के लिए ₹50,000 तथा अन्य के लिए ₹10,000 है।

आयकर रिटर्न में जानकारी देना

- इस विधेयक में एक अन्य महत्त्वपूर्ण प्रावधान अघोषित आय कराधान एवं संपत्ति ज़ब्ती विनियमों में वी.डी.ए. को शामिल करना है।
  - विधेयक की धारा 301 के अनुसार, यदि कोई व्यक्ति अपने आयकर रिटर्न में वी.डी.ए. होल्डिंग्स की रिपोर्ट करने में विफल रहता है तो उन्हें अघोषित आय के रूप में वर्गीकृत करके तद्नुसार कर लगाया जा सकता है।
- विधेयक की धारा 524 (1) कर अधिकारियों को जाँच या कर छापों के दौरान वी.डी.ए. को ज़ब्त करने की अनुमति देता है। यह ठीक उसी तरह है जैसे कर चोरी के मामलों में नकदी, सोना या अचल संपत्ति ज़ब्त की जाती है।
  - ज़ब्ती के उद्देश्यों के लिए वी.डी.ए. को संपत्ति के रूप में मानकर भारत यह सुनिश्चित करता है कि क्रिप्टो परिसंपत्तियाँ विनियामक निरीक्षण से परे छाया परिसंपत्ति (Shadow Asset) के रूप में न रहें।

- धारा 509 के तहत क्रिप्टो परिसंपत्तियों में काम करने वाली किसी भी संस्था को निर्धारित प्रारूप में उपयुक्त प्राधिकारी को लेनदेन की रिपोर्ट करना आवश्यक है।
  - इन संस्थाओं में एक्सचेंज, वॉलेट सेवा प्रदाता एवं व्यक्तिगत व्यापारी शामिल हैं।
  - यह प्रावधान क्रिप्टो ट्रेड्स की सुविधा देने वाले प्लेटफॉर्म से अनुपालन को अनिवार्य बनाता है जिससे डिजिटल परिसंपत्तियों के माध्यम से धन शोधन कठिन हो जाता है।
- विधेयक यह भी अनिवार्य करता है कि वी.डी.ए. को वार्षिक सूचना विवरण (AIS) में शामिल किया जाए, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि सभी क्रिप्टो लेनदेन स्वचालित रूप से करदाताओं की वित्तीय प्रोफाइल में दर्ज हो रहे हैं।

अन्य देशों में प्रावधान

यूनाइटेड किंगडम, अमेरिका, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, न्यूज़ीलैंड व संयुक्त अरब अमीरात (UAE) जैसी प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं ने वी.डी.ए. को मुख्य रूप से संपत्ति या प्रतिभूतियों के रूप में वर्गीकृत किया है।

यूनाइटेड किंगडम

- यूनाइटेड किंगडम का यू.के. एच.एम रेवेन्यू एंड कस्टम्स कर उद्देश्यों के लिए क्रिप्टो परिसंपत्तियों को संपत्ति के रूप में मान्यता देते हुए उन्हें पूंजीगत लाभ कर के अधीन करता है।
- यूनाइटेड किंगडम उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया है कि क्रिप्टो परिसंपत्तियों को संपत्ति माना जा सकता है जिससे न्यायालयों को कानूनी विवादों में उन्हें फ्रीज या ज़ब्त करने की अनुमति मिलती है।

अमेरिका

अमेरिकी प्रतिभूति एवं विनिमय आयोग कई क्रिप्टो परिसंपत्तियों को प्रतिभूतियों के रूप में वर्गीकृत करता है जिससे वे वित्तीय बाज़ार विनियमन के अंतर्गत आ जाती हैं।

न्यूज़ीलैंड

न्यूज़ीलैंड का अंतर्देशीय राजस्व विभाग भी क्रिप्टो परिसंपत्तियों को संपत्ति के रूप में मानता है, जिससे वे लेनदेन पर आयकर के अधीन हो जाती हैं।

संयुक्त अरब अमीरात

संयुक्त अरब अमीरात में वर्चुअल एसेट्स रेगुलेटरी अथॉरिटी (VARA) व्यवसायों एवं व्यक्तियों को विनियमित शर्तों के तहत वी.डी.ए. रखने व व्यापार करने की अनुमति देता है।

भारत में विनियमन के लिए चुनौतियाँ

- भारत में वी.डी.ए. के वर्गीकरण एवं कराधान में विकास के बावजूद एक स्पष्ट व व्यापक नियामक ढाँचे का अभाव है।
- भारत में वी.डी.ए. से संबंधित वर्तमान कानूनी दृष्टिकोण इसके वर्गीकरण व कराधान को संबोधित करता है।
  - हालाँकि, यह निवेशक संरक्षण, बाज़ार विनियमन, प्रवर्तन तंत्र एवं मानक दिशा-निर्देशों की कमी जैसे क्षेत्रों में महत्त्वपूर्ण मुद्दों पर अस्पष्टता का निवारण नहीं करता है।

आगे की राह

- भारत द्वारा वी.डी.ए. को पूंजीगत संपत्ति के रूप में परिभाषित करने का निर्णय अंतर्राष्ट्रीय कानूनी मानकों के साथ तालमेल बिठाने की दिशा में एक कदम है।
- वी.डी.ए. को संपत्ति के रूप में परिभाषित करके भारत आवश्यक होने पर क्रिप्टो परिसंपत्तियों पर कर लगाने, विनियमित करने एवं ज़ब्त करने के प्राधिकार को सुनिश्चित करता है।
  - इससे अवैध वित्तीय गतिविधियों के लिए उनके दुरुपयोग को रोका जा सकता है।
  - वी.डी.ए. के प्रभावी कार्यान्वयन एवं विनियमन के लिए एक सुसंगत नीति ढाँचे की आवश्यकता होती है जो एक संतुलित व सुरक्षित डिजिटल संपत्ति पारिस्थितिकी तंत्र सुनिश्चित करने के लिए वित्तीय विनियमन, उपभोक्ता अधिकार एवं तकनीकी प्रगति को एकीकृत करता है।

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा रुपया-डॉलर विनिमय

संदर्भ

- भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने $10 बिलियन के 'डॉलर-रुपया बाय-सेल स्वैप' (Dollar-rupee buy-sell Swap) व्यवस्था के माध्यम से लंबी अवधि के लिए रुपए की तरलता में वृद्धि करने का निर्णय लिया है।
- $10 बिलियन के स्वैप का निर्णय 3 वर्ष के लिए लिया गया है। विदित है कि यह निर्णय आर.बी.आई. द्वारा कुछ समय पहले $5 बिलियन के डॉलर-रुपया स्वैप के बाद ही लिया गया है।

भारत में तरलता संकट की स्थिति

- भारतीय बैंकिंग प्रणाली को जनवरी 2025 में एक दशक से भी अधिक समय में सबसे अधिक तरलता संकट का सामना करना पड़ा।
  - 23 जनवरी को तरलता घाटा 3.15 लाख करोड़ रुपए पर पहुँच गया था जो कि लगभग 15 वर्षों का निम्नतम स्तर है।
- 20 फरवरी, 2025 तक भारत की बैंकिंग प्रणाली का तरलता घाटा (Liquidity Deficit) लगभग 1.7 ट्रिलियन रुपए था जिसके वित्तीय वर्ष के अंतिम महीने में और भी बढ़ने की संभावना है।
  - कर बहिर्वाह, वस्तु एवं सेवा कर भुगतान तथा रुपए को स्थिर करने के लिए आर.बी.आई. के विदेशी मुद्रा हस्तक्षेप और प्रचलन में मुद्रा (Currency in Circulation) बहिर्वाह ने बैंकिंग प्रणाली में नकदी प्रवाह को काफी प्रभावित किया है।

- तरलता घाटे के कारण बैंकों की बाज़ार उधारी पर निर्भरता बढ़ गई, जिससे अंतर-बैंक कॉल मनी दरें लगातार 6.50% की नीतिगत रेपो दर से ऊपर बनी रहीं।
  - अंतर-बैंक कॉल मनी दर वह दर है जिस पर बैंक एक-दूसरे को उधार देते हैं।

डॉलर-रुपया बाय-सेल स्वैप व्यवस्था की कार्यप्रणाली

- यह रिज़र्व बैंक की ओर से एक सरल बाय-सेल विदेशी मुद्रा स्वैप है। इसके तहत एक बैंक, रिज़र्व बैंक को अमेरिकी डॉलर बेचेगा और साथ ही, स्वैप अवधि के अंत में उतनी ही मात्रा में अमेरिकी डॉलर खरीदने के लिए सहमत होगा।
  - लेनदेन के पहले चरण में बैंक, नीलामी तिथि की FBIL संदर्भ दर पर रिज़र्व बैंक को डॉलर बेचेगा।
- स्वैप के पहले चरण का निपटान (Settlement) लेनदेन (Transaction) की तिथि से त्वरित आधार (Spot Basis) पर होगा और रिज़र्व बैंक सफल बोलीदाता के चालू खाते में रुपया निधि (Rupee Funds) क्रेडिट करेगा व बोलीदाता को आर.बी.आई. के नोस्ट्रो खाते में डॉलर जमा करने होंगे।
- स्वैप लेनदेन के रिवर्स चरण में बैंक को डॉलर वापस पाने के लिए स्वैप प्रीमियम के साथ रुपया निधि आर.बी.आई. को वापस करनी होगी।

FBIL संदर्भ दर

'FBIL संदर्भ दर' रुपए के संदर्भ में अमेरिकी डॉलर, यूरो जैसी मुद्राओं के लिए विनिमय दर की दैनिक गणना है। फाइनेंशियल बेंचमार्क इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (FBIL) एक भारतीय कंपनी है जिसे भारतीय रिज़र्व बैंक ने इन दरों की गणना एवं प्रकाशन के लिए अधिकृत किया है।

डॉलर-रुपया बाय-सेल स्वैप व्यवस्था का प्रभाव

- स्वैप मैकेनिज़्म तत्काल तरलता समर्थन प्रदान करके मुद्रा स्थिरता में मदद कर सकता है।
  - इससे विदेशी फंड के बहिर्वाह के दौरान रुपए पर दबाव कम हो सकता है।
- यह अस्थायी राहत बाज़ार में निवेशकों के विश्वास को बढ़ा सकती है और विनिमय दर में अत्यधिक अस्थिरता को रोक सकती है।
- इससे आर.बी.आई. के डॉलर भंडार में भी वृद्धि होगी।

तरलता में वृद्धि के लिए आर.बी.आई. द्वारा किए गए अन्य उपाय

- ऋण खरीद (Debt Purchases)
- अतिरिक्त विदेशी मुद्रा स्वैप
- लॉन्गर-ड्यूरेशन रेपो (Longer-duration Repos) या टर्म रेपो
- विभिन्न अवधियों के लिए कई वेरिएबल रेट रेपो (Variable Rate Repo : VRR) नीलामी
- दैनिक स्तर पर वी.आर.आर. नीलामी
- सरकारी प्रतिभूतियों की खुले बाज़ार परिचालन (OMO) खरीद नीलामी
- 56-दिवसीय वी.आर.आर. नीलामी

उच्च आय से संबंधित विश्व बैंक की रिपोर्ट

संदर्भ

- विश्व बैंक द्वारा जारी एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार, भारत को वर्ष 2047 तक उच्च आय वाली स्थिति तक पहुँचने की देश की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए अगले 22 वर्षों में औसतन 7.8% की वृद्धि दर की आवश्यकता होगी।
- इस रिपोर्ट का शीर्षक 'भारत-देश आर्थिक ज्ञापन : एक पीढ़ी में उच्च आय वाली अर्थव्यवस्था का निर्माण करना' (India-Country Economic Memorandum: Becoming a High-Income Economy in a Generation) है।

रिपोर्ट के प्रमुख निष्कर्ष

- भारत को वर्ष 2047 तक उच्च आय वाली अर्थव्यवस्था बनने के लिए प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय (GNI) को वर्ष 2023 के 2,540 डॉलर से लगभग आठ गुना बढ़ाना होगा।
  - विश्व बैंक की वर्गीकरण पद्धति के अनुसार, वर्ष 2023 में 14,005 डॉलर से अधिक प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय वाले देश उच्च आय वाले श्रेणी में होंगे, जबकि 4,516 डॉलर से 14,005 डॉलर के बीच वाले देश उच्च मध्यम आय वाले होंगे।
  - इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, निम्न अनुकूल बाह्य वातावरण को देखते हुए, भारत को न केवल जारी पहलों को चालू रखना होगा, बल्कि सुधारों को विस्तारित एवं तीव्र करना होगा।
- सामान्य परिदृश्य में वर्ष 2035 तक निवेश, सकल घरेलू उत्पाद (GDP) के 37% के उच्चतम स्तर पर पहुँच जाएगा तथा विकास दर प्रतिवर्ष औसतन 6.6% रहेगी। दूसरी ओर, रिपोर्ट में कहा गया है कि त्वरित सुधारों के साथ वर्ष 2035 तक सकल घरेलू उत्पाद में निवेश का हिस्सा 40% तक पहुँच जाएगा व अर्थव्यवस्था 7.8% की दर से बढ़ेगी।
- मौजूदा कीमतों पर वर्ष 2023-24 में सकल पूंजी निर्माण की दर जी.डी.पी. के मुकाबले 31.4% थी।
  - सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI) ने वर्ष 2023-24 के लिए वास्तविक जी.डी.पी. वृद्धि दर को संशोधित कर 9.2% कर दिया और वर्ष 2024-25 में 6.5% वृद्धि का अनुमान व्यक्त किया है।

- इस रिपोर्ट में पेट्रोलियम, कंप्यूटर एवं संचार उपकरण तथा सीमेंट जैसे अर्थव्यवस्था के कुछ क्षेत्रों के बाज़ार में महत्त्वपूर्ण संकेंद्रण तथा अपेक्षाकृत बड़ी सरकारी उपस्थिति के कारण निजी निवेश हतोत्साहित होने की संभावना है।

रिपोर्ट की प्रमुख सिफारिशें

- **एम.एस.एम.ई. को मज़बूत करना :** इस रिपोर्ट में अच्छी गुणवत्ता वाली नौकरियों के लिए, श्रम-प्रधान क्षेत्रों में मज़बूत विकास को लक्षित करने और एम.एस.एम.ई. को बढ़ाने की सिफारिश की गई है। इसके लिए कुशल ऋण आवंटन सुनिश्चित करने और जोखिमों को न्यूनतम करने के लिए वित्तीय क्षेत्र में निम्न सुधार अपेक्षित हैं-
  - कॉर्पोरेट बॉन्ड बाज़ार को मज़बूत बनाना
  - एम.एस.एम.ई. के लिए ऋण तक अधिक पहुँच को सुविधाजनक बनाना
- **विनिर्माण क्षेत्र के लिए :** मध्यवर्ती विनिर्माण क्षेत्र के लिए श्रम विनियमन एवं भूमि उपलब्धता को लक्षित करने वाली महत्त्वपूर्ण नीतियाँ तथा लॉजिस्टिक्स बुनियादी ढाँचे की गुणवत्ता में सुधार की सिफारिश की गई है।
- **राज्य-विशिष्ट नीतियों की आवश्यकता :** आय असमानता को पाटने एवं समावेशी विकास को बढ़ावा देने के लिए राज्य-विशिष्ट नीतियों की आवश्यकता पर भी प्रकाश डाला गया है। चूँकि प्रति व्यक्ति आय के मामले में राज्यों के बीच अंतर है अत: एक ही नीति सभी के लिए उपयुक्त नहीं होगी।
  - अल्पविकसित राज्यों को विकास के मूल सिद्धांतों को मज़बूत करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, जबकि अपेक्षाकृत अधिक विकसित राज्य को अगली पीढ़ी के सुधारों को प्राथमिकता देनी चाहिए।
- **निजी निवेश को बढ़ावा देना :** भारत में निजी निवेश को बढ़ावा देने के लिए अधिक सुधारों की आवश्यकता पर प्रकाश डाला गया है। हालाँकि, इस संदर्भ में जो भी सुधार किए गए हैं वे स्पष्ट रूप से पर्याप्त नहीं हैं।
  - रिपोर्ट के अनुसार, टैरिफ कम करने तथा व्यापार एवं प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) में बाधाओं को दूर करने से आर्थिक विकास को और बढ़ावा मिलेगा तथा वैश्विक मूल्य शृंखलाओं (GVCs) में एकीकरण के उद्देश्य से आयात के लिए अर्थव्यवस्था को खोलने से उत्पादकता में वृद्धि होगी और निर्यात में भी वृद्धि होगी।
- **सार्वजनिक निवेश के क्षेत्र :** रिपोर्ट में उन क्षेत्रों में अधिक सार्वजनिक निवेश पर ज़ोर दिया गया है जो निजी निवेश को आकर्षित करते हैं। इनमें कृषि एवं संबद्ध गतिविधियाँ, शहरी विकास व परिवहन आदि क्षेत्र शामिल हैं।
- **संरचनात्मक परिवर्तन, व्यापार भागीदारी एवं प्रौद्योगिकी अपनाने को बढ़ावा देना :** वर्तमान में रोज़गार में कृषि की हिस्सेदारी 45% है। विनिर्माण और सेवाओं जैसे अधिक उत्पादक क्षेत्रों में भूमि, श्रम व पूंजी का आवंटन, फर्म एवं श्रम उत्पादकता बढ़ाने में मदद कर सकता है।
- **अधिक एवं बेहतर नौकरियाँ सृजित करने के लिए वातावरण को बढ़ावा देना :** वियतनाम (73%) और फिलीपींस (60%) जैसे देशों की तुलना में भारत में कुल श्रम शक्ति भागीदारी दर 56.4% ही रही है।
  - रिपोर्ट में कृषि प्रसंस्करण विनिर्माण, आतिथ्य, परिवहन एवं देखभाल अर्थव्यवस्था जैसे नौकरी समृद्ध क्षेत्रों में निवेश करने के लिए निजी क्षेत्र को प्रोत्साहित करने की सिफारिश की गई है।
- **जनसांख्यिकीय लाभांश :** भारत मानव पूंजी में निवेश करके, अधिक एवं बेहतर नौकरियों के लिए अनुकूल परिस्थितियों का निर्माण करके और वर्ष 2047 तक महिला श्रम बल भागीदारी दर को 35.6% से बढ़ाकर 50% तक करके अपने जनसांख्यिकीय लाभांश का फायदा उठा सकता है।

ऑनलाइन गेमिंग से संबंधित विभिन्न मुद्दे

संदर्भ

- आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 में 'विनियमन में कमी लाने का आह्वान किया गया है और सरकार से बाधा न डालने का आग्रह किया गया है, ताकि व्यवसाय को आसानी से जारी रखा जा सके। हालाँकि, यह व्यवहार में पूरी तरह से लागू नहीं दिखाई देता है। ऑनलाइन गेमिंग क्षेत्र भी विनियमन में कमी लाने के प्रति आशावादी है।
- ऑनलाइन गेमिंग क्षेत्र अपनी उच्च विकास क्षमता के बावजूद 28% जी.एस.टी. बोझ, पूर्वव्यापी कर मांग और नियामक अनिश्चितता का सामना कर रहा है जो इस क्षेत्र की बढ़ती संभावनाओं को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकता है।

ऑनलाइन गेमिंग क्षेत्र की बढ़ती संभावनाएँ

- **वैश्विक प्रतिस्पर्द्धा के अवसर :** ऑनलाइन कौशल-आधारित गेमिंग एक उभरता हुआ क्षेत्र है जहाँ तीन स्टार्टअप पहले ही यूनिकॉर्न बन चुके हैं। ऐसे में इसमें प्रोग्रामिंग, डिज़ाइन एवं स्टोरी टेलिंग प्रतिभा का उपयोग कर भारत को वैश्विक स्तर पर तकनीकी लीडरबोर्ड में शीर्ष पर पहुँचाने की क्षमता है।
  - 650 मिलियन स्मार्टफोन उपयोगकर्ताओं और आधी आबादी के 35 वर्ष से कम आयु के होने के कारण भी भारत प्रौद्योगिकी नवाचार एवं वित्तीय लाभ के दृष्टिकोण से ऑनलाइन गेमिंग में अन्य देशों से आगे निकल सकता है।

- **अर्थव्यवस्था में योगदान :** एक रिपोर्ट में भी ऑनलाइन गेमिंग को भारत में सबसे तेज़ी से बढ़ते क्षेत्रों में से एक बताया गया है जिसका कारोबार वर्ष 2023 में 33,000 करोड़ रुपए रहा है। यह वर्ष 2023-2028 के बीच 14.5% की CAGR से बढ़ते हुए 66,000 करोड़ रुपए तक पहुँच सकता है।
- **डिजिटल अर्थव्यवस्था को बढ़ावा :** ऑनलाइन गेमिंग क्षेत्र भारत के 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की डिजिटल अर्थव्यवस्था विकसित करने के लक्ष्य में महत्त्वपूर्ण योगदान दे सकता है।
- **रोज़गार सृजन :** ऑनलाइन गेमिंग क्षेत्र रोज़गार सृजन एवं आर्थिक विकास को बढ़ावा देने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है जिससे पिछले कुछ वर्षों में पहले ही 2 लाख नौकरियों के अतिरिक्त 2-3 लाख अतिरिक्त प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष नौकरियाँ सृजित करने की संभावना है।
  - इनमें डेवलपर्स, प्रोग्रामर, परीक्षक, कलाकार एवं इमर्सिव गेम प्ले विकसित करने के लिए आवश्यक ग्राहक सहायता आदि शामिल हैं।
- **क्रिएटर अर्थव्यवस्था को बढ़ावा :** पिछले एक दशक में भारत का गेमिंग सेक्टर गेमिंग कंटेंट क्रिएटर्स के उदय से प्रेरित होकर 1 अरब डॉलर तक पहुँच गया है।
  - इंडिया गेमिंग रिपोर्ट 2024 के अनुसार, भारत में लगभग 3 लाख क्रिएटर एवं स्ट्रीमर 600 मिलियन से अधिक उपयोगकर्ताओं तक पहुँच चुकें हैं।
  - इसके अतिरिक्त, गुणवत्ता वाली गेमिंग सामग्री की उच्च मांग ने उत्पादन, संपादन एवं ग्राफिक डिज़ाइन में सहायक रोज़गार के अवसर भी सृजित किए हैं।
- **प्रौद्योगिकियों का संवर्द्धन :** गेमिंग से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और क्लाउड कंप्यूटिंग जैसी तकनीकों का संवर्द्धन हो रहा है।

ऑनलाइन गेमिंग क्षेत्र के समक्ष चुनौतियाँ

- **राज्यों द्वारा प्रतिबंध :** कुछ राज्यों द्वारा ऑनलाइन गेमिंग को लेकर प्रतिबंधात्मक नीतियाँ अपनाई जा रही हैं। हालाँकि, कर्नाटक एवं तेलंगाना जैसे राज्य एनीमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग व कॉमिक्स क्षेत्रों को बढ़ावा देने के लिए अनेक सुधारात्मक कदम उठा रहे हैं।
- **उच्च कराधान :** केंद्र एवं राज्य सरकारों ने सर्वसम्मति से ऑनलाइन गेमिंग पर 28% जी.एस.टी. लगाया है। इस दर को प्राय: जुआ, शराब एवं तंबाकू जैसे सार्वजनिक रूप से हानिकारक विषयों पर आरोपित किया जाता है।
- **कानूनी चुनौतियाँ :** कुछ राज्य सरकारों ने ऑनलाइन गेमिंग को जुए के हिस्से के रूप में वर्गीकृत किया था। हालाँकि, न्यायपालिका ने इन प्रतिबंधों को असंवैधानिक बताया और स्पष्ट किया कि 'कौशलयुक्त गेम' कानूनी है और इसे जुए के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है।
- **साइबर सुरक्षा :** ऑनलाइन गेमिंग क्षेत्र के विकास के साथ साइबर हमले भी बढ़े हैं। वर्ष 2021 के सर्वेक्षण में 75% से अधिक भारतीय गेमर्स ने अपने अकाउंट पर हमले को रिपोर्ट किया है।
  - यह डाटा उल्लंघनों, धोखाधड़ी व साइबर हमलों से बचाव के लिए बेहतर सुरक्षा उपायों की तत्काल आवश्यकता पर प्रकाश डालता है।
- **धन शोधन एवं धोखाधड़ी :** ऑनलाइन गेमिंग मनी लॉन्ड्रिंग एवं अन्य वित्तीय अपराधों को बढ़ावा दे सकता है जिसमें आपराधिक धन को इन-गेम ट्रेड या मुद्राओं के माध्यम से डायवर्ट किया जाता है।

आगे की राह

भारत में ऑनलाइन गेमिंग क्षेत्र की क्षमता को अधिकतम करने के साथ-साथ जुए व सट्टेबाज़ी के प्रतिकूल प्रभावों के प्रबंधन के लिए महत्त्वपूर्ण नीतिगत हस्तक्षेप की आवश्यकता है। इस संदर्भ में निम्नलिखित विकल्प इस क्षेत्र में विकास को बढ़ावा दे सकते हैं-

- **स्व-नियामक निकायों (SRBs) की स्थापना :** सरकार को आई.टी. नियम, 2023 के कार्यान्वयन में तेज़ी लाकर SRBs की स्थापना करनी चाहिए जिससे गेमिंग उद्योग में आवश्यक लचीलापन, जोखिम का समाधान और नवाचार को बढ़ावा मिलेगा।
- **केंद्रीय नियामक प्राधिकरण (गेमिंग आयोग) :** भारत में गेमिंग क्षेत्र को विनियमित करने के उद्देश्य से यूनाइटेड किंगडम की तर्ज़ पर एक विनियामक आयोग की स्थापना की जा सकती है।
- **बी.आई.एस. मानकों का उपयोग करना :** भारतीय मानक ब्यूरो कौशल खेलों को परिभाषित करने के लिए मानदंड स्थापित कर सकता है, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सकेगा कि खेल अनुमेयता मूल्यांकन वस्तुनिष्ठ एवं स्वतंत्र रूप से निर्धारित मानदंडों पर आधारित हो।
- **ज़िम्मेदार गेमिंग के लिए आचार संहिता :** ऑनलाइन गेमिंग की लत से निपटने के लिए सरकार गेमिंग कंपनियों के लिए ज़िम्मेदार गेमिंग प्रथाओं को अनिवार्य बनाने पर विचार कर सकती है जिनमें उपयोगकर्ताओं को खर्च किए गए समय और धन के बारे में चेतावनी देना, ब्रेक को प्रोत्साहित करना एवं उपयोगकर्ताओं को अपनी व्यक्तिगत मौद्रिक सीमा निर्धारित करने की अनुमति देना आदि शामिल किया जा सकता है।

भारत में ए.आई. कार्यबल संकट

संदर्भ

एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2027 तक भारत में 10 लाख से अधिक कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) कुशल पेशेवरों की कमी होने का अनुमान है।

ए.आई. कुशल पेशेवरों की बढ़ती मांग

- विभिन्न उद्योगों द्वारा ए.आई. को तेज़ी से अपनाने के साथ ही ए.आई. प्रशिक्षित पेशेवरों की मांग में निरंतर वृद्धि हो रही है किंतु आपूर्ति अपर्याप्त बनी हुई है।
- रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2027 तक भारत के ए.आई. क्षेत्र में 2.3 मिलियन से अधिक रोज़गार सृजन का अनुमान है। हालाँकि, केवल 1.2 मिलियन योग्य पेशेवर ही उपलब्ध होने की उम्मीद है।

भारत की स्थिति

- भारत कौशल रिपोर्ट-2024 के अनुसार, भारत का ए.आई. उद्योग वर्ष 2025 तक 45% चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (CAGR) के साथ 28.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुँच जाएगा।
- ए.आई. कुशल कार्यबल की मांग में वर्ष 2016 से वर्ष 2023 तक 14 गुना वृद्धि देखी गई है। देश में वर्ष 2026 तक ए.आई. -कुशल कार्यबल की मांग 1 मिलियन तक पहुँचने का अनुमान है।
- BCG-Nasscom की एक रिपोर्ट के अनुसार, भारत का ए.आई. बाज़ार 25-35% CAGR की दर से बढ़ सकता है जो नवाचार तथा रोज़गार सृजन की क्षमता को मज़बूत करता है।
- 80% भारतीय कंपनियाँ ए.आई. को एक मुख्य रणनीतिक प्राथमिकता मानती हैं जो वैश्विक औसत 75% से अधिक है।

ए.आई. कौशल विकास पर बल

- **ए.आई. प्रतिभा पाइपलाइन एवं शिक्षा :** India AI फ्यूचर स्किल्स पहल के तहत ए.आई. शिक्षा को स्नातक, स्नातकोत्तर एवं पी.एच.डी. कार्यक्रमों में विस्तारित किया गया है। शीर्ष 50 NIRF-रैंक वाले संस्थानों में ए.आई. पर शोध करने वाले पूर्णकालिक पी.एच.डी. फेलोशिप प्रदान की जा रही है।
- **वैश्विक ए.आई. कौशल पैठ :** स्टैनफोर्ड ए.आई. इंडेक्स के अनुसार, भारत 2.8 के स्कोर के साथ ए.आई. कौशल पैठ में पहले स्थान पर है। इस सूचकांक में अमेरिका (2.2) एवं जर्मनी (1.9) भी भारत से पीछे हैं। वर्ष 2016 से भारत में ए.आई. प्रतिभा संकेंद्रण में 263% की वृद्धि हुई है।
- **ए.आई. नवाचार :** भारत सबसे तेज़ी से बढ़ते ए.आई. डेवलपर के रूप में उभरा है और सार्वजनिक GenAI परियोजनाओं में दूसरे स्थान पर है। यहाँ दुनिया की 16% ए.आई. प्रतिभाएँ हैं जो ए.आई. नवाचार में इसके बढ़ते प्रभाव को दर्शाता है।

वैश्विक स्तर पर स्थिति

- वैश्विक स्तर पर भी वर्ष 2019 से ए.आई. से संबंधित रोज़गार में प्रतिवर्ष 21% की वृद्धि हुई है, जबकि इसी अवधि में कुशल पेशेवरों में मात्र 11% वृद्धि दर्ज की गई है।
- अमेरिका में वर्ष 2027 तक कुल सृजित ए.आई. रोज़गार में लगभग 50% योग्य पेशेवर की कमी रहने का अनुमान है।
- इस अवधि के दौरान जर्मनी में लगभग 70% ए.आई.-आधारित नौकरियों के लिए कुशल पेशेवर की कमी रहने का अनुमान है।
- अगले तीन वर्षों में यूनाइटेड किंगडम एवं ऑस्ट्रेलिया को क्रमशः 150,000 व 60,000 ए.आई. पेशेवरों की कमी का सामना करना पड़ सकता है।
- यह चुनौती केवल भारत तक सीमित नहीं है। आने वाले वर्षों में अमेरिका, जर्मनी, यू.के. एवं ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों को भी ए.आई. प्रतिभाओं की महत्त्वपूर्ण कमी का सामना करना पड़ सकता है।

योग्य पेशेवरों की कमी का प्रभाव

- आई.टी., स्वास्थ्य देखभाल, वित्त एवं विनिर्माण जैसे क्षेत्रों की कंपनियाँ तेज़ी से ए.आई.-संचालित समाधानों को एकीकृत कर रही हैं।
  - हालाँकि, कुशल ए.आई. इंजीनियरों, डाटा वैज्ञानिकों एवं मशीन लर्निंग विशेषज्ञों की सीमित उपलब्धता एक चुनौती है।
- विशेषज्ञों के अनुसार, यदि प्रतिभा अंतराल बना रहता है तो भारत का डिजिटल संक्रमण धीमा होने के साथ ही इसकी वैश्विक प्रतिस्पर्द्धा सीमित हो सकती है।
- ए.आई. प्रशिक्षित पेशेवरों की मांग में वृद्धि एवं आकर्षक वेतन के बावजूद योग्य ए.आई. पेशेवरों की आपूर्ति में तेज़ी नहीं आई है जिससे उद्योगों में ए.आई. को अपनाने की गति मंद होने का खतरा है।

समाधान

शैक्षणिक बुनियादी ढाँचे को उन्नत करना

- संस्थानों को स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तर पर विशेष ए.आई., मशीन लर्निंग एवं डाटा विज्ञान कार्यक्रमों के साथ पाठ्यक्रमों को अद्यतन करना चाहिए।
- पेशेवरों को अपस्किलिंग के लिए ए.आई. प्लेटफॉर्म का उपयोग करना चाहिए। विश्वविद्यालयों एवं कंपनियों के बीच साझेदारी से विशेष ए.आई. कार्यक्रमों को बढ़ावा मिल सकता है।

कॉर्पोरेट प्रशिक्षण एवं इंटर्नशिप

- कंपनियाँ कर्मचारियों को ए.आई. से संबंधित कौशल विकसित करने में मदद करने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम लागू कर सकती हैं।
- छात्रों को ए.आई. के क्षेत्र में व्यावहारिक अनुभव प्राप्त करने के लिए ए.आई. पर केंद्रित इंटर्नशिप या फेलोशिप में भाग लेना चाहिए।

अनुसंधान एवं नवाचार को बढ़ावा देना

विश्वविद्यालयों एवं कंपनियों के बीच सहयोग से शैक्षणिक अनुसंधान को वास्तविक दुनिया के ए.आई. अनुप्रयोगों के साथ संरेखित करने से नवाचार को बढ़ावा मिलेगा। तकनीकी दिग्गजों एवं स्टार्टअप के साथ मिलकर शोध प्रयोगशालाएँ स्थापित करने से इसमें अधिक मदद मिल सकती है।

ए.आई. विशेषज्ञता पर ध्यान केंद्रित करना

- संस्थान एवं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म उच्च-मांग वाले क्षेत्रों, जैसे- डीप लर्निंग, ए.आई. एथिक्स, कंप्यूटर विज़न एवं प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण पर केंद्रित कार्यक्रम बना सकते हैं।
- स्वास्थ्य सेवा, कृषि या वित्त जैसे पृष्ठभूमि वाले पेशेवरों को क्षेत्र-विशिष्ट मांगों को पूरा करने के लिए उनके उद्योगों के लिए विशिष्ट ए.आई. अनुप्रयोगों में प्रशिक्षित किया जा सकता है।

सार्वजनिक वित्तपोषण में वृद्धि

सरकार ए.आई. प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए प्रोत्साहन और ए.आई. अध्ययन करने वाले छात्रों के लिए छात्रवृत्ति शुरू कर सकती है। यह ए.आई. अनुसंधान, विकास केंद्रों और ए.आई. नवाचार केंद्रों के लिए धन भी प्रदान कर सकता है।

वैश्विक प्रतिभा पूल को आकर्षित करना

वर्तमान में ए.आई. पेशेवरों की अत्यधिक मांग को पूरा करने के लिए भारत प्रतिस्पर्द्धी वेतन और अवसर प्रदान करके विदेशों से ए.आई. पेशेवरों को आकर्षित कर सकता है। ए.आई. पेशेवरों की मांग वैश्विक है और दूरस्थ कार्य व्यवस्था (Remote Working) इस अंतराल को पाटने में मदद कर सकता है।

ए.आई. स्टार्टअप को बढ़ावा देना

इनक्यूबेशन, फंडिंग एवं मेंटरशिप के माध्यम से ए.आई.-केंद्रित स्टार्टअप के विकास को प्रोत्साहित करने से ए.आई. पेशेवरों की अधिक मांग उत्पन्न होगी और नए स्नातकों को व्यावहारिक अनुभव मिलेगा।

आगे की राह

- ए.आई. उद्योग से अर्थव्यवस्था में महत्त्वपूर्ण योगदान की संभावना के साथ एक अच्छी तरह से प्रशिक्षित कार्यबल सुनिश्चित करने के लिए सक्रिय उपाय आवश्यक हैं।
- कुशल ए.आई. पेशेवरों की कमी को दूर करने के लिए व्यवसायों को ए.आई. प्रतिभा को आकर्षित करने, विकसित करने एवं बनाए रखने के तरीके में एक मौलिक बदलाव की आवश्यकता है।
  - इसमें मुख्यत: निरंतर अपस्किलिंग को प्राथमिकता एवं नवाचार-संचालित पारितंत्र को बढ़ावा देना शामिल है।
- इस अंतराल को पाटने के लिए शैक्षणिक संस्थान एवं कॉर्पोरेट संस्थाएँ अपस्किलिंग कार्यक्रमों पर ध्यान केंद्रित कर रही हैं।
  - इसके लिए ए.आई. बूट कैंप, प्रमाणन पाठ्यक्रम और विश्वविद्यालयों एवं तकनीकी फर्मों के बीच साझेदारी को प्रोत्साहित किया जा रहा है।
- विशेषज्ञों के अनुसार, मौजूदा प्रतिभाओं को फिर से प्रशिक्षित करना और उनके कौशल में वृद्धि ज़रूरी है क्योंकि पारंपरिक भर्ती दृष्टिकोण ए.आई. पेशेवरों की मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं हो सकते हैं।

अर्थव्यवस्था की स्थिति : RBI रिपोर्ट

संदर्भ

भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) के द्वारा मार्च बुलेटिन में 'अर्थव्यवस्था की स्थिति' (State of the Economy) नामक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई।

रिपोर्ट के प्रमुख निष्कर्ष

वैश्विक सुस्ती की आशंका

- वैश्विक अर्थव्यवस्था एवं वैश्विक वित्तीय बाज़ारों में अस्थिरता बढ़ने के साथ वैश्विक स्तर पर वृद्धि में सुस्ती को लेकर आशंकाएँ बढ़ी हैं।
- अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद से टैरिफ वार के कारण व्यापारिक तनाव में बढ़ोतरी से वैश्विक वृद्धि पर प्रभाव पड़ सकता है जिससे महँगाई बढ़ सकती है।

भारत की मज़बूत आर्थिक स्थिति

- वित्त वर्ष 2023-24 की संशोधित वास्तविक जी.डी.पी. विकास दर 9.2% रही है जो कि विगत एक दशक (कोविड-19 के बाद के वर्ष को छोड़कर) में सबसे तेज़ विकास दर है।
- भारतीय अर्थव्यवस्था कृषि क्षेत्र के बेहतर प्रदर्शन और उपभोग में सुधार के रूप में अपनी मज़बूत क्षमता का प्रदर्शन कर रही है।
- फरवरी 2025 में खाद्य कीमतों में कमी से कोर मुद्रास्फीति के सात माह के निचले स्तर 3.6% पर आने से भारत की व्यापक आर्थिक स्थिति मज़बूत हुई है।

निजी उपभोग एवं व्यय में वृद्धि

भारत में निजी उपभोग व्यय में वृद्धि हो रही है जो मज़बूत उपभोक्ता विश्वास एवं निरंतर मांग का संकेत है। हाल के महीनों में सरकारी व्यय में अच्छी वृद्धि हुई है जिससे विकास को अधिक बढ़ावा मिला है।

विभिन्न क्षेत्रों में वृद्धि

- भारतीय विनिर्माण क्षेत्र में फरवरी 2025 में क्रय गतिविधि एवं रोज़गार में वृद्धि देखी गई है। सेवा क्षेत्र ने नए व्यवसायों एवं रोज़गार में मज़बूत विस्तार दर्ज किया।

- खरीफ सीज़न वर्ष 2024-25 में खाद्यान्न एवं तिलहन के उत्पादन अनुमानों में वृद्धि देखी गई है और रबी फसलों के खाद्यान्न में 2.8% की वृद्धि दर्ज की गई है। इसका मुख्य कारण जलाशय का अच्छा स्तर एवं सामान्य से अधिक वर्षा है।

विदेशी निवेश एवं धन प्रेषण

- विकसित अर्थव्यवस्थाओं में रहने वाले प्रवासी भारतीयों ने देश में पैसे भेजने के मामले में खाड़ी देशों को पीछे छोड़ दिया है।
- वर्ष 2025 में जनवरी से मार्च माह के मध्य विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (FPI) ने भारतीय शेयर बाज़ार से लगभग 16.5 अरब डॉलर से अधिक की निकासी की है।
- वित्त वर्ष 2024-25 के शुरुआती 10 महीने (अप्रैल 2024 से जनवरी 2025) में भारत में शुद्ध प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) घटकर 1.4 अरब डॉलर रह गया है जो एक वर्ष पूर्व 11.5 अरब डॉलर था।

उपभोक्ता ऋण में वृद्धि

संदर्भ

भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट (Financial Stability Report: FSR), 2024 जारी की है।

रिपोर्ट के प्रमुख निष्कर्ष

उपभोक्ता ऋण में वृद्धि

- आर.बी.आई. की हालिया रिपोर्ट के अनुसार, घरेलू ऋण के स्टॉक में क्रमिक वृद्धि देखी गई है।
  - यह जून 2021 में सकल घरेलू उत्पाद (GDP) के 36.6% से बढ़कर मार्च 2024 में 41% तथा जून 2024 में बढ़कर 42.9% हो गया है।
- पाँच लाख से कम आय वाले परिवारों ने बड़े पैमाने पर उपभोग के उद्देश्य से क्रेडिट कार्ड ऋण जैसे असुरक्षित ऋण लिए हैं।
- यद्यपि भारत में घरेलू ऋण अधिकांश उभरती बाज़ार अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में कम है लेकिन घरेलू ऋण से जी.डी.पी. अनुपात में वृद्धि चिंता का विषय है।

परिसंपत्ति निर्माण में गिरावट

- ऋण मुख्यत: परिसंपत्तियों की होल्डिंग बढ़ाने के लिए लिया जाता है।
  - हालाँकि, घरेलू परिसंपत्तियों का स्टॉक जून 2021 में जी.डी.पी. के 110.4% से गिरकर मार्च 2024 तक 108.3% हो गया है।
- परिसंपत्तियों में कमी और ऋण में वृद्धि से संकेत मिलता है कि ऋण का अधिकांश हिस्सा उपभोग के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है।
- उपभोग के उद्देश्य से बड़ी मात्रा में ऋण चिंता का कारण है जो अर्थव्यवस्था की व्यापक आर्थिक कमज़ोरी का संकेतक हो सकता है।

उधारकर्ताओं की संख्या एवं श्रेणी में परिवर्तन

- आर.बी.आई. के डाटा के अनुसार, बढ़ती उधारी का कारण बढ़ती ऋणग्रस्तता के बजाय उधारकर्ताओं की संख्या में वृद्धि है।
- सब-प्राइम उधारकर्ताओं का अनुपात घट रहा है, जबकि लगभग दो-तिहाई ऋण प्राइम उधारकर्ताओं एवं प्राइम क्रेडिट गुणवत्ता से ऊपर के लोगों का है।
- प्रति व्यक्ति ऋण राशि में वृद्धि केवल सुपर-प्राइम उधारकर्ताओं में देखी गई है जो दर्शाता है कि केवल उच्च-रेटेड उधारकर्ता ही वृहद् स्तरीय ऋण ले रहे हैं।
  - जिसका उपयोग मुख्य रूप से परिसंपत्ति निर्माण के लिए किया जा रहा है।
- कोविड-19 महामारी के बाद से व्यक्तिगत उपभोक्ताओं द्वारा उधार लेना ऋण वृद्धि का एक महत्त्वपूर्ण स्रोत रहा है।
  - हालाँकि, आर.बी.आई. ने इस वृद्धि को रोकने के लिए उपाय किए हैं जिससे सितंबर 2023 से ऋण की वृद्धि में मंदी आई।
- इस कारण स्वस्थ उधारकर्ताओं की ओर रुख किया गया है जो योग्य उधारकर्ताओं द्वारा परिसंपत्ति सृजन पर केंद्रित स्वस्थ ऋण वृद्धि को दर्शाता है।

आय गुणक पर प्रभाव

- घरेलू ऋण में वृद्धि आय गुणक की शक्ति में कमी का संकेत देती है।
  - आय गुणक, निवेश में की गई वृद्धि से उत्पादन में होने वाली वृद्धि की मात्रा को दर्शाता है।
- निम्न आय वाले परिवारों के लिए आय गुणक अधिक होता है क्योंकि उनकी आय का एक बड़ा हिस्सा उपभोग पर व्यय हो जाता है।
  - इसके विपरीत उच्च आय वाले परिवारों का आय गुणक निम्न होता है क्योंकि उनकी अधिकांश तात्कालिक आवश्यकताएँ पूरी हो जाती हैं और उनकी आय के एक बड़े हिस्से की बचत होती है।

वित्तीय क्षेत्र स्थिरता मूल्यांकन

संदर्भ

अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) ने 'भारत : वित्तीय क्षेत्र स्थिरता मूल्यांकन' संबंधी अध्ययन पत्र जारी किया है।

वित्तीय क्षेत्र स्थिरता मूल्यांकन के बारे में

- आई.एम.एफ. द्वारा वर्ष 2024 के दौरान किए गए आकलन के आधार पर यह अध्ययन-पत्र जारी किया गया है। हालिया रिपोर्ट वित्तीय क्षेत्र आकलन कार्यक्रम (FSAP) का हिस्सा है।

- वित्तीय क्षेत्र आकलन कार्यक्रम (FSAP) किसी देश के वित्तीय क्षेत्र का गहन विश्लेषण प्रदान करती है जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) एवं विश्व बैंक (WB) के बीच एक संयुक्त पहल है।

अध्ययन-पत्र के प्रमुख निष्कर्ष

अध्ययन-पत्र के अनुसार, वर्ष 2017 में किए गए पिछले मूल्यांकन के बाद से भारत की वित्तीय प्रणाली अधिक लचीली एवं विविधतापूर्ण बन गई है तथा वर्ष 2010 के दशक के संकटपूर्ण प्रकरणों से उबरते हुए इसने महामारी के दौरान भी लचीलापन दिखाया है। नवीनतम भारत वित्तीय क्षेत्र स्थिरता आकलन रिपोर्ट वित्तीय प्रणाली में सकारात्मक विकास पर प्रकाश डालती है।

बैंकिंग एवं गैर-बैंकिंग वित्तीय क्षेत्र

- रिपोर्ट के अनुसार, बैंक व एन.बी.एफ.सी. गंभीर मैक्रो-वित्तीय परिदृश्यों में भी मध्यम ऋण देने के लिए पर्याप्त पूंजीकृत हैं।
  - हालाँकि, कुछ सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (PSBs) को चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में ऋण जारी रखने के लिए अपने पूंजी आधार को मज़बूत करने की आवश्यकता हो सकती है।
- प्राथमिक ऋण देने वाले क्षेत्र प्राय: मैक्रो-वित्तीय आघातों के प्रति लचीले हैं, हालाँकि कुछ क्षेत्रों में अभी भी कमज़ोरी दिखाई देती है।
- रिपोर्ट में कुछ गैर-प्रणालीगत एन.बी.एफ.सी. और शहरी सहकारी बैंकों (UCBs) में कमज़ोरियों का भी उल्लेख किया गया है जिनमें आधारभूत स्थितियों के तहत ऋणात्मक या न्यूनतम से कम पूंजी स्तर है। विनियमन एवं पर्यवेक्षण के संदर्भ में एन.बी. एफ.सी. के लिए विवेकपूर्ण आवश्यकताओं तथा बड़ी एन.बी. एफ.सी. के लिए बैंक की तरह ही तरलता कवरेज अनुपात (LCR) की शुरुआत की प्रशंसा की गई है।

प्रतिभूति बाज़ार

- रिपोर्ट में प्रतिभूति बाज़ारों के लिए भारत के नियामक ढाँचे में उल्लेखनीय सुधारों पर प्रकाश डाला गया है और इसे अंतर्राष्ट्रीय प्रथाओं के साथ संरेखित किया गया है।
- कॉर्पोरेट ऋण बाज़ार विकास निधि (CDMDF) की स्थापना जैसी प्रमुख पहलों को बाज़ार स्थिरता बढ़ाने के लिए स्वीकार किया गया है।

बीमा क्षेत्र

रिपोर्ट में भारत के बीमा क्षेत्र को भी मज़बूत एवं वृद्धिशील के रूप में मान्यता दी गई है जिसमें जीवन व सामान्य बीमा दोनों शामिल है। इस क्षेत्र की स्थिरता का श्रेय बेहतर विनियमन एवं डिजिटल नवाचारों को दिया जाता है।

साइबर सुरक्षा जोखिम

- साइबर सुरक्षा के संदर्भ में आई.एम.एफ. ने बैंकों, वित्तीय बाज़ार अवसंरचना (FMI), महत्त्वपूर्ण सूचना प्रणालियों और प्रतिभूति बाज़ार में अन्य प्रासंगिक हितधारकों के लिए मौजूद रूपरेखाओं का मूल्यांकन किया।
  - इसमें भारतीय अधिकारियों की साइबर सुरक्षा जोखिम निगरानी में प्रगति का उल्लेख किया गया है।
- इस संदर्भ में बैंकों के लिए लचीलेपन में वृद्धि करने के उद्देश्य से क्रॉस-सेक्टोरल और बाज़ारव्यापी घटनाओं को कवर करने के लिए साइबर सुरक्षा संकट सिमुलेशन व तनाव परीक्षणों के विस्तार की सिफारिश भी की गई है।

सुझाव

- आई.एम.एफ. ने ऋण जोखिम प्रबंधन को मज़बूत करने और व्यक्तिगत ऋणों, संपार्श्विक मूल्यांकन, संबंधित उधारकर्ता समूहों, बड़ी जोखिम सीमाओं और संबंधित-पक्ष लेनदेन पर पर्यवेक्षण को उन्नत करने का सुझाव दिया है।
- परिसंपत्ति-आधारित एवं डिजिटल ऋण के लिए कानूनी, कर व सूचनात्मक अवसंरचनाओं को मज़बूत करके वित्तीय रूप से वंचित क्षेत्रों की ऋण तक पहुँच बढ़ाना।
- उभरते जोखिमों के संदर्भ में साइबर सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन एवं सिस्टम-वाइड संक्रमण पर सावधानीपूर्वक निगरानी की आवश्यकता को रेखांकित किया गया है।
  - जलवायु परिवर्तन से संबंधित वित्तीय जोखिमों के मानचित्रण के लिए बारीकी के साथ बेहतर डाटा कवरेज का सुझाव है।

MSME मानदंडों में संशोधन

सरकार द्वारा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (MSMEs) को वर्गीकृत करने के लिए टर्नओवर व निवेश मानदंडों में अधिसूचित संशोधन 1 अप्रैल, 2025 से प्रभावी हो रहे हैं।

मानदंडों में प्रमुख संशोधन

उद्यम	संयंत्र एवं मशीनरी में निवेश		वार्षिक टर्नओवर	
	पूर्व मानदंड	संशोधित मानदंड	पूर्व मानदंड	संशोधित मानदंड
सूक्ष्म (Micro)	1 करोड़ रुपए	2.5 करोड़ रुपए	5 करोड़ रुपए	10 करोड़ रुपए
लघु (Small)	10 करोड़ रुपए	25 करोड़ रुपए	50 करोड़ रुपए	100 करोड़ रुपए
मध्यम (Medium)	50 करोड़ रुपए	125 करोड़ रुपए	250 करोड़ रुपए	500 करोड़ रुपए

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी

भारत में ए.आई. क्रांति

संदर्भ

इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इंडिया ए.आई. मिशन (IndiaAI Mission) के वर्षगाँठ समारोह के दौरान कई प्रमुख पहलों का शुभारंभ किया जिनका उद्देश्य ए.आई.-संचालित अनुसंधान, नवाचार एवं कौशल विकास को मज़बूत करना है। इस दौरान ए.आई. कोष भी लॉन्च किया गया।

इंडिया ए.आई. मिशन

- इंडिया ए.आई. मिशन केंद्र सरकार द्वारा समर्थित ए.आई. प्रयास है। इस मिशन का परिव्यय ₹10,370 करोड़ है।
- इस मिशन के अंतर्गत ए.आई. को अपनाना सुनिश्चित करने के लिए सात स्पष्ट कार्यक्षेत्र हैं जिनमें मुख्य रूप से शामिल हैं :
  - इंडिया ए.आई. कंप्यूट
  - इंडिया ए.आई. डाटासेट प्लेटफॉर्म
  - इंडिया ए.आई. एप्लीकेशन डेवलपमेंट पहल
  - इंडिया ए.आई. फ्यूचरस्किल्स
  - इंडिया ए.आई. इनोवेशन सेंटर
  - इंडिया ए.आई. स्टार्टअप फाइनेंसिंग
  - सुरक्षित एवं विश्वसनीय ए.आई.

मिशन के तहत प्रमुख पहलें

ए.आई. कोष

- इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने एक ए.आई. डाटा प्लेटफॉर्म 'ए.आई. कोष' लॉन्च किया है। यह गैर-व्यक्तिगत डाटा के लिए एक केंद्र के रूप में कार्य करेगा।
- ए.आई. कोष में उपलब्ध डाटासेट ए.आई. मॉडल एवं टूल विकसित करने में सहायता करेगा।
- प्रारंभिक स्तर पर इस प्लेटफॉर्म में 316 डाटासेट शामिल किया गया है जिनमें से अधिकांश भारतीय भाषाओं के लिए भाषा अनुवाद उपकरण बनाने या मान्य करने में मदद से संबंधित थे।
- इंडिया ए.आई. डाटासेट प्लेटफॉर्म इंडिया ए.आई. मिशन के सात स्तंभों में से एक है।

इंडिया ए.आई. कंप्यूट पोर्टल

- इस मिशन के कंप्यूट क्षमता स्तंभ के तहत स्टार्टअप एवं शिक्षाविद् ए.आई. मॉडल को प्रशिक्षित करने और चलाने के लिए आवश्यक ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट्स (GPU) में संगृहीत डाटा का उपयोग करने में सक्षम होंगे।
  - इसमें स्वास्थ्य डाटा, 2011 की जनगणना के आँकड़े, भारतीय उपग्रहों द्वारा प्राप्त उपग्रह इमेजरी, मौसम एवं प्रदूषण संबंधी डाटा शामिल हैं।

सार्वजनिक क्षेत्र के अधिकारियों के लिए AI योग्यता ढाँचा

- शासन में ए.आई. की महत्त्वपूर्ण भूमिका को पहचानते हुए ए.आई. योग्यता ढाँचा जारी किया गया।
- इसका उद्देश्य सार्वजनिक क्षेत्र के अधिकारियों को ए.आई. योग्यता मानचित्रण एवं कौशल उन्नयन पहल से संबंधित कौशल से लैस करना है।
- यह ढाँचा सूचित ए.आई. नीति-निर्माण एवं कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं के साथ संरेखित है।

iGOT-AI

- यह iGOT कर्मयोगी प्लेटफॉर्म पर सरकारी अधिकारियों के लिए शिक्षण अनुभव को बढ़ाने के उद्देश्य से विकसित एक उन्नत ए.आई.-संचालित व्यक्तिगत सामग्री अनुशंसा प्रणाली है।
- iGOT-AI मिशन कर्मयोगी के तहत अधिकारियों के लिए ए.आई.-संचालित शिक्षण सिफारिशों को एकीकृत करता है।

इंडिया ए.आई. स्टार्टअप्स ग्लोबल एक्सेलेरेशन प्रोग्राम

- इंडिया ए.आई. मिशन दुनिया के सबसे बड़े स्टार्टअप कैंपस स्टेशन F एवं एच.ई.सी. (HEC) पेरिस के सहयोग से भारतीय ए.आई. स्टार्टअप्स के लिए एक एक्सीलरेशन प्रोग्राम शुरू करेगा।
- इसके तहत 10 चयनित ए.आई. स्टार्टअप्स को यूरोप में मेंटरशिप, नेटवर्किंग एवं वैश्विक बाज़ार विस्तार के अवसरों तक पहुँच प्रदान की जाएगी।

इंडिया ए.आई. इनोवेशन चैलेंज

- इंडिया ए.आई. मिशन के तहत इंडिया ए.आई. इनोवेशन चैलेंज शुरू किया है जिसका उद्देश्य महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों में प्रभावशाली ए.आई. समाधानों को बढ़ावा देना है।
- इन समाधानों का उद्देश्य स्वास्थ्य सेवा परिणामों में सुधार करना, सार्वजनिक सेवाओं तक पहुँच बढ़ाना, कृषि उत्पादकता को बढ़ावा देना, सीखने में अक्षमता वाले व्यक्तियों का समर्थन करना और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करना है।

इंडिया ए.आई. फ्यूचरस्किल्स फेलोशिप

- इंडिया ए.आई. फ्यूचरस्किल्स पहल की संकल्पना ए.आई. कार्यक्रमों में प्रवेश के लिए बाधाओं को कम करने के लिए की गई है।

❖ इंडिया ए.आई. द्वारा आई.आई.टी., एन.आई.टी., आई.आई.आई.टी. के साथ ही, अन्य सरकारी एवं निजी शैक्षणिक संस्थानों सहित विभिन्न केंद्रीय वित्तपोषित संस्थानों के स्नातक व परास्नातक छात्रों को इंडिया ए.आई. फेलोशिप वितरित करता है।

इंडिया ए.आई. डाटा लैब की स्थापना

❖ पूरे भारत के टियर 2 एवं टियर 3 शहरों में आधारभूत स्तर के पाठ्यक्रम प्रदान करने के लिए इंडिया ए.आई. डाटा लैब्स की स्थापना की जा रही है।

❖ इन डाटा लैब में डाटा एनोटेटर एवं डाटा क्यूरेटर पाठ्यक्रम की शिक्षा दी जाएगी। ये पाठ्यक्रम मुख्यत: स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, विनिर्माण एवं कृषि जैसे क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करते हैं।
   - डाटा को लेबल एवं वर्गीकृत करने वाला पेशेवर को डाटा एनोटेटर (Data Annotator) कहते हैं।
   - किसी संगठन के डाटा की गुणवत्ता एवं उपयोगिता का प्रबंधन, रखरखाव व संवर्द्धन करने वाला पेशेवर को डाटा क्यूरेटर (Data Curator) कहते हैं।

अन्य पहल

डाटा साझाकरण पर बल

❖ पूर्व में सरकार द्वारा स्थापित ओपन गवर्नेन्स डाटा प्लेटफॉर्म (data.gov.in) वर्तमान में भारत भर में विभिन्न सरकारी एजेंसियों द्वारा प्रदान किए गए 12,000 से अधिक डाटा की मेज़बानी करता है।

❖ सरकार ने विभिन्न मंत्रालयों एवं विभागों में मुख्य डाटा अधिकारी नियुक्त किए हैं जो उन्हें ऐसे डाटासेट प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं जिनका उपयोग शोधकर्ताओं, कंपनियों व सरकार के अन्य हिस्सों द्वारा किया जा सकता है।

गैर-व्यक्तिगत डाटा पहुँच पर समिति का गठन

❖ वर्ष 2018 में सरकार ने नवागंतुकों की मदद करने और स्टार्टअप्स एवं सरकार को गैर-व्यक्तिगत डाटा तक पहुँच प्रदान करने की संभावना का पता लगाने के लिए इंफोसिस के सह-संस्थापक गोपालकृष्णन की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया।
   - हालाँकि समिति की रिपोर्ट के अनुसार, निजी हितधारक अपने डाटा को अन्य पक्षों से साझा करने प्रति अनिच्छुक थे।

ए.आई. कंप्यूट एवं सेमीकंडक्टर अवसंरचना

❖ भारत अपनी वृद्धिशील डिजिटल अर्थव्यवस्था का सहयोग करने के लिए मज़बूत ए.आई. कंप्यूटिंग एवं सेमीकंडक्टर अवसरंचना ढाँचे का निर्माण कर रहा है।

❖ इसके प्रमुख घटकों में शामिल हैं :
   - ए.आई. कंप्यूट अवसंरचना को बढ़ावा देना
   - उच्च-प्रदर्शन कंप्यूटिंग तक खुली पहुँच प्रदान करना
   - जी.पी.यू. आपूर्ति श्रृंखला को मज़बूत करना
   - स्वदेशी जी.पी.यू. क्षमताओं का विकास करना
   - किफायती कंप्यूट प्रणाली तक पहुँच प्रदान करना
   - सेमीकंडक्टर विनिर्माण को मज़बूत करना

उत्कृष्टता केंद्रों की स्थापना

❖ सरकार ने नई दिल्ली में स्वास्थ्य सेवा, कृषि एवं सतत् शहरों पर केंद्रित तीन ए.आई. उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए हैं।

❖ बजट 2025 में 500 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ शिक्षा में ए.आई. के लिए एक नए उत्कृष्टता केंद्र की घोषणा की गई।

ए.आई.-संचालित उद्योगों के लिए कौशल

❖ कौशल विकास के लिए पाँच राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्रों की योजनाएँ बनाई गई हैं जो युवाओं को उद्योग-प्रासंगिक विशेषज्ञता से लैस करेंगे।

❖ ये केंद्र विनिर्माण एवं ए.आई. नवाचार में 'मेक फॉर इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड' दृष्टिकोण पर आधारित होंगे।

भारत के ए.आई. मॉडल एवं भाषा प्रौद्योगिकियों का विकास

सरकार भारत अपने आधारभूत मॉडलों के विकास में सहायता कर रही है जिसमें लॉर्ज लैंग्वेज मॉडल (Large Language Model: LLM) और भारतीय आवश्यकताओं के अनुरूप समस्या-विशिष्ट ए.आई. समाधान शामिल हैं। इनके विवरण निम्न हैं :

❖ **भारत के आधारभूत लार्ज लैंग्वेज मॉडल :** इंडिया ए.आई. ने प्रस्ताव आमंत्रित करके एल.एल.एम. और स्मॉल लैंग्वेज मॉडल (Small Language Model: SLM) सहित स्वदेशी आधारभूत ए.आई. मॉडल विकसित करने की पहल शुरू की है।

❖ **डिजिटल इंडिया भाषिणी :** यह ए.आई.-आधारित भाषा अनुवाद प्लेटफॉर्म है जिसे भारतीय भाषाओं में इंटरनेट एवं डिजिटल सेवाओं तक आसान पहुँच को सक्षम करने के लिए निर्मित किया गया है। यह भारतीय भाषाओं में कॉन्टेंट निर्माण में सहयोग करता है।

❖ **भारतजेन :** विश्व की पहली सरकारी वित्तपोषित मल्टीमॉडल एल.एल.एम. पहल 'भारतजेन' को वर्ष 2024 में शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य भाषा, भाषण एवं कंप्यूटर विज्ञन में आधारभूत मॉडल के माध्यम से सार्वजनिक सेवा वितरण व नागरिक संपर्क को बढ़ाना है।

❖ **सर्वम-1 ए.आई. मॉडल :** यह भारतीय भाषाओं के लिए अनुकूलित एल.एल.एम. मॉडल है। सर्वम-1 में 2 बिलियन

पैरामीटर हैं और यह दस प्रमुख भारतीय भाषाओं का समर्थन करता है। इसे भाषा अनुवाद, पाठ सारांश एवं कॉन्टेंट निर्माण जैसे अनुप्रयोगों के लिए निर्मित किया गया है।

- **चित्रलेखा :** 'ए.आई.4 भारत' द्वारा विकसित यह एक ओपन-सोर्स वीडियो ट्रान्सक्रिएशन प्लेटफॉर्म है। यह चित्रलेखा उपयोगकर्ताओं को विभिन्न भारतीय भाषाओं में ऑडियो ट्रान्सक्रिप्ट बनाने और संपादित करने में सक्षम बनाता है।
- **हनुमान एवरेस्ट 1.0 :** यह एस.एम.एल. द्वारा विकसित एक बहुभाषी ए.आई. प्रणाली है जो वर्तमान में 35 भारतीय भाषाओं में कार्य करता है। इसे 90 भाषाओं तक विस्तारित करने की योजना है।

आगे की राह

- रणनीतिक सरकारी पहलों के आधार पर कृत्रिम बुद्धिमत्ता में भारत की तीव्र प्रगति ने देश को वैश्विक ए.आई. शक्ति केंद्र के रूप में स्थापित किया है।
- ए.आई. कंप्यूट अवसंरचना का विस्तार करके, स्वदेशी ए.आई. मॉडल को प्रोत्साहन देकर, डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना ढाँचे को बढ़ाकर और प्रतिभा विकास में निवेश करके भारत एक समावेशी एवं नवाचार-संचालित इकोसिस्टम निर्मित कर रहा है।
- ए.आई. के प्रति भारत का सक्रिय दृष्टिकोण इसकी डिजिटल अर्थव्यवस्था को मज़बूत करने के साथ ही, महत्त्वपूर्ण तकनीकों में आत्मनिर्भरता का मार्ग भी प्रशस्त कर रहा है।
- आने वाले वर्षों में भारत, वैश्विक ए.आई. परिदृश्य को स्वरूप देते हुए ए.आई. नवाचार में प्रमुख भूमिका निभाने के लिए तैयार है।

अंतरिक्ष यात्रा के स्वास्थ्य संबंधी खतरें

संदर्भ

स्पेसएक्स क्रू-9 मिशन द्वारा 18 मार्च, 2025 को 9 माह की अंतरिक्ष यात्रा के बाद अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (ISS) से बुच विल्मोर, सुनीता विलियम्स सहित चार अंतरिक्ष यात्रियों को पृथ्वी पर वापस लाया गया।

अंतरिक्ष यात्रा के दौरान स्वास्थ्य की स्थिति

- अंतरिक्ष यात्रा के दौरान अंतरिक्ष यात्री लंबे समय तक माइक्रोग्रैविटी, विकिरण एवं अलगाव में रहने के कारण महत्त्वपूर्ण शारीरिक परिवर्तनों का अनुभव करते हैं।
- माँसपेशियों, हड्डियों एवं मानसिक स्वास्थ्य पर भी इसका गंभीर प्रभाव होता है। अंतरिक्ष यात्रा से संबंधित प्रमुख स्वास्थय खतरें निम्नलिखित हैं-

माइक्रोग्रैविटी में माँसपेशियों एवं अस्थियों की क्षति

- माइक्रोग्रैविटी में शरीर की माँसपेशियाँ (विशेष तौर पर पीठ के निचले हिस्से, पैर एवं कोर की माँसपेशियाँ) अपनी क्षमता खो देती हैं क्योंकि उनका उपयोग शरीर के वज़न को सहारा देने के लिए नहीं किया जा रहा होता है।
- इसी तरह, विशेष तौर पर रीढ़, कूल्हों एवं पैरों की अस्थियों में खनिज की कमी होने के कारण फ्रैक्चर का जोखिम बढ़ जाता है।
- पृथ्वी पर लौटने पर अंतरिक्ष यात्रियों को खड़े होने, चलने एवं संतुलन बनाने में कठिनाई हो सकती है क्योंकि उनकी अस्थि कंकाल प्रणाली (Musculoskeletal Systems) गुरुत्वाकर्षण के अनुसार समायोजित होते हैं।

मानसिक स्वास्थ्य और एकाकीपन से निपटना

- लंबे समय तक अकेले रहने और अनिश्चितता के कारण तनाव, चिंता और यहाँ तक कि अवसाद भी हो सकता है।
- मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए अंतरिक्ष एजेंसियाँ संरचित दिनचर्या, परिवार एवं मनोवैज्ञानिकों के साथ निर्धारित संचार व फिल्में, संगीत तथा अध्ययन जैसी मनोरंजक गतिविधियों का प्रयोग करती हैं।

ब्रह्मांडीय विकिरण का प्रभाव

लंबे समय तक ब्रह्मांडीय विकिरण के संपर्क में रहने से प्रतिरक्षा प्रणाली कमज़ोर हो जाती है। इससे अंतरिक्ष यात्रियों को संक्रमण का खतरा अधिक होता है और घाव भरने की प्रक्रिया भी धीमी होती है। इससे हृदय संबंधी बीमारियों और कुछ प्रकार के कैंसर का खतरा भी बढ़ जाता है।

स्वास्थ्य संबंधी अन्य चिंताएँ

- **त्वचा में परिवर्तन :** अंतरिक्षयात्रियों के पैरों के तलवों पर त्वचा का मोटा हिस्सा खत्म हो जाता है जिससे वे शिशुओं के पैरों के समान मुलायम हो जाते हैं।
- **गुरुत्वाकर्षण व्याधि (Gravity Sickness) :** पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के साथ पुन: तालमेल बिठाने में समस्या होती है जिससे खड़े होने, नज़र स्थिर रखने एवं चलने में परेशानी होती है।
  - वेस्टिबुलर डिसफंक्शन (Vestibular Dysfunction) शरीर के संतुलन को प्रभावित करता है।
- **ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन :** गुरुत्वाकर्षण में बदलाव के कारण हृदय से सिर तक रक्त पहुँचने में कठिनाई के कारण शरीर के ऊपरी हिस्सों में अन्य शारीरिक तरल पदार्थ एकत्रित हो जाते हैं, जिससे वे सूजनयुक्त दिखाई देते हैं।

- **अस्थियों का घनत्व कम होना :** अंतरिक्ष में हर महीने, अगर अंतरिक्ष यात्री व्यायाम नहीं करते हैं, तो उनकी वज़न सहन करने वाली अस्थियों के घनत्व में लगभग 1% कमी हो जाती हैं।
- **दृष्टि संबंधी समस्या :** स्पेसफ्लाइट-एसोसिएटेड न्यूरो-ओकुलर सिंड्रोम (SANS) स्थायी दृष्टि समस्याओं का कारण बन सकता है।

अंतरिक्ष यात्रियों का पुनर्वास

- अंतरिक्ष एजेंसियाँ मिशन के बाद उनके प्रतिरक्षा स्वास्थ्य की निगरानी करती हैं और जीवनशैली में बदलाव की सलाह देती हैं।
- अंतरिक्ष यात्रियों को तनाव को प्रबंधित करने के लिए लचीलापन-निर्माण तकनीकों में प्रशिक्षित किया जाता है।
- एक बार पृथ्वी पर वापस आने के बाद वे सामान्य जीवन में आसानी से फिर से एकीकृत होने के लिए प्राय: मनोवैज्ञानिक उपचार एवं परामर्श से गुज़रते हैं।
  - हालाँकि, पुनर्वास के साथ अधिकांश प्रभाव समाप्त हो जाते हैं किंतु, अस्थियों के नुकसान एवं विकिरण जोखिम जैसे दीर्घकालिक खतरों के लिए निरंतर चिकित्सा निगरानी की आवश्यकता होती है।

स्टारलिंक : लाभ, उपयोगिता एवं चुनौतियाँ

संदर्भ

भारती एयरटेल एवं रिलायंस जियो ने भारत में सैटेलाइट इंटरनेट एक्सेस के लिए स्पेसएक्स कॉर्प की स्टारलिंक सेवा के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं।

स्टारलिंक के बारे में

- स्टारलिंक 7,000 से अधिक निम्न भू-कक्षीय (Low Earth Orbit : LEO) उपग्रहों का एक समूह है जो ग्राउंड टर्मिनल वाले उपयोगकर्ताओं को इंटरनेट एक्सेस प्रदान करता है।
  - उपग्रहों का यह नेटवर्क एल.ई.ओ. में पृथ्वी की सतह से 550 किमी. ऊपर संचालित होता है।
  - इसके विपरीत पारंपरिक रूप से इंटरनेट की सुविधा प्रदान करने वाले उपग्रह पृथ्वी की सतह से लगभग 35,000 किमी. की ऊँचाई पर स्थित होते हैं।
- एलन मस्क के स्वामित्व वाली स्पेसएक्स वर्तमान में लगभग 40 देशों में अपनी सेवाएँ दे रही है। इसका पहला स्टारलिंक मिशन 24 मई, 2019 को लॉन्च किया गया था, जिसमें 60 उपग्रह शामिल थे।
- प्रत्येक उपग्रह का वज़न लगभग 260 किग्रा. है।
  - यह फोर-फेज़्ड ऐरे एंटीना (Four-Phased Array Antennas), एकल सौर ऐरे (Single Solar Array), आयन प्रणोदन प्रणाली (Ion Propulsion System), नेविगेशन सेंसर और मलबा ट्रैकिंग प्रणाली से सुसज्जित है।

स्टारलिंक की कार्यप्रणाली

- जब किसी इंटरनेट सिग्नल को पृथ्वी से भेजा जाता है, तो स्टारलिंक समूह में से एक उपग्रह इसे रिसीव करके नेटवर्क में शामिल अन्य उपग्रहों के साथ साझा करता है।
- इसके बाद सिग्नल जब सबसे आदर्श उपग्रह तक पहुँच जाता है, तो इसे एक ग्राउंड रिसीवर तक रिले कर दिया जाता है।
- स्टारलिंक उपग्रह लेज़र प्रकाश का उपयोग करते हुए एक-दूसरे से संचार करते हैं।
- फोर-फेज़्ड ऐरे एंटीना से उपग्रह कम समय में ही बड़ी मात्रा में डाटा का स्थानांतरण कर सकते हैं, जबकि इन-बिल्ट नेविगेशन सेंसर सटीक इंटरनेट डाटा ट्रान्सफर के लिए उपग्रहों को ऊँचाई की जानकारी प्रदान करते हैं।
- आयन प्रणोदक, उपग्रहों को कक्षा में ले जाने, संचालित करने और उसके जीवन काल की समाप्ति पर डी-ऑर्बिट करने में मदद करते हैं।

स्टारलिंक के लाभ

- **संपूर्ण पृथ्वी कवरेज :** अंतरिक्ष में स्थित उपग्रह लगातार पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं और व्यावहारिक रूप से पृथ्वी की संपूर्ण सतह को कवर करते हैं।
- **तीव्र गति :** स्टारलिंक उपग्रह की कक्षा, एल.ई.ओ. में स्थित होने के कारण वे सतह पर स्थित रिसीवर के बहुत निकट होते हैं जो डाटा ट्रान्सफर प्रक्रिया के समय को काफी कम कर देता है।
  - यह सेवा लगभग 100 मेगाबिट प्रति सेकंड की गति प्रदान करती है जो कई घरेलू ब्रॉडबैंड कनेक्शनों के बराबर है।
  - हालाँकि, इसकी लेटेंसी (Latency) वायर्ड ब्रॉडबैंड कनेक्शनों की तुलना में अधिक है।
  - किसी दिए गए डाटा पैकेट को उपयोगकर्ता एवं स्थलीय इंटरनेट नेटवर्क के बीच यात्रा करने में लगने वाले समय को लेटेंसी कहते हैं।

भारत में उपयोगिता

- भारत में 5G कनेक्टिविटी या वायर्ड ब्रॉडबैंड की अच्छी कवरेज वाले शहरों और कस्बों के विपरीत स्टारलिंक उन ग्रामीण एवं दूरदराज़ के इलाकों में स्टारलिंक अच्छी कनेक्टिविटी प्रदान कर सकता है जहाँ स्थलीय नेटवर्क की पहुँच अच्छी नहीं है।
- स्टारलिंक द्वारा भारत में लद्दाख, राजस्थान से लेकर उत्तर-पूर्व के दुर्गम क्षेत्रों में आदिवासी समुदायों को इंटरनेट एवं संचार की सुविधाएँ प्रदान की जाएंगी।

भारत में स्टारलिंक के समक्ष चुनौतियाँ

- **विनियामकीय चुनौती :** स्टारलिंक को कई विनियामक बाधाओं का सामना करना पड़ा है। इनमें से सबसे बड़ी बाधा भारत सरकार द्वारा सामान्य रूप से इंटरनेट सेवाओं और विशेष रूप से देश में कहीं भी पहुँच प्रदान करने वाली तकनीक की गहन जाँच है।
  - स्पेसएक्स को दूरसंचार अधिनियम, 2023 के तहत ग्लोबल मोबाइल पर्सनल कम्युनिकेशंस बाय सैटेलाइट (GMPCS) अनुमति प्राप्त करने की आवश्यकता है।
- **सुरक्षा चिंता :** कंपनी को गृह मंत्रालय से भी सुरक्षा मंजूरी प्राप्त करने की आवश्यकता है। यह स्पष्ट नहीं है कि ऐसी मंजूरी प्राप्त हुई है या नहीं।
- **ग्राउंड नेटवर्क की कमी :** यह भी अनिश्चित है कि क्या भारत में कंपनी के ग्राउंड स्टेशन बनाए जाएंगे या नहीं।
  - यह स्टेशन दूरसंचार अधिनियम के तहत कानून प्रवर्तन अधिकारियों को नेटवर्क तक पहुँच प्रदान करने के लिए साइट पर स्थापित उपकरणों की टैपिंग के लिए आवश्यक होते हैं।

स्पेक्ट्रम नीलामी का मुद्दा

- स्टारलिंक को वायरलेस स्पेक्ट्रम भी आवंटित किया जाना चाहिए जिसके माध्यम से वह अपनी सेवाएँ दे सके।
- टेलीकॉम कंपनियों ने इस वर्ष स्टारलिंक के साथ गठजोड़ करने से पहले मांग की थी कि इस स्पेक्ट्रम की नीलामी की जाए।
- स्टारलिंक द्वारा वैश्विक प्रथाओं के अनुरूप नीलामी के स्थान पर यह मांग की गई थी कि सरकार सभी कंपनियों के लिए आवंटन की नीति का पालन करे।
- इसके बाद सरकार ने नीलामी के स्थान पर प्रशासनिक आवंटन की नीति अपनाने का निर्णय लिया।
  - भारतीय टेलीकॉम कंपनियों का मत है कि नीलामी ही सैटेलाइट स्पेक्ट्रम का एकमात्र आधार है क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय के वर्ष 2012 के फैसले के अनुसार, दुर्लभ प्राकृतिक संसाधनों को आवंटित करने का एकमात्र तरीका नीलामी होना चाहिए।

ऑनलाइन सामग्री को ब्लॉक करने संबंधी मुद्दे

संदर्भ

सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सामग्री अपलोड करने वाले उपयोगकर्ताओं को पूर्व सूचना या निष्पक्ष सुनवाई के बिना ब्लॉक करने के उनके अधिकारों पर जवाब माँगा है।

हालिया वाद

- न्यायमूर्ति बी.आर. गवई की अध्यक्षता वाली पीठ ने सॉफ्टवेयर फ्रीडम लॉ सेंटर द्वारा दायर एक रिट याचिका पर केंद्र सरकार तथा इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना मंत्रालय को नोटिस जारी किया।
- इस याचिका में सूचना प्रौद्योगिकी (जनता द्वारा सूचना तक पहुँच को अवरुद्ध करने की प्रक्रिया एवं सुरक्षा उपाय) नियम, 2009 के प्रावधानों को चुनौती दी गई है।
- याचिकाकर्ता के अनुसार, नियम 9 का उपयोगकर्ता सामग्री को ब्लॉक करने के लिए आपातकालीन प्रावधान के रूप में मनमाने ढंग से इस्तेमाल किया जाता है।
  - पूर्व सूचना, तर्कपूर्ण आदेश, शिकायतों के समाधान करने की प्रक्रिया, यहाँ तक कि सुनवाई का अवसर न मिलने से ऑनलाइन सामग्री के क्रिएटर को कानूनी सहायता भी नहीं मिल पाती है।
- याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि नोटिस दिए जाने एवं निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अभिन्न अंग है।
  - नियम 16 सूचना ब्लॉक करने के अनुरोधों, शिकायतों एवं सूचनाओं को ब्लॉक करने के लिए की गई कार्रवाई के संबंध में सरकार को गोपनीयता की सुविधा प्रदान करता है।
  - ऐसे में याचिकाकर्ता द्वारा नियम 16 को असंवैधानिक करार घोषित करते हुए इसे रद्द करने की मांग की गई है।

सूचना प्रौद्योगिकी (जनता द्वारा सूचना तक पहुँच को अवरुद्ध करने की प्रक्रिया एवं सुरक्षा उपाय) नियम, 2009

- सूचना प्रौद्योगिकी के नियम 8 व 9 सरकार के लिए ऑनलाइन सामग्री के मूल क्रिएटर को प्रस्तावित कार्रवाई के बारे में सूचित करना वैकल्पिक बनाते हैं।
  - वास्तव में नियम 9 सरकार को ऑनलाइन सामग्री के क्रिएटर को बिना सूचना दिए आपातकालीन प्रकृति के मामलों में सामग्री को ब्लॉक करने की अनुमति देता है।
- नियम 8 एवं 9 नामित व्यक्ति को प्रस्तावित अवरोध कार्रवाई की सूचना संबंधित मध्यस्थ या मूल क्रिएटर को जारी करने का अधिकार देती है। ऐसे में नोटिस वस्तुत: मध्यस्थ को ही जाता है।
  - ऐसे में नियम 8 व 9 में उल्लेखित 'या' शब्द को 'और' शब्द से प्रतिस्थापित किया जाना चाहिए, ताकि क्रिएटर एवं मध्यस्थ दोनों को सामग्री को ब्लॉक किए जाने संबंधी नोटिस मिल सके।
- ब्लॉक करने की कार्रवाई के संबंध में मध्यस्थ को अधिसूचित किया जाता है किंतु, उसके पास मूल क्रिएटर का प्रतिनिधित्व करने या उनकी ओर से बचाव करने का कोई दायित्व नहीं है।
  - ऐसे में मध्यस्थ को पूर्व सूचना देने से सामग्री क्रिएटर के अधिकारों की रक्षा नहीं होती है।

- ऑनलाइन मध्यस्थों को सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 79 (एक मध्यस्थ किसी तीसरे पक्ष की जानकारी के लिए उत्तरदायी नहीं होगा) के तहत संरक्षित किया जाता है।

वित्तीय धोखाधड़ी में जेनरेटिव ए.आई. का दुरुपयोग

संदर्भ

अमेरिका के फेडरल ब्यूरो ऑफ इंवेस्टिगेशन (FBI) ने साइबर अपराधियों द्वारा बड़े पैमाने पर वित्तीय धोखाधड़ी के लिए जेनरेटिव ए.आई. (AI) के दुरुपयोग के संबंध में चेतावनी जारी की है।

जेनरेटिव ए.आई. का दुरुपयोग

- वर्तमान में वेब पर कई तरह के गैर-विनियमित या अवैध जेनरेटिव ए.आई. उपकरण उपलब्ध हैं।
- साइबर अपराधी जेनरेटिव ए.आई.-संचालित शब्द, चित्र, वीडियो एवं ऑडियो का दुरुपयोग करके ऐसे पीड़ितों को फंसाते हैं, जिनके पास तकनीकी दक्षता या समय की कमी होती है।
- अपराधी केवल टेक्स्ट जेनरेटर का उपयोग करके व्याकरणिक रूप से सही संदेश तैयार कर सकते हैं जो पीड़ितों को उनकी मूल भाषाओं में धमकाते हैं या धोखा देते हैं।
- पीड़ितों की विश्वसनीय डीपफेक बनाने के लिए ए.आई. छवियों का उपयोग करके उनके परिजनों को धोखा दिया जा सकता है।
  - एफ.बी.आई. की हालिया चेतावनी के अनुसार, साइबर अपराधी जेनरेटिव ए.आई. का दुरुपयोग कर महत्त्वपूर्ण दस्तावेज़ों की झूठी तस्वीरें, जबरन वसूली के लिए यौन रूप से स्पष्ट छवियाँ, फर्ज़ी सोशल मीडिया या डेटिंग ऐप प्रोफाइल बना सकते हैं।
- साइबर अपराधी वास्तविक लोगों की नकली रिकॉर्डिंग बनाने के लिए जेनरेटिव ए.आई. ऑडियो टूल में वॉयस क्लोनिंग तकनीक का उपयोग कर सकते हैं।
  - इन रिकॉर्डिंग को वॉयस मैसेज या यहाँ तक कि नकली टेलीफोन कॉल के रूप में प्रयोग किया जा सकता है, ताकि उनके परिजनों को पैसे ट्रान्सफर करने के लिए मजबूर किया जा सके।

ए.आई.-जनित वित्तीय धोखाधड़ी के कुछ चेतावनी संकेत

- पैसे के लिए अप्रत्याशित अनुरोधों से सावधान रहना
  - उपहार कार्ड भुनाने, पुरस्कार राशि का दावा करने, जुर्माना भरने, ऋण चुकाने, सीमा शुल्क अधिकारियों को भुगतान करने या ज़मानत देने सहित विभिन्न वित्तीय गतिविधियों के लिए अचानक किए जाने वाले अनुरोधों से सावधान रहें।
- अपरिचित उपयोगकर्ताओं से संदेश या मीडिया फाइलें प्राप्त करते समय अतिरिक्त सावधानी बरतना।
- 'डिजिटल गिरफ्तारी' जैसे वीडियो घोटाले किसी पीड़ित को लक्षित करते हैं तो कॉलर अनुपालन के लिए आक्रामक या डराने वाली रणनीति का सहारा लेते हैं।
  - ऐसे घोटालों के झांसे में आने से बचने के लिए किसी भी वित्तीय जानकारी को साझा करने या असुरक्षित चैनलों के माध्यम से पैसे ट्रान्सफर करने से बचना महत्त्वपूर्ण है।

सुझाव

- स्वयं एवं अपने परिवार को ए.आई.-जेनरेटेड वित्तीय धोखाधड़ी से बचाने का एक तरीका विशिष्ट पारिवारिक पासवर्ड का उपयोग करना है जो केवल व्यक्ति को और उसके निकटतम परिवार के सदस्यों को ही पता हो।
  - यदि व्यक्ति को अपने परिजनों से बड़ी रकम मांगने वाला फोन आता है तो उनसे पारिवारिक पासवर्ड पूछें, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि उनकी आवाज़ किसी अजनबी द्वारा क्लोन नहीं की गई है।
- अपने विभिन्न सोशल मीडिया व बैंक खाते के लिए एक मज़बूत पासवर्ड बनाने के साथ ही नियमित रूप से अपडेट करते रहें।
- परिजनों के व्यक्तिगत फोटो एवं ऑडियो के दुरुपयोग को रोकने के लिए उनके सोशल मीडिया अकाउंट को लॉक करें और निजी मोड पर सेट करें।
- बच्चों को ऑनलाइन सुरक्षा के बारे में शिक्षित करें और उन्हें वास्तविक एवं ए.आई.-जेनरेटेड सामग्री के बीच अंतर करने में मदद करें।

पावर हेड टेस्ट आर्टिकल परीक्षण

संदर्भ

भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) ने भविष्य में 'भारी' अंतरिक्ष प्रक्षेपणों के लिए आवश्यक सेमी-क्रायोजेनिक इंजन (SE2000) पर सफलतापूर्वक परीक्षण किया। यह क्रायोजेनिक चरण को अंतिम रूप देने की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण कदम है, जहाँ प्रक्षेपण वाहनों के बूस्टर चरणों (Booster Stages) को शक्ति (ऊर्जा) प्रदान करने की प्रक्रिया को क्रियान्वित किया गया।

परीक्षण के बारे में

- वैज्ञानिक रूप से इस परीक्षण को 'पावर हेड टेस्ट आर्टिकल (PHTA)' के नाम से जाना जाता है। यह सेमी-क्रायो इंजन के विकास के लिए पूर्ववर्ती हार्डवेयर परीक्षण है।
- पी.एच.टी.ए. परीक्षण इंजन के कुछ महत्त्वपूर्ण उप-प्रणालियों, जैसे- गैस जेनरेटर, टर्बो पंप, प्री-बर्नर एवं कंट्रोल कंपोनेंट्स के एकीकृत प्रदर्शन को मान्य करने के लिए किया जाता है।
- यह परीक्षण तीन मीटर की ऊँचाई में 'थ्रस्ट चैंबर' के बिना ही सफलतापूर्वक कार्यान्वित किया गया।

सेमी-क्रायोजेनिक इंजन

- सेमी-क्रायोजेनिक इंजन एक प्रकार का रॉकेट इंजन है जो तरल एवं गैसीय प्रणोदकों के संयोजन का उपयोग करता है। इन्हें 'सेमी-क्रायोजेनिक' इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये क्रायोजेनिक इंजन की तुलना में अधिक तापमान पर कार्य करते हैं और पारंपरिक तरल रॉकेट इंजन की तुलना में ठंडे होते हैं।
- सेमी-क्रायोजेनिक इंजन में तरल ऑक्सीजन एवं केरोसिन के संयोजन का उपयोग किया जाता है जिसमें तरल ऑक्सीजन का उपयोग ऑक्सीडाइज़र के रूप में किया जाता है।
  - इंजन में प्रयोग किए गए केरोसिन को आसानी से भंडारित किया जा सकता है। यह संयोजन उच्च घनत्व आवेग (क्रायोजेनिक के संबंध में), कम विषाक्तता (भंडारण के संबंध में) और लागत प्रभावशीलता जैसे लाभ प्रदान करता है।
  - विदित है कि क्रायोजेनिक इंजन में तरल ऑक्सीजन एवं तरल हाइड्रोजन का प्रयोग होता है। तरल हाइड्रोजन का रखरखाव चुनौतीपूर्ण है क्योंकि इसे -253 डिग्री सेल्सियस पर भंडारित करना पड़ता है और यह बहुत ज्वलनशील होता है।
- अर्द्ध-क्रायोजेनिक प्रणोदन प्रणाली परियोजना में 2000 किलोन्यूटन (kN) के अर्द्ध-क्रायोजेनिक इंजन और 'SC120 चरण' के डिज़ाइन एवं विकास की परिकल्पना की गई है जो भविष्य की भारतीय अंतरिक्ष परिवहन प्रणालियों के लिए भारी भार उठाने की क्षमता के विकास को सक्षम बनाएगा।
- लॉन्च व्हीकल एमके III (LVM3) को उसके कई भावी अंतरिक्ष मिशनों के लिए C32 क्रायोजेनिक अपर स्टेज से सुसज्जित किया जाएगा। अपने पूर्ववर्ती C25 की तुलना में C32 अतिरिक्त मात्रा में प्रणोदक ले जाने में सक्षम है, जिससे अंतरिक्ष मिशन की आयु बढ़ जाती है।

इसे भी जानिए!

- प्रणोदन प्रणाली रॉकेट को पृथ्वी से उड़ान भरने, सघन वायुमंडल को पार करने और बाद में अपने गंतव्य तक पहुँचने के लिए शक्ति प्रदान करती है। उपयुक्त प्रणोदक प्रणाली का चयन आवश्यक थ्रस्ट, पुन: प्रयोज्यता, लागत एवं आंतरिक क्षमता पर आधारित है।
- इसरो लिक्विड ऑक्सीजन (LOX), लिक्विड हाइड्रोजन (LH2) और LOX-केरोसिन-आधारित प्रणोदन प्रणाली जैसे पर्यावरण के अनुकूल व हरित प्रणोदकों का उपयोग कर रहा है।
- इसरो द्वारा अगली पीढ़ी का प्रक्षेपण यान (NGLV) विकसित किया जा रहा है जिसे सभी गगनयान मिशनों के लिए तैनात किया जाएगा।

ध्वनिक हथियार : कार्यप्रणाली, प्रकार एवं प्रभाव

संदर्भ

सर्बिया में विरोध में प्रदर्शन कर रहे लोगों पर सरकार द्वारा ध्वनिक हथियार (Sonic Weapon) के इस्तेमाल का आरोप लगा है।

ध्वनिक हथियार के बारे में

- ये उपकरण लंबी दूरी तक अत्यधिक तीव्र ध्वनि (आवाज़) उत्सर्जित करते हैं। इनको कष्टदायक श्रव्य या अश्रव्य ध्वनि तरंगें उत्सर्जित करने के लिए डिज़ाइन किया जा सकता है।
- इन उपकरणों का उपयोग ध्वनि संदेशों या अन्य ध्वनियों के लिए ध्वनि प्रवर्धकों (Voice Amplifiers) की तरह भी किया जा सकता है।
- हालाँकि, सदियों से मौजूद ध्वनि प्रवर्धक तकनीक का उपयोग भीड़ नियंत्रण उद्देश्यों के लिए 1990 की दशक की शुरुआत से हुआ।
- वर्ष 2004 में अमेरिकी सेना ने पहली बार विशेष उपकरणों का उपयोग किया जो इराक में बहुत लंबी दूरी तक तीव्र ध्वनि प्रक्षेपित करने में सक्षम थे।

ध्वनिक हथियार की कार्यप्रणाली

- अमेरिका स्थित गैर-लाभकारी संगठन फिजिशियन फॉर ह्यूमन राइट्स (PHR) की एक रिपोर्ट के अनुसार, ऐसे हथियारों में प्राय: सैकड़ों आधुनिक ट्रान्सड्यूसर होते हैं, जिससे अत्यधिक केंद्रित एवं प्रवर्धित ध्वनि उत्पन्न होती है।
  - ट्रान्सड्यूसर एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित करता है।
- यह हथियार 'अत्यधिक संकीर्ण एवं प्रवर्धित किरण/तरंग' को विशिष्ट लक्षित क्षेत्रों पर केंद्रित कर सकता है, जैसे- कार की हेडलाइट से प्रकाश किरणों को केंद्रित किया जाता है।
- हथियार की ध्वनि को पुलिस अधिकारियों द्वारा नियंत्रित करने के लिए डिज़ाइन किया जाता है जो इसकी आवृत्ति, स्तर, गुणवत्ता एवं अवधि को बदल सकते हैं।

ध्वनिक हथियारों के तीन मुख्य प्रकार

1. **लंबी दूरी की ध्वनिक डिवाइस (LRAD) :** इसमें स्पष्ट ध्वनि के लिए 8,900 मीटर की सीमा है और यह अत्यधिक तेज़ ध्वनि की एक अत्यधिक दिशात्मक 'बीम' उत्पन्न करता है जो 160 डेसिबल (dB) तक जा सकती है।
   - तुलनात्मक रूप से उड़ान भरते समय जेट इंजन के ठीक पीछे खड़े होने पर 130-140 dB की ध्वनि और पास में गोली चलने पर लगभग 150 dB की ध्वनि उत्पन्न होती है।

- 140 dB से अधिक की ध्वनि अधिकांश लोगों के लिए दर्द का कारण होती है किंतु, 120 dB से अधिक की ध्वनि भी कम समय के लिए स्थायी श्रवण क्षति का कारण बन सकती है।

2. **मॉस्किटो (Mosquito) :** यह डिवाइस बहुत तीव्र ध्वनि उत्पन्न करती है जो केवल युवाओं को ही सुनाई देती है और उन्हें दर्द का अनुभव होता है। इसमें प्राय: किशोर एवं 20 की आयु के लोग शामिल हैं। यह 30 वर्ष एवं उससे अधिक आयु के व्यक्तियों को प्रभावित नहीं करता है।
3. **इंफ्रासोनिक हथियार (Infrasonic Weapon) :** यह नई तकनीक अत्यंत निम्न आवृत्ति वाली ध्वनियाँ उत्पन्न कर सकती है जो सुनाई तो नहीं देंगी किंतु, दर्द एवं भटकाव उत्पन्न कर सकती हैं।
   - विशेषज्ञ अभी भी इसकी क्षमताओं का परीक्षण कर रहे हैं। इंफ्रासोनिक डिवाइस को हथियार बनाना सबसे मुश्किल है।

ध्वनिक हथियारों के स्वास्थ्य पर प्रभाव

- ये हथियार कान के पर्दों एवं कानों के नाजुक अंगों को काफी नुकसान पहुँचा सकते हैं और सुनने की क्षमता को पूर्ण रूप से समाप्त कर सकते हैं।
  - हालाँकि, इयरप्लग का उपयोग करने से ध्वनि 20-30 dB तक कम हो सकती है किंतु, यह चोट से बचने के लिए पर्याप्त नहीं होती है।
  - मनुष्यों के लिए, लगभग 120 dB की ध्वनि सीमा को दर्दनाक माना जाता है, जबकि यह हथियार 162 dB तक की आवृत्ति वाली ध्वनि उत्सर्जित करते हैं।
- इन हथियारों का प्रभाव उत्सर्जित ध्वनि से व्यक्ति की दूरी, जोखिम की अवधि और पहले से मौजूद शारीरिक स्थितियों पर निर्भर करता है।
  - उदाहरण के लिए, एल.आर.ए.डी. द्वारा उत्सर्जित तीव्र ध्वनि कानों में बजने की अनुभूति उत्पन्न कर सकती है जिसे 'टिनिटस' (Tinnitus) भी कहा जाता है।
- सामान्य ध्वनि से होने वाली क्षति के लक्षणों में सिरदर्द, मतली, पसीना आना, चक्कर आना एवं संतुलन खोना शामिल हैं। अधिक गंभीर लक्षणों में उल्टी एवं कानों से श्लेष्मा (Mucus) या खून आना शामिल है।
- पी.एच.आर. जैसे मानवाधिकार संगठनों का कहना है कि ध्वनिक हथियारों के प्रभावों पर पर्याप्त शोध कार्य उपलब्ध नहीं है।

आगे की राह

अंतर्राष्ट्रीय कानूनी सिद्धांतों के अनुसार, सरकारों को निम्नलिखित मानदंडों के अंतर्गत बल प्रयोग के लिए नियम एवं विनियम अपनाने होंगे-

- बल का प्रयोग न्यूनतम, लक्षित, आनुपातिक तथा हिंसा को कम करने पर केंद्रित होना चाहिए।
- गैर-घातक अक्षमकारी हथियारों के उपयोग को सावधानीपूर्वक नियंत्रित किया जाना चाहिए।
- गैर-घातक अक्षमकारी हथियारों का उपयोग इस तरह से किया जाना चाहिए कि इसमें शामिल न होने वाले व्यक्तियों को खतरे में पड़ने का न्यूनतम जोखिम हो।
- कानून प्रवर्तन एजेंटों द्वारा बल प्रयोग में संयम दिखाया जाना चाहिए, ताकि चोट एवं जीवन की हानि को न्यूनतम किया जा सके।
- इसके अतिरिक्त, राज्य का यह दायित्व भी है कि वह यह सुनिश्चित करे कि किसी भी घायल या प्रभावित व्यक्ति को यथाशीघ्र सहायता व चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराई जाए।

इसे भी जानिए!

भारत में विरोध प्रदर्शन का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) व 19(1)(b) के तहत वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तथा बिना हथियार के शांतिपूर्वक एकत्रित होने के अधिकार से प्राप्त होता है।

विज्ञान धारा : भारत की वैज्ञानिक प्रगति के लिए उत्प्रेरक

संदर्भ

भारत सरकार ने देश के वैज्ञानिक अनुसंधान, नवाचार एवं तकनीकी विकास के क्षेत्र को बढ़ावा देने के उद्देश्य से विज्ञान धारा योजना के लिए आवंटन में उल्लेखनीय वृद्धि की है।

विज्ञान धारा योजना के बारे में

- **परिचय :** विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग (DST) द्वारा संचालित केंद्रीय क्षेत्रक योजना
- **प्रारंभ :** 16 जनवरी, 2025 से
- **उद्देश्य :** देश में विज्ञान, प्रौद्योगिकी व नवाचार पारितंत्र को मज़बूत करने की दिशा में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी क्षमता निर्माण के साथ-साथ अनुसंधान, नवाचार तथा प्रौद्योगिकी विकास को बढ़ावा देना
- **प्रमुख घटक :** इस योजना में निम्न तीन प्रमुख योजनाओं का एकीकरण :
  - विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थागत व मानव क्षमता निर्माण
  - शोध एवं विकास
  - नवाचार, प्रौद्योगिकी विकास एवं परिनियोजन

- **बजट आवंटन में वृद्धि :**
  - वर्ष 2024-25 के 330.75 करोड़ रुपए की तुलना में वर्ष 2025-26 में 1425.00 करोड़ रुपए का आवंटन
  - योजना हेतु प्रस्तावित परिव्यय 15वें वित्त आयोग के अनुरूप वर्ष 2021-22 से वर्ष 2025-26 की अवधि के लिए 10,579.84 करोड़ रुपए

विज्ञान धारा योजना के प्रमुख केंद्रबिंदु

1. क्षमता निर्माण

- शैक्षणिक संस्थानों में उन्नत अनुसंधान प्रयोगशालाओं की स्थापना
- संकाय विकास और छात्र अनुसंधान को बढ़ावा देना
- अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक सहयोग को बढ़ावा देना

2. शोध एवं विकास

- अंतर्राष्ट्रीय वृहद् सुविधाओं तक पहुँच के साथ बुनियादी शोध को प्रोत्साहित करना
- संधारणीय ऊर्जा, जल आदि जैसे क्षेत्रों में पारदेशीय अनुसंधान को बढ़ावा देना
- अंतर्राष्ट्रीय द्विपक्षीय एवं बहुपक्षीय सहयोग द्वारा शोध कार्यों को बढ़ावा देना
- देश के शोध एवं विकास आधार का विस्तार करने तथा पूर्णकालिक शोधकर्ताओं की संख्या में सुधार करने के लिए मानव संसाधन पूल के निर्माण में योगदान देना

3. नवाचार एवं प्रौद्योगिकी विकास

- विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में स्टार्टअप व उद्यमियों को बढ़ावा देना
- प्रौद्योगिकी हस्तांतरण एवं व्यावसायीकरण को सुविधाजनक बनाना
- स्वदेशी प्रौद्योगिकियों के विकास को बढ़ावा देना
- लक्षित समाधान कार्यक्रम के माध्यम से स्कूल स्तर से लेकर उच्च शिक्षा, उद्योगों एवं स्टार्टअप तक नवाचार प्रयासों को सुदृढ़ बनाना

4. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में लैंगिक समानता को बढ़ावा देना

- विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए केंद्रित कार्यक्रम
- महत्त्वपूर्ण समाधान कार्यक्रमों व योजनाओं के माध्यम से विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं नवाचार (STI) में लैंगिक समानता सुनिश्चित करना

5. अंतर्राष्ट्रीय सहयोग

- संयुक्त शोध परियोजनाओं को बढ़ावा देना
- अंतर्राष्ट्रीय शोधकर्ताओं के साथ ज्ञान के आदान-प्रदान को सुविधाजनक बनाना
- वैश्विक वैज्ञानिक दिग्गज के रूप में भारत की स्थिति को मज़बूत करना

योजना की प्रमुख विशेषताएँ

- इस योजना के अंतर्गत शोध निधि स्वच्छ ऊर्जा, जल, नैनो एवं उन्नत सामग्री, साइबर-भौतिक प्रणाली, क्वांटम विज्ञान, भू-स्थानिक प्रौद्योगिकी, जैव प्रौद्योगिकी और औद्योगिक प्रौद्योगिकियों जैसे क्षेत्रों को समर्थन प्रदान करती है।
- इनके परिणामों में वैज्ञानिक प्रकाशन, बौद्धिक संपदा निर्माण (पेटेंट), प्रौद्योगिकी हस्तांतरण एवं औद्योगिक डिज़ाइन शामिल हैं।
- शोधकर्ताओं को शोध प्रकाशन करने और बौद्धिक संपदा सृजन करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है क्योंकि ये करियर की प्रगति के लिए प्रमुख प्रदर्शन संकेतक हैं।

योजना के प्रमुख प्रभाव

- शिक्षा जगत, सरकार एवं उद्योग के बीच बेहतर सहयोग
- विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी में वृद्धि
- वैश्विक मानकों और राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के अनुरूप शोध एवं विकास क्षमताओं में मज़बूती

सरकार द्वारा उठाए गए कदम

- वैज्ञानिक शोध के लिए बजट आवंटन में लगातार वृद्धि
- अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन (ANRF) अधिनियम, 2023 के माध्यम से अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना
- उत्कृष्टता केंद्रों का सृजन
- अनुसंधान फेलोशिप और शोध कार्यक्रम शुरू करना
- शोध एवं विकास में उद्योग की भागीदारी को प्रोत्साहित करना
- वैज्ञानिक प्रकाशनों में वृद्धि

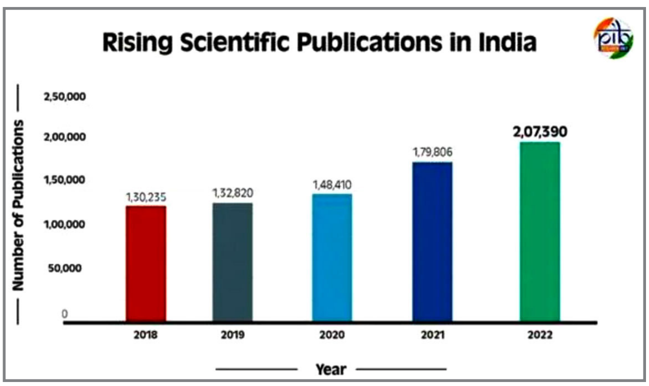

नासा का SPHEREx टेलीस्कोप एवं पंच मिशन

संदर्भ

नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन (NASA) ने कैलिफोर्निया के वैंडेनबर्ग स्पेसफोर्स बेस से SPHEREx टेलीस्कोप और PUNCH अंतरिक्ष मिशन को प्रक्षेपित किया।

SPHEREx स्पेस टेलीस्कोप के बारे में

- **क्या है :** स्पेक्ट्रोस्कोपिक इमेज लेने के लिए डिज़ाइन किया गया एक इंफ्रारेड टेलीस्कोप
  - यह अंतरिक्ष में किसी भी स्रोत से प्राप्त प्रकाश की अलग-अलग तरंगदैर्ध्य का मापन करेगा।
- **पूरा नाम :** Spectro-Photometer for the History of the Universe, Epoch of Reionization and Ices Explorer : SPHEREx टेलीस्कोप
- **कार्यावधि :** 2 वर्ष
- **प्रक्षेपण :** स्पेसएक्स फाल्कन 9 रॉकेट से
- **लागत :** 488 मिलियन डॉलर
- **भार :** 1,110 पाउंड (500 किग्रा.)
- **मिशन :** ब्रह्मांड के निर्माण एवं इतिहास में सभी आकाशगंगाओं के विकास और मिल्की वे आकाशगंगा में पानी एवं जीवन निर्माता अणुओं के स्थान के बारे में बेहतर ढंग से समझने में मदद करना।
- **कार्यविधि :** यह अंतरिक्ष में हर पदार्थ से प्राप्त प्रकाश को 96 बैंडों में विभाजित करेगा।
  - यह इंफ्रारेड सेंसर का उपयोग करते हुए 1 बिलियन आकाशगंगाओं, 100 मिलियन तारों एवं 10,000 क्षुद्रग्रहों की स्पेक्ट्रोस्कोपिक तस्वीरें लेकर सबसे व्यापक व रंगीन ब्रह्मांडीय मानचित्र तैयार करेगा, ताकि आकाशगंगा निर्माण तथा ब्रह्मांडीय विकास को समझा जा सके।
- उद्देश्य
  - अरबों वर्षों में आकाशगंगाओं के निर्माण एवं विकास को समझना तथा ब्रह्मांड के तीव्र विस्तार की जाँच करना
  - हमारी आकाशगंगा मंदाकिनी के भीतर SPHEREx अंतर-तारकीय बर्फ के बादलों में पानी एवं अन्य जीवन-आवश्यक अणुओं की खोज करना
  - ब्रह्मांड का मानचित्रण जिसमें लगभग 450 मिलियन आकाशगंगाओं की 3D स्थिति को मापने के लिए स्पेक्ट्रोस्कोपिक छवियों का उपयोग
  - दो तरह के ब्रह्मांडीय प्रकाश 'ऑप्टिकल' और 'इंफ्रारेड' का पता लगाना
  - ब्रह्मांडीय मुद्रास्फीति नामक विशेष घटना के बारे में जानकारी प्राप्त करना

PUNCH मिशन के बारे में

- **पूरा नाम :** Polarimeter to Unify the Corona and Heliosphere : PUNCH मिशन
- **कार्यावधि :** इस मिशन का अपेक्षित जीवनकाल 2 वर्ष है।
- **उद्देश्य :** सूर्य के बाह्य वायुमंडल तथा सौर हवाओं का अध्ययन करना
  - यह सूर्य के कोरोना का 3D अवलोकन करेगा, ताकि सौर पवनों तथा कोरोनल मास इंजेक्शन की उत्पत्ति तथा अंतर-तारकीय माध्यम में इनके प्रसार को बेहतर ढंग से समझा जा सके।
  - पहली बार कोई मिशन 3D में ओवरलैप्ड हेलियोस्फेरिक-कोरोनाग्राफिक तस्वीरें प्रदान करेगा।
- **पेलोड :** इस मिशन में चार कॉम्पैक्ट उपग्रह हैं जिनमें से प्रत्येक का वज़न लगभग 64 किग्रा. है।
  - सभी चारों उपग्रहों को निम्न भू-कक्षा (LEO) में स्थापित किया गया है।
  - PUNCH चार ऑनबोर्ड कैमरों का उपयोग करके सूर्य के कोरोना (बाह्य वायुमंडल) की निरंतर छवि निर्मित करेगा।
- **महत्त्व :** PUNCH से प्राप्त आँकड़ों से वैज्ञानिकों को पृथ्वी पर अंतरिक्ष मौसम की घटनाओं के आगमन और अंतरिक्ष में अन्वेषकों पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में अधिक सटीक भविष्यवाणियाँ करने में मदद मिलेगी।

इसे भी जानिए!

- **ब्रह्मांडीय मुद्रास्फीति (Cosmic Inflation) :** यह लगभग 14 अरब वर्ष पूर्व की अवधि को संदर्भित करता है जिस दौरान ब्रह्मांड एक सेकंड के अंश के लिए प्रकाश की गति से भी अधिक तेज़ी से फैला था।
- **इंफ्रारेड प्रकाश :** यद्यपि मानव आँख ऑप्टिकल प्रकाश देख सकती है किंतु इंफ्रारेड प्रकाश उसके लिए अदृश्य है। इंफ्रारेड प्रकाश में अंतरिक्ष के सबसे दूर के क्षेत्रों, जन्म लेने वाले तारों एवं आकाशगंगा संरचनाओं के विवरण के बारे में जानकारी होती है।
- **बायोजेनिक अणु :** आकाशगंगा में पानी एवं जीवन निर्माणकारी अणुओं को बायोजेनिक अणु (जैसे- कार्बन, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन) के रूप में भी जाना जाता है। ये अणु अंतरिक्ष में बर्फीले कणों के रूप में जमे हुए हैं जो आकाशगंगा के कुछ सबसे ठंडे हिस्सों में स्थित हैं।

मेजराना-1 क्वांटम चिप

संदर्भ

माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने फरवरी 2025 में मेजराना-1 नामक एक नई क्वांटम कंप्यूटिंग चिप विकसित करने की घोषणा की।

मेजराना-1 क्वांटम चिप के बारे में

- यह विश्व का पहला क्वांटम चिप है जो टोपोलॉजिकल सुपरकंडक्टर प्रौद्योगिकी पर आधारित है।
  - यह प्रौद्योगिकी टोपोकंडक्टर पदार्थ की एक पूरी तरह से नई टोपोलॉजिकल अवस्था बनाने में सक्षम है।
- यह चिप क्वांटम कंप्यूटर की मूल इकाइयों 'क्यूबिट्स' को अधिक स्थिर एवं त्रुटियों के प्रति कम प्रवण बनाते हैं।
- यह चिप इतनी शक्तिशाली है कि इसे 10 लाख क्यूबिट तक बढ़ाया जा सकता है और यह इतनी छोटी है कि हथेली में समा सकती है।
  - 10 लाख क्यूबिट्स वाला क्वांटम कंप्यूटर दुनिया के सभी मौजूदा कंप्यूटरों को मिलाकर भी उससे कहीं ज़्यादा शक्तिशाली होगा।

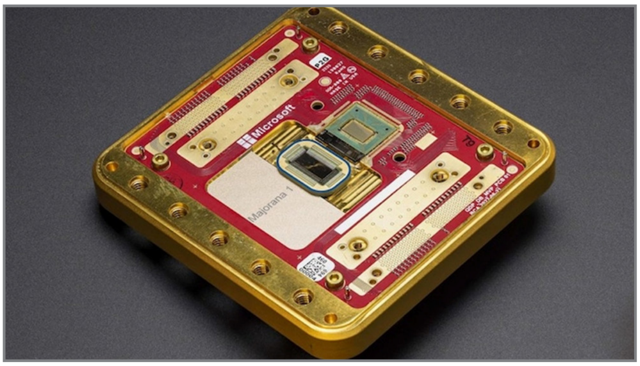

मेजराना-1 क्वांटम चिप के लाभ

- त्रुटिमुक्त, तीव्र एवं स्थायी क्वांटम कंप्यूटिंग की मदद से नई दवाओं की खोज तेज़ होगी।
- उन्नत क्वांटम चिप की मदद से अधिक कुशल बैटरियाँ और सोलर पैनल विकसित किए जा सकेंगे।
- यह चिपसेट कृत्रिम बुद्धिमत्ता को अधिक प्रभावशाली बना सकता है।
- यह उन्नत क्वांटम चिप इंटरनेट, साइबर एवं डिजिटल सिक्योरिटी को अधिक मज़बूत करेगा।
- इस प्रोसेसर से जटिल वैज्ञानिक शोध और गणितीय समस्याओं को आसानी से हल किया जा सकेगा।

मेजराना-1 क्वांटम चिप का व्यावसायिक उपयोग

- मेजराना-1 क्वांटम को व्यावसायिक रूप से प्रयोग होने में कई वर्ष लगेंगे।
- माइक्रोसॉफ्ट के शोधकर्ताओं ने इस क्वांटम चिप को विकसित करने में सक्षम होने के लिए 17 वर्ष से अधिक समय तक कार्य किया है।
- अभी तक केवल एक कार्यशील प्रोटोटाइप का प्रदर्शन किया गया है। इसे परिष्कृत एवं स्केल करने के लिए अभी भी इंजीनियरिंग कार्य बाकी है।
- इस चिप के सफल अनुप्रयोग के बाद यह औद्योगिक-स्तरीय समस्याओं को क्वांटम कंप्यूटरों द्वारा हल करने में दशकों नहीं बल्कि वर्षों में सक्षम बना देगी।

इसे भी जानिए!

टोपोकंडक्टर्स के बारे में

- **क्या है :** पारंपरिक सेमीकंडक्टर्स आमतौर पर सिलिकॉन से निर्मित होते हैं। इनके विपरीत माइक्रोसॉफ्ट का टोपोकंडक्टर 'इंडियम आर्सेनाइड' से बना है जिसका प्रयोग इंफ्रारेड डिटेक्टर में भी किया जाता है।
- **निर्माण :** टोपोकंडक्टर्स को इंडियम आर्सेनाइड (एक सेमीकंडक्टर) और एल्युमिनियम को मिलाकर बनाया जाता है।
- **विशेषता :** जब इसे लगभग ज़ीरो डिग्री के तापमान तक ठंडा किया जाता है और चुंबकीय क्षेत्रों के साथ अनुकूलित किया जाता है तो यह सेमीकंडक्टिविटी को सुपरकंडक्टिविटी के साथ जोड़ता है।
  - यह मेजराना कणों के विकास व नियंत्रण में सहायक है।

मेजराना कण (Majorana Particles) के बारे में

- यह एक विशेष प्रकार के कण होते हैं, जो प्राकृतिक रूप से मौजूद नहीं है किंतु सुपरकंडक्टर एवं चुंबकीय क्षेत्रों का उपयोग करके विशिष्ट परिस्थितियों में निर्मित किए जा सकते हैं।
- इन्हें पहली बार 80 वर्ष पहले इटली के भौतिकविद् इत्तोरे मेजराना (Ettore Majorana) ने सिद्धांत रूप में दिया था।
- ये कण अपने स्वयं के प्रतिकण होते हैं। हालाँकि, अभी तक इन कणों का भौतिक रूप से कोई प्रमाण नहीं था।

न्यूनतम आहार विविधता

संदर्भ

- संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग ने सतत् विकास लक्ष्यों (SDGs) की दिशा में प्रगति को ट्रैक करने के लिए एक नया संकेतक 'न्यूनतम आहार विविधता' (MDD) को अपनाया है।

- यह संकेतक कुपोषण को समाप्त करने और SDG-2 (ज़ीरो हंगर) को प्राप्त करने की दिशा में प्रगति को ट्रैक करने के एक महत्त्वपूर्ण पहलू को दर्शाता है।

नए संकेतक के रूप में न्यूनतम आहार विविधता (MDD)

- न्यूनतम आहार विविधता प्रतिदिन उपभोग किए जाने वाले खाद्य पदार्थों की विविधता को दर्शाता है जो हमारे आहार की गुणवत्ता, स्वास्थ्य, वृद्धि, विकास एवं कल्याण के लिए आवश्यक है।
- इस संकेतक में 10 खाद्य समूहों का सेवन शामिल है- अनाज, जड़ें (शलजम, गाजर, चुकंदर) एवं कंद (आलू व शकरकंद), केला, दालें (बीन्स, मटर एवं मसूर), मेवे व बीज, दूध एवं दूध से निर्मित उत्पाद, माँस, मुर्गी एवं मछली, अंडे, हरी पत्तेदार सब्ज़ियाँ, विटामिन A युक्त फल और सब्ज़ियाँ।
- नए MDD संकेतक को पद्धतिगत रूप से मान्य किया गया है और इसे दो जनसंख्या समूहों के लिए मापा जाएगा।
  - इसमें बच्चों एवं प्रजनन आयु की महिलाओं को क्रमशः 'MDD-C' व 'MDD-W' के रूप में शामिल किया गया है।
  - खाद्य एवं कृषि संगठन (FAO) द्वारा विकसित MDD-W एक सरल संकेतक है।
  - इसके तहत यह मापा जाता है कि क्या 15 से 49 वर्ष की महिलाओं ने पिछले 24 घंटों में 10 परिभाषित खाद्य समूहों में से कम-से-कम 5 का सेवन किया है।
  - यही प्रक्रिया MDD-C के तहत अपनाई गई है।

न्यूनतम आहार विविधता संकेतक का महत्त्व

- यह संकेतक उन लगभग 250 संकेतकों में शामिल हो गया है जिनकी निगरानी वर्ष 2017 में अपनाए गए सतत् विकास लक्ष्यों (SDGs) के लिए वैश्विक संकेतक ढाँचे के तहत पहले से ही की जा रही है।
- अस्वास्थ्यकर आहार पैटर्न को वैश्विक स्तर पर खराब स्वास्थ्य परिणामों एवं गैर-संचारी रोगों के प्राथमिक कारणों में से एक माना जाता है।
  - नए संकेतक को शामिल करने से देशों तथा अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को आहार संबंधी हस्तक्षेपों के माध्यम से पोषण एवं स्वास्थ्य परिणामों को बढ़ाने व SDG-2 को प्राप्त करने के लिए साक्ष्य-आधारित रणनीति तैयार करने में मदद मिलेगी।
- MDD मुख्यतः महिलाओं एवं बच्चों पर केंद्रित है क्योंकि ये विभिन्न प्रकार के कुपोषण के सर्वाधिक जोखिम में हैं।
- MDD संकेतक का उपयोग जनसंख्या स्तर पर आहार विविधता का आकलन करने, कार्यक्रमों के प्रभाव का मूल्यांकन करने, नीतियों को सूचित करने और लक्ष्य निर्धारण के लिए किया जा सकता है।

संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग (UNSC)

- **क्या है :** अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकीय गतिविधियों के लिए सर्वोच्च निर्णयकारी निकाय
- **स्थापना :** आर्थिक एवं सामाजिक परिषद् द्वारा 16 फरवरी, 1946 को एक संकल्प द्वारा
- **मुख्यालय :** न्यूयॉर्क (अमेरिका)
- **प्रमुख कार्य :** सांख्यिकीय मानकों को निर्धारित करना तथा अवधारणाओं एवं विधियों का विकास करना
  - इसमें राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनका कार्यान्वयन भी शामिल है।
  - यह विश्व भर के सदस्य देशों के मुख्य सांख्यिकीविदों को एक-साथ लाता है।

चंद्रयान- 5

भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) के अध्यक्ष वी. नारायणन ने बताया कि केंद्र सरकार ने चंद्रयान-5 मिशन को मंज़ूरी प्रदान कर दी है।

चंद्रयान-5 मिशन के बारे में

- चंद्रयान-5 मिशन के माध्यम से 250 किग्रा. का रोवर भेजा जाएगा। यह मिशन भारत एवं जापान का संयुक्त प्रयास है।
- यह वर्ष 2040 तक चंद्रमा पर मानव मिशन भेजने के भारत के लक्ष्य की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण कदम है।

भारत के विभिन्न चंद्रयान मिशन

मिशन	प्रक्षेपण वर्ष	उद्देश्य
चंद्रयान-1	2008	चंद्रमा से रासायनिक, खनिज व फोटो-भूगर्भिक डाटा एकत्र करना
चंद्रयान-2	2019	चंद्रमा की स्थलाकृति व खनिज संरचना का अध्ययन करना
चंद्रयान-3	2023	चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफल लैंडिंग एवं अवलोकन करना
चंद्रयान-4	2027 (प्रस्तावित)	चंद्रमा से नमूने एकत्र करना और उन्हें पृथ्वी पर वापस लाना

मेलियोइडोसिस

एक अध्ययन में ओडिशा में मेलियोइडोसिस (Melioidosis) रोग का संक्रमण मानसून के दौरान तथा उसके बाद चरम पर देखा गया है।

मेलियोइडोसिस के बारे में

- यह एक जीवाणुजनित संक्रामक रोग है जिसका कारण बर्कहोल्डरिया स्यूडोमेल्ली (Burkholderia Pseudomallei) जीवाणु के कारण होता है।

- इसका प्रमुख कारण श्वसन के दौरान मुख्यत: मिट्टी एवं पानी में रहने वाले पर्यावरणीय परजीवी का अंतर्ग्रहण है।
- इस रोग पर पर्यावरणीय कारकों, जैसे- वर्षा, तापमान एवं आर्द्रता का अत्यधिक प्रभाव होता है।
- करंट रिसर्च इन माइक्रोबियल साइंसेज नामक जर्नल में प्रकाशित विश्लेषण के अनुसार, इस रोग का संक्रमण मानसून के दौरान तथा उसके बाद चरम पर होता है।
- वर्ष 2016 में द लैंसेट के एक अध्ययन के अनुसार, दुनिया भर में लगभग 1,65,000 लोग प्रतिवर्ष मेलियोइडोसिस से संक्रमित होते हैं।
- मेलियोइडोसिस के वैश्विक बोझ में भारत सहित दक्षिण एशिया का हिस्सा 44% है।
- तीव्र शहरीकरण, निम्न स्वच्छता स्थिति तथा दूषित वातावरण इसके जोखिम को अधिक बढ़ा सकते हैं।
- इस बैक्टीरिया में मामूली त्वचा संक्रमण से लेकर निमोनिया एवं फुलमिनेंट सेप्सिस तक कई तरह के नैदानिक लक्षण उत्पन्न करने की अनोखी क्षमता है। इसके संक्रमण के घातक मामलों में मृत्यु दर 50% तक होने की संभावना होती है।
- इसके उपचार के लिए मुख्य रूप से एंटीबायोटिक्स दी जाती है। सार्वजनिक स्वास्थ्य योजना में मौसम एवं जलवायु डाटा को शामिल करने से प्रकोप की भविष्यवाणियों में सुधार कर इसके स्वास्थ्य जोखिमों को कम किया जा सकता है।

स्पाइनल मस्कुलर अट्रोफी

डॉक्टरों ने पहली बार गर्भ में स्पाइनल मस्कुलर अट्रोफी नामक आनुवंशिक विकार का उपचार किया है। इस उपचार का परिणाम न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन में प्रकाशित किया गया है।

स्पाइनल मस्कुलर अट्रोफी (SMA) के बारे में

- **क्या है :** यह एक आनुवंशिक स्थिति है जो गति को नियंत्रित करने वाले मोटर न्यूरॉन्स को प्रभावित करती है तथा माँसपेशियों को धीरे-धीरे कमज़ोर बनाती है।
- **कारण :** यह स्थिति सर्वाइवल मोटर न्यूरॉन जीन (SMN1) में उत्परिवर्तन के कारण होती है जो रीढ़ की हड्डी में मोटर न्यूरॉन्स के अस्तित्व के लिए महत्त्वपूर्ण प्रोटीन की कमी का कारण बनती है।
  - इसके अलावा यह माता-पिता से विरासत में मिले जीन के कारण भी होता है।

स्पाइनल मस्कुलर अट्रोफी के लक्षण

- आर्थ्रोग्राइपोसिस (किसी जोड़ का टेढ़ापन)
- श्वास संबंधी गंभीर समस्याएँ
- स्कोलियोसिस (रीढ़ की अस्थि का असामान्य टेढ़ापन)
- माँसपेशियों में संकुचन का अनुभव

स्पाइनल मस्कुलर अट्रोफी का निदान

- **रक्त परीक्षण :** जीन के उत्परिवर्तन या विलोपन (Deletation) की जाँच के लिए
- **इलेक्ट्रोमायोग्राफी :** संकुचन एवं विश्राम के दौरान माँसपेशियों की विद्युत गतिविधि को रिकॉर्ड करने के लिए
- **नर्व कंडक्शन वेलॉसिटी :** तंत्रिका की विद्युत संकेत भेजने की क्षमता का मापन
  - यह परीक्षण मापता है कि विद्युत आवेग किसी की तंत्रिका से कितनी तेज़ी से गुज़रता है।
- **माँसपेशी बायोप्सी :** एस.एम.ए. के समान लक्षणों वाली अन्य स्थितियों का निदान
- **दुर्लभता :** नेचर जर्नल में प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार, लगभग प्रत्येक 10,000 जन्मों में से एक में यह स्थिति किसी-न-किसी रूप में पाई जाती है जिससे यह शिशुओं एवं बच्चों में मृत्यु का एक प्रमुख अनुवांशिक कारण बन जाता है।

गर्भ में एस.एम.ए. का उपचार

- डॉक्टरों ने उपचार के लिए रिसडिप्लम नामक एक ओरल दवा का उपयोग किया जो एस.एम.ए. की प्रगति को धीमा करने के लिए रोगियों को दी जाती है।
- न्यू एटलस रिपोर्ट के अनुसार, रिसडिप्लम आमतौर पर जन्म के तुरंत बाद रोगी को दिया जाता है किंतु, इस नए परीक्षण में वैज्ञानिकों ने पहली बार जन्म से पहले दवा देने का फैसला किया।
- उपचार के बाद गर्भ में बच्ची की तंत्रिका क्षति का स्तर कम था और 30 महीने बाद भी उसकी माँसपेशियों का विकास सामान्य था।

क्यासानूर फॉरेस्ट डिजीज़

कर्नाटक में क्यासानूर फॉरेस्ट डिजीज़ (KFD) से इस वर्ष पहली मौत हुई है और इससे संक्रमण के कई मामले सामने आए हैं।

क्यासानूर फॉरेस्ट डिजीज़ के बारे में

- **क्या है :** कीट-जनित (Tick-borne) वायरल संक्रमण वाला रक्तस्रावी बुखार (Haemorrhagic Fever)
- **अन्य नाम :** मंकी फीवर (Monkey Fever)
- **कारण :** फ्लैविविरिडे (Flaviviridae) कुल से संबंधित क्यासानूर फॉरेस्ट डिजीज़ वायरस (KFDV) के कारण
  - इसकी पहचान वर्ष 1957 में सर्वप्रथम कर्नाटक के क्यासानूर वन में हुई थी। इस क्षेत्र के नाम पर इसका नामकरण किया गया है।
- **वाहक :** संक्रमित हार्ड टिक्स (Haemaphysalis Spinigera) के माध्यम से

- इसके संपर्क में आने वाले प्राइमेट एवं अन्य जानवर इस बीमारी से संक्रमित हो जाते हैं।

❖ **संक्रमण :** मनुष्यों में इसका संक्रमण मुख्यत: टिक के काटने या संक्रमित पशु (विशेषकर बीमार या मृत बंदर) के संपर्क में आने से
- हालाँकि, अभी तक व्यक्ति-से-व्यक्ति के संचरण की पुष्टि नहीं हुई है।

❖ **लक्षण :**
- **प्रारंभिक लक्षण :** तेज़ बुखार के साथ सिर में दर्द, ठंड लगना, माँसपेशियों में तेज़ दर्द, उल्टी व जठरांत्र संबंधी अन्य समस्याएँ
- प्रारंभिक लक्षण शुरू होने के 3-4 दिन बाद रक्तस्राव की समस्या
- निम्न रक्तचाप तथा प्लेटलेट्स, लाल रक्त कोशिकाओं व श्वेत रक्त कोशिकाओं की संख्या में भी कमी।

❖ **निदान :** आरंभिक चरण में पॉलीमरेज़ चेन रिएक्शन (PCR) द्वारा आणविक पहचान या रक्त से वायरस को अलग (Virus Isolation) करके
- एंज़ाइम-लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट परीक्षण (ELISA) का उपयोग करके सीरोलॉजिक परीक्षण किया जा सकता है।

❖ **उपचार :** कोई भी विशिष्ट उपचार उपलब्ध नहीं
- केवल सहायक चिकित्सा देखभाल, जैसे- जल का संतुलन, ऑक्सीजन की उपलब्धता, रक्तचाप प्रबंधन व अतिरिक्त संक्रमणों का उपचार आदि महत्त्वपूर्ण है।

ह्यूमन कोरोनावायरस

कोलकाता में एक महिला में ह्यूमन कोरोनावायरस (HKU1 या HCoV-HKU1) के संक्रमण की पुष्टि हुई है। कोरोनावायरस की यह प्रजाति मनुष्यों एवं जानवरों दोनों को प्रभावित करती है जो कोविड-19 से अलग है किंतु नया वायरस नहीं है।

ह्यूमन कोरोनावायरस (HKU1) के बारे में

❖ **क्या है :** मुख्यत: फेफड़ों एवं श्वसन प्रणाली को प्रभावित करने वाला कोरोनावायरस का एक प्रकार
- HKU1, SARS, MERS एवं कोविड-19 एक ही कुल (Family) का हिस्सा हैं।

❖ **प्रकार :** आर.एन.ए. वायरस
- यह एन-एसिटाइल-9-ओ-एसिटाइलन्यूरैमिनिक (N-acetyl-9-O-acetylneuraminic) एसिड के रिसेप्टर से बंधकर मानव कोशिकाओं में प्रवेश करता है।

❖ **अन्य नाम :** बीटाकोरोनावायरस हांगकांगेंस (Betacoronavirus hongkongese)

❖ **सर्वप्रथम पहचान :** वर्ष 2004 में हांगकांग विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं द्वारा
- इसके नाम पर ही इसका नामकरण किया गया है।

❖ **संक्रमण :** अन्य कोरोनावायरस की तरह ही

❖ **रोकथाम :** संक्रमण की रोकथाम के लिए कोविड-19 जैसा ही प्रोटोकॉल

❖ **उपचार :** वर्तमान में कोई वैक्सीन या विशेष उपचार उपलब्ध न होने के कारण लक्षणों का प्रबंधन ही उपचार है।

❖ **लक्षण :**
- सामान्य लक्षण फ्लू के समान, जैसे- लगातार खाँसी, नाक बंद होना, गले में दर्द, थकान, सिरदर्द एवं हल्का बुखार
- श्वसन मार्ग के साथ कोशिकाओं को संक्रमित करने के कारण गंभीर मामलों में निमोनिया या ब्रोंकाइटिस की स्थिति

POLG माइटोकॉन्ड्रियल रोग

दुर्लभ पी.ओ.एल.जी. माइटोकॉन्ड्रियल रोग (POLG Mitochondrial Disease) के कारण लक्ज़मबर्ग के प्रिंस फ्रेडरिक की मौत हो गई है।

पी.ओ.एल.जी. माइटोकॉन्ड्रियल रोग के बारे में

❖ **परिचय :** पी.ओ.एल.जी. माइटोकॉन्ड्रियल रोग वंशानुगत विकारों का एक समूह है जो शरीर की कोशिकाओं को पर्याप्त ऊर्जा का उत्पादन करने से रोकता है।
- पी.ओ.एल.जी. पॉलीमरेज़ गामा को संदर्भित करता है।

❖ **कारण :** यह रोग पी.ओ.एल.जी. जीन में वंशानुगत उत्परिवर्तन के कारण होता है।
- वर्तमान में 200 से अधिक रोग उत्पन्न करने वाले पी.ओ.एल.जी. उत्परिवर्तन ज्ञात हैं।

❖ **निदान :** पी.ओ.एल.जी. उत्परिवर्तन के लिए आनुवंशिक परीक्षण, सीटी स्कैन या एम.आर.आई. द्वार पी.ओ.एल.जी. विकार से मस्तिष्क में होने वाले परिवर्तनों का पता लगाना या इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम (EEG) का उपयोग

❖ **उपचार :** वर्तमान में पी.ओ.एल.जी. के लिए कोई उपचार उपलब्ध नहीं

लक्षण

पी.ओ.एल.जी. रोग के प्राथमिक लक्षण आयु वर्ग पर निर्भर करते हैं–

❖ **12 वर्ष की आयु से पूर्व :** दौरे (Seizures), संज्ञानात्मक प्रतिगमन (Cognitive Regression), मोटर दुर्बलता (Motor Impairment), कॉर्टिकल दृश्य हानि (Cortical Visual Loss), भोजन करने में कठिनाई (Feeding Difficulties) एवं यकृत विकार (Liver Dysfunction)

- **12 से 40 वर्ष की आयु के बीच :** दौरे (Seizures), समन्वय में कमी (Impaired Coordination or Ataxia) एवं परिधीय न्यूरोपैथी (Peripheral Neuropathy)
- **40 वर्ष की आयु के बाद :** पलक में झुकाव (Ptosis or Drooping Eyelids), आँखों की गति को नियंत्रित करने वाली माँसपेशियों का पक्षाघात, समन्वय में कमी, मायोपैथी (Myopathy) एवं पार्किंसनिज़्म (Parkinsonism)

प्रभाव

- पी.ओ.एल.जी. उत्परिवर्तन माइटोकॉन्ड्रियल डि-ऑक्सी-राइबोन्यूक्लिक अम्ल (mDNA) के रखरखाव के लिए ज़िम्मेदार एंज़ाइम की कार्यप्रणाली को प्रभावित करता है।
  - डी.एन.ए. रखरखाव में कमी कोशिका में मौजूद माइटोकॉन्ड्रियल डी.एन.ए. की मात्रा को कम करके माइटोकॉन्ड्रियल डी.एन.ए. में उत्परिवर्तन लाता है।
  - इसके परिणामस्वरूप कई अंगों में शिथिलता एवं विफलता हो सकती है।
- यह स्थिति माइटोकॉन्ड्रिया को प्रभावित करती है जिसे कोशिका का 'पावरहाउस' कहा जाता है।
  - यह भोजन को ए.टी.पी. (Adenosine Triphosphate) में परिवर्तित करता है जो शरीर की जीवित कोशिकाओं के लिए ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है।
- यह विकार शरीर के विभिन्न अंगों मुख्यत: मस्तिष्क, तंत्रिकाओं, माँसपेशियों एवं यकृत को प्रभावित करता है।

हंतावायरस पल्मोनरी सिंड्रोम

अमेरिकी अभिनेता एवं ऑस्कर विजेता जीन हैकमेन तथा उनकी पत्नी बेटसी अराकाव की हंतावायरस पल्मोनरी सिंड्रोम (Hantavirus Pulmonary Syndrome: HPS) के कारण मौत हो गई।

हंतावायरस पल्मोनरी सिंड्रोम (HPS) के बारे में

- **परिचय :** यह हंतावायरस के कारण होने वाला एक गंभीर श्वसन रोग है जिसे हंतावायरस पल्मोनरी सिंड्रोम (HPS) भी कहते हैं।
- **प्रभावित अंग :** फेफड़े एवं हृदय
- **लक्षण :** इसके लक्षण प्राय: संक्रमित कृंतक (Rodent) के संपर्क में आने के 1 से 8 सप्ताह बाद दिखाई देते हैं।
- **संक्रमण :** विशेषज्ञों के अनुसार, यदि कोई व्यक्ति प्रत्यक्ष रूप से मूषकों के मूत्र, मल एवं लार के संपर्क में आता है तो यह वायरस मनुष्यों में प्रसारित हो जाता है।

हंतावायरस के बारे में

- **क्या है :** हंताविरिडे (Hantaviridae) कुल (Family) से संबंधित एक RNA वायरस
- **संक्रमण :** सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल एंड प्रिवेंशन (Center for Disease Control and Prevention : CDC) के अनुसार, मूल रूप से कृंतकों (Rodents) या चूहों से प्रसार
  - इसका संक्रमण व्यक्ति-से-व्यक्ति में नहीं होता है।
- **लक्षण :** सी.डी.सी. के अनुसार, इसके शुरुआती लक्षणों में खाँसी, साँस लेने में तकलीफ और फेफड़ों में पानी भरने के कारण सीने में जकड़न जैसी समस्याएँ उत्पन्न होती हैं।
- **संबंधित बीमारियाँ :** इस वायरस के संपर्क से हंतावायरस पल्मोनरी सिंड्रोम (HPS) और हेमोरेजिक फीवर विद रीनल सिंड्रोम (Haemorrhagic Fever with Renal Syndrome : HFRS) की संभावना
- **उपचार :** वर्तमान में कोई विशिष्ट उपचार उपलब्ध नहीं

क्वांटम कंप्यूटिंग पर रणनीतिक पत्र

भारत के थिंक टैंक नीति आयोग ने क्वांटम कंप्यूटिंग के राष्ट्रीय सुरक्षा निहितार्थों पर एक व्यापक रणनीतिक पत्र जारी किया है।

रणनीतिक पत्र के बारे में

- **शीर्षक :** क्वांटम कंप्यूटिंग: राष्ट्रीय सुरक्षा निहितार्थ एवं रणनीतिक तैयारी (Quantum Computing: National Security Implications and Strategic Preparedness)
- यह पत्र वैश्विक क्वांटम प्रतिस्पर्द्धा, नवीनतम तकनीकी सफलताओं और राष्ट्रीय सुरक्षा पर इसके संभावित प्रभावों का पता लगाने के साथ ही, इस संबंध में भारत की तैयारियों को बढ़ाने के लिए सिफारिशें भी प्रदान करता है।
- इसमें पोस्ट-क्वांटम क्रिप्टोग्राफी (PQC) संक्रमण योजना विकसित करने की सिफारिश की गई है।
  - पी.क्यू.सी. क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिदम को संदर्भित करता है जिसे क्वांटम कंप्यूटरों से हमलों का सामना करने के लिए डिज़ाइन किया गया है जिससे बेहतर डाटा सुरक्षा सुनिश्चित होती है।
- इस रणनीतिक पत्र में क्वांटम प्रौद्योगिकियों पर निर्यात नियंत्रण में अपेक्षित वृद्धि को भी एक प्रमुख जोखिम के रूप में चिह्नित किया गया है।
  - चूँकि क्वांटम प्रौद्योगिकियाँ राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए महत्त्वपूर्ण हो गई हैं, इसलिए आर्बिट्रेरी वेवफॉर्म जेनरेटर (AWG), डिजिटल-टू-एनालॉग कन्वर्टर्स (DAC), माइक्रोवेव कंपोनेंट्स, विशेष लेज़र एवं क्रायोजेनिक कमज़ोर पड़ने वाले रेफ्रिजरेटर जैसे घटकों पर निर्यात प्रतिबंध कड़े हो रहे हैं।

HKU5-CoV-2 वायरस

चीन के शोधकर्ताओं ने HKU5-CoV-2 नामक एक नए वायरस की खोज की है। इस नए वायरस में मनुष्यों को संक्रमित करने की क्षमता

है। यह वायरस SARS-CoV-2 के समान रिसेप्टर से जुड़ता है जो कोविड-19 महामारी के लिए ज़िम्मेदार वायरस है।

HKU5-CoV-2 वायरस के बारे में

- **परिचय :** इसे बैट वायरस के नाम से भी जाना जाता है। यह 'मर्बेकोवायरस उपप्रजाति' से संबंधित है जो मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम (MERS) के लिए ज़िम्मेदार है।
- **पहला मामला :** इस वायरस का सबसे पहले पता हांगकांग में जापानी पिपिस्ट्रेल चमगादड़ प्रजाति में चला था।
  - इस वायरस में एंजियोटेंसिन-कनवर्टिंग एंज़ाइम 2 (ACE2) रिसेप्टर्स नामक प्रोटीन से बंधने की क्षमता है।
- **लक्षण :** वर्तमान में HKU5-CoV-2 के मानव संक्रमण का कोई मामला नहीं है, इसलिए इसके लक्षण अभी स्पष्ट नहीं हैं।

HKU5-CoV-2 वायरस का संचरण

- इसके संचरण का कोई भी मामला नहीं आया है। परीक्षणों के अनुसार, HKU5-CoV-2 मानव कोशिकाओं एवं फेफड़ों के ऊतकों को संक्रमित कर सकता है।
  - हालाँकि, SARS-CoV-2 की तुलना में इस वायरस के लोगों के बीच तेज़ी से फैलने की संभावना बहुत कम है।
- साथ ही, इस वायरस में बहुत अधिक उत्परिवर्तन नहीं होता है और संक्रमण का जोखिम भी तुलनात्मक रूप से कम है।

उपचार

- शोधकर्ताओं के अनुसार, एंटीवायरल दवाओं और मोनोक्लोनल एंटीबॉडी का उपयोग HKU5-CoV-2 जैसे बैट वायरस के कारण होने वाले मानव संक्रमण के उपचार के लिए किया जा सकता है।
- **मोनोक्लोनल एंटीबॉडी का उपयोग :** मोनोक्लोनल एंटीबॉडी (mAbs) प्रयोगशाला में निर्मित प्रोटीन होते हैं जो शरीर में विशिष्ट लक्ष्यों पर निर्देशित होते हैं।
  - इन्हें SARS-CoV-2 के स्पाइक प्रोटीन को लक्षित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, ताकि इसे मानव कोशिकाओं को संक्रमित करने से रोका जा सके।
  - इनका उपयोग कैंसर, दीर्घकालिक सूजन संबंधी बीमारियों और संक्रामक रोगों सहित कई बीमारियों के उपचार में किया जाता है।
  - यह कमज़ोर प्रतिरक्षा प्रणाली वाले लोगों के लिए एक महत्त्वपूर्ण उपचार है जिन्हें टीकाकरण से पर्याप्त सुरक्षा नहीं मिल पाती है।
- एंटीवायरल दवाओं का उपयोग भी महत्त्वपूर्ण है।

टेक्नोलॉजी एडॉप्शन फंड

भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्द्धन एवं प्राधिकरण केंद्र (IN-SPACe) ने टेक्नोलॉजी एडॉप्शन फंड (Technology Adoption Fund) लॉन्च किया है।

टेक्नोलॉजी एडॉप्शन फंड (TAF) के बारे में

- **क्या है :** भारत के अंतरिक्ष स्टार्टअप्स एवं एम.एस.एम.ई. के लिए वित्तपोषण परियोजना
- **प्रमुख उद्देश्य :** आयातित समाधानों पर निर्भरता कम करने के लिए स्वदेशी अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के विकास में तेज़ी लाना
- **कुल राशि :** 500 करोड़ रुपए
  - यह फंड परियोजना लागत का 60% एवं बड़े उद्योगों के लिए 40% तक वित्तीय सहायता प्रदान करेगा।
  - इसके तहत प्रति परियोजना अधिकतम 25 करोड़ रुपए की फंडिंग की जाएगी।

टेक्नोलॉजी एडॉप्शन फंड के प्रमुख लाभ

- भारतीय कंपनियों द्वारा विकसित प्रारंभिक चरण की अंतरिक्ष प्रौद्योगिकियों को व्यावसायिक रूप से व्यवहार्य उत्पादों में परिवर्तित करने में सहायक होना
- नए अंतरिक्ष उत्पादों के विकास से लेकर बौद्धिक संपदा के सृजन तक, भविष्य के अनुसंधान एवं विकास को गति देने में सहायक होना
- उन्नत अंतरिक्ष प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देना
- आर्थिक विकास के साथ-साथ रोज़गार सृजन करना

भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्द्धन एवं प्राधिकरण केंद्र (IN–SPACe)

- **परिचय :** भारत सरकार के अंतरिक्ष विभाग के तहत एक स्वायत्त एजेंसी
- **स्थापना :** वर्ष 2020
- **मुख्यालय :** अहमदाबाद (गुजरात)
- **उद्देश्य :** अंतरिक्ष गतिविधियों में भारतीय निजी क्षेत्र की भागीदारी को सक्षम बनाना
  - निजी संस्थाओं की अंतरिक्ष क्षेत्र की सभी गतिविधियों के लिए एकल एजेंसी के रूप में स्थापित

पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी

वन्य एवं वन्यजीव

राष्ट्रीय वन्यजीव स्वास्थ्य नीति का प्रस्ताव

संदर्भ

कोविड-19 महामारी की शुरुआत संभवतः चमगादड़ों से हुई थी। इस महामारी के पाँच वर्ष बाद केंद्र सरकार द्वारा एक राष्ट्रीय वन्यजीव स्वास्थ्य नीति (NWHP) के अंतरिम मसौदे की समीक्षा की जा रही है।

राष्ट्रीय वन्यजीव स्वास्थ्य नीति के बारे में

- **क्या है :** यह नीति भारत की व्यापक राष्ट्रीय वन्यजीव कार्य योजना (2017-31) का हिस्सा है जिसमें वन्यजीवों और उनके आवासों की सुरक्षा के उद्देश्य से 103 संरक्षण कार्यों तथा 250 परियोजनाओं की रूपरेखा दी गई है।
  - यह वन्यजीव स्वास्थ्य को बढ़ाने, जूनोटिक बीमारियों को रोकने और जैव-विविधता संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए डिज़ाइन की गई एक व्यापक रूपरेखा है।
  - यह पहल मानव, पशु एवं पर्यावरणीय स्वास्थ्य को एकीकृत करते हुए वन हेल्थ दृष्टिकोण को अपनाने के वैश्विक प्रयासों के अनुरूप है।
- **उद्देश्य :** सार्वजनिक स्वास्थ्य और घरेलू पशु स्वास्थ्य प्रबंधन क्षेत्रों को एकीकृत करते हुए वन्यजीव आबादी की सुरक्षा के लिए एक व्यापक ढाँचा स्थापित करना।
- **नीति विकास प्रक्रिया :** केंद्र सरकार को आई.आई.टी. बॉम्बे और भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के कार्यालय द्वारा सहयोग दिया जा रहा है।

राष्ट्रीय वन्यजीव स्वास्थ्य नीति के प्रमुख घटक

- **उन्नत रोग निगरानी :** स्थलीय, समुद्री और पक्षी पारिस्थितिकी तंत्र को कवर करने वाली एक मज़बूत रोग निगरानी प्रणाली विकसित करना।
- **अनुसंधान एवं विकास :** संरक्षण में शामिल हितधारकों के कौशल और ज्ञान में सुधार करने के लिए वन्यजीव रोगों तथा स्वास्थ्य प्रबंधन रणनीतियों पर केंद्रित अनुसंधान एवं विकास पहलों को बढ़ावा देना।
- **सामुदायिक सहभागिता :** जागरूकता कार्यक्रमों और वन्यजीवों के साथ ज़िम्मेदारीयुक्त संवाद सहित संरक्षण प्रयासों में सामुदायिक भागीदारी को प्रोत्साहित करना।
- **जैव सुरक्षा एवं रोगजनक प्रबंधन :** वन्यजीव रोगजनक जोखिमों का प्रबंधन करना एवं संरक्षित क्षेत्रों में जैव सुरक्षा बढ़ाने के उपायों को लागू करना।

राष्ट्रीय वन्यजीव स्वास्थ्य नीति की प्रमुख सिफारिशें व पहल

- **वन्यजीवों के लिए राष्ट्रीय रेफरल केंद्र :** गुजरात के जूनागढ़ में स्थापित यह केंद्र वन्यजीव मृत्यु दर, रोग निदान एवं उपचार की जाँच के लिए एक प्रमुख केंद्र के रूप में कार्य करेगा।
- **सैटेलाइट डायग्नोस्टिक लैब :** वन्यजीव रोग निदान और समय पर पता लगाने को बढ़ावा देने के लिए महत्त्वपूर्ण वन आवासों के पास स्थापित करने का प्रस्ताव।
- **राष्ट्रीय वन्यजीव स्वास्थ्य डाटाबेस और सूचना प्रणाली :** ये प्रणालियाँ वास्तविक समय निगरानी डाटा के लिए केंद्रीकृत भंडार के रूप में कार्य करेंगी, जिससे बेहतर रोग प्रबंधन एवं प्रतिक्रिया रणनीतियों में सुविधा होगी।

नीति की आवश्यकता

- भारत में वन्यजीव विभिन्न स्वास्थ्य समस्याओं का सामना कर रहे हैं जिनमें संक्रामक रोग, आवास की क्षति, जलवायु परिवर्तन के प्रभाव और अवैध गतिविधियाँ इत्यादि शामिल हैं।
- वन्यजीव रोगाणुओं के मेज़बान के रूप में भी कार्य करते हैं और इसलिए जंगल व कैद में उनके स्वास्थ्य की निगरानी करना अनिवार्य हो गया है।
- भारत में 1,014 संरक्षित क्षेत्रों का एक नेटवर्क है जिसमें 106 राष्ट्रीय उद्यान, 573 वन्यजीव अभयारण्य, 115 संरक्षण रिज़र्व और 220 सामुदायिक रिज़र्व शामिल हैं जो इसके भौगोलिक क्षेत्र के 5.32% हिस्से में विस्तृत हैं।

नीति का महत्त्व

- यह भारत के 'राष्ट्रीय वन हेल्थ दृष्टिकोण' के साथ संरेखित है जो महामारी की तैयारी और एकीकृत रोग नियंत्रण के लिए अंतर-क्षेत्रीय प्रयासों का समन्वय करता है।
  - यह दृष्टिकोण मानव, पशु एवं पर्यावरणीय स्वास्थ्य की अन्योन्याश्रयता को पहचानता है जो जूनोटिक रोगों से निपटने के लिए सहयोगी रणनीतियों की आवश्यकता पर ज़ोर देता है।
- इस नीति द्वारा वन्यजीव पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, जो संरक्षण को बढ़ावा देते हुए पर्याप्त राजस्व उत्पन्न कर सकता है।
- जैव-विविधता हॉटस्पॉट की सुरक्षा और प्राकृतिक आवासों को संरक्षित करके भारत सतत् विकास सुनिश्चित कर सकता है जो पर्यावरण संरक्षण के साथ मानवीय आवश्यकताओं को संतुलित करता है।

आगे की राह

- नीति के सफल क्रियान्वयन के लिए पशु चिकित्सा सेवाओं, वन्यजीव विशेषज्ञों और संरक्षणवादियों सहित विभिन्न क्षेत्रों के बीच मज़बूत सहयोग की आवश्यकता

- नीति की सफलता के लिए समर्पित संसाधन, प्रशिक्षित पेशेवर और प्रयोगशाला सुविधा जैसी कमियों को दूर करना महत्त्वपूर्ण
- सामुदायिक सहभागिता महत्त्वपूर्ण
  - स्थानीय आबादी को जागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से भाग लेने, संरक्षण प्रयासों के लिए स्वयंसेवा करने और वन्यजीवों के साथ ज़िम्मेदारीपूर्ण संवाद को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।
- भविष्य की ओर देखते हुए वन्यजीव स्वास्थ्य नीति के लिए भारत के दृष्टिकोण को मनुष्यों एवं वन्यजीवों के बीच सतत् सह-अस्तित्व पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए।
- इसमें विकास के साथ संरक्षण को एकीकृत करना, संरक्षण रणनीतियों में नवाचार को बढ़ावा देना और भविष्य की पीढ़ियों के लिए एक संतुलित पारिस्थितिकी तंत्र निर्मित करने के लिए समुदायों को सम्मिलित करना शामिल है।

वनों के वित्तयन संबंधी रिपोर्ट

संदर्भ

अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस (21 मार्च) पर वन संरक्षण की दिशा में वैश्विक वित्तपोषण की आवश्यकता के संदर्भ में एक रिपोर्ट जारी की गई है।

रिपोर्ट के बारे में

- **थीम :** 'वन वित्त में रूपांतरण' (Transforming Forest Finance)
- **जारीकर्ता :** 'संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP)', 'जलवायु एवं भूमि उपयोग गठबंधन' और अन्य साझेदारों द्वारा समर्थित 'वन घोषणा आकलन (Forest Declaration Assessment)' द्वारा

रिपोर्ट के प्रमुख निष्कर्ष

- रिपोर्ट के अनुसार, वैश्विक स्तर पर वनों के लिए वित्तीय सहायता न केवल कम पड़ रही है, बल्कि यह वनों की कटाई को भी बढ़ावा दे रही है क्योंकि अरबों डॉलर का निवेश ऐसे उद्योगों में हो रहा है जो पर्यावरण को नष्ट कर रहे हैं।
- कई विकासशील देश कर्ज़ के बोझ तले दबे हुए हैं जिनका सामूहिक कर्ज़ 11 ट्रिलियन डॉलर है। इस कारण उनको प्राय: अल्पकालिक आर्थिक लाभ के लिए वनों का दोहन करने के लिए मजबूर होना पड़ता है।
- रिपोर्ट के अनुसार, मौजूदा वन वित्तयन तंत्र चुनौती के अनुरूप नहीं हैं। पिछले दो दशकों में वन वित्तयन पोषण तंत्र विशेष रूप से, REDD+ ने आवश्यक वन वित्तयन स्तर प्रदान नहीं किया है।
- पर्यावरण के लिए हानिकारक सब्सिडी वैश्विक स्तर पर सार्वजनिक व्यय की एक सतत् एवं महत्त्वपूर्ण विशेषता बनी हुई है। हानिकारक कृषि सब्सिडी प्राय: एक निर्धारित वस्तु या उत्पादन स्तर के साथ मिलकर पर्यावरण की कीमत पर औद्योगिक प्रथाओं को बढ़ावा देती है।
  - यद्यपि, विकृत सब्सिडी के नकारात्मक पर्यावरणीय प्रभाव को ब्रंटलैंड रिपोर्ट 'अवर कॉमन फ्यूचर' के प्रकाशन के साथ 1980 के दशक से पहचाना गया है किंतु, इस दिशा में सुधार बहुत ही धीमा रहा है।
- वर्ष 2023 में निजी वित्तीय संस्थानों ने वनों की कटाई से जुड़े क्षेत्रों में 6.1 ट्रिलियन डॉलर का निवेश किया, जबकि सरकारों द्वारा प्रतिवर्ष 500 बिलियन डॉलर की सब्सिडी प्रदान की जाती रही, जो संरक्षण के बजाय पर्यावरण विनाश को प्रोत्साहित करती हैं।
- निजी निवेश द्वारा मज़बूत आर्थिक प्रोत्साहन कई वन क्षेत्रों में वनों को वैकल्पिक भूमि उपयोग में बदलने के पक्ष में हैं जो त्वरित लाभ, कर राजस्व एवं नौकरियाँ प्रदान करते हैं।
- विशेषज्ञों के अनुसार, वर्तमान वित्तीय प्रणाली दीर्घकालिक स्थिरता के बजाय अल्पकालिक लाभ को महत्त्व देती है। ऐसे में वनों को वित्तीय प्राथमिकता बनाने के लिए प्रणालीगत बदलावों की आवश्यकता है।
- रिपोर्ट में मेसोअमेरिकन प्रादेशिक निधि और पोडाली निधि जैसे सफल वित्तपोषण मॉडलों पर भी प्रकाश डाला गया है जिनसे पता चला है कि स्वदेशी समुदायों को सीधे वित्तपोषण से बेहतर संरक्षण परिणाम प्राप्त होते हैं।

सुधार के लिए प्रमुख सिफारिशें

- **बहुपक्षीय एवं अंतर्राष्ट्रीय सार्वजनिक वित्त में सुधार :** इस रिपोर्ट में राजकोषीय लचीलापन बढ़ाने के लिए बहुपक्षीय एवं अंतर्राष्ट्रीय सार्वजनिक वित्त में सुधार की सिफारिश की गई है, ताकि विश्व बैंक जैसी संस्थाएँ वन संरक्षण के लिए अधिक धन मुहैया करा सकें।
- **संप्रभु ऋण में सुधार :** रिपोर्ट में दीर्घकालिक वन निवेश के लिए राजकोषीय पर्याप्तता के लिए संप्रभु ऋण प्रणालियों में सुधार की सिफारिश की गई है क्योंकि उच्च ऋण स्तर देशों को आर्थिक अस्तित्व के लिए वनों का दोहन करने के लिए मजबूर करता है।
- **हानिकारक सब्सिडी का पुनर्निर्देशित करना :** वनों की क्षति एवं जैव-विविधता संकट को बढ़ावा देने वाली हानिकारक सब्सिडी को पुनर्निर्देशित करने की आवश्यकता को रेखांकित किया गया है जिससे वनों की कटाई को बढ़ावा देने वाले उद्योगों से धन डाइवर्ट करके उसे संधारणीय विकल्पों की ओर लगाया जा सके।

- **स्थानीय समुदायों का वित्तपोषण :** रिपोर्ट में स्थानीय समुदायों के लिए प्रत्यक्ष वित्तपोषण बढ़ाने की सिफारिश की गई है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि मूल निवासियों एवं स्थानीय समूहों को अपनी भूमि की रक्षा के लिए वित्तीय सहायता मिल सके।
- **नए वित्तपोषण मॉडल की आवश्यकता :** इस रिपोर्ट में ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉरएवर फैसिलिटी जैसे नए वित्तपोषण मॉडल की आवश्यकता पर प्रकाश डाला गया है जो वित्त के नए स्रोतों को उत्प्रेरित करके उच्च प्रभाव वाली गतिविधियों को प्राथमिकता देते हैं तथा स्थानीय शासन को मज़बूत करते हैं।
- **वन-संबंधी जोखिमों को राष्ट्रीय वित्तीय विनियामक ढाँचे में शामिल करना :** वित्तीय संस्थानों को वनों की कटाई और पारिस्थितिकी तंत्र परिवर्तन जोखिमों को अपने शासन, जोखिम प्रबंधन एवं निर्णयन ढाँचे में शामिल करना चाहिए।

नदी डॉल्फिन गणना रिपोर्ट

संदर्भ

विश्व वन्यजीव दिवस के अवसर पर 3 मार्च, 2025 को प्रधानमंत्री मोदी ने नदी डॉल्फिन गणना रिपोर्ट जारी की।

नदी डॉल्फिन गणना रिपोर्ट के बारे में

- यह राष्ट्रीय स्तर पर जारी की गई पहली नदी डॉल्फिन गणना रिपोर्ट है।
- यह रिपोर्ट 8 राज्यों की 28 नदियों में अध्ययन के आधार पर तैयार की गई, जिसमें 8,500 किमी. की दूरी तय की गई।
- गंगा नदी तंत्र एवं इसकी सहायक नदियों में कुल 7,109 किमी. का सक्रिय रूप से सर्वेक्षण किया गया।
  - सहायक नदियों में चंबल, यमुना, राप्ती, शारदा, घाघरा, महानंदा, कोसी, गंडक, गेरुवा, रूपनारायण, तोरसा, कलजानी, चूर्णी एवं हल्दी शामिल की गई।
- सर्वेक्षण के लिए शोधकर्ताओं ने ध्वनिक हाइड्रोफोन का उपयोग करते हुए एक स्थिर गति से नाव द्वारा यात्रा की।
  - ध्वनिक हाइड्रोफोन (पानी के नीचे के माइक्रोफोन) डॉल्फिन द्वारा उत्सर्जित ध्वनियों को अंकित करता है।

रिपोर्ट के प्रमुख निष्कर्ष

- **कुल संख्या :** सर्वेक्षण में गंगा, ब्रह्मपुत्र एवं सिंधु नदी-घाटियों में डॉल्फिनों की अनुमानित संख्या 6,327 है।
  - इनमें गंगा डॉल्फिन की संख्या 6,324 और सिंधु डॉल्फिन की संख्या मात्र 3 है।
- **राज्यवार संख्या :** उत्तर प्रदेश में डॉल्फिनों की संख्या सर्वाधिक 2,397 है।
  - इसके बाद अन्य राज्यों की स्थिति : बिहार (2,220) > पश्चिम बंगाल (815) > असम > झारखंड > राजस्थान व मध्य प्रदेश > पंजाब (3)
- गंगा की मुख्यधारा में औसतन 3,274; गंगा की सहायक नदियों में 2,414; ब्रह्मपुत्र की मुख्यधारा में 584; ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियों में 412 और ब्यास नदी में 101 डॉल्फिन की गणना की गई।
- रिपोर्ट के अनुसार, डॉल्फिनों के आवास, प्रजनन स्थल, गतिविधियों एवं शिकार की आदतों को लेकर अभी भी जानकारी सीमित है।
  - हालाँकि, हाल के अध्ययनों से पता चलता है कि यह प्रजातियाँ नदियों के संगम, सर्पिल मार्ग एवं मध्य-चैनल द्वीपों को पसंद करती हैं।
    - मध्य-चैनल द्वीप स्वःनिर्मित निक्षेपित भू-आकृतिक इकाइयाँ हैं जो प्राकृतिक नदी प्रणालियों में सामान्यतः देखी जाती हैं।
- भारत में सिंधु नदी डॉल्फिन वर्तमान में केवल ब्यास नदी में देखी गई है। इनकी संख्या चिंताजनक रूप से कम है और इसके संरक्षण पर तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है।
- 20वीं सदी के अंत तक गंगा नदी में डॉल्फिन की संख्या लगभग 4,000-5,000 थी। वर्ष 1980 से अब तक शिकार एवं सउद्देश्य हत्या के कारण कम-से-कम 500 डॉल्फिन की मौत हुई है।

इसे भी जानिए!

भारत में डॉल्फिन प्रजातियाँ

- भारत में मीठे पानी की डॉल्फिन की दो प्रजातियों गंगा डॉल्फिन (प्लैटनिस्टा गैंगेटिका) और सिन्धु/इंडस डॉल्फिन (प्लैटनिस्टा माइनर) का आवास स्थल है।
- डॉल्फिन स्वस्थ नदी पारितंत्र के जैव-संकेतक के रूप में कार्य करती हैं।
- दोनों डॉल्फिनों को लुप्तप्राय (Endangered : EN) के रूप में वर्गीकृत किया गया है और वन्य जीवन (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के प्रावधानों के तहत अनुसूची I प्रजातियों के रूप में सूचीबद्ध हैं।

प्रोजेक्ट डॉल्फिन के बारे में

- **प्रारंभ :** प्रधानमंत्री मोदी द्वारा 15 अगस्त, 2020 को घोषित
- **उद्देश्य :** डॉल्फिन एवं अन्य जलीय पारिस्थितिकी प्रणालियों का संरक्षण और सभी संबंधित पक्षों को एक मंच पर लाना।

पोबितोरा वन्यजीव अभयारण्य

असम के पोबितोरा वन्यजीव अभयारण्य में प्रमुख आर्द्रभूमि तामुलिदोबा बील के आंशिक रूप से सूखने से वन्यजीवों के आवास प्रबंधन की तत्काल आवश्यकता महसूस की जा रही है।

पोबितोरा वन्यजीव अभयारण्य के बारे में

- **परिचय :** यह अभयारण्य असम में गुवाहाटी से कुछ दूर मोरीगाँव ज़िले में ब्रह्मपुत्र नदी के दक्षिणी तट पर स्थित है।
  - यह अभयारण्य देश में एक सींग वाले गैंडों की सर्वाधिक संख्या के लिए प्रसिद्ध है।
- **वन्यजीव अभयारण्य :** वर्ष 1987 में घोषित
- **क्षेत्रफल :** 38.85 किमी.^{2} (15.00 वर्ग मील) में विस्तृत यह अभयारण्य भारतीय गैंडों के लिए घास का मैदान एवं आर्द्रभूमि आवास प्रदान करता है।
- **शामिल वन क्षेत्र :** इस अभयारण्य में राजमायोंग रिज़र्व फॉरेस्ट एवं पोबितोरा रिज़र्व फॉरेस्ट शामिल हैं।

तामुलिदोबा बील के सूखने के प्रभाव

- तामुलिदोबा बील पोबितोरा वन्यजीव अभयारण्य में सबसे बड़ी आर्द्रभूमि में से एक है और यह बड़ी संख्या में जल-पक्षियों का आवास है।
  - पानी की कमी के कारण प्रवासी पक्षी इस वर्ष समय से पहले ही तामुलिदोबा बील को छोड़कर चले गए हैं।
- पानी की कमी के कारण गैंडो के अभयारण्य से बाहर आने से मानव-वन्यजीव संघर्ष में वृद्धि हो सकती है।

असम के अन्य वन्यजीव अभयारण्य एवं राष्ट्रीय उद्यान

वन्यजीव अभयारण्य

- गरमपानी वन्यजीव अभयारण्य
- लाओखोवा वन्यजीव अभयारण्य
- होलोंगापार वन्यजीव अभयारण्य
- सोनाई रूपाई वन्यजीव अभयारण्य
- देहिंग पटकाई वन्यजीव अभयारण्य
- बोरेल वन्यजीव अभयारण्य
- दीपोर बील वन्यजीव अभयारण्य

राष्ट्रीय उद्यान

- काज़ीरंगा राष्ट्रीय उद्यान
- मानस राष्ट्रीय उद्यान
- डिब्रू-सैखोवा राष्ट्रीय उद्यान
- नामेरी राष्ट्रीय उद्यान
- ओरंग राष्ट्रीय उद्यान

जंपिंग स्पाइडर की नई प्रजाति

पश्चिमी घाट के शेंदुर्नी वन्यजीव अभयारण्य में जंपिंग स्पाइडर की दो नई प्रजातियों की खोज की गई।

नई प्रजातियों के बारे में

- **नाम :** एपिडेलैक्सिया फाल्सीफॉर्मिस (Epidelaxia falciformis) व एपिडेलैक्सिया पैलस्ट्रिस (Epidelaxia palustris)
- **खोज स्थल :** शेंदुर्नी वन्यजीव अभयारण्य (केरल)
- **वंश (Genus) :** एपिडेलैक्सिया (Epidelaxia)
  - इस प्रजाति को भारत में पहली बार दर्ज किया गया है।
- **आवास :** श्रीलंका से लेकर भारतीय उपमहाद्वीप के अन्य भागों तक

प्रमुख विशेषताएँ

- इसमें मादाओं के प्रोसोमा (शरीर का अगला भाग) पर एक प्रमुख पीले रंग का त्रिकोणीय आकार का निशान होता है।
- ई. फाल्सीफॉर्मिस के नर में पीले-भूरे रंग की पट्टी के साथ एक भूरे रंग का कवच होता है, जबकि ई. पैलस्ट्रिस के नर में उनके शरीर के किनारे एक हल्के भूरे रंग की पट्टी होती है।
- शोधकर्ताओं के अनुसार, इन दोनों प्रजातियों के आकार में थोड़ी भिन्नता पाई जाती है।
- पश्चिमी घाट के घने पत्तेदार क्षेत्रों में पाई जाने वाली मकड़ियों की ये प्रजातियाँ अपने पर्यावरण के प्रति अत्यधिक अनुकूलित होती हैं। इस प्रजाति को पहले श्रीलंका में स्थानिक माना जाता था।

शेंदुर्नी वन्यजीव अभयारण्य

- **अवस्थिति :** केरल के कोल्लम ज़िले में अवस्थित पश्चिमी घाट में एक संरक्षित क्षेत्र
  - यह अभयारण्य अगस्त्यमलाई बायोस्फीयर रिज़र्व का हिस्सा है।
- **नामकरण :** स्थानिक प्रजाति ग्लूटा ट्रैवनकोरिका के नाम पर
  - इसे स्थानीय तौर पर 'चेनकुरिंजी' के नाम से जाना जाता है।
- **स्थापना :** 25 अगस्त, 1984
- **वन :** उष्णकटिबंधीय सदाबहार, अर्द्ध-सदाबहार वन, दलदली वन, दक्षिणी उपोष्णकटिबंधीय पहाड़ी वन, रीड ब्रेक एवं घास के मैदान आदि।
- **नदियाँ :** शेंदुर्नी नदी, काजुथुरुथी नदी एवं कुलथुपुझा नदियों का अभयारण्य प्रवाह
  - ये नदियाँ मिलकर कल्लदा नदी का निर्माण करती हैं। इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ उमयार, परप्पार, उरुलियार और पसमंकंदमथोडु हैं।
- **जैव-विविधता :** 150 से अधिक वंश (Genus) से संबंधित फूलों की लगभग 1,257 प्रजातियाँ
  - इनमें से लगभग 309 प्रजातियाँ पश्चिमी घाट में स्थानिक हैं।
  - यहाँ पाए जाने वाले सामान्य स्तनधारी हाथी, गौर, सांभर, जंगली भालू, मालाबार विशाल गिलहरी, नीलगिरि लंगूर, लॉयन टेल्ड मकॉक आदि हैं।

चमगादड़ की नई प्रजाति

उस्मानिया विश्वविद्यालय के नेतृत्व में एक अंतर्राष्ट्रीय टीम ने श्रीलंका में चमगादड़ की नई प्रजाति की पहचान की है। चमगादड़ से संबंधित इस खोज का प्रकाशन अंतर्राष्ट्रीय वर्गीकरण जर्नल 'जूटैक्स' में किया गया है।

चमगादड़ की नई प्रजाति के बारे में

- **नाम :** हिप्पोसाइडेरोस श्रीलंकाएंसिस (Hipposideros srilankaensis)
- **पहचान :** फील्ड स्टडीज़, मॉर्फोलॉजिकल परीक्षण व जेनेटिक विश्लेषण के ज़रिए
- **प्रमुख विशेषताएँ :** चौड़ी नाक, कान का विशिष्ट आकार एवं कपालीय (Cranial) विशेषताएँ
- **चमगादड़ की पर्यावरणीय भूमिका :** परागणकर्ता (Pollinators) के रूप में, बीज प्रसारक (Seed Dispersers) के रूप में और प्राकृतिक कीट नियंत्रक के रूप में महत्त्वपूर्ण
  - ऐसे में इनके संरक्षण के लिए इनकी विविधता को समझना आवश्यक है।
- **खोज का महत्त्व :** श्रीलंका की उल्लेखनीय जैव-विविधता एवं संरक्षण की तत्काल आवश्यकता को उजागर करने में महत्त्वपूर्ण
  - नई प्रजाति श्रीलंका में चमगादड़ की पहली स्थानिक प्रजाति है।
- **अध्ययन के अन्य महत्त्वपूर्ण बिंदु :** इस अध्ययन में एक दशक पूर्व किए गए दक्षिण एशिया में पाई जाने वाली चमगादड़ प्रजाति 'हिप्पोसाइडेरोस गैलेरिटस' का संशोधित वर्गीकरण भी किया गया है।
  - शोधकर्ताओं के अनुसार, हिप्पोसाइडेरोस ब्रैकियोटस को पहले हिप्पोसाइडेरोस गैलेरिटस की उप-प्रजाति माना जाता था।
  - शोध ने पुष्टि की कि हिप्पोसाइडेरोस ब्रैकियोटस भारत में पाई जाने वाली एक अलग प्रजाति है जो भारत में स्थानिक (Endemic) है।

गोलियथ बीटल

एक शोध के अनुसार, अफ्रीका का विशालकाय गोलियथ बीटल (Goliath Beetle) विलुप्त होने की कगार पर है। शोध के निष्कर्षों के अनुसार, दो अन्य विशालकाय कीट गोलियथस रेजियस क्लग (Goliathus regius Klug) और गोलियथस कैसिकस ओलिवियर (Goliathus cacicus Olivier) भी विलुप्त होने के कगार पर हैं।

गोलियथ बीटल के बारे में

- **परिचय :** गोलियथ बीटल दुनिया के सबसे बड़े कीटों में से एक हैं। इनकी पाँच अलग-अलग प्रजातियाँ पाई जाती हैं।
- **प्रमुख विशेषताएँ :** 110 मिमी. तक लंबाई, नर के सींग Y-आकार के और मादा सींगरहित
- **वंश (Genus) :** गोलियथस (Goliathus)
- **कुल (Family) :** स्काराबेइडे (Scarabaeidae)
- **उप-कुल (Sub-family) :** सीटोनीनी (Cetoniinae)
- **विस्तार :** ये अफ्रीका के उष्णकटिबंधीय जंगलों में पाए जाते हैं जिनमे सिएरा लियोन, लाइबेरिया, गिनी, कोटे डी आइवर, घाना, बुर्किना फासो, युगांडा एवं दक्षिण सूडान आदि देश शामिल हैं।
- **भोजन :** वयस्क बीटल परिपक्व वर्षावन क्षेत्रों में केवल कुछ वृक्ष प्रजातियों के पराग या रस पर ही भोजन करते हैं।

गोलियथ बीटल की पारिस्थितिकी भूमिका

- गोलियथ बीटल वन स्वास्थ्य का एक उत्कृष्ट संकेतक हैं। यदि वे किसी वन में प्रचुर मात्रा में हैं तो इसका तात्पर्य है कि वह वन अन्य प्रजातियों का समर्थन करने के लिए पर्याप्त रूप से अच्छी स्थिति में है।
- बीटल सर्वाहारी होते हैं। ये माँस के साथ-साथ पौधों का भी भक्षण करते हैं जिससे वे अन्य पौधों एवं जानवरों को पोषण देने के लिए पूरे वन पारिस्थितिकी तंत्र में पोषक तत्त्वों के चक्रण में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

गोलियथ बीटल के समक्ष प्रमुख चुनौतियाँ

- प्राकृतिक आवास की क्षति
- अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से खतरा
- जलवायु परिवर्तन के संभावित प्रभाव
- संरक्षण चुनौतियाँ
- वनों की कटाई
- भूमि में परिवर्तन
- खनन गतिविधियाँ

गोलियथ बीटल के संरक्षण के लिए सुझाव

- प्राकृतिक आवास की सुरक्षा
- सामुदायिक भागीदारी
- निगरानी प्रणाली का विकास
- स्थानीय समुदायों में जागरूकता अभियान

ब्लू-चीक्ड बी-ईटर

हाल ही में प्रायद्वीपीय भारत में ब्लू-चीक्ड बी-ईटर का पहला प्रजनन स्थल तमिलनाडु के मनाकुडी मैंग्रोव के पास आंदीविलई के मैदानों में खोजा गया।

ब्लू-चीक्ड बी-ईटर के बारे में

- **वैज्ञानिक नाम :** मेरोप्स पर्सिकस (Merops Persicus)
- **वंश (Genus) :** मेरोप्स (Merops)

- **कुल (Family) :** मेरोपिडे (Meropidae)
- **आई.यू.सी.एन. स्थिति :** संकटमुक्त (Least Concern)
- **वैश्विक प्रजनन केंद्र :** इसका प्रजनन मुख्य रूप से नील नदी डेल्टा, पाकिस्तान एवं ईरान जैसे क्षेत्रों में दर्ज किया गया है, जबकि इसके शीतकालीन आवास क्षेत्र में अफ्रीका के कुछ हिस्से शामिल हैं।
  - भारत में पहली बार प्रजनन केंद्र पाया गया है।
- **भारत में प्रजनन क्षेत्र के प्रमुख चुनौतियाँ :** आवास क्षति, विकासात्मक गतिविधियाँ एवं मानवजनित दबाव
  - इन चुनौतियों के बावजूद आंदीविलई इस प्रजाति की अनुकूलन क्षमता को दिखाता है।
- **महत्त्व :** ऐतिहासिक रूप से यह पक्षी भारत में शीतकालीन प्रवासी पक्षी के रूप में जाना जाता था।
  - तमिलनाडु में नए प्रजनन क्षेत्र की खोज भारतीय उपमहाद्वीप में पक्षी प्रजातियों के महत्त्वपूर्ण प्रजनन क्षेत्र को चिह्नित करती है, जिससे इसकी स्थिति मौसमी प्रवासी से बदलकर वर्षभर की स्थायी पक्षी के रूप में हो गई है।
- पर्यावरणविदों ने ब्लू-चीक्ड बी-ईटर के घोंसले के स्थलों की रक्षा करने का सुझाव दिया है क्योंकि यह देश में प्रजनन आबादी के लिए एकमात्र ज्ञात केंद्र है।

नोथोब्रांचियस सिल्वेटिकस

अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिकों की एक टीम ने केन्या में एक नए प्रकार की 'किलिफिश' की खोज की है जो केन्या के जंगल में स्थानिक है।

किलिफिश के बारे में

- **परिचय :** किलिफिश अंडप्रजक (अंडा देने वाली) मछलियाँ हैं। वैश्विक स्तर पर इनकी लगभग 1,270 प्रजातियाँ पाई जाती हैं।
- **आहार :** किलिफिश कीटभक्षी होती हैं जो मुख्यत: जलीय आर्थ्रोपोड्स जैसे कीट (मच्छर) लार्वा, जलीय क्रस्टेशियन और कीड़े खाती हैं।
- **आकार :** ये सामान्यत: छोटे आकार की होती हैं।
- **आवास :** ये मुख्यत: विभिन्न प्रकार के ताज़े जलीय वातावरण में रहती हैं जिनमें छोटे तालाब, नदियाँ एवं दलदल शामिल हैं।
  - ये प्राय: ऐसे क्षेत्रों में रहती हैं जहाँ मौसमी जल उपलब्धता होती है।
- **विस्तार :** ये मुख्यत: अमेरिका, दक्षिणी यूरोप, अफ्रीका के अधिकांश भाग, मध्य-पूर्व व एशियाई क्षेत्रों में पाई जाती हैं।

नई प्रजाति के बारे में

- **खोज स्थल :** वैज्ञानिकों की टीम ने इस मछली की खोज दक्षिण-पूर्वी तटीय केन्या में गोंगोनी वन के दलदलों में की।
  - गोंगोनी वन 7.09 मिलियन वर्ष से अधिक पुराना है जो केवल 8.2 वर्ग किमी. में विस्तृत है। यह वन दक्षिण अफ्रीका के पोंडोलैंड से लेकर दक्षिणी तटीय सोमालिया तक उत्तर में फैला हुआ है।
- **नाम :** इसे नोथोब्रांचियस सिल्वेटिकस नाम दिया गया है जो लैटिन शब्द 'वन से संबंधित' से लिया गया है।
  - यह वन में रहने वाली पहली ज्ञात स्थानिक किलिफिश भी है।
  - यह पहले से ही अति संकटग्रस्त है और विलुप्त हो सकती है।
- **संबंधित अध्ययन :** इससे संबंधित अध्ययन जूटाक्सा जर्नल में प्रकाशित हुआ।
  - शारीरिक लक्षणों के साथ-साथ डी.एन.ए. अनुक्रमण से इसके एक नई प्रजाति होने की पुष्टि हुई।
  - यह पाया गया कि नोथोब्रांचियस सिल्वेटिकस वंश लगभग 7.09 मिलियन वर्ष पहले अपनी प्रजातियों से अलग हो गया था।
- **जोखिम :** अत्यधिक प्रतिबंधित आवास के कारण इसे उच्च जोखिम का सामना करना पड़ रहा है।

प्रदूषण

उच्च पराबैंगनी विकिरण का स्वास्थ्य पर प्रभाव

संदर्भ

- केरल राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (KSDMA) ने पिछले कुछ दिनों में कई ज़िलों में पराबैंगनी विकिरण के उच्च स्तर के कारण पराबैंगनी सूचकांक (Ultraviolet Index : UVI) अलर्ट जारी किया है।
- जर्नल एनवायरनमेंटल मॉनिटरिंग एंड असेसमेंट में प्रकाशित वर्ष 2004 से वर्ष 2022 के बीच की अवधि के दौरान किए गए अध्ययन के अनुसार, केरल में 79% से अधिक यू.वी. माप 'बहुत उच्च' एवं 'चरम' श्रेणियों में थे।

पराबैंगनी सूचकांक के बारे में

- **क्या है :** सूर्य से आने वाली पराबैंगनी विकिरण (UV विकिरण) के स्तर की माप
  - यह सूचकांक 1 से 11+ के पैमाने पर सूर्य से आने वाली यू.वी. विकिरण की माप करता है।
- **विकास :** यू.वी. सूचकांक को विश्व स्वास्थ्य संगठन, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, विश्व मौसम विज्ञान संगठन तथा अंतर्राष्ट्रीय गैर-आयनीकरण विकिरण संरक्षण आयोग द्वारा विकसित
- **महत्त्व :** यू.वी. विकिरण के अत्यधिक संपर्क के जोखिम के बारे में जागरूकता बढ़ाने और सुरक्षात्मक उपाय अपनाने की आवश्यकता के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए महत्त्वपूर्ण

- यू.वी. विकिरण का स्तर एवं सूचकांक का मान पूरे दिन अलग-अलग होता है। यू.वी.आई. में किसी दिए गए दिन में अधिकतम दैनिक यू.वी. स्तर प्रदान किया जाता है जो सौर दोपहर के आसपास चार घंटे की अवधि के दौरान होता है।
- **विभिन्न अलर्ट :** विकिरण स्तर और स्वास्थ्य पर पड़ने वाले इसके प्रभावों के आधार पर जारी विभिन्न अलर्ट-
  - ग्रीन अलर्ट : 0 से 2 तक
  - येलो अलर्ट : 3 से 5
  - ऑरेंज अलर्ट : 6 से 7
  - रेड अलर्ट : 8 से 10
  - पर्पल अलर्ट : 11 से ऊपर

उच्च पराबैंगनी विकिरण (UVR) का स्वास्थ्य पर प्रभाव

यू.वी. विकिरण की अल्प मात्रा स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होती है जो कि विटामिन डी के उत्पादन में महत्त्वपूर्ण होती है। हालाँकि, यू.वी.आर. के अत्यधिक संपर्क से स्वास्थ्य पर पड़ने वाले नकारात्मक परिणाम इस प्रकार हैं :

- **त्वचा पर प्रभाव :**
  - त्वचा की लोचशीलता (Skin Elasticity) में कमी
  - **सनबर्न (Sunburn) :** अत्यधिक यू.वी. विकिरण के संपर्क में आने से त्वचा जल जाती है, जिससे लालिमा, दर्द एवं सूजन हो जाती है और त्वचा का रंग खराब होने लगता है।
  - **कैंसर :** अत्यधिक यू.वी. विकिरण के संपर्क में रहने से त्वचा कैंसर, बेस सेल कार्सिनोमा और स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा (आँख में और उसके आसपास कैंसर) का खतरा बढ़ जाता है।
- **प्रतिरक्षा प्रणाली पर प्रभाव :** यू.वी. विकिरण प्रतिरक्षा को नकारात्मक रूप से प्रभावित करती है जिससे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता कमज़ोर होती है और संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है।
- **आँखों पर प्रभाव :** यू.वी. विकिरण के तीव्र प्रभावों में फोटोकेराटाइटिस एवं फोटोकंजंक्टिवाइटिस (क्रमशः कॉर्निया व कंजंक्टिवा की सूजन) शामिल हैं। लंबे समय तक संपर्क में रहने से रेटिना को नुकसान हो सकता है।

ओशन डिग्रेडेबल प्लास्टिक

जापान में RIKEN सेंटर फॉर इमर्जेंट मैटर साइंस के शोधकर्ताओं ने समुद्र में पूरी तरह से विघटित होने वाला प्लास्टिक विकसित किया है जो माइक्रोप्लास्टिक नहीं बनाता है।

नए प्लास्टिक के बारे में

- **निर्माण :** इस प्रकार के प्लास्टिक का निर्माण पॉलीसैकराइड का उपयोग करके किया गया है जो गुआनिडिनियम मोनोमर्स (Guanidinium Monomers) के साथ क्रॉस-लिंक्ड साल्ट ब्रिज बनाते हैं।
  - नए प्लास्टिक गैर-विषैले एवं गैर-ज्वलनशील हैं अर्थात् ये CO_2 उत्सर्जन नहीं करते हैं और अन्य थर्मोप्लास्टिक्स की तरह 120 डिग्री सेल्सियस से ऊपर के तापमान पर इन्हें फिर से आकार दिया जा सकता है।
- **अनुप्रयोग :** इस प्लास्टिक का उपयोग 3D प्रिंटिंग के साथ-साथ चिकित्सा या स्वास्थ्य संबंधी विभिन्न क्षेत्रों में भी किया जा सकता है।
- **महत्त्व :** यद्यपि वर्तमान में ऐसे अनेक बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक हैं किंतु, मौजूदा कोई भी प्लास्टिक पानी में विघटित होकर घुल नहीं सकता है जिससे महासागरों में माइक्रोप्लास्टिक जमा हो जाता है तथा खाद्य श्रृंखला में प्रवेश करके समुद्री जीवन को नुकसान पहुँचाता है।
- नए प्लास्टिक इलेक्ट्रोलाइट्स की मौजूदगी में शुरुआती यौगिकों में टूट जाते हैं जिन्हें समुद्र में रहने वाले बैक्टीरिया द्वारा खाया जाता है।
- वैज्ञानिक इस प्लास्टिक को नमक के पानी में घोलने के बाद दो मूल निर्माण ब्लॉकों का 91% एवं 82% पुनः प्राप्त करने में सक्षम थे, जिससे स्पष्ट होता है कि इसे रिसाइकल करना आसान है।

जलवायु परिवर्तन

ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन का उपग्रहों पर प्रभाव

संदर्भ

नेचर सस्टेनेबिलिटी में प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार, वायुमंडल में मानवजनित ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन के बढ़ते स्तर के कारण इस सदी के अंत तक पृथ्वी की परिक्रमा कक्ष की वहन क्षमता में 66% तक की कमी आ सकती है।

ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन का प्रभाव

ऊपरी वायुमंडल का संकुचन

- शोधकर्ताओं के अनुसार, वायुमंडल में ग्रीनहाउस गैसों की बढ़ती मात्रा पृथ्वी के ऊपरी वायुमंडल को संकुचित कर सकती है क्योंकि आने वाली अवरक्त विकिरण अंतरिक्ष में परावर्तित होती है जिसके परिणामस्वरूप शीतलन एवं संकुचन प्रभाव होता है।
  - पृथ्वी के ऊपरी वायुमंडल में मेसोस्फीयर (50-85 किमी.) एवं थर्मोस्फीयर (85-600 किमी.) शामिल हैं।
  - यह प्रभाव थर्मोस्फीयर में विशेष रूप से चिंताजनक है जहाँ अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन सहित अधिकांश उपग्रह परिक्रमा करते हैं।
- यह संकुचन पृथ्वी के कक्षीय घनत्व को कम करता है जिससे वायुमंडल के साथ घर्षण कम होने के कारण अंतरिक्ष मलबे का कक्षा में रहने का समय बढ़ जाता है।

- वायुमंडल के साथ घर्षण पुराने उपग्रहों एवं अंतरिक्ष मलबे को पृथ्वी की निचली कक्षा में खींचकर इसे नष्ट करने में मदद करता है।

थर्मोस्फीयर का प्राकृतिक चक्र बनाम मानवीय प्रभाव

- सूर्य की नियमित गतिविधि चक्र की प्रक्रिया में थर्मोस्फीयर हर 11 वर्ष में स्वाभाविक रूप से संकुचित एवं विस्तारित होता है।
  - सौर न्यूनतम (Solar Minimum) के दौरान पृथ्वी को कम विकिरण प्राप्त होने पर बाह्य वायुमंडल अस्थायी रूप से ठंडा होकर संकुचित हो जाता है, जबकि सौर अधिकतम (Solar Maximum) के दौरान अधिक विकिरण प्राप्त होने पर यह पुन: विस्तारित हो जाता है।
- वर्तमान में मानवीय गतिविधियों के कारण उत्सर्जित ग्रीनहाउस गैस निचले वायुमंडल में ऊष्मा को रोक लेती हैं जिससे वैश्विक तापन का अनुभव होता है।
  - हालाँकि, यही गैसें बहुत अधिक ऊँचाई पर ऊष्मा का विकिरण करती हैं जिससे थर्मोस्फीयर प्रभावी रूप से ठंडा हो जाता है।
  - इससे थर्मोस्फीयर के संकुचित होने से वायुमंडलीय घनत्व कम हो जाता है।

प्रभाव

- पृथ्वी की कक्षा में उपग्रहों की संख्या में वृद्धि के साथ ही अंतरिक्ष मलबे पृथ्वी के कक्षीय स्थान के दीर्घकालिक उपयोग के लिए समस्या बन जाते हैं।
- यह 'केसलर सिंड्रोम' की स्थिति उत्पन्न कर सकता है। अंतरिक्ष में अंतरिक्ष मलबा की वजह से होने वाले उपग्रहों के टकरावों कीश्रृंखला को केसलर सिंड्रोम कहते हैं।
  - यह एक काल्पनिक स्थिति है जिसे वर्ष 1978 में नासा के वैज्ञानिक डोनाल्ड जे. केसलर ने प्रस्तावित किया था

निष्कर्ष

वर्तमान में लगभग 11,900 उपग्रह पृथ्वी की परिक्रमा कर रहे हैं जो इंटरनेट कनेक्शन, संचार क्षमता, मौसम की भविष्यवाणी और नेविगेशन तकनीक जैसी आवश्यक सेवाएँ प्रदान करते हैं। अंतरिक्ष में उपग्रह के टकराव के जोखिम को कम करने के लिए सक्रिय डी-ऑर्बिटिंग प्रौद्योगिकियों पर विचार किया जा रहा है किंतु, शोधकर्ताओं का सुझाव है कि ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करना पृथ्वी की जलवायु के लिए महत्त्वपूर्ण होने के साथ ही बाह्य अंतरिक्ष तक हमारी पहुँच और उपयोग को संरक्षित करने के लिए भी महत्त्वपूर्ण है।

कृत्रिम बुद्धिमत्ता के विकास का पर्यावरणीय प्रभाव

संदर्भ

नवाचार एवं पर्यावरणीय ज़िम्मेदारी के बीच संतुलन बनाने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता (Artificial Intelligence : AI) मूल्य श्रृंखला में कार्रवाई की आवश्यकता महसूस की जा रही है।

क्या है ए.आई.

- ए.आई. उन तकनीकों के समूह को संदर्भित करता है जो सूचना को संसाधित करने के साथ ही कम-से-कम सतही तौर पर मानवीय सोच की नकल (Mimic) कर सकते हैं।
- 1950 के दशक से ही ए.आई. के प्रारंभिक रूप मौजूद हैं किंतु, हाल के वर्षों में यह तकनीक बहुत तेज़ी से विकसित हुई है।
  - इसका एक प्रमुख कारण ए.आई. मॉडल के प्रशिक्षण के लिए महत्त्वपूर्ण कंप्यूटिंग शक्ति में प्रगति एवं डाटा की अत्यधिक उपलब्धता है।

ए.आई. तकनीक का बढ़ता दायरा

- वर्तमान में ए.आई. जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा बनता जा रहा है। यह हमारे काम करने, जीने एवं व्यापार करने के तरीके को बदल रहा है।
- व्यापक रूप से परिभाषित ए.आई. में ऐसी तकनीकें शामिल हैं जो मानवीय सोच एवं निर्णयन प्रक्रिया का अनुकरण करती हैं।
- वर्तमान वैश्विक ए.आई. बाज़ार का मूल्य $200 बिलियन है जिसके वर्ष 2030 तक वैश्विक अर्थव्यवस्था में $15.7 ट्रिलियन तक योगदान देने का अनुमान है।
- अमेरिका ने अगले चार वर्षों में ए.आई. अवसंरचना में $500 बिलियन से अधिक निवेश करने वाली स्टारगेट परियोजना की घोषणा की है।
- भारत में रिलायंस इंडस्ट्रीज़, Nvidia नामक कंपनी के साथ साझेदारी में जामनगर में दुनिया का सबसे बड़ा डाटा सेंटर बनाने की योजना बना रही है।
- भारत ने DeepSeek एवं ChatGPT से प्रतिस्पर्द्धा करने के लिए अपना स्वयं का लार्ज लैंग्वेज मॉडल (LLM) बनाने की भी घोषणा की है।

ए.आई. का पर्यावरण पर प्रभाव

- ए.आई. का पर्यावरणीय प्रभाव इसके मूल्य श्रृंखला के कई चरणों में दिखाई देता है जिसमें बुनियादी ढाँचे से ऊर्जा की खपत, कंप्यूटिंग हार्डवेयर उत्पादन, क्लाउड डाटा सेंटर संचालन, ए.आई. मॉडल प्रशिक्षण, अनुमान, सत्यापन व संबंधित प्रक्रियाएँ शामिल हैं।
- अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (IEA) के अनुसार, ए.आई. डाटा सेंटर वैश्विक ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में 1% के लिए ज़िम्मेदार हैं।
  - वर्ष 2026 तक डाटा सेंटर में बिजली की मांग दोगुनी होने का अनुमान है।
- परिष्कृत मशीन लर्निंग (ML) तकनीकों पर आधारित ChatGPT जैसे जेनरेटिव ए.आई. मॉडल को पहले के संस्करणों की तुलना में 10-100 गुना अधिक कंप्यूटिंग शक्ति की आवश्यकता होती है।
  - इससे कार्बन पदचिह्न (Carbon Footprint) में वृद्धि होती है।

- इसके अतिरिक्त डाटा सेंटर का तेज़ी से विस्तार ई-कचरे के संकट को बढ़ावा दे रहा है।
- ए.आई. के सॉफ्टवेयर के डाटा संग्रहण, मॉडल विकास, प्रशिक्षण, सत्यापन, रखरखाव तथा उनकी अवधि की समाप्ति के पश्चात् भी पर्यावरण में कार्बन का उत्सर्जन होता है।
  - GPT-3 जैसे उन्नत ए.आई. मॉडल के प्रशिक्षण से 552 टन कार्बन डाइ-ऑक्साइड के बराबर उत्सर्जन हो सकता है।

ए.आई. जनित उत्सर्जन को कम करने के प्रयास

- ए.आई. पर्यावरणीय जोखिमों को कम करने के लिए सरकारों एवं निजी क्षेत्र को ए.आई. पारिस्थितिकी तंत्र के डिज़ाइन में संधारणीयता को शामिल करने की दिशा में सक्रिय रूप से काम करना चाहिए।
- COP-29 में अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ ने हरित ए.आई. प्रथाओं की तत्काल आवश्यकता पर बल दिया।
- 190 से अधिक देशों ने पर्यावरण को संबोधित करते हुए गैर-बाध्यकारी नैतिक ए.आई. अनुशंसाओं को अपनाया है।
- यूरोपीय संघ एवं अमेरिका ने ए.आई. के पर्यावरणीय प्रभाव को रोकने के लिए कानून प्रस्तुत किए हैं।
- दुनिया भर की सरकारें राष्ट्रीय ए.आई. रणनीतियाँ तैयार कर रही हैं। हालाँकि, उनकी नीतियों में पर्यावरणीय अनुकूलता तथा उत्सर्जन को कम करने में निजी क्षेत्र की भूमिका पर बल जैसे प्रावधानों का अभाव है।

समाधान एवं सुझाव

- ए.आई. मूल्य शृंखला में शुद्ध-शून्य उत्सर्जन प्राप्त करने के लिए स्वच्छ ऊर्जा में निवेश करना एक महत्त्वपूर्ण कदम है।
  - कंपनियाँ नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों में संक्रमण करके और कार्बन क्रेडिट खरीदकर इसे प्राप्त कर सकती हैं।
- नवीकरणीय संसाधनों की प्रचुर आपूर्ति वाले क्षेत्रों में डाटा केंद्रों की स्थापना मौजूदा संसाधनों पर दबाव एवं कार्बन पदचिह्न को कम करने में मदद कर सकता है।
  - उदाहरण के लिए, Google के DeepMind ने पवन ऊर्जा पूर्वानुमान को बेहतर बनाने के लिए मशीन लर्निंग का लाभ उठाया है जिससे अधिक सटीक पवन प्रतिरूप भविष्यवाणियाँ सक्षम हुई हैं और ग्रिड में पवन ऊर्जा के बेहतर एकीकरण की सुविधा मिली है।
- ए.आई. में ऊर्जा-कुशल हार्डवेयर का उपयोग करना और नियमित रखरखाव सुनिश्चित करना भी उत्सर्जन को काफी कम कर सकता है।
- ए.आई. में छोटे, डोमेन-विशिष्ट मॉडल निम्न प्रसंस्करण शक्ति के साथ समान आउटपुट दे सकते हैं जिससे बुनियादी ढाँचे एवं संसाधनों की मांग कम हो जाती है।
  - गूगल और यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, बर्कले द्वारा किए गए एक अध्ययन के अनुसार, अनुकूलित एल्गोरिदम, विशेष हार्डवेयर और ऊर्जा-कुशल क्लाउड डाटा केंद्रों के माध्यम से लार्ज लैंग्वेज मॉडल के कार्बन पदचिह्न को 100 से 1,000 गुना तक कम किया जा सकता है।
- नए डाटा एकत्र करने या मॉडल को शुरुआत से प्रशिक्षित करने के बजाय व्यवसाय द्वारा नए कार्यों के लिए पूर्व-प्रशिक्षित मॉडल को अनुकूलित किया जा सकता हैं।
- लचीलापन/संधारणीयता (Sustainibility) प्रयासों को आगे बढ़ाने में पारदर्शिता आवश्यक है।
  - ए.आई. प्रणाली के पर्यावरणीय प्रभाव को मापने और उसको प्रकट करने से संगठनों को अपने कार्बन उत्सर्जन को समझने तथा अपने संचालन के नकारात्मक बाह्य प्रभावों को संबोधित करने में मदद मिलेगी।
  - उद्योग जगत में उत्सर्जन को ट्रैक करने और तुलना करने के लिए मानकीकृत ढाँचा स्थापित करने से संधारणीयता एवं जवाबदेही सुनिश्चित होगी।

निष्कर्ष

स्थिरता/लचीलापन को ए.आई. पारिस्थितिकी तंत्र के डिज़ाइन में शामिल किया जाना चाहिए, ताकि इसकी दीर्घकालिक वृद्धि एवं व्यवहार्यता सुनिश्चित हो सके। नवाचार के साथ पर्यावरणीय ज़िम्मेदारी को संतुलित करके पृथ्वी के भविष्य से समझौता किए बिना ए.आई. की परिवर्तनकारी क्षमता का दोहन किया जा सकता है।

चक्रीय अर्थव्यवस्था में भारत का नेतृत्व

संदर्भ

एशिया व प्रशांत क्षेत्र में 12वाँ उच्चस्तरीय क्षेत्रीय 3R एवं चक्रीय अर्थव्यवस्था मंच का शुभारंभ जयपुर में किया गया।

क्षेत्रीय 3R एवं चक्रीय अर्थव्यवस्था मंच के बारे में

- **क्या है :** टिकाऊ अपशिष्ट प्रबंधन एवं चक्रीय अर्थव्यवस्था संबंधी पहलों के लिए क्षेत्रीय सहयोग के उद्देश्य से एक महत्त्वपूर्ण मंच
- **विषय :** एशिया-प्रशांत क्षेत्र में सतत् विकास लक्ष्य एवं कार्बन तटस्थता प्राप्त करने की दिशा में सर्कुलर सोसाइटी का निर्माण
- **आयोजक :** आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय (भारत), संयुक्त राष्ट्र क्षेत्रीय विकास केंद्र और वैश्विक पर्यावरण रणनीति संस्थान
- **समर्थन :** संयुक्त राष्ट्र एशिया एवं प्रशांत आर्थिक व सामाजिक आयोग, जापान का पर्यावरण मंत्रालय तथा विभिन्न अन्य अंतर्राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय संगठन से
- वर्ष 2023 में इस मंच की मेज़बानी कंबोडिया ने की थी। भारत ने इससे पहले वर्ष 2018 में इंदौर में इस मंच की मेज़बानी की थी।
- एशिया एवं प्रशांत क्षेत्र में उच्चस्तरीय क्षेत्रीय 3R व चक्रीय अर्थव्यवस्था मंच की शुरुआत वर्ष 2009 में इस क्षेत्र में सतत्

अपशिष्ट प्रबंधन, संसाधन दक्षता तथा चक्रीय अर्थव्यवस्था के सिद्धांतों को बढ़ावा देने के लिए की गई थी।

- हालिया 3R एवं चक्रीय अर्थव्यवथा घोषणा-पत्र (2025-2034) का उद्देश्य संसाधन और अपशिष्ट प्रबंधन में परिवर्तनकारी बदलावों को उत्प्रेरित करना है।

मंच का महत्त्व

- व्यावहारिक चर्चाओं, नीतिगत सिफारिशों तथा सहयोगी साझेदारियों के माध्यम से संसाधन दक्षता, जलवायु अनुकूलन एवं पर्यावरणीय स्थिरता पर ध्यान केंद्रित करते हुए वैश्विक व क्षेत्रीय प्रतिबद्धताओं को मज़बूत करने में मदद करना
- तीव्र आर्थिक विकास, संसाधनों की कमी एवं बढ़ते अपशिष्ट उत्पादन से उत्पन्न पर्यावरणीय चुनौतियों की पहचान करते हुए नीति संवाद व क्षमता निर्माण के लिए एक प्रमुख मंच के रूप में कार्य करना
- नीति-निर्माताओं, उद्योग जगत के दिग्गजों, अनुसंधानकर्ताओं एवं विकास भागीदारों को अपशिष्ट प्रबंधन तथा संसाधन दक्षता के लिए टिकाऊ समाधानों पर चर्चा करने व उन्हें लागू करने के लिए एक महत्त्वपूर्ण मंच प्रदान करना
- टिकाऊ उत्पादन एवं उपभोग पैटर्न के लिए रोडमैप तैयार करना
- प्रो-प्लैनेट पीपुल (3P) दृष्टिकोण का अनुसरण करते हुए सतत् शहरी विकास तथा संसाधन दक्षता सुनिश्चित करने के लिए 3R (Recycle, Reduce, Reuse) एवं चक्रीय अर्थव्यवस्था के सिद्धांतों को बढ़ावा देना

मंच की महत्त्वपूर्ण उपलब्धि

- हनोई 3R घोषणा (2013-2023) को अपनाना
  - इसमें चक्रीय अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ने के लिए 33 स्वैच्छिक लक्ष्यों को चिह्नित किया गया था।
- पिछले कुछ वर्षों में संयुक्त राष्ट्र सतत् विकास लक्ष्यों (SDGs), पेरिस समझौते एवं इकोसिस्टम के निर्माण पर संयुक्त राष्ट्र दशक (2021-2030) सहित वैश्विक संधारणीयता प्रतिबद्धताओं के साथ क्षेत्रीय प्रयासों के बीच तालमेल बिठाने में भूमिका निभाना
- विशेष रूप से वैश्विक प्लास्टिक संधि के लिए वार्ता जैसी पहलों के माध्यम से प्लास्टिक प्रदूषण से निपटने में बहु-हितधारक सहयोग का समर्थन जारी रखना
- कार्बन तटस्थता, पर्यावरणीय संधारणीयता एवं आर्थिक सशक्तीकरण प्राप्त करने में एशिया-प्रशांत क्षेत्र की महत्त्वपूर्ण भूमिका पर बल देना

भारत द्वारा प्रारंभ की गई पहलें

सिटीज कोलिशन फॉर सर्कुलरिटी

इस दौरान भारत ने सिटीज कोलिशन फॉर सर्कुलरिटी (C-3) लॉन्च किया है। सी-3 टिकाऊ शहरी विकास के लिए शहर-दर-शहर सहयोग, ज्ञान-साझाकरण एवं निजी क्षेत्र की साझेदारी के लिए एक बहु-राष्ट्रीय गठबंधन है।

सिटीज 2.0

इस दौरान शहरी संधारणीयता पहलों के लिए महत्त्वपूर्ण सिटीज 2.0 के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। सिटीज 2.0 एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन और जलवायु संबंधी कार्यवाइयों को आगे बढ़ाने वाली एक प्रमुख पहल है।

भारत द्वारा चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा

भारत सतत् विकास एवं चक्रीय अर्थव्यवस्था के सिद्धांतों को बढ़ावा देने में अग्रणी रहा है। देश ने अपशिष्ट प्रबंधन चुनौतियों से निपटने के उद्देश्य से कई प्रमुख नीतियों व पहलों को लागू किया है। इनमें से कुछ प्रमुख पहल इस प्रकार हैं:

स्वच्छ भारत मिशन

इसका उद्देश्य 3R सिद्धांतों के साथ शहरी अपशिष्ट प्रबंधन को मज़बूत करना है। इस मिशन के तहत भारत ने घरेलू शौचालय निर्माण में 108.62% सफलता प्राप्त की है। इसके तहत भारत में 80.29% ठोस अपशिष्ट का सफलतापूर्वक प्रसंस्करण किया जा रहा है।

गोबर-धन योजना

इसका उद्देश्य बायोगैस एवं जैविक अपशिष्ट प्रसंस्करण के माध्यम से वेस्ट टू वेल्थ पहल को बढ़ावा देना है। यह योजना वर्तमान में भारत के कुल ज़िलों के 67.8% को कवर करती है जिसमें 27 फरवरी, 2025 तक 1008 बायोगैस संयंत्र पूरी तरह से चालू करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

ई-कचरा प्रबंधन नियम, 2022

इसका उद्देश्य इलेक्ट्रॉनिक कचरे के निपटान में चक्रीय अर्थव्यवस्था से संबंधित प्रणाली को मज़बूत करना है। वित्त वर्ष 2024-25 के लिए संगृहीत एवं पुनर्चक्रित ई-कचरे की मात्रा क्रमशः 5,82,769 मीट्रिक टन व 5,18,240 मीट्रिक टन थी।

प्लास्टिक के लिए विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व

इसका उद्देश्य उद्योगों को प्लास्टिक कचरे के लिए जवाबदेह बनाना था। भारत ने 1 जुलाई, 2022 को एकल उपयोग प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगा दिया।

अन्य

- मिशन लाइफ (पर्यावरण के लिए जीवनशैली)
- COP26 में पंचामृत लक्ष्य तथा वर्ष 2070 तक भारत को शून्य उत्सर्जन के लिए प्रतिबद्ध करना

आगे की राह

- एशिया एवं प्रशांत क्षेत्र की अर्थव्यवस्थाएँ बढ़ती पर्यावरणीय चुनौतियों से निपटने के लिए स्थायी समाधान तलाश रही हैं।

ऐसे में 3R तथा चक्रीय अर्थव्यवस्था इस क्षेत्र के सतत् विकास के लिए एक अवसर प्रदान करती है।

- क्रॉस-सेक्टोरल सहयोग को बढ़ावा देने, नवीन नीति से जुड़े दृष्टिकोणों पर सहयोग करने और 3R सिद्धांतों को बढ़ावा देकर इस लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है।

ग्लेशियर से मीथेन उत्सर्जन

संदर्भ

बायोजियोसाइंसेज जर्नल में प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार, आर्कटिक ग्लेशियरों से वायुमंडल में भारी मात्रा में मीथेन गैस का रिसाव हो रहा है। इस अध्ययन का शीर्षक 'प्रोग्लेशियल मीथेन एमिशन ड्रिवेन बाय मेल्ट वाटर एंड ग्राउंड फ्लशिंग इन अ हाई-आर्कटिक ग्लेशियल कैचमेंट' है।

अध्ययन के प्रमुख निष्कर्ष

- अध्ययन के लिए शोधकर्ताओं ने स्वॉलबार्ड (नॉर्वे) के मध्य में एक छोटी ग्लेशियर घाटी का विश्लेषण किया, जिसे वल्लाक्राब्रीन कहा जाता है। उन्होंने भू-जल झरनों एवं ग्लेशियर से निकलने वाली हिमनदों में मीथेन के स्तर का आकलन किया।
- अध्ययन के निष्कर्षों के अनुसार, ग्लेशियर में मीथेन की सांद्रता वायुमंडलीय संतुलन स्तर से 800 गुना अधिक पाई गई।
- उत्सर्जित मीथेन बर्फ के नीचे सूक्ष्मजीवीय गतिविधि से उत्पन्न न होकर थर्मोजेनिक स्रोतों से उत्पन्न हुई थी।
  - थर्मोजेनिक मीथेन (Thermogenic Methane) लाखों वर्षों से किसी क्षेत्र की प्राचीन भू-वैज्ञानिक संरचनाओं में फंसी होती है जो पृथ्वी के अंदर उच्च तापमान एवं दाब में कार्बनिक पदार्थों के विघटन से निर्मित होती है।
  - इसके विपरीत जैव-जनित (Biogenic) मीथेन अपशिष्ट उत्पाद के रूप में सूक्ष्मजीवों द्वारा उत्पन्न होती है।
- शोधकर्ताओं के अनुसार, ग्लेशियर विशाल आवरण की तरह कार्य करते हैं जो मीथेन को ज़मीन के नीचे फंसा लेते हैं। ऐसे में ग्लेशियरों के पिघलने से बड़ी मात्रा में वायुमंडल में मीथेन का उत्सर्जन होता है।
  - ग्लेशियर के पिघलने पर जल रिसकर आधार-शैल की दरारों से होकर प्रवाहित होता है जिसके परिणामस्वरूप यह मीथेन गैस को सतह पर ले आता है।
  - इसे 'ग्लेशियल फ्रैकिंग' प्रक्रिया भी कहा जाता है।

मीथेन : एक प्रमुख समस्या के रूप में

- **प्रमुख ग्रीनहाउस गैस :** कार्बन डाइ-ऑक्साइड के बाद मीथेन ऐसी प्रमुख ग्रीनहाउस गैस है जो पूर्व-औद्योगिक काल से अब तक 30% तापमान वृद्धि के लिए ज़िम्मेदार है।
- **उच्च ग्लोबल वार्मिंग क्षमता :** कार्बन डाइ-ऑक्साइड की तुलना में मीथेन ऊष्मा को रोकने में अधिक सक्षम है। ऐसा अनुमान है कि 100 वर्ष की अवधि में इसकी वैश्विक तापन क्षमता लगभग 28 गुना अधिक है।
  - संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की एक रिपोर्ट के अनुसार, अगले 20 वर्षों में कार्बन डाइ-ऑक्साइड की तुलना में मीथेन 80 गुना अधिक तापमान वृद्धि करने में सक्षम होगी।
- **ओज़ोन निर्माण में भूमिका :** यह ग्राउंड-लेवल ओज़ोन के निर्माण में भी मुख्य भूमिका निभाती है जो एक हानिकारक वायु प्रदूषक है।
  - वर्ष 2022 की एक रिपोर्ट के अनुसार, ग्राउंड-लेवल ओज़ोन के संपर्क में आने से प्रत्येक वर्ष लगभग 1 मिलियन लोगों की असामयिक मौत की संभावना होती है।

मीथेन उत्सर्जन का प्रमुख स्रोत

- मीथेन उत्सर्जन का सबसे बड़ा मानवजनित स्रोत कृषि है जो लगभग एक-चौथाई उत्सर्जन के लिए ज़िम्मेदार है। इसके बाद ऊर्जा क्षेत्र का स्थान है जिसमें कोयला, तेल, प्राकृतिक गैस एवं जैव-ईंधन से होने वाले उत्सर्जन शामिल हैं।
- कई अध्ययनों से पता चला है कि हाल के वर्षों में वायुमंडल में मीथेन की मात्रा में तीव्र वृद्धि हुई है। वर्ष 2022 में यू.एस. नेशनल ओशनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन (NOAA) के अनुसार वर्ष 2021 में मीथेन का वायुमंडलीय स्तर 17 भाग प्रति बिलियन बढ़ गया, जो वर्ष 2020 के रिकॉर्ड स्तर से अधिक था।

ताज ट्रेपेज़ियम ज़ोन

सर्वोच्च न्यायालय ने 5 मार्च, 2025 को ताज ट्रेपेज़ियम ज़ोन (TTZ) प्राधिकरण को इस क्षेत्र में वृक्षों की गणना करने के लिए वन अनुसंधान संस्थान (FRI) को नियत करने का निर्देश दिया।

ताज ट्रेपेज़ियम ज़ोन के बारे में

- आगरा स्थित ताजमहल को प्रदूषण से बचाने के लिए ताज ट्रेपेज़ियम ज़ोन (TTZ) की स्थापना की गई थी।
- पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के तहत स्थापित टी.टी.ज़ेड. लगभग 10,400 वर्ग किमी. क्षेत्र में विस्तृत है।
- यह उत्तर प्रदेश के आगरा, फिरोज़ाबाद, मथुरा, हाथरस एवं एटा ज़िलों तथा राजस्थान के भरतपुर ज़िले में विस्तृत है।
- इसमें तीन विश्व धरोहर स्थल 'ताजमहल', 'आगरा का किला' एवं 'फतेहपुर सीकरी' सहित कई अन्य स्मारक शामिल हैं।
- इस क्षेत्र में उद्योगों की श्रेणी के चार ज़ोन हैं जिन्हें लाल, हरा, नारंगी एवं सफेद वर्ग में रखा गया है।
- इस ज़ोन में केवल पर्यावरण अनुकूल, गैर-प्रदूषणकारी छोटे, लघु एवं सूक्ष्म स्तरीय उद्योगों की ही अनुमति दी जा सकती है।

वृक्षों की गणना संबंधित मामले के बारे में

- **संबंधित वाद :** एम.सी. मेहता बनाम भारत संघ एवं अन्य (2025)
- **क्या है मामला :** सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष टी.टी.ज़ेड. में वृक्षों की अनधिकृत कटाई से संबंधित एक याचिका दायर की गई थी।

सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के प्रमुख बिंदु

- न्यायालय के अनुसार, किसी भी अवैध कटाई को रोकने के लिए क्षेत्र में मौजूदा वृक्षों की गणना आवश्यक है।
- उत्तर प्रदेश वृक्ष संरक्षण अधिनियम, 1976 का उद्देश्य वृक्षों की सुरक्षा करना है, न कि उन्हें गिराना या काटना। वृक्ष गणना के बिना इस अधिनियम के प्रावधानों का प्रभावी क्रियान्वयन नहीं हो सकता है।
- इसलिए, टी.टी.ज़ेड. क्षेत्र में सभी मौजूदा वृक्षों की गणना करने के लिए एफ.आर.आई. को एक प्राधिकरण के रूप में नियुक्त करने का निर्देश दिया गया है।
- न्यायालय ने कृषि वानिकी के लिए भी वृक्षों की कटाई करने की अनुमति लेने की आवश्यकता को भी बरकरार रखा है।
  - वर्ष 2015 के अपने निर्णय में न्यायालय ने यह निर्णय दिया था कि कृषि वानिकी के लिए वर्ष 1976 के अधिनियम के प्रावधान लागू रहेंगे, जिसका अर्थ है कि किसी भी वृक्ष को काटने से पहले आवश्यक अनुमति लेनी होगी।

वन अनुसंधान संस्थान (FRI)

- देहरादून स्थित वन अनुसंधान संस्थान की शुरुआत वर्ष 1878 में फॉरेस्ट स्कूल के रूप में हुई थी। इसका प्रारंभिक नाम इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट था। वर्ष 1906 में एफ.आर.आई. अस्तित्व में आया।
- बाद में इसका नाम बदलकर वन अनुसंधान संस्थान एवं कॉलेज कर दिया गया। इसके देशभर में कई केंद्र हैं जो अनुसंधान के साथ-साथ वन अधिकारियों और वन रेंजरों को प्रशिक्षण भी देते हैं।
- वर्ष 1988 में देश में वानिकी अनुसंधान के पुनर्गठन और भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद् (ICFRE) के निर्माण के बाद प्रशिक्षण व अनुसंधान केंद्रों को स्वतंत्र संस्थानों का दर्जा प्रदान कर दिया गया।
- वन अनुसंधान संस्थान वर्तमान में आई.सी.एफ.आर.ई. के अंतर्गत आता है जिसे दिसंबर 1991 में डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया है।

जैव-विविधता एवं संरक्षण

माधव टाइगर रिज़र्व

संदर्भ

मध्य प्रदेश के माधव राष्ट्रीय उद्यान को भारत का 58वाँ और राज्य का 9वाँ टाइगर रिज़र्व घोषित किया गया।

माधव राष्ट्रीय उद्यान

- **अवस्थिति :** शिवपुरी ज़िले में स्थित ऊपरी विंध्यन पहाड़ियों का महत्त्वपूर्ण हिस्सा
- **स्थापना :** वर्ष 1958
- **क्षेत्रफल :** 355 वर्ग किमी.
- **नामकरण :** वर्ष 1956 इसे पहली बार शिवपुरी राष्ट्रीय उद्यान के रूप में चिह्नित किया गया एवं वर्ष 1958 में इसका नाम बदलकर ग्वालियर के महाराजा माधव राव सिंधिया के नाम पर आधिकारिक तौर पर माधव राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया।
- **रामसर स्थल :** उद्यान के भीतर मानव-निर्मित 'सांख्य सागर' जलाशय वर्ष 2022 में रामसर स्थल घोषित
- **वन :** उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती मिश्रित वनों के साथ-साथ विशिष्ट शुष्क काँटेदार वन

माधव राष्ट्रीय उद्यान की जैव-विविधता

- इस उद्यान के दक्षिणी भाग में सांख्य सागर और माधव सागर नामक झीलें हैं।
- इस क्षेत्र में 229 से अधिक पक्षी प्रजातियाँ पाई जाती हैं। शीतकाल के मौसम में यहाँ मध्य एशियाई देशों से अनेक प्रवासी पक्षी आते हैं।
  - इनमें बारहेडेड गूज़, ग्रेलेग गूज़, डेमोइसेल एवं यूरेशियन क्रेन आदि नियमित रूप से प्रवास करने वाले पक्षी हैं।

- अन्य प्रवासी पक्षियों में रूडी शेल्डक, पिनटेल, कॉमन टील, मैलार्ड, गार्गनी, शॉवेलर, कॉमन पोचार्ड, व्हाइट स्टॉक आदि शामिल हैं।

- वन्यजीवों में चीतल या चित्तीदार हिरण, नीलगाय एवं चिंकारा, चार सींग वाले मृग या चौसिंगा, जंगली सूअर आदि पाए जाते हैं।
- पार्क में पाए जाने वाले स्तनधारियों की निम्न प्रजातियाँ दुर्लभ मानी जाती हैं: जंगली कुत्ता, ऊद, दलदली मगरमच्छ एवं भारतीय रॉक पायथन।

मध्य प्रदेश के अन्य टाइगर रिज़र्व

1. कान्हा टाइगर रिज़र्व
2. पेंच टाइगर रिज़र्व
3. सतपुड़ा टाइगर रिज़र्व
4. बांधवगढ़ टाइगर रिज़र्व
5. नौरादेही टाइगर रिज़र्व
6. पन्ना टाइगर रिज़र्व
7. संजय दुबरी टाइगर रिज़र्व
8. रातापनी टाइगर रिज़र्व

अन्य महत्त्वपूर्ण तथ्य

- बाघ अभयारण्यों की स्थापना वर्ष 1973 में शुरू की गई प्रोजेक्ट टाइगर के एक भाग के रूप में की गई थी तथा इनका प्रशासन राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (NTCA) द्वारा किया जाता है।
- **भारत का पहला बाघ अभयारण्य :** जिम कॉर्बेट बाघ अभयारण्य (1973)
- **क्षेत्रफल के अनुसार सबसे छोटा बाघ अभयारण्य :** नामेरी टाइगर रिज़र्व (असम)
- **सर्वाधिक बाघ जनसंख्या वाले राज्य :** मध्य प्रदेश (785) > कर्नाटक > उत्तराखंड > महाराष्ट्र
- **टाइगर रिज़र्व के भीतर बाघों की सर्वाधिक संख्या :** जिम कॉर्बेट (260) > बांदीपुर > नागरहोल > बांधवगढ़ > दुधवा
- **अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस :** प्रतिवर्ष 29 जुलाई
  - इस दिवस को मनाने की घोषणा 29 जुलाई, 2010 को सेंट पीटर्सबर्ग में की गई थी।
- अखिल भारतीय बाघ अनुमान-2022 की रिपोर्ट के अनुसार, वर्तमान में बाघों की संख्या 3,682 होने का अनुमान है। यह प्रतिवर्ष 6.1% की वार्षिक वृद्धि दर को दर्शाता है।
- वर्तमान में भारत में विश्व की जंगली बाघ आबादी का लगभग 75% हिस्सा निवास करता है।

बाघ अभयारण्य अधिसूचित करना

- वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 38V के प्रावधानों के अनुसार, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की सलाह पर राज्य सरकार किसी क्षेत्र को बाघ अभयारण्य अधिसूचित कर सकती है।
- बाघ अभयारण्यों का गठन कोर/बफर रणनीति के आधार पर किया जाता है। कोर क्षेत्रों को राष्ट्रीय उद्यान या अभयारण्य का कानूनी दर्जा प्राप्त है, जबकि बफर या परिधीय क्षेत्र वन एवं गैर-वन भूमि का मिश्रण है जो प्रबंधित क्षेत्र होते हैं।

राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (NTCA)

- **गठन :** इसका गठन वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 38एल (1) के तहत किया गया है।
- एन.टी.सी.ए. एक सांविधिक निकाय है जो पर्यवेक्षी एवं समन्वयकारी भूमिका निभाता है। यह वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के प्रावधानों के अनुसार कार्य करता है।
- **नोडल मंत्रालय :** पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
- **कार्य :** इसका कार्यक्षेत्र ज़मीनी स्तर पर संरक्षण पहल से लेकर नवीनतम तकनीकी उपकरणों का उपयोग करके बाघों तथा उनके आवास की विज्ञान-आधारित निगरानी-
  - बाघ अभयारण्यों को वित्तीय एवं तकनीकी सहायता प्रदान करना
  - सामुदायिक विकास सुनिश्चित करना
  - अंतर्राष्ट्रीय सहयोग
  - प्रबंधन प्रभावशीलता मूल्यांकन
  - बाघ अभयारण्यों के लिए एम-स्ट्रिप्स
  - बाघ अभयारण्यों में बाघों को पुनः लाना
  - विशेष बाघ संरक्षण बल का गठन
  - स्वैच्छिक ग्राम पुनर्वास कार्यक्रम

पर्यावरणीय संस्थान

राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड

- विश्व वन्यजीव दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पदभार संभालने के बाद पहली बार राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड (NBWL) की अध्यक्षता की। इसकी अंतिम पूर्ण बैठक 5 सितंबर, 2012 को तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने की थी।
- विश्व वन्यजीव दिवस 3 मार्च को आयोजित किया जाता है।
- बैठक का आयोजन गुजरात के गिर राष्ट्रीय उद्यान में किया गया जिसमें विभिन्न प्रमुख वन्यजीव संरक्षण कार्यक्रमों की समीक्षा

की गई। इसके अलावा घड़ियाल एवं ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के लिए नई संरक्षण पहल की घोषणा के साथ ही प्रोजेक्ट चीता व प्रोजेक्ट लॉयन का विस्तार किया गया।

राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड के बारे में

- **परिचय :** एन.बी.डब्ल्यू.एल. वन्यजीव नीति तैयार करने, वन्यजीवों एवं वनों के संरक्षण तथा नए राष्ट्रीय उद्यानों व अभयारण्यों की स्थापना के लिए सिफारिशें देने के मामलों में देश की सर्वोच्च संस्था है।
- **गठन :** बोर्ड का गठन वर्ष 2003 में वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 में संशोधन के बाद किया गया था।
- **पृष्ठभूमि :** राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की स्थापना मूलत: वर्ष 1952 में स्थापित भारतीय वन्यजीव बोर्ड (IBWL) को पुनर्गठित करके की गई।
  - इसका उद्देश्य बोर्ड को एक वैधानिक निकाय के रूप में अधिक सशक्त बनाकर वन्यजीव संरक्षण अधिनियम को क्रियान्वित करने के लिए इसे अधिक नियामक स्वरूप प्रदान करना था।
- **अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष :** बोर्ड के पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री एवं उपाध्यक्ष केंद्रीय पर्यावरण मंत्री होते हैं।
- **सदस्य :** बोर्ड में 47 सदस्य होते हैं जिसके वरिष्ठ सदस्यों में थल सेनाध्यक्ष, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, जनजातीय कार्य मंत्रालय तथा वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग के सचिव, तीन लोक सभा सांसद, एक राज्य सभा सांसद तथा वन महानिदेशक शामिल होते हैं।
  - इसके अलावा बोर्ड में दस प्रख्यात संरक्षणवादियों, पारिस्थितिकीविदों एवं पर्यावरणविदों तथा गैर-सरकारी क्षेत्र से भी पाँच व्यक्तियों को नियुक्त किया जाता है।
- **स्थायी समिति :** बोर्ड की एक स्थायी समिति होती है जिसे राष्ट्रीय उद्यानों एवं अभयारण्यों के भीतर तथा आसपास वन भूमि पर स्थित परियोजनाओं के साथ-साथ संरक्षित क्षेत्रों के भीतर स्थित परियोजनाओं का मूल्यांकन करने जैसे महत्त्वपूर्ण कार्य सौंपे गए हैं।
  - हालाँकि, इस समिति के निर्णय अनुशंसात्मक होते हैं।

विविध

ब्लैक प्लास्टिक से संबंधित अध्ययन

संदर्भ

- ब्लैक प्लास्टिक (Black Plastic) के संदर्भ में पिछले वर्ष एक अध्ययन में दावा किया गया कि इस सामग्री में ज़हरीले अग्नि-रोधी तत्त्व होते हैं जो खतरनाक स्तर पर आहार में मिल सकते हैं।
- हालाँकि, हाल ही में यह पाया गया कि अध्ययन में एक विषैले रसायन के स्तर की गणना गलत तरीके से की गई थी जिसमें बाद में सुधार करना पड़ा।

ब्लैक प्लास्टिक से संबंधित अध्ययन के निष्कर्ष

- पिछले वर्ष अक्तूबर में केमोस्फीयर जर्नल में प्रकाशित अध्ययन में अमेरिका में बिकने वाले 203 ब्लैक प्लास्टिक के घरेलू उत्पादों का विश्लेषण किया गया जिनमें बर्तन, टेकअवे कंटेनर एवं खिलौने शामिल थे।
- शोध में इन उत्पादों में डेकाब्रोमोडिफेनिल ईथर (BDE-209) नामक एक अग्नि-रोधी रसायन के स्तर का आकलन किया गया, जो पर्यावरण में आसानी से विघटित नहीं हो पाता है।
  - हालाँकि, संभावित मानव स्वास्थ्य जोखिमों के कारण एक दशक से भी अधिक समय पहले अमेरिका में इसका उपयोग बंद कर दिया गया था।
- बर्तनों में BDE-209 का स्तर अमेरिका की पर्यावरण स्वास्थ्य संरक्षण एजेंसी (EPA) की सीमा से कम होने के बावजूद भी शोधकर्ताओं का सुझाव है कि इन अग्नि-रोधी पदार्थों की 'सुरक्षित सीमा' के बारे में अभी भी अपर्याप्त शोध का अभाव है जिससे इन बर्तनों के उपयोग में सावधानी बरतनी चाहिए।

ब्लैक प्लास्टिक के बारे में

- **क्या है :** यह प्लास्टिक का एक प्रकार है जिसे प्राय: कंप्यूटर, टी.वी. एवं अन्य उपकरणों जैसे पुनर्चक्रित इलेक्ट्रॉनिक कचरे से बनाया जाता है। इससे बनाए गए उत्पादों को अधिक आकर्षक एवं एकसमान रंग देने के लिए निर्माताओं द्वारा आमतौर पर रीसाइकिल किए गए उत्पादों में 'कार्बन ब्लैक' नामक डाई कलर मिलाया जाता है।
  - इलेक्ट्रॉनिक्स में आमतौर पर अग्नि मंदक ब्रोमीन, एंटीमनी एवं सीसा, कैडमियम व पारा जैसी भारी धातुएँ होती हैं।
  - आग के खतरों को रोकने के लिए इन इलेक्ट्रॉनिक्स में अग्नि मंदक शामिल किए जाते हैं।
  - उपर्युक्त पदार्थ एवं भारी धातुएँ उच्च स्तर पर मनुष्यों के लिए विषाक्त मानी जाती हैं और अब कई देशों में इन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।
- **उपयोग :** ब्लैक प्लास्टिक का उपयोग रोज़मर्रा की कई वस्तुओं में किया जाता है जिनमें खाद्य कंटेनर, बर्तन व पैकेजिंग आदि शामिल हैं।
  - इसका उपयोग लैपटॉप व टेलीविज़न जैसे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को रखने के लिए भी किया जाता है।

ब्लैक प्लास्टिक के दुष्प्रभाव

- **मानव स्वास्थ्य पर :** ब्लैक प्लास्टिक में मौजूद बी.पी.ए. एवं फैथलेट्स (Phthalates) जैसे रसायन अंत:स्रावी तंत्र को बाधित करते हैं जिससे मोटापा, मधुमेह एवं प्रजनन संबंधी समस्याएँ हो सकती हैं। इस प्लास्टिक में कुछ विशेष तत्त्वों के संपर्क में आने से बच्चों में विकास संबंधी समस्या, बौद्धिक क्षमता में कमी तथा तंत्रिका संबंधी अन्य विकार भी हो सकते हैं।
- **पर्यावरणीय प्रभाव :** ब्लैक प्लास्टिक आसानी से रीसाइकिल नहीं होता है, इसलिए इसे प्राय: लैंडफिल या भस्मक संयंत्रों में भेज दिया जाता है जिससे डाइऑक्सिन एवं फ्यूरान जैसे ज़हरीले पदार्थ वायु में प्रसारित हो जाते हैं। ये ज्ञात कैंसरकारक (Carcinogen) हैं जो समय के साथ साँस लेने पर मानव स्वास्थ्य को नुकसान पहुँचा सकते हैं।
- **माइक्रोप्लास्टिक संदूषण :** ब्लैक प्लास्टिक द्वारा माइक्रोप्लास्टिक संदूषण में भी वृद्धि होती है जो भोजन, पानी एवं हवा में पहुँच जाता है। इससे मानव शरीर में सूजन, ऑक्सीडेटिव तनाव एवं कोशिकीय क्षति होती है।

निष्कर्ष

भोजन को भंडारित करने एवं बनाने में ब्लैक प्लास्टिक के स्थान पर काँच व स्टेनलेस स्टील जैसे सुरक्षित, हानिरहित रसायनों वाली सामग्री का ही उपयोग करना चाहिए। ब्लैक प्लास्टिक की रासायनिक संरचना और पर्यावरणीय प्रभाव से जुड़े संभावित जोखिम अत्यधिक हैं।

प्रकृति 2025

कार्बन बाज़ार पर दो-दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में संपन्न हुआ। इसे प्रकृति 2025 (PRAKRITI 2025) नाम दिया गया है।

प्रकृति 2025 के बारे में

- **परिचय :** यह कार्बन बाज़ार पर पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है जो वैश्विक कार्बन बाज़ार की वर्तमान प्रवृत्तियों, चुनौतियों एवं भविष्य की दिशाओं पर सार्थक चर्चा पर केंद्रित है।
- **प्रकृति का अर्थ :** परिवर्तनकारी पहलों को एकीकृत करने के लिए लचीलापन, जागरूकता, ज्ञान एवं संसाधनों को बढ़ावा देना (Promoting Resilience, Awareness, Knowledge, and Resources for Integrating Transformational Initiatives: PRAKRITI)
- **आयोजक :** प्रकृति 2025 का आयोजक ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (BEE), विद्युत मंत्रालय है।
- **उद्देश्य :** इसका उद्देश्य भारतीय कार्बन बाज़ार की कार्यप्रणाली और प्रक्रियाओं की गहन समझ प्रदान करना तथा वैश्विक कार्बन बाज़ार की गतिशीलता, अवसरों व चुनौतियों के बारे में जानकारी प्रदान करना है।
  - यह सम्मेलन दुनिया भर के विशेषज्ञों, नीति-निर्माताओं, उद्योग जगत के नेताओं, शोधकर्ताओं एवं व्यावसायियों को एक-साथ लाता है।
- **ज्ञान भागीदार :** विश्व बैंक एवं अंतर्राष्ट्रीय उत्सर्जन व्यापार संघ (IETA)
- **महत्त्व :** यह सम्मेलन ज्ञान व विचारों का आदान-प्रदान करने, सहयोगात्मक समाधान तलाशने तथा कार्बन-मुक्ति और सतत् विकास में तेज़ी लाने के लिए रणनीतियों को मज़बूत करने का अवसर प्रदान करता है।

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (BEE) के बारे में

- **स्थापना :** ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 के तहत 1 मार्च, 2002 को
- **उद्देश्य :** अधिनियम की समग्र रूपरेखा के भीतर भारतीय अर्थव्यवस्था की ऊर्जा तीव्रता को कम करना
- **मिशन :** ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 के समग्र ढाँचे के भीतर स्व-नियमन और बाज़ार सिद्धांतों पर ज़ोर देने वाली नीतियों व रणनीतियों को विकसित करने में सहायता करना
- **कार्य :**
  - ऊर्जा दक्षता और संरक्षण के बारे में जागरूकता पैदा करना व सूचना का प्रसार करना।
  - ऊर्जा के दक्ष उपयोग और इसके संरक्षण के लिए तकनीकों में कर्मियों व विशेषज्ञों के प्रशिक्षण की व्यवस्था करना
  - ऊर्जा संरक्षण के क्षेत्र में परामर्श सेवाओं को सुदृढ़ करना
  - अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देना
  - परीक्षण एवं प्रमाणन प्रक्रियाओं का विकास करना तथा परीक्षण सुविधाओं को बढ़ावा देना
  - पायलट परियोजनाओं एवं निष्पादन परियोजनाओं को तैयार करना और उनके कार्यान्वयन को सुविधाजनक बनाना
  - ऊर्जा दक्ष प्रक्रियाओं, उपकरणों एवं प्रणालियों के उपयोग को बढ़ावा देना

❑❑❑

भूगोल

भू-भौतिकी घटनाएँ

हीट एक्शन प्लान में दीर्घकालिक रणनीति

संदर्भ

एक नए अध्ययन के अनुसार, कई भारतीय शहरों द्वारा प्रस्तुत अधिकांश ताप कार्रवाई कार्ययोजना (Heat Action Plans : HAPs) में अत्यधिक गर्मी के बढ़ते खतरे से निपटने के लिए दीर्घकालिक रणनीतियों का अभाव है। साथ ही, जिन शहरों में ऐसी रणनीतियाँ हैं उन्हें प्रभावी ढंग से लागू नहीं किया गया है।

अध्ययन के बारे में

- **थीम :** 'क्या भारत गर्म होती दुनिया के लिए तैयार है? भारत के कुछ सबसे जोखिम वाले शहरों में 11% शहरी आबादी के लिए गर्मी से निपटने के उपाय कैसे लागू किए जा रहे हैं'
- **जारीकर्ता :** नई दिल्ली स्थित शोध संगठन 'सस्टेनेबल फ्यूचर्स कोलैबोरेटिव (SFC)'
- **शामिल शहर :** अध्ययन में विश्लेषण के लिए 1 मिलियन से अधिक आबादी वाले ऐसे शहरों की पहचान की गई है जहाँ ताप सूचकांक मूल्यों में सर्वाधिक वृद्धि होने की संभावना है।
  - इनमें बेंगलुरु, दिल्ली, फरीदाबाद, ग्वालियर, कोटा, लुधियाना, मेरठ, मुंबई एवं सूरत जैसे शहर शामिल थे।

प्रमुख निष्कर्ष

- विश्लेषण के अनुसार यद्यपि, इन शहरों में अल्पकालिक आपातकालीन उपाय थे किंतु दीर्घकालिक उपाय या तो पूरी तरह से अनुपस्थित थे या उनका प्रभावी क्रियान्वयन नहीं हो रहा था।
- शहरों में शहरी छाया एवं हरित आवरण का विस्तार तथा खुले स्थानों का निर्माण जैसे कार्य कार्यान्वित किए जा रहे हैं किंतु, ऐसे प्रमुख क्षेत्रों एवं आबादी पर ध्यान नहीं दिया गया है जहाँ गर्मी का खतरा सर्वाधिक रहता है।
- रिपोर्ट के अनुसार, शहरों में लागू की जा रही दीर्घकालिक रणनीतियाँ रोकथाम पर केंद्रित न होकर मुख्यत: स्वास्थ्य प्रणाली तक केंद्रित हैं।
- अध्ययन में दीर्घकालिक कार्रवाइयों को लागू करने के लिए अधिक धन की आवश्यकता को रेखांकित किया गया है। संस्थागत बाधाएँ दीर्घकालिक कार्रवाई की संभावनाओं को सीमित करती हैं।
  - इन बाधाओं में सरकारी विभागों के बीच स्थानीय समन्वय की कमी है जिनमें नगरपालिका, ज़िला एवं राज्य सरकार के विभिन्न विभाग आदि शामिल थे।
- रिपोर्ट के अनुसार, नियोजन में इस तरह के अंतराल के परिणामस्वरूप आगामी वर्षों में अधिक, निरंतर, तीव्र एवं लंबे समय तक जारी रहने वाली हीटवेव के कारण गर्मी से संबंधित मौतों की संख्या बढ़ सकती है।

हीट एक्शन प्लान (HAP) के बारे में

- **क्या है :** हीट एक्शन प्लान देश भर में हीटवेव की गंभीरता एवं आवृत्ति बढ़ने की घटनाओं के लिए एक पूर्व चेतावनी प्रणाली व तैयारी योजना है।
- **उद्देश्य :** एच.ए.पी. का उद्देश्य हीटवेव के लिए तैयारी, समाधान एवं उससे उबरने के लिए रणनीतियों व उपायों की रूपरेखा तैयार करके तैयारी को बढ़ाना और अत्यधिक गर्मी के प्रतिकूल प्रभावों को कम करना है।
- **आवश्यकता :** सरकारी आँकड़ों के अनुसार, देश में हीट स्ट्रोक से होने वाली मौतों की संख्या वर्ष 2020 में 530 से बढ़कर वर्ष 2022 में 730 हो गई।
  - गैर-लाभकारी संगठन हीटवॉच की एक रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2024 में मार्च से जून के बीच भारत के 17 राज्यों में हीट स्ट्रोक के कारण लगभग 733 मौतें हुई हैं।
- **वर्तमान स्थिति :** सरकारी दस्तावेज़ों के अनुसार, HAP में संवेदनशील आबादी पर अत्यधिक गर्मी के स्वास्थ्य प्रभावों को कम करने के लिए तैयारी, सूचना-साझाकरण एवं प्रतिक्रिया समन्वय बढ़ाने के लिए तत्काल व दीर्घकालिक कार्रवाई प्रस्तुत की गई है।
  - वर्तमान में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA) राज्य प्राधिकरणों के सहयोग से हीटवेव की स्थिति से प्रभावित 23 राज्यों में एच.ए.पी. को लागू कर रहा है।

हीट एक्शन प्लान में शामिल घटक

अल्पकालिक उपाय

- हीटवेव के बारे में जनता व संबंधित अधिकारियों को सचेत करने के लिए पूर्वानुमान एवं प्रारंभिक चेतावनी प्रणालियों का उपयोग करना
- हीटवेव से जुड़े जोखिमों के बारे में अभियानों के माध्यम से जनता को शिक्षित करना
- हीट शेल्टर एवं कूलिंग सेंटर स्थापित करना और स्वच्छ पेय प्रदान करने जैसे उपायों का संयोजन
- निर्जलीकरण से बचने के लिए जल की उपलब्धता एवं उसका उपयोग बढ़ाना

- अस्पतालों में आपूर्ति सुनिश्चित करने, पर्याप्त संख्या में प्रशिक्षित स्वास्थ्यकर्मियों को गर्मी से प्रभावित रोगियों की पहचान करने और उनका उपचार करने का निर्देश

दीर्घकालिक उपाय

- वृक्षारोपण को बढ़ावा देने वाली शहरी नियोजन रणनीतियों को अपनाना
- शहरी ताप द्वीप (Heat Island) प्रभाव को कम करने के लिए ऊष्मा प्रतिरोधी निर्माण सामग्री का उपयोग करना
- सौर अवशोषण को कम करने के लिए शीतल छत प्रौद्योगिकियों का उपयोग करना
- सरकारी एजेंसियों, स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं, सामुदायिक संगठनों एवं आपातकालीन सेवाओं सहित हितधारकों के बीच प्रभावी समन्वय पर ज़ोर देना
- इसके अलावा अध्ययन में अन्य दीर्घकालिक उपायों, जैसे- सर्वाधिक गर्मी के संपर्क में आने वाले लोगों के लिए घरेलू या व्यावसायिक शीतलन उपलब्ध कराना, काम छूटने के लिए बीमा कवर विकसित करना, हीटवेव के लिए अग्नि प्रबंधन सेवाओं का विस्तार करना और ट्रान्समिशन विश्वसनीयता व वितरण सुरक्षा में सुधार के लिए बिजली ग्रिड रेट्रोफिट्स आदि का सुझाव दिया गया है।

माउंट लेवोटोबी लाकी-लाकी

इंडोनेशिया के माउंट लेवोटोबी लाकी-लाकी (Mount Lewotobi Laki-Laki) ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है।

माउंट लेवोटोबी लाकी-लाकी के बारे में

- **अवस्थिति :** यह पूर्वी नुसा तेंगारा प्रांत के फ्लोरेस द्वीप में स्थित एक सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत है।
- **विशेषता :** यह एक जुड़वाँ ज्वालामुखी प्रणाली का हिस्सा है जिसे स्थानीय निवासी नर एवं नारी पर्वत मानते हैं।
  - वर्तमान ज्वालामुखी विस्फोट इस प्रणाली के नर हिस्से (लेवोटोबी लाकी-लाकी) में हुआ है, जबकि नारी पर्वत को लेवोटोबी पेरेम्पुआन के नाम से जाना जाता है।
- **वर्गीकरण :** इन दोनों पर्वतों को स्ट्रेटोवोलकैनो के रूप में वर्गीकृत किया गया है जो विश्व भर में सबसे अधिक पाए जाने वाले ज्वालामुखी हैं।
  - इनका निर्माण ज्वालामुखी के क्रेटर से बार-बार निकलने वाले लावा की परतों से होता है।

इंडोनेशिया के बारे में

- इंडोनेशिया विश्व का सबसे बड़ा द्वीपसमूह राष्ट्र है और यहाँ 120 सक्रिय ज्वालामुखी हैं।
- यह प्रशांत महासागर के चारों ओर विवर्तनकी भ्रंश रेखाओं की एक 'घोड़े की नाल' के आकार कीशृंखला 'रिंग ऑफ फायर' के किनारे स्थित है।
  - रिंग ऑफ फायर जापान से दक्षिण-पूर्व एशिया और प्रशांत महासागर बेसिन तक विस्तृत है।
    - यह क्षेत्र सक्रिय ज्वालामुखियों से घिरा है जो शक्तिशाली टेक्टॉनिक प्लेटों के ऊपर स्थित हैं। ये प्रायः आपस में टकराते हैं और भूकंपीय गतिविधि उत्पन्न करते हैं।
- **इंडोनेशिया के अन्य ज्वालामुखी :** माउंट मेरापी, माउंट सिनाबुंग, माउंट रुआंग, माउंट क्राकाटोआ एवं माउंट सेमेरू

संसाधन

अपतटीय खनन एवं संबंधित मुद्दे

संदर्भ

केरल में प्रस्तावित अपतटीय खनन के विरोध में स्थानीय समुदायों एवं पर्यावरण कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन जारी है। केरल राज्य विधान सभा ने भी सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव में केंद्र सरकार से अपतटीय खनन योजना को छोड़ने का आग्रह किया गया है।

अपतटीय खनन से तात्पर्य

- अपतटीय खनन से तात्पर्य समुद्र तल से खनिजों या बहुमूल्य पत्थरों के निष्कर्षण की प्रक्रिया से है।
- इस प्रक्रिया में समुद्र तट के ढाँचा एवं संरचना में परिवर्तन होता है तथा पारितंत्र में व्यवधान उत्पन्न होता है।

अपतटीय खनन से प्रमुख लाभ

- **महत्त्वपूर्ण खनिजों का निष्कर्षण :** सोना, हीरा, ताँबा, निकल, कोबाल्ट, मैंगनीज़ एवं दुर्लभ पृथ्वी तत्त्व (REE) जैसे अत्यावश्यक खनिजों की प्राप्ति
- **रोज़गार सृजन :** खनन परिचालन, रसद, निर्माण, बंदरगाह-आधारित उद्योग और ड्रेजिंग तथा अपतटीय प्रौद्योगिकी फर्मों जैसे क्षेत्रों में प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रोज़गार

- **राजस्व प्राप्ति :** खनिजों के उत्पादन से रॉयल्टी और नीलामी के प्रीमियम से भारत सरकार को राजस्व प्राप्ति
- **क्षमता निर्माण :** स्वच्छ ऊर्जा एवं इस्पात निर्माण जैसे क्षेत्रों में देश की क्षमताओं में वृद्धि
- **अनुसंधान एवं विकास :** वैज्ञानिक अनुसंधान एवं प्रौद्योगिकी विकास को बढ़ावा

अपतटीय खनन का पर्यावरणीय एवं सामाजिक प्रभाव

- **पारिस्थितिकी तंत्र पर प्रभाव :** समुद्री पारितंत्र को नुकसान की संभावना, जैसे- प्रवाल भित्तियों व जलीय आवासों की क्षति एवं समुद्री जीवन पर नकारात्मक प्रभाव
- **जल प्रदूषण :** जल में रासायनिक एवं भौतिक प्रदूषण में वृद्धि से जलीय जीवन का ह्रास
- **भूमि कटाव एवं बाढ़ :** तटीय क्षेत्रों में भूमि कटाव और बाढ़ के खतरे की संभावना
- **स्थानीय समुदायों पर प्रभाव :** स्थानीय समुदायों की आजीविका एवं संस्कृति पर नकारात्मक प्रभाव
- **खनन खतरें :** खनन गतिविधियों से ज़मीन का ढहना, धंसना एवं दरार आना, खदान का पानी वापस आना, खदान से गैस उत्सर्जन एवं दहन जैसे खतरों की संभावना

भारत में अपतटीय खनन संबंधी मुद्दे

- **नए खनन ब्लॉक :** केंद्र सरकार द्वारा नवंबर 2024 में 13 अपतटीय ब्लॉकों की ई-नीलामी का पहला चरण शुरू किया गया।
  - इन 13 ब्लॉकों में से तीन केरल तट से, तीन गुजरात से और सात अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह से हैं। प्रस्तावित पट्टा 50 वर्ष के लिए है।
- **विनियमन :** केंद्र सरकार ने देश के समुद्री क्षेत्रों में खनिज संसाधनों के विकास से संबंधित अपतटीय क्षेत्र खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 2002 में वर्ष 2023 में संशोधन किया था।
  - इस संशोधन से पूर्व अपतटीय उत्खनन केंद्र सरकार के निकायों, जैसे- भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (GSI), भारतीय खनन ब्यूरो, परमाणु खनिज निदेशालय आदि के तत्त्वावधान में होता था।
  - इस संशोधन ने अपतटीय खनन को निजी क्षेत्र के लिए खोल दिया।
  - संशोधित अधिनियम ने अपतटीय संसाधनों, जैसे- पॉलीमेटेलिक नोड्यूल, चूना-पंक (Lime Mud) और निर्माण में प्रयुक्त रेत की खोज में निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए एक प्रतिस्पर्द्धी नीलामी प्रक्रिया का आरंभ किया।

पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स एवं पॉलीमेटेलिक सल्फाइड

- गहरे समुद्र तल पर पाए जाने वाले पॉलीमेटेलिक नोड्यूल (Polymetallic Nodules : PMN) ताँबा, कोबाल्ट, निकेल, मैंगनीज़ व आयरन हाइड्रॉक्साइड जैसी महत्त्वपूर्ण धातुओं से भरपूर होते हैं। 4-6 किमी. की गहराई, प्रतिकूल समुद्री परिस्थितियों और पर्यावरणीय चुनौतियों को देखते हुए पॉलीमेटेलिक नोड्यूल खनन एक तकनीकी चुनौती है।
- ये हिंद महासागर में लगभग 6,000 मीटर की गहराई पर बिखरे हुए हैं। पी.एम.एन. से प्राप्त धातुओं का प्रयोग इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों, स्मार्टफोन, बैटरी और सौर पैनलों में भी किया जाता है।
- पॉलीमेटेलिक सल्फाइड (Polymetallic Sulphides: PMS) एक प्रकार का समुद्र तलीय खनिज है। यह सोने और चाँदी जैसी कीमती धातुओं तथा ताँबा, जस्ता व सीसा जैसी आधारभूत धातुओं का संभावित स्रोत है।

कोल्लम अपतटीय खनन प्रस्ताव के बारे में

- केरल तट के पास जी.एस.आई. द्वारा किए गए एक अध्ययन में पाया गया है कि राज्य के अपतटीय क्षेत्र में निर्माण स्तर वाली रेत का विशाल भंडार है जो लगभग 745 मिलियन टन है।
  - वर्तमान में केंद्र सरकार द्वारा दक्षिणी केरल में कोल्लम तट से दूर तीन ब्लॉकों में खनन पर विचार किया जा रहा है।
- अध्ययन में पाया गया है कि इन ब्लॉकों में 300 मिलियन टन रेत का भंडार है।
- कोल्लम तट पर खनिज ब्लॉक में समुद्र की गहराई 48 मीटर से 62 मीटर तक है।

अपतटीय क्षेत्र और संघ सरकार के अधिकार

- तीनों ब्लॉक कोल्लम तट से 12 समुद्री मील से अधिक दूरी पर स्थित हैं, इसलिए वे केरल सरकार के अधीन नहीं हैं।
- अपतटीय क्षेत्र खनिज (विकास एवं विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2023 के अनुसार 'अपतटीय क्षेत्र' का अर्थ भारत के प्रादेशिक जल, महाद्वीपीय शेल्फ, विशेष आर्थिक क्षेत्र एवं अन्य समुद्री क्षेत्र हैं।
  - अधिनियम की धारा (2) केंद्र को अपतटीय क्षेत्रों में खदानों एवं खनिजों को नियंत्रित करने का अधिकार देती है।
- संविधान की सातवीं अनुसूची के अनुसार, समुद्र में 12 समुद्री मील तक मछली पकड़ना और उससे संबंधित विकासात्मक गतिविधियाँ राज्य का विषय हैं।

इसे भी जानिए!

अपतटीय क्षेत्र खनिज (विकास एवं विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2023 के उद्देश्य

- अपतटीय खनिजों के लिए एक निश्चित 50 वर्षीय उत्पादन पट्टा प्रदान करना
- खदानों के आवंटन के लिए एक पारदर्शी नीलामी मार्ग निर्मित करना
- भारत के समुद्री क्षेत्रों में खनन को नियंत्रित करना

अधिनियम के प्रमुख प्रावधान

- यह अपतटीय क्षेत्र खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 2002 में संशोधन करता है।
- सरकार को उन अपतटीय क्षेत्रों को आरक्षित करने की अनुमति है जो किसी भी परिचालन अधिकार के अंतर्गत नहीं हैं।
- यह प्रशासनिक प्राधिकारी को सरकार या सरकारी कंपनी को समग्र लाइसेंस या उत्पादन पट्टा देने की अनुमति देता है।
- निजी संस्थाओं को उत्पादन पट्टे एवं समग्र लाइसेंस के लिए प्रतिस्पर्द्धी बोली लगाना अनिवार्य है।
- परमाणु खनिजों के मामले में अन्वेषण लाइसेंस या उत्पादन पट्टा केवल सरकार या सरकारी कंपनियों को दिया जाएगा।
  - परमाणु खनिजों को खान एवं खनिज (विकास व विनियमन) अधिनियम, 1957 में परिभाषित किया गया है। इनमें शामिल हैं :
    i. यूरेनियम या थोरियमयुक्त दुर्लभ पृथ्वी खनिज
    ii. पिचब्लैंड एवं यूरेनियम अयस्क
    iii. यूरिनिफेरस एलानाइट, मोनाज़ाइट और अन्य थोरियम खनिज
- यह केंद्र सरकार द्वारा आरक्षित खनिज-प्रभाव वाले क्षेत्रों में किसी सरकार या सरकारी कंपनी को प्रतिस्पर्द्धी बोली के बिना परिचालन अधिकार प्रदान करता है।
- इसमें अपतटीय क्षेत्र खनिज ट्रस्ट की स्थापना का प्रावधान है।

कोल्लम खनन प्रस्ताव संबंधित चिंताएँ

- मत्स्यपालन क्षेत्र को क्षति की संभावना
  - कोल्लम परप्पू (क्विलोन बैंक) भारत के दक्षिण-पश्चिमी तट पर स्थित अत्यधिक उत्पादक मत्स्यन क्षेत्रों में से एक है।
- लगभग 11 लाख मछुआरों की आजीविका पर संकट
- समुद्र तल पर खनन से पानी का रंग धुंधला होना
  - इससे पानी में प्रकाश प्रवेश नहीं कर पाएगा, परिणामस्वरूप समुद्र का यूफोटिक क्षेत्र (जहाँ प्रकाश संश्लेषण के लिए पर्याप्त प्रकाश होता है) कम हो जाएगा।
- खनन से निकलने वाले तलछट का हज़ारों वर्ग किमी. दूर तक फैलने से मछलियों एवं जलीय पारितंत्र को क्षति
- खनन से समुद्र में ज़हरीले पदार्थ के निष्कर्षण की संभावना
- खनन के लिए प्रयुक्त विशाल जहाज़ से मत्स्यन गतिविधियों, मछुआरों और जहाज़ों के लिए खतरा
- खनन से प्राप्त पूरी रॉयल्टी का केंद्र के पास जाना

केंद्र सरकार की प्रतिक्रिया

- तटीय राज्यों में 130 समुद्री संरक्षित क्षेत्रों को छोड़कर अपतटीय खनन ब्लॉक का निर्माण
- समुद्री संरक्षण के लिए 106 तटीय स्थलों की पहचान महत्त्वपूर्ण तटीय एवं समुद्री जैव-विविधता क्षेत्रों (ICMBA) के रूप में
- केंद्र सरकार द्वारा अपतटीय क्षेत्र खनिज ट्रस्ट का गठन
  - इसके सदस्य तटीय राज्य हैं। ट्रस्ट को प्राप्त धनराशि का उपयोग प्रतिकूल पारिस्थितिक प्रभावों को कम करने तथा प्रभावित लोगों की मदद के लिए किया जा सकता है।

लघु खनिजों का प्रमुख खनिजों में पुनर्वर्गीकरण

संदर्भ

- खनन मंत्रालय ने बैराइट, फेल्सपर, अभ्रक एवं क्वार्ट्ज़ को लघु खनिजों (Minor Minerals) की सूची से निकालकर प्रमुख खनिजों (Major Minerals) की सूची में पुनर्वर्गीकरण कर दिया है। यह निर्णय केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन को मंजूरी दिए जाने के बाद लिया गया है।
- इस मिशन में देश के भीतर महत्त्वपूर्ण खनिजों की खोज एवं खनन की परिकल्पना की गई है, जिसमें अन्य खनिजों की खदानों से इन खनिजों की प्राप्ति, खनन के दौरान निकले अवशेष पदार्थों से इन खनिजों का निष्कर्षण भी शामिल है।

पुनर्वर्गीकरण के कारण

- **क्रिटिकल मिनरल के स्रोत :** क्वार्ट्ज़, फेल्सपर एवं अभ्रक पेग्माटाइट चट्टानों में पाए जाते हैं जो बेरिल, लिथियम, नियोबियम, टैंटालम, मोलिब्डेनम, टिन, टाइटेनियम व टंगस्टन आदि जैसे कई महत्त्वपूर्ण खनिजों के स्रोत हैं।
  - इन खनिजों की विभिन्न नई प्रौद्योगिकियों, ऊर्जा संक्रमण, अंतरिक्ष यान उद्योगों, स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र आदि में महत्त्वपूर्ण भूमिका है।
- **खनिजों की खोज और खनन में वृद्धि :** मंत्रालय के अनुसार, एक बार प्रमुख खनिजों के रूप में वर्गीकृत होने के बाद इन खनिजों की खोज एवं वैज्ञानिक खनन में वृद्धि होगी।
- **औद्योगिक एवं सामरिक महत्त्व :** बैराइट्स का उपयोग तेल ड्रिलिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, विकिरण परिरक्षण में किया जाता है

जबकि क्वार्ट्ज़, फेल्सपर एवं अभ्रक सिरेमिक, ग्लास व सेमीकंडक्टर उद्योगों के लिए महत्त्वपूर्ण हैं।

- **बेहतर विनियमन सुनिश्चित करना :** पुनर्वर्गीकरण के बाद इन खनिजों का अवैध निष्कर्षण कम होगा क्योंकि इन खनिजों का खनन 'खान व खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957' की धारा 8ए के तहत शासित होगा।
- जब क्वार्ट्ज़, फेलस्पर एवं अभ्रक को लघु खनिज के रूप में पट्टे पर दिया जाता है तो पट्टाधारक महत्त्वपूर्ण खनिजों की उपस्थिति के बारे में जानकारी प्रदान नहीं करते हैं या इससे जुड़े महत्त्वपूर्ण खनिजों, जैसे- लिथियम, बेरिल आदि का निष्कर्षण नही करते है क्योंकि उनका प्राथमिक उद्देश्य इन खनिजों का निर्माण, काँच/सिरेमिक बनाने आदि के लिए लघु खनिजों के रूप में उपयोग करना होता है। परिणामस्वरूप, इन खनिजों से जुड़े महत्त्वपूर्ण खनिजों का न तो निष्कर्षण किया जा रहा है और न ही इनके बारे में जानकारी दी जा रही है।

पुनर्वर्गीकृत खनिजों के बारे में

बैराइट *(Barytes)*

- बेरियम सल्फेट (BaSO4) से बने इस रंगहीन खनिज का उपयोग तेल एवं गैस ड्रिलिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, टीवी स्क्रीन, रबर, काँच, सिरेमिक, पेंट, विकिरण परिरक्षण व चिकित्सा अनुप्रयोगों के लिए किया जाता है।
    - इसके अलावा इसका उपयोग अस्पतालों, बिजली संयंत्रों एवं प्रयोगशालाओं में एक्स-रे उत्सर्जन को रोकने के लिए उच्च घनत्व वाले कंक्रीट बनाने के लिए किया जाता है।
- बैराइट प्रायः चूना पत्थर एवं डोलोस्टोन में कंक्रीट व शिरा भराव (Vein Filling) के रूप में और एंटीमनी, कोबाल्ट, ताँबा, सीसा, मैंगनीज़ और चाँदी के अयस्कों के साथ पाया जाता है।
- लौह अयस्क के साथ बैराइट पॉकेट प्रकार के भंडार में पाया जाता है, जिसका खनन अलग से नहीं किया जा सकता है। इनमें से किसी भी खनिज का खनन करते समय, संबंधित खनिज का उत्पादन अपरिहार्य है।

फेल्सपर *(Felspar)*

यह चट्टान निर्माणकारी 'एल्युमिनियम टेक्टोसिलिकेट' खनिजों का एक समूह है। इसका उपयोग काँच उद्योग, सिरेमिक उद्योग और पेंट, प्लास्टिक व रबर आदि उद्योगों में किया जाता है। इसका उपयोग पृथ्वी विज्ञान एवं पुरातत्त्व में पोटैशियम-आर्गन डेटिंग, आर्गन-आर्गन डेटिंग एवं ल्यूमिनेसेंस डेटिंग के लिए किया जाता है।

अभ्रक *(Mica)*

- यह आग्नेय एवं कायांतरित चट्टानों में पाया जाने वाला खनिज है। यह रंगरहित या हल्के पीले, हरे या काले रंग का होता है। इसका उपयोग कॉस्मेटिक उत्पादों, विद्युत एवं इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों, ऑटोमोटिव उत्पादों के घटकों, पेंट व दवा उद्योग में किया जाता है। इसका उपयोग रंगीन पारदर्शक कागज़, विभिन्न प्रकार के खिलौने, रंगमंच के परदों आदि की सजावट में भी किया जाता है।

क्वार्ट्ज़ *(Quartz)*

- क्वार्ट्ज़ (Quartz) सिलिकॉन ऑक्साइड से बना एक खनिज है जो भू-पर्पटी में पाए जाने वाले सबसे आम खनिजों में से एक है। यह रेत एवं ग्रेनाइट का मुख्य घटक है।
- इसका उपयोग प्रकाश बल्ब, लेंस, अपघर्षक (Abrasive), काँच, कोटिंग्स एवं फ्लोरिंग (फर्श) उत्पादन के लिए तकनीकीक्षेत्र में किया जाता है।
- यह इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग का कच्चा माल है और इसका उपयोग सभी प्रकार के डिजिटल उपकरणों, जैसे- बैटरी, प्रोसेसर आदि बनाने के लिए किया जाता है।

प्रमुख खनिज (Major Minerals)

- **प्रमुख खनिज :** प्रमुख खनिजों की कोई आधिकारिक परिभाषा नहीं है। ये ऐसे खनिज होते हैं जिनका आर्थिक मूल्य अधिक होता है तथा जिनका उपयोग औद्योगिक अनुप्रयोगों, ऊर्जा उत्पादन एवं धातु विज्ञान में किया जाता है।
- **विनियमन :** खान व खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 के तहत केंद्र सरकार द्वारा नियंत्रित।
- **प्रमुख खनिज :**
    - **धात्विक खनिज :** लौह अयस्क, ताँबा, बॉक्साइट, सोना, मैंगनीज़, जस्ता, सीसा
    - **ऊर्जा खनिज :** कोयला, लिग्नाइट, यूरेनियम
    - **औद्योगिक खनिज :** चूना पत्थर, दुर्लभ पृथ्वी तत्त्व, ग्रेफाइट, जिप्सम

लघु या गौण खनिज *(Minor Minerals)*

- **गौण खनिज :** गौण खनिजों का आर्थिक मूल्य कम होता है और इनका उपयोग मुख्यतः निर्माण, स्थानीय उद्योगों एवं सजावटी उद्देश्यों में किया जाता है।
- **विनियमन :** खान व खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम के तहत राज्य सरकारों द्वारा नियंत्रित
    - यह राज्य को पट्टे देने एवं खनन गतिविधियों के विनियमन की शक्ति देता है।
- **गौण खनिज :**
    - **निर्माण सामग्री :** रेत, बजरी, पत्थर, संगमरमर
    - **गैर-धात्विक खनिज :** डोलोमाइट, मिट्टी आदि

संयुक्त राष्ट्र विश्व जल विकास रिपोर्ट, 2025

संदर्भ

यूनेस्को ने प्रथम ग्लेशियर दिवस (21 मार्च) पर 'संयुक्त राष्ट्र विश्व जल विकास रिपोर्ट, 2025' जारी की है। इसमें बढ़ते तापमान के कारण बदलते पर्वतीय क्षेत्रों और उन पर निर्भर रहने वाले समाजों के सतत् विकास में अल्पाइन ग्लेशियरों सहित पर्वतीय जल के महत्त्व पर प्रकाश डाला गया है।

विश्व जल विकास रिपोर्ट, 2025 के बारे में

- **थीम :** पर्वत एवं ग्लेशियर : जल मीनार (Mountains and Glaciers : Water Towers)
- **जारीकर्ता :** यूएन-वाटर की ओर से यूनेस्को विश्व जल मूल्यांकन कार्यक्रम (WWAP) द्वारा

रिपोर्ट के प्रमुख निष्कर्ष

दुनिया के जल संसाधनों की स्थिति

- मीठे जल का सर्वाधिक उपयोग कृषि क्षेत्र (72%) में होता है। उसके बाद उद्योग (15%) एवं घरेलू उपयोग का स्थान है।
- वर्ष 2000–2021 की अवधि में वैश्विक स्तर पर मीठे जल के उपयोग में 14% की वृद्धि हुई है जो प्रत्येक वर्ष लगभग 0.7% की दर से बढ़ रहा है। यह वृद्धि अधिकांशतः शहरों, देशों एवं तीव्र आर्थिक विकास वाले क्षेत्रों में हुई है।
- दुनिया के उन पच्चीस देशों को प्रत्येक वर्ष अत्यंत गंभीर जल संकट का सामना करना पड़ता है जहाँ दुनिया के एक-चौथाई लोग निवास करते हैं।
- जलवायु परिवर्तन के कारण कई स्थानों पर जलापूर्ति अनिश्चित होती जा रही है। प्रदूषण, भूमि एवं प्रकृति को होने वाला नुकसान तथा प्राकृतिक आपदाएँ पानी की कमी को और भी बदतर बना सकती हैं।

सतत् विकास लक्ष्य 6 की दिशा में प्रगति

- सतत् विकास लक्ष्य 6 (SDG 6) का उद्देश्य सभी को स्वच्छ जल एवं उचित स्वच्छता सुनिश्चित करना है। हालाँकि, इस संदर्भ में सभी एस.डी.जी. 6 लक्ष्यों पर प्रगति बहुत पीछे रही है।
  - उदाहरण के लिए, वर्ष 2022 में लगभग 2.2 बिलियन लोगों (दुनिया की आबादी का 27%) के पास पीने का सुरक्षित पानी नहीं था। उनमें से पाँच में से चार लोग ऐसे ग्रामीण इलाकों में रहते हैं जहाँ बुनियादी पेयजल सेवाएँ भी उपलब्ध नहीं हैं।

पर्वतीय क्षेत्र

- पर्वत ताज़े पानी के प्रमुख स्रोत हैं जिन्हें दुनिया की 'जल मीनारें' कहा जाता है। पर्वतीय क्षेत्र औषधीय वनस्पति, लकड़ी एवं अन्य वनोत्पाद, विशिष्ट पशुधन और विशेष कृषि उत्पाद व मूल्यवान उत्पाद प्रदान करते हैं।
- ये क्षेत्र कृषि जैव-विविधता में भी समृद्ध हैं, जिसका अर्थ है कि वे कृषि एवं औषधीय वनस्पतियों के लिए कई महत्त्वपूर्ण जीनों को संरक्षित करने में मदद करते हैं।
- पहाड़ी क्षेत्रों की जाने वाली सीढ़ीदार कृषि से पानी के बहाव को कम करने, जल संरक्षण को बढ़ावा देने, मृदा के कटाव को रोकने, ढलानों को स्थिर करने, आवासों एवं जैव-विविधता में सुधार करने तथा सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने जैसे अनेक लाभ होते हैं।

ग्लेशियर एवं पहाड़ों में जमी बर्फ

- पहाड़ों में जमा पानी (जैसे- ग्लेशियर एवं बर्फ) जलवायु परिवर्तन के लिए पृथ्वी प्रणाली के सबसे संवेदनशील घटकों में से एक है। दुनिया के अधिकांश ग्लेशियर पहले की तुलना में तेज़ी से पिघल रहे हैं।
  - हालाँकि, ग्लेशियर वाले क्षेत्रों में नदियों के प्रवाह से बर्फ ज़्यादा पिघलती है और यह प्रायः पिघलते ग्लेशियरों से निकलने वाले पानी से कहीं अधिक होती है।
- ग्लेशियर पिघलने की दर का एकमात्र कारण तापमान में वृद्धि ही नहीं है। बारंबार एवं तीव्र जंगल की आग और धूलयुक्त तूफान ग्लेशियर की सतह तथा बारहमासी बर्फ के ढेर पर ब्लैक कार्बन व अन्य कणों के जमाव को बढ़ावा दे रहे हैं।
  - ये अशुद्धियाँ बर्फ एवं उसकी सतह को काला कर देती हैं जिससे सौर विकिरण का अवशोषण अधिक होता है।

मानव बस्तियाँ और आपदा जोखिम

- पहाड़ी क्षेत्रों में निवास करने वाले लोगों में से दो-तिहाई कस्बों एवं शहरों में रहते हैं। पहाड़ी क्षेत्रों में कस्बों व शहरों का तीव्र एवं बेतरतीब विकास संवेदनशील पहाड़ी पर्यावरण प्रणाली पर दबाव डाल रहा है जिससे पानी की उपलब्धता, गुणवत्ता एवं सुरक्षा प्रभावित हो रही है।
- विभिन्न प्राकृतिक आपदाएँ जलापूर्ति एवं स्वच्छता प्रणालियों को नुकसान पहुँचा रही हैं जिससे लोगों के लिए स्वच्छ जल और स्वच्छता सेवाओं तक पहुँच बाधित होती है।

उद्योग एवं ऊर्जा

- पहाड़ी क्षेत्रों में उद्योगों एवं ऊर्जा के लिए पानी की उपलब्धता के अलावा एक बड़ी चुनौती ऊँचाई है। ऐसी ऊँचाई पर अधिक निवेश एवं परिचालन लागत की आवश्यकता होती है जिससे औद्योगिक गतिविधियाँ प्रायः उन तक ही सीमित हो जाती हैं जहाँ निवेश पर अधिक लाभ प्राप्त होता है।

- पहाड़ी क्षेत्रों में उद्योग एवं ऊर्जा उत्पादन को अधिक टिकाऊ बनाने में चक्रीय अर्थव्यवस्था पानी के उपभोग को कम करने, उपयोग किए गए पानी का पुनर्चक्रण करने और जल संसाधनों के पुनः उपयोग को बढ़ावा देती है।

पर्यावरण

- पर्वतीय और उच्चभूमि पारितंत्र कटाव एवं भूस्खलन के जोखिम को कम करने, स्थानीय जलवायु को ठंडा रखने, कार्बन का भंडारण करने, भोजन व फाइबर उपलब्ध कराने, तथा स्थानीय पर्यावरण के अनुकूल फसलों व पशुधन के लिए आनुवंशिक संसाधनों का संरक्षण करने जैसी महत्त्वपूर्ण सेवाएँ प्रदान करते हैं।
- पहाड़ एवं हिमावरण वाले क्षेत्रों में होने वाले परिवर्तनों के प्रभावों से निपटने के समाधान पारिस्थितिकी तंत्र के प्राकृतिक कार्यों के संरक्षण या उन्हें बहाल करने पर केंद्रित हैं।
- इससे स्थानीय या क्षेत्रीय स्तरों पर इन पारितंत्रों द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं को बनाए रखने या सुधारने में मदद मिलती है।

पहाड़ी क्षेत्रों में जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने के लिए उपाय

- आपातकालीन भंडारण एवं बाईपास बनाना तथा हिमनद झीलों से नियंत्रित निकास के लिए व्यवहार्यता अध्ययन
- नदी बेसिन प्रबंधन और बेसिन अनुकूलन के लिए योजना निर्माण
- ग्लेशियरों में होने वाले परिवर्तनों की निगरानी करना
- ग्लेशियर झील के फटने से आने वाली बाढ़ के जोखिम को कम करने के लिए प्रणालियाँ स्थापित करना तथा ग्लेशियर वाले क्षेत्रों में पूर्व चेतावनी प्रदान करना

चर्चित समुदाय एवं स्थल

मोरन समुदाय

असम सरकार ने अरुणाचल प्रदेश में रहने वाले मोरन समुदाय के सदस्यों को स्थायी निवास प्रमाण-पत्र (Permanent Residence Certificate : PRC) देने के प्रस्ताव का निर्णय लिया है।

असम सरकार का हालिया निर्णय

- मोरन समुदाय मुख्यतः पूर्वी असम में निवास करते हैं। हालाँकि, अरुणाचल के नामसाई ज़िले में भी इनकी काफी आबादी है।
- अरुणाचल के कुछ हिस्सों में निवास करने वाले कुछ अन्य समूहों के साथ ये लंबे समय से अरुणाचल में भी पी.आर.सी. की मांग कर रहे हैं। इसके अभाव में अरुणाचल प्रदेश में विभिन्न सार्वजनिक सुविधाओं तक इनकी पहुँच सीमित है।
- अरुणाचल प्रदेश में निवास करने वाले मोरन समुदाय के सदस्य, विशेष रूप से असम से पैतृक संबंध रखने वाले, असम सरकार से पी.आर.सी. प्राप्त करने के लिए आवेदन करने के पात्र होंगे।
- असम द्वारा जारी पी.आर.सी. अब पात्र मोरन समुदाय के सदस्यों को सरकारी लाभ, शैक्षिक अवसर और रोज़गार की संभावनाओं तक पहुँच प्रदान करेगा।
- इस निर्णय का उद्देश्य राज्य में शिक्षा, रोज़गार एवं आरक्षण लाभों तक पहुँच प्रदान करके मोरन समुदाय को असम के सामाजिक-आर्थिक ढाँचे में एकीकृत करना है।

मोरन समुदाय के बारे में

- मोरन समुदाय असम की आदिवासी जनजातियों में से एक है। 13वीं सदी में वे ब्रह्मपुत्र घाटी के दक्षिण-पूर्वी क्षेत्र में निवास करते थे।
- मोरन समुदाय का उल्लेख असम के साहित्यिक इतिहास 'असम बुरंजिस' में भी मिलता है।
- पूर्वोत्तर भारत में अहोम साम्राज्य की स्थापना से पूर्व मोरन समुदाय का स्वतंत्र राज्य था।
- **भाषा** : असमिया
- **शारीरिक विशेषताएँ** : मध्यम कद के साथ मज़बूत शरीर, गोल चेहरा, हल्का भूरा रंग, मोटे बाल, कम दाढ़ी एवं मूँछें, चपटी नाक।
- **आजीविका** : मोरन अपनी आजीविका के लिए काफी हद तक जंगल एवं अन्य प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर हैं। ये झूम कृषि करते हैं।
- **धर्म एवं संस्कृति** : 17वीं सदी की शुरुआत में शंकरदेव के शिष्य अनिरुद्धदेव के प्रभाव में इस समुदाय के अधिकांश लोगों ने वैष्णव धर्म अपना लिया।
  - अन्य समुदायों के साथ आत्मसात करने और अपनी संस्कृति के परिवर्तन की लंबी प्रक्रिया के बावजूद उन्होंने अभी भी अपनी प्राचीन संस्कृति के कई पहलुओं, जैसे- जातीय कला, संगीत, नृत्य, भाषा व सामाजिक एवं आर्थिक व्यवस्था को जारी रखा है।
  - इनमें शाक्त देवी को प्रसन्न करने के लिए पशु-पक्षियों की बलि दी जाती है। मोरन समुदाय द्वारा बलि सामान्य तरीके से गला काटने के बजाय पानी में डुबोकर दी जाती है।
- **नृत्य** : सत्रिया, कोला-बुरही, बिहू

विक्टोरिया झील के रंग में परिवर्तन

वर्तमान में ज़हरीले बैक्टीरिया वैश्विक स्तर पर झीलों के लिए नया खतरा बनते जा रहे हैं जिससे झील के पानी का रंग हरा होता जा रहा है। इस बैक्टीरिया का प्रभाव विक्टोरिया झील में भी देखा गया है।

विक्टोरिया झील के हरा होने का कारण

- झीलों का रंग सायनोHABs (cyanoHABs) नामक साइनोबैक्टीरिया के कारण हरा हो रहा है।
  - साइनोबैक्टीरिया गर्म झीलों एवं तालाबों में पनपते हैं जिनमें उर्वरक, खाद एवं सीवेज से प्राप्त नाइट्रोजन व फॉस्फोरस पोषक तत्त्व अधिक मात्रा में होते हैं।
- विक्टोरिया झील के किनारे बढ़ती आबादी और भूमि-उपयोग में बदलाव के कारण पोषक तत्त्वों में लगातार वृद्धि हो रही है। इसके अलावा कृषि, उद्योग एवं शहरीकरण से मिलने वाले पोषक तत्त्व साइनोएचएबी की वृद्धि को बढ़ावा देते हैं।
- सायनोएचएबी विक्टोरिया झील के कई बेसिनों में पाए जाते हैं किंतु केन्या की उथली विनाम की खाड़ी में अत्यधिक केंद्रित हैं।
- झील के किनारे रहने वाले समुदाय पीने के पानी और घरेलू कार्यों के लिए इस खाड़ी पर निर्भर हैं उन्हें सायनोएचएबी विषाक्त पदार्थों के संपर्क में आने का जोखिम है।

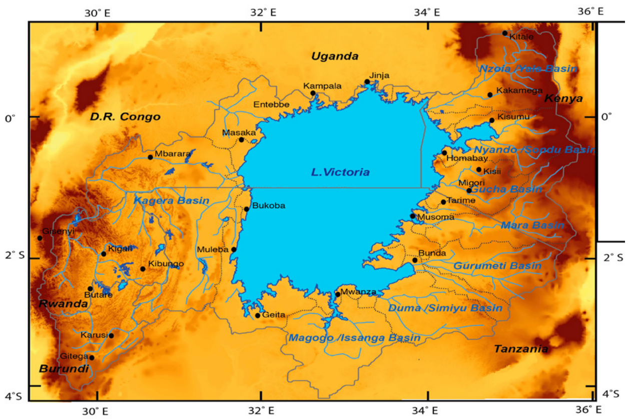

विक्टोरिया झील के बारे में

- इसे 'डार्विन के ड्रीमपोंड' के नाम से भी जाना जाता है।
- विक्टोरिया झील अफ्रीका की सबसे बड़ी एवं दुनिया की सबसे बड़ी उष्णकटिबंधीय झील है।
- यह क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व की तीसरी सबसे बड़ी झील (प्रथम और द्वितीय स्थान पर क्रमशः कैस्पियन सागर एवं सुपीरियर झील हैं) है।
- यह सुपीरियर झील के बाद विश्व की दूसरी सबसे बड़ी ताज़े पानी की झील है। विषुवत रेखा इस झील से होकर गुज़रती है।
- झील का विस्तार तीन देशों तंज़ानिया, युगांडा व केन्या में है। यह व्हाइट नील (White Nile) नदी का उद्गम स्रोत है।
- विक्टोरिया झील अपने उच्च स्तर के अद्वितीय जैव-विविधता के लिए जानी जाती है।
  - झील का बेसिन मत्स्यपालन, जंगलों, आर्द्रभूमियों सहित विशाल प्राकृतिक संसाधनों से संपन्न है जो स्थानीय समुदायों को भोजन एवं स्वच्छ पानी तथा आजीविका प्रदान करने में महत्त्वपूर्ण है।

नैनी झील का गिरता जलस्तर

हालिया रिपोर्टों के अनुसार, नैनी झील का जलस्तर रिकॉर्ड 4.7 फीट तक गिर गया है जो पिछले पाँच वर्षों में न्यूनतम है। जलस्तर में इस गिरावट के बाद संभावित जल संकट को लेकर चिंता व्यक्त की जा रही है।

नैनी झील के बारे में

- **अवस्थिति :** यह एक मीठे पानी की झील है जो उत्तराखंड के कुमाऊँ में नैनीताल शहर के बीच में स्थित है।
  - झील के उत्तरी छोर को मल्लीताल कहा जाता है जबकि दक्षिणी छोर को तल्लीताल कहा जाता है।
- **निर्माण :** झील बेसिन का निर्माण टेक्टॉनिक गतिविधि के परिणामस्वरूप हुआ था।
- **पौराणिक महत्त्व :** झील के किनारे प्रसिद्ध नैना देवी मंदिर है जो प्रमुख 'शक्तिपीठों' में से एक है।
  - ऐसा माना जाता है कि देवी सती (भगवान शिव की पत्नी) की बाईं आँख (नैन) यहाँ गिरी थी, इसीलिए झील का आकार आँख की तरह है।

झील के जलस्तर में गिरावट का कारण

- **कम बर्फबारी :** इस वर्ष शीतकाल में केवल दो बार ही बर्फबारी हुई, जो झील में पानी पुनर्भरण के लिए पर्याप्त नहीं थी।
- **भूमिगत जल की कमी :** भूमिगत जल की कमी को भी इसका एक प्रमुख कारण माना जा रहा है।
  - भूमिगत जल में कमी का प्रमुख कारण निर्माण कार्यों के लिए हिमालयी ओक (बांज) के वृक्षों की कटाई माना जाता है जो अपनी विशेष जल-धारण क्षमता के लिए प्रसिद्ध हैं।
  - इसके अलावा पहले सभी घरों में वर्षा जल संचयन प्रणाली या 'पटनाला' लगा होता था जो भू-जल स्तर को बढ़ाने में महत्त्वपूर्ण होता था।
- **अन्य कारण :** वनों की कटाई, झील के जलग्रहण क्षेत्र में अनियमित निर्माण और प्राकृतिक पुनर्भरण क्षेत्रों में कंक्रीट व बारिश में कमी जैसी स्थितियाँ भी इसके लिए ज़िम्मेदार हैं।

❑❑❑

कृषि

पशुधन स्वास्थ्य एवं रोग नियंत्रण कार्यक्रम

संदर्भ

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पशुधन स्वास्थ्य एवं रोग नियंत्रण कार्यक्रम (Livestock Health and Disease Control Programme : LHDCP) में संशोधन को मंजूरी दी है।

पशुधन स्वास्थ्य एवं रोग नियंत्रण कार्यक्रम के बारे में

- **परिचय :** यह एक केंद्र-प्रायोजित योजना है जिसका क्रियान्वयन कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के पशुपालन एवं डेयरी विभाग (DAHD) द्वारा किया जाता है।
- **योजना का आरंभ :** वर्ष 2019
- **शामिल घटक :** इस योजना में दो घटक पहले से शामिल हैं : राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम (NADCP) और पशुधन स्वास्थ्य एवं रोग नियंत्रण (LH&DC)
  - संशोधन के बाद एल.एच.डी.सी.पी. में 'पशु औषधि' नामक एक नया घटक शामिल किया गया है।
  - दो वर्षों अर्थात् वर्ष 2024-25 एवं वर्ष 2025-26 के लिए योजना का कुल परिव्यय 3,880 करोड़ रुपए है जिसमें पशु औषधि घटक के तहत अच्छी गुणवत्ता वाली व सस्ती जेनेरिक पशु चिकित्सा दवा तथा दवाओं की बिक्री के लिए प्रोत्साहन प्रदान करने के उद्देश्य से 75 करोड़ रुपए का प्रावधान शामिल है।

पशुधन स्वास्थ्य एवं रोग नियंत्रण (LH&DC) के तीन उपघटक

- गंभीर पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम (CADCP)
- पशु चिकित्सा अस्पतालों एवं औषधालयों की स्थापना व सुदृढ़ीकरण- मोबाइल पशु चिकित्सा इकाई (ESVHD-MVU)
- पशु रोगों के नियंत्रण के लिए राज्यों को सहायता (ASCAD)

योजना का उद्देश्य

- इस योजना का समग्र उद्देश्य पशुधन एवं मुर्गी पालन के विभिन्न रोगों के खिलाफ रोगनिरोधी टीकाकरण कार्यक्रमों के कार्यान्वयन, क्षमता निर्माण, रोग निगरानी और पशु चिकित्सा बुनियादी ढाँचे को मज़बूत करने के माध्यम से पशु स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार करना है।
- एल.एच.डी.सी.पी. के कार्यान्वयन से टीकाकरण के माध्यम से बीमारियों की रोकथाम करके इन नुकसानों में कमी आएगी। इस योजना से उत्पादकता में सुधार होगा, रोज़गार सृजन होगा, ग्रामीण क्षेत्र में उद्यमिता को बढ़ावा मिलेगा और बीमारी के बोझ के कारण किसानों को होने वाले आर्थिक नुकसान को रोका जा सकेगा।
- पशुओं की उत्पादकता खुरपका एवं मुँहपका रोग (FMD), ब्रुसेलोसिस, पेस्ट डेस पेटिट्स रूमिनेंट्स (PPR), क्लासिकल स्वाइन फीवर (CSF), लम्पी स्किन डिजीज़ (LSD) आदि बीमारियों के कारण प्रतिकूल रूप से प्रभावित होती है।

योजना का लक्ष्य

- गाय, भैंस, भेड़, बकरी व सुअर सहित 53.5 करोड़ पशुधन को खुरपका एवं मुँहपका रोग (FMD) के खिलाफ साल में दो बार टीकाकरण करना
- ब्रुसेलोसिस के खिलाफ सालाना 3.9 करोड़ मादा गोजातीय बछड़ों का टीकाकरण करना
- सभी भेड़ों व बकरियों का टीकाकरण करके वर्ष 2030 तक संपूर्ण सुअर आबादी का टीकाकरण करके क्लासिकल स्वाइन फीवर (CSF) को नियंत्रित करना।
- मोबाइल पशु चिकित्सा इकाइयों (MVU) के माध्यम से किसानों के दरवाज़े पर पशु चिकित्सा सेवाएँ प्रदान करना
- विभिन्न राज्यों/केंद्र-शासित प्रदेशों में प्रचलित महत्त्वपूर्ण पशुधन एवं कुक्कुट रोगों की रोकथाम व नियंत्रण के लिए राज्यों/केंद्र-शासित प्रदेशों को उनकी प्राथमिकताओं के अनुसार पशु रोग नियंत्रण के लिए सहायता प्रदान करना।

डिजिटल कृषि मिशन के बारे में

- 2 सितंबर, 2024 को कृषि क्षेत्र में डिजिटल अवसंरचना के निर्माण के लिए भारत सरकार ने 2,817 करोड़ रुपए के डिजिटल कृषि मिशन को मंज़ूरी दी थी।
- **उद्देश्य :** कृषि क्षेत्र में डिजिटल तकनीकों का इस्तेमाल करके किसानों की आय में वृद्धि करना एवं कृषि उत्पादन में सुधार करना
- इसमें एग्रीटेक, कृषि निर्णय सहायता प्रणाली, सॉइल प्रोफाइल मैप्स एवं डिजिटल कृषि सर्वे जैसी योजनाएँ शामिल हैं।

ठंडे एवं शुष्क क्षेत्रों के लिए आकस्मिक फसल योजना

संदर्भ

शेर-ए-कश्मीर कृषि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (SKUAST) ने इस ग्रीष्म ऋतु में कश्मीर की शुष्क परिस्थितियों से निपटने के लिए बीज वितरण से लेकर फसल कैलेंडर के लिए एक कार्ययोजना प्रस्तुत की है। यह योजना कश्मीर सहित अन्य शीत एवं शुष्क क्षेत्रों में कृषि के लिए संभावनाएँ प्रस्तुत करता है।

शुष्क मौसम का प्रतिकूल प्रभाव

- कश्मीर सहित इसके संलग्न पहाड़ी क्षेत्रों में इस वर्ष शीत ऋतु शुष्क रहने के कारण जनवरी एवं फरवरी माह में बारिश में लगभग 80% की कमी दर्ज की गई है। इसके अतिरिक्त इन क्षेत्रों में बर्फबारी में भी काफी कमी आई है।
- विशेषज्ञों ने पूर्व में ही चेतावनी दी है कि मौसम के शुष्क रहने के कारण आने वाले बसंत एवं गर्मियों में सूखे जैसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है।
  - इससे सिंचित कृषि (धान), बागवानी, पनबिजली उत्पादन एवं पेयजल आपूर्ति जैसे जल-निर्भर क्षेत्रों पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। ऐसे में जंगलों में आग लगने की घटनाओं में भी वृद्धि हो सकती है।

आकस्मिक फसल योजना

- एस.के.यू.ए.एस.टी. के शोधकर्ताओं ने इन क्षेत्रों के किसानों के लिए रोपण एवं अनुकूलन रणनीतियाँ तैयार की हैं।
  - इसके तहत शोधकर्ताओं ने सूखे जैसी स्थिति के अल्पकालिक एवं दीर्घकालिक शमन के लिए एक 'आकस्मिक फसल योजना' तैयार की है।
- इसमें रसद सहायता के साथ कृषि सलाहकार सेवाएँ भी शामिल हैं जिसमें सूखे जैसी स्थिति में किसानों तथा अन्य हितधारकों को लाभ एवं सहायता प्रदान की जाती है।

बीजों की उपलब्धता सुनिश्चित करना

- सूखे जैसी स्थितियों में कृषि आगतों में मुख्यत: बीज की उपलब्धता सबसे महत्त्वपूर्ण है।
  - शोधकर्ताओं के अनुसार, एस.के.यू.ए.एस.टी. कृषि एवं सब्जी की फसलों के प्रजनक बीज का उत्पादन करता है।
- वैज्ञानिक एवं शोधकर्ता इन क्षेत्रों में सूखे जैसी स्थिति से निपटने के उद्देश्य से चावल के अतिरिक्त अन्य फसलों के उपभोग व शुष्कता-सहिष्णु फसलों के उत्पादन की सलाह देते हैं।
  - विश्वविद्यालय ने मक्का व दालों की शुष्कता-सहिष्णु एवं संकर किस्मों के बीज की उपलब्धता सुनिश्चित की है।
  - ये फसलें शुष्क परिस्थितियों के लिए अधिक लचीली होती हैं। विशेष रूप से दालों को कम पानी की आवश्यकता होती है और वे न्यूनतम क्षति के साथ उचित उपज दे सकती हैं।

सूखा शमन रणनीतियाँ

- **मल्चिंग :** इसके तहत नमी को संरक्षित करने एवं मृदा की स्थिति में सुधार के लिए फसलों को छाल, लकड़ी के अवशेष, पत्तियों एवं अन्य कार्बनिक पदार्थों जैसी सामग्रियों से ऊपरी मृदा को ढंकना शामिल है।
- **एंटी-ट्रांसपिरेंट एजेंटों का उपयोग :** विशेषज्ञों ने एंटी-ट्रांसपिरेंट एजेंटों का उपयोग करने की भी सिफारिश की है जो पौधों को वायु में जल के उत्सर्जन से रोकते हैं। इसी तरह के उपाय सेब जैसी बागवानी फसलों पर लागू होते हैं।
- **ड्रिप सिंचाई प्रणाली को बढ़ावा :** शोधकर्ता किसानों को ड्रिप सिंचाई जैसी सूक्ष्म सिंचाई प्रणालियों को अपनाने पर बल देते हैं। केसर के खेतों में मिस्ट स्प्रेयर जैसी जल संरक्षण तकनीके इस्तेमाल की जा रही हैं। इन संयुक्त प्रयासों का लक्ष्य किसानों को बदलती मौसम स्थितियों के अनुकूल होने और कृषि उत्पादकता बनाए रखने में मदद करना है।

कीट प्रबंधन

- फसल संरक्षण में कीट प्रबंधन एक महत्त्वपूर्ण पक्ष है। बढ़ते तापमान के साथ कीटों की कई प्रजातियाँ पहले से अधिक आक्रामक एवं सक्रिय हो गई हैं।
  - उदाहरण के लिए, एफिड्स नामक एक सामान्य कीट गर्म मौसम में अपने जीवन चक्र को तेज़ी से पूरा करके अधिक संतति उत्पन्न करता है।
  - शोधकर्ताओं के अनुसार, सेब की फसलों का एक कीट लीफ माइनर ब्लॉच भी इसी कारण से एक बड़ी समस्या बन गया है।

सलाहकारी सेवाएँ

- शोधकर्ताओं के अनुसार, किसानों को सलाह जारी करने और ऐसी स्थितियों से निपटने के लिए अभिनव रासायनिक नियंत्रण उपायों का सुझाव देने की आवश्यकता है।
- शोधकर्ताओं द्वारा मौसम विभाग से प्राप्त मौसम संबंधी डाटा के आधार पर फसल कैलेंडर का विकास किया जाता है।
  - ये कैलेंडर सामान्य फसल चक्रों के साथ-साथ वैकल्पिक फसलों को भी निर्दिष्ट करते हैं जिन्हें सूखे की स्थिति में लगाया जाना चाहिए।
- वैज्ञानिकों ने रोपण कार्यक्रम को समायोजित करने, बेहतर अंकुर उत्पादन तकनीकों का उपयोग करने और मृदा के पोषक तत्त्वों तथा नमी को संरक्षित करने वाली तकनीकों को अपनाने का भी सुझाव दिया।

उद्योग

IRCTC एवं IRFC को नवरत्न दर्जा

संदर्भ

- केंद्र सरकार ने भारतीय रेलवे खानपान एवं पर्यटन निगम (IRCTC) और भारतीय रेलवे वित्त निगम (IRFC) को 'नवरत्न' का दर्जा प्रदान किया है। अब देश में नवरत्न कंपनियों की कुल संख्या 26 हो गई है।
- साथ ही, भारतीय रेलवे के सभी सात सूचीबद्ध केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों (CPSE) को नवरत्न का दर्जा प्राप्त हो गया है। भारतीय रेलवे में कुल 12 सी.पी.एस.ई. हैं।

नवरत्न का दर्जा

- **क्या है :** नवरत्न, केंद्र सरकार के स्वामित्व वाली 'रत्न' कंपनियों की दूसरी श्रेणी है। यह दर्जा उन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को दिया जाता है जो वित्तीय और बाज़ार में बेहतरीन प्रदर्शन करते हैं।
- **प्रदाता :** वित्त मंत्रालय के सार्वजनिक उद्यम विभाग (DPI) द्वारा
- **नवरत्न दर्जे के लिए पात्रता मानदंड :**
  - पहले से मिनीरत्न श्रेणी-I का दर्जा प्राप्त हो।
  - अनुसूची 'ए' में शामिल हो।
  - पिछले पाँच वर्षों में से तीन वर्षों में 'उत्कृष्ट' या 'बहुत अच्छा' MoU रेटिंग प्राप्त किया हो।
  - निम्नलिखित छह प्रदर्शन मापदंडों में 60 अंक या उससे अधिक का स्कोर प्राप्त किया हो–
    - प्रति शेयर आय– 10 अंक
    - शुद्ध पूंजी एवं शुद्ध लाभ– 25 अंक
    - उत्पादन की कुल लागत के सापेक्ष जनशक्ति (Manpower) पर आने वाली लागत– 15 अंक
    - कारोबार पर ब्याज एवं करों से पहले अर्जित लाभ– 15 अंक
    - नियोजित पूंजी के लिए मूल्यह्रास, ब्याज एवं करों से पहले अर्जित लाभ– 15 अंक
    - अंतर-क्षेत्रीय प्रदर्शन– 20 अंक

नवरत्न दर्जे के लाभ

- **वित्तीय स्वायत्तता :** ऐसी कंपनियाँ किसी एक परियोजना में 1,000 करोड़ रुपए या अपनी कुल संपत्ति का 15% तक निवेश कर सकती हैं जिसके लिए उन्हें सरकार से पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है।
- **परिचालन स्वतंत्रता :** ऐसी कंपनियाँ संयुक्त उद्यम एवं सहायक कंपनियाँ बना सकती हैं। इसके अलावा प्रत्यक्ष सरकारी हस्तक्षेप के बिना विलय या अधिग्रहण कर सकती हैं।
- **प्रतिस्पर्द्धा में वृद्धि :** ऐसी कंपनियाँ निजी क्षेत्र की कंपनियों के साथ प्रतिस्पर्द्धा करने के लिए व्यापार एवं निवेश संबंधी स्वतंत्र निर्णय भी ले सकती हैं।
- **प्रशासनिक बाधाओं में कमी :** ऐसी कंपनियाँ जटिल नौकरशाही बाधाओं के बिना रणनीतिक गठबंधन बनाकर वैश्विक स्तर पर विस्तार करके अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में भी प्रवेश कर सकती हैं।
- **बाज़ार में विश्वसनीयता में वृद्धि :** इससे कॉर्पोरेट प्रतिष्ठा को मज़बूती मिलती है जिससे निवेशकों, साझेदारों एवं वित्तीय संस्थानों के लिए कंपनियाँ अधिक आकर्षक बन जाती हैं।

भारतीय रेलवे खानपान एवं पर्यटन निगम (IRCTC)

- **परिचय :** भारतीय रेलवे खानपान एवं पर्यटन निगम (IRCTC) भारतीय रेलवे की एक सहायक कंपनी है जो रेलवे में खानपान, पर्यटन व ऑनलाइन टिकट बुकिंग सेवाओं का प्रबंधन करती है।
- **स्थापना :** 27 सितंबर, 1999
- **मुख्यालय :** नई दिल्ली

भारतीय रेलवे वित्त निगम (IRFC)

- **परिचय :** भारतीय रेलवे वित्त निगम (IRFC) की स्थापना घरेलू एवं विदेशी पूंजी बाज़ारों से धन जुटाने के लिए भारतीय रेलवे की समर्पित वित्तपोषण शाखा के रूप में की गई थी।
- **स्थापना :** 12 दिसंबर, 1986
- **मुख्यालय :** नई दिल्ली

महारत्न, नवरत्न तथा मिनीरत्न

- केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम (CPSEs) को उनके लाभ एवं निवल मूल्य (Net Worth) के आधार पर तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है–
  - महारत्न
  - नवरत्न
  - मिनीरत्न
    - मिनीरत्न श्रेणी को मिनीरत्न श्रेणी-I एवं मिनीरत्न श्रेणी-II में वर्गीकृत किया गया है।
- **वर्तमान में देश में महारत्न, नवरत्न तथा मिनीरत्न कंपनियाँ :**
  - महारत्न : 14
  - नवरत्न : 26
  - मिनीरत्न : मिनीरत्न श्रेणी-I (51) तथा मिनीरत्न श्रेणी-II (11)

❑❑❑

अवसंरचना

राष्ट्रीय रोपवे विकास कार्यक्रम : पर्वतमाला परियोजना

संदर्भ

केंद्र ने राष्ट्रीय रोपवे विकास कार्यक्रम 'पर्वतमाला' परियोजना के तहत समुद्र तल से 15,000 फीट की ऊँचाई पर उत्तराखंड में दो प्रमुख रज्जुमार्ग (Ropeway) परियोजनाओं को मंजूरी प्रदान की है।

रोपवे परियोजनाओं के बारे में

- **परियोजना स्थल :** गोविंदघाट से हेमकुंड साहिब जी (12.4 किमी.) तक और सोनप्रयाग से केदारनाथ (12.9 किमी.) तक
- **आवश्यकता :** वर्तमान में गोविंदघाट से हेमकुंड साहिब जी की यात्रा 21 किमी. और गौरीकुंड से केदारनाथ मंदिर की यात्रा 16 किमी. की चढ़ाई के माध्यम से की जाती है जिसे पैदल या टट्टू, पालकी व हेलीकॉप्टर से पूरा किया जाता है।
- **लागत :** दोनों परियोजनाओं की लागत लगभग ₹6,811 करोड़
- **विकास :** इन्हें डिज़ाइन, निर्माण, वित्त, संचालन एवं हस्तांतरण (DBFOT) मोड पर विकसित किया जाएगा, जो कि सार्वजनिक-निजी भागीदारी या पी.पी.पी. मॉडल का एक रूप है।
- **लाभ :** यह परियोजना आर्थिक विकास को बढ़ावा देने, यात्रा के समय को कम करने के साथ ही दोनों धार्मिक स्थलों (हेमकुंड साहिब जी एवं केदारनाथ) में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए महत्त्वपूर्ण है।

रोपवे परियोजनाओं से संबंधित प्रमुख बिंदु

- हेमकुंड साहिब जी परियोजना का निर्माण गोविंदघाट से घांघरिया तक मोनोकेबल डिटैचेबल गोंडोला (MDG) तकनीक और घांघरिया से हेमकुंड साहिब तक ट्राइकेबल डिटैचेबल गोंडोला (3S) तकनीक का उपयोग करके किया जाएगा।
- इसकी डिज़ाइन क्षमता प्रति घंटे प्रति दिशा 1,100 यात्रियों (PPHPD) की होगी, जिसमें प्रतिदिन 11,000 यात्रियों की अधिकतम वहन क्षमता होगी।
- सोनप्रयाग से केदारनाथ रोपवे में ट्राईकेबल डिटैचेबल गोंडोला (3S) तकनीक होगी, जिसकी डिज़ाइन क्षमता प्रति घंटे प्रति दिशा 1,800 यात्रियों की होगी तथा प्रतिदिन 18,000 यात्री जा सकेंगे।

राष्ट्रीय रोपवे विकास कार्यक्रम : पर्वतमाला परियोजना

- **आरंभ :** इस परियोजना की घोषणा केंद्रीय बजट वर्ष 2022-23 में की गई थी।
- **संबंधित मंत्रालय :** सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय
  - फरवरी 2021 में भारत सरकार (व्यवसाय आवंटन) नियम, 1961 में संशोधन किया गया था जो सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय को रोपवे व वैकल्पिक परिवहन के विकास की देखभाल करने में सक्षम बनाता है।
- **उद्देश्य :** दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों में पारंपरिक सड़कों के स्थान पर संधारणीय पारिस्थितिक विकल्प के रूप में सार्वजनिक-निजी भागीदारी के आधार पर रोपवे विकास को बढ़ावा देना।
  - इस परियोजना का उद्देश्य दुर्गम क्षेत्रों में पर्यटन को बढ़ावा देना और यात्रियों के लिए संपर्क एवं सुविधा में सुधार करना है।
- **शामिल राज्य :** यह परियोजना उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, जम्मू एवं कश्मीर व अन्य पूर्वोत्तर राज्यों जैसे क्षेत्रों में क्रियान्वित की जा रही है।

क्या आप जानते हैं

भारत का एकमात्र रोपवे कॉर्पोरेशन हिमाचल प्रदेश का HPRDTS है जिसे केवल रोपवे एवं रैपिड ट्रान्सपोर्ट सिस्टम के विकास के लिए गठित किया गया है।

रोपवे परियोजनाओं के लाभ

- **भूमि की कम आवश्यकता :** रोपवे परियोजनाएँ अधिकांशतः पहाड़ी क्षेत्रों में सीधी रेखा में निर्मित की जाती हैं जिससे परियोजना की भूमि अधिग्रहण लागत कम हो जाती है। इसमें केबल को टावरों पर फिट किया जाता है, जिससे भूमि की कम आवश्यकता होती है।
- **संवेदनशील क्षेत्रों के लिए आदर्श :** यह परियोजना दुर्लभ/चुनौतीपूर्ण/संवेदनशील क्षेत्रों के लिए आदर्श है। इस प्रणाली में लंबी केबल स्पैन के माध्यम से बिना किसी बाधा के नदियों, इमारतों, खड्डों या सड़कों को पार किया जा सकता है।
- **लोगों को गतिशीलता प्रदान करने में सहायक :** यह परिवहन माध्यम दुर्गम क्षेत्रों में लोगों को गतिशीलता प्रदान करने, आसानी से उपज का परिवहन करने और उन्हें मुख्यधारा में लाने में मदद करेगा।
- **लागत प्रभावी :** रोपवे में एक ही पावर प्लांट एवं ड्राइव मैकेनिज़्म द्वारा संचालित कई कारें (Ropeway Lift Box) होती हैं जो इसके निर्माण एवं रखरखाव लागत को कम करता है। रोपवे के लिए ऑपरेटर की कम संख्या से श्रम लागत में कमी आ जाती है।
- **अधिक किफायती परिवहन साधन :** सड़क मार्ग की तुलना में प्रति किलोमीटर रोपवे की निर्माण लागत अधिक होने के बावजूद ये अधिक किफायती होती है।
- **द्रुत गति के परिवहन साधन :** रोपवे तीव्र एवं द्रुत गति के परिवहन साधन उपलब्ध कराते हैं।
- **पर्यावरण की दृष्टि से अनुकूल :** ये पर्यावरण अनुकूल परिवहन साधन हैं जिनसे धूलकणों का उत्सर्जन कम होता है। इसके अतिरिक्त, रोपवे परियोजनाएँ 6,000-8,000 यात्रियों को प्रति घंटे ले जाने में सक्षम हैं।

- **पहाड़ी क्षेत्रों के लिए आदर्श परिवहन साधन :** रोपवे तथा केबल मार्ग (Cable Crane) में बड़े ढलानों एवं ऊँचाई अंतराल को संतुलित करने की क्षमता होती है। किसी सड़क या रेलमार्ग को स्विचबैक या सुरंगों की आवश्यकता होती है, जबकि रोपवे ऊपर व नीचे फॉल लाइन पर गमन करते हैं।

हेमकुंड साहिब जी एवं केदारनाथ मंदिर के बारे में

हेमकुंड साहिब जी के बारे में

यह गुरुद्वारा उत्तराखंड के चमोली ज़िले में स्थित है। यह हिमालय में 4,632 मीटर (15,192.96 फुट) की ऊँचाई पर एक बर्फीली झील के किनारे सात पहाड़ों के बीच है। हेमकुंड साहिब जी सिखों के 10वें गुरु श्री गुरु गोबिंद सिंह जी की तपस्थली है।

केदारनाथ मंदिर के बारे में

यह रुद्रप्रयाग ज़िले में 3,583 मीटर (11,968 फीट) की ऊँचाई पर स्थित है। केदारनाथ मंदिर बारह ज्योतिर्लिंग में से एक होने के साथ-साथ चार धाम एवं पंच केदार में से भी एक है। इस मंदिर का जीर्णोद्धार आदि गुरु शंकराचार्य ने करवाया था।

भारत एवं विश्व का सबसे लंबा रोपवे

- एम.आई टेलीफेरिको रोपवे दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में बोलीविया के ला पाज एवं एल ऑल्टो शहरों को जोड़ने वाला दुनिया का सबसे बड़ा अर्बन रोपवे है। इसकी लंबाई 33.8 किमी. है।
- भारत के सबसे लंबे रोपवे को हिमाचल प्रदेश में तारादेवी-शिमला रोपवे के तौर पर विकसित किया जाएगा। यह विश्व में दूसरे नंबर का सबसे लंबा रोपवे होगा जो कि लगभग 14 किमी. लंबा होगा।

ट्राईकेबल डिटैचेबल गोंडोला

इस रोपवे प्रणाली में गोंडोला या लिफ्ट बॉक्स/केबिन को तीन केबलों द्वारा सहारा दिया जाता है और यात्रियों को चढ़ाने-उतारने के लिए गोंडोला को स्टेशनों पर केबल से अलग किया जा सकता है। ट्राईकेबल डिटैचेबल गोंडोला में मोनोकेबल प्रणालियों की तुलना में अधिक क्षमता, टावरों के बीच अधिक दूरी तथा लागत अधिक होती है जो एकल केबल पर गमन करती हैं।

- भारत के अन्य प्रमुख रोपवे- गुलमर्ग गोंडोला (जम्मू-कश्मीर में एशिया की उच्चतम केबल कार परियोजना), औली रोपवे (उत्तराखंड), नैना देवी (हिमाचल के बिलासपुर में), नामची रोपवे एव गंगटोक रोपवे (सिक्किम), गलेनमोर्गन रोपवे (तमिलनाडु), दार्जिलिंग रोपेवे (पश्चिम बंगाल), गिरनार रोपवे (जूनागढ़)

भारत संचार निगम लिमिटेड का पुनरुत्थान

संदर्भ

17 वर्षों के बाद भारत संचार निगम लिमिटेड (BSNL) ने अक्तूबर-दिसंबर 2024 तिमाही में रिकॉर्ड ₹262 करोड़ का मुनाफा दर्ज किया।

भारत संचार निगम लिमिटेड के बारे में

- **गठन :** सितंबर 2000 में दूरसंचार सेवा विभाग के निगमीकरण से
- **प्रमुख कार्य :** 1 अक्तूबर, 2000 से दिल्ली व मुंबई को छोड़कर पूरे देश में दूरसंचार सेवाएँ प्रदान करना
  - दिल्ली एवं मुंबई में दूरसंचार सेवाएँ महानगर संचार निगम लिमिटेड (MTNL) द्वारा प्रदान की जाती हैं।
- **स्वामित्व :** भारत सरकार के 100% स्वामित्व वाला उपक्रम
- **शेयर पूंजी :** अधिकृत शेयर पूंजी 1,50,000 करोड़ रुपए और चुकता पूंजी 38,886.44 करोड़ रुपए है।
- **कुल आय :** वित्त वर्ष 2022–23 के दौरान ₹20,699 करोड़

भारत संचार निगम लिमिटेड की वर्तमान स्थिति

- बी.एस.एन.एल. ने 17 वर्षों के पश्चात् पहली बार वर्ष 2024 की अंतिम तिमाही (अक्तूबर से दिसंबर 2024) में ₹262 करोड़ का लाभ दर्ज किया है। पिछली बार बी.एस.एन.एल. ने वर्ष 2007 में तिमाही लाभ दर्ज किया था।
- तीसरी तिमाही के स्कोरकार्ड ने नवाचार, नेटवर्क विस्तार, लागत अनुकूलन एवं ग्राहक-केंद्रित सेवा सुधार पर दूरसंचार कंपनी के फोकस को रेखांकित किया। बी.एस.एन.एल. ने मोबिलिटी, फाइबर नेटवर्क एवं लीज़्ड लाइन सेवा में 14–18% की वृद्धि दर्ज की है।
- उपभोक्ताओं की संख्या जून 2024 के 8.4 करोड़ से बढ़कर दिसंबर 2024 में लगभग 9 करोड़ हो गई है।
- बी.एस.एन.एल. ने अपनी वित्तीय लागत एवं समग्र व्यय में कटौती की है जिससे पिछले वर्ष की तुलना में घाटे में 1,800 करोड़ रुपए से अधिक की कमी आई है।
- पिछले चार वर्षों में बी.एस.एन.एल. का EBITDA वित्त वर्ष 2023–24 तक ₹1,100 करोड़ से दोगुना होकर लगभग ₹2,100 करोड़ हो गया। EBITDA (Earnings before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) ब्याज, कर, मूल्यह्रास एवं परिशोधन से पहले की आय का संक्षिप्त रूप है। यह किसी कंपनी की वित्तीय स्थिति और नकदी उत्पन्न करने की क्षमता का सबसे व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाने वाला माप है।

सरकार द्वारा किए गए प्रयास

- केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 2019 से शुरू पुनरुद्धार पैकेजों के तहत बी.एस.एन.एल. एवं एम.टी.एन.एल. में ₹3 लाख करोड़ से अधिक की पूंजी का निवेश जुलाई 2022 में राहत योजना के अंतर्गत बी.एस.एन.एल. की अधिकृत पूंजी ₹40,000 करोड़ से बढ़ाकर ₹1.5 लाख करोड़ कर दी गई
- नए टावर लगाकर 4G नेटवर्क कवरेज का विस्तार
  - पूरे भारत में 62,000 से अधिक 4G टावर स्थापित
  - जून 2025 तक 1 लाख से अधिक 4G टावर स्थापना का लक्ष्य
- कंपनी के लिए अधिक पूंजी सुनिश्चित करने के लिए बी.एस.एन.एल. का भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड के साथ विलय।

इतिहास, कला एवं संस्कृति

मेनहिर

संदर्भ

तेलंगाना के नारायणपेट ज़िले में स्थित मुदुमल मेगालिथिक मेनहिर (Menhirs) राज्य का दूसरा यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल नामित किया गया है।

मेनहिर के बारे में

- **परिचय :** मेनहिर एक सीधे खड़े पत्थर की संरचना होती है जो आमतौर पर ऊपर की ओर पतली और आकार में बड़ी होती है।
  - यह मानव-निर्मित संरचना हैं अर्थात् इन्हें मनुष्यों द्वारा गढ़ा एवं स्थापित किया जाता है।
- **विशालतम :** सबसे बड़ा उपस्थित मेनहिर फ्राँस स्थित 'ग्रैंड मेनहिर ब्रिस' है। अपनी मूल स्थिति में यह 20.6 मीटर लंबा था, वर्तमान में यह चार टुकड़ों में टूट गया है।
- **नामकरण :** 'मेनहिर' शब्द ब्रिटोनिक 'माएन' (Maen) और 'हिर' (Hir) से लिया गया है जिसका अर्थ क्रमश: 'पत्थर' एवं 'लंबा' है। यह शब्द 18वीं सदी के अंत में पुरातात्विक शब्दावली में शामिल हुआ।
  - इसका पहली बार प्रयोग फ्राँसीसी सैन्य अधिकारी और पुरातत्वविद् थियोफाइल कोरेट डे ला टूर डी' ऑवर्गने ने किया था।

मेनहिर का उद्देश्य

- मेनहिर या तो अकेले या प्रागैतिहासिक महापाषाणिक (Megalith) के एक बड़े परिसर के हिस्से के रूप में महापाषाण संरचनाओं के रूप में पाए जाते हैं।
- यह पत्थर संभवत: औपचारिक कार्यों के लिए इस्तेमाल किए जाते थे। कुछ संस्कृतियों में इन पर कब्रों के निशान पाए गए हैं, जबकि अन्य कुछ संरचनाएँ खगोलीय उद्देश्यों के लिए उपयोग की जाती थी।

इसे भी जानिए!

तेलंगाना के मुदुमल मेनहिर के बारे में

परिचय

- तेलंगाना के नारायणपेट ज़िले में स्थित मुदुमल मेनहिर वर्ष 2025 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थलों की अस्थायी सूची में शामिल किए जाने वाले छह भारतीय स्थलों में से एक है।
  - सूची में शामिल अन्य पाँच धरोहर स्थल- छत्तीसगढ़ में कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, कई राज्यों में अशोक के शिलालेख स्थल, मध्य प्रदेश तथा ओडिशा में चौसठ योगिनी मंदिर, कई राज्यों में गुप्त मंदिर और मध्य प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश में बुंदेला शासन के महल-किले हैं।

संरचना

- मुदुमल में खड़े पत्थरों के अलावा गोलाकार संरचनाओं में रखे गए छोटे पत्थर भी हैं और 80 एकड़ की भूमि पर हज़ारों पत्थर संरेखण में रखे गए प्रतीत होते हैं।
- यहाँ 10 से 14 फीट की ऊँचाई वाले लगभग 80 लंबे मेनहिर हैं। साथ ही, प्राचीन समुदाय के अंतिम संस्कार अधिकारों से संबंधित लगभग 3,000 संरेखण पत्थर हैं।
- इन पत्थरों को 20 से 25 फीट के अंतराल पर पंक्तियों में व्यवस्थित किया गया है।

महत्त्व

- तेलंगाना के मुदुमल में लगभग 3,500 से 4,000 ईसा पूर्व के पाए जाने वाले मेनहिर भारत में सबसे पुराने ज्ञात मेनहिर हैं।
- मुदुमल मेनहिर संभवत: दक्षिण भारत में महापाषाण युग के सबसे बड़ा दफन (शावाधान) स्थल है।
- मुदुमल मेनहिर स्थानीय किंवदंती के साथ निकटता से संबद्ध है। इसकी पूजा देवी येल्लम्मा के रूप में की जाती है।
- यूनेस्को डोज़ियर में मुदुमल साइट को महापाषाण खगोलीय वेधशाला के रूप में वर्णित किया गया है।

पुरातन महत्त्व

यूरोप में पाए जाने वाले मेनहिर मूल रूप से बीकर संस्कृति से संबंधित थे, जो नवपाषाण काल के अंत एवं कांस्य युग की शुरुआत (लगभग 4,800 से 3,800 ईसा पूर्व) में बनाए गए थे। वर्तमान में सबसे पुराने यूरोपीय मेनहिर 7,000 ईसा पूर्व के माने जाते हैं।

यूनेस्को द्वारा मान्यता देने के कारण

- मेनहिर आरंभिक मनुष्यों के जीवन के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं। यह उन संस्कृतियों को बेहतर ढंग से समझने में मदद कर सकता है जिन्होंने ऐतिहासिक रिकॉर्ड के लिए कोई लिखित सामग्री न छोड़ी हो।
- इन बड़े पत्थरों से न केवल पत्थरों को तराशने और सटीक स्थानों पर ले जाने के लिए प्राचीन सभ्यताओं की समझ का पता चलता है, बल्कि उनकी स्थिति की सटीकता पूर्वजों के खगोल विज्ञान एवं संक्रांति के बारे में जानकारी दर्शाती थी।
- ये इस बात की जानकारी देते हैं कि उन्हें बनाने वाली संस्कृतियों ने दुनिया को कैसे देखा व समझा।

नेजा मेला

संभल प्रशासन ने 'नेजा' मेले पर प्रतिबंध लगा दिया है।

नेजा मेले के बारे में

- नेजा मेले का आयोजन महमूद गज़नवी के भांजे अब्दुल सालार गाज़ी की याद में किया जाता है। यह महमूद गज़नवी का सेनापति भी था।
- अब्दुल सालार गाज़ी की कब्र उत्तर प्रदेश के बहराइच ज़िले में स्थित है जिसका निर्माण फिरोज़ शाह तुगलक ने करवाया था।
  - उसकी कब्र पर प्रतिवर्ष उर्स का आयोजन किया जाता है जहाँ लोग श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं।
- महमूद गज़नवी ने 1000 से 1027 ईस्वी के बीच सोमनाथ मंदिर सहित भारत के कई प्रमुख हिंदू तीर्थस्थलों को नष्ट किया था। उसे दुनिया के सबसे क्रूर शासकों में गिना जाता है।
- इतिहासकारों के अनुसार, पृथ्वीराज चौहान और गज़नवी के बीच हुए युद्ध में गज़नवी के कई सैनिक मारे गए जिनकी संभल में मजारें बनाई गईं। बाद में इन्हीं स्थानों पर नेजा मेला आयोजित होने लगा।
  - विदित है कि पृथ्वीराज चौहान की राजधानी संभल थी।
- इस मेले में लोग चादरपोशी कर दुआएँ मांगने आते हैं।

थलंगारा टोपी

वर्तमान में गिरती मांग के कारण थलंगारा टोपी के अस्तित्व को लेकर संकट उत्पन्न हो गया है।

थलंगारा टोपी

- थलंगारा टोपी मुस्लिम समुदाय की धार्मिक मान्यताओं और विरासत के प्रतीक के रूप में पहचानी जाने वाली एक पारंपरिक हस्तनिर्मित प्रार्थना टोपी है।
- परंपरागत रूप से शुद्ध कपास से बनी इस टोपी को बनाने में मशीन का कम-से-कम इस्तेमाल होता है।
- यह टोपी रमजान के पवित्र महीने के दौरान मुस्लिम परिधान का एक अनिवार्य हिस्सा थी।
  - हालाँकि, वर्तमान में इसकी मांग कम हो गई है।
- यह मुख्य रूप से केरल के कासरगोड क्षेत्र में प्रचलित एवं निर्मित की जाती है।
- मुस्लिम समुदाय के पुरुष पैगंबर मुहम्मद के बालों को ढकने की प्रथा का अनुकरण करने के लिए टोपी पहनते हैं।
  - अरबी में इसे 'ताकिया' जबकि दक्षिण एशिया में 'टोपी' के रूप में जाना जाता है।
- इसका उल्लेख मोरक्को के यात्री इब्नबतूता के 14वीं सदी के लेखन में भी मिलता है।

मिर्ज़ा गालिब

गोपीचंद नारंग की 'गालिब : इनोवेटिव मीनिंग एंड द इंजिनियस माइंड' और मेहर अफशां फारूकी की 'गालिब: ए वाइल्डरनेस एट माई डोरस्टेप' जैसी पुस्तकें चर्चा में रही हैं।

मिर्ज़ा गालिब के बारे में

- **परिचय :** गालिब उर्दू-फारसी के प्रख्यात कवि तथा महान शायर थे।
  - उर्दू गद्य-लेखन की नींव रखने के कारण इन्हें वर्तमान उर्दू गद्य का जन्मदाता भी कहा जाता है।

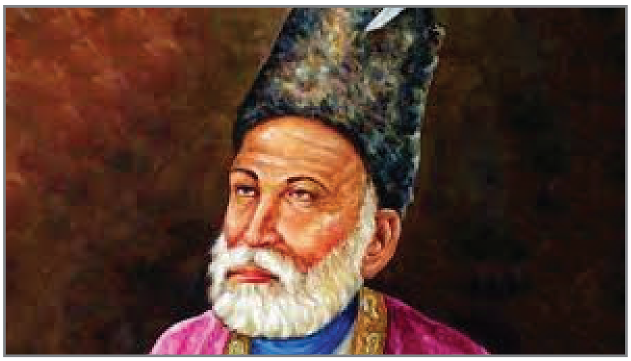

- **मूल नाम :** मिर्ज़ा असदुल्लाह बेग खान
- **जन्म :** 27 दिसंबर, 1797 (आगरा, उत्तर प्रदेश)
- **मृत्यु :** 15 फरवरी, 1869 (दिल्ली)
- **विवाह :** 13 वर्ष की आयु में नवाब ईलाही बख्श की बेटी उमराव बेगम से
- **प्रमुख उपाधि :** मिर्ज़ा नोशा, दबीर-उल-मुल्क एवं नज़्म-उद-दौला
- **प्रमुख विधा :** गज़ल, कसीदा, रुबाई, कतिआ, मर्सिया
- **प्रमुख विषय :** प्रेम, विरह, दर्शन, रहस्यवाद
- **राजनैतिक जीवन**
  - मुगल काल के आखिरी शासक बहादुर शाह ज़फर के दरबारी कवि

- बहादुर शाह द्वितीय के पुत्र मिर्ज़ा फखरु के शिक्षक
- मुगल दरबार के शाही इतिहासविद्

❖ **गालिब की प्रमुख रचनाएँ**
- उर्दू-ए-हिंदी
- लताय-फ-ए-गलिब
- उर्दू-ए-मुअल्ला
- दुवपशे कावेयानी आदि।
- नाम-ए-गालिब
- इनकी रचनाओं में देश की तत्कालीन सामाजिक, राजनीतिक तथा आर्थिक स्थिति का वर्णन हुआ है।

❖ **रचना संग्रह :** उनकी शायरी का संग्रह 'दीवान-ए-गालिब' के रूप में 10 भागों में प्रकाशित किया गया है।

गालिब की शायरी संग्रह 'दीवान-ए-गालिब' से कुछ पंक्तियाँ

❖ मत पूछ कि क्या हाल है मेरा तेरे पीछे
❖ तू देख कि क्या रंग है तेरा मेरे आगे।
❖ रगों में दौड़ते फिरने के हम नहीं कायल
❖ जब आँख ही से न टपका तो फिर लहू क्या है।
❖ बाजीचा-ए-अत्फाल है दुनिया है मेरे आगे
❖ होता है शब-ओ-रोज तमाशा मेरे आगे।

हुस्कुर मद्दुरम्मा देवी जात्रा महोत्सव

हुस्कुर मद्दुरम्मा देवी जात्रा (Huskur Madduramma Devi Jatra) महोत्सव के दौरान 150 फीट से अधिक ऊँचा रथ दुर्घटनाग्रस्त हो गया।

मद्दुरम्मा मंदिर

❖ **अवस्थिति :** कर्नाटक के बेंगलुरु शहर में हुस्कुर (अनेकल तालुक) में स्थित

❖ **निर्माण काल :** चोल शासन काल में 11वीं सदी

❖ **प्रबंधन :** भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा

❖ **आराध्य देवी :** देवी मद्दुरम्मा

❖ इनको माँ शक्ति का एक प्रभावी रूप माना जाता है और ऐसी मान्यता है कि वे चेचक एवं हैज़ा जैसी संक्रामक बीमारियों का उपचार करती हैं।
- अनुश्रुति के अनुसार, 20वीं सदी की शुरुआत में फैली एक महामारी मंदिर में देवी की पूजा करने के बाद शीघ्र ही समाप्त हो गई थी।

हुस्कुर मद्दुरम्मा देवी जात्रा महोत्सव के बारे में

❖ **परिचय :** मद्दुरम्मा देवी मंदिर मेला देशभर में 'हुस्कुर मद्दुरम्मा देवी जात्रा महोत्सव' के नाम से प्रसिद्ध है।
- पाँच-दिवसीय इस महोत्सव को स्थानीय रूप से 'कुर्जू' के नाम से भी जाना जाता है।

❖ **आयोजन :** इस महोत्सव का आयोजन प्रत्येक वर्ष फाल्गुन माह (मार्च-अप्रैल) के अंतिम गुरुवार से रविवार तक किया जाता है। यहाँ भक्तगण ऊँची कुर्जूस (मूर्तियों को रखने के लिए ऊँचे मंच पर सजा हुआ फ्रेम) अर्थात् रथ को देखने आते हैं।

❖ **विशेषता :** यह महोत्सव शिवालय जैसे रथों के लिए प्रसिद्ध है जिन्हें आसपास के क्षेत्रों (गाँवों) से मंदिर तक खींचा जाता है।

❖ **प्रतिस्पर्द्धा :** इस महोत्सव में अलग-अलग गाँवों से रथ बनाने वाले ग्रामीण इस 'रथ यात्रा' को एक प्रतियोगिता के रूप में देखते हैं।

स्पेन में प्रागैतिहासिक मानव जीवाश्म की खोज

स्पेन की एक गुफा में चेहरे की अस्थियों के प्राचीन जीवाश्म प्राप्त हुए हैं जो संभवतः प्रथम अज्ञात मानव प्रजाति के हो सकते हैं।

प्रागैतिहासिक मानव जीवाश्म के बारे में

❖ **नामकरण :** इस जीवाश्म का नाम एटीई7–1 (ATE7–1) है।

❖ **प्राप्त जीवाश्म :** शोधकर्ताओं को चेहरे के मध्य भाग के टुकड़े प्राप्त हुए हैं जिनमें गाल की अस्थियों एवं नाक की संरचना के साथ ऊपरी जबड़ा शामिल है जो एक वयस्क व्यक्ति का है।

❖ **खोज स्थल :** ये जीवाश्म उत्तरी स्पेन के सिएरा डे अटापुर्का पुरातात्विक स्थल में स्थित सिमा डेल एलीफैंटे गुफा में पाए गए।

❖ **पुरातात्विक आयु :** ऊपरी जबड़े की अस्थि और गाल की आंशिक अस्थि सहित ये अवशेष अनुमानतः 1.1 से 1.4 मिलियन वर्ष पुराने हैं जिससे ये पश्चिमी यूरोप में सबसे पुराने ज्ञात मानव जीवाश्म बन गए हैं।

जीवाश्म की विशेषताएँ

❖ ये जीवाश्म पत्थर के औज़ारों एवं जानवरों की अस्थियों के साथ पाए गए, जिन पर शिकार के निशान थे जिससे यह संकेत मिलता है कि प्रारंभिक मानवों के पास संभवतः इस क्षेत्र के संसाधनों तक पहुँच थी।

❖ शोधकर्ता मानव विकासवादी समयरेखा में इस प्रजाति के स्थान के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए अभी भी जीवाश्मों का विश्लेषण कर रहे हैं।

❖ जीवाश्मों के अपूर्ण होने के कारण शोधकर्ता जीवाश्म के संपूर्ण चेहरे का पुनर्निर्माण नहीं कर पाए हैं।

शोध का महत्त्व

❖ यह खोज यूरोप में पहले से अज्ञात मानव आबादी की ओर संकेत करती है जो संभवतः उस प्रजाति से संबंधित है जो इस क्षेत्र में पाई जाने वाली एक अन्य प्रारंभिक मानव प्रजाति 'होमो एन्टिसेसर' से भी पुरानी है।

- 'होमो एन्टिसेसर' मानव प्रजाति लगभग 850,000 वर्ष पूर्व पश्चिमी यूरोप में निवास करती थी।

❖ यह शोध अध्ययन यूरोप में प्रारंभिक मानव विकास की समझ में एक नया अध्याय जोड़ सकता है।

जलानाथेश्वर मंदिर

थक्कोलम स्थित जलानाथेश्वर मंदिर के जीर्णोद्धार की आवश्यकता को रेखांकित किया गया है।

जलानाथेश्वर मंदिर के बारे में

❖ **अवस्थिति :** तमिलनाडु के रानीपेट ज़िले में थक्कोलम के समीप कोसास्थलाई नदी के तट पर स्थित
- थक्कोलम का मूल नाम थिरुवुरल है। शैव गायकों द्वारा इष्टदेव की स्तुति में गाए जाने वाले भजनों में इस शहर का नाम थिरुवुरल ही है।

❖ मंदिर में कुल 51 शिलालेख पाए गए हैं जिनमें थिरुवुरल शहर का उल्लेख मिलता है।
- इसमें पल्लव राजा अपराजित के भी शिलालेख शामिल हैं।
- शिलालेखों में मंदिर को दिए गए अनुदान, भूमि, सोना एवं बकरियों का उल्लेख है।

❖ **निर्माण :** मूलतः मंदिर का निर्माण पल्लव राजाओं ने कराया था। बाद में चोल तथा होयसल राजाओं ने इसमें अनेक सुधार एवं परिवर्तन किए थे।
- मंदिर के 3 मंज़िला राजगोपुरम का निर्माण वर्ष 1543 ई. में विजयनगर के राजा वीर प्रताप सदाशिव द्वारा करवाया गया था।

❖ **मंदिर निर्माण शैली :** द्रविड़ शैली

❖ **प्रमुख विशेषताएँ :**
- यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है जिन्हें जलानाथेश्वर के नाम से, जबकि उनकी पत्नी के रूप में देवी पार्वती को गिरिराज कन्निकंबल के नाम से जाना जाता है।
  - ○ भगवान शिव को थिरुवुरलकत्राली महादेव के रूप में भी जाना जाता है।
- ऐसा माना जाता है यहाँ स्थित शिवलिंग का रंग हर मौसम के साथ बदलता है।
- यहाँ भगवान नटराज, अय्यप्पन, गणेश, मुरुगन, पंचलिंगम, नवग्रहम, चंडीकेश्वर, कालभैरवर, नाग देवता, दक्षिणामूर्ति आदि की मूर्तियाँ स्थापित हैं।
- इसे टोंडाई क्षेत्र में देवरा पाडल पेट्रा स्थलम (भगवान शिव के 274 सबसे महत्त्वपूर्ण मंदिर) में से 12वाँ माना जाता है
  - ○ टोंडाई क्षेत्र पल्लव राजवंश से संबंधित ऐतिहासिक क्षेत्र है जिसे टोंडैनाडु के नाम से भी जाना जाता है। इसके अंतर्गतत तमिलनाडु का उत्तरी भाग और आंध्र प्रदेश के दक्षिण का कुछ क्षेत्र शामिल है।

इसे भी जानिए!

मंदिर वास्तुकला की द्रविड़ शैली

❖ द्रविड़ शैली की शुरुआत 8वीं शताब्दी में पल्लव राजाओं द्वारा मानी जाती है। चोल काल में द्रविड़ शैली अपनी चरम पर थी तथा विजयनगर काल के बाद से यह ह्रासमान हुई।

❖ **क्षेत्र :** कृष्णा नदी से लेकर कन्याकुमारी तक

❖ **प्रमुख विशेषताएँ:** प्राकार (चहारदीवारी), गोपुरम (प्रवेश द्वार), वर्गाकार या अष्टकोणीय गर्भगृह (रथ), पिरामिडनुमा शिखर, मंडप (नंदी मंडप) विशाल संकेन्द्रित प्रांगण तथा अष्टकोण मंदिर संरचना।

❖ यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर (चोल शासक राजराज द्वारा निर्मित) द्रविड़ शैली का महत्त्वपूर्ण उदाहरण है।

❖ द्रविड़ शैली के अंतर्गत ही आगे नायक शैली का विकास हुआ जिसके प्रमुख उदाहरण मीनाक्षी मंदिर (मदुरै), रंगनाथ मंदिर (श्रीरंगम, तमिलनाडु), रामेश्वरम् मंदिर हैं।

न्योकुम युलो महोत्सव

उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अरुणाचल प्रदेश के कामले (खामले) ज़िले के बोआसिमला में आयोजित न्योकुम युलो (Nyokum Yullo) उत्सव में भाग लिया। उत्सव के दौरान माउंट एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ने वाली अरुणाचल प्रदेश की पहली महिला कबाक यानो को सम्मानित किया गया।

न्योकुम युलो उत्सव के बारे में

❖ **क्या है :** अरुणाचल प्रदेश की न्यीशी जनजाति द्वारा मनाया जाने वाला एक त्योहार

❖ **प्रारंभ :** वर्ष 1967 में अरुणाचल प्रदेश के लोअर सुबनसिरी ज़िले में ज़ोरम गाँव से

❖ **तात्पर्य :** न्योकुम शब्द दो शब्दों के मेल से बना है- न्योक का अर्थ है 'भूमि' (पृथ्वी) और कुम का अर्थ है 'सामूहिकता या एकजुटता'।
- इसलिए, न्योकुम त्योहार की व्याख्या ब्रह्मांड के सभी देवी-देवताओं को आमंत्रित करने के रूप में की जा सकती है। इसमें न्योकुम देवी मुख्य हैं जो किसी विशेष समय पर किसी विशेष स्थान पर आती हैं।

❖ **उद्देश्य :** पृथ्वी पर सभी मनुष्यों की समृद्धि, खुशहाली व फसलों की बेहतर उत्पादकता के लिए कामना

❖ **विशेषताएँ**
- इस उत्सव में किसी मूर्ति की पूजा नहीं की जाती है।

- न्योकुम उत्सव में मुख्य प्रार्थना संरचना बाँस की एक अस्थायी स्थापना होती है, जिसे 'युगांग' कहा जाता है।
- युगांग के साथ बलि के जानवर भी बंधे होते हैं, जैसे- गाय, मुर्गे व बकरी।
  - 'न्युभ' या पारंपरिक पुजारी त्योहार के अनुष्ठान के लिए आवश्यक सामान के साथ विशिष्ट सफेद पोशाक पहनते हैं जिसमें 'अरो' नामक तलवार भी शामिल है।

न्यीशी जनजाति के बारे में

- **परिचय :** न्यीशी समुदाय अरुणाचल प्रदेश का सबसे बड़ा जातीय समूह है।
- **आबादी :** इस समुदाय की आबादी लगभग 3,00,000 है।
- **धर्म :** वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार, 31% न्यीशी ईसाई धर्म का, जबकि 29% हिंदू धर्म का पालन करते हैं।
  - अन्य लोग अपने स्थानीय धर्म 'डोनी पोलो' का पालन करते हैं। इस धर्म में सूर्य (डोनी) और चंद्रमा (पोलो) को दिव्य सत्ता के रूप में पूजते हैं।
- **वितरण :** यह जनजाति अरुणाचल प्रदेश के निम्न ज़िलों में विस्तृत हैं : क्रा दादी, कुरुंग कुमेय, पूर्वी कामेंग, पश्चिमी कामेंग, पापुम पारे, केई पन्योर, लोअर सुबनसिरी, कामले व पक्के केसांग ज़िले।
  - ये असम के सोनितपुर एवं उत्तरी लखीमपुर ज़िलों में भी निवास करते हैं।
- **भाषा :** सिनो-तिब्बती परिवार से संबंधित न्यीशी भाषा बोलते हैं।
- **सामाजिक प्रथा :** इस समुदाय में बहुविवाह प्रचलित है। पितृवंशीय प्रथाओं का पालन करने के साथ ही महिलाओं का सम्मान किया जाता है।
- **आजीविका:** यह झूम कृषि करते हैं जिसे न्यीशी में 'रेट रुंग-ओ' कहा जाता है।

जहान-ए-खुसरो, 2025

प्रधानमंत्री मोदी ने 28 फरवरी, 2025 को राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय सूफी संगीत महोत्सव 'जहान-ए-खुसरो 2025' का उद्घाटन किया।

जहान-ए-खुसरो, 2025 के बारे में

- **क्या है :** अमीर खुसरो की स्मृति में सूफी संगीत, कविता एवं नृत्य को समर्पित एक अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव
  - इस वर्ष महोत्सव का 25वाँ संस्करण है।
- **आयोजन :** 28 फरवरी से 2 मार्च, 2025
- **आयोजक :** रूमी फाउंडेशन द्वारा
- **प्रारंभ :** वर्ष 2001 में प्रसिद्ध फिल्म निर्माता मुज़फ्फर अली द्वारा
- **कार्यक्रम**
  - इस अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव में हस्तनिर्मित वस्तुओं के बाज़ार को भी बढ़ावा दिया गया।
  - इसमें 'एक ज़िला, एक उत्पाद' से जुड़े शिल्प और देशभर से विभिन्न उत्कृष्ट कलाकृतियों के साथ-साथ हस्तशिल्प एवं हथकरघा पर लघु फिल्में आदि दिखाई गई।

अमीर खुसरो के बारे में

- **मूल नाम :** अबुल हसन यमीन उद्-दीन मुहम्मद
  - अमीर खुसरो इनका उपनाम है।
- **जीवन काल :** 1253 ई. – 1325 ई.
- **जन्म स्थान :** एटा ज़िला, उत्तर प्रदेश
- **पिता का नाम :** अमीर सैफुद्दीन महमूद
- **माता का नाम :** दौलत नाज़ या सय्यदा मुबारक बेगम
- **गुरु :** हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया (1236 –1325 ई.)
- **आश्रयदाता :** गुलाम वंश के शासक 'कैकुबाद' और 'जलालुद्दीन फिरोज़शाह खिलजी'
- **साहित्यकाल :** आदिकाल
- **विधाएँ :** पहेलियाँ, दो सूखने, निसबतें, ढकोसले, रुबाइयाँ, दोहे, हिंदवी गीत व गज़लें आदि।
- **भाषा :** खड़ी बोली हिंदी
- **प्रमुख रचनाएँ :** लैला-मजनू, आइना-ए-सिकंदरी, अस्प्नामा, इश्किया, नुहसिपहर, तुगलकनामा, तारीख-ए-अलाई, ख्यालात-ए-खुसरु, एजाज-ए खुसरवी, मुकाल, किस्सा चार दरवेश
  - इनकी रचनाएँ प्रायः मसनवी शैली में हैं।
- **प्रमुख हिंदवी रचनाएँ :** खालिकबारी, दीवान-ए-हिंदवी, तराना-ए-हिंदवी, हालात-ए-कन्हैया, नज़राना-ए-हिंदवी, ज़वाहर-ए-खुसरवी
- **अन्य महत्त्वपूर्ण बिंदु :** अमीर खुसरो को 'तूती-ए-हिंद' (हिंद का तोता) कहा जाता है। इन्हें सितार व तबला वाद्ययंत्र और कव्वाली का जनक भी माना जाता है।

❑❑❑

सामाजिक मुद्दे

जनजातियों की पहचान के लिए मानदंड में बदलाव की मांग

संदर्भ

- मानव विज्ञानियों (Anthropologists) ने भारत में 'जनजाति' (Tribes) की परिभाषा में परिवर्तन का आह्वान किया है। उनका मत है कि किसी समुदाय को जनजाति के रूप में वर्गीकृत करने का मूल्यांकन 'जनजाति के स्पेक्ट्रम' के आधार पर किया जाना चाहिए, न कि द्विआधारी प्रश्न के आधार पर कि वह जनजाति 'है' अथवा 'नहीं' है।
- भारतीय मानव विज्ञान कांग्रेस में इस पर व्यापक चर्चा हुई जिसमें भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण (AnSI) और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (NCST) ने हिस्सा लिया।

> **द्विआधारी प्रश्न**
>
> द्विआधारी प्रश्न या बाइनरी प्रश्न (Binary Question) को हाँ/नहीं या क्लोज़्ड क्वेश्चन के रूप में भी जाना जाता है। इन प्रश्नों के केवल दो संभावित उत्तर होते हैं, जैसे- 'हाँ' या 'नहीं' अथवा 'सत्य' या 'असत्य'।

भारत में अनुसूचित जनजाति की आबादी

- वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार, अनुच्छेद 342 के तहत अनुसूचित जनजातियों के रूप में 705 जातीय समूह सूचीबद्ध हैं।
- अनुसूचित जनजातियों के रूप में 10 करोड़ से अधिक भारतीय अधिसूचित हैं जिनमें से 1.04 करोड़ शहरी क्षेत्रों में निवास करते हैं। अनुसूचित जनजातियाँ कुल जनसंख्या का 8.6% और ग्रामीण आबादी का 11.3% हिस्सा हैं।

किसी समुदाय को अनुसूचित जनजाति (ST) की सूची में समावेशन या बहिष्करण की प्रक्रिया

- राज्य सरकार या केंद्र-शासित प्रदेश प्रशासन किसी विशेष समुदाय को एस.टी. या एस.सी. सूची में शामिल करने या बाहर करने की सिफारिश कर सकता है। ऐसे प्रस्ताव संबंधित राज्य सरकार की ओर से केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्रालय को भेजा जाता है।
- जनजातीय कार्य मंत्रालय अपने विचार-विमर्श के माध्यम से प्रस्ताव की जाँच करता है और इसे भारत के महापंजीयक (RGI) को भेजता है। आर.जी.आई. द्वारा अनुमोदित होने के बाद यह प्रस्ताव राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग या राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग को भेजा जाता है। इसके बाद प्रस्ताव को वापस केंद्र सरकार के पास भेजा जाता है जो अंतर-मंत्रालयी विचार-विमर्श के बाद इसे अंतिम मंजूरी के लिए कैबिनेट में प्रस्तुत करता है।
- यह प्रस्ताव तभी प्रभावी होता है जब राष्ट्रपति द्वारा संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश, 1950 में संशोधन करने वाले विधेयक को लोक सभा एवं राज्य सभा दोनों से पारित किए जाने के बाद मंजूरी प्रदान की जाती है।

भारत सरकार द्वारा जनजातीय पहचान के लिए प्रयुक्त मानदंड

- वर्तमान में केंद्र सरकार द्वारा समुदायों को एस.टी. के रूप में वर्गीकृत करने के लिए प्रयोग किए जाने वाले मानदंडों का निर्धारण वर्ष 1965 में लोकुर समिति द्वारा किया गया था।
- इन मानदंडों में शामिल हैं :
  - आदिम लक्षण
  - विशिष्ट संस्कृति
  - भौगोलिक अलगाव
  - बड़े पैमाने पर समुदाय के साथ संपर्क में संकोच
  - पिछड़ापन
- विगत एक दशक में शिक्षाविदों एवं विशेषज्ञ पैनल ने इन मानदंडों को अप्रचलित व अर्थहीन करार दिया है।
- विशेषज्ञों का तर्क है कि वस्तुत: कोई भी समुदाय इन मानदंडों को 100% पूरा नहीं करता है। इसलिए, इन मानदंडों के स्थान पर समुदाय की 'जनजातीयता' का आकलन करने के लिए एक फॉर्मूला या पद्धति का निर्माण किया जा सकता है।

मानदंडों में बदलाव की आवश्यकता

विभिन्न समुदायों द्वारा एस.टी. सूची में शामिल होने की मांग

- वर्तमान में भारत में एस.टी. सूची में 756 से अधिक प्रविष्टियाँ हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के बाद से लगभग 27 समुदायों को एस.टी. सूची में जोड़ा गया है जिनमें से 5 मुख्य प्रविष्टियाँ और 22 उप-प्रविष्टियाँ हैं।
- भारत में कई अन्य समुदाय भी इस सूची में शामिल होने की मांग कर रहे हैं जिससे कुछ मामलों में अंतर-समुदाय संघर्ष भी उत्पन्न हो रहा है।
  - इसे मणिपुर संघर्ष के संदर्भ में समझा जा सकता है जहाँ कुकी-जो व नागा जनजातियों द्वारा मैतेई समुदाय को एस.टी. के रूप में शामिल करने की मांग का विरोध किया जा रहा है।

मानदंडों की अव्यवहार्यता

भारत में समुदायों को 'जनजातियों' के रूप में वर्गीकृत करने के लिए स्वतंत्रता के बाद से केंद्र सरकार द्वारा गठित राष्ट्रीय आयोगों ने वर्गीकरण की समस्याओं को हल करने वाले मानदंडों का एक सेट बनाने की कोशिश की है।

पूर्व में प्रयास

- सरकार ने एस.टी. दर्जे के मानदंडों में बदलाव के लिए तत्कालीन जनजातीय मामलों के सचिव हृषिकेश पांडा के नेतृत्व में एक टास्क फोर्स का गठन किया था।
    - इस टास्क फोर्स ने वर्ष 2014 में सौंपी गई रिपोर्ट में लोकुर समिति द्वारा निर्धारित मानदंडों को बदलने की सिफारिश की थी।
    - पांडा टास्क फोर्स की रिपोर्ट के आठ वर्ष बाद सरकार ने घोषणा की कि उसने लोकुर समिति के मानदंडों को जारी रखने का निर्णय लिया है।

मानदंडों में बदलाव के लिए सुझाव

संकेतकों के मैट्रिक्स का निर्माण

- हाल ही में आयोजित भारतीय मानव विज्ञान कांग्रेस में आदिवासी आबादी को जाति-आधारित और 'मुख्यधारा' समुदायों से विभेद करने के लिए एक मैट्रिक्स या स्पेक्ट्रम विकसित करने पर सहमति बनी।
    - जनजातीय आबादी को स्पष्ट रूप से परिभाषित करने और सटीक वर्गीकरण सुनिश्चित करने के लिए भी इसे महत्त्वपूर्ण माना गया।
    - इस मैट्रिक्स में शामिल प्रत्येक संकेतक को भारांश दिया जाएगा, ताकि समुदाय की 'जनजातीयता का स्तर' निर्धारित किया जा सके।

सामाजिक मान्यताओं को शामिल करने पर बल

लोकुर समिति द्वारा निर्धारित मानदंडों के स्थान पर विशेषज्ञों ने विवाह, नातेदारी, नातेदारी का वर्गीकरण, व्यवहार में प्रचलित अनुष्ठान, भाषा एवं सांस्कृतिक संकेतकों की भौतिकता जैसे सामाजिक मान्यताओं को शामिल करने पर बल दिया है।

सभ्यतागत दृष्टिकोण

- एस.टी. समुदाय के वर्गीकरण के लिए निर्मित किए गए किसी भी मैट्रिक्स में एक महत्त्वपूर्ण पक्ष यह शामिल करना है कि समुदाय स्वयं को किस तरह से देखना पसंद करते हैं।
    - विशेषज्ञों के अनुसार, इसके लिए ऑस्ट्रेलिया एवं चीन में प्रयोग किए जाने वाले 'विकासवादी' दृष्टिकोण से हटकर 'ऐतिहासिक या सभ्यतागत' दृष्टिकोण की आवश्यकता है।
- विशेषज्ञों का मानना है कि ऐसे समुदायों के साथ सह-अस्तित्व के साक्ष्य मौजूद हैं जिनका अपने आसपास के अन्य समुदायों के साथ कोई दमनकारी या शोषणकारी संबंध नहीं है।

महिला अधिकारों पर समीक्षा रिपोर्ट

संदर्भ

संयुक्त राष्ट्र के 50वें अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस से पूर्व 'यू.एन. वूमेन' ने बीजिंग घोषणा-पत्र के 30 वर्ष पूरे होने पर महिला अधिकारों की समीक्षा पर एक विस्तृत रिपोर्ट जारी की है। साथ ही, 'यू.एन. वूमेन' ने 'बीजिंग+30 एक्शन एजेंडा' भी शुरू किया है।

रिपोर्ट के बारे में

- **रिपोर्ट की थीम :** बीजिंग घोषणा-पत्र के 30 वर्ष बाद महिला अधिकारों की समीक्षा (Women's Rights in Review 30 Years After Beijing)
- इस रिपोर्ट में बढ़ते खतरों के बीच लैंगिक समानता को सुरक्षित रखने और इसे आगे बढ़ाने की तत्काल आवश्यकता को रेखांकित किया गया है।

बीजिंग + 30 कार्य एजेंडा

यह एजेंडा छह प्रमुख क्षेत्रों पर केंद्रित है :

- डिजिटल लैंगिक अंतराल को पाटना
- सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज, शिक्षा एवं देखभाल सेवाओं में निवेश के माध्यम से गरीबी से मुक्ति
- महिलाओं एवं लड़कियों के विरुद्ध हिंसा के प्रति शून्य सहिष्णुता
- समान निर्णय लेने की शक्ति
- शांति एवं सुरक्षा में महिलाओं की भूमिका
- जलवायु न्याय

रिपोर्ट के प्रमुख निष्कर्ष

महिला अधिकारों में गिरावट

- वर्ष 2024 में दुनिया भर में लगभग एक-चौथाई सरकारों ने महिलाओं अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव की सूचना दी है।
- राजनीति में महिलाओं की भागीदारी में कुछ सुधार हुआ है किंतु अभी भी समानता से बहुत दूर है।
    - इस संदर्भ में वर्तमान में वैश्विक स्तर पर 27% संसदीय सीटों पर महिलाएँ आसीन हैं।

- इस महत्त्वपूर्ण प्रगति के बावजूद केवल 87 देशों का नेतृत्व कभी किसी महिला ने किया है।
- राजनीतिक प्रतिनिधित्व में लैंगिक समानता की दिशा में प्रगति में तेज़ी लाने के लिए लैंगिक आरक्षण जैसे विशेष उपायों की प्रभावशीलता पर बल दिया गया है।

❖ संघर्षरत क्षेत्रों में रहने वाली महिलाओं एवं बालिकाओं की संख्या में भी वृद्धि का उल्लेख किया गया है जो पिछले एक दशक में 50% तक बढ़ गई है।

❖ महिलाओं एवं बालिकाओं के खिलाफ हिंसा एक वैश्विक समस्या बनी हुई है। दुनिया भर में तीन में से एक महिला अपने जीवनकाल में शारीरिक या यौन हिंसा का सामना करती है।

- ऑनलाइन उत्पीड़न तथा डीपफेक इमेजरी जैसी तकनीकी-सहायता वाली हिंसा के उभरते रूप समस्या को अधिक जटिल बना रहे हैं।

उपलब्ध प्रावधानों के प्रभावी क्रियान्वन का अभाव

❖ लगभग 88% देशों में लैंगिक हिंसा के खिलाफ कानून उपलब्ध हैं किंतु उनका क्रियान्वयन असंगत बना हुआ है।

❖ हर 10 मिनट में एक महिला या लड़की की हत्या उसके साथी या उसके ही परिवार के सदस्य द्वारा कर दी जाती है।

❖ लैंगिक समानता को बढ़ावा देने वाले कानूनी सुधारों के प्रति बढ़ते प्रतिरोध, महिला अधिकार संगठनों के लिए कम होती फंडिंग और हानिकारक रूढ़िवादिता फैलाने के लिए डिजिटल तकनीक के बढ़ते इस्तेमाल का उल्लेख किया गया है।

डिजिटल लैंगिक अंतराल एवं भेदभाव

डिजिटल तकनीक एवं कृत्रिम बुद्धिमत्ता हानिकारक रूढ़िवादिता का प्रसार करती है, जबकि डिजिटल लैंगिक अंतराल महिलाओं के अवसरों को सीमित करता है।

सुझाव

❖ लैंगिक समानता एवं सतत् विकास लक्ष्य-2030 को प्राप्त करने के लिए अभी भी महत्त्वपूर्ण प्रयासों की आवश्यकता है। इसके लिए रिपोर्ट में निम्नलिखित सुझावों की चर्चा है-

❖ **सभी महिलाओं एवं बालिकाओं के लिए एक डिजिटल क्रांति :** महिलाओं एवं बालिकाओं को प्रौद्योगिकी तक समान पहुँच सुनिश्चित करने तथा ए.आई. व डिजिटल नवाचार में नेतृत्व के लिए उन्हें तैयार करने की आवश्यकता है।

- साथ ही, उनकी ऑनलाइन सुरक्षा एवं गोपनीयता की गारंटी भी सुनिश्चित करनी होगी।

❖ **गरीबी से मुक्ति :** महिलाओं एवं बालिकाओं के विकास के लिए व्यापक सामाजिक सुरक्षा, सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज, शिक्षा एवं मज़बूत देखभाल सेवाओं में निवेश की आवश्यकता है।

❖ **शून्य हिंसा :** विभिन्न देशों को महिलाओं एवं बालिकाओं के विरुद्ध हिंसा को समाप्त करने के लिए कानून लागू करना चाहिए। इसके लिए पर्याप्त संसाधन वाली योजनाओं का निर्माण करना चाहिए जिसमें प्रतिक्रिया एवं रोकथाम के अग्रिम मोर्चे पर काम करने वाले समुदाय-आधारित संगठनों को समर्थन देना शामिल है।

❖ **पूर्ण एवं समान निर्णय लेने की शक्ति :** लैंगिक आधार पर आरक्षण जैसे अस्थायी किंतु, विशेष उपायों ने महिलाओं की भागीदारी को तेज़ी से बढ़ाने में अपनी प्रभावशीलता सिद्ध की है।

❖ **शांति एवं सुरक्षा :** महिलाओं से संबंधित शांति एवं सुरक्षा तथा लिंग-संवेदनशील मानवीय सहायता पर राष्ट्रीय योजनाओं को पूर्ण रूप से वित्तपोषित करना आवश्यक है।

❖ **जलवायु न्याय :** जलवायु अनुकूलन में महिलाओं एवं बालिकाओं के अधिकारों को प्राथमिकता देने तथा उनके नेतृत्व एवं ज्ञान को केंद्र में रखने की आवश्यकता है ताकि वे नई हरित नौकरियों से लाभान्वित हों।

इसे भी जानिए!

बीजिंग घोषणा-पत्र एवं कार्रवाई मंच

बीजिंग घोषणा-पत्र एवं कार्रवाई मंच को सितंबर 1995 में बीजिंग में आयोजित महिलाओं पर चौथे विश्व सम्मेलन के दौरान अपनाया गया था। यह महिला सशक्तीकरण के लिए एक एजेंडा है।

इसका उद्देश्य महिलाओं की उन्नति के लिए नैरोबी फॉरवर्ड-लुकिंग रणनीतियों के कार्यान्वयन में तेज़ी लाना और आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं राजनीतिक निर्णय लेने में पूर्ण व समान हिस्सेदारी के माध्यम से सार्वजनिक तथा निजी जीवन के सभी क्षेत्रों में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी के लिए सभी बाधाओं को दूर करना था। कार्रवाई मंच में 12 महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों को शामिल किया गया है।

❑❑❑

सामाजिक न्याय एवं कल्याण

अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस और भारत में महिलाएँ

संदर्भ

प्रतिवर्ष 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का आयोजन किया जाता है।

संबंधित तथ्य

- **आरंभ :** संयुक्त राष्ट्र ने प्रथम अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में वर्ष 1975 को अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष घोषित किया।
- **उद्देश्य :** महिलाओं की सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक एवं राजनीतिक उपलब्धियों का उत्साह मनाना और महिलाओं की समानता को बढ़ावा देने के लिए कार्रवाई का आह्वान करना।
- **वर्ष 2025 का विषय :** सभी महिलाओं एवं बालिकाओं के लिए : अधिकार, समानता सशक्तीकरण (For ALL Women and Girls : Rights, Equality, Empowerment.)
  - यह विषय सभी के लिए समान अधिकार, शक्ति एवं अवसर प्रदान करने तथा एक समावेशी भविष्य के लिए कार्य करने का आह्वान करता है।
  - इस दृष्टिकोण का मुख्य लक्ष्य अगली पीढ़ी, विशेष रूप से युवतियों एवं किशोरियों को स्थायी परिवर्तन के उत्प्रेरक के रूप में सशक्त बनाना है।
- **अन्य प्रमुख बिंदु :** वर्ष 2025 बीजिंग घोषणा-पत्र एवं कार्रवाई मंच की 30वीं वर्षगाँठ भी है।
  - यह दस्तावेज़ दुनिया भर में महिलाओं एवं बालिकाओं के अधिकारों के लिए सबसे प्रगतिशील व व्यापक रूप से समर्थित है जो कानूनी सुरक्षा, सेवाओं तक पहुँच, युवाओं की भागीदारी एवं सामाजिक मानदंडों, रूढ़ियों व पुराने विचारों में बदलाव के मामले में महिला अधिकारों के एजेंडे को बदलता है।

महिला उत्थान के लिए संवैधानिक, कानूनी एवं नीतिगत हस्तक्षेप

संवैधानिक प्रावधान

भारतीय संविधान प्रस्तावना, मौलिक अधिकारों एवं राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों के प्रावधानों के माध्यम से लैंगिक समानता की गारंटी देता है।

- **अनुच्छेद 14 (विधि के समक्ष समता) :** यह प्रावधान प्रत्येक नागरिक को 'समानता के अधिकार' की गारंटी देता है जिसमें कहा गया है कि राज्य देश के किसी भी क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता या कानूनों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा।
- **अनुच्छेद 15(1) एवं अनुच्छेद 15(3) (भेदभाव का निषेध एवं विशेष प्रावधान) :** जहाँ अनुच्छेद 15(1) राज्य द्वारा धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव पर रोक लगाता है, वहीं अनुच्छेद 15(3) राज्य को महिलाओं व बच्चों के लिए विशेष प्रावधान करने का अधिकार देता है।
- **अनुच्छेद 16 (लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता):** यह प्रावधान महिलाओं को पुरुषों के बराबर सार्वजनिक क्षेत्र की नौकरियों तक पहुँच सुनिश्चित करने के लिए महत्त्वपूर्ण है।
- **राज्य नीति के निदेशक सिद्धांत एवं महिला अधिकार :** निदेशक सिद्धांतों के अंतर्गत अनुच्छेद 39 एवं 42, आजीविका के समान अवसर, समान वेतन एवं मातृत्व लाभ से संबंधित हैं।

प्रमुख कानूनी प्रावधान

- दहेज निषेध अधिनियम, 1961
- घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम, 2005
- बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006
- पोक्सो अधिनियम, 2012
- कार्यस्थल पर महिला यौन उत्पीड़न अधिनियम, 2013
- आपराधिक कानून (संशोधन) अधिनियम, 2018
- तीन तलाक पर प्रतिबंध (2019)
- वन स्टॉप सेंटर (OSC)

नीतिगत प्रयास व योजनाएँ

शिक्षा क्षेत्र

- नि:शुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009
- बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ (2015)
- राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020
- एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय

स्वास्थ्य एवं पोषण

- प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना
- स्वच्छ भारत मिशन
- पोषण अभियान
- उज्ज्वला योजना
- प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान
- जननी सुरक्षा योजना
- जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम

आर्थिक सशक्तीकरण एवं वित्तीय समावेशन

- प्रधानमंत्री जन-धन योजना
- स्टैंड-अप इंडिया योजना
- मुद्रा योजना
- एन.आर.एल.एम. के अंतर्गत स्वयं सहायता समूह
- बैंक सखी मॉडल
- कामकाजी महिला छात्रावास (सखी निवास)
- स्टार्टअप में महिला उद्यमी

डिजिटल एवं तकनीकी सशक्तीकरण

- डिजिटल इंडिया पहल
- प्रधानमंत्री डिजिटल साक्षरता अभियान
- सामान्य सेवा केंद्र (CSC)
- आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन (ABDM)
- महिला सशक्तीकरण के लिए संकल्प केंद्र

जातिगत भेदभाव पर यू.जी.सी. का मसौदा नियम

संदर्भ

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (University Grant Commission % UGC) ने देश भर के विश्वविद्यालय परिसरों में जातिगत भेदभाव से निपटने के लिए नए मसौदा विनियम जारी किए हैं।

यू.जी.सी. का नवीनतम मसौदा विनियम

- यू.जी.सी. द्वारा प्रस्तुत मसौदा विनियम 'भेदभाव' को पुनर्परिभाषित करते हुए देश भर के विश्वविद्यालय परिसरों में 'जाति-आधारित भेदभाव' के लिए विशिष्ट नामकरण प्रस्तुत करता है।
- ये विनियम 'इक्विटी कमेटी' के गठन एवं झूठी शिकायतों के लिए दंड का भी प्रस्ताव करते हैं।
  - हालाँकि, भेदभाव की परिभाषा को लेकर मसौदा विनियमों में अस्पष्टता विद्यमान है।
  - इक्विटी समिति में प्रासंगिक अनुभव वाले नागरिक समाज के कम-से-कम दो प्रतिनिधियों एवं विशेष आमंत्रित सदस्यों के रूप में दो छात्र प्रतिनिधियों के साथ-साथ चार संकाय सदस्यों तथा संस्थान के प्रमुख को पदेन प्रमुख के रूप में शामिल किया जाएगा।
- विनियमन ने झूठी शिकायतों से भी संबंधित एक खंड पेश किया है जो झूठी शिकायत करने वालों के लिए जुर्माना एवं संभावित अनुशासनात्मक कार्रवाई का प्रस्ताव करता है।
- नए विनियमन यू.जी.सी. को उन संस्थानों की मान्यता रद्द करने की शक्ति प्रदान करते हैं जो उनका अनुपालन करने में विफल रहते हैं।
- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (उच्च शिक्षा संस्थानों में समानता को बढ़ावा देना) विनियम, 2025 जाति-आधारित भेदभाव को केवल अनुसूचित जातियों (SCs) एवं अनुसूचित जनजातियों (STs) के सदस्यों के खिलाफ जाति या जनजाति के आधार पर भेदभाव के रूप में परिभाषित करता है।
- यह 'भेदभाव' को 'किसी भी हितधारक के खिलाफ केवल धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर अनुचित, विभेदक या पक्षपातपूर्ण व्यवहार या ऐसे किसी अन्य कृत्य' के रूप में परिभाषित करता है।
- नए विनियमनों को यू.जी.सी. की एक विशेषज्ञ समिति द्वारा तैयार करके सर्वोच्च न्यायालय की पीठ के समक्ष प्रस्तुत किया गया था।
  - यह पीठ रोहित वेमुला एवं पायल तड़वी के अभिभावकों द्वारा दायर याचिकाओं पर सुनवाई कर रही है।
  - इन याचिकाओं में विश्वविद्यालयों में बड़े पैमाने पर जातिगत भेदभाव के खिलाफ कार्रवाई की अपील की गई थी।
- यू.जी.सी. ने सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों पर वर्ष 2012 के विनियमों पर पुनर्विचार करने के लिए प्रोफेसर शैलेश एन. जाला की अध्यक्षता में इस समिति का गठन किया था।
  - वर्ष 2012 का विनियमन 'भेदभाव' को किसी भी ऐसे भेद, बहिष्कार, सीमा या वरीयता के रूप में परिभाषित करता है जो समानता के संचालन को बाधित करने के साथ ही इसे विस्तृत करता है।
  - इसमें भेदभाव के आधारों में जाति, पंथ, भाषा, धर्म, जातीयता, लिंग एवं विकलांगता शामिल हैं।

आलोचना

- नए मसौदा नियमों की आलोचना करते हुए तर्क दिया जा रहा है कि विश्वविद्यालय परिसरों में जाति-आधारित भेदभाव आरक्षण विरोधी भावना के रूप में प्रकट होता है।
  - इसे प्रवेश परीक्षा रैंक या आरक्षण स्थिति के आधार पर भेदभाव के रूप में देखा जा सकता है।
- नए मसौदा विनियमों में विशेष रूप से परीक्षा रैंक या आरक्षण स्थिति के आधार पर भेदभाव को संबोधित करने वाला कोई खंड या प्रावधान नहीं है।

भारत में सामाजिक न्याय का विकास

संदर्भ

संयुक्त राष्ट्र द्वारा वैश्विक स्तर पर विश्व सामाजिक न्याय दिवस, 2025 का आयोजन किया गया।

विश्व सामाजिक न्याय दिवस, 2025 के बारे में

- **परिचय :** यह दिवस समाज के भीतर एवं उनके बीच एकजुटता, सद्भाव व अवसर की समानता को बढ़ावा देते हुए गरीबी, सामाजिक बहिष्कार तथा बेरोज़गारी को दूर करने के उद्देश्य से कार्रवाई के लिए एक वैश्विक आह्वान के रूप में कार्य करता है।
  - यह व्यापार, निवेश, तकनीकी प्रगति एवं आर्थिक विकास के माध्यम से अवसर सृजित करने के महत्त्व पर बल देता है।
  - शांति, सुरक्षा तथा सभी के मानवाधिकारों एवं मौलिक स्वतंत्रताओं के सम्मान के बिना सामाजिक न्याय प्राप्त नहीं किया जा सकता है।
- **घोषणा :** संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 26 नवंबर, 2007 को 62वें सत्र के दौरान
- **प्रारंभ :** यह दिवस वर्ष 2009 से प्रतिवर्ष 20 फरवरी को मनाया जाता है।
- **दृष्टिकोण :** सामाजिक विकास एवं सामाजिक न्याय राष्ट्रों के भीतर और उनके मध्य शांति तथा सुरक्षा प्राप्त करने व इसे बनाए रखने के लिए अपरिहार्य है।
- **विश्व सामाजिक न्याय दिवस के प्रमुख उद्देश्य**
  - गरीबी, बहिष्कार एवं बेरोज़गारी से निपटना

- निष्पक्षता, समानता एवं विविधता के प्रति सम्मान को बढ़ावा देना
- सामाजिक सुरक्षा तक पहुँच सुनिश्चित करना
- कार्यस्थल सहित जीवन के सभी क्षेत्रों में मानवाधिकारों को लागू करना

❖ अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) भी वर्ष 2008 में अपनाई गई 'निष्पक्ष वैश्वीकरण के लिए सामाजिक न्याय पर घोषणा' के माध्यम से इस दिशा में योगदान कर रहा है।

भारत में सामाजिक न्याय का विकास

❖ भारत वर्ष 2009 से विश्व सामाजिक न्याय दिवस का आयोजन कर रहा है।

❖ सामाजिक न्याय एवं सशक्तीकरण का दृष्टिकोण भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन तथा संविधान द्वारा सभी नागरिकों (विशेष रूप से हाशिए पर स्थित समुदाय) के लिए समानता, सम्मान एवं न्याय सुनिश्चित करने के दृष्टिकोण में गहराई से निहित है।

❖ भारत का संविधान विभिन्न प्रावधानों के माध्यम से सामाजिक न्याय एवं सशक्तीकरण के लिए एक मज़बूत आधार तैयार करता है जिसका उद्देश्य सामाजिक असमानताओं को समाप्त करना और वंचित समूहों के कल्याण को बढ़ावा देना है।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता पर प्रमुख संवैधानिक प्रावधान

❖ **प्रस्तावना :** प्रस्तावना सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करने के साथ ही स्थिति व अवसर की समानता की गारंटी प्रदान करता है। यह व्यक्तिगत गरिमा तथा राष्ट्रीय एकता को बनाए रखने के लिए भाईचारे को बढ़ावा देकर भेदभावमुक्त न्यायपूर्ण व समावेशी समाज की नींव रखती है।

❖ **मौलिक अधिकार (भाग III) :** अनुच्छेद 23 मानव तस्करी एवं जबरन मज़दूरी पर रोक लगाता है जिससे ऐसी प्रथाएँ कानून द्वारा दंडनीय हो जाती हैं। अनुच्छेद 24 खतरनाक व्यवसायों में बाल श्रम पर प्रतिबंध लगाते हुए बच्चों के सुरक्षा एवं शिक्षा के अधिकारों की रक्षा करता है। ये अधिकार कमज़ोर समूहों को शोषण से बचाते हैं।

❖ **राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत (DPSP) (भाग IV) :** अनुच्छेद 37 के अनुसार, डी.पी.एस.पी. कानूनी रूप से प्रवर्तनीय नहीं हैं किंतु शासन के लिए आवश्यक हैं।
- अनुच्छेद 38 राज्य को सामाजिक एवं आर्थिक असमानताओं को कम करने का निर्देश देता है।
- अनुच्छेद 39 समान आजीविका, उचित मज़दूरी एवं शोषण से सुरक्षा सुनिश्चित करता है।
- अनुच्छेद 39A वंचितों के लिए नि:शुल्क कानूनी सहायता की गारंटी देता है।
- अनुच्छेद 46 भेदभाव को रोकने के लिए अनुसूचित जाति एवं जनजाति और कमज़ोर वर्गों के लिए विशेष शैक्षिक व आर्थिक प्रोत्साहन को अनिवार्य बनाता है।

भारत सरकार की प्रमुख सामाजिक न्याय पहल

❖ **विशेष मंत्रालय की स्थापना :** वर्ष 1985–86 में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय की स्थापना की गई।

❖ **बजट में वृद्धि :** केंद्रीय बजट 2025–26 में कल्याणकारी योजनाओं के लिए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय को 13,611 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, जो वित्त वर्ष 2024–25 से 6% अधिक है।

❖ **प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना (PM-AJAY) :** वर्ष 2021–22 में शुरू की गई यह योजना अनुसूचित जाति (SC) बहुल गाँवों में कौशल विकास, आय सृजन एवं बुनियादी ढाँचे के माध्यम से एस.सी. समुदायों के उत्थान के लिए तीन योजनाओं को एकीकृत करती है।
- ये तीन योजनाएँ हैं : प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना, अनुसूचित जाति उप-योजना के लिए विशेष केंद्रीय सहायता और बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना।

❖ **श्रेष्ठ योजना :** इस योजना का उद्देश्य अनुसूचित जाति बहुल क्षेत्रों में अनुदान प्राप्त संस्थानों और उच्च गुणवत्ता वाले आवासीय विद्यालयों को सहायता प्रदान करके सेवा अंतराल को पाटना है।

❖ **पर्पल फेस्ट :** सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के दिव्यांग व्यक्ति सशक्तीकरण विभाग द्वारा वर्ष 2023 से यह आयोजन अधिक समतापूर्ण समाज की दिशा में एक आंदोलन है जो सभी के लिए पहुँच, सम्मान एवं समान अवसर के मूल्यों की वकालत करता है।

❖ **नेशनल एक्शन फॉर मैकेनाइज़्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम (नमस्ते) :** यह एक केंद्रीय क्षेत्रक योजना है जिसे सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय और आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय की संयुक्त पहल के रूप में वित्त वर्ष 2023–24 में लॉन्च किया गया है।
- इसका उद्देश्य शहरी भारत में सफाई कर्मचारियों की सुरक्षा, सम्मान एवं स्थायी आजीविका सुनिश्चित करना है।

❖ **आजीविका एवं उद्यम के लिए हाशिए पर स्थित व्यक्तियों के लिए सहायता (SMILE) :** इस पहल का उद्देश्य ट्रान्सजेंडर व्यक्तियों एवं भिक्षावृत्ति में संलग्न व्यक्तियों का पुनर्वास करना है।
- इसका प्राथमिक उद्देश्य भिखारियों को समाज की मुख्यधारा में वापस लाकर 'भिक्षावृत्ति मुक्त भारत' का निर्माण करना है।

❖ **पीएम-दक्ष योजना :** 7 अगस्त, 2021 को शुरू की गई इस योजना का उद्देश्य अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग एवं सफाई कर्मचारियों सहित हाशिए पर स्थित समुदायों के कौशल स्तर को बढ़ाना है, ताकि उन्हें नि:शुल्क कौशल प्रशिक्षण के माध्यम से आर्थिक रूप से सशक्त बनाया जा सके।

❖ **नशामुक्त भारत अभियान :** 15 अगस्त, 2020 को शुरू किए गए नशामुक्त भारत अभियान का उद्देश्य राष्ट्रीय सर्वेक्षण एवं नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के इनपुट के माध्यम से पहचाने गए 272 उच्च जोखिम वाले ज़िलों को लक्षित करके भारत को नशामुक्त बनाना है।

भारत में दिव्यांग कैदियों की स्थिति

संदर्भ

सर्वोच्च न्यायालय ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए टिप्पणी की कि देश भर के जेलों में दिव्यांगों के अनुकूल आवास एवं सुविधाओं की कमी एक 'गंभीर' मुद्दा है। इस संबंध में न्यायालय ने केंद्र सरकार को औपचारिक नोटिस जारी किया है।

हालिया वाद संबंधी मुद्दा

- याचिकाकर्ता के अनुसार, दिव्यांग व्यक्ति अधिनियम, 2016 में भी दिव्यांग कैदियों के अधिकारों की रक्षा करने और उन्हें 'उचित सुविधा' प्रदान करने के लिए कोई कानूनी ढाँचा नहीं है।
- याचिकाकर्ता का तर्क है कि दिव्यांग कैदियों को दो पहलुओं पर दंडित किया जाता है :
  - पहला, जिस अपराध के लिए उन्हें दोषी ठहराया गया है।
  - दूसरा, दिव्यांग होने का अपराध
- याचिका के अनुसार, दिव्यांग कैदियों के लिए कोई प्रावधान नहीं है जो उनकी विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करता हो।
  - उनकी विशेष आवश्यकताओं के बावजूद उन्हें गैर-दिव्यांग कैदियों के समान ही उपचार मिलता है।
  - यह दिव्यांग व्यक्ति अधिकार अधिनियम, 2016 के उद्देश्य को प्रभावित करता है।
- अधिकांश राज्यों के जेल मैनुअल में जेलों में रैंप एवं अन्य सुलभता उपायों के लिए अनिवार्य प्रावधानों का अभाव है जो दिव्यांग व्यक्ति अधिकार अधिनियम, 2016 द्वारा निर्धारित वैधानिक आवश्यकताओं का सीधा उल्लंघन है।

भारतीय जेलों की स्थिति

- भारत में जेलें हिंसा, दुर्व्यवहार एवं उपेक्षा से ग्रस्त रही हैं। वर्ष 1979–80 में कुख्यात 'भागलपुर ब्लाइंडिंग' की घटना में कैदियों की आँखों में तेज़ाब डाला गया था।
- राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो, 2022 की रिपोर्ट के अनुसार, वर्तमान में भारतीय जेलों में लगभग 5.73 लाख कैदी हैं जो उनकी 4.36 लाख की क्षमता से कहीं अधिक है।
- भारतीय जेलों की स्थिति दिव्यांग कैदियों के लिए और भी बदतर है क्योंकि इन्हें अन्य कैदियों व जेल कर्मचारियों द्वारा दुर्व्यवहार एवं हिंसा का सामना करना पड़ता है।
- उनकी आवश्यक दैनिक गतिविधियों के लिए विशेष सहायता व ज़रूरतों को नज़रअंदाज़ कर दिया जाता है। सरकार के पास दिव्यांग कैदियों की संख्या या स्थिति के बारे में स्पष्ट डाटा का अभाव है।
- दिव्यांग कैदियों को बड़े पैमाने पर अगम्यता (Inaccessibility) का सामना करना पड़ता है।

सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय

1980 के दशक की शुरुआत में जेल सुधारों पर मुल्ला समिति की रिपोर्ट में जेल की स्थिति एवं प्रशासन में सुधार के लिए व्यापक उपायों की सिफारिश की गई थी। हालाँकि, जेलों की स्थिति में कोई महत्त्वपूर्ण सुधार नहीं हुआ। वर्ष 1996 में बेंगलुरु की सेंट्रल जेल के एक कैदी ने भारत के मुख्य न्यायाधीश को जेल की दयनीय स्थिति के बारे में पत्र लिखा था।

राममूर्ति बनाम कर्नाटक राज्य वाद

राममूर्ति बनाम कर्नाटक राज्य वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार को मुल्ला समिति की सिफारिशों के अनुरूप जेलों में भीड़भाड़, मुकदमे में देरी, यातना एवं उपेक्षा जैसे प्रमुख मुद्दों को संबोधित करने का निर्देश दिया। हालाँकि, लगभग तीन दशक बाद भी इस संबंध में पर्याप्त प्रगति नहीं हुई है।

उपेंद्र बक्सी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (1983)

उपेंद्र बक्सी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य वाद (1983) में सर्वोच्च न्यायालय ने पुष्टि की कि कैदियों को सम्मान के साथ मानवीय परिस्थितियों में रहने का अधिकार है। न्यायालय के दृष्टिकोण में संविधान में निहित प्रावधानों के अनुसार भारत में सभी कैदियों को समानता, स्वतंत्रता एवं जीवन व व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार है।

भारत में दिव्यांग कैदियों के अधिकारों की रक्षा

- दिव्यांग कैदियों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए भारत के पास विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय अनुबंधों के तहत दायित्व हैं।
- नेल्सन मंडेला नियम (2015) के अनुसार, जेल प्रशासन को दिव्यांग कैदियों के लिए उचित व्यवस्था एवं समायोजन करना आवश्यक है।
- संयुक्त राष्ट्र दिव्यांग व्यक्ति अधिकार सम्मेलन दिव्यांग व्यक्तियों के लिए यातना, क्रूर, अमानवीय या अपमानजनक व्यवहार या दंड को प्रतिबंधित करता है।
- दिव्यांग व्यक्ति अधिकार अधिनियम, 2016 के अनुसार, दिव्यांग व्यक्तियों को दुर्व्यवहार, हिंसा, शोषण से संरक्षण प्रदान करना राज्य का दायित्व है।
- गृह मंत्रालय के मॉडल जेल मैनुअल (2016) में भी जेलों में सम्मानजनक रूप से रहने की स्थिति निर्दिष्ट की गई है।
  - जुलाई 2024 में गृह मंत्रालय ने जेल सुविधाओं को सुलभ बनाने के लिए विस्तृत आवश्यकताओं को रेखांकित करते हुए पुलिस स्टेशनों, जेलों एवं आपदा न्यूनीकरण केंद्रों के लिए गृह मंत्रालय द्वारा निर्मित विशिष्ट अवसंरचना एवं संबद्ध सेवाओं के लिए सुगम्यता दिशा-निर्देश जारी किए।
- 'जेल' राज्य सूची का विषय है और ऐसे में दिव्यांग कैदियों के अधिकारों को सुनिश्चित करने की स्पष्ट ज़िम्मेदारी राज्य की है।

❑❑❑

आंतरिक सुरक्षा

गोल्डन डोम

संदर्भ

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के हितों की रक्षा के लिए अत्याधुनिक मिसाइल डिफेंस शील्ड 'गोल्डन डोम' के लिए अमेरिकी कांग्रेस से धन मुहैया कराने का अनुरोध किया है।

गोल्डन डोम परियोजना के बारे में

- गोल्डन डोम परियोजना अमेरिका का एक राष्ट्रीय मिसाइल रक्षा कार्यक्रम है। इसका उद्देश्य बैलिस्टिक, हाइपरसोनिक एवं क्रूज़ मिसाइलों की एक शृंखला सहित हवाई खतरों से अमेरिका को बचाना है।
- इज़रायल के आयरन डिफेंस सिस्टम से प्रेरित अमेरिका के गोल्डन डोम में अंतरिक्ष-आधारित सेंसर एवं इंटरसेप्टर जैसी उन्नत तकनीक को शामिल किए जाने की संभावना है जिनमें शामिल हैं-
  - **स्पेस-बेस्ड इंफ्रारेड सिस्टम (SBIRS) :** मिसाइल के लॉन्च को डिटेक्ट करने के लिए सैटेलाइट्स का इस्तेमाल
  - **ग्राउंड-बेस्ड मिडकोर्स डिफेंस (GMD) :** लक्ष्य मिसाइल को बीच रास्ते (Midcourse) में ही नष्ट कर सकने के लिए इंटरसेप्टर मिसाइल
  - **एजिस बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस (BMD) :** समुद्र व स्थल-आधारित यह प्रणाली छोटी एवं मध्यम दूरी की मिसाइलों को रोकने में सक्षम
  - **थाड (THAAD) :** टर्मिनल फेज में मिसाइल को नष्ट करने के लिए मोबाइल लैंड-बेस्ड सिस्टम
  - **पैट्रियट एडवांस्ड कैपेबिलिटी-3 (PAC-3) :** छोटी दूरी की मिसाइलों को लक्ष्य बनाने में सक्षम

क्या होती है मिसाइल रक्षा प्रणाली

- मिसाइल रक्षा प्रणाली एक जटिल सैन्य प्रणाली है जिसमें कई तकनीकें शामिल होती हैं।
  - इन्हें उड़ान के विभिन्न चरणों में आने वाले बैलिस्टिक हथियारों का पता लगाने, उन्हें ट्रैक करने और इंटरसेप्ट करने के लिए डिज़ाइन किया जाता है।
- इसका मुख्य उद्देश्य बैलिस्टिक मिसाइल को हवा में ही नष्ट करना है। मिसाइल की सटीक स्थिति निर्धारित करने में मदद के लिए कई स्थानों पर ग्राउंड-आधारित इंटरसेप्टर भी तैनात किए जाते हैं।
- इसमें स्थल एवं जहाज़-आधारित युद्धपोतों में तैनात उन्नत मिसाइलों की मदद से लक्ष्य का पता लगाकर उस पर हमला किया जाता है।
  - अमेरिका की थाड (THAAD) प्रणाली भी इसी सिद्धांत पर आधारित है। यह हिट-टू-किल तकनीक का उपयोग करती है जो आने वाले मिसाइलों से टकराकर उन्हें नष्ट कर देती है।
- मिसाइल रक्षा प्रणाली तीन चरणों में कार्य करती है-
  - **बूस्ट फेज :** जब मिसाइल लॉन्च होती है।
  - **मिडकोर्स फेज :** जब मिसाइल ऊँचाई पर होती है।
  - **टर्मिनल फेज :** जब मिसाइल अपने लक्ष्य की ओर बढ़ती है।

भारत-म्याँमार सीमा सुरक्षा संबंधी मुद्दे

संदर्भ

सरकारी अधिकारियों एवं संसदीय पैनल की एक रिपोर्ट के अनुसार, अगले दस वर्षों में म्याँमार के साथ 1,643 किमी. लंबी सीमा को पूरी तरह से बाड़ (Fence) से घेर दिया जाएगा।

भारत-म्याँमार साझा सीमा एवं मुक्त आवागमन व्यवस्था (FMR)

- भारत-म्याँमार सीमा अरुणाचल प्रदेश (520 किमी.), नागालैंड (215 किमी.), मणिपुर (398 किमी.) और मिज़ोरम (510 किमी.) राज्यों से होकर गुज़रती है।
- भारत एवं म्याँमार सीमा पर बाड़ नहीं है और इन दो देशों के बीच एक अनूठी व्यवस्था है जिसे फ्री मूवमेंट रिजीम (FMR) कहा जाता है।
- एफ.एम.आर. पहल का उद्देश्य पूर्वोत्तर में आदिवासी समुदायों के लिए नौकरशाही बाधाओं को कम करना है जिससे वे आसानी से सीमा पार अपने संबंधियों से मिल सकें।

मुक्त आवागमन व्यवस्था (Free Movement Regime)

- यह व्यवस्था बिना वीज़ा या पासपोर्ट के सीमा के दोनों ओर 10 किमी. की सीमा में रहने वाले परिवारों को मिलने की अनुमति देता है।
- एफ.एम.आर. वर्ष 1968 में अस्तित्व में आया था जब लोगों की मुक्त आवागमन का क्षेत्रीय विस्तार सीमा के दोनों ओर 40 किमी. तक था।
- वर्ष 2004 में इसे घटाकर 16 किमी. कर दिया गया और वर्ष 2016 में अतिरिक्त नियम लागू किए गए जिसे बाद में घटाकर 10 किमी. कर दिया गया था। फरवरी 2024 से एफ.एम.आर. को पूरी तरह से निलंबित कर दिया गया है।

आंतरिक सुरक्षा संबंधी चुनौतियाँ

- भारत-म्याँमार सीमा खुली होने की स्थिति शांति, स्थिरता एवं आर्थिक विकास के लिए चिंता का विषय रही है।
- इस क्षेत्र को म्याँमार से मादक पदार्थों की तस्करी, विद्रोहियों की आमद व हथियारों के अवैध व्यापार जैसे कई मुद्दों का सामना करना पड़ता है जो पूर्वोत्तर भारत में आंतरिक सुरक्षा को चुनौती देते हैं।
- एफ.एम.आर. को अवैध प्रवासियों की आवाजाही और हथियारों तथा ड्रग्स के प्रवाह को सुविधाजनक बनाने के लिए ज़िम्मेदार माना जाता है।
  - इसी क्रम में भारत सरकार ने एफ.एम.आर. को समाप्त करने की घोषणा की है।

भारत-म्याँमार सीमा प्रबंधन

- म्याँमार सीमा पर बाड़ लगाने की परियोजना की घोषणा गृह मंत्री अमित शाह ने फरवरी 2024 में की थी।
- 1 अप्रैल से 31 दिसंबर, 2024 तक बाड़ लगाने और असम राइफल्स के लिए कंपनी ऑपरेशन बेस के निर्माण पर ₹114.09 करोड़ की राशि खर्च की गई है।
  - केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (CAPF) के रूप में असम राइफल्स म्याँमार सीमा की सुरक्षा के लिए ज़िम्मेदार हैं।
- असम राइफल्स के अनुसार, स्वदेशी रूप से विकसित स्मार्ट बाड़ में एंटी-कट और एंटी-क्लाइम्ब विशेषताएँ हैं जो अवैध घुसपैठ को रोककर सीमा को सुरक्षित करेंगी।
- संसदीय पैनल की रिपोर्ट के अनुसार, सुरक्षा पर कैबिनेट समिति (CCS) ने मार्च 2024 में भारत-म्याँमार सीमा पर बाड़ लगाने और असम राइफल्स के कंपनी संचालन पोस्ट को बेहतर कनेक्टिविटी प्रदान करने के उद्देश्य से सड़कों के निर्माण के लिए ₹31,000 करोड़ के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी।
  - इस प्रस्ताव का नागा एवं कुकी-जो निकायों ने कड़ा विरोध करते हुए तर्क दिया कि इससे सीमा के दोनों ओर रहने वाले लोगों के जातीय व पारिवारिक संबंध बाधित होंगे।

चेक पॉइंट्स की स्थापना

- पिछले वर्ष तक मणिपुर में मोरेह के पास सीमा के केवल 10 किमी. हिस्से पर बाड़ लगाई गई थी।
- गृह मंत्री ने असम राइफल्स को संशोधित फ्री मूवमेंट रिजीम (FMR) के तहत प्रत्येक क्रॉसिंग पॉइंट के दोनों ओर 10 किमी. की बाड़ लगाने का निर्देश दिया था।
  - संशोधित एफ.एम.आर. के तहत म्याँमार सीमा पर 43 क्रॉसिंग पॉइंट में से 22 का संचालन शुरू कर दिया गया है। इनमें से 11 मणिपुर में हैं।

सीमा पर बाड़ लगाने में चुनौतियाँ

- अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बाड़ लगाने के लिए अनुकूल भौगोलिक स्थिति, स्थानीय आबादी का समर्थन और पर्याप्त धन की आवश्यकता होती है।

जटिल भौगोलिक स्थिति

- हिमालय पर्वत शृंखला का ऊबड़-खाबड़ क्षेत्र भारत-म्याँमार सीमा के साथ दक्षिण की ओर विस्तृत है।
  - इसमें पटकाई बूम, नागा हिल्स, मणिपुर हिल्स, बरेल हिल्स एवं मिज़ो हिल्स नामक पर्वत की खंडित शृंखलाएँ शामिल हैं। इन पर्वत शृंखलाओं की औसत ऊँचाई 6,100 मीटर से अधिक है।
  - ऊँचे पहाड़, गहरी नदी धाराएँ एवं घाटियाँ इस सीमा क्षेत्र की विशेषताएँ हैं।
- इस तरह के चुनौतीपूर्ण भू-भाग परिवहन एवं संचार अवसंरचना के विकास में बाधक होते हैं जिससे सीमा क्षेत्र विरल आबादी वाला एवं आर्थिक रूप से अविकसित रह जाता है।
- कमज़ोर संचार नेटवर्क और आवश्यक सीमा अवसंरचना की कमी सीमा पर सुरक्षा बलों की तीव्र एवं कुशल आवाजाही में बाधक होती है।

घने जंगल

- आर्द्र उपोष्णकटिबंधीय जलवायु के कारण पूर्वोत्तर क्षेत्र में सघन जंगल होते हैं जो बाड़ निर्माण में चुनौती बन जाते हैं। सघन वनस्पति से निरंतर एवं अत्यधिक रखरखाव की भी आवश्यकता होती है।
- वर्ष भर लगातार वर्षा से कार्य के लिए अनुकूल समय बहुत कम होता है जिससे निर्माण कार्य में देरी हो सकती है।

आदिवासी संस्कृति

- भारत-म्याँमार सीमा पर आदिवासी समुदायों का सांस्कृतिक एवं सामाजिक-आर्थिक परिदृश्य बहुत व्यापक है।
- इन सीमावर्ती राज्यों में मुख्यत: आदिवासी एवं जातीय समूह रहते हैं, जैसे- नागालैंड में नागा जनजातियाँ, मणिपुर में कुकी जनजातियाँ और मिज़ोरम में मिज़ो एवं चिन जनजातियाँ।
  - कोन्याक, तांगखुल, खियामनियुंगन आदि जनजातियाँ सीमा के दोनों ओर निवास करती हैं।
- ये जनजातियाँ अपनी परंपरा, संस्कृति एवं संसाधनों को सीमा के दोनों ओर रहने वाले अपने रिश्तेदारों के साथ साझा करते हैं।
- इसलिए, सीमावर्ती क्षेत्रों के आदिवासी समूह सीमा पर बाड़ लगाने में सरकार के लिए प्रतिरोध उत्पन्न करते हैं।

क्षेत्रीय राजनीति

- राज्य स्तर पर सत्तारूढ़ राजनीतिक दल और स्थानीय आबादी का समर्थन सीमा पर सफलतापूर्वक बाड़ लगाने में महत्त्वपूर्ण है।
- भूमि से संबंधित मुद्दे राज्य सूची में शामिल हैं, इसलिए राज्य सरकार का विरोध भूमि अधिग्रहण में चुनौतियाँ उत्पन्न करता है।
  - वर्तमान में नागालैंड एवं मिज़ोरम सरकार एफ.एम.आर. को रद्द करने के साथ-साथ सीमा पर बाड़ लगाने के पक्ष में नहीं हैं।
- राज्य सरकार के समर्थन के बिना भारत-म्याँमार सीमा पर बाड़ लगाने की पहल पर प्रतिकूल प्रभाव हो सकता है।
  - हालाँकि, पूर्वोत्तर के कुछ राज्यों, जैसे- असम, अरुणाचल प्रदेश एवं मणिपुर ने केंद्र सरकार के फैसले का समर्थन किया है।

आगे की राह

सीमा पर प्रभावी निगरानी

- भारत-म्याँमार सीमा भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए चुनौती प्रस्तुत करती है जिससे पूर्वोत्तर क्षेत्र की सुरक्षा एवं स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए सीमा पर बाड़ लगाना आवश्यक हो जाता है।
- भारत-म्याँमार सीमा की प्रकृति प्रभावी सीमा प्रबंधन के लिए कई चुनौतियाँ प्रस्तुत करती हैं।
  - चूँकि, कुछ क्षेत्रों में बाड़ लगाने के लिए भौगोलिक परिस्थितियाँ एक चुनौती है, इसलिए ऐसे क्षेत्रों में सीमा परिधि की प्रभावी निगरानी के लिए वीडियो कैमरा, रडार संसर, फाइबर ऑप्टिक संसर एवं थर्मल इमेजिंग जैसी कई प्रकार की निगरानी तकनीकों का उपयोग करके हाइब्रिड निगरानी प्रणाली को नियोजित किया जा सकता है।

आदिवासी एवं स्थानीय समुदायों की भागीदारी

- सीमा पर कठोर नियंत्रण लागू करने से आदिवासी समुदायों के सामाजिक व आर्थिक ताने-बाने में बाधा उत्पन्न होने से तनाव व प्रतिरोध हो सकता है।
  - इसलिए, परामर्श के माध्यम से स्थानीय नागरिकों का विश्वास तथा समर्थन प्राप्त करना और उनके दृष्टिकोण को शामिल करना भारत-म्याँमार सीमा पर बाड़ लगाने के दौरान आदिवासी समूहों से संभावित प्रतिरोध को कम कर सकता है।
  - इस तरह के सहयोगात्मक उपाय बाड़ लगाने के प्रयासों को कई गुना बढ़ा सकते हैं।

सीमावर्ती राज्यों के साथ समन्वय

प्रत्येक सीमावर्ती राज्य की सहमति से एक व्यापक व समन्वित दृष्टिकोण सुनिश्चित करना एक स्थिर व शांतिपूर्ण पूर्वोत्तर क्षेत्र की स्थापना के लिए महत्त्वपूर्ण है। यह क्षेत्र विविध चुनौतियों का सामना कर रहा है। ऐसे में बाड़ लगाकर सीमा प्रबंधन के मुद्दे का कुशल एवं प्रभावी नियोजन व कार्यान्वयन आवश्यक है।

भारतीय वायु सेना का आधुनिकीकरण

भारतीय वायु सेना की क्षमता वृद्धि के लिए अधिकार प्राप्त समिति ने 3 मार्च, 2025 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट में प्रमुख क्षेत्रों की पहचान की और मध्यम एवं दीर्घकालिक उपायों के लिए सिफारिशें कीं।

वायु सेना आधुनिकीकरण पर उच्चस्तरीय समिति के बारे में

- इस समिति का गठन रक्षा मंत्री के निर्देश पर सभी मुद्दों की समग्र रूप से जाँच करने एवं एक स्पष्ट कार्य योजना तैयार करने के लिए किया गया था। इसकी अध्यक्षता रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने की।
- इस उच्चस्तरीय समिति की चर्चा में प्रमुख फोकस प्रतिद्वंदी देशों द्वारा तीव्र आधुनिकीकरण प्रयासों के बीच भारतीय वायु सेना में लड़ाकू विमानों को शामिल करने में हो रही भारी देरी पर केंद्रित किया गया।

रिपोर्ट की प्रमुख सिफारिशें

- रिपोर्ट में भारतीय वायु सेना ने लड़ाकू विमानों की संख्या में कमी को दूर करने के लिए प्राथमिकताएँ सूचीबद्ध की हैं।
  - संख्या में इस कमी को पूरा करने के लिए भारतीय वायु सेना को प्रतिवर्ष 35 से 40 लड़ाकू विमानों की ज़रूरत होगी।
- इस रिपोर्ट में एयरोस्पेस क्षेत्र में 'आत्मनिर्भरता' को बढ़ाने के लिए निजी क्षेत्र द्वारा सार्वजनिक रक्षा क्षेत्र के उपक्रमों एवं डी.आर.डी.ओ. (DRDO) के प्रयासों को पूरक बनाने की आवश्यकता पर भी ज़ोर दिया गया है।
- उठाए जाने वाले किसी भी कदम में स्वदेशीकरण एक महत्त्वपूर्ण पहलू होगा, जिसमें दक्षता लाने और क्षमता को तेज़ी से बढ़ाने के लिए निजी क्षेत्र की भागीदारी महत्त्वपूर्ण होगी।

वायु सेना की वर्तमान क्षमता

- भारतीय वायु सेना के पास वर्तमान में 31 लड़ाकू स्क्वाड्रन हैं जबकि स्वीकृत संख्या 42.5 स्क्वाड्रन है।
- यद्यपि लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट (LCA)-एमके1ए की डिलीवरी में देरी हुई है, जबकि जगुआर, मिग-29यू.पी.जी. एवं मिराज-2000 जैसे कई मौजूदा लड़ाकू विमानों को भी इस दशक के अंत तक चरणबद्ध तरीके से हटा दिया जाएगा।

- बड़ा और अधिक सक्षम एल.सी.ए.-एमके2 विकासाधीन है, जबकि देश का पाँचवीं पीढ़ी का जेट एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट (AMCA) पूर्ण रूप से विकसित होने से कम-से-कम एक दशक दूर है।

अस्त्र मिसाइल

रक्षा मंत्रालय की एयरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी (ADA) द्वारा तेजस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट एयर फोर्स मार्क-1 प्रोटोटाइप लड़ाकू विमान से स्वदेशी अस्त्र मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया।

अस्त्र मिसाइल के बारे में

- **क्या है :** दृश्य-सीमा से परे (Beyond Visual Range : BVR) हवा-से-हवा में मार करने वाली मिसाइल
  - दृश्य-सीमा से परे (BVR) ऐसी मिसाइलें होती हैं जो 20 समुद्री मील या 37 किमी. की सीमा से आगे तक मार करने में सक्षम होती हैं।
- **परीक्षण स्थल :** ओडिशा के चाँदीपुर तट से
- **विकास एवं डिज़ाइन :** रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO) द्वारा डिज़ाइन एवं विकास
- **मारक क्षमता :** 100 किमी. से अधिक दूरी पर स्थित लक्ष्यों को भेदने में सक्षम
- **प्रमुख विशेषताएँ :** उन्नत मार्गदर्शन एवं नेविगेशन क्षमताओं से लैस होने के कारण अधिक सटीकता के साथ लक्ष्यों को नष्ट करने में सक्षम
  - इसे चरणबद्ध तरीके से भारतीय वायु सेना (IAF) के स्वदेशी एल.सी.ए. तेजस और भारतीय नौसेना के मिग-29 के साथ एकीकृत किया जा रहा है।
- **शामिल संस्थाएँ :**
  - एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी (ADA)
  - हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL)
  - सेंटर फॉर मिलिट्री एयरवर्थीनस एंड सर्टिफिकेशन (CEMILAC)
  - डायरेक्टरेट जनरल ऑफ एरोनॉटिकल क्वालिटी एश्योरेंस (DG-AQA)
  - भारतीय वायु सेना (IAF)

❑❑❑

संस्कृति IAS
जहाँ एक नहीं,
हर शिक्षक है श्रेष्ठ
इतिहास
वैकल्पिक विषय

द्वारा- श्री अखिल मूर्ति
कार्यक्रम विशेषताएँ
इतिहास में मानचित्र द्वारा अध्ययन के लिए वैज्ञानिक प्रविधि का प्रयोग
प्रत्येक विद्यार्थी की पर्सनल मेंटरिंग व टेस्ट का मूल्यांकन फैकल्टी द्वारा
क्लास के तुरंत बाद प्रत्येक विद्यार्थी की विषय संबंधी शंकाओं का निवारण
मुख्य परीक्षा में पूछे गए विगत 25 वर्षों के प्रश्नों का उत्तर लेखन अभ्यास
हेड ऑफिस: 636, भू-तल, डॉ. मुखर्जी नगर, दिल्ली-110009
प्रयागराज केंद्र: महाराणा प्रताप चौराहा, स्टैनली रोड, सिविल लाइन्स, प्रयागराज, उ.प्र.
9555-124-124
sanskritiias.com

नीतिशास्त्र, सत्यनिष्ठा एवं अभिरुचि

स्वास्थ्य देखभाल अवसंरचना में करुणा की आवश्यकता

संदर्भ

विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने 'करुणा एवं प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल' शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है जो प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल में करुणा या दयालुता को एक परिवर्तनकारी शक्ति के रूप में मान्यता देती है।

स्वास्थ्य देखभाल में करुणा

- WHO के महानिदेशक डॉ. टेड्रोस घेब्रेयसस ने वैश्विक स्वास्थ्य में करुणा की भूमिका की खोज का आह्वान किया है जिसमें स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं की गुणवत्ता पर इसके प्रभाव एवं प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल से इसके संबंध पर विशेष ध्यान है।
- वर्ष 2021 में 74वीं विश्व स्वास्थ्य सभा और कई अन्य संयुक्त राष्ट्र मंचों में स्वास्थ्य देखभाल में करुणा को वैश्विक बनाने का स्पष्ट आह्वान किया गया है जिसके परिणामस्वरूप वर्तमान में दुनिया करुणा की आवश्यकता के प्रति जागरूक हो रही है।
- करुणा वैश्विक स्वास्थ्य के लिए एक मुख्य मूल्य है और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने में महत्त्वपूर्ण है। व्यक्तिगत स्तर पर करुणा मानव मस्तिष्क में निहित होती है।

स्वास्थ्य देखभाल अवसंरचना में करुणा की आवश्यकता

- मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञों के अनुसार, दुनिया भर में व्यक्तियों पर अवसाद के व्यापक प्रभाव एवं दीर्घकालिक परिणामों के कारण यह संभावित रूप से 'अगली महामारी' बन सकता है।
    - ऐसे में मानसिक स्वास्थ्य में करुणा की तत्काल आवश्यकता पर बल देने की आवश्यकता है।
- यह पहचानने की आवश्यकता है कि स्वास्थ्य सेवा का अर्थ केवल बीमारियों का उपचार करना नहीं है बल्कि व्यक्तियों के समग्र कल्याण को बढ़ावा देना भी है।

स्वास्थ्य देखभाल अवसंरचना में करुणा का महत्त्व

रोगियों पर सकारात्मक प्रभाव

- करुणा देखभाल प्राप्तकर्ताओं को शारीरिक एवं मानसिक लाभ प्रदान करती है। यह तनाव वाले रोगों के प्रभावों एवं दर्द की अनुभूति को कम करने के साथ ही प्रतिरक्षा व अंत:स्रावी तंत्र पर सकारात्मक प्रभाव डाल सकता है
    - स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के सेंटर फॉर कम्पैशन एंड अल्ट्रूइज्म रिसर्च एंड एजुकेशन (CCARE) द्वारा किए गए शोध के अनुसार करुणायुक्त या दयालु स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं द्वारा उपचार किए गए मरीज जल्दी ठीक हो जाते हैं जिससे उनके अस्पताल में रहने की अवधि भी कम होती है।
- जॉन्स हॉपकिन्स अस्पताल द्वारा किए गए एक अन्य अध्ययन में पाया गया है कि कैंसर रोगियों के ठीक होने के मामले में करुणामय संचार का महत्त्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है।
    - यह देखा गया है कि जब डॉक्टर प्रत्येक मरीज के साथ अतिरिक्त 40 सेकंड व्यतीत करते हैं और एकजुटता व्यक्त करते हैं तो इससे मरीजों की चिंता में काफी कमी आती है और उनके ठीक होने पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है।

स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं को लाभ

- करुणा या दया रोगियों के साथ स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं के लिए भी लाभकारी सिद्ध हुई है। स्वास्थ्य सेवा पेशेवरों द्वारा करुणा का अभ्यास उन्हें तनावमुक्त करने के साथ ही कार्यस्थल पर उन्हें संतुष्टि प्रदान करता है।
- यह उच्च गुणवत्ता वाली देखभाल प्रदान करने के लिए रोगियों के साथ उनके मजबूत संबंध का निर्माण करता है। करुणा के साथ देखभाल प्रदान करने वाले स्वास्थ्य देखभाल पेशेवर में बेहतर स्वास्थ्य और पेशेवर संतुष्टि की भावना अधिक होती है।

करुणा, सहानुभूति, समानुभूति में अंतर

- प्राय: करुणा, सहानुभूति, समानुभूति एवं दया जैसे शब्द एक-दूसरे के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। हालाँकि, इनमें अंतर होता है।
    - सहानुभूति (Sympathy) दया-आधारित एक क्षणिक प्रतिक्रिया है जबकि समानुभूति (Empathy) तब होती है जब लोग दूसरों की समस्याओं को स्वयं की समस्या के रूप में अनुभव करते हैं और इस प्रक्रिया में वे अभिभूत हो जाते हैं।
    - समानुभूति के साथ काम करने वाले स्वास्थ्य सेवा कर्मियों को रोगियों की पीड़ा को आंतरिक रूप से महसूस करने पर चिंता, थकावट एवं कभी-कभी अवसाद का सामना करना पड़ सकता है।
    - साथ ही, अत्यधिक कार्यावधि के कारण तनाव 'समानुभूति थकान' का कारण बन सकता है जिससे रोगियों की देखभाल गुणवत्ता में कमी आ सकती है।
- दूसरी ओर, करुणा (Compassion) या दयालुता समस्या-समाधान के बारे में है। यह ऐसी स्थिति है जब हम दूसरों की पीड़ा को अपनी पीड़ा के रूप में महसूस करते हैं और उसके समाधान के लिए कार्य करते हैं।

- एक दयालु स्वास्थ्य सेवा प्रदाता के पास रोगियों के साथ मिलकर काम करने की भावनात्मक स्थिरता होगी जो दोनों पक्षों के लिए अनुकूल होगी। वे रोगियों के दर्द को तो अपना समझेंगे किंतु एक अलगाव भी बनाए रखेंगे जो उन्हें अभिभूत नहीं होने देगा।
- करुणा स्वास्थ्य देखभाल के लिए एक अधिक टिकाऊ दृष्टिकोण अपनाने में मदद करती है जो पेशेवरों को उत्कृष्ट चिकित्सा उपचार प्रदान करने, रोगियों के ठीक होने पर संतुष्टि प्राप्त करने और अपने पेशेवर एवं व्यक्तिगत जीवन की सुरक्षा करने में सहायक होते हैं।

स्वास्थ्य सेवा प्रणाली में करुणा के समक्ष चुनौतियाँ

व्यक्तिगत स्तर

- **समय का दबाव :** संगठनात्मक एवं वित्तीय दबाव के कारण लोगों व समुदायों की बात सुनने और करुणामय, उच्च-गुणवत्ता युक्त देखभाल प्रदान करने के लिए पर्याप्त समय नहीं मिलता।
- **अधिक काम :** कम संसाधनों वाली परिस्थितियों में दीर्घकाल तक काम करना और उसके लिए मान्यता या पुरस्कार न मिलना स्वास्थ्य पेशवरों को हतोत्साहित करता है।
- **दूरी :** पीड़ित लोगों से सामाजिक, सांस्कृतिक या आर्थिक दूरी, पूर्वाग्रह व कलंक का कारण बन सकती है।
- **अपर्याप्तता की भावना :** स्वास्थ्य देखभाल में करुणा की आवश्यकता एवं गंभीरता अधिक हो सकती है और इसे संबोधित करने की व्यक्ति की करुणा की क्षमता अपर्याप्त हो सकती है।
- **आत्म-करुणा की कमी :** जब स्वास्थ्य देखभाल पेशेवरों में आत्म-देखभाल के प्रशिक्षण की कमी होती है तब सहानुभूतिपूर्ण संकट और भावनात्मक दूरी (लगाव से बचना) करुणा को बाधित कर सकते हैं।

संस्थागत स्तर

- **असमर्थक नेतृत्व :** नैदानिक व व्यावसायिक प्रणाली में करुणा को बढ़ावा देने में नेतृत्वकर्ता आवश्यक हैं, जो करुणा की एक संगठनात्मक संस्कृति को विकसित करने में मदद करते हैं। इस संबंध में नेतृत्वकर्ता की कमी स्वास्थ्य प्रणाली में करुणा को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करती है।
- **नेतृत्व की सीमाएँ :** यद्यपि नेतृत्वकर्ता वैज्ञानिक प्रमाणों को स्वीकार करते हैं और करुणा के साथ नेतृत्व की इच्छा रखते हैं, तब भी उन्हें यह नहीं पता होता है कि कैसे नेतृत्व करना है और प्राय: उनमें आत्म-करुणा की कमी होती है।
- **करुणा को प्राथमिकता न देना :** वित्तीय स्थिरता, लाभ या दक्षता जैसे प्रतिस्पर्धी दबावों को करुणा पर प्राथमिकता दी जाती है।

करुणा को स्वास्थ्य अवसंरचना में शामिल करने की रणनीति

- करुणामय स्वास्थ्य सेवा की अनिवार्य आवश्यकता के बारे में जागरूकता का प्रसार किया जाना चाहिए।
- करुणा केवल एक 'अच्छी बात' के रूप में नहीं होनी चाहिए बल्कि इसे बोर्ड बैठक में निर्णय लेने का पैरामीटर होना चाहिए।
- करुणामय स्वास्थ्य सेवा; उद्योग के नेतृत्वकर्ताओं, अस्पतालों, विचारकों व स्वास्थ्य सेवा थिंक-टैंक के लिए प्रेरक सिद्धांत होना चाहिए।
- स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं को यह बताना होगा कि करुणामय देखभाल क्या है और वे इसे सहजता से कैसे शामिल कर सकते हैं।
    - इसके लिए डॉक्टरों, नर्सों एवं पैरामेडिकल स्टाफ के गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण व अनुभवात्मक शिक्षा में निवेश करने की आवश्यकता होगी।
- स्वास्थ्य सेवा से संबंधित हितधारकों को सहानुभूति एवं करुणा के बीच का अंतर भी सिखाया जाना चाहिए।
- करुणामय स्वास्थ्य सेवा में सभी के लिए समान, सुलभ व गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा शामिल होनी चाहिए, चाहे उनकी सामाजिक-आर्थिक स्थिति, लिंग या जाति कुछ भी हो।
- स्वास्थ्य प्रणालियों में करुणा को पूरी तरह से समाहित करने के लिए सभी स्तरों (जैसे- समुदाय, स्वास्थ्य सुविधा, जिला एवं राष्ट्रीय) पर नीति-निर्माण में ध्यान देने की आवश्यकता है।

निष्कर्ष

करुणा ही वह आधार है जिस पर एक ऐसी स्वास्थ्य सेवा प्रणाली का निर्माण किया जा सकता है जो वास्तव में लोगों पर केंद्रित होने के साथ ही सभी की जरूरतों के प्रति उत्तरदायी हो। यह उचित समय है कि सभी के लिए करुणामय स्वास्थ्य देखभाल का वैश्वीकरण किया जाए।

केस स्टडी –I

डॉ. श्रीनिवासन एक प्रतिष्ठित जैव-प्रौद्योगिकी कंपनी में कार्यरत एक वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं। यह कंपनी फार्मास्युटिकल में अपने अत्याधुनिक शोध के लिए जानी जाती है। डॉ. श्रीनिवासन किसी नई दवा पर काम करने वाली एक शोध टीम का नेतृत्व कर रहे हैं, जिसका उद्देश्य एक नए वायरस (विषाणु) से तेज़ी से फैलने वाले संक्रमित रोग का इलाज करना है। यह बीमारी दुनिया भर में तेज़ी से फैल रही है और देश में इसके मामलों की संख्या धीरे-धीरे बढ़ रही है। डॉ. श्रीनिवासन की टीम पर इस दवा के ट्रायल में तेज़ी लाने का बहुत दबाव है क्योंकि इसके लिए बाज़ार में काफी मांग है और कंपनी बाज़ार में पहला कदम रखने का फायदा उठाना चाहती है।

टीम मीटिंग के दौरान, टीम के कुछ वरिष्ठ सदस्यों ने दवा के क्लिनिकल (नैदानिक) परीक्षणों में तेज़ी लाने और अपेक्षित अनुमोदन प्राप्त करने के लिए कुछ शॉर्टकट सुझाए । इनमें कुछ नकारात्मक परिणामों को बाहर करने के लिए डाटा में हेरफेर करना और चुनिंदा रूप में सकारात्मक परिणामों की रिपोर्ट करना, सूचित सहमति की प्रक्रिया को छोड़ देना और स्वयं का घटक विकसित करने के बजाय, प्रतिद्वंद्वी कंपनी द्वारा पहले से पेटेंट किए गए यौगिकों का उपयोग करना शामिल हैं। डॉ. श्रीनिवासन ऐसे शॉर्टकट लेने में सहज नहीं हैं, साथ ही उन्हें यह भी पता चला है कि इन तरीकों का उपयोग किए बिना लक्ष्यों को पूरा करना असंभव है।

(a) ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे?

(b) इसमें शामिल नैतिक प्रश्नों के प्रकाश में अपने विकल्पों और परिणामों का परीक्षण कीजिए।

(c) ऐसे परिदृश्य में, डाटा नैतिकता और औषधि नैतिकता किस प्रकार बड़े पैमाने पर मानवता को बचा सकती हैं?

(सिविल सेवा मुख्य परीक्षा 2024)

उत्तर :

उपरोक्त परिस्थिति में एक प्रतिष्ठित दवा वैज्ञानिक के रूप में डॉ. श्रीनिवासन के समक्ष व्यापक जनहित बनाम आर्थिक लाभ का आधारभूत नैतिक द्वंद विद्यमान है। नया वायरस एक संक्रमित रोग है, जो अल्पकाल में ही करोड़ों लोगों की जान ले सकता है, जबकि वायरस की दवा निर्माण प्रक्रिया में शॉर्टकट अपनाने से कंपनी को अरबों रुपयों का लाभ हो सकता है।

(a) ऐसी स्थिति में मेरे द्वारा निम्नलिखित नीतिपरक कार्य किए जा सकते हैं -

- **नैतिक कर्तव्यों का पालन :** एक डॉक्टर एवं वैज्ञानिक के रूप में मेरे लिए सबसे महत्त्वपूर्ण यह है कि मैं नैतिकता के सत्यता और अखंडता के मूल सिद्धांतों का पालन करूँ। इसलिए, मैं किसी भी अनैतिक तरीके का पालन करने से इनकार करूँगा।
- **टीम के साथ संवाद :** मैं अपनी टीम के साथ संवाद कर उन्हें यह समझाऊँगा कि नैतिक शोध प्रथाओं का पालन करना न केवल हमारी पेशेवर ज़िम्मेदारी है, बल्कि समाज के स्वास्थ्य और भलाई के लिए भी आवश्यक है।
- **शॉर्टकट को अस्वीकार करना :** मैं उन शॉर्टकट का कड़ा विरोध करूँगा जो क्लिनिकल परीक्षणों में डाटा में हेरफेर करने, सहमति प्रक्रिया को छोड़ने और अन्य कंपनियों के पेटेंट यौगिकों का उपयोग करने की सिफारिश करते हैं।
- **पारदर्शिता :** वायरस की दवा में हेरफेर से होने वाले दीर्घकालिक खतरनाक परिणामों से बचाव के लिए मैं यह सुनिश्चित करूँगा कि सभी परीक्षण सही तरीके से हों और पूरी पारदर्शिता के साथ रिपोर्ट तैयार की जाए।
- **वरिष्ठ प्रबंधन से वार्ता :** टीम के कुछ वरिष्ठ सदस्य कम समय में दवा निर्माण के दबाव का सामना कर रहे हैं, मैं इस मुद्दे को बिना किसी डर के वरिष्ठ प्रबंधन के सामने रखूँगा।
- **समाधान की खोज :** बिना शॉर्टकट के निर्धारित समय सीमा में लक्ष्यों की प्राप्ति संभव नहीं है, इसलिए मैं कंपनी के वरिष्ठ प्रबंधन को सुझाव दूँगा कि हमें अनुसंधान प्रक्रिया को समय पर पूरा करने के लिए अतिरिक्त संसाधन उपलब्ध कराए जाएँ और पेटेंट संबंधी समस्या के लिए दूसरी कंपनियों से भी सहयोग किया जाए।

(b) उपरोक्त मामले में शामिल नैतिक प्रश्नों के प्रकाश में विकल्पों और परिणामों का परीक्षण

- **पेशेवर कर्तव्यों का पालन :** इस विकल्प से व्यक्तिगत एवं पेशेवर रूप से अपने नैतिक कर्तव्यों का पालन करने का दायित्व पूरा होगा और साथ ही, व्यापक जनहित के संबंध में भी इस विकल्प के परिणाम अत्यंत लाभकारी होंगे।
- **डाटा में हेरफेर करना :** डाटा में हेरफेर करना न केवल धोखाधड़ी है, बल्कि यह मरीज़ों की सुरक्षा के लिए भी एक बड़ा खतरा पैदा कर सकता है। इसका परिणाम न केवल वैज्ञानिक समुदाय में विश्वास की कमी के रूप में होगा, बल्कि यह हमारी कंपनी की प्रतिष्ठा और व्यापार पर भी नकारात्मक असर डालेगा।
- **सूचित सहमति की प्रक्रिया को छोड़ना :** सूचित सहमति एक महत्त्वपूर्ण नैतिक सिद्धांत है, जो मरीज़ों के अधिकारों और स्वायत्तता का सम्मान करता है। इसे छोड़ने से मरीज़ों के अधिकारों का उल्लंघन होगा, तथा यह दवा के नैतिकता से जुड़ी सुरक्षा के लिए जोखिम बढ़ा सकता है। यह कदम न केवल कानूनी रूप से गलत हो सकता है, बल्कि यह समाज में हमारे प्रति विश्वास की कमी को भी जन्म दे सकता है।
- **पेटेंट यौगिकों का उपयोग :** प्रतिस्पर्द्धी कंपनी के पेटेंट यौगिकों का उपयोग बिना अनुमति के न केवल अनैतिक है, बल्कि यह कानूनी भी नहीं है। यह बौद्धिक संपत्ति अधिकारों का उल्लंघन करता है और इससे हमारी कंपनी के लिए गंभीर कानूनी परिणाम हो सकते हैं।
- **शॉर्टकट अपनाना :** यह सभी शॉर्टकट मरीज़ों के लिए खतरनाक हो सकते हैं, और यदि दवा में किसी प्रकार की समस्या उत्पन्न होती है, तो वह केवल उन व्यक्तियों को नहीं, बल्कि पूरे समाज को प्रभावित कर सकती है। इससे मरीज़ों की मौतें, गंभीर स्वास्थ्य समस्याएँ, और चिकित्सा समुदाय का विश्वास टूट सकता है।

(c) ऐसे परिदृश्य में, डाटा नैतिकता और औषधि नैतिकता की भूमिका

डाटा नैतिकता

- डाटा नैतिकता का अर्थ है कि संबंधित डाटा को एकत्र, साझा और उपयोग करने के नैतिक पहलुओं पर विचार करना जिससे व्यक्तियों, समूहों या समाज पर पड़ने वाले संभावित नकारात्मक प्रभावों को कम किया जा सके।
- डाटा नैतिकता का पालन करने से दवा अनुसंधान के परिणामों की सत्यता और पारदर्शिता सुनिश्चित होती है।
- यदि हम डाटा को सही तरीके से संगृहीत, विश्लेषित और रिपोर्ट करते हैं, तो यह शोध के लिए लाभकारी होने के साथ ही मरीज़ों को वास्तविक और विश्वसनीय जानकारी प्रदान करने में भी मदद करता है।
- इससे भविष्य में गलत दवाओं के प्रयोग से होने वाली घटनाओं को रोका जा सकता है।

औषधि नैतिकता

- औषधि नैतिकता, चिकित्सा क्षेत्र में काम करने वाले लोगों के लिए नैतिक सिद्धांतों और मूल्यों का एक समूह है, जो रोगियों के अधिकारों, कल्याण और सम्मान को सुनिश्चित करता है।
- औषधि नैतिकता का पालन करना यह सुनिश्चित करता है कि दवाओं का विकास व परीक्षण केवल मरीज़ों के लाभ के लिए किया जाए न कि आर्थिक लाभ के लिए।
- यदि हम नैतिक रूप से दवाओं का परीक्षण करते हैं, तो इससे न केवल दवाओं की सुरक्षा और प्रभावशीलता की पुष्टि होती है, बल्कि मरीज़ों के स्वास्थ्य के लिए भी अधिक सुरक्षित और प्रभावी इलाज प्रदान किया जा सकता है।

निष्कर्ष

इस प्रकार डाटा एवं औषधि नैतिकता से समग्र रूप से स्वास्थ्य देखभाल क्षेत्र में विश्वास बढ़ता है, जो अंततः समाज की भलाई के लिए योगदान देता है। जब हम नैतिक रूप से दवाओं का परीक्षण और अनुसंधान करते हैं, तो हम समाज में भरोसा बनाए रखते हैं, जिससे लोगों को सुरक्षित व प्रभावी इलाज मिल सकेगा। नैतिकता का पालन करते हुए हम चिकित्सा के विकास को एक सही दिशा में आगे बढ़ा सकते हैं और संपूर्ण मानवता की रक्षा कर सकते हैं।

केस स्टडी–II

- सुरेश एक राज्य के अग्निशमन विभाग के प्रमुख हैं। रात में 11 बजे उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश के सरकारी आवास पर आग लगने की सूचना उनको मिलती है। घटना की गंभीरता को देखते हुए वे अपनी एक अग्निशमन टीम के साथ आग बुझाने के लिए घटना स्थल पर पहुँचते हैं। आग बुझाने की घटना के दौरान दमकल कर्मियों को बड़ी मात्रा में नकदी मिलती है जिसकी तत्काल जानकारी उसे प्राप्त होती है। न्यायाधीश एवं उसका परिवार घर पर मौजूद नहीं है, घर में केवल सहायक कर्मी उपस्थित हैं।
- आग लगने की घटना के दौरान ही सुरेश के पास न्यायाधीश का फोन आता है और मामले को दबाने का आग्रह किया जाता है। साथ ही, नकदी मिलने की सूचना को पुलिस एवं अन्य सरकारी विभागों को न बताने के लिए भी कहा जाता है। सुरेश व उसकी टीम को इस मामले को गुप्त रखने के लिए अत्यधिक धन लोभ का प्रस्ताव दिया जाता है और ऐसा न करने पर भविष्य में अनपेक्षित परिणामों की चेतावनी दी जाती है।
- यह मामला मीडिया में आने पर जनता का न्यायपालिका पर विश्वास कमज़ोर हो जाएगा, और न्याय की मूर्ति के रूप में सम्मानित न्यायाधीश भी कटघरे में खड़े होंगे। अधिक धन लोभ एवं सामाजिक प्रतिक्रियाओं के भय से सुरेश इस मामले को प्रारंभिक चरण में ही दबा देते हैं तथा उपस्थित साक्ष्यों को नष्ट कर देते हैं। पुलिस एवं अन्य संबंधित सरकारी विभागों को आय से अधिक नकदी की सूचना नहीं दी जाती है और मामले को केवल एक सामान्य आग की घटना के रूप में दर्शाया जाता है, किंतु सुरेश की टीम के एक सदस्य द्वारा नकदी जलने की घटना का वीडियो बना लिया जाता है जो एक सप्ताह बाद सोशल मीडिया पर वायरल हो जाता है।
- सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल होने के बाद भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा इस मामले का संज्ञान लिया जाता है और एक जाँच समिति का गठन किया जाता है जिससे मामले के सभी पहलू का पता लगाया जा सके। उच्चतम न्यायालय के कॉलेजियम द्वारा आरोपी न्यायाधीश के इस्तीफे के बजाय उनका तबादला किसी अन्य उच्च न्यायालय में कर दिया जाता है। इस घटना ने कानूनी विशेषज्ञों के बीच बहस छेड़ दी है और जनता द्वारा कॉलेजियम के फैसले की आलोचना की जा रही है। इस घटना ने जनता के मन में न्यायपालिका के विश्वास को तार-तार कर दिया है।

(a) यदि आप सुरेश के स्थान पर होते तो ऐसी स्थिति में आप क्या करते?

(b) उपरोक्त परिस्थिति में शामिल नैतिक मुद्दों पर प्रकाश डालिए।

(c) ऐसे परिदृश्य में, न्यायपालिका की शुचिता की रक्षा करने एवं जनता में पुनः विश्वास कायम करने के लिए किए जाने वाले आवश्यक उपायों पर विचार कीजिए।

❑❑❑

विविध

अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम

ऑपरेशन स्काई शील्ड

यूरोपीय संघ (EU) ने यूक्रेन को सैन्य सहायता देने के लिए 'ऑपरेशन स्काई शील्ड' कोडनेम से एक योजना की घोषणा की है।

ऑपरेशन स्काई शील्ड के बारे में

- **लक्ष्य :** क्रूज़ मिसाइल हमलों से पश्चिमी यूक्रेन की सुरक्षा करना
- **उद्देश्य :** यूक्रेनी एयर डिफेंस को पूर्वी मोर्चे पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करना तथा यूक्रेन के महत्त्वपूर्ण बुनियादी ढाँचे (Critical Infrastructure) की सुरक्षा सुनिश्चित करना

ऑपरेशन स्काई शील्ड का तकनीकी विवरण

- ऑपरेशन स्काई शील्ड के तहत यूरोपीय देशों द्वारा यूक्रेन की सुरक्षा में 120 लड़ाकू विमानों की तैनाती का प्रस्ताव है।
- स्काई शील्ड यूरोपीय नेतृत्व वाला एक हवाई सुरक्षा क्षेत्र होगा जो यूक्रेन के शहरों तथा बुनियादी ढाँचे पर रूसी क्रूज़ मिसाइल एवं ड्रोन हमलों को रोकने के लिए नाटो से अलग संचालित होगा।
  - प्रारंभ में इसमें यूक्रेन के तीन चालू परमाणु ऊर्जा संयंत्रों और ओडेसा व लविव शहरों को शामिल किया जाएगा।
- परिचालन प्रभावशीलता बनाए रखने के लिए इस पहल को लंबी दूरी के रडार डिटेक्शन विमान, ईंधन भरने वाले विमान और विशेष टोही एवं इलेक्ट्रॉनिक युद्धक विमानों की भी आवश्यकता होगी।
  - ये क्षमताएँ यूरोपीय संघ के देशों और यूनाइटेड किंगडम में पहले से ही उपलब्ध हैं।
- स्काई शील्ड पहल को सर्वप्रथम वर्ष 2022 में यूरोपीय देशों के सेवानिवृत्त सैन्य योजनाकारों ने प्रस्तुत किया था। हालाँकि, उस समय इसमें कोई प्रगति नहीं हुई।

प्रभाव

- यूरोपीय सैनिकों को भेजने की बजाय इस रणनीति का अधिक प्रभावी होना
- हथियार प्रदान करने के साथ-साथ प्रत्यक्ष सैन्य भागीदारी
- फ्राँस के न्यूक्लियर अंब्रेला की पेशकश से परमाणु युद्ध का खतरा
- प्रत्यक्ष सैन्य हस्तक्षेप एवं बाह्य समर्थन को लेकर यूरोप में विभाजन का डर

वानुअतु का गोल्डन पासपोर्ट

वानुअतु सरकार ने इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) के पूर्व प्रमुख ललित मोदी को जारी पासपोर्ट रद्द कर दिया है। वानुअतु सरकार का तर्क है कि प्रत्यर्पण से बचने के लिए इस द्वीपीय देश की नागरिकता की प्राप्ति के लिए वैध कारण नहीं है। ललित मोदी ने गोल्डन पासपोर्ट/फास्ट-ट्रैक निवेश कार्यक्रम के तहत वानुअतु की नागरिकता प्राप्त की थी।

क्या है वानुअतु का गोल्डन पासपोर्ट

- वानुअतु में निवेश द्वारा नागरिकता (Citizenship by Investment) कार्यक्रम धनी व्यक्तियों द्वारा पासपोर्ट खरीदने की अनुमति प्रदान करता है।
  - इसे सामान्यत: 'गोल्डन पासपोर्ट' के रूप में जाना जाता है।

> **गोल्ड कार्ड वीज़ा**
>
> - अमेरिका ने एक नए 'गोल्ड कार्ड' वीज़ा कार्यक्रम की शुरुआत की है। इस वीज़ा कार्यक्रम के तहत विदेशी निवेशकों को $5 मिलियन (लगभग ₹43.5 करोड़) का निवेश करके तत्काल अमेरिकी नागरिकता प्राप्त करने का अवसर मिलेगा।
> - यह 35 वर्ष पुराने EB-5 वीज़ा का स्थान लेगा, जिसमें 1 मिलियन डॉलर निवेश करने पर 5-7 वर्ष में नागरिकता मिलती थी।
> - ट्रंप का दावा है कि 1 मिलियन 'गोल्ड कार्ड' की बिक्री से $5 ट्रिलियन का राजस्व प्राप्त होगा, जिससे अमेरिका का कर्ज़ कम होगा।

- निवेश प्रवासन फर्म ग्लोबल रेसिडेंस इंडेक्स के अनुसार, निवेश कार्यक्रम द्वारा वानुअतु की नागरिकता सबसे तीव्र एवं सरल नागरिकता कार्यक्रम है।
  - इसके लिए बहुत कम दस्तावेज़ों की आवश्यकता होती है। साथ ही, सभी दस्तावेज़ डिजिटल रूप से प्रदान किए जा सकते हैं।
- वानुअतु की नागरिकता की लागत $135,500 से $155,500 (1.18 करोड़ से 1.35 करोड़ रुपए) तक है जिसमें चार लोगों के परिवार के लिए नागरिकता खरीदने (प्राप्त करने) का विकल्प भी शामिल होता है।
  - एक रिपोर्ट के अनुसार, इस देश के राजस्व का लगभग 30% हिस्सा पासपोर्ट की बिक्री से प्राप्त होता है।
- हेनले पासपोर्ट सूचकांक-2025 के अनुसार, वानुअतु का पासपोर्ट 53वें स्थान पर है, जो 113 देशों में वीज़ामुक्त पहुँच प्रदान करता है।
  - इसका प्रदर्शन चीन (59) एवं भारत (80) से बेहतर है।

❖ टैक्स हेवन के रूप में वानुअतु में कोई व्यक्तिगत आयकर, पूंजीगत लाभ कर, विरासत कर नहीं है जो इसे उच्च-निवल-मूल्य वाले व्यक्तियों के लिए आकर्षक बनाता है।

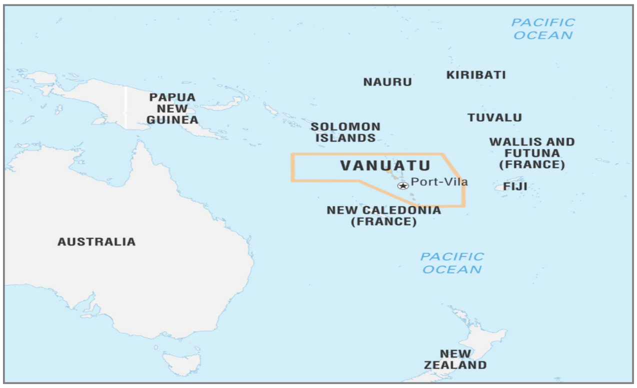

वानुअतु के बारे में

❖ **भौगोलिक अवस्थिति :** वानुअतु लगभग 80 द्वीपों वाला एक राष्ट्र है जो फिजी एवं ऑस्ट्रेलिया के बीच दक्षिणी प्रशांत महासागर में स्थित है।
- इसकी उत्पत्ति ज्वालामुखी प्रक्रिया से हुई है। यह ऑस्ट्रेलिया व न्यू गिनी के पूर्व में, न्यू कैलेडोनिया के उत्तर-पूर्व में, सोलोमन द्वीप के दक्षिण-पूर्व में और फिजी के पश्चिम में अवस्थित है।

❖ **राजधानी :** पोर्ट विला (इफेट द्वीप पर स्थित)

❖ **क्षेत्रफल :** 12,189 वर्ग किमी.

❖ **जनसंख्या :** लगभग तीन लाख (2020 की जनगणना के अनुसार)

❖ **राजव्यवस्था :** वानुअतु गणराज्य एक संसदीय लोकतंत्र है। इसका अपना लिखित संविधान है।

❖ **भाषा :** बिस्लामा राष्ट्रीय भाषा है, जबकि फ्रेंच एवं अंग्रेज़ी आधिकारिक भाषाएँ हैं।

इसे भी जानिए!

❖ निवेश द्वारा नागरिकता या आर्थिक नागरिकता से तात्पर्य किसी देश की अर्थव्यवस्था में महत्त्वपूर्ण वित्तीय योगदान देकर उस देश की नागरिकता प्राप्त करने से है।

❖ दुनिया भर के देश निवेश आकर्षित करने और आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करने के लिए विदेशियों को नागरिकता प्रदान करते हैं।
- इन देशों में माल्टा, तुर्किये, मोंटेनेग्रो, एंटीगुआ, बारबुडा, डोमिनिका एवं मिस्र आदि शामिल हैं।

अन्य तथ्य

❖ वानुअतु जलवायु परिवर्तन एवं प्राकृतिक आपदाओं के मामले में दुनिया के सर्वाधिक संवेदनशील देशों में से एक है।
- इसे प्रायः चक्रवात, भूकंप एवं सुनामी का सामना करना पड़ता है।
- यह अपने सक्रिय ज्वालामुखियों, प्रवाल भित्तियों एवं प्राचीन समुद्री तटों के लिए प्रसिद्ध है।

❖ वानुअतु एक यूरोपीय उपनिवेश था जिसे वर्ष 1980 में स्वतंत्रता प्राप्त हुई।

सूचकांक एवं रिपोर्ट

विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट

संदर्भ

स्विस कंपनी IQAir ने अपनी 7वीं वार्षिक विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2024 जारी की है।

रिपोर्ट के प्रमुख निष्कर्ष

❖ नवीनतम रिपोर्ट में विश्व के 20 सबसे प्रदूषित शहरों की सूची जारी की गई है। इसके अनुसार सबसे प्रदूषित 20 शहरों की सूची में सर्वाधिक शहर (13) भारत में स्थित हैं।
- इस सूची में पाकिस्तान के 4 शहर और चीन व कज़ाकिस्तान के 1-1 शहर शामिल हैं।

❖ 20 सबसे प्रदूषित शहरों की सूची में एशिया से बाहर एकमात्र शहर चाड की राजधानी एन'जामेना (N'Djamena) को शामिल किया गया है।

❖ रिपोर्ट के अनुसार, उत्तरी अमेरिका में सबसे उच्च प्रदूषण वाले शहर कैलिफोर्निया में स्थित हैं।

❖ आँकड़ों की अनुपलब्धता के कारण ईरान एवं अफगानिस्तान को इस वर्ष की रिपोर्ट में शामिल नहीं किया गया है। यह रिपोर्ट वायु में उपस्थित सूक्ष्म कणकीय पदार्थ या PM2.5 पर आधारित है।

❖ वैश्विक शहरों में से केवल सात देश विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के वार्षिक औसत PM2.5 दिशा-निर्देश को पूरा करते हैं : ऑस्ट्रेलिया, बाहमास, बारबाडोस, एस्टोनिया, ग्रेनेडा, आइसलैंड एवं न्यूज़ीलैंड

❖ अमेज़ॅन वर्षावन में लगी आग ने वर्ष 2024 में लैटिन अमेरिका के विशाल क्षेत्रों को प्रभावित किया।

❖ मायाग्यूज, प्यूर्टो रिको सबसे स्वच्छ महानगरीय क्षेत्र था। ओशिनिया दुनिया का सबसे स्वच्छ क्षेत्र है जहाँ 57% क्षेत्रीय शहर डब्ल्यू.एच.ओ. PM2.5 वार्षिक दिशा-निर्देश को पूरा करते हैं।

❖ वैश्विक स्तर पर 5 सबसे प्रदूषित देश : चाड (1), बांग्लादेश (2), पाकिस्तान (3), डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो (4) और भारत (5)

भारत के संदर्भ में

❖ भारत पिछले वर्ष की तुलना में तीसरे स्थान से 5वें स्थान पर आ गया है किंतु, यहाँ वायु प्रदूषण एक प्रमुख स्वास्थ्य बोझ बना हुआ है।
  - इसके परिणामस्वरूप जीवन प्रत्याशा में अनुमानत: 5.2 वर्षों तक की कमी आ रही है।

❖ विश्व का सबसे प्रदूषित शहर मेघालय स्थित बर्नीहाट है।
  - बर्नीहाट में PM2.5 की सांद्रता 128.2 दर्ज की गई जो विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के मानक से 25 गुना अधिक है।
  - डब्ल्यू.एच.ओ. के अनुसार, PM2.5 का औसत वार्षिक स्तर 5 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर से अधिक नहीं होना चाहिए।

❖ राजधानी नई दिल्ली लगातार छठे वर्ष दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी रही है जहाँ PM2.5 की मात्रा 91.8 रही।

❖ रिपोर्ट में भारत के छह सैटेलाइट शहरों- फरीदाबाद, लोनी, दिल्ली, गुरुग्राम, नोएडा एवं ग्रेटर नोएडा को भी शामिल किया गया है।

इसे भी जानिए!

❖ PM2.5 जीवाश्म ईंधन के दहन, धूल के तूफान एवं जंगल की आग जैसे स्रोतों से उत्सर्जित होते हैं।

❖ अत्यंत सूक्ष्म आकार होने के कारण ये मानव शरीर की सामान्य सुरक्षा को पार करके फेफड़ों या रक्त प्रवाह में पहुँच सकते हैं।

❖ ये कण जलन एवं सूजन का कारण बनते हैं और श्वसन संबंधी समस्याओं तथा क्रोनिक किडनी रोग से संबंधित होते हैं।
  - इसके संपर्क में आने से अवसाद एवं चिंता का जोखिम अधिक होने के साथ ही कैंसर, स्ट्रोक या दिल का दौरा पड़ने की संभावना में वृद्धि होती है।

वैश्विक हथियार हस्तांतरण रिपोर्ट, 2025

स्टॉकहोम अंतर्राष्ट्रीय शांति अनुसंधान संस्थान (SIPRI) ने वैश्विक स्तर पर हथियारों के हस्तांतरण पर नवीनतम रिपोर्ट जारी की है।

रिपोर्ट के प्रमुख निष्कर्ष

❖ **प्रमुख हथियार निर्यातक देश :** वर्ष 2020-24 की अवधि के दौरान पाँच सबसे बड़े हथियार निर्यातक देश : अमेरिका > फ्राँस > रूस > चीन > जर्मनी

❖ **प्रमुख हथियार आयातक देश :** इसी अवधि के दौरान पाँच सबसे बड़े हथियार आयातक देश : यूक्रेन > भारत > कतर > सऊदी अरब > पाकिस्तान

❖ वर्ष 2020-24 में प्रमुख हथियारों के अंतर्राष्ट्रीय हस्तांतरण में वर्ष 2015-19 की तुलना में 0.6% की कमी आई है।

❖ वर्ष 2015-19 और वर्ष 2020-24 के बीच अमेरिका द्वारा हथियारों के निर्यात में 21% की वृद्धि हुई है जबकि रूस द्वारा निर्यात में 64% की कमी आई है।
  - वर्ष 2020-24 में वैश्विक हथियारों के निर्यात में रूस का हिस्सा 7.8% था।

❖ वर्ष 2020-24 में फ्राँस प्रमुख हथियारों का दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक था। इस अवधि में वैश्विक हथियार हस्तांतरण में फ्राँसीसी हथियारों के निर्यात का हिस्सा 9.6% था।

❖ वर्ष 2020-24 में एशिया एवं ओशिनिया के देशों की कुल हथियारों के आयात में 33% हिस्सेदारी रही है।
  - इसके बाद यूरोप (28%), मध्य पूर्व (27%), अमेरिका (6.2%) और अफ्रीका (4.5%) का स्थान रहा है।

❖ वर्ष 2020-24 में यूक्रेन दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक था, जिसका वैश्विक आयात में 8.8% हिस्सा रहा।
  - यूक्रेन को आपूर्ति किए जाने वाले अधिकांश प्रमुख हथियारों में अमेरिका (45%), जर्मनी (12%) और पोलैंड (11%) की हिस्सेदारी है।

❖ यूरोपीय हथियारों के आयात में कुल मिलाकर 155% की वृद्धि हुई है।

भारत एवं पड़ोसी देशों की स्थिति

❖ **भारत :** वर्ष 2020-24 में पाँच सबसे बड़े हथियार आयातक देशों में भारत का दूसरा स्थान रहा है, हालाँकि, वर्ष 2015-19 और 2020-24 के बीच इसमें 9.3% की कमी आई है।

स्टॉकहोम अंतर्राष्ट्रीय शांति अनुसंधान संस्थान (SIPRI)

❖ **परिचय :** संघर्ष, शस्त्रीकरण, शस्त्र नियंत्रण एवं निरस्त्रीकरण पर अनुसंधान के लिए समर्पित स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय संस्थान

❖ **स्थापना :** वर्ष 1966 में

❖ **कार्य :** नीति-निर्माताओं, शोधकर्ताओं, मीडिया एवं इच्छुक जनता को खुले स्रोतों पर आधारित डाटा, विश्लेषण व सिफारिशें प्रदान करना

❖ **मिशन :**
  - सुरक्षा, संघर्ष एवं शांति पर अनुसंधान व गतिविधियाँ शुरू करना
  - नीति विश्लेषण एवं सिफारिशें प्रदान करना
  - संवाद को सुगम बनाना और क्षमता निर्माण करना
  - पारदर्शिता एवं जवाबदेही को बढ़ावा देना

- भारतीय हथियार आयात का सबसे बड़ा हिस्सा (36%) रूस से प्राप्त हुआ।

❖ **चीन :** चीन वर्ष 1990-94 के बाद पहली बार शीर्ष 10 हथियार आयातकों की सूची से बाहर हो गया है जो उसके बढ़ते घरेलू औद्योगिक आधार को दर्शाता है।

❖ **पाकिस्तान :** वर्ष 2015-19 और वर्ष 2020-24 के बीच पाकिस्तान द्वारा हथियारों के आयात में 61% की वृद्धि हुई है।
  - इसके आपूर्तिकर्ता के रूप में चीन महत्त्वपूर्ण रहा है। वर्ष 2020-24 की अवधि में पाकिस्तान के हथियार आयात में चीन की हिस्सेदारी 81% रही।

भारत में आवास की प्रवृत्ति एवं प्रगति रिपोर्ट, 2024

राष्ट्रीय आवास बैंक (NHB) ने भारत में आवास की प्रवृत्ति एवं प्रगति रिपोर्ट, 2024 जारी की है।

रिपोर्ट के प्रमुख निष्कर्ष

❖ इस रिपोर्ट में भारतीय आवास क्षेत्र के प्रदर्शन पर प्रकाश डाला गया है जो खरीदारों की बदलती प्राथमिकताओं एवं विभिन्न सरकारी पहलों से प्रेरित है।

❖ रिपोर्ट में आवास परिदृश्य एवं मकान की कीमतों में उतार-चढ़ाव, आवास क्षेत्र पर भारत सरकार के प्रमुख कार्यक्रम, आवास ऋण उपलब्ध कराने में प्राथमिक ऋणदाता संस्थानों (PLI) की भूमिका, आवास वित्त कंपनियों (HFC) का प्रदर्शन और इस क्षेत्र के लिए संभावनाओं को व्यापक रूप से शामिल किया गया है।
  - भारत सरकार के कार्यक्रमों में प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण, प्रधानमंत्री आवास योजना- शहरी, शहरी अवसंरचना विकास निधि (UIDF), किफायती किराया आवास परिसर (ARHC) योजना आदि को शामिल किया गया है।

❖ सितंबर 2024 को समाप्त तिमाही के लिए आवास मूल्य सूचकांक (एन.एच.बी.-रेजिडेक्स) में पिछले वर्ष के 4.9% की तुलना में 6.8% की वार्षिक वृद्धि दर्ज की गई।

ऋण प्रवाह में प्रमुख चुनौतियाँ एवं अवसर

❖ रिपोर्ट में ऋण प्रवाह में क्षेत्रीय असमानताओं एवं जलवायु संबंधी जोखिमों के प्रति संवेदनशीलता को इस क्षेत्र के समक्ष आने वाली प्रमुख चुनौतियों के रूप में चिह्नित किया गया है।

❖ इसमें निर्माण में तकनीकी प्रगति, भूमि अभिलेखों के डिजिटलीकरण आदि को भी ऐसे कारकों के रूप में चिह्नित किया गया है जो इस क्षेत्र के लिए विकास के अवसरों को सुगम बनाएंगे।

राष्ट्रीय आवास बैंक (NHB)

❖ **परिचय :** यह भारत में आवास वित्त कंपनियों के समग्र विनियमन व लाइसेंसिंग के लिए एक नियामक एवं सांविधिक निकाय है।
  - राष्ट्रीय आवास नीति, 1988 में आवास के लिए शीर्ष स्तरीय संस्था के रूप में एन.एच.बी. की स्थापना की परिकल्पना की गई थी।

❖ **स्थापना :** राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम, 1987 के तहत 9 जुलाई, 1988 को

❖ **नोडल मंत्रालय :** वित्त मंत्रालय

❖ **विज़न :** आवास वित्त बाज़ार में स्थिरता के साथ समावेशी विस्तार को बढ़ावा देना

❖ **उद्देश्य :**
  - जनसंख्या के सभी वर्गों के लिए एक सुदृढ़, स्वस्थ, व्यवहार्य तथा लागत प्रभावी आवास वित्त प्रणाली का संवर्द्धन और संपूर्ण वित्तीय प्रणाली से आवास वित्त प्रणाली का समेकन
  - विभिन्न आय समूहों तथा विभिन्न क्षेत्रों को पर्याप्त तौर पर सेवा करने के लिए समर्पित आवास वित्त संस्थानों का एक नेटवर्क विकसित करना
  - आवास ऋण को अधिक किफायती बनाना
  - आवास वित्त कंपनियों के क्रियाकलापों का विनियमन
  - आवास के लिए भवन निर्माण योग्य भूमि और भवन निर्माण सामग्री की आपूर्ति की वृद्धि को प्रोत्साहन देना

वैश्विक आतंकवाद सूचकांक, 2025

इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस ने वैश्विक आतंकवाद सूचकांक, 2025 (Global Terrorism Index : GTI) जारी किया है।

वैश्विक आतंकवाद सूचकांक के बारे में

❖ **संस्करण :** यह वैश्विक आतंकवाद सूचकांक का 12वाँ संस्करण है।

❖ **शामिल देश :** इस सूचकांक में आतंकवाद के प्रभाव के आधार पर 163 देशों की रैंकिंग है जो वैश्विक आबादी के 99.7% को शामिल करता है।

❖ **उद्देश्य :** आतंकवाद के भविष्य एवं आवश्यक नीतिगत प्रतिक्रियाओं के बारे में सकारात्मक व व्यावहारिक संवाद को सूचित करने में मदद करना

❖ **प्रमुख संकेतक :** प्रमुख संकेतकों में आतंकवादी हमलों की आवृत्ति, मौत व घायलों एवं बंधकों की संख्या आदि शामिल है।

प्रमुख निष्कर्ष

❖ **आतंकवाद से प्रभावित शीर्ष देश :** बुर्किना फासो > पाकिस्तान > सीरिया > माली > नाइजर

❖ **भारत की स्थिति :** इस सूचकांक में भारत को 14वीं रैंक प्रदान की गई है।

❖ सूचकांक के अनुसार, तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (TTP) दुनिया का सबसे तेज़ी से बढ़ने वाला आतंकवादी समूह बन गया है।

- रिपोर्ट में आतंकवादी संगठनों की गतिविधियों में प्रौद्योगिकी, विशेष रूप से कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) के बढ़ते उपयोग की प्रवृत्ति देखी गई है।
- वर्ष 2024 में सर्वाधिक मौतों के लिए ज़िम्मेदार चार आतंकवादी समूह :
  - इस्लामिक स्टेट (IS)
  - जमात-ए-नुसरत अल-इस्लाम वल मुस्लिमीन (JNIM)
  - तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (TTP)
  - अल शबाब
- **सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र :** वैश्विक स्तर पर आंतकवाद से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र 'साहेल' है जो वर्ष 2024 में आतंकवाद से होने वाली सभी मौतों में से आधे से अधिक और वैश्विक स्तर पर होने वाले हमलों में से 19% के लिए ज़िम्मेदार है।
  - आतंकवाद से सर्वाधिक प्रभावित दस देशों में से पाँच 'साहेल' क्षेत्र में स्थित हैं।
- नाइजर एवं पाकिस्तान में आतंकवाद से संबंधित मौतों में सर्वाधिक वृद्धि देखी गई है।
- कम-से-कम एक आतंकवादी हमला झेलने वाले देशों की संख्या पिछले वर्ष के 58 से बढ़कर वर्ष 2024 में 66 हो गई है।
- रिपोर्ट के अनुसार, पश्चिमी देशों में आतंकवादी हमलों में 63% की वृद्धि हुई है जहाँ यूरोप सर्वाधिक प्रभावित रहा है और यहाँ हमलों की संख्या दोगुनी हो गई है।

इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस

- **परिचय :** यह वैश्विक शांति के लिए समर्पित एक स्वतंत्र एवं गैर-लाभकारी थिंक टैंक है।
- **स्थापना :** वर्ष 2007
- **मुख्यालय :** सिडनी (ऑस्ट्रेलिया)

विश्व खुशहाली रिपोर्ट, 2025

अंतर्राष्ट्रीय खुशहाली दिवस पर संयुक्त राष्ट्र सतत् विकास समाधान नेटवर्क ने विश्व खुशहाली रिपोर्ट, 2025 (World Happiness Report) जारी की। 20 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय खुशहाली दिवस मनाया जाता है।

रिपोर्ट के बारे में

- **पहला संस्करण :** वर्ष 2012
- **जारीकर्ता :** संयुक्त राष्ट्र सतत् विकास समाधान नेटवर्क (UN-SDSN) द्वारा ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के वेलबीइंग रिसर्च सेंटर की साझेदारी में वार्षिक स्तर पर
- **मूल्यांकन :** स्व-मूल्यांकित जीवन संतुष्टि के साथ-साथ सामाजिक एवं आर्थिक मानदंडों पर आधारित
- **प्रमुख संकेतक :**
  - सामाजिक समर्थन
  - प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद
  - स्वस्थ जीवन प्रत्याशा
  - स्वतंत्रता
  - उदारता
  - भ्रष्टाचार की अनुपस्थिति

रिपोर्ट के प्रमुख निष्कर्ष

- फिनलैंड लगातार आठवें वर्ष शीर्ष स्थान पर मौजूद है और इसे दुनिया का सबसे खुशहाल देश बताया गया है। इसी प्रकार, अन्य नॉर्डिक देश डेनमार्क, आइसलैंड एवं स्वीडन क्रमशः शीर्ष पर बने हुए हैं।
- इस वर्ष 147 देशों की सूची में यूनाइटेड किंगडम 23वें एवं अमेरिका 24वें स्थान पर है। अमेरिका अब तक के अपने सबसे निचले 24वें स्थान पर है।
  - कोस्टा रिका (6वें) एवं मेक्सिको (10वें) ने पहली बार शीर्ष 10 में प्रवेश किया है।
- **भारत की स्थिति :** भारत को रिपोर्ट में 118वें स्थान पर रखा गया है जबकि पाकिस्तान 109वें स्थान पर है।
  - रिपोर्ट के विश्लेषण के अनुसार, आर्थिक एवं सामाजिक चुनौतियों का सामना करने के बावजूद पाकिस्तान की अपेक्षाकृत उच्च रैंकिंग उसके नागरिकों के बीच सामाजिक समर्थन की मज़बूत भावना को दर्शाता है।
- लगातार चौथे वर्ष 147वें स्थान के साथ अफगानिस्तान सबसे निचले पायदान पर है।
- **शीर्ष पाँच सबसे खुशहाल देश :** फिनलैंड > डेनमार्क > आइसलैंड > स्वीडन > नीदरलैंड
- **निचले पायदान वाले पाँच देश :** ज़िम्बाब्वे (143) < मलावी (144) < लेबनान (145) < सिएरा लियोन (146) < अफगानिस्तान (147)

योजनाएँ एवं कार्यक्रम

विशेष क्षमता निर्माण कोर्स

केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मंडाविया ने शीर्ष एथलीटों को कोच बनने में मदद के लिए नया विशेष क्षमता निर्माण कोर्स शुरू किया। प्रसिद्ध बैडमिंटन कोच पुलेला गोपीचंद ने खेल कोटे की नौकरी करने वाले पूर्व एथलीटों के लिए कार्यस्थल पर सम्मान की कमी को उजागर करते हुए उनमें कौशल बढ़ाने में मदद की मांग की थी। इसके बाद खेल मंत्रालय ने इस मुद्दे पर त्वरित नया कोर्स शुरू किया।

विशेष क्षमता निर्माण कोर्स के बारे में

- **क्या है :** यह पाठ्यक्रम उन एथलीटों के लिए डिज़ाइन एवं विकसित किया गया है जो वर्तमान में विभिन्न केंद्र सरकार या स्वायत्त विभागों, केंद्र सरकार के अधीन संगठनों या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में कार्यरत हैं।
  - इस कोर्स में आधुनिक कोचिंग, खेल विज्ञान, योगासन एवं नेतृत्व को शामिल किया जाएगा।
- **उद्देश्य :** शीर्ष एथलीटों को कोच, रेफरी एवं तकनीकी अधिकारी बनने में मदद करना
- **आयोजन :** भारतीय खेल प्राधिकरण और भारतीय खेल संस्थान पटियाला द्वारा
- **प्रमाणन :** पाठ्यक्रम में चार प्रमाणन स्तर होते हैं- फाउंडेशन, प्री-इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट एवं एडवांस सर्टिफिकेट

विशेष क्षमता निर्माण कोर्स के लिए पात्रता

- इस कोर्स के लिए पात्रता मानदंड ओलंपिक, विश्व चैंपियनशिप, एशियाई खेल, राष्ट्रमंडल खेलों में भागीदारी या पदक विजेता हैं।
- यूथ ओलंपिक, जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स, सीनियर नेशनल चैंपियनशिप और नेशनल गेम्स के पदक विजेता इस कोर्स में प्रवेश ले सकते हैं।
- आवश्यक शैक्षणिक योग्यता भारत में किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से न्यूनतम स्नातक या समकक्ष डिग्री है।

विशेष क्षमता निर्माण कोर्स का महत्त्व

- उम्मीदवारों को खेल पारिस्थितिकी तंत्र के साथ एकीकृत करने और उनके पेशेवर कौशल को बढ़ाने में सहायक
- इस पाठ्यक्रम से निकले चुनिंदा कोचों को विदेश में विशेष ट्रेनिंग के लिए भी भेजा जाना
- आगामी खेल आयोजनों में सहायता
  - भारत वर्ष 2036 ओलंपिक की मेज़बानी का आशय-पत्र अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति को सौंप चुका है और वर्ष 2030 राष्ट्रमंडल खेलों की मेज़बानी का भी इच्छुक है।

इलेक्ट्रॉनिक घटक प्रोत्साहन योजना

संदर्भ

केंद्र सरकार ने भारत में इलेक्ट्रॉनिक घटक विनिर्माण में महत्त्वाकांक्षी वृद्धि के लिए इलेक्ट्रॉनिक घटक प्रोत्साहन योजना (Electronics Component Incentive Plan) को मंज़ूरी दी है।

इलेक्ट्रॉनिक्स घटक प्रोत्साहन योजना के बारे में

- **नोडल मंत्रालय :** सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
- **समयावधि :** 6 वर्ष
- **बजट :** 22,919 करोड़ रुपए
- **लक्ष्य :** 2,300 करोड़ रुपए से लेकर 4,200 करोड़ रुपए के वार्षिक प्रोत्साहन द्वारा 91,600 प्रत्यक्ष रोज़गार सृजित करना।
  - यह प्रोत्साहन कंपनियों द्वारा संबंधित वर्ष के लिए निवेश, उत्पादन एवं रोज़गार लक्ष्यों को पूरा करने की शर्त पर होगा।
- **उद्देश्य :** मोबाइल डिवाइस, लैपटॉप, पी.सी. एवं सर्वर जैसे इलेक्ट्रॉनिक तैयार उत्पादों का मूल्य संवर्द्धन करना।
- **लक्षित घटक :** डिस्प्ले मॉड्यूल, सब असेंबली कैमरा मॉड्यूल, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड असेंबली, लिथियम सेल एनक्लोजर, रेसिस्टर्स, कैपेसिटर एवं फेराइट्स आदि।

इलेक्ट्रॉनिक्स घटक प्रोत्साहन योजना की विशेषताएँ

- इस योजना में तीन अलग-अलग तरह के प्रोत्साहन दिए जा सकते हैं : परिचालन व्यय, पूंजीगत व्यय एवं दोनों के संयोजन के आधार पर।
- 'परिचालन व्यय प्रोत्साहन' उत्पादन लिंक प्रोत्साहन (PLI) योजनाओं की तरह शुद्ध वृद्धिशील बिक्री के आधार पर दिए जाएंगे और पूंजीगत व्यय प्रोत्साहन पात्र पूंजीगत व्यय के आधार पर दिए जाएंगे।
- ग्रीनफील्ड के साथ-साथ ब्राउनफील्ड निवेश भी सब्सिडी प्राप्त करने के लिए पात्र होंगे।
- विदेशी कंपनियाँ या तो किसी भारतीय कंपनी को प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के लिए प्रतिबद्ध होकर या किसी घरेलू फर्म के साथ संयुक्त उद्यम के माध्यम से इस योजना में भाग ले सकती हैं।

इलेक्ट्रॉनिक्स घटक प्रोत्साहन योजना का महत्त्व

- भारत में इलेक्ट्रॉनिक घटकों का आयात लगभग 12% की दर से बढ़ रहा है किंतु, वर्तमान मांग को पूरा करने के लिए निर्यात के साथ घटकों के उत्पादन को 53% से अधिक की दर से बढ़ाना होगा।
- यही कारण है कि देश के लिए इलेक्ट्रॉनिक घटकों के क्षेत्र में घरेलू विनिर्माण योजना पर काम करना महत्त्वपूर्ण है।

इलेक्ट्रॉनिक घटक विनिर्माण के समक्ष प्रमुख चुनौतियाँ

- देश में घरेलू पैमाने पर इलेक्ट्रोनिक घटकों के विनिर्माण की कमी
- निवेश एवं कारोबार का अनुपात बहुत कम होना
  - स्मार्टफोन जैसे तैयार उत्पादों के मामले में प्रति 1 रुपए के निवेश से लगभग 20 रुपए प्राप्त हो सकते हैं जिस पर भारत वर्तमान में ध्यान केंद्रित कर रहा है।
  - हालाँकि, इलेक्ट्रॉनिक घटकों के मामले में निवेश के प्रति 1 रुपए से मात्र 2-4 रुपए ही प्राप्त होंगे।

- विदेशी आयात पर अत्यधिक निर्भरता
  - इलेक्ट्रॉनिक्स आयात तेल के बाद दूसरी सबसे बड़ी आयात की जाने वाली वस्तु है।
  - इस प्रवृत्ति के अनुसार, वर्ष 2028-29 तक घटकों की मांग 160 बिलियन डॉलर तक पहुँचने की उम्मीद है।

प्रधानमंत्री युवा लेखक परामर्श योजना

शिक्षा मंत्रालय और राष्ट्रीय पुस्तक न्यास (NBT) ने 11 मार्च, 2025 को प्रधानमंत्री युवा लेखक परामर्श योजना (PM's Scheme for Mentoring Young Authors : YUVA) के तीसरे संस्करण (YUVA 3.0) को लॉन्च किया।

YUVA 3.0 के बारे में

- **क्या है :** एक भारत, श्रेष्ठ भारत के दृष्टिकोण के अनुरूप भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत एवं ज्ञान के दस्तावेज़ीकरण व प्रसार को प्रोत्साहित करने वाली योजना
- **उद्देश्य :** 30 वर्ष से कम आयु के युवा लेखकों को पोषित करना तथा उन्हें अपने रचनात्मक लेखन कौशल को निखारने के लिए मार्गदर्शन व अवसर प्रदान करना
- **मुख्य विषय**
  - राष्ट्र निर्माण में प्रवासी भारतीयों का योगदान
  - भारतीय ज्ञान प्रणाली
  - आधुनिक भारत के निर्माता (1950-2025)
- **पूर्ववर्ती योजनाएँ :** YUVA 3.0 अपने पूर्ववर्तियों 'YUVA 1.0' और 'YUVA 2.0' की सफलता पर आधारित है।
  - मई 2021 में भारत की स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूर्ण होने पर आज़ादी का अमृत महोत्सव समारोह के हिस्से के रूप में YUVA 1.0 का उद्घाटन संस्करण लॉन्च किया गया था।
  - अक्तूबर 2022 में शुरू की गई YUVA 2.0 योजना YUVA 1.0 की नींव पर बनी, जिसमें 'लोकतंत्र' को मुख्य विषय के रूप में ध्यान केंद्रित किया गया था।

योजना के लाभ

- यह योजना लेखकों की एक ऐसी धारा विकसित करने में मदद करेगी जो भारत के विभिन्न पहलुओं पर लेखन कर सकते हैं जिसमें अतीत, वर्तमान एवं भविष्य शामिल हैं।
- यह योजना महत्त्वाकांक्षी युवाओं को स्वयं को अभिव्यक्त करने और प्राचीन एवं वर्तमान समय में विभिन्न क्षेत्रों में भारतीयों के योगदान का एक व्यापक दृष्टिकोण प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान करेगी।
- यह रचनात्मक अभिव्यक्ति, बहुभाषी साहित्यिक विरासत और युवाओं के बीच पढ़ने-लिखने की संस्कृति को बढ़ावा देने को मज़बूत करता है।
- निरंतर समर्थन एवं नवाचार के साथ YUVA योजना भारत के साहित्यिक व सांस्कृतिक पुनर्जागरण की आधारशिला बनी रहेगी।

संसद भाषिणी पहल

लोक सभा सचिवालय तथा इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) ने 'संसद भाषिणी पहल' विकसित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन (MOU) पर हस्ताक्षर किया है।

संसद भाषिणी पहल के बारे में

- **उद्देश्य :** बहुभाषी समर्थन को बढ़ाने, संसदीय कार्यों को सुव्यवस्थित करने और संसदीय बहसों व अभिलेखों तक पहुँच में सुधार करने के लिए अत्याधुनिक कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) का लाभ उठाना
- **लाभ :** संसद सदस्यों, शोधकर्ताओं और शिक्षाविदों के लिए विभिन्न भाषाओं में दस्तावेज़ों व आँकड़ों तक पहुँच आसान होने से भाषायी विविधता व सुगमता में मज़बूती
- **क्रियान्वयन :** लोक सभा सचिवालय और MeitY द्वारा संसदीय डाटा को ए.आई. उपकरणों के साथ एकीकरण करना
- **प्रमुख विशेषताएँ :** ए.आई.-आधारित अनुवाद, संसद की वेबसाइट के लिए ए.आई.-संचालित चैटबॉट, स्पीच-टू-टेक्स्ट रूपांतरण प्रणाली तथा वास्तविक समय में भाषा अनुवाद

संशोधित राष्ट्रीय गोकुल मिशन

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पशुधन क्षेत्र में विकास को बढ़ावा देने के लिए संशोधित राष्ट्रीय गोकुल मिशन (RGM) को मंज़ूरी दे दी है।

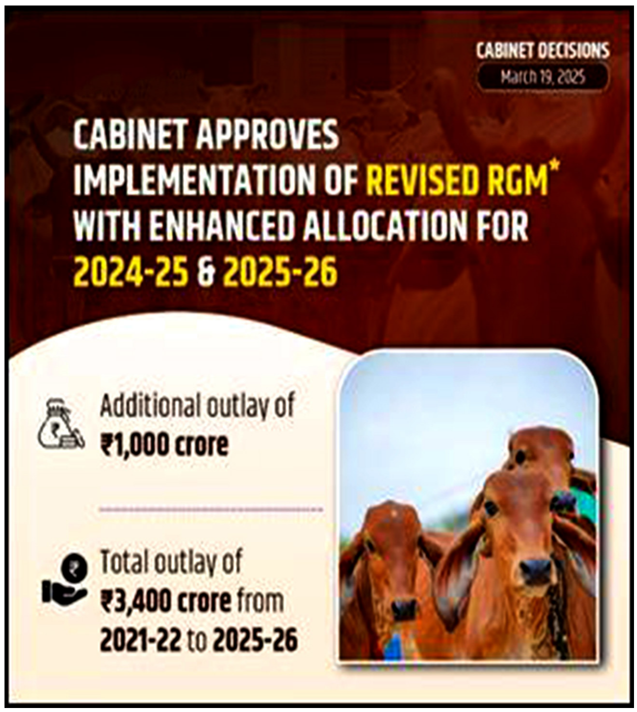

संशोधित राष्ट्रीय गोकुल मिशन के बारे में

- **परिचय :** यह केंद्रीय क्षेत्र की एक योजना है जो पशुधन क्षेत्र के विकास को बढ़ावा देने पर केंद्रित है।
- **बजट :** इस मिशन के लिए 15वें वित्त आयोग (2021-22 से 2025-26) के दौरान 3400 करोड़ रुपए के परिव्यय का आवंटन किया गया है।
- **नोडल मंत्रालय :** मत्स्यपालन, पशुपालन व डेयरी मंत्रालय (पशुपालन एवं डेयरी विभाग)
- **लक्ष्य :**
  - डेयरी व्यवसाय से जुड़े 8.5 करोड़ किसानों की आय में वृद्धि करना
  - देशी गोजातीय नस्लों का वैज्ञानिक संरक्षण करना

संशोधित राष्ट्रीय गोकुल मिशन में शामिल की गई गतिविधियाँ

- **बछिया पालन केंद्र :** कुल 15,000 बछियों के लिए 30 आवासीय सुविधाओं के निर्माण के लिए कार्यान्वयन एजेंसियों को बछिया पालन केंद्रों की स्थापना के लिए पूंजीगत लागत का 35% एकमुश्त सहायता
- **उच्च आनुवंशिकता वाली (HGM) बछियों के लिए सहायता :** किसानों को उच्च आनुवंशिक योग्यता (HGM) आई.वी.एफ. बछिया खरीदने के लिए प्रोत्साहित करना, ताकि ऐसी खरीद के लिए दुग्ध संघों/वित्तीय संस्थानों/बैंकों से किसानों द्वारा लिए गए ऋण पर 3% ब्याज अनुदान प्रदान किया जा सके।
  - इससे अधिक उत्पादन वाली नस्लों के व्यवस्थित इंडक्शन में मदद मिलेगी।

अन्य प्रमुख बिंदु

- संशोधित योजना, राष्ट्रीय गोकुल मिशन के अंतर्गत चल रही गतिविधियों को जारी रखने के लिए है, जिनमें शामिल हैं-
  - सीमन केंद्रों और कृत्रिम गर्भाधान नेटवर्क को सुदृढ़ बनाना
  - बैल प्रजनन कार्यक्रम का कार्यान्वयन और लिंग विशिष्ट (सैक्स सॉर्टेड) सीमन का उपयोग करके नस्ल सुधार
  - कौशल विकास एवं किसान जागरूकता कार्यक्रम
  - उत्कृष्टता केंद्रों की स्थापना और केंद्रीय मवेशी प्रजनन फार्मों को सुदृढ़ करना

मिशन की उपलब्धियाँ

- मिशन के क्रियान्वयन एवं सरकार के अन्य प्रयासों से पिछले दस वर्षों में दुग्ध उत्पादन में 63.55% की वृद्धि हुई है।
- प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता वर्ष 2013-14 में 307 ग्राम प्रतिदिन से बढ़कर वर्ष 2023-24 में 471 ग्राम प्रतिदिन हो गई है।
- विगत दस वर्षों में दुग्ध उत्पादकता में भी 26.34% की वृद्धि हुई है।
- देश भर में राज्य पशुधन बोर्ड्स एवं विश्वविद्यालयों के अंतर्गत कुल 22 इन विट्रो फर्टिलाइज़ेशन (IVF) प्रयोगशालाएँ स्थापित की गई हैं।

इसे भी जानिए!

- राष्ट्रीय गोकुल मिशन की शुरुआत वर्ष 2014 में स्वदेशी गायों के संरक्षण और नस्लों के विकास को वैज्ञानिक विधि से प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से की गई थी।
- भारत का विश्व में दुग्ध उत्पादन में पहला एवं फलों व सब्ज़ियों के उत्पादन में दूसरा स्थान है।

महत्त्वपूर्ण मंत्रालय एवं संगठन

प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग

पृष्ठभूमि

- मार्च 1954 में पॉल एच. एप्पलबी द्वारा की गई सिफारिशों के अनुसार, मंत्रिमंडल सचिवालय में संगठन एवं विधि प्रभाग की स्थापना की गई थी।
- मार्च 1964 में गृह मंत्रालय के अंतर्गत प्रशासनिक सुधार विभाग की स्थापना की गई और मंत्रिमंडल सचिवालय से संगठन एवं विधि प्रभाग को इसके प्रभार में स्थानांतरित कर दिया गया।
- 7 फरवरी, 1973 को प्रशासनिक सुधार विभाग से संबंधित कार्य को कार्मिक विभाग को स्थानांतरित कर दिया गया। इसे कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के रूप में पुन: नामित किया गया था।
  - कार्मिक विभाग का गठन 1 अगस्त, 1970 को मंत्रिमंडल सचिवालय के अधीन किया गया था।
- अप्रैल 1977 में कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग को मंत्रिमंडल सचिवालय से गृह मंत्रालय में स्थानांतरित कर दिया गया था।
- मार्च 1985 में कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग को कार्मिक एवं प्रशिक्षण, प्रशासनिक सुधार, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय के रूप में गठित किया गया था।
- 10 दिसंबर, 1985 को कार्मिक एवं प्रशिक्षण, प्रशासनिक सुधार, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय का नाम बदलकर कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय कर दिया गया। इसके तहत तीन विभाग शामिल थे :
  - कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग

- प्रशासनिक सुधार तथा लोक शिकायत विभाग
- पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग

❖ इस मंत्रालय को प्रधानमंत्री के अधीन रखा गया है जिसकी सहायता के लिए एक राज्य मंत्री की नियुक्ति की गई।

- वर्तमान में कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन राज्य मंत्री श्री जीतेंद्र सिंह हैं।

विज़न

सभी नागरिकों के लाभ के लिए शासन में उत्कृष्टता की खोज को सुगम बनाना

मिशन

❖ सरकारी संरचनाओं और प्रक्रियाओं में सुधार

❖ शिकायत निवारण पर ज़ोर देते हुए नागरिक-केंद्रित शासन को बढ़ावा देना

❖ ई-गवर्नेन्स में नवाचार

❖ अच्छी प्रथाओं का दस्तावेज़ीकरण और प्रसार

उद्देश्य

❖ सरकारी नीतियों, संरचनाओं एवं प्रक्रियाओं में प्रशासनिक सुधारों को बढ़ावा देना

❖ शिकायतों के निवारण से संबंधित मुद्दों के लिए नीति-निर्माण एवं समन्वय

❖ प्रशासन संबंधी ज्ञान और अच्छे व्यवहारों का प्रसार

❖ ई-गवर्नेन्स के माध्यम से सुधारों को बढ़ावा देना

कार्यप्रणाली

❖ प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग प्रशासनिक सुधारों के साथ-साथ सामान्य रूप से राज्यों से संबंधित सार्वजनिक शिकायतों तथा विशेष रूप से केंद्र सरकार की एजेंसियों से संबंधित शिकायतों के निवारण के लिए भारत सरकार की नोडल एजेंसी है।

❖ यह विभाग प्रशासनिक सुधारों और लोक शिकायत निवारण से संबंधित सरकार की महत्त्वपूर्ण गतिविधियों के बारे में जानकारी प्रसारित करता है। यह विभाग सार्वजनिक सेवा सुधारों को बढ़ावा देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय आदान-प्रदान और संबंधित क्षेत्र में सहयोग भी करता है।

संभागवार कार्य आबंटन

प्रशासन प्रभाग

❖ विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों से संबंधित सभी विभागीय मामले

❖ विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए समूह 'बी' एवं 'सी' के अधिकारियों को प्रतिनियुक्त करना

❖ विभाग की हिंदी इकाई के माध्यम से राजभाषा के कार्यान्वयन की निगरानी

❖ चिकित्सा प्रतिपूर्ति, जनरल प्रोविडेंट फंड (GPF) अग्रिम तथा विभाग से संबंधित न्यायिक मामले

❖ सचिव द्वारा आवंटित कोई अन्य विषय

प्रशासनिक सुधार प्रभाग

❖ सिविल सेवा दिवस

❖ प्रधानमंत्री लोक प्रशासन उत्कृष्टता पुरस्कार

❖ सुशासन सूचकांक

❖ सुशासन सप्ताह का संगठन

❖ राष्ट्रीय सुशासन वेबिनार शृंखला

दस्तावेज़ीकरण एवं प्रसार प्रभाग

❖ सर्वोत्तम प्रथाओं की पहचान, दस्तावेज़ीकरण एवं प्रसार

❖ ई-बुक प्रारूप में विभागीय पत्रिका 'न्यूनतम सरकार-अधिकतम शासन' का प्रकाशन

❖ सर्वोत्तम प्रथाओं पर वृत्तचित्र फिल्मों का निर्माण

❖ सुशासन प्रथा के कार्यान्वयन पर क्षेत्रीय सम्मेलन का आयोजन करना

ई-गवर्नेन्स प्रभाग

निम्नलिखित के माध्यम से राष्ट्रीय ई-गवर्नेन्स योजना के कार्यान्वयन का समन्वय एवं समर्थन करना:

❖ ई-गवर्नेन्स पर राष्ट्रीय सम्मेलन

❖ ई-गवर्नेन्स के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार

❖ राष्ट्रीय ई-गवर्नेन्स सेवा वितरण मूल्यांकन

❖ राष्ट्रीय ई-गवर्नेन्स वेबिनार शृंखला

❖ विज़न इंडिया@2047

अंतर्राष्ट्रीय विनिमय एवं सहयोग प्रभाग

❖ सिविल सेवा, कार्मिक प्रबंधन एवं लोक प्रशासन के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय आदान-प्रदान व सहयोग

❖ बेल्जियम के ब्रुसेल्स में स्थित अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्थान के साथ संवाद

❖ अधिकारियों के विदेशी प्रतिनिधिमंडलों के सभी प्रस्तावों पर कार्रवाई करना

लोक शिकायत प्रभाग

❖ भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों के नागरिक चार्टर को अद्यतन/समीक्षा करना

- एन.आई.सी. के तकनीकी सहयोग से प्रभाग में विकसित केंद्रीयकृत लोक शिकायत निवारण एवं निगरानी (CPGRAMS) से संबंधित कार्य
- समीक्षा बैठकों के माध्यम से सभी केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों में शिकायतों के निवारण में लंबित मामलों की निगरानी व समीक्षा
- भारत सरकार में निवारण तंत्र में सुधार के लिए दिशा-निर्देश/निर्देश तैयार करना

अंतर्राष्ट्रीय संगठन

हिंद महासागर रिम एसोसिएशन

पृष्ठभूमि

- हिंद महासागर रिम एसोसिएशन (Indian Ocean Rim Association : IORA) एक अंतर-सरकारी संगठन है जिसकी स्थापना 7 मार्च, 1997 को हुई थी। इसका लक्ष्य हिंद महासागर क्षेत्र में क्षेत्रीय सहयोग एवं संधारणीय विकास को मज़बूत करना है।
- आई.ओ.आर.ए. की परिकल्पना वर्ष 1995 में दक्षिण अफ्रीका के दिवंगत राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला ने भारत यात्रा के दौरान की थी।
- इस भावना एवं तर्क ने मार्च 1995 में हिंद महासागर रिम पहल की शुरुआत की जिसने दो वर्ष पश्चात् मार्च 1997 में हिंद महासागर रिम एसोसिएशन के निर्माण को रेखांकित किया।
- हिंद महासागर क्षेत्र के सभी संप्रभु देश इस एसोसिएशन की सदस्यता के लिए पात्र हैं। सदस्यता के लिए राज्यों (राष्ट्रों) को एसोसिएशन के चार्टर के सिद्धांतों एवं उद्देश्यों का पालन अनिवार्य है।

INDIAN OCEAN RIM ASSOCIATION

- वर्तमान में इसके सदस्यों की संख्या 23 है- ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, कोमोरोस, फ्राँस, भारत, इंडोनेशिया, ईरान, केन्या, मेडागास्कर, मलेशिया, मालदीव, मॉरीशस, मोज़ाम्बिक, ओमान, सेशेल्स, सिंगापुर, सोमालिया, दक्षिण अफ्रीका, श्रीलंका, तंज़ानिया, थाईलैंड, संयुक्त अरब अमीरात एवं यमन।
  - चीन, अमेरिका, रूस एवं यूरोपीय संघ सहित 12 सदस्य इसके संवाद भागीदार हैं।
- इसका वित्तपोषण आई.ओ.आर.ए. सदस्य देशों द्वारा किया जाता है। इसका सचिवालय मॉरीशस के एबेने में स्थित है जिसका नेतृत्व महासचिव करते हैं।
- वर्तमान में आई.ओ.आर.ए. के महासचिव भारतीय राजनयिक संजीव रंजन हैं। इनका कार्यकाल 1 जनवरी, 2025 से 3 वर्षों के लिए है।

संरचना

मंत्रिपरिषद्

- आई.ओ.आर.ए. मंत्रिपरिषद् संगठन का सर्वोच्च निर्णयकारी निकाय है जिसे प्राथमिक निकाय भी कहा जाता है। इसमें सभी सदस्य देशों के विदेश मंत्री (या समकक्ष) शामिल होते हैं जिसकी वार्षिक बैठक होती है।
- **मंत्रिपरिषद् के कार्य :** मंत्रिपरिषद् को आई.ओ.आर.ए. चार्टर के पैराग्राफ 5.1 (ए) द्वारा सशक्त किया गया है जिसके अनुसार इसके मुख्य कर्तव्य हैं:
  - नीतियों का निर्माण करना
  - सहयोग की प्रगति की समीक्षा करना
  - सहयोग के नए क्षेत्रों पर निर्णय लेना
  - कार्यात्मक निकायों की स्थापना करना
  - विशेष एजेंसियों की स्थापना करना
  - सामान्य हित के मामलों पर कोई अन्य निर्णय लेना
- वर्तमान में आई.ओ.आर.ए. का अध्यक्ष श्रीलंका है जबकि उपाध्यक्ष भारत है। नवंबर 2025 में भारत द्वारा आई.ओ.आर.ए. की अध्यक्षता संभाली जाएगी।
- मंत्रिपरिषद् की बैठक का प्रबंधन अध्यक्ष के देश के विदेश मंत्रालय द्वारा आई.ओ.आर.ए. सचिवालय के सहयोग से किया जाता है।

वरिष्ठ अधिकारियों की समिति

- यह आई.ओ.आर.ए. के भीतर दूसरा सबसे बड़ा निर्णयकारी निकाय है।
- सदस्य देशों के वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों से मिलकर गठित यह समिति विभिन्न आई.ओ.आर.ए. एजेंडा मदों की समीक्षा, चर्चा एवं सिफारिशें करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
  - इन सिफारिशों को अंतिम मंज़ूरी के लिए मंत्रिपरिषद् को भेजा जाता है।
- समिति की द्वि-वार्षिक बैठकें आयोजित की हैं जिसमें सदस्य देशों द्वारा आपसी सहमति के अनुसार अतिरिक्त सत्र आयोजित करने का विकल्प होता है।
- इन बैठकों के दौरान समिति चार प्रमुख कार्यों पर ध्यान केंद्रित करती है:

- क्षेत्रीय आर्थिक सहयोग पहलों के लिए प्राथमिकताएँ स्थापित करना
- कार्य कार्यक्रमों का विकास, निगरानी एवं समन्वय करना जो विशिष्ट कार्यों व परियोजनाओं की रूपरेखा तैयार करते हैं।
- इन कार्य कार्यक्रमों की वित्तीय व्यवहार्यता सुनिश्चित करने के लिए संसाधन जुटाना।
- मंत्रिपरिषद् को समय-समय पर रिपोर्ट एवं नीतिगत मामले प्रस्तुत करना।

आई.ओ.आर.ए. ट्रोइका

- आई.ओ.आर.ए. ट्रोइका एक संस्थागत तंत्र है जिसमें आई.ओ.आर.ए. के वर्तमान अध्यक्ष, उपाध्यक्ष (भावी अध्यक्ष) तथा भूतपूर्व अध्यक्ष शामिल होते हैं।
- **उद्देश्य :** संगठन को महत्त्वपूर्ण मामलों, जैसे-मौजूदा तंत्रों की समीक्षा या नए तंत्रों का निर्माण, नीतिगत निर्णय पर सलाह देना।
- ट्रोइका आई.ओ.आर.ए. महासचिव की नियुक्ति तथा अधिदेश की शर्तों में भी महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

आई.ओ.आर.ए. की आवश्यकता

- व्यापार मार्गों के लिए महत्त्वपूर्ण महासागर के रूप में हिंद महासागर दुनिया के आधे कंटेनर जहाज़ों, दुनिया के एक-तिहाई थोक माल यातायात और दुनिया के दो-तिहाई तेल शिपमेंट के लिए एक प्रमुख समुद्री मार्ग है।
- हिंद महासागर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार एवं परिवहन के लिए एक महत्त्वपूर्ण जीवन रेखा बना हुआ है। साझा समुद्री सीमा वाले इसके सदस्य देश सांस्कृतिक विविधता एवं भाषाओं, धर्मों, परंपराओं, कलाओं व व्यंजनों में समृद्ध हैं।
  - हालाँकि, वे अपने क्षेत्रों, आबादी एवं आर्थिक विकास के स्तर के संदर्भ में काफी भिन्न हैं।
- उन्हें कई उप-क्षेत्रों (ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण-पूर्व एशिया, दक्षिण एशिया, पश्चिम एशिया और पूर्वी एवं दक्षिणी अफ्रीका) में भी विभाजित किया जा सकता है जिनमें से प्रत्येक के अपने क्षेत्रीय समूह हैं, जैसे- आसियान, सार्क आदि।
- इतनी विविधता एवं मतभेदों के बावजूद ये देश हिंद महासागर द्वारा एक-साथ बंधे हुए हैं।

आई.ओ.आर.ए. प्राथमिकता क्षेत्र

समुद्री सुरक्षा एवं संरक्षण

- हिंद महासागर क्षेत्र कई पारंपरिक व गैर-पारंपरिक समुद्री सुरक्षा एवं संरक्षण (MSS) चुनौतियों का सामना करता है, जिनमें शामिल हैं:
  - समुद्री डकैती
  - समुद्र में सशस्त्र डकैती
  - आतंकवाद
  - मनुष्य, ड्रग्स, हथियार एवं वन्यजीव की अवैध तस्करी
  - मत्स्यपालन क्षेत्र में अपराध, जैसे- अवैध, अप्रतिबंधित एवं अनियमित मत्स्यन
  - भूमि एवं जहाज़ों से प्रदूषण सहित महासागर के स्वास्थ्य का ह्रास
  - समुद्री संसाधनों का अवैध दोहन
  - जलवायु परिवर्तन और इसके संबंधित परिणाम
  - संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून सम्मेलन (UNCLOS) के अनुसार नौवहन एवं उड़ान की स्वतंत्रता सुनिश्चित करना
- **आई.ओ.आर.ए. कार्य योजना 2022-27 :**
  - समुद्री सुरक्षा प्राथमिकता क्षेत्र के रणनीतिक लक्ष्यों को निर्धारित करती है।
  - इसमें सदस्य देशों और प्रासंगिक अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के बीच विशेषज्ञता तथा संसाधनों को साझा करने के लिए प्रभावी समन्वय के माध्यम से हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा सहयोग को बढ़ावा देना, सीमा पार चुनौतियों का समाधान करने के लिए क्षेत्रीय सहयोग को मज़बूत करना और यू.एन.सी.एल.ओ.एस. सहित अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार नौवहन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करना शामिल है।

व्यापार एवं निवेश सुविधा

- आई.ओ.आर.ए. व्यापार एवं निवेश को सुविधाजनक बनाने के लिए सदस्य देशों के सहयोग के मार्गदर्शक सिद्धांत, निजी क्षेत्र, ब्लू इकोनॉमी, वैश्विक नियम-आधारित व्यापार प्रणाली, रोज़गार सृजन व हिंद महासागर क्षेत्र में गरीबी को कम करने तथा आर्थिक विकास में महिलाओं के सशक्तीकरण के महत्त्व को पहचानता है।
- **आई.ओ.आर.ए. कार्य योजना 2022-27 :**
  - व्यापार एवं निवेश प्राथमिकता क्षेत्र के रणनीतिक लक्ष्यों को निर्धारित करती है।
  - इसमें समावेशी सार्वजनिक-निजी भागीदारी के माध्यम से उत्पादों की उत्पादन क्षमता, प्रतिस्पर्द्धात्मकता एवं मूल्य संवर्द्धन में सुधार करना शामिल है।
  - यह सदस्य देशों की अर्थव्यवस्थाओं को संधारणीय रूप से विकसित करने के लिए वस्तुओं, सेवाओं तथा निवेश प्रवाह को बढ़ावा देता है।
  - यह व्यावसायियों की आवाजाही को सुविधाजनक बनाने और लोगों-से-लोगों (P2P) के माध्यम से संपर्क बढ़ाने का भी प्रयास करता है।
  - यह व्यापार सुविधा को मज़बूत करने के लिए आई.ओ.आर.ए. सदस्यों के लिए व्यापार सुगमता की रैंकिंग बढ़ाने का प्रयास करता है।

- इसका उद्देश्य लघु एवं मध्यम आकार के उद्यमों (MSMEs) को बढ़ावा देने के लिए क्षेत्रीय सहयोग को मज़बूत करना भी है।

मत्स्य प्रबंधन

- आई.ओ.आर.ए. सतत् मत्स्यपालन और जलीय कृषि के समक्ष आने वाली चुनौतियों का समाधान करने के लिए भागीदार देशों, संगठनों एवं हितधारकों के साथ सहयोग करने के लिए दृढ़ता से प्रतिबद्ध है।
- आई.ओ.आर.ए. एक ऐसे भविष्य की कल्पना करता है जो इस क्षेत्र में सतत् मत्स्य प्रबंधन, जलीय कृषि विकास आजीविका, रोज़गार सृजन, खाद्य सुरक्षा, गरीबी उन्मूलन एवं समग्र सामाजिक-आर्थिक विकास में योगदान देता है।
- इस साझा दृष्टिकोण को प्राप्त करने के लिए आई.ओ.आर.ए. सदस्य देशों ने निम्नलिखित विषयों पर ध्यान दिया है-
  - समुद्री भोजन की सुरक्षा एवं गुणवत्ता
  - समुद्री भोजन की हैंडलिंग, प्रसंस्करण एवं भंडारण
  - मत्स्यपालन संसाधनों का सतत् प्रबंधन व विकास
  - अवैध, अप्रतिबंधित एवं अनियमित (IUU) मत्स्यन का मुकाबला करना

आपदा जोखिम प्रबंधन

- आई.ओ.आर.ए. द्वारा आपदा जोखिम प्रबंधन प्रयास, आपदा जोखिम न्यूनीकरण 2015-2030 के लिए सेंडाई फ्रेमवर्क के सिद्धांतों के अनुरूप हैं।
  - यह वर्ष 2015 में संयुक्त राष्ट्र के सदस्य राज्यों द्वारा अपनाया गया एक वैश्विक समझौता है।
  - यद्यपि हिंद महासागर क्षेत्र आपदाओं से ग्रस्त है किंतु, यहाँ आपदाओं के प्रबंधन के लिए दुनिया के सर्वोत्तम संस्थान भी मौजूद हैं।
  - इसके प्रभावी क्रियान्वयन के लिए आई.ओ.आर.ए. सदस्य देशों के बीच उचित सूचना-साझाकरण एवं समन्वय की आवश्यकता होती है।

पर्यटन एवं सांस्कृतिक आदान-प्रदान

- हिंद महासागर एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया एवं अंटार्कटिका को जोड़ता है जिससे उत्पादों, लोगों, संस्कृति व प्रौद्योगिकियों का एक अनूठा अभिसरण निर्मित होता है।
- आई.ओ.आर.ए. कोर ग्रुप ऑन टूरिज़्म (CGT) एक समर्पित निकाय है जिसका कार्य सदस्य राज्यों के बीच पर्यटन प्रोफाइल एवं सहयोग को बढ़ावा देना है।
- इसके प्रमुख कार्यों में शामिल हैं :
  - व्यापक पर्यटन रणनीतियों का विकास करना
  - हितधारकों के बीच सहयोग को बढ़ावा देना
  - सतत् पर्यटन प्रथाओं को आगे बढ़ाना
- इसका उद्देश्य क्षेत्र में टिकाऊ एवं प्रभावी पर्यटन विकास सुनिश्चित करने के लिए सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करना, आर्थिक विकास को गति देना और पर्यावरण की रक्षा करना है।

शैक्षणिक, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी सहयोग

- आई.ओ.आर.ए. सदस्य देशों की प्रगति क्षेत्र के बौद्धिक एवं तकनीकी परिदृश्य को समृद्ध करती है।
- आई.ओ.आर.ए. कार्य योजना (2022-2026) इस सहयोगात्मक यात्रा के लिए एक रोडमैप के रूप में कार्य करती है। इसके तहत समर्पित आई.ओ.आर.ए. संस्थागत तंत्रों के माध्यम से रणनीतिक लक्ष्य स्थापित किए गए हैं:
  - **आई.ओ.आर. अकादमिक समूह (IORAG) :** सहयोगात्मक अनुसंधान, ज्ञान के आदान-प्रदान एवं क्षमता निर्माण पहलों के माध्यम से अकादमिक उत्कृष्टता को बढ़ावा देना
  - **विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं नवाचार पर कार्य समूह :** अत्याधुनिक विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में क्षेत्रीय सहयोग एवं सहभागिता का नेतृत्व करना

महत्त्वपूर्ण खेल घटनाक्रम

खेलो इंडिया पैरा गेम्स, 2025

- **आयोजन तिथि :** 20-27 मार्च, 2025
- **आयोजन स्थल :** नई दिल्ली
- **गान का अनावरण :** डॉ. मनसुख मंडाविया (युवा कार्य एवं खेल मंत्री) द्वारा
- **गान के बोल :** 'खेलेगा खेलेगा मेरा इंडिया, जीतेगा जीतेगा मेरा इंडिया'
- **शुभंकर का नाम :** 'उज्ज्वला'
- **कुल 6 खेल :** पैरा-तीरंदाज़ी, पैरा-एथलेटिक्स, पैरा-बैडमिंटन, पैरा-पावरलिफ्टिंग, पैरा-शूटिंग, पैरा-टेबल टेनिस
- **उल्लेखनीय एथलीट :** हरविंदर सिंह (स्वर्ण पदक विजेता, पैरा-तीरंदाज़ी), प्रवीण कुमार (ऊँची कूद खिलाड़ी)
- **पदक तालिका :** हरियाणा एक बार फिर 34 स्वर्ण पदकों के साथ शीर्ष प्रदर्शन करने वाला राज्य बनकर उभरा। तमिलनाडु (28 स्वर्ण) और उत्तर प्रदेश (23 स्वर्ण) क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे।

आई.पी.एल.- 2025

- **आयोजन तिथि :** 22 मार्च से 25 मई, 2025
- **संस्करण :** 18वाँ

- **कुल टीमें :** 10
- **आधिकारिक प्रायोजक :** टाटा समूह
- भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने आई.पी.एल.- 2025 में निम्नलिखित बदलाव किए हैं-
  - गेंदबाज़ों के लिए लार प्रयोग के प्रतिबंध को हटा दिया गया है।
  - शाम के मैचों में दूसरी पारी में दूसरी गेंद के उपयोग की अनुमति होगी।
  - इम्पैक्ट प्लेयर नियम को आधिकारिक तौर पर वर्ष 2027 तक बढ़ा दिया गया है।
  - वाइड एवं ऊँचाई-आधारित नो-बॉल को कवर करने के लिए निर्णय समीक्षा प्रणाली (DRS) का विस्तार।

विशेष ओलंपिक विश्व शीतकालीन खेल, 2025

- **आयोजन तिथि :** 8 से 15 मार्च, 2025
- **आयोजन स्थल :** ट्यूरिन, इटली
- **भारत का प्रदर्शन :** कुल 33 पदक (8 स्वर्ण, 18 रजत और 7 कांस्य)
- भारत के 33 पदक विभिन्न खेलों में निम्नानुसार हैं-
  - **स्नोशूइंग :** 10 पदक
  - **अल्पाइन स्कीइंग :** 10 पदक
  - **स्नोबोर्डिंग :** 6 पदक
  - **शॉर्ट ट्रैक स्पीड स्केटिंग :** 4 पदक
  - **क्रॉस कंट्री स्कीइंग :** 2 पदक
  - **फ्लोरबॉल :** 1 पदक

विश्व पैरा-एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स-2025

- **आयोजन स्थल :** जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, नई दिल्ली
- **भारत का प्रदर्शन :** 134 पदक (45 स्वर्ण, 40 रजत, 49 कांस्य) के साथ पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर रहा।
- **शीर्ष भारतीय एथलीट :** प्रीति पाल (कांस्य- 200 मीटर), भवानी मुन्नीयंडी (कांस्य- लंबी कूद), विनय (रजत- 200 मीटर), अभिषेक बाबासाहेब जाधव (कांस्य- 200 मीटर)
- **विशेष :** भारत ने पहली बार अंतर्राष्ट्रीय पैरा स्पर्द्धा की मेज़बानी की।
- **कुल भारतीय एथलीट :** लगभग 150 पैरा-एथलीटों ने भाग लिया
- **कुल पदक इवेंट :** 90 पदक स्पर्द्धाएँ आयोजित

खेलो इंडिया विंटर गेम्स-2025

- **आयोजन :** इन खेलों का पाँचवां संस्करण दो चरणों में आयोजित किया गया।
  - **पहला चरण :** 23 से 27 जनवरी, 2025 तक लेह, लद्दाख में आयोजित।
  - **दूसरा चरण :** 9 से 12 मार्च, 2025 तक जम्मू एवं कश्मीर में आयोजित।
- **सर्वाधिक पदक विजेता टीम :** भारतीय सेना ने 7 स्वर्ण, 5 रजत और 6 कांस्य पदक जीतकर पदक तालिका में शीर्ष स्थान प्राप्त किया।
  - दूसरे स्थान पर हिमाचल प्रदेश एवं तीसरे स्थान पर लद्दाख की टीम रहीं।
- **शामिल खेल :** आइस हॉकी, आइस स्केटिंग, अल्पाइन स्कीइंग, नॉर्डिक स्कीइंग, स्की पर्वतारोहण, स्नोबोर्डिंग

आई.सी.सी. चैंपियंस ट्रॉफी-2025

- **आयोजन तिथि :** 19 फरवरी से 9 मार्च, 2025
- **आयोजन स्थल :** पाकिस्तान, दुबई (संयुक्त अरब अमीरात)
- **विजेता :** भारत (तीसरी बार) (कप्तान : रोहित शर्मा)
  - **2002 :** श्रीलंका के साथ संयुक्त विजेता (कप्तान : सौरभ गांगुली)
  - **2013 :** फाइनल में इंग्लैंड को हराया (कप्तान : एम. एस. धोनी)
  - **2025 :** फाइनल में न्यूज़ीलैंड को हराया
- **उप-विजेता :** न्यूज़ीलैंड (कप्तान : मिशेल सेंटनर)
- **प्लेयर ऑफ द मैच :** रोहित शर्मा
- **प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट :** रचिन रविंद्र (263 रन)

कबड्डी विश्व कप- 2025

- **आयोजन तिथि :** 17 से 23 मार्च, 2025
- **आयोजन स्थल :** वेस्ट मिडलैंड्स, इंग्लैंड
- **कुल टीमें :** 10
- **विजेता :** भारत (पुरुष एवं महिला वर्ग दोनों)
  - **पुरुष टीम कप्तान :** मंथिराम अरुमुगम
  - **महिला टीम कप्तान :** रितु नेगी
- **उप-विजेता :** इंग्लैंड (पुरुष एवं महिला वर्ग दोनों)
  - **पुरुष टीम कप्तान :** हरदीप सिंह
  - **महिला टीम कप्तान :** सुनील अथिरा
- कबड्डी विश्व कप पहली बार एशिया से बाहर आयोजित किया जा रहा है।

अन्य महत्त्वपूर्ण खेल घटनाक्रम

- पुरुषों की रेगु टीम ने सेपक टकरा विश्व कप-2025 में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया। 'सेपक टकरा' खेल की टीम को 'रेगु' कहते हैं। 'सेपक टकरा' को 'फुट वॉलीबॉल' भी कह सकते हैं।
- भारत के युगल बैडमिंटन विशेषज्ञ बी. सुमित रेड्डी ने पेशेवर बैडमिंटन से संन्यास लेने की घोषणा की है। वह अंतर्राष्ट्रीय

बैडमिंटन टूर्नामेंट में 2015 मेक्सिको सिटी ग्रैंड प्रिक्स और 2016 कनाडा ओपन प्रतियोगिता में विजेता रहे हैं।

- वरिष्ठ भारतीय बल्लेबाज़ एवं आई.पी.एल. 2025 में कोलकाता नाइट राइडर्स के कप्तान अजिंक्य रहाणे आई.पी.एल. में तीन अलग-अलग टीमों का नेतृत्व करने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। वह इससे पहले राइजिंग पुणे सुपरजाएंट, राजस्थान रॉयल्स टीमों के कप्तान भी रह चुके हैं।
- चीन में आयोजित ग्रैंड प्रिक्स में ऑस्कर पियास्त्री ने अपने मैकलारेन टीम के साथी लैंडो नोरिस पर जीत हासिल की।
- जापान मेज़बान देशों (अमेरिका, कनाडा एवं मेक्सिको) के बाद फीफा विश्व कप-2026 के लिए क्वालीफाई करने वाली पहली टीम बन गई है।
- बी.सी.सी.आई. ने आई.सी.सी. चैंपियंस ट्रॉफी-2025 जीतने पर भारतीय टीम को 58 करोड़ रुपए का नकद पुरस्कार देने की घोषणा की है। यह वित्तीय स्वीकृति खिलाड़ियों, कोचिंग स्टाफ, सहयोगी कर्मियों एवं चयन समिति के योगदान के लिए एक सम्मान है।
- भारतीय लंबी दूरी की धाविका अर्चना जाधव को प्रतिबंधित पदार्थ ऑक्सेंड्रोलोन के सेवन का दोषी पाए जाने के बाद विश्व एथलेटिक्स की एथलीट इंटीग्रिटी यूनिट ने चार वर्ष का प्रतिबंध लगा दिया है।
  - ऑक्सेंड्रोलोन एक सिंथेटिक एनाबॉलिक स्टेरॉयड है, जिसका उपयोग आमतौर पर माँसपेशियों की वृद्धि एवं प्रोटीन उत्पादन को बढ़ाने के लिए किया जाता है।
- 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप, 2025 में झारखंड ने हरियाणा के पंचकूला स्थित ताऊ देवी लाल कॉम्प्लेक्स में आयोजित फाइनल मैच में गत चैंपियन हरियाणा को हराया।
- मुंबई इंडियंस (कप्तान : हरमनप्रीत कौर) ने महिला प्रीमियर लीग (WPL) 2025 में दिल्ली कैपिटल्स (कप्तान : मेग लैनिंग) को 8 रन से हराकर तीन सीजन में अपना दूसरा डब्ल्यू.पी.एल. खिताब जीता। डब्ल्यू.पी.एल. 2025 में फाइनल मैच का सर्वोत्तम खिलाड़ी का अवार्ड हरमनप्रीत कौर (मुंबई इंडियंस) को और प्लेयर ऑफ द सीरीज़ का अवार्ड नैट साइवर-ब्रंट (मुंबई इंडियंस) को प्रदान किया गया। इसमें 5 टीमों ने भाग लिया।
- पूर्व भारतीय क्रिकेट ऑलराउंडर सैयद आबिद अली का निधन हो गया।
- फरवरी 2025 के लिए भारत के शुभमन गिल ने आई.सी.सी. पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ का खिताब जीता, जबकि ऑस्ट्रेलिया की अलाना किंग ने आई.सी.सी. महिला प्लेयर ऑफ द मंथ का खिताब जीता।
- टेस्ट क्रिकेट में एक ऐतिहासिक उपलब्धि के रूप में ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड ने पहले टेस्ट मैच की 150वीं वर्षगाँठ के उपलक्ष्य में मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड (MCG) पर 11 मार्च से 15 मार्च, 2025 तक एक विशेष दिन-रात्रि टेस्ट मैच खेला।
  - पहला आधिकारिक टेस्ट मैच मार्च 1877 में ऑस्ट्रेलिया एवं इंग्लैंड के बीच एम.सी.जी. में खेला गया था।
- कॉमनवेल्थ गेम्स फेडरेशन (CGF) को अब कॉमनवेल्थ स्पोर्ट के नाम से जाना जाएगा। यह निर्णय आधिकारिक तौर पर 10 मार्च, 2025 को कॉमनवेल्थ दिवस के उपलक्ष्य में घोषित किया गया।
- भारतीय फुटबॉल के दिग्गज खिलाड़ी सुनील छेत्री ने 40 वर्ष की आयु में राष्ट्रीय टीम में वापसी की है उन्होंने पिछले वर्ष अपने संन्यास के फैसले को पलट दिया है।
- भारत के प्रतिष्ठित टेबल टेनिस खिलाड़ी अचंता शरत कमल ने आधिकारिक तौर पर पेशेवर टेबल टेनिस से संन्यास की घोषणा कर दी है।
- ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट के महान खिलाड़ी स्टीव स्मिथ ने वन-डे इंटरनेशनल (ODI) से संन्यास की घोषणा की है।
- विराट कोहली 2 मार्च, 2025 को दुबई में न्यूज़ीलैंड के खिलाफ चैंपियंस ट्रॉफी मैच के दौरान 300 वनाडे खेलने वाले सातवें भारतीय और दुनिया के 22वें क्रिकेटर बन गए।
- भारत के दिग्गज क्यू (Cue) खिलाड़ी पंकज आडवाणी ने फाइनल में ईरान के आमिर सरकोश को हराकर 2025 एशियाई स्नूकर चैंपियनशिप पुरुष वर्ग का खिताब जीता। यह स्नूकर एवं बिलियड्‌र्स स्पर्द्धाओं में उनका 14वाँ एशियाई खिताब है।

महत्त्वपूर्ण दिवस

क्रम	दिवस	तिथि	थीम /विषय /अन्य तथ्य
1.	शून्य भेदभाव दिवस	1 मार्च	वी स्टैंड टूगेदर
2.	विश्व समुद्री घास दिवस	1 मार्च	समुद्री घास : जलवायु परिवर्तन से लड़ने में एक प्राकृतिक समाधान
3.	विश्व वन्यजीव दिवस	3 मार्च	वन्यजीव संरक्षण वित्त : लोगों और ग्रह में निवेश
4.	विश्व श्रवण दिवस	3 मार्च	मानसिकता में बदलाव : कान और श्रवण देखभाल को सभी के लिए वास्तविकता बनाने के लिए स्वयं को सशक्त बनाएँ!
5.	राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस	4 मार्च	विकसित भारत के लिए सुरक्षा और कल्याण महत्त्वपूर्ण है
6.	अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस	8 मार्च	सभी महिलाओं व बालिकाओं के लिए अधिकार, समानता एवं सशक्तीकरण

7.	विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस	15 मार्च	सतत् जीवनशैली के लिए एक न्यायसंगत परिवर्तन
8.	राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस	16 मार्च	टीके सभी के लिए काम करते हैं
9.	अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस	20 मार्च	केयरिंग एंड शेयरिंग
10.	विश्व गौरैया दिवस	20 मार्च	अ ट्रिब्यूट टू नेचर्स टिनी मैसेनजर्स
11.	विश्व वानिकी दिवस	21 मार्च	फॉरेस्ट एंड फूड
12.	विश्व जल दिवस	22 मार्च	ग्लेशियर संरक्षण
13.	विश्व मौसम विज्ञान दिवस	23 मार्च	क्लोजिंग द अर्ली वार्निंग गैप टूगेदर
14.	विश्व क्षयरोग दिवस	24 मार्च	हाँ! हम टीबी को समाप्त कर सकते हैं: संकल्प लें, निवेश करें, क्रियान्वयन करें
15.	विश्व रंगमंच दिवस	27 मार्च	रंगमंच और शांति की संस्कृति

महत्त्वपूर्ण पुरस्कार

59वाँ ज्ञानपीठ पुरस्कार

- **प्रदानकर्ता :** भारतीय ज्ञानपीठ ट्रस्ट
- **नकद पुरस्कार :** ₹11 लाख (भारत का सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान)
- **अतिरिक्त सम्मान :** कांस्य निर्मित सरस्वती प्रतिमा एवं प्रशस्ति पत्र
- **प्राप्तकर्ता :** विनोद कुमार शुक्ल
- **आयु :** 88 वर्ष
- **क्षेत्र :** लघु कथा लेखन, कविता एवं निबंध
- **उल्लेखनीय कृतियाँ**
  - 'दीवार में एक खिड़की रहती थी' : साहित्य अकादमी पुरस्कार 1999
  - 'नौकर की कमीज़' (1979) : मणि कौल द्वारा फिल्म में रूपांतरित
  - 'सब कुछ होना बचा रहेगा' (1992) : एक प्रसिद्ध कविता संग्रह
- **विशेष :** इस प्रतिष्ठित पुरस्कार को पाने वाले वे छत्तीसगढ़ के पहले लेखक हैं और इस पुरस्कार से सम्मानित होने वाले 12वें हिंदी लेखक हैं।
  - 58वाँ ज्ञानपीठ पुरस्कार 2023 संस्कृत के लिए जगद्गुरु रामभद्राचार्य जी और उर्दू के लिए गुलज़ार को प्रदान किया गया था।
  - वर्ष 1961 में स्थापित ज्ञानपीठ पुरस्कार पहली बार वर्ष 1965 में मलयालम कवि जी. शंकर कुरुप को उनकी रचना 'ओडक्कुझ़ाल' के लिए प्रदान किया गया था।

IIFA अवार्ड्स, 2025

- मुख्य भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनय प्रदर्शन
  - **पुरुष श्रेणी :** कार्तिक आर्यन (भूल भुलैया 3)
  - **महिला श्रेणी :** नितांशी गोयल (लापता लेडीज़)
- **सर्वश्रेष्ठ फिल्म :** लापता लेडीज़
- **सर्वश्रेष्ठ निर्देशन :** किरण राव (लापता लेडीज़)
- **लोकप्रिय श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ कहानी :** बिप्लब गोस्वामी (लापता लेडीज़)
- **सर्वश्रेष्ठ पटकथा :** स्नेहा देसाई (लापता लेडीज़)
- **सर्वश्रेष्ठ संवाद :** अर्जुन धवन, आदित्य धर, आदित्य सुहास जंभाले, मोनाल ठाकर (अनुच्छेद 370)
- **सर्वश्रेष्ठ गायक (पुरुष) :** जुबिन नौटियाल (धारा 370 से दुआ)
- **सर्वश्रेष्ठ गायिका (महिला) :** श्रेया घोषाल (भूल भुलैया 3 से अमी जे तोमर 3.0)
- **भारतीय सिनेमा में उत्कृष्ट उपलब्धि :** राकेश रोशन

हॉकी इंडिया पुरस्कार, 2024

- **वर्ष का सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर :** सविता पुनिया (बलजीत सिंह पुरस्कार)
- **वर्ष का सर्वश्रेष्ठ डिफेंडर :** अमित रोहिदास (परगट सिंह पुरस्कार)
- **वर्ष का सर्वश्रेष्ठ मिडफील्डर :** हार्दिक सिंह (अजीत पाल सिंह पुरस्कार)
- **वर्ष का सर्वश्रेष्ठ फॉरवर्ड :** अभिषेक (धनराज पिल्ले पुरस्कार)
- **उभरते खिलाड़ी (महिला अंडर-21) :** दीपिका (असुंता लाकड़ा पुरस्कार)
- **उभरते खिलाड़ी (पुरुष अंडर-21) :** अरजीत सिंह हुंदल (जुगराज सिंह पुरस्कार)
- **लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार :** 1975 विश्व कप विजेता टीम (मेजर ध्यानचंद पुरस्कार)
- **विशेष श्रद्धांजलि :** 1975 विश्व कप विजेता टीम को उसकी स्वर्ण जयंती पर सम्मानित किया गया।

अन्य महत्त्वपूर्ण पुरस्कार

- कन्नड़ लेखिका बानू मुश्ताक की लघु कहानी संग्रह हार्ट लैंप (दीपा भस्थी द्वारा अनूदित) को प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 के लिए सूचीबद्ध किया गया है।
  - पहली बार किसी कन्नड़ रचना को इस सूची में शामिल किया गया है।
- जापानी गणितज्ञ मसाकी काशीवारा को बीजगणितीय विश्लेषण एवं प्रतिनिधित्व सिद्धांत में उनके असाधारण योगदान के लिए 2025 एबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नॉर्वे के गणितज्ञ नील्स हेनरिक एबेल के नाम पर इसे 2002 में नॉर्वे की संसद द्वारा स्थापित किया गया था।
- पंजाब एंड सिंध बैंक को EASE 6.0 सुधार सूचकांक में शीर्ष सुधारक का खिताब दिया गया है, जिसमें बैंकिंग दक्षता और ग्राहक सेवा में इसकी प्रगति को मान्यता दी गई है। यह सरकार द्वारा संचालित उन्नत पहुँच एवं सेवा उत्कृष्टता (EASE) पहल का हिस्सा है।
- वायलिन वादक आर.के. श्रीरामकुमार को संगीत अकादमी द्वारा 2025 के प्रतिष्ठित संगीत कलानिधि पुरस्कार के लिए चुना गया है।
- प्रसिद्ध जलविज्ञानी गुंटर ब्लॉशेल को बाढ़ जोखिम विश्लेषण और जल संसाधन प्रबंधन में उनके अग्रणी कार्य के लिए 2025 स्टॉकहोम जल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।
- दक्षिण भारत के लिए डेनमार्क के मानद महावाणिज्यदूत और द सनमार ग्रुप के अध्यक्ष विजय शंकर को डेनमार्क के राजा द्वारा नाइट क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ डैनब्रॉग से सम्मानित किया गया है।
- स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को डिज़ाइन करने वाले मशहूर मूर्तिकार राम सुतार को महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।
- तेलुगू सिनेमा के दिग्गज सुपरस्टार चिरंजीवी को भारतीय सिनेमा, सांस्कृतिक प्रभाव और सार्वजनिक सेवा में उनके महत्त्वपूर्ण योगदान के लिए लंदन स्थित थिंक टैंक ब्रिज इंडिया द्वारा लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया। पुरस्कार समारोह ब्रिटेन की संसद के निचले सदन हाउस ऑफ कॉमन्स में आयोजित किया गया था।
- राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारतीय पत्रकारिता में उत्कृष्ट योगदान के लिए रामनाथ गोयनका पत्रकारिता उत्कृष्टता पुरस्कार प्रदान किए। यह पुरस्कार उन पत्रकारों को दिया जाता है जो सत्य, निष्ठा एवं निडर रिपोर्टिंग के मूल्यों को बनाए रखते हैं।
- ड्रयू जी. बार्टो एवं रिचर्ड एस. सटन को रिइंफोर्समेंट लर्निंग (Reinforcement learning : RL) में उनके अभूतपूर्व कार्य के लिए 2024 ए.सी.एम. ए.एम. ट्यूरिंग पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उनके नवाचारों ने आर.एल. के लिए वैचारिक और एल्गोरिदमिक ढाँचे की स्थापना की, जिससे कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर गहरा प्रभाव पड़ा।
- महिला उद्यमियों को सशक्त बनाने के लिए समर्पित अग्रणी माइक्रोफाइनेंस संस्थान मुथूट माइक्रोफिन ने SKOCH अवाड्र्स 2025 में दो प्रतिष्ठित गोल्ड अवार्ड हासिल करके एक महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है।
- दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने एशिया-प्रशांत क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे के लिए प्रतिष्ठित ए.एस.क्यू. पुरस्कार जीता है।
- चेन्नई स्थित केयर अर्थ ट्रस्ट की सह-संस्थापक जयश्री वेंकटेसन, 'वेटलैंड वाइज यूज' के लिए रामसर पुरस्कार से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय बन गई हैं। यह पुरस्कार वेटलैंड्स के टिकाऊ प्रबंधन में योगदान के लिए विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त है।
- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कोविड-19 महामारी के दौरान उनके नेतृत्व और समर्थन को मान्यता देते हुए 'ऑनरेरी ऑर्डर ऑफ फ्रीडम ऑफ बारबाडोस' से सम्मानित किया गया है। उनकी ओर से यह पुरस्कार केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री पाबित्रा मार्गेरिटा ने ग्रहण किया।
- इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट (IIHM) के चेयरमैन डॉ. सुबोर्न बोस को वाइब्रेंट भारत ग्लोबल समिट 2025 में केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र शेखावत द्वारा 'लाइफटाइम अचीवमेंट इन हॉस्पिटैलिटी एंड एजुकेशन थ्रू टेक्नोलॉजी' पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।
- अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद् के अध्यक्ष जय शाह को फोर्ब्स इंडिया लीडरशिप अवार्ड्स (FILA 2025) के 14वें संस्करण में प्रतिष्ठित आइकॉन ऑफ एक्सीलेंस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।
- आयुष मंत्रालय ने पारंपरिक भारतीय चिकित्सा में उनके असाधारण योगदान के लिए तीन प्रतिष्ठित चिकित्सकों वैद्य तारा चंद शर्मा, वैद्य माया राम उनियाल, वैद्य समीर गोविंद जमदग्नि को राष्ट्रीय धन्वंतरि आयुर्वेद पुरस्कार से सम्मानित किया है।

महत्त्वपूर्ण पुस्तकें

पुस्तक	लेखक
दियासलाई	कैलाश सत्यार्थी (आत्मकथा)
फॉर नो रीजन एट ऑल	रामजी चंद्रन
नो प्लेस टू कॉल माय ओन	अलीना गुफरान
मैड अबाउट क्यूबा	उल्लेख एन.पी.
एनीहिलेशन	मिशेल हौएलेबेक
हार्ट लैंप	बानू मुश्ताक
ड्रीम काउंट	चिमामांडा नगोजी अदिची
द कमबैक	एनी ज़ैदी

वी डू नॉट पार्ट	हांनकांग (ई. यावोन तथा पैगे अनियाह मॉरिस द्वारा अनूदित)
द स्टोरी ऑफ ईव	जहरा निगाह (रक्षंदा जलील द्वारा अनूदित)
अननोन सिटी	अमिताभ बागची
द फिलिस्तीन लेबोरेटरी	एंटनी लोवेनस्टीन
व्हाट डज इज़रायल फियर फ्रॉम फिलिस्तीन	राजा शेहादेह
लाइफ ऑन मार्स	नमिता गोखले
लियो : चेन्नई सुपर किंग्स की अनकही कहानी	पी.एस. रमन
स्टंप्ड	सैयद किरमानी (आत्मकथा)
मार्च ऑफ ग्लोरी	हॉकी इतिहासकार के. अरुमुगम और पत्रकार एरोल डीश्क्रूज़
वाइल्ड फिक्शंस	अमिताव घोष
शटल प्ले	अक्षय लोकपल्ली एवं विजय लोकपल्ली
डेवियंट्स	शांतनु भट्टाचार्य
द मदर	पीटर हीश
ऐफ्लेम : लर्निंग फ्रॉम साइलेंस	पिको ऐयर

महत्त्वपूर्ण व्यक्ति एवं नियुक्तियाँ

व्यक्ति	नियुक्ति
एन. चंद्रशेखरन	रतन टाटा एंडोमेंट फाउंडेशन के अध्यक्ष नियुक्त
तुहिन कांत पांडे	सेबी के अध्यक्ष नियुक्त
मनन कुमार मिश्र	बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष पुनर्निर्वाचित
डॉ. मयंक शर्मा	रक्षा लेखा महानियंत्रक नियुक्त
अजय भादू	गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस के मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त
अंजू राठी राणा	भारत की पहली महिला विधि सचिव नियुक्त
विकास कौशल	हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक नियुक्त
न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची	सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त
ताकाशी नाकाज़िमा	होंडा कार इंडिया के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक नियुक्त
अतुल कुमार गोयल	भारतीय बैंक संघ के मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त
एन. गणपति सुब्रमण्यम	टाटा कम्युनिकेशंस के चेयरमैन नियुक्त
डॉ. शिवकुमार कल्याणरमन	अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन के मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त
आयुष्मान खुराना	केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया द्वारा 'फिट इंडिया आइकन' नामित
इंद्रनील भट्टाचार्य	आर.बी.आई. के कार्यकारी निदेशक नियुक्त
दीना मेहता	फिनो पेमेंट्स बैंक की स्वतंत्र निदेशक नियुक्त
अमिताभ कांत	एन.आई.आई.टी. विश्वविद्यालय के चांसलर नियुक्त
किर्स्टी कोवेंट्री	अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली महिला और अफ्रीकी अध्यक्ष नियुक्त
कृष्णमाचारी श्रीकांत	विजन 2020 इंडिया के सद्भावना राजदूत नियुक्त
चल्ला श्रीनिवासलु सेट्टी (भारतीय स्टेट बैंक के वर्तमान चेयरमैन)	भारतीय बैंक संघ (IBA) के अध्यक्ष नियुक्त
स्टीव वॉ	ऑस्ट्रेलिया-भारत संबंध केंद्र के सलाहकार बोर्ड में नियुक्त
राहुल भावे	आई.एफ.सी.आई. के एम.डी. और सी.ई.ओ. नियुक्त
राजीव गौबा	नीति आयोग का पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त
संजय सिंह (भारतीय कुश्ती महासंघ के निवर्तमान अध्यक्ष)	यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग-एशिया का ब्यूरो सदस्य
अशोक सिंह ठाकुर	भारतीय राष्ट्रीय कला एवं सांस्कृतिक विरासत ट्रस्ट (INTACH) के अध्यक्ष नियुक्त
परमिंदर चोपड़ा	आर.ई.सी. लिमिटेड के अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक नियुक्त

निधन

व्यक्ति	संबंधित क्षेत्र
जीन हैकमैन	हॉलीवुड अभिनेता
बोरिस स्पास्की	रूसी शतरंज ग्रैंडमास्टर (10वें विश्व शतरंज चैंपियन)
हिम्मत शाह	प्रसिद्ध भारतीय मूर्ति कलाकार
रॉन ड्रेपर	सबसे उम्रदराज़ जीवित टेस्ट क्रिकेटर
गरीमेला बालकृष्ण प्रसाद	प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक
बिंदु घोष	तमिल हास्य अभिनेत्री
रमाकांत रथ	प्रसिद्ध ओडिया कवि
डॉ. देवेंद्र प्रधान	वरिष्ठ भाजपा नेता एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री
मनोज भारतीराजा	तमिल अभिनेता और निर्देशक
जॉर्ज फोरमैन	दिग्गज अमेरिकी मुक्केबाज़
डॉ. सेनकालोंग (सेनका) याडेन	प्रख्यात नागा वैज्ञानिक और शिक्षाविद्
प्रतुल मुखोपाध्याय	प्रख्यात बंगाली गायक

महत्त्वपूर्ण सम्मेलन एवं आयोजन

रायसीना डायलॉग-2025

- वैश्विक नेताओं के लिए भू-राजनीतिक और भू-आर्थिक चुनौतियों पर चर्चा करने के लिए मंच है।
- **आयोजन स्थल** : नई दिल्ली
- **उद्घाटनकर्ता** : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
- **मुख्य अतिथि** : न्यूज़ीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन
- **विषय** : 'कालचक्र-लोग, शांति और ग्रह'
- **प्रमुख विषयगत स्तंभ**
  - **राजनीति में व्यवधान** : वैश्विक शक्ति गतिकी में बदलाव
  - **ग्रीन ट्रिलेमा का समाधान** : आर्थिक विकास, पर्यावरणीय स्थिरता और ऊर्जा सुरक्षा में संतुलन
  - **डिजिटल प्लैनेट** : ए.आई., साइबर सुरक्षा और डिजिटल शासन
  - **उग्रवादी व्यापारिकता** : वैश्विक व्यापार, आपूर्ति शृंखला और संरक्षणवाद
  - **टाइगर्स टेल** : उभरती अर्थव्यवस्थाओं के लिए विकास रणनीतियाँ
  - **शांति में निवेश** : संघर्ष समाधान और वैश्विक सुरक्षा

महिला स्थिति पर 69वाँ संयुक्त राष्ट्र आयोग सत्र

- **आयोजन स्थल** : संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय, न्यूयॉर्क
- **भारत के प्रतिनिधि** : केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती अन्नपूर्णा देवी
- **प्रमुख विषय** : लैंगिक समानता, महिला अधिकार, सतत् विकास लक्ष्य
- **भारत के फोकस क्षेत्र** : महिला स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा, आर्थिक सशक्तीकरण
- **मूल संदेश** : समग्र महिला सशक्तीकरण और बाल कल्याण के प्रति प्रतिबद्धता

सरस आजीविका मेला-2025

- **आयोजन स्थल** : नोएडा (उत्तर प्रदेश)
- **आयोजक** : ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज संस्थान (NIRDPR) के सहयोग से
- **आयोजन तिथि** : 21 फरवरी से 10 मार्च, 2025
- **लक्ष्य** : पूरे भारत में ग्रामीण कारीगरों और स्वयं सहायता समूहों को बढ़ावा देना।
- **विषय** :
  - लखपति एस.एच.जी. दीदियों की निर्यात क्षमता का विकास
  - वोकल फॉर लोकल
  - '2047 तक विकसित भारत' पहल का समर्थन

भारत कॉलिंग सम्मेलन-2025

- **आयोजन स्थल** : मुंबई
- **आयोजक** : आई.एम.सी. चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री
- **उद्घाटनकर्ता** : केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल
- **विषय** : विकसित भारत 2047 का पथः सभी के लिए अग्रणी समृद्धि
- **उद्देश्य** :
  - वैश्विक आर्थिक विकास में भारत की महत्त्वपूर्ण भूमिका को उजागर करना।
  - 2047 तक देश को शीर्ष निवेश गंतव्य के रूप में स्थापित करना।

मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस (MWC)-2025

- **आयोजन स्थल** : बार्सिलोना (स्पेन)
- **विषय** : 'एकत्रित हों, जुड़े, बनाएँ'
- **भारत के प्रतिनिधि** : केंद्रीय संचार मंत्री श्री ज्योतिरादित्य एम. सिंधिया
- **प्रमुख विषय** : भारत में 5G रोलआउट, सबसे कम डाटा टैरिफ, स्वदेशी 4Gèk5G स्टैक, साइबर सुरक्षा
- श्री सिंधिया ने 'इंडिया मोबाइल कांग्रेस-2025' का अनावरण नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में किया।

विश्व सतत् विकास शिखर सम्मेलन-2025

- **आयोजन स्थल** : नई दिल्ली
- **आयोजक** : ऊर्जा एवं संसाधन संस्थान (टेरी) द्वारा
- **उद्घाटनकर्ता** : केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव
- **विषय** : 'सतत् विकास और जलवायु समाधान में तेज़ी लाने के लिए साझेदारी'
- **अंतर्राष्ट्रीय गणमान्य व्यक्ति** :
  - गुयाना के प्रधानमंत्री ब्रिगेडियर मार्क फिलिप
  - ब्राज़ील की पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री मरीना सिल्वा

अन्य तथ्य

- नई दिल्ली में आयोजित कार्बन मार्केट प्रकृति-2025 पर पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, पारदर्शी संरचित कार्बन बाज़ार के लिए भारत के प्रयासों पर केंद्रित था।
  - ऊर्जा दक्षता ब्यूरो द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में उत्सर्जन को कम करने की रणनीतियों पर चर्चा करने के लिए 600 से अधिक विशेषज्ञ एकत्र हुए।
- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुवाहाटी में एडवांटेज असम 2.0 निवेश एवं अवसंरचना शिखर सम्मेलन 2025 का उद्घाटन किया, जिसमें पूर्वोत्तर की आर्थिक केंद्र के रूप में क्षमता पर ज़ोर दिया गया।
  - शिखर सम्मेलन के दौरान, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड और अडानी समूह दोनों ने अगले पाँच वर्षों में असम में 50,000 करोड़ रुपए निवेश करने की योजना की घोषणा की।
- भारत के पावर ग्रिड को मज़बूत करने और नवीकरणीय ऊर्जा एकीकरण में नवाचारों को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण कदम के रूप में, केंद्रीय विद्युत और आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री श्री मनोहर लाल ने ग्रिडकॉन 2025 अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन सह प्रदर्शनी का उद्घाटन किया।
- जल शक्ति मंत्रालय के राष्ट्रीय जल मिशन के तहत जल उपयोग दक्षता ब्यूरो द्वारा ऊर्जा और संसाधन संस्थान (टेरी) के सहयोग से आयोजित जल स्थिरता सम्मेलन 2025, एन.डी.एम.सी. कन्वेंशन सेंटर, नई दिल्ली में हुआ।
- म्यूनिख में चौथे 'नो मनी फॉर टेरर' (No Money For Terror) सम्मेलन में आतंकवाद के वित्तपोषण से निपटने के लिए वैश्विक पहल पर ध्यान केंद्रित किया गया। वर्ष 2018 से सक्रिय रूप से शामिल भारत ने आतंकवाद से निपटने में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ाने के लिए अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की।
- भारत ने 10 मार्च से 20 मार्च, 2025 तक जेनेवा में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की 353वीं शासी निकाय बैठक में सक्रिय रूप से भाग लिया। श्रम और रोज़गार मंत्रालय की सचिव सुश्री सुमिता डावरा के नेतृत्व में भारत ने सामाजिक सुरक्षा, निष्पक्ष प्रवासन मार्गों पर ज़ोर दिया।
- केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने वेवएक्स 2025 का अनावरण किया है जिसे फंडिंग, मेंटरशिप और राष्ट्रीय प्रदर्शन प्रदान करके मीडिया और मनोरंजन स्टार्टअप्स को समर्थन देने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

महत्त्वपूर्ण शब्दावली

क्लेन-लेविन सिंड्रोम (Kleine–Levin Syndrome)

इसे 'स्लीपिंग ब्यूटी सिंड्रोम' के नाम से जाना जाता है। यह एक अत्यंत दुर्लभ तंत्रिका संबंधी विकार है जो बार-बार अत्यधिक नींद आने का कारण होता है, जिसके कारण प्रायः असामान्य व्यवहार, संज्ञानात्मक परिवर्तन और परिवर्तित धारणा जैसी स्थितियाँ भी उत्पन्न होती है।

टोबिन टैक्स (Tobin Tax)

टोबिन टैक्स विदेशी मुद्रा लेनदेन पर लगाया जाने वाला कर है जिसका उद्देश्य अल्पकालिक सट्टा व्यापार को हतोत्साहित करना है। यह वित्तीय बाज़ारों में अस्थिरता को कम करने के लिए मुद्रा रूपांतरण पर एक शुल्क है।

भूकंप झंझावात (Earthquake Swarm)

भूकंपीय झंझावात की स्थिति तब उत्पन्न होती है जब तुलनात्मक रूप से कम तीव्रता की अनेक भूकंपीय घटनाएँ अपेक्षाकृत शीघ्रता से एक छोटे से क्षेत्र को कवर करती हैं।

सैंडविच जनरेशन (Sandwich Generation)

'सैंडविच जनरेशन' शब्द का उपयोग 35-54 वर्ष के आयु समूह के ऐसे व्यक्तियों को परिभाषित करने के लिए किया जाता है जो आश्रितों की दो पीढ़ियों 'बढ़ते बच्चों' और 'बुज़ुर्ग माता-पिता' के लिए वित्तीय रूप से प्रावधान करते हैं। यह शब्द 20वीं सदी के अंत में जीवन अवधि में वृद्धि तथा प्रसव आयु में देरी के कारण गढ़ा गया था।

हाइपोक्सिया (Hypoxia)

हाइपोक्सिया एक ऐसी गंभीर चिकित्सकीय स्थिति है जिसमें शरीर के ऊतकों को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है जिसके कारण शरीर के अंग ठीक से काम नहीं कर पाते है।

एलोपेसिया (Alopecia)

एलोपेसिया बालों के झड़ने के लिए एक सामान्य शब्द है। यह कई कारकों से हो सकता है, जिसमें उम्र बढ़ना, आनुवंशिकी, हार्मोनल परिवर्तन और चिकित्सा स्थितियाँ शामिल हैं।

डिजिटल ट्विन (Digital Twin)

यह किसी भौतिक वस्तु, प्रक्रिया या सेवा का एक डिजिटल प्रारूप होता है जो वास्तविक दुनिया में अपने समकक्ष के समान दिखता है और उसके समान ही व्यवहार करता है।

एक्सट्रीमोफाइल्स (Extremophiles)

चरम प्राकृतिक परिस्थितियों में रहने वाले सूक्ष्मजीवों को एक्सट्रीमोफाइल्स कहा जाता है। इन चरम परिस्थितियों में ज्वालामुखी, पर्माफ्रॉस्ट, गहरे समुद्र के नितल, ध्रुवीय बर्फ के नीचे झील, अंतरिक्ष यान के बाहरी भाग एवं परमाणु अपशिष्ट भंडारण स्थल इत्यादि शामिल हैं।

वेल्टनशाउंग (Weltanschauung)

यह एक जर्मन शब्द है जिसका तात्पर्य व्यक्तिगत जीवन या दुनिया की एक व्यापक अवधारणा, विशेष रूप से एक विशिष्ट दृष्टिकोण से है, जो लोगों के अपने निजी जीवन के अद्वितीय अनुभव से उत्पन्न होता है।

ओर्डो अमोरिस (Ordo Amoris)

इससे तात्पर्य जीवन में लोगों या वस्तुओं के प्रति प्रेम को उनके उचित पदानुक्रम में क्रमबद्ध करना है। यह ईसाई धर्म में कैथोलिक धर्मशास्त्री ऑगस्टीन की शिक्षाओं में गहराई से निहित है।

ट्रिकोटिलोमेनिया (Trichotillomania)

इसे ट्राइक या TTM के नाम से भी जाना जाता है। यह तब होता है जब कोई व्यक्ति अपने बालों को खींचने की इच्छा का विरोध नहीं कर पाता है। वे अपने सिर या अन्य जगहों जैसे कि अपनी भौहों या पलकों के बाल खींचते हैं। यह आमतौर पर 10 से 13 वर्ष की उम्र के बीच शुरू होता है।

संवैधानिक अंतर्विरोध (Constitutional Paradox)

इससे तात्पर्य सरकार की किसी एक शाखा द्वारा संवैधानिक मूल्यों एवं सिद्धांतों की अनदेखी कर दूसरी शाखा के अधिकार क्षेत्र में अतिव्यापन (Overlap) करने से है। उदाहरण के लिए, न्यायापालिका द्वारा कानून निर्माण या कार्यपालिका द्वारा नियुक्तियों के अधिकार क्षेत्र का अतिव्यापन करने से संविधान द्वारा निर्धारित शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत की अवहेलना होती है।

एबित्डा (EBITDA: Earnings before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization)

यह ब्याज, कर, मूल्यह्रास एवं परिशोधन से पहले की आय का संक्षिप्त रूप है। यह किसी कंपनी के वित्तीय स्वास्थ्य एवं नकदी उत्पन्न करने की क्षमता का सबसे व्यापक रूप से प्रयोग किया जाने वाला माप है।

हुल नीति (Hull Policy)

यह एक प्रकार की समुद्री बीमा नीति है जो किसी बीमित पोत या बेड़े को समुद्र के किसी खतरे या कवर किए गए अन्य खतरों के कारण होने वाली भौतिक क्षति से बचाता है जब पोत या जहाज़ पानी के ऊपर से गुज़र रहा हो।

परिसीमन (Delimitation)

व्यापक अर्थों में इससे तात्पर्य किसी देश या प्रांत में विधायिका के लिए प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाएँ तय करने की प्रक्रिया से होता है।

ब्रह्मांडीय मुद्रास्फीति (Cosmic Inflation)

यह लगभग 14 अरब वर्ष पूर्व की अवधि को संदर्भित करता है जिस दौरान ब्रह्मांड एक सेकंड के अंश के लिए प्रकाश की गति से भी अधिक तेज़ी से फैला था।

वेट बल्ब तापमान (Wet Bulb Temperature)

यह वह न्यूनतम तापमान है जिस तक (स्थिर दबाव पर) वायु में पानी के वाष्पीकरण द्वारा हवा को ठंडा किया जा सकता है। इसका प्रयोग मानव शरीर के ताप सहन करने की क्षमता के लिए भी किया जाता है। मानव शरीर के लिए इसकी सीमा 35°C या 95°F है जिसके बाद शरीर पसीने के वाष्पीकरण के माध्यम से खुद को ठंडा नहीं कर सकता है, जिससे संभावित रूप से हीट स्ट्रोक एवं मौत हो सकती है।

पर्याप्त विधान (Adequate Legislation)

इससे तात्पर्य ऐसे कानूनों से है जो अपने इच्छित उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए वैधानिक एवं यथोचित रूप से पर्याप्त हों तथा आवश्यक मानकों व आवश्यकताओं को पूरा करते हों। कानूनी संदर्भ में 'पर्याप्त' का तात्पर्य यह है कि कानून न केवल मौजूद है बल्कि प्रभावशीलता एवं निष्पक्षता के न्यूनतम मानकों को भी पूरा करता है।

जड़ रंगवाद (Entrenched Colourism)

यह त्वचा के रंग के आधार पर गहराई से जड़ जमाए हुए सामाजिक पूर्वाग्रह एवं भेदभाव को संदर्भित करता है जहाँ प्रायः गहरे रंग की त्वचा की तुलना में गोरी त्वचा को तरजीह दी जाती है जिससे जीवन के विभिन्न पहलुओं में असमानताएँ उत्पन्न होती हैं।

प्रतिशोधवाद (Revanchism)

यह एक राजनीतिक सिद्धांत है जिसका उद्देश्य आक्रामक तरीके से खोए हुए क्षेत्र को पुनः प्राप्त करना है। कुछ विशेषज्ञ रूस के वर्ष 2022 में यूक्रेन पर आक्रमण को प्रतिशोधवाद का एक उदाहरण बताते हैं।

❑❑❑

महत्त्वपूर्ण पत्रिकाओं का सार

योजना

बजट 2025: भारतीय अवसंरचना में प्रगति

संदर्भ

पिछले 10 वर्षों में राष्ट्रीय राजमार्गों का नेटवर्क 60% बढ़ चुका है। देश की 99% आबादी ग्रामीण सड़कों से जुड़ चुकी है। नवीकरणीय ऊर्जा की क्षमता तेज़ी से बढ़कर कुल ऊर्जा का 47% हो गई है। केंद्रीय बजट 2025-26 एवं आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 में भारत को वर्ष 2047 तक 300 खरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का महत्त्वाकांक्षी दृष्टिकोण प्रस्तुत किया गया है। सरकार ने अवसंरचना आधुनिकीकरण एवं आत्मनिर्भरता की गति को आगे बढ़ाते हुए जलपोत निर्माण की ओर ध्यान दिया है। भारत की समुद्री क्षमता बढ़ाने और मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में रोज़गार सृजन के लिए जलपोत निर्माण एक महत्त्वपूर्ण उद्योग है।

2014-2024 की विरासत : प्रगति की बुनियादें

- राष्ट्रीय राजमार्गों का नेटवर्क 60% की वृद्धि के साथ वर्ष 2014 में 9,1287 किमी. से बढ़कर वर्ष 2024 में 146145 किमी. हो गया है। इससे माल ढुलाई के व्यय में 15% की उल्लेखनीय कमी आई है। भारतीय बंदरगाहों की माल निर्वहन क्षमता दोगुनी होकर 1630 मिलियन टन हो गई और वैश्विक जहाज़रानी रैंकिंग में भारत 44वें से बढ़कर 22वें पर पहुँच गया है।
- शहरों में आवासन की तंगी को दूर करने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अंतर्गत 1.18 करोड़ रिहायशी इकाइयाँ निम्न आय वाले परिवारों को दी गईं। शहरी अवसरंचना में अत्यधिक वृद्धि हुई और मेट्रो नेटवर्क 248 किमी. से चार गुना बढ़कर 993 किमी. हो गया।

भारतीय अवसंरचना का नवयुग

- वर्ष 2016 का रियल एस्टेट नियमन एवं विकास अधिनियम से अब तक अपारदर्शी रहे ज़मीन-ज़ायदाद के बाज़ार में पारदर्शिता व जवाबदेही आई है। इस सुधार तथा वस्तु एवं सेवा कर पर क्रियान्वयन ने संयुक्त रूप से बाज़ार की गतिकी को बदलने के साथ ही उपभोक्ता संरक्षण को बढ़ावा दिया और समूची निर्माण मूल्य शृंखला को सुचारु बनाया है। जी.एस.टी. के क्रियान्वयन ने जटिल कर ढाँचे से उत्पन्न होने वाले प्रभाव को कम किया है और इस ढाँचे का सरलीकरण कर अवसंरचना क्षेत्र के लिए परिवर्तनकारी सिद्ध हुआ है।
- निर्माणाधीन संपत्तियों एवं किफायती आवास परियोजनाओं के लिए जी.एस.टी. दरों को तार्किक बनाए जाने से मांग को बल व सरकार के सबके लिए घर के मिशन को समर्थन मिला है। रियल एस्टेट बाज़ार का पहिया विकास के एक ठोस चरण में प्रवेश कर चुका है। इसका सबूत सभी बड़े बाज़ारों में रिकॉर्ड बिक्री और लगातार मूल्य वृद्धि है। रियल एस्टेट क्षेत्र में अभूतपूर्व संस्थागत निवेश देखने को मिला है। नेशनल इन्फ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन और पीएम गति शक्ति जैसी पहल के ज़रिए सरकार ने अवसंरचना पर ज़ोर दिया है।

बजट 2025 : भविष्य में प्रवेश का गतिवर्द्धन

- संघीय बजट 2025-26 में जलपोत निर्माण को अवसंरचना का दर्जा देने का फैसला एक बड़ा कदम है। बजट 2025 का एक अन्य महत्त्वपूर्ण स्तंभ शहरी कायाकल्प का कार्यक्रम है। इसमें एक लाख करोड़ रुपए का शहरी चैलेंज कोष बनाने की घोषणा की गई है जिससे स्मार्ट शहरों में 25% बैंक ग्राह्य परियोजनाओं, जल एवं स्वच्छता अवसंरचना तथा परिवहन-उन्मुख विकास के लिए धन की व्यवस्था की जाएगी।
- मेट्रो रेल विकास योजना में प्रतिवर्ष 300 किमी. नई लाइनें बिछाने का लक्ष्य रखा गया है। इससे वर्ष 2030 तक मेट्रो लाइनों की कुल लंबाई 1500 किमी. हो जाएगी। सरकार आवासन को अब भी शीर्ष प्राथमिकता दे रही है। पीएम आवास योजना (शहरी) 2.0 में 80 लाख किफायती रिहायशी इकाइयों के निर्माण के लिए 2.2 लाख करोड़ रुपए की बड़ी रकम रखी गई है। इससे उपलब्ध शहरी आवासों का अभाव दूर होगा और लाखों शहरियों की जीवन गुणवत्ता में सुधार आएगा।

बजट 2025 : जहाज़ निर्माण क्षेत्र

- भारत के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का 95% से अधिक हिस्सा समुद्री मार्गों के ज़रिए होता है। भारत की यह भौगोलिक एवं भू-राजनीतिक स्थिति समुद्री मार्ग की क्षमता को न केवल मज़बूत बनाने की ज़रूरत पर ज़ोर देती है बल्कि देश की आर्थिक सुरक्षा के लिए भी बहुत आवश्यक है। भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है, लेकिन देश को नौवहन क्षेत्र में गंभीर चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है।
- बंदरगाह लॉजिस्टिक के साथ ही नौवहन क्षेत्र से जुड़े अन्य क्षेत्र,

जैसे- जहाज़ निर्माण, जहाज़ स्वामित्व एवं जहाज़ पंजीकरण बिंदुओं पर ध्यान देने की रणनीति अपनाने की आवश्यकता है। जहाज़ों के स्वामित्व में भारत की वैश्विक हिस्सेदारी केवल 1.2% है। जहाज़ निर्माण में भारत के पास वैश्विक बाज़ार हिस्सेदारी का केवल 0.07% हिस्सा है, जबकि चीन का इस क्षेत्र में 46.6% हिस्सेदारी के साथ वर्चस्व है।

- भारत अपने लगभग 95% अंतर्राष्ट्रीय माल ढुलाई के लिए विदेशी जहाज़ों पर निर्भर है। वर्ष 2022-23 में विदेशी कंपनियों को समुद्री माल ढुलाई शुल्क के रूप में 75 बिलियन डॉलर की विदेशी मुद्रा का भुगतान किया गया। यह निर्भरता आर्थिक परिणाम से आगे जाकर गंभीर कमज़ोरी में तब्दील हो सकती है। हालाँकि, भारत के पास समुद्री प्रभुत्व के लिए बुनियादी लाभ हैं। देश ने परमाणु पनडुब्बियों एवं विमान वाहकों के डिज़ाइन व निर्माण में उन्नत क्षमता हासिल की है। भारत नाविक आपूर्ति में विश्व में तीसरे स्थान पर है जो दुनिया भर में समुद्री कार्यबल का 10-12% योगदान देता है।
- एक ऐतिहासिक कदम के रूप में भारत के बजट 2025 में बड़े जहाज़ों को हार्मोनाइज़्ड मास्टर लिस्ट में शामिल करके उन्हें बुनियादी ढाँचे का दर्जा देकर जहाज़ निर्माण को औद्योगिक नीति में सबसे आगे रखा है। यह रणनीतिक निर्णय नव-स्थापित 25,000 करोड़ रुपए के समुद्री विकास कोष जहाज़ निर्माण क्लस्टर एवं अनुसंधान पहलों के लिए महत्त्वपूर्ण सहायता प्रदान करने के बेहतर वित्तपोषण के मार्ग खोलता है।
- वर्तमान में मात्र 0.06% बाज़ार हिस्सेदारी के साथ भारत वैश्विक स्तर पर 22वें स्थान पर है। भारत ने वर्ष 2030 तक शीर्ष के 10 जहाज़ निर्माण देशों में शामिल होने का महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है जो कि समुद्री विनिर्माण उत्कृष्टता के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
- नीतिगत ढाँचा केवल वित्तीय प्रोत्साहनों तक सीमित नहीं है बल्कि यह एक व्यापक दृष्टिकोण को भी शामिल करता है, जिसमें जहाज़ के घटकों पर लक्षित कस्टम ड्यूटी छूट एवं नवाचारी शिपब्रेकिंग क्रेडिट नोट्स शामिल हैं, जो घरेलू रीसाइक्लिंग को प्रोत्साहित करने के लिए स्क्रैप मूल्य का 40% प्रतिपूर्ति करते हैं।
- तटीय नौवहन विधेयक, 2024 का उद्देश्य तटीय व्यापार के लिए एक व्यापक नियामक ढाँचा तैयार करना, भारतीय ध्वज वाले जहाज़ों पर प्रतिबंध हटाना और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए एक राष्ट्रीय डाटाबेस स्थापित करना है।
- समुद्री माल परिवहन विधेयक, 2024 कानूनी ज़िम्मेदारियों को स्पष्ट करने और विवादों के समाधान की प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने पर केंद्रित है। बिल ऑफ लैडिंग विधेयक, 2024 औपनिवेशिक युग के कानून की जगह शिपिंग दस्तावेज़ों को आज के समय अनुसार बनाता है। इन सुधारों का मुख्य उद्देश्य अनुपालन बोझ को कम करना और समुद्री क्षेत्र में व्यापार करने में आसानी को बढ़ावा देना है।
- भारत का 2025 का बजट जहाज़ निर्माण एवं समुद्री बुनियादी ढाँचे पर इसके खास फोकस की वजह से देश के विकास पथ का एक महत्त्वपूर्ण चरण कहा जा सकता है। जहाज़ निर्माण को बुनियादी ढाँचे का दर्जा देकर 25,000 करोड़ रुपए के समुद्री विकास कोष की स्थापना करके और व्यापक विनियामक सुधारों को लागू करके देश आज लाखों नौकरियों का सृजन करने की ओर अग्रसर है।

बजट 2025-26 : कर सुधारों की ओर

संदर्भ

कर अनुपालन को सरल बनाने, दरों को युक्तिसंगत बनाने और स्वैच्छिक भागीदारी को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से केंद्रीय बजट 2025-26 में सुधार किए गए हैं। वर्ष 2025-26 वित्त विधेयक का उद्देश्य व्यक्तियों एवं व्यवसायों पर बोझ को कम करना, अनुपालन को सरल बनाना और अधिक निवेश-अनुकूल वातावरण को बढ़ावा देना है।

मध्यम वर्ग के लिए राहत : कर में कमी, आय में अधिक आसानी

- व्यक्तिगत आयकर स्लैब का पुनः निर्धारण इस बजट की सबसे बड़ी विशेषताओं में शुमार है। सरकार ने 12 लाख रुपए प्रतिवर्ष तक की आय वालों के लिए कर देयता कम कर दी है। इसका अर्थ है कि लोगों की जेब में अधिक पैसा आएगा और खर्च को बढ़ावा मिलेगा तथा मांग एवं आर्थिक गतिविधि को बढ़ावा मिलेगा। यह केवल कर की बचत के बारे में नहीं है, यह लोगों की वित्तीय सशक्तता के बारे में है।
- कर निर्धारण को अधिक सरल बनाने के लिए संशोधित कर स्लैब अनावश्यक जटिलता को समाप्त करते हैं। अपने कब्ज़े वाली संपत्ति के संदर्भ में कराधान पर पुराने प्रतिबंधों को हटाना इसका एक अन्य महत्त्वपूर्ण सुधार है। इस बदलाव के साथ, जो लोग दो घरों के मालिक हैं और रोज़गार की बाधाओं या व्यक्तिगत कारणों से उनका उपयोग या कब्ज़ा नहीं कर सकते हैं, उन्हें अब अनुचित रूप से दंडित नहीं किया जाएगा।

कर अनुपालन में आसानी एवं तनाव में कमी

- बजट 2025-26 में आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करने की समय सीमा 24 महीने से बढ़ाकर 48 महीने कर दी गई है। इससे व्यक्तियों एवं व्यवसायों को अत्यधिक दंड के डर के बिना फाइलिंग से संबंधित किसी भी त्रुटि को ठीक करने के लिए अतिरिक्त समय मिलता है।

- अनिवासी भारतीयों (NRI) के लिए सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण सुविधाओं से संबंधित सेवाओं के लिए अनुमानित कराधान शुरू किया है। यह कदम कर के संदर्भ में अधिक स्पष्टता प्रदान करता है जिससे भारत एक अधिक आकर्षक निवेश गंतव्य बन जाता है। सरकार ने स्रोत पर कर कटौती (TDS) एवं स्रोत पर कर संग्रह (TCS) प्रावधानों को युक्तिसंगत बनाया है। यह बजट उन अक्षमताओं को समाप्त करता है जिससे व्यवसायों एवं व्यक्तियों दोनों के लिए एक सहज प्रक्रिया सुनिश्चित होती है। व्यवसायों के लिए, टी.सी.एस. भुगतान में देरी अब आपराधिक दायित्व नहीं होगी।

निवेश एवं आर्थिक विकास को प्रोत्साहन

- बजट 2025-26 निरंतर निवेश आकर्षित करने, उद्यमशीलता को बढ़ावा देने और प्रमुख उद्योगों को मज़बूत करने पर केंद्रित है। स्टार्टअप के लिए 1 अप्रैल, 2030 तक निगमित व्यवसायों को कर लाभ का विस्तार किया गया है। भारत के तेज़ी से बढ़ते स्टार्टअप इकोसिस्टम को देखते हुए यह कदम सुनिश्चित करता है कि नए उद्यमों को बढ़ने, नवाचार करने और रोज़गार सृजित करने के लिए आवश्यक समर्थन प्राप्त होना चाहिए।
- भारतीय शिपिंग कंपनियों के लिए नई टन भार कर योजना के साथ शिपिंग उद्योग को भी बढ़ावा मिलता है जिसमें अंतर्देशीय जहाज़ भी शामिल हैं। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र (IFSC) वैश्विक निवेशकों को आकर्षित करने के लिए लक्षित कर प्रोत्साहनों के साथ एक प्रमुख फोकस बना हुआ है। आई.एफ.एस.सी. में संचालित जहाज़ के पट्टे वाली इकाइयों के लिए पूंजीगत लाभ एवं लाभांश पर छूट भारत को एक अधिक आकर्षक वित्तीय केंद्र बनाएगी।

एक बेहतर, निष्पक्ष कर प्रणाली

- यह बजट विवादों को कम करने और कर प्रशासन दक्षता में सुधार के लिए संरचनात्मक परिवर्तन करता है। छोटे धर्मार्थ ट्रस्टों के लिए, पंजीकरण अवधि को पाँच वर्ष से बढ़ाकर दस वर्ष करके अनुपालन को सरल बनाया गया है। एक अन्य बड़ा सुधार हस्तांतरण मूल्य निर्धारण के लिए एक बहु-वर्षीय संरचना है। यह व्यवसायों को कई वर्षों में अपनी आर्म्स लेंथ प्राइस (ALP) निर्धारित करने की सुविधा प्रदान करता है। यह भारत में संचालित बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लिए बहुत आवश्यक पूर्वानुमान प्रदान करता है।
- कर प्रशासन को अधिक प्रभावी बनाने में डिजिटलीकरण महत्त्वपूर्ण है। सरकार प्रक्रिया में लगने वाले समय को कम करने, सटीकता में सुधार करने और तेज़ी से विवाद समाधान सुनिश्चित करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से कर आकलन एवं त्वरित निगरानी का लाभ उठा रही है।

प्रमुख प्रत्यक्ष कर सुधार

वर्ष 2014

- स्विस बैंक खातों में जमा काले धन की जाँच के लिए विशेष जाँच दल गठित।
- डॉ. पार्चसारथी शोम के नेतृत्व वाले कर प्रशासन सुधार आयोग ने विश्व की सर्वोत्तम पद्धतियों के संदर्भ में व्यावहार्य कर नीतियों और कर अधिनियमों की समीक्षा रिपोर्ट तथा कर प्रशासन को प्रभावी व दक्ष बनाने के लिए कर प्रशासन में सुधारों के लिए सुझाव सौंपे।

वर्ष 2015

- संपत्ति कर अधिनियम, 1957 में लगा संपत्ति कर समाप्त किया गया।
- प्रभावी प्रबंधन के स्थान की अवधारणा लागू की गई।

वर्ष 2016

- लेवी एक-सी रखने की व्यवस्था लागू की गई।
- बेस एरोज़न एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग (Base Erosion and Profit Shifting) उपाय लागू करने के लिए देशवार रिपोर्ट पेश की गई।
- पेशेवर लोगों के लिए आनुमानिक कराधान योजना शुरू की गई।
- पीएम गृह कल्याण योजना के लिए कोष एकत्र करने की आय घोषणा योजना शुरू की गई।

वर्ष 2017

- मूल देय तिथि निकल जाने के बाद आयकर रिर्टन दाखिल करने वाले करदाताओं पर शुल्क लगाने की योजना शुरू की गई।
- 2,50,000 रुपए से 5,00,000 रुपए के सबसे निचले स्लैब की कर दर 10% से घटाकर 5% की गई।

वर्ष 2018

- वैतनिक व्यक्तियों के लिए मानक कटौती फिर लागू की गई।
- आकलन कार्यवाही को इलेक्ट्रोनिक ढंग से चलाने के लिए 'ई-प्रोसीडिंग' योजना शुरू की गई।

वर्ष 2019

- घरेलू कंपनियों के लिए वैकल्पिक व्यवस्था शुरू की गई।
- कम नकदी वाली अर्थव्यवस्था की दिशा में बढ़ने के उद्देश्य से स्रोत पर कर कटौती की योजना शुरू की गई जो निर्धारित सीमा से अधिक नकद राशि की निकासी पर लागू होनी थी।
- पैन एवं आधार एक-दूसरे के स्थान पर प्रयोग किए जा सकते हैं।
- विभाग के कामकाज में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए दस्तावेज़ पहचान संख्या (DIN) शुरू की गई।
- ई-आकलन योजना, 2019 शुरू की गई।

वर्ष 2020

- फेसलैस आकलन योजना 2020 और फेसलैस अपील योजना 2020 लागू की गई।

- निजी करदाताओं के लिए नई आयकर व्यवस्था में रियायती कर दरें घोषित की गईं।
- लाभांश वितरण कर समाप्त कर दिया गया।
- मुकदमेबाज़ी कम करके सरकारी राजस्व जुटाने के उद्देश्य से 'विवाद से विश्वास' योजना लाई गई।

वर्ष 2021

- नया ई-फाइलिंग पोर्टल शुरू किया गया।
- पुनआर्कलन एवं आकलन ढूँढने की नई योजना सर्च आकलन लागू की गई। आई.टी.ए.टी. के समक्ष हाज़िर हुए बिना फेसलैस कार्यवाही की व्यवस्था लागू की गई।
- अग्रिम व्यवस्था के लिए बोर्ड का गठन किया गया।
- समझौता (निपटान) आयोग समाप्त कर दिया गया।

वर्ष 2022

- वर्चुअल डिजिटल संपत्तियों पर कर लगाने की व्यवस्था शुरू की गई।
- कोविड-19 से जुड़े मुआवज़े पर कर राहत लागू की गई।
- 'अपडेटिड रिटर्न' शुरू की गई जो रिटर्न दाखिल करने की संशोधित तिथि समाप्त होने के बाद भी दाखिल की जा सकती है।

वर्ष 2023

- नई आयकर व्यवस्था में आयकर से छूट की सीमा 5 लाख रुपए से बढ़ाकर 7 लाख रुपए की गई।
- 15% निगमित कर लाभ उन नई सहकारी समितियों को भी देने का फैसला किया गया जो 31 मार्च, 2024 तक उत्पादन शुरू करने लगेंगी।
- स्टार्टअप्स को आयकर लाभ पहुँचाने के उद्देश्य से उनकी स्थापना की तारीख एक वर्ष के लिए और बढ़ा दी गई।

वर्ष 2024

- सभी वर्गों के निवेशकों के लिए एंज़िल कर समाप्त कर दिया गया। हीरे बेचने वाली विदेशी कंपनियों के लिए निगमित कर दर 40% से घटाकर 35% की गई।
- वैतनिक कर्मचारियों के लिए मानक कटौती 50,000 रुपए से बढ़ाकर 75,000 रुपए की गई।

वर्ष 2025

- 12 लाख रुपए तक की वार्षिक आय वालों पर कोई आयकर नहीं (वैतनिक कर्मचारियों के लिए राशि 12.75 लाख रुपए होगी)। तीन वर्ष की अवधि के ब्लॉक के लिए अंतर्राष्ट्रीय लेनदेन पर आर्म्स लेंग्थ प्राइस योजना का प्रस्ताव।
- सुरक्षित हार्बर नियमों के क्षेत्र का विस्तार किया गया, ताकि मुकदमेबाज़ी कम हो और अंतर्राष्ट्रीय कर व्यवस्था में निश्चितता आए।
- इलेक्ट्रॉनिक मैन्यूफैक्चरिंग योजनाओं के लिए कर निश्चितता।
- स्टार्टअप्स के लिए स्थापना की अवधि में 5 वर्ष का विस्तार।

निष्कर्ष : एक संतुलित, विकासोन्मुख कर का विज़न

कर प्रशासन में सुधार के लिए पिछले कुछ वर्षों के दौरान किए गए सुधारों की श्रृंखला भारत के लगातार बढ़ते कर-से-जी.डी.पी. अनुपात में परिलक्षित होती है जो वित्त वर्ष 2024-25 (संशोधित अनुमान) में 11.9% है। वित्त वर्ष 2024-25 (संशोधित अनुमान) के लिए जी.डी.पी. में प्रत्यक्ष कर 6.9% है। केंद्रीय बजट 2025-26 एक ऐसी कर प्रणाली बनाने की दिशा में आगे बढ़ता है जो निष्पक्ष, प्रभावी व भारत की आर्थिक महत्त्वाकांक्षाओं के अनुरूप हो।

पर्यावरण अनुकूल बजट

संदर्भ

- भारत ने अपनी प्रतिबद्धता की समय सीमा से एक दशक पहले ही सकल घरेलू उत्पाद (GDP) में निहित कार्बन तीव्रता (किसी अर्थव्यवस्था की प्रति इकाई, आर्थिक उत्पादन या गतिविधि के लिए उत्सर्जित कार्बन डाइ-ऑक्साइड) की मात्रा को वर्ष 2005 के स्तर से 36% तक कम कर दिया है।
- भारत ने अपने राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (NDC) के तहत वर्ष 2030 तक उत्सर्जन तीव्रता में कमी के लक्ष्य को बढ़ाकर 45% कर दिया है। वित्त वर्ष 2025-26 के केंद्रीय बजट ने भारत के जलवायु लक्ष्यों की प्रतिबद्धता को मज़बूती दी है और इसे देश की आर्थिक विकास योजनाओं का अभिन्न हिस्सा बना दिया है। इस बजट में स्वच्छ ऊर्जा, परिवहन एवं महत्त्वपूर्ण खनिजों सहित जलवायु कार्रवाई के सभी पहलुओं का समर्थन किया गया है।

हरित क्षेत्रों की नीतियों के कार्यान्वयन एवं शासन में सुधार

- वित्त मंत्रालय ने पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के बजट में लगभग 10% की वृद्धि की है जिससे इसका आवंटन पिछले बजट के 3,125.96 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 3,412.82 करोड़ रुपए कर दिया गया है। यह हरित क्षेत्रों में नीतियों व प्रबंधन को सुधारने की भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
- देश में इस्तेमाल होने वाले ऊर्जा के विभिन्न स्रोतों में नवीकरणीय ऊर्जा का हिस्सा प्रतिवर्ष बढ़ रहा है। इस प्रगति को और आगे बढ़ाने के लिए वर्ष 2025-26 के बजट में नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के बजट में 39% की उल्लेखनीय वृद्धि की गई।

वितरित सौर ऊर्जा पर ज़ोर

- सौर ऊर्जा को बजट में अधिक आवंटन मिला है। वित्त वर्ष 2025-26 के बजट में वितरित ऊर्जा क्षेत्र का आवंटन बढ़ाकर 22,600 करोड़ रुपए कर दिया गया है। फरवरी 2024 में शुरू की गई पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के तहत 300 यूनिट तक नि:शुल्क सौर उत्पन्न बिजली प्रदान की जाती है।

- इस कार्यक्रम ने घरों को राष्ट्रीय जलवायु शमन योजनाओं से जोड़ने में सफलता प्राप्त की है और बिजली की गुणवत्ता में महत्त्वपूर्ण सुधार किया है। इसी प्रकार, पीएम-कुसुम योजना के लिए बजट आवंटन भी बढ़ाकर 2,600 करोड़ रुपए कर दिया गया है। इस योजना का उद्देश्य कृषि क्षेत्र में सौर ऊर्जा के ज़रिए पानी के पंपों को संचालित करना है।

स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन एवं निर्माण : संतुलन व प्राथमिकताओं को सही से समायोजित करना

- वर्ष 2025-26 का बजट औद्योगिक नीतियों को इस तरह से समायोजित करने के लिए तैयार किया गया है जिससे देश को स्वच्छ प्रौद्योगिकी निर्माण क्षमता मज़बूत हो और जलवायु तकनीकों के लिए आयातित सामग्रियों पर निर्भरता कम हो। नवीकरणीय ऊर्जा के सुचारु ट्रान्समिशन के लिए ट्रान्समिशन लाइनों का निर्माण करने एवं इसे ग्रिड से जोड़ने से नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के विकास में समर्थन मिलेगा। हरित ऊर्जा गलियारों के लिए बजट आवंटन को बढ़ाकर 600 करोड़ रुपए कर दिया गया जिससे सौर एवं पवन ऊर्जा हेतु अवसंरचना का निर्माण तथा ट्रान्समिशन आसान हो सकेगा।
- बिजली वितरण कंपनियों के सुधारों के तहत राज्यों को अतिरिक्त ऋण लेने की अनुमति दी गई है जो नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र के लिए एक सकारात्मक संकेत है। बजट ने हरित हाइड्रोजन क्षेत्र को भी बढ़ावा दिया है जिसके तहत इसके लिए आवंटन को दोगुना कर 300 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 600 करोड़ रुपए कर दिया गया है।
- परमाणु ऊर्जा-भारत की ऊर्जा सुरक्षा एवं पर्यावरण अनुकूल ऊर्जा की दिशा में दूरदर्शी कदम
- 28वें अंतर्राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन सम्मेलन (COP28) में कार्बन उत्सर्जनमुक्त होने के लक्ष्यों को प्राप्त करने में परमाणु ऊर्जा की महत्त्वपूर्ण भूमिका को स्वीकार किया गया। वर्ष 2024 के मध्य तक भारत की परमाणु ऊर्जा क्षमता केवल 8.2 गीगावाट थी, जबकि 2022-23 में कुल बिजली उत्पादन में इसका योगदान मात्र 2.8% का था। हाल में घोषित परमाणु मिशन के अंतर्गत वर्ष 2047 तक 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा क्षमता स्थापित करने का लक्ष्य है।
- स्वदेशी छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर (SMR) विकसित करने का प्रस्ताव कई आवश्यकताओं को पूरा कर सकता है, जैसे- कठिन भौगोलिक परिस्थितियों में कार्बन उत्सर्जक ऊर्जा संयंत्रों का प्रतिस्थापन, नवीकरणीय ऊर्जा को ग्रिड से जोड़ते समय ग्रिड स्थिरता सुनिश्चित करना, समुद्री जहाज़ों की ऊर्जा ज़रूरतों को पूरा करना, आदि।
- अगले दशक में भारत में कई ऊर्जा खपत वाले डाटा केंद्रों की संख्या में वृद्धि होगी। इन केंद्रों की बिजली खपत वर्ष 2030 तक बढ़कर भारत की कुल बिजली खपत के 3% तक पहुँच सकती है। एस.एम.आर. तकनीक डाटा केंद्रों के लिए एक संभावित स्वच्छ ऊर्जा समाधान बन सकती है।
- परमाणु क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ावा देने की घोषणा इस उद्योग के विस्तार के लिए महत्त्वपूर्ण होगी। अनुसंधान एवं विकास के लिए 20,000 करोड़ रुपए का बजट आवंटन तकनीक के विकास और उसे उन्नत करने में महत्त्वपूर्ण होगा, जिससे कि निजी क्षेत्र इसमें निवेश के लिए आकर्षित हो सकेगा।

आवागमन

- इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग करने से भारत की ऊर्जा सुरक्षा मज़बूत होगी और देश को वैश्विक तेल कीमतों में उतार-चढ़ाव से उत्पन्न विदेशी मुद्रा बाज़ार के जोखिमों से बचाने में मदद मिलेगी।
- वर्ष 2025-26 के बजट ने इलेक्ट्रिक वाहन निर्माण की घरेलू क्षमता को बढ़ाने और ई.वी. तंत्र में आपूर्ति शृंखला की अनिश्चितताओं को कम करने हेतु इलेक्ट्रिक वाहनों के आपूर्ति पक्ष पर ज़ोर दिया है। इसके तहत कोबाल्ट, लिथियम-आयन बैटरी स्क्रैप, सीसा व जस्ता जैसी महत्त्वपूर्ण सामग्रियों पर मूल सीमा शुल्क (BCD) को हटाने से ई.वी. निर्माण लागत घटेगी और भारत में ई.वी. विनिर्माण आधार मज़बूत होगा।

पुनर्चक्रण

भारत को विकसित एवं हरित अर्थव्यवस्था बनने के लिए भारी मात्रा में कच्चे माल की आवश्यकता होगी किंतु, हरित अर्थव्यवस्था के लिए केवल अप्रयुक्त कच्चे माल पर निर्भर रहना व्यावहारिक नहीं है। चक्रीय अर्थव्यवस्था ऊर्जा खपत को 11% तक कम कर सकती है। बजट में जहाज़ निर्माण क्षेत्र एवं अवशेषों से महत्त्वपूर्ण खनिजों की प्राप्ति हेतु वित्तीय लाभों की घोषणा की गई है जो देश में चक्रीय अर्थव्यवस्था का मार्ग प्रशस्त करेंगे।

कृषि क्षेत्र पर ध्यान

जलवायु परिवर्तन के कारण होने वाली विषम मौसमी घटनाओं जैसे अत्यधिक गर्मी और जल संकट से कृषि उपज व खाद्य उत्पादन में गिरावट आ सकती है। आर्थिक सर्वेक्षण में पहले ही इन्हें उजागर किया गया था। इसके लिए 'उच्च उपज वाले बीजों के लिए राष्ट्रीय मिशन' की घोषणा की गई है। इसका उद्देश्य बदलती जलवायु परिस्थितियों को सहने में सक्षम बीजों का विकास करना है, ताकि किसान अत्यधिक विषम मौसमी घटनाओं का सामना कर सकें और भारत की खाद्य सुरक्षा को मज़बूती मिले।

समग्र कार्रवाई

- भारत की जैव-विविधता के प्रति संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए, प्राकृतिक संसाधनों एवं पारिस्थितिक तंत्रों का संरक्षण

आवश्यक है, ताकि जैव-विविधता बनी रहे और जलवायु को नियंत्रित किया जा सके। इन संसाधनों के संरक्षण से कमज़ोर समुदायों के लिए सतत् आजीविका को भी समर्थन मिलेगा। जलीय पारिस्थितिक तंत्रों की सुरक्षा से स्वच्छ जल की उपलब्धता सुनिश्चित होती है, मत्स्यपालन को बढ़ावा मिलता है और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से बचाव की क्षमता बढ़ती है।

- वित्त वर्ष 2026 के बजट में प्राकृतिक संसाधनों और पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण, जलीय पारिस्थितिकी तंत्रों की सुरक्षा, 'प्रोजेक्ट टाइगर (बाघ)' एवं 'प्रोजेक्ट एलीफैंट (हाथी)' के लिए अधिक धनराशि आवंटित की गई है। यह दर्शाता है कि भारत पर्यावरण संरक्षण एवं पारितंत्र की विविधता को बनाए रखने के लिए व्यापक उपायों के प्रति वचनबद्ध है।
- सतत् शहरी विकास के लिए शहरी विकास कोष की स्थापना
- वित्त वर्ष 2026 के बजट में 'शहरी चुनौती कोष' स्थापित करने की भी घोषणा की गई है, जिसके तहत भारत के विकास वाहक के रूप में कार्य करने वाले शहरों के विकास के लिए 1 लाख करोड़ रुपए जुटाए जाएंगे। जल एवं स्वच्छता शहरी क्षेत्रों के लिए प्रमुख चुनौतियाँ हैं और बजट ने इस कोष में बहुत महत्त्व दिया है। बजट के तहत शहरों को लाभदायक परियोजनाओं के विकास के लिए प्रोत्साहित किया गया है जिसमें केंद्र सरकार की ओर से परियोजना लागत पर 25% तक वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।
- केंद्रीय बजट 2025-26 भारत की हरित एवं सतत् अर्थव्यवस्था की महत्त्वाकांक्षा को सशक्त करता है और देश को अत्यधिक जलवायु परिस्थितियों को सहने में सक्षम बनाता है। इसके अलावा जलवायु प्रौद्योगिकियों के लिए भारत को एक प्रतिस्पर्द्धी विनिर्माण केंद्र बनाने पर ध्यान केंद्रित करना देश को आत्मनिर्भर बनाएगा और वैश्विक तापमान वृद्धि को सीमित करने के साझा लक्ष्य को प्राप्त करने में अन्य देशों की भी सहायता करेगा।

महिलाओं के प्रति हिंसा की रोकथाम :बहुक्षेत्रीय पहल

संदर्भ

- महिलाओं के प्रति हिंसा भारत में सबसे अहम सामाजिक-कानूनी चुनौतियों में से है। लगातार सुधरे हुए कानूनी प्रारूप और नीतिगत प्रयासों के बावजूद महिलाओं को यहाँ अब भी घरेलू हिंसा, यौन प्रताड़ना, यौन-तस्करी, सम्मान के नाम पर हत्या, साइबर हिंसा एवं कार्यस्थल में प्रताड़ना जैसे विभिन्न अत्याचार झेलने पड़ते हैं।
- इस मुद्दे को समझने एवं हल करने के लिए ऐसी बहुक्षेत्रीय पहल अपनानी होगी जिसमें कानूनी, सामाजिक, शैक्षिक, टेक्नोलॉजी संबंधी व आर्थिक हस्तक्षेप भी शामिल हों। राष्ट्रीय महिला आयोग इस मोर्चे पर सबसे आगे है; वह नीतिगत सुधारों, जागरूकता अभियानों एवं सभी संबद्ध हितार्थियों के साथ तालमेल से काम करके महिलाओं के लिए अधिक सुरक्षित वातावरण के निर्माण में सहयोग कर सकता है।

कानूनी एवं संस्थागत ढाँचे को मज़बूत बनाना

- **घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण कानून, 200 :** इसके तहत घरेलू हिंसा झेलने वाली महिलाओं को तुरंत सुरक्षा उपलब्ध कराई जाती है। कार्यस्थल में महिला यौन उत्पीड़न (निवारण, निषेध एवं क्षतिपूर्ति) कानून, 2013- यौन प्रताड़ना (शोषण) रोकने के लिए कार्यस्थलों में आंतरिक शिकायत समितियाँ बनाना अनिवार्य है।
- **आपराधिक कानून (संशोधन) अधिनियम, 2013 (निर्भया कानून) :** यौन अपराधों से जुड़े कानूनों को मज़बूती मिली है।
- **दहेज निषध कानून, 1961 :** इसके तहत दहेज लेने-देने और दहेज के करण उत्पीड़न को अपराधा माना जाता है।
- **बाल शोषण अपराध संरक्षण अधिनियम (पॉक्सो), 2012 :** इस कानून का उद्देश्य नाबालिग बच्चों को यौन उत्पीड़न से बचाना है।
- हालाँकि, इनके कार्यान्वयन में चुनौतियाँ बनी हुई हैं। मामलों के त्वरित निपटान के लिए फास्ट-ट्रैक अदालतों जैसे संस्थागत तंत्र को मज़बूत करना और महिला पुलिस अधिकारियों की बढ़ती भर्ती से इन कानूनों के कार्यान्वयन में सुधार हो सकता है।

समुदाय-आधारित सहायता प्रणाली का विस्तार

- दीर्घावधि बदलाव की दृष्टि से महिलाओं के प्रति हिंसा से निपटने के लिए समुदायों को अधिकार देकर सशक्त बनाना ज़रूरी है। ग्राम स्तर पर महिला संगठन और स्व-सहायता समूहों के गठन जैसी पहलों से घरेलू हिंसा झेलने वाली महिलाओं को समर्थन व साधन मिल जाते हैं। वन स्टॉप सेंटर स्कीम और महिला हेल्पलाइन-181 के लागू होने से पीड़िता को सहायता प्राप्त करने में बहुत मदद मिलती है।
- धार्मिक एवं सामुदायिक नेताओं को बाल-विवाह जैसी कुरीतियों के कारण होने वाले हानिकारक परिणामों से लोगों को अवगत कराने के लिए प्रेरित करके भी समाज की सोच व मानसिकता बदली जा सकती है।

सोच या मानसिकता बदलने में शिक्षा की भूमिका

- लिंग-आधारित हिंसा का प्रमुख कारण बनने वाली पुरुष-प्रधान मान्यताओं को जड़ से मिटाने में शिक्षा अत्यधिक सशक्त साधन है। वास्तविक बदलाव तो कक्षा में ही शुरू होता है जहाँ प्रारंभिक अवस्था से ही बच्चों के मस्तिष्क में लिंग संवेदना विकसित करना ज़रूरी है। अध्यापकों की विशेष भूमिका होती है इसलिए उन्हें समग्र शिक्षण का वातावरण बनाने की ट्रेनिंग दी जाए जिससे वे रूढ़िवादी सोच को समाप्त करके सम्मान व आदर की भावना का संचार करें। युवा महिलाओं में कक्षा की पढ़ाई के साथ ही आत्मरक्षा का भी प्रशिक्षण दिया जाए।

❖ फिल्म निर्माण एवं विज्ञापन से जुड़े लोगों से सहयोग करके भ्रामक धारणाओं की अभिव्यक्ति रोकने और प्रगतिशील लिंग-भूमिका को बढ़ावा देने में मदद मिल सकती है। माता-पिता एवं अभिभावक भी घरेलू कामकाज व व्यवस्था में पुत्र-पुत्रियों को समान रूप से देखने और उनमें आपसी सम्मान, आदर तथा अहिंसा की भावनाएँ विकसित करने में अहम योगदान कर सकते हैं। विभिन्न पीढ़ियों के स्तर पर लगातार प्रयास करके ही शिक्षा से लिंग-आधारित हिंसा समाप्त करने में कामयाबी मिल सकती है।

महिला सुरक्षा में तकनीक का योगदान

❖ महिलाओं के प्रति हिंसा की चुनौती से निपटने में तकनीक बहुत अहम भूमिका निभा सकती है। निर्भया, शेरोज़ एवं हिम्मत प्लस जैसी मोबाइल एप्लीकेशंस से महिलाओं को बल मिलता है जिससे वे तुरंत सहायता प्राप्त कर सकती हैं।

❖ साइबर अपराधों को रोकने वाले ऑनलाइन तंत्र का विस्तार एवं डिजिटल सुरक्षा के बारे में जागरूकता बढ़ाना भी साइबर प्रताड़ना व ऑनलाइन स्टॉकिंग (पीछा करना) की घटनाएँ रोकने की दिशा में काफी महत्त्वपूर्ण उपाय हैं।

आर्थिक सशक्तीकरण- हिंसा रोकने वाला कवच

❖ आर्थिक स्वतंत्रता लिंग-आधारित हिंसा रोकने का सबसे शक्तिशाली माध्यम है। महिलाएँ प्रायः आर्थिक तंगी के कारण ही यौन-प्रताड़ना झेलने पर मजबूर होती हैं और वे शोषण का प्रतिरोध भी नहीं कर पातीं हैं। महिलाओं को कौशल प्रशिक्षण देकर और उन्हें आर्थिक तौर पर आत्मनिर्भर बनाकर इसका समाधान किया जा सकता है।

❖ स्किल इंडिया जैसी सरकारी पहलों से रोज़गार देने की क्षमता बढ़ती है, जबकि मुद्रा योजना और स्टैंडअप इंडिया जैसी योजनाओं से उन्हें आर्थिक समर्थन मिलता है तथा वे अपना कारोबार शुरू करने व उनका विस्तार करने में समर्थ होती हैं।

❖ बदलाव लाने में आर्थिक सुरक्षा के प्रभाव को मानते हुए लखपति दीदी योजना लागू की गई, जिसका उद्देश्य स्व-सहायता समूहों की 2 करोड़ महिलाओं को लखपति उद्यमी बनाना था। इस पहल से लचीलापन बढ़ता है क्योंकि महिलाओं को कौशल प्रशिक्षण, वित्तीय साक्षरता देकर और उन्हें ऋण उपलब्ध कराकर आय का निश्चित एवं स्थायी साधन मुहैया किया जाता है। समान वेतन देने की व्यवस्था अपनाकर और सुरक्षित तथा शोषणमुक्त कार्यस्थल स्थापित करके आर्थिक शोषण रोकने के साथ ही अधिक समावेशी व्यावसायिक परिवेश बनाया जा सकेगा।

महिलाओं के प्रति साइबर हिंसा का समाधान

❖ डिजिटल पैठ बढ़ने के साथ ही साइबर हिंसा नए युग की चुनौती बनकर उभरी है जिसमें ऑनलाइन उत्पीड़न, साइबर स्टॉकिंग एवं बिना सहमति के चित्र शेयर करने जैसे अपराध बढ़े हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग ने महिलाओं की साइबर सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से डिजिटल शक्ति कार्यक्रम जैसी पहलें शुरू की हैं।

❖ ऑनलाइन उत्पीड़न की रोकथाम के लिए कानूनी तंत्र को मज़बूत किया जाएगा, यौन कदाचार रोकने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों के साथ मिलकर प्रयास किए जाएंगे और डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देकर महिलाओं को सुरक्षित ढंग से ऑनलाइन कार्यक्रम प्रयोग करने की आज़ादी मिल जाएगी।

लिंग-आधारित हिंसा से निपटने के लिए सार्वजनिक-निजी भागीदारों को मज़बूत करना

❖ महिलाओं के प्रति हिंसा को रोकने में सार्वजनिक-निजी भागीदारी भी सहयोग कर रही है। निजी कार्यस्थल सुरक्षा व्यवस्था में अहम भूमिका निभा सकते हैं। कंपनियों एवं सरकारी कार्यालयों में लिंग-ऑडिट (लेखा-जोखा) शुरू करने से यह सुनिश्चित हो सकेगा कि कार्यस्थल में महिलाओं के यौन शोषण (वितरण, निषेध एवं समाधान) अधिनियम, 2013 का सही प्रकार से परिपालन किया जा रहा है।

❖ भारतीय महिला आयोग (NCW) जैसे संगठनों के साथ समन्वय से कई कंपनियाँ आंतरिक शिकायत समितियाँ (ICC) बनाने की योजना लागू कर रही हैं और प्रताड़नामुक्त कार्यस्थलों की स्थापना करके कर्मचारी संवेदीकरण कार्यक्रम चला रही हैं।

❖ कंपनियाँ कई महानगरों में शुरू की गई 'सुरक्षित नगर परियोजनाओं' जैसी पहलों को समर्थन देकर तथा बेहतर निगरानी प्रणालियों में निवेश करके, परिवहन सेवाएँ जुटाकर और महिलाओं के अनुकूल बुनियादी सुविधाओं की व्यवस्था करके योगदान कर सकती हैं। ऐप-आधारित कैब सेवाओं में प्रमाणित ड्राइवर, जी.पी.एस. ट्रैकिंग और आपात प्रतिक्रिया बटन जैसे फीचर लगाए जा चुके हैं परंतु अभी सुरक्षा तंत्र के अधिक विस्तार तथा जवाबदेही तय करने की व्यवस्था करने की ज़रूरत है।

❖ अनुसंधान एवं विकास पर निवेश भी ज़रूरी है। टेक फर्में और स्टार्टअप कंपनियाँ सरकारी एजेंसियों के साथ मिलकर ए.आई. चालित उपकरण विकसित करने, पहने जाने वाले सुरक्षा उपकरण तैयार करने और लीगल टेक समाधान खोजने में कामयाबी पा सकती हैं जिससे अपराधों की रिपोर्टिंग आसानी से की जा सकेगी।

❖ फिर, निगमित सामाजिक दायित्व (CSR) कोष में वन स्टॉप सेंटर (OSC) स्थापित किए जा सकेंगे जिनसे निर्भया कोष की व्यवस्था के तहत सुरक्षित बचने वाली पीड़िताओं को मनोवैज्ञानिक, कानूनी व चिकित्सा सहायता दी जा सकेगी।

❖ संघर्षग्रस्त क्षेत्रों में लिंग-आधारित हिंसा (GBV) से निपटना

❖ संघर्षग्रस्त एवं आपदा की आशंका वाले क्षेत्रों की महिलाओं के लिए लिंग-आधारित हिंसा की शिकार बनने की संभावना अधिक

होती है। लिंग-आधारित हिंसा रोकने वाली आपदा नीतियों में कानून लागू करने वाली एजेंसियों एवं मानवीय सहायता कार्यकर्ताओं के लिए स्पष्ट दिशा-निर्देश होने चाहिए कि वे हिंसा रोकने तथा उससे निपटने के लिए क्या करें। महिलाओं को घरेलू हिंसा से बचाने वाले कानून एवं पॉक्सो कानून तथा अनैतिक कारोबार निवारण अधिनियम जैसे मौजूदा कानूनों को लागू करने की व्यवस्था मज़बूत करना संकटग्रस्त कमज़ोर महिलाओं व बच्चों को सुरक्षा देने की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण है।

- व्यापक योजना में आपात शरणस्थलों का विस्तार और वन स्टॉप सेंटरों की संख्या बढ़ाना ज़रूरी है, ताकि पीड़ित महिलाओं को तुरंत सुरक्षा, चिकित्सा सहायता एवं काउंसलिंग (परामर्श) सेवा प्रदान की जा सके। कानून लागू करने वाले अधिकारियों व मानवीय कार्यकर्ताओं को मिशन शक्ति जैसे कार्यक्रमों के तहत प्रशिक्षित किया जाए, ताकि वे हर मामले को पूरे ध्यान एवं सावधानी से संभालें। महिलाओं के नेतृत्व वाली सामुदायिक पुलिस व्यवस्था पहलों को बढ़ावा देने से विश्वास बढ़ाने और स्थानीय सुरक्षा नेटवर्क को मज़बूत करने में मदद मिलेगी।

सामूहिक कार्रवाई की आवश्यकता

भारत में महिलाओं के प्रति हिंसा से निपटने के लिए ऐसी बहुक्षेत्रीय पहल ज़रूरी है जिसमें कानूनी, सामाजिक, आर्थिक, टेक्नोलॉजिकल और शिक्षण का समेकित हस्तक्षेप शामिल हों। राष्ट्रीय महिला आयोग महिलाओं के लिए सुरक्षित परिवेश बनाने के उद्देश्य से सरकारी एजेंसियों, सिविल सोसाइटी और निजी क्षेत्र से सहयोग के लिए प्रतिबद्ध है। महिलाओं के प्रति हिंसा केवल कानून और पुलिस का मुद्दा नहीं है; यह नैतिक और सामाजिक अनिवार्यता है। सामूहिक प्रयासों से हम ऐसे भारत का निर्माण कर सकते हैं जहाँ हर महिला सम्मान के साथ, सुरक्षित रूप से और हिंसामुक्त वातावरण में रह सकती है।

कुरुक्षेत्र

केंद्रीय बजट 2025-26 : विकास के विभिन्न आयाम

भूमिका

आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 में वैश्विक विनिर्माण मंदी के बीच भारत की स्थिर आर्थिक वृद्धि पर प्रकाश डाला गया है। केंद्रीय बजट 2025-26 भी आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुरूप है, जिसमें वैश्विक विनिर्माण मंदी (यूरोप व एशिया में) और आपूर्ति श्रृंखला व्यवधानों के बीच लचीले विकास पर ज़ोर दिया गया है। यह वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ग्रामीण विकास, कृषि एवं समावेशी विकास को प्राथमिकता देता है। विकसित भारत का लक्ष्य भारत को संधारणीयता एवं समानता के साथ एक वैश्विक आर्थिक महाशक्ति बनाना है।

बजट के मुख्य बिंदु

आवंटन में वृद्धि एवं विकास को बढ़ावा

- वर्ष 2024-25 के 47.16 लाख करोड़ रुपए के संशोधित अनुमान की अपेक्षा वर्ष 2025-26 का बजट अनुमान कुल 50.65 लाख करोड़ रुपए है। इसमें प्रभावी पूंजीगत व्यय 15.48 लाख करोड़ रुपए है।
- 'विकसित भारत 2047' का विज़न 'बुनियादी ढाँचा, सामाजिक कल्याण एवं आर्थिक सुधारों के माध्यम से सतत् व समावेशी विकास' है।
- इस बार के बजट में ग्रामीण विकास आवंटन 1.87 लाख करोड़ रुपए है जो वर्ष 2024-25 से 5.75% की वृद्धि दर्शाता है।

क्षेत्रवार आवंटन एवं प्राथमिकताएँ

- कौशल विकास एवं उद्यमिता को विगत वर्ष के बजट अनुमान की अपेक्षा इस बार 35% की वृद्धि के साथ प्राथमिकता सूची में सबसे ऊपर है।
- प्राथमिकता वाले अन्य प्रमुख क्षेत्र ग्रामीण विकास (5.7% की वृद्धि), एम.एस.एम.ई. (4.7% की वृद्धि), कृषि एवं किसान कल्याण और महिला एवं बाल विकास हैं।
- खाद्य एवं उर्वरक सब्सिडी, ग्रामीण विकास, रोज़गार व कौशल कार्यक्रमों के लिए 3.83 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं।

प्रमुख क्षेत्रवार हस्तक्षेप

- **कृषि एवं किसान कल्याण :** पी.एम धन-धान्य कृषि योजना का लक्ष्य 100 ज़िलों में एकीकृत कृषि विकास करना है। साथ ही फसल विविधीकरण, संधारणीय कृषि, सिंचाई, कटाई के बाद के बुनियादी ढाँचे तथा कृषि ऋण तक पहुँच पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है।
  - साथ ही, यूरिया सब्सिडी में कमी, जैविक कृषि एवं मृदा स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए पोषक तत्त्व-आधारित सब्सिडी की ओर रुख किया गया है। पी.एम. कृषि सिंचाई योजना (PMKSY) में उन्नत सिंचाई एवं जल संरक्षण के लिए 8,260 करोड़ रुपए आवंटित किए गए।
- **खाद्य प्रसंस्करण एवं ग्रामीण उद्यम :** प्रौद्योगिकी उन्नयन, गुणवत्ता सुधार एवं बाज़ार संपर्क के लिए पी.एम. सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम औपचारिकीकरण (PMFME) योजना के तहत 4.8% की वृद्धि की गई है।

- **ग्रामीण रोज़गार और आजीविका :** बेहतर क्रियान्वयन एवं परिसंपत्ति सृजन पर ज़ोर देते हुए मनरेगा के लिए 86,000 करोड़ रुपए का धन आवंटन बरकरार रखा गया है। इसके अतिरिक्त, दीनदयाल अंत्योदय योजना- राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (DAY-NRLM) के तहत महिला उद्यमिता एवं कौशल विकास के लिए आवंटन में 26.3% की वृद्धि की गई है।

ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए सरकारी पहल

भूमिका

ग्रामीण अर्थव्यवस्था भारत के रोज़गार एवं सकल घरेलू उत्पाद के लिए महत्त्वपूर्ण है। समावेशी विकास एवं आजीविका को बढ़ावा देने के लिए सरकार कृषि, एम.एस.एम.ई., मत्स्यपालन एवं आत्मनिर्भरता पहल पर ध्यान केंद्रित करती है। इसके लिए प्रमुख उपायों में ग्रामीण बुनियादी ढाँचे को बढ़ाव देना, उपभोग में वृद्धि करना तथा आर्थिक गतिविधियों को मज़बूत करने के लिए राजकोषीय नीतियाँ शामिल हैं।

आर्थिक विकास के लिए सरकार की राजकोषीय रणनीति

सरकार का लक्ष्य राजस्व संग्रह एवं सार्वजनिक व्यय में वृद्धि करके आर्थिक विकास को गति देना है। उच्च कर संग्रह लक्ष्य सार्वजनिक व्यय को बढ़ावा देने में सक्षम करता है जो बदले में भारत जैसी उपभोग-संचालित अर्थव्यवस्था में मांग में वृद्धि करता है।

कराधान एवं राजस्व लक्ष्य

- वित्त वर्ष 2025-26 के लिए सरकार ने 42.70 लाख करोड़ रुपए का महत्त्वाकांक्षी राजस्व संग्रह लक्ष्य रखा है जो पिछले वर्ष की तुलना में 11% की वृद्धि दर्शाता है। इसका विवरण इस प्रकार है-
  - प्रत्यक्ष कर संग्रह लक्ष्य 25.20 लाख करोड़ रुपए (आयकर और कॉर्पोरेट कर से) है।
  - अप्रत्यक्ष कर संग्रह लक्ष्य 17.50 लाख करोड़ रुपए (जी.एस.टी., उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क से) है।
- उच्च कर राजस्व से सार्वजनिक निवेश के लिए अधिक राजकोषीय संभावना सुनिश्चित होती है जिससे सरकार को ग्रामीण विकास योजनाओं, बुनियादी ढाँचे एवं कल्याण कार्यक्रमों के लिए अधिक धन आवंटित करने में मदद मिलती है।

आर्थिक विकास एवं संबंधित चुनौतियाँ

- राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO) और भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) के अनुसार, भारत की जी.डी.पी. वृद्धि दर का अनुमान इस प्रकार है-
  - **वित्त वर्ष 2024-25 के लिए :** 6.4% (NSO) तथा 6.6% (RBI)
  - **वित्त वर्ष 2025-26 के लिए :** 6.7% (RBI)
- वृद्धि की सकारात्मक प्रवृत्ति के बावजूद पिछली दो तिमाहियों में अर्थव्यवस्था में मंदी देखी गई है। इसके लिए दीर्घकालिक वृद्धि को बनाए रखने के उद्देश्य से निवेश, उपभोग एवं निर्यात में मज़बूत हस्तक्षेप की आवश्यकता है।
- वर्तमान में आर्थिक विकास से संबंधित प्रमुख चिंताएँ इस प्रकार हैं:
  - ग्रामीण मांग में गिरावट (विशेषकर कृषि-निर्भर क्षेत्रों में)
  - एम.एस.एम.ई. एवं अनौपचारिक क्षेत्रों में धीमी वृद्धि से रोज़गार सृजन पर प्रभाव
  - आपूर्ति शृंखला की अड़चनें (विशेषकर रसद एवं भंडारण में)
- इन चिंताओं को दूर करने के लिए सरकार ने किसानों की आय बढ़ाने, कृषि उद्योगों को बढ़ावा देने और ग्रामीण उद्यमियों के लिए वित्तीय पहुँच बढ़ाने के लिए कई पहल शुरू किए हैं।

ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मज़बूत करने के लिए बजट में किए गए उपाय

सरकार ने कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों के लिए 2.66 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। ये विगत वर्ष की तुलना में 1,000 करोड़ रुपए अधिक है। इसका उद्देश्य कृषि उत्पादकता को बढ़ाना, बाज़ार संपर्क में सुधार करना एवं किसानों के लिए उचित मूल्य सुनिश्चित करना है।

- **इससे संबंधित प्रमुख पहलों में शामिल हैं:**
  - **किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) ऋण का विस्तार :** के.सी.सी. ऋण सीमा 3 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दी गई है जिससे देश भर के 7.75 करोड़ किसानों को लाभ मिलेगा। यह पहल किसानों को कम ब्याज दरों पर ऋण तक आसान पहुँच प्रदान करती है जिससे उन्हें इनपुट लागत का प्रबंधन करने, बेहतर तकनीक में निवेश करने और वित्तीय संकट को कम करने में मदद मिलती है।
  - **प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना :** इस योजना का उद्देश्य 1.7 करोड़ किसानों को लाभ पहुँचाना और क्षेत्रीय कृषि असमानताओं को कम करना है। इसमें निम्न उपज वाले 100 ज़िलों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। इसके लिए निम्नलिखित तरीके अपनाए जाएंगे-
    - बेहतर गुणवत्ता वाले बीज, उर्वरक एवं सिंचाई के लिए वित्तीय सहायता करना
    - फसलोपरांत होने वाली हानियों को रोकने के लिए भंडारण एवं रसद सहायता में वृद्धि करना
    - किसानों को उचित मूल्य की प्राप्ति सुनिश्चित करने के लिए बाज़ार पहुँच में सुधार करना

- **कपास एवं दाल मिशन**
  - **5-वर्षीय कपास प्रौद्योगिकी मिशन :** इसका उद्देश्य कपास की गुणवत्ता एवं उपज में सुधार करना है। इसमें उच्च उपज देने वाली बीज किस्मों और बेहतर सिंचाई तकनीकों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।
  - **6-वर्षीय दाल मिशन :** इसके अंतर्गत अरहर, उड़द एवं मसूर जैसी दालों में आत्मनिर्भरता का लक्ष्य है। इसमें भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ/नेफेड (NAFED) एवं भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ (NCCF) के माध्यम से 100% खरीद की गारंटी शामिल है जिससे किसानों के लिए मूल्य स्थिरता सुनिश्चित होती है।
- **मत्स्यपालन क्षेत्र को बढ़ावा देना :** मत्स्यपालन भारत की अर्थव्यवस्था में महत्त्वपूर्ण योगदान देता है। जलीय कृषि मत्स्य (Aquaculture Fish) का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक भारत है। इसके लिए सरकार निम्नलिखित प्रयास कर रही है–
  - निर्यात एवं रोज़गार को बढ़ावा देने के लिए मत्स्यपालन के उद्देश्य से विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ)
  - मछुआरों के लिए रियायती ऋण एवं बुनियादी ढाँचे का विकास
  - इनसे अंतर्देशीय एवं समुद्री मत्स्यपालन को बढ़ावा मिलेगा तथा ग्रामीण रोज़गार के अवसर में वृद्धि होगी।
- **एम.एस.एम.ई. को प्रोत्साहन एवं व्यापार सुगमता :** ग्रामीण एवं अर्द्ध-शहरी क्षेत्रों में रोज़गार सृजन के लिए एम.एस.एम.ई. महत्त्वपूर्ण हैं। इसके लिए सरकार के निम्नलिखित लक्ष्य हैं–
  - उद्यमशीलता को प्रोत्साहित करने के लिए व्यावसायिक कानूनों को सरल बनाना और नियामक बाधाओं को दूर करना
  - सब्सिडीयुक्त ऋण योजनाओं एवं डिजिटल बैंकिंग के माध्यम से वित्तीय सहायता का विस्तार करना
  - स्थानीय रोज़गार में वृद्धि के लिए हस्तशिल्प एवं खाद्य प्रसंस्करण जैसे ग्रामीण उद्योगों को बढ़ावा देना
  - इसका ध्यान ऋण तक पहुँच में वृद्धि करने और अनुपालन को आसान बनाने पर है, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे व्यवसायों को फलने-फूलने में सक्षम बनाया जा सके।
- **यूरिया उत्पादन में आत्मनिर्भरता :** आयात पर निर्भरता कम करने एवं किफायती उर्वरक आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा नए यूरिया विनिर्माण संयंत्र स्थापित करने का प्रस्ताव है। इसका उद्देश्य किसानों के लिए उर्वरक की कीमतों को स्थिर करना है। साथ ही, मृदा स्वास्थ्य में सुधार के लिए नैनो-उर्वरकों के उपयोग को बढ़ावा दिया गया है।
  - यह पहल आत्मनिर्भर भारत के अनुरूप है जिससे किसानों के लिए लागत को कम किया जा सकेगा तथा पर्याप्त उर्वरक आपूर्ति सुनिश्चित की जा सकेगी।

निष्कर्ष

सरकार की ग्रामीण आर्थिक रणनीति कृषि, एम.एस.एम.ई., मत्स्यपालन, बुनियादी ढाँचे एवं वित्तीय सशक्तीकरण पर ज़ोर देती है। बजटीय सहायता, ऋण पहुँच और उत्पादकता वृद्धि का उद्देश्य आय, रोज़गार व ग्रामीण उद्योगों को बढ़ावा देना है। प्रभावी कार्यान्वयन से सतत् विकास को बढ़ावा मिल सकता है, ग्रामीण-शहरी विभाजन को कम किया जा सकता है और भारत की 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था के लक्ष्य को समर्थन मिल सकता है।

भारत में महिला सशक्तीकरण के लिए बजटीय पहल

भूमिका

महिला सशक्तीकरण समावेशी विकास का एक महत्त्वपूर्ण पहलू है जो लैंगिक समानता एवं आर्थिक भागीदारी सुनिश्चित करता है। महिलाओं के कल्याण के उद्देश्य से बजटीय प्रावधान इन उद्देश्यों को प्राप्त करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पिछले कुछ वर्षों में भारत ने महिलाओं के विकास के लिए संसाधनों को प्रभावी ढंग से आवंटित करने के लिए लिंग-उत्तरदायी बजट (GRB) को लागू किया है।

भारत में जेंडर बजटिंग

- भारत में वर्ष 2005-06 में जेंडर बजटिंग की शुरुआत की गई। जेंडर बजटिंग महिलाओं पर सरकारी बजट के प्रभाव का आकलन करने और लैंगिक समानता सुनिश्चित करने के लिए एक विश्लेषणात्मक उपकरण है।
- यह विभिन्न क्षेत्रों में लैंगिक असमानताओं को दूर करने के लिए सार्वजनिक व्यय की योजना बनाने, आवंटन करने एवं लेखा परीक्षण पर केंद्रित है।
- जेंडर बजटिंग के उद्देश्यों में आर्थिक गतिविधियों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा एवं सामाजिक कल्याण योजनाओं तक बेहतर पहुँच सुनिश्चित करना; कार्यबल भागीदारी एवं वेतन में लैंगिक अंतर को संबोधित करना तथा नीतियों में लिंग को मुख्यधारा में लाने के लिए संस्थागत ढाँचे को मज़बूत करना है।

महिला सशक्तीकरण के लिए प्रमुख बजटीय पहल

- **बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ :** वर्ष 2015 में शुरू की गई इस योजना का उद्देश्य बाल लिंग अनुपात में गिरावट को कम करना और बालिकाओं की शिक्षा में वृद्धि करना है। यह पहल शिक्षा, स्वास्थ्य एवं सामाजिक क्षेत्रों के समन्वित प्रयासों के माध्यम से कार्य करती है।

- **राष्ट्रीय महिला सशक्तीकरण मिशन :** यह महिला-केंद्रित कार्यक्रमों के नीति-निर्माण, कार्यान्वयन एवं निगरानी के लिए अंतर-मंत्रालयी समन्वय की सुविधा के लिए एक समग्र योजना है।
- **प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना :** यह एक सशर्त नकद हस्तांतरण योजना है जो गर्भवती एवं स्तनपान कराने वाली महिलाओं को बेहतर स्वास्थ्य व पोषण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है।
- **महिला शक्ति केंद्र :** यह ज़मीनी स्तर की एक पहल है जो ग्रामीण महिलाओं को कौशल विकास, रोज़गार के अवसर और डिजिटल साक्षरता प्रदान करती है।
- **मिशन शक्ति :** इसके दो घटक 'संबल' एवं 'सामर्थ्य' हैं। 'संबल' में 'वन स्टॉप सेंटर', 'महिला हेल्पलाइन', 'बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ' और 'नारी अदालत' उप-घटक शामिल हैं। 'सामर्थ्य' में 'शक्ति सदन', 'सखी निवास', 'पालना' और 'प्रधानमंत्री मातृ वंदना' योजना उप-घटक शामिल हैं।
- **वन स्टॉप सेंटर :** इसे हिंसा का सामना करने वाली महिलाओं को कानूनी सहायता, चिकित्सा सहायता और परामर्श सहित एकीकृत सहायता प्रदान करने के लिए स्थापित किया गया है।
- **कामकाजी महिला छात्रावास योजना :** इसका उद्देश्य विशेष रूप से शहरी क्षेत्रों में कामकाजी महिलाओं के लिए सुरक्षित एवं किफायती आवास उपलब्ध कराना है।
- **राष्ट्रीय क्रेच योजना :** इसका उद्देश्य डे-केयर सुविधाएँ प्रदान करके महिलाओं की कार्यबल भागीदारी को सुविधाजनक बनाकर कामकाजी माताओं को सहायता प्रदान करना है।
- **महिलाओं के लिए प्रशिक्षण एवं रोज़गार कार्यक्रम को समर्थन (STEP) :** इसके तहत व्यावसायिक प्रशिक्षण के माध्यम से महिलाओं के कौशल में वृद्धि की जाती है जिससे विभिन्न क्षेत्रों में उनकी रोज़गार क्षमता बढ़ती है।

जेंडर बजटिंग का प्रभाव

- **महिला कार्यबल की भागीदारी में वृद्धि :** मनरेगा एवं मुद्रा योजना जैसी नीतियों ने महिलाओं के लिए रोज़गार दर की वृद्धि में योगदान दिया है।
- **बेहतर स्वास्थ्य परिणाम :** प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना एवं जननी सुरक्षा योजना जैसी स्वास्थ्य देखभाल योजनाओं के कारण मातृ मृत्यु दर में कमी आई है।
- **उन्नत वित्तीय समावेशन :** स्टैंड-अप इंडिया एवं स्वयं सहायता समूह (SHG) कार्यक्रमों के तहत ऋण सहायता द्वारा समर्थित महिलाओं के नेतृत्व वाले उद्यमों में वृद्धि हुई है।
- **लिंग-आधारित हिंसा में कमी :** वन स्टॉप सेंटर एवं महिला हेल्पलाइन जैसी योजनाओं ने महिलाओं के अधिकारों की रक्षा के लिए संस्थागत तंत्र को मज़बूत किया है।

जेंडर बजटिंग से संबंधित चुनौतियाँ

- **अपर्याप्त आवंटन :** बजटीय आवंटन की बाध्यताएँ लिंग-संवेदनशील कार्यक्रमों के दायरे को सीमित करती हैं।
- **जागरूकता का अभाव :** ग्रामीण क्षेत्रों के साथ-साथ शहरी महिलाएँ भी उपलब्ध योजनाओं के बारे में अनभिज्ञ रहती हैं।
- **खराब निगरानी एवं मूल्यांकन :** कार्यान्वयन एवं जवाबदेही में अंतराल से जेंडर बजटिंग की प्रभावशीलता में बाधा उत्पन्न होती है।
- **सामाजिक बाधाएँ :** पितृसत्तात्मक मानदंड अभी भी निर्णय लेने में महिलाओं की भागीदारी को प्रतिबंधित करते हैं।

आगे की राह

- **बजटीय आवंटन में वृद्धि :** सकल घरेलू उत्पाद का एक उच्च प्रतिशत महिला-केंद्रित कार्यक्रमों के लिए निर्धारित किया जाना चाहिए।
- **संस्थागत ढाँचे को मज़बूत करना :** लिंग-संवेदनशील शासन और नीति कार्यान्वयन को मज़बूत करने की आवश्यकता है।
- **क्षमता निर्माण एवं जागरूकता :** ज़मीनी स्तर पर अभियान एवं डिजिटल साक्षरता कार्यक्रम सूचना अंतराल को पाट सकते हैं।
- **महिलाओं की भागीदारी को प्रोत्साहित करना :** नीतियों के माध्यम से महिलाओं की उद्यमशीलता एवं शासन में नेतृत्व की भूमिका को प्रोत्साहित करना चाहिए।

निष्कर्ष

समावेशी एवं सतत् विकास के लिए महिला सशक्तीकरण के लिए बजटीय पहल आवश्यक है। हालाँकि, इस दिशा में महत्त्वपूर्ण प्रगति हुई है किंतु, लैंगिक अंतर को पाटने के लिए संसाधन आवंटन में वृद्धि, प्रभावी कार्यान्वयन एवं सामाजिक परिवर्तन की आवश्यकता है। नीतिगत सुधारों को वित्तीय सहायता के साथ जोड़कर एक व्यापक दृष्टिकोण यह सुनिश्चित करेगा कि भारत की सामाजिक-आर्थिक प्रगति में महिलाओं की समान भूमिका हो।

स्वास्थ्य सेवा बुनियादी ढाँचे एवं पहुँच को मज़बूत करना

भूमिका

केंद्रीय बजट 2025-26 चिकित्सा शिक्षा, कैंसर देखभाल, डिजिटल स्वास्थ्य पहल एवं चिकित्सा पर्यटन के लिए महत्त्वपूर्ण आवंटन के

साथ स्वास्थ्य सेवा तक पहुँच और बुनियादी ढाँचे को मज़बूत करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है।

प्रमुख बजटीय आवंटन एवं पहल

स्वास्थ्य बजट में वृद्धि

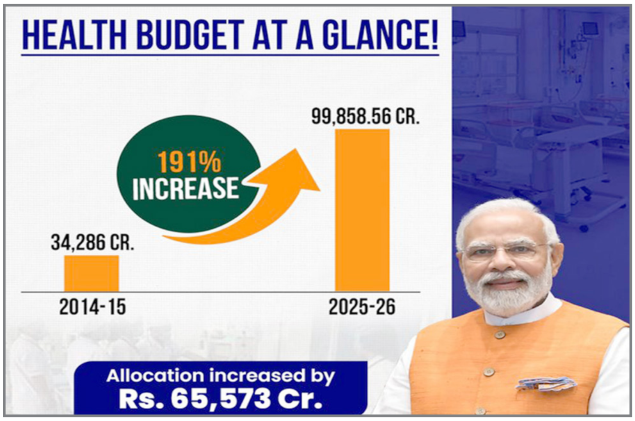

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय को 99,858.56 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं जो विगत वर्ष की तुलना में 11% अधिक है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के लिए 95,957.87 करोड़ रुपए और स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग के लिए 3,900.69 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।

चिकित्सा शिक्षा में विस्तार

आगामी वर्ष में 10,000 मेडिकल सीटों की वृद्धि की जाएगी तथा पाँच वर्षों में 75,000 नई सीटें जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। इसका उद्देश्य डॉक्टरों की कमी को दूर करना तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा को मज़बूत करना है, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में।

कैंसर देखभाल और डे-केयर कैंसर केंद्र

200 ज़िला स्तरीय डे-केयर कैंसर केंद्र स्थापित किए जाएंगे जिससे टियर-2 एवं टियर-3 शहरों में उपचार की पहुँच में सुधार होगा। इससे मरीज़ों पर वित्तीय बोझ कम होने और स्वास्थ्य सेवाओं का विकेंद्रीकरण होने की उम्मीद है।

आयुष्मान भारत पहल

- **आयुष्मान आरोग्य मंदिर :** इसके तहत निवारक स्वास्थ्य देखभाल एवं शीघ्र निदान पर ध्यान केंद्रित करते हुए कल्याण केंद्रों की स्थापना की जा रही है।
- **प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (आयुष्मान भारत योजना):** अत्यधिक स्वास्थ्य व्यय के विरुद्ध वित्तीय सुरक्षा का विस्तार करने के लिए आवंटन में वृद्धि की गई है जिसके अंतर्गत प्रति परिवार 5 लाख रुपए प्रतिवर्ष कवर प्रदान किया जाता है।
- **प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन :** गहन देखभाल इकाइयों, सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रयोगशालाओं एवं रोग निगरानी प्रणालियों को मज़बूत करने के लक्ष्य के साथ 4,758 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं।
- **आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन :** इसका लक्ष्य डिजिटल स्वास्थ्य रिकॉर्ड एवं निर्बाध स्वास्थ्य सेवा पहुँच को बढ़ावा देना है।

चिकित्सा पर्यटन एवं वैश्विक स्वास्थ्य सेवा केंद्र

वीज़ा प्रक्रियाओं को सरल बनाने, चिकित्सा सुविधाओं को उन्नत करने और निजी-सार्वजनिक भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए 'हील इन इंडिया' पहल का उद्देश्य गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं के लिए वैश्विक गंतव्य के रूप में भारत की स्थिति को बढ़ावा देना है।

गिग एवं प्लेटफॉर्म श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा

गिग श्रमिकों को औपचारिक रूप देने के लिए पहचान-पत्र और ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकरण के साथ-साथ चिकित्सा सुरक्षा प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत स्वास्थ्य कवरेज प्रदान किया जा रहा है। वित्तीय स्थिरता के लिए पेंशन एवं सामाजिक कल्याण लाभ भी संभावित हैं।

जीवन रक्षक दवाओं के लिए सीमा शुल्क छूट

36 जीवन रक्षक दवाओं को मूल सीमा शुल्क से पूरी तरह छूट दी की गई है। साथ ही, आवश्यक दवाओं को अधिक किफायती बनाने के लिए 6 अतिरिक्त दवाएँ 5% रियायती सीमा शुल्क पर उपलब्ध कराई जाएंगी।

स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए बजट का महत्त्व एवं निहितार्थ

- डॉक्टरों की कमी दूर होगी तथा भारत के चिकित्सा शिक्षा ढाँचे को मज़बूती प्रदान होगी।
- कैंसर देखभाल की सुलभता में वृद्धि होगी, जिससे मेट्रो अस्पतालों पर बोझ कम होगा।
- डिजिटल स्वास्थ्य अवसंरचना को मज़बूत करने से रोगियों के रिकॉर्ड एवं निदान में कोई बाधा नहीं आएगी।
- इससे चिकित्सा पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, जिससे विदेशी मुद्रा आय एवं स्वास्थ्य देखभाल निवेश में वृद्धि होगी।
- यह गिग श्रमिकों एवं वंचित मरीज़ों सहित कमज़ोर समूहों के लिए वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करता है।

निष्कर्ष

केंद्रीय बजट 2025-26 में समग्र स्वास्थ्य सेवा दृष्टिकोण को प्राथमिकता दी गई है, जिसमें बुनियादी ढाँचे के विस्तार, चिकित्सा शिक्षा, डिजिटल परिवर्तन एवं वित्तीय समावेशन को एकीकृत किया गया है। ये पहलें सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज लक्ष्यों के साथ संरेखित हैं जो भारत के एक लचीले एवं समावेशी स्वास्थ्य सेवा प्रणाली के दीर्घकालिक दृष्टिकोण को मज़बूत करती हैं।

डाउन टू अर्थ

वनीकरण परियोजनाओं में निजी निवेश पर नीति

संदर्भ

मध्य प्रदेश वन विभाग ने कार्बन क्रेडिट के विनिमय के साथ वनीकरण परियोजनाओं में निजी निवेश पर एक मसौदा नीति जारी की है। इसमें राज्य की 3.7 मिलियन हेक्टेयर बंजर वन भूमि को निजी निधि की मदद से बहाल करने का प्रस्ताव किया गया है।

नीति ढाँचे के बारे में

- 'सी.एस.आर., सी.ई.आर. एवं गैर-सरकारी निधियों द्वारा वन बहाली' के शीर्षक के तहत यह मसौदा नीति वनीकरण के प्रयासों में निजी प्रतिभागियों की भागीदारी को परिभाषित करती है।
- मध्य प्रदेश ने प्रदेश के कुल 9.5 मिलियन हेक्टेयर वनों में से लगभग 3.7 मिलियन हेक्टेयर को बंजर वन भूमि के अंतर्गत निर्दिष्ट किया है।

नीति के मुख्य पहलू

- **वनीकरण लागत :** प्रदेश में वनीकरण की लागत ₹5 लाख से ₹8 लाख प्रति हेक्टेयर के बीच होने का अनुमान है जिसमें स्थान, मृदा की स्थिति एवं जलवायु जैसे कारकों को शामिल किया गया है।
- **भागीदारी मानदंड :** इस नीति के अंतर्गत इस योजना में शामिल होने वाले औद्योगिक समूह, कॉर्पोरेट संस्थाएँ, व्यक्ति एवं स्वैच्छिक संगठन 10 से 10,000 हेक्टेयर तक की क्षरित वन भूमि का चयन करके 60 वर्ष तक की समयावधि के लिए इस योजना में शामिल हो सकते हैं।
- **कार्बन क्रेडिट :** समझौते की समयावधि के दौरान निवेशकों को कार्बन क्रेडिट का अधिकार होगा तथा इनमें से 10% हिस्सा 'संयुक्त वन प्रबंधन समितियों' (JFMCs) को प्राप्त होगा।
- **कानूनों का अनुपालन :** इस नीति में 'वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980' और 'अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पारंपरिक वनवासी (वन अधिकार मान्यता) अधिनियम, 2006' सहित मौजूदा कानूनों का पालन करना अनिवार्य है।

इस पहल के लाभ

- **पारिस्थितिकी बहाली :** इस पहल का उद्देश्य जैव-विविधता संरक्षण एवं जलवायु परिवर्तन शमन की दिशा में योगदान देकर नष्ट होने की स्थिति में पहुँच चुके वनों के पारिस्थितिकी तंत्र को पुन: बहाल करना है।
- **आर्थिक अवसर :** इस पहल से स्थानीय समुदायों को रोज़गार के अवसर मिल सकेंगे और वन-आधारित आजीविका से उन्हें पर्याप्त लाभ होगा।
- **कार्बन पृथक्करण :** इस नीति ने हरित आवरण को बढ़ाकर वैश्विक जलवायु के लक्ष्यों का समर्थन करते हुए कार्बन पृथक्करण के प्रयासों को मज़बूत किया है।
- **निजी क्षेत्र की भागीदारी :** यह नीति कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) और कॉर्पोरेट पर्यावरण उत्तरदायित्व (CER) की अवधारणा द्वारा मिलने वाली निधियों के योगदान को प्रोत्साहित करती है जिससे सार्वजनिक-निजी भागीदारी को बढ़ावा मिलता है।

संबंधित चिंताएँ एवं चुनौतियाँ

- **भूमि स्वामित्व :** जब तक, निजी संस्थाओं को स्वामित्व के अधिकार प्राप्त नहीं हो जाते, राज्य के स्वामित्व वाले वनों तक पहुँच प्रदान करने के दीर्घकालिक लाभों के बारे में चिंताएँ बनी रहेंगी।
- **सामुदायिक अधिकार :** इस पहल की सफलता के लिए स्थानीय और स्वदेशी समुदायों के अधिकारों की रक्षा करना महत्त्वपूर्ण है।
- **निगरानी एवं जवाबदेही :** संसाधनों के दुरुपयोग को रोकने एवं पर्यावरण मानकों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी निगरानी तंत्र की आवश्यकता है।

वन क्षेत्रों की पहचान को अंतिम रूप

संदर्भ

सर्वोच्च न्यायालय ने वन संरक्षण अधिनियम, 1980 को अधिक प्रभावी ढंग से लागू करने के प्रयासों के तहत सभी राज्यों और केंद्र-शासित प्रदेशों को वन क्षेत्रों की पहचान को अंतिम रूप देने के लिए छह महीने का अंतिम चेतावनी जारी किया है।

संबंधित दिशा-निर्देश के बारे में

- सर्वोच्च न्यायालय के आदेश में प्रत्येक राज्य एवं केंद्र-शासित प्रदेश में अवर्गीकृत व सामुदायिक वन क्षेत्रों सहित वन भूमि के रिकॉर्ड की पहचान करने और उन्हें संगठित करने के लिए विशेषज्ञ समितियों का गठन शामिल है।
- इन समितियों को वन (संरक्षण एवं संवर्धन) नियम, 2023 के प्रावधानों का पालन करना आवश्यक है जो वन संसाधनों के संरक्षण एवं सतत् प्रबंधन पर ज़ोर देते हैं।

- यह निर्देश मुख्य सचिवों एवं प्रशासकों को समय पर अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी बनाता है। छह महीने की समय सीमा का पालन न करने पर कानूनी परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। यह निर्देश पर्यावरण संरक्षण के लिए न्यायालय की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

आदेश का महत्त्व

- **पर्यावरण संरक्षण :** वन भूमि अभिलेखों का समेकन अवैध अतिक्रमणों को रोकने तथा यह सुनिश्चित करने के लिए महत्त्वपूर्ण है कि प्रतिपूरक वनीकरण के बिना किसी भी वन भूमि को गैर-वनीय उद्देश्यों के लिए उपयोग न किया जाए।
- **भूमि उपयोग में स्पष्टता :** समग्र अभिलेख वन भूमि के स्वामित्व एवं उपयोग से संबंधित विवादों को सुलझाने में मदद करेंगे तथा पारदर्शिता व जवाबदेही को बढ़ावा देंगे।
- **संरक्षण कानूनों के साथ संरेखण :** यह निर्देश वन संरक्षण अधिनियम, 1980 में संशोधनों के साथ संरेखित है और सतत् विकास के सिद्धांतों को पुष्ट करता है।

कार्यान्वयन में चुनौतियाँ

- **डाटा विसंगतियाँ :** राज्यों में असंगत एवं पुराने अभिलेख समेकन प्रक्रिया के लिए गंभीर चुनौती हैं।
- **हितधारकों के बीच समन्वय :** इस पहल की सफलता के लिए सरकारी एजेंसियों, स्थानीय समुदायों एवं पर्यावरण विशेषज्ञों के बीच प्रभावशाली सहयोग आवश्यक है।
- **समय की पाबंदी :** न्यायालय की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए छह महीने की समय सीमा के भीतर त्वरित कार्रवाई एवं कुशल संसाधन-आवंटन की आवश्यकता होती है।

भारत में जल संकट

संदर्भ

विश्व आर्थिक मंच (WEF) की वैश्विक जोखिम रिपोर्ट-2025 के अनुसार, अगले दो वर्षों में भारत एवं दुनिया भर में जल संकट सबसे बड़ा पर्यावरणीय जोखिम बनकर उभरा है।

जल संकट के बारे में

- किसी भी देश को प्रति व्यक्ति वार्षिक मीठे पानी की उपलब्धता 1,700 क्यूबिक मीटर (m^3) से कम होने की स्थिति में उस देश को जल संकटग्रस्त देश के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।
- विश्व आर्थिक मंच ने जल संकट के बारे में एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें 27 देशों में जल की कमी को शीर्ष पाँच जोखिमों में से एक बताया गया है। विदित है कि यह संख्या वर्ष 2024 में केवल सात थी।
- भारत, मेक्सिको, मोरक्को, ट्यूनीशिया एवं उज़्बेकिस्तान जैसे देशों में यह संकट अत्यधिक गंभीर हैं। भारत, दुनिया भर में प्रति व्यक्ति जल उपलब्धता के मामले में 132वें स्थान पर है।

भारत में जल उपलब्धता में गिरावट

- भारत जल संसाधन सूचना प्रणाली के अनुसार, वर्ष 1950 से 2024 के बीच प्रति व्यक्ति पृष्ठीय (सतही) जल उपलब्धता में 73% की गिरावट आई है।
- यदि तत्काल सुधारात्मक उपाय लागू नहीं किए गए तो भारत 'जल दुर्लभ' श्रेणी में आ सकता है और इस स्थिति में प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता प्रतिवर्ष 1,000 m^3 से कम हो जाती है।

भारत की जल चुनौतियाँ

- **संसाधनों का अत्यधिक दोहन :** भारत, दुनिया में सबसे बड़े भू-जल निष्कर्षणकर्ताओं में से एक है जहाँ लगभग 90% भू-जल का उपयोग सिंचाई के लिए किया जाता है। इसी कारण पंजाब, उत्तर प्रदेश एवं राजस्थान जैसे राज्यों में चिंताजनक स्तर पर जल की कमी पैदा हो गई है।
- **जलवायु परिवर्तन का प्रभाव :** अनियमित मानसून पैटर्न और बढ़ते तापमान के कारण जल की कमी बढ़ रही है जिससे सतही एवं भू-जल दोनों की उपलब्धता प्रभावित हो रही है।
- **शहरीकरण एवं औद्योगिकीकरण :** तेज़ी से बढ़ते शहरी विकास एवं औद्योगिक मांगों से मौजूदा जल संसाधनों पर दबाव बढ़ा गया है जिससे जल आवंटन को लेकर विवाद सामने आ रहे हैं।
- **प्रदूषण :** औद्योगिक अपशिष्ट, कृषि अपवाह एवं अनुपचारित सीवेज द्वारा नदियों व भू-जल प्रदूषण से स्वच्छ जल की उपलब्धता और भी कम हो जाती है।

संकट का समाधान

- **सतत् जल प्रबंधन :** वर्षा जल संचयन, कुशल सिंचाई तकनीक और अपशिष्ट जल पुनर्चक्रण जैसे प्रथाओं को अपनाने से जल संसाधनों को संरक्षित करने में मदद मिल सकती है।
- **नीतिगत हस्तक्षेप :** भू-जल निष्कर्षण पर विनियमन को मज़बूत करना और वैकल्पिक फसलों के उपयोग को बढ़ावा देना अतिदोहन को कम कर सकता है।
- **बुनियादी ढाँचे का विकास :** आपूर्ति-मांग के अंतर का समाधान करने के लिए जल भंडारण, उपचार एवं वितरण प्रणालियों में निवेश करना महत्त्वपूर्ण है।
- **जन-जागरूकता :** जल संरक्षण एवं संधारणीय प्रथाओं के महत्त्व के बारे में समुदायों को शिक्षित करना सामूहिक कार्रवाई को बढ़ावा दे सकता है।

महिलाओं के लिए समय उपयोग सर्वेक्षण

हाल ही में 'समय उपयोग सर्वेक्षण' में पाया गया कि महिलाएँ, पुरुषों की तुलना में अवैतनिक घरेलू कार्यों एवं देखभाल पर अधिक समय व्यतीत करती हैं।

'समय की कमी' की अवधारणा का विकास

- 'समय की कमी' (Time Poverty) की अवधारणा असमानता के एक महत्त्वपूर्ण किंतु, प्रायः अनदेखा कर दिए जाने वाले उस आयाम पर प्रकाश डालती है जिसके अंतर्गत व्यक्ति अपना समय भुगतान किए गए कार्यों, अवैतनिक घरेलू ज़िम्मेदारियों एवं व्यक्तिगत स्वास्थ्य के बीच आवंटित करते हैं।
- भारत में महिलाओं के लिए समय की कमी एक कठोर वास्तविकता है, जिसे राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO) के समय उपयोग सर्वेक्षण में प्रस्तुत किया गया है।
- यह कमी लैंगिक असमानता को स्थायी रखती है और इससे औपचारिक अर्थव्यवस्था में महिलाओं की भागीदारी और उनके जीवन की समग्र गुणवत्ता सीमित हो जाती है।

क्या है समय की कमी?

- यह कमी भुगतान किए गए और अवैतनिक दोनों तरह के कार्यों में अत्यधिक बोझ के कारण विवेकाधीन समय की कमी को संदर्भित करती है।
- महिलाओं के लिए समय की कमी का अर्थ अवैतनिक घरेलू कार्यों एवं घर के लोगों की देखभाल पर अत्यधिक समय व्यतीत करने से है जिससे व्यक्तिगत विकास, अवकाश या आय-उत्पादक गतिविधियों के लिए बहुत कम स्थान (समय) बचता है।
- इस असंतुलन के कारण लैंगिक समानता एवं आर्थिक विकास पर दूरगामी प्रभाव पड़ते हैं।

समय उपयोग सर्वेक्षण से मुख्य निष्कर्ष

- **अवैतनिक घरेलू काम :** महिलाएँ अपने समय का 81.5% हिस्सा घर के सदस्यों के लिए अवैतनिक घरेलू कार्यों पर व्यय करती हैं जबकि पुरुषों के लिए यह समय केवल 27% है। इस समय में खाना बनाना, सफाई करना एवं घर के अन्य कार्य शामिल हैं।
- **देखभाल की ज़िम्मेदारियाँ :** महिलाएँ अपने समय का 34% हिस्सा परिवार के सदस्यों की अवैतनिक देखभाल में व्यतीत करती हैं जो पुरुषों द्वारा व्यय किए जाने वाले 18% समय से काफी अधिक है।
- **वेतनभोगी रोज़गार :** महिलाओं का केवल 20.7% समय रोज़गार एवं संबंधित गतिविधियों पर व्यय होता है जबकि पुरुषों के लिए यह समय 61% है। इससे महिलाओं के लिए पारिश्रमिक वाले काम में संलग्न होने के सीमित अवसरों के बारे में जानकारी मिलती है।
- **आर्थिक भागीदारी पर प्रभाव :** सर्वेक्षण इस बात पर ज़ोर देता है कि समय की कमी महिलाओं को औपचारिक अर्थव्यवस्था से बाहर कर देती है, आय असमानता को बढ़ाती है और उनकी वित्तीय स्वतंत्रता को सीमित करती है।

समय की कमी के निहितार्थ

- **आर्थिक लागत :** महिलाओं के लिए समय की कमी संभावित रूप से आय एवं उत्पादकता की क्षति में तब्दील हो जाती है। वर्ष 2015 के एक अध्ययन ने इसका अनुमान लगाया है कि इससे विकासशील देशों में महिलाओं एवं अर्थव्यवस्थाओं को $9 ट्रिलियन का नुकसान हो सकता है।
- **लैंगिक असमानता :** अवैतनिक कार्य का असमान वितरण पारंपरिक लैंगिक भूमिकाओं को मज़बूत करता है और महिलाओं की शिक्षा, रोज़गार एवं नेतृत्व के अवसरों तक पहुँच को सीमित करता है।
- **स्वास्थ्य एवं कल्याण :** अपने निजी समय की कमी महिलाओं के मानसिक एवं शारीरिक स्वास्थ्य को प्रभावित करती है जिससे तनाव व ईर्ष्या उत्पन्न होती है।

समय की कमी के मुद्दे का समाधान करना

- **ज़िम्मेदारियों का पुनर्वितरण :** पुरुषों को घरेलू दायित्व और देखभाल ज़िम्मेदारियों को साझा करने के लिए प्रोत्साहित करने से महिलाओं पर कार्य का बोझ कम करने में मदद मिल सकती है।
- **नीतिगत हस्तक्षेप :** सवैतनिक पारिवारिक अवकाश (Paid Family Leave), किफायती बाल देखभाल एवं लचीली कार्य व्यवस्था जैसी नीतियों को लागू करने से महिलाओं को कार्य व पारिवारिक जीवन के बीच संतुलन बनाने में सहायता मिल सकती है।
- **जन-जागरूकता :** पारंपरिक लिंग मानदंडों को चुनौती देने और साझा ज़िम्मेदारियों को बढ़ावा देने के अभियान दीर्घकालिक बदलाव के लिए आवश्यक हैं।
- **डाटा-संचालित समाधान :** नियमित समय उपयोग सर्वेक्षण से लैंगिक असमानताओं के बारे में मूल्यवान जानकारी प्राप्त हो सकती है और लक्षित हस्तक्षेपों की जानकारी मिल सकती है।

यमुना : रेत खनन एवं नदी तल का कटाव

संदर्भ

- उत्तराखंड के देहरादून ज़िले में यमुना में रेत खनन हो रहा है। कभी स्वदेशी समुदायों का आवास रहा यह स्थान वर्ष 2022 में नदी पर 120 मेगावाट की व्यासी जल-विद्युत परियोजना के कारण पानी में डूब गया था।

- अनियंत्रित रेत खनन एवं नदी तल के कटाव के कारण यमुना नदी गंभीर पर्यावरणीय चुनौतियों का सामना कर रही है। इन गतिविधियों ने न केवल नदी के पारिस्थितिक संतुलन को बाधित किया है, बल्कि नदी पर निर्भर समुदायों की आजीविका के लिए भी खतरा पैदा किया है।

रेत खनन का प्रभाव

- **पारिस्थितिक क्षरण :** नदी तल से रेत निकलने से जलीय पौधों एवं जानवरों के प्राकृतिक आवास तितर-बितर हो जाते हैं। यह खाद्य श्रृंखला को प्रभावित करता है जिससे मछली व अन्य दूसरी जलीय प्रजातियों में कमी आती है।
- **नदी तल का कटाव :** अत्यधिक रेत खनन से नदी तल का कटाव बढ़ जाता है जिससे नदी अपना मार्ग बदल लेती है। इससे उपजाऊ कृषि भूमि की क्षति हो सकती है और पुलों एवं सड़कों जैसे बुनियादी ढाँचों को नुकसान पहुँच सकता है।
- **पानी की गुणवत्ता :** रेत खनन से नदी के पानी का गदलापन बढ़ जाता है जिससे पानी की गुणवत्ता कम हो जाती है। तलछट में वृद्धि से सिंचाई प्रणाली भी अवरुद्ध हो सकती है और घरेलू एवं कृषि उपयोग के लिए पानी की आपूर्ति भी प्रभावित हो सकती है।
- **बाढ़ :** रेत को निकालने से नदी का प्राकृतिक बाढ़ का मैदान विकृत हो जाता है, जिससे बाढ़ के पानी को सोखने की नदी की क्षमता घट जाती है। इससे आसपास के इलाकों में बाढ़ का खतरा बढ़ जाता है जिससे जान-माल के जोखिम में वृद्धि होती है।

सामाजिक एवं आर्थिक परिणाम

- **आजीविका :** कई समुदाय मत्स्यन एवं कृषि के अलावा अपनी अन्य आजीविका के लिए यमुना नदी पर निर्भर हैं। नदी के पारिस्थितिकी तंत्र के क्षरण से उनकी आय एवं खाद्य सुरक्षा को खतरा है।
- **स्वास्थ्य जोखिम :** नदी के पानी की बढ़ती गंदगी एवं प्रदूषण से उन समुदायों के लिए स्वास्थ्य संबंधी खतरे उत्पन्न हो जाते हैं जो पीने के पानी एवं स्वच्छता के लिए यमुना के जल पर निर्भर हैं।
- **अवैध गतिविधियाँ :** गैर-कानूनी रेत खनन प्राय: अवैध गतिविधियों से संबंधित होता है जिसमें भ्रष्टाचार एवं श्रम का शोषण जैसे अपराध शामिल हैं। अवैध खनन कार्यों में शामिल श्रमिकों को असुरक्षित कार्य स्थितियों एवं न्यूनतम वेतन का सामना करना पड़ता है।

जोखिम को कम करने के उपाय

- **विनियमन एवं प्रवर्तन :** अवैध रेत खनन गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए विनियमन एवं प्रवर्तन तंत्र को मज़बूत करना आवश्यक है। इसमें खनन स्थलों की नियमित निगरानी एवं उल्लंघन के लिए सख्त दंड का प्रावधान शामिल है।
    - वर्ष 2022 में उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने पूरे राज्य में नदी तल सामग्री के मशीनीकृत खनन पर प्रतिबंध लगा दिया।
- **संधारणीय खनन अभ्यास :** संधारणीय रेत खनन अभ्यास को बढ़ावा देने से पर्यावरणीय प्रभाव अत्यंत कम हो जाता है। इसमें निकाली जा सकने वाली रेत की मात्रा की सीमा तय करना और यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि खनन गतिविधियाँ नदी के प्राकृतिक प्रवाह को बाधित न करें।
- **सामुदायिक सहभागिता :** नदी के प्रबंधन एवं संरक्षण में स्थानीय समुदायों को शामिल करने के अंतर्गत रेत खनन के प्रभाव के बारे में जागरूकता बढ़ाना तथा नदी की सुरक्षा के लिए समुदाय के नेतृत्व वाली पहलों को प्रोत्साहित करना शामिल है।
- **पुनरुद्धार परियोजनाएँ :** नदी तल में क्षरण एवं बाढ़ के मैदानों की रिकवरी के लिए नदी पुनरुद्धार परियोजनाओं को लागू करना चाहिए। इसमें पुनर्वनीकरण, मृदा संरक्षण और नदी को अधिक कटाव से बचाने के लिए बफर ज़ोन का निर्माण शामिल है।

जैव-विविधता रिसाव

संदर्भ

साइंस जर्नल में प्रकाशित एक हालिया अध्ययन ने धनी देशों में संरक्षण प्रयासों के अनपेक्षित परिणामों के बारे में चिंता जताई है जो अनजाने में अन्य देशों में जैव-विविधता क्षति में वृद्धि कर सकते हैं। यह इस बिंदु पर प्रकाश डालता है कि किस प्रकार धनी देशों में स्थानीय संरक्षण लाभ के परिणामस्वरूप वैश्विक जैव-विविधता को निवल हानि (Net Harm) हो सकती है।

जैव-विविधता रिसाव (Biodiversity Leakage) के बारे में

- यह संरक्षण नीतियों, व्यापार विनियमों या आर्थिक स्थानांतरण के कारण एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में पर्यावरणीय दबावों के अनपेक्षित हस्तांतरण को संदर्भित करता है।
- यह कार्बन रिसाव को दर्शाता है जहाँ एक देश में कठोर उत्सर्जन नियंत्रण के कारण प्रदूषणकारी उद्योगों को निम्न विनियमित वाले क्षेत्रों की ओर स्थानांतरित कर दिया जाता है।

अध्ययन के निष्कर्ष

- **प्रजातियों का नुकसान :** इस अध्ययन में पाया गया है कि अत्यधिक विकसित देशों द्वारा किया जाने वाला उपभोग दुनिया भर में सभी प्रजातियों की 13.3% हानि के लिए ज़िम्मेदार था।
- **प्रमुख योगदानकर्ता :** अमेरिका, जर्मनी, जापान एवं चीन जैसे देश अपने घरेलू प्रभावों की तुलना में 15 गुना अधिक जैव-विविधता हानि का कारण बने। इस अध्ययन ने इस बात

पर प्रकाश डाला है कि विश्लेषण किए गए 24 देशों में से 18 देशों में जैव-विविधता हानि पर घरेलू प्रभावों की तुलना में अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव अधिक था।

जैव-विविधता रिसाव के कारण

- **हानिकारक गतिविधियों का विस्थापन :** लॉगिंग प्रतिबंध (Logging Bans), भूमि संरक्षण या मत्स्यन संबंधी प्रतिबंध प्रायः कम सुरक्षा वाले क्षेत्रों में शोषणकारी गतिविधियों को बढ़ावा देते हैं।
  - उदाहरण के लिए, इंडोनेशिया में लॉगिंग पर प्रतिबंध ने पड़ोसी देश मलेशिया एवं पापुआ न्यू गिनी में वनों की कटाई को बढ़ावा दिया है।
  - 'लॉगिंग' किसी वन से वृक्षों को काटने, प्रसंस्करण करने एवं परिवहन करने की प्रक्रिया है। व्यापक अर्थ में 'लॉगिंग' से तात्पर्य वृक्षों की कटाई और उन्हें विभिन्न प्रयोजनों (जैसे- लकड़ी का उत्पादन, कागज़ या ईंधन) के लिए वन से हटाने की प्रक्रिया से है।
- **व्यापार एवं आपूर्ति शृंखला में बदलाव :** जब कोई देश अवैध रूप से काटी गई लकड़ी या वन्यजीव उत्पादों के आयात पर प्रतिबंध लगाते हैं तब ऐसी स्थिति में आपूर्तिकर्ता गैर-विनियमन वाले नए बाज़ार की तरफ रुख कर लेते हैं।
  - उदाहरण के लिए, वनों की कटाई से संबंधित उत्पादों के खिलाफ यूरोपीय संघ के नियमों ने व्यापार प्रवाह को कम विनियमन वाले एशियाई एवं अफ्रीकी बाज़ारों की ओर पुनर्निर्देशित किया है।
- **नीतिगत अंतराल एवं प्रशासनिक विफलताएँ :** संरक्षण नीतियाँ विशिष्ट क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित कर सकती हैं किंतु, जैव-विविधता हानि के प्रणालीगत कारणों को संबोधित करने में विफल रहती हैं।
  - उदाहरण के लिए लैटिन अमेरिका में संरक्षित क्षेत्र अपनी सीमाओं के भीतर वनों की कटाई को कम करने में सफल रहे हैं किंतु उनके बाहर अवैध कटाई में वृद्धि हो गई है।
- **वैश्विक आर्थिक गतिशीलता :** पाम ऑयल, सोया एवं बीफ जैसी वस्तुओं की बढ़ती मांग प्रायः भूमि-उपयोग में परिवर्तन लाती है, भले ही संरक्षण प्रयासों का उद्देश्य वनों की कटाई की रोकथाम हो।
  - उदाहरण के लिए, अमेज़ॅन वनों की कटाई को रोकने के प्रयासों ने सोया उत्पादन को ब्राज़ील के जैव-विविधता वाले सेराडो क्षेत्र में स्थानांतरित कर दिया है।

जैव-विविधता रिसाव के प्रभाव

- **पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं की क्षति :** सरक्षणरहित क्षेत्रों में पारितंत्र का क्षरण होने पर स्थानीय समुदाय का स्वच्छ जल एवं उपजाऊ भूमि जैसे आवश्यक संसाधनों से संपर्क समाप्त हो जाता है।
- **लुप्तप्राय प्रजातियों के लिए खतरा :** कई प्रजातियाँ विभिन्न भू-भागों में प्रवास करती हैं। आवास में इस क्षति से विस्थापन के कारण पहले से ही कम हो रही आबादी को नुकसान पहुँच सकता है।
- **जैव-विविधता वाले क्षेत्रों पर प्रभाव :** अमेरिका के उपभोग का सर्वाधिक प्रभाव मध्य अमेरिका के वन्यजीवों पर पड़ा है और चीन व जापान की मांग के कारण दक्षिण-पूर्व एशिया के वर्षावन क्षेत्रों की प्रजातियाँ प्रभावित हुई हैं।
- **संरक्षण प्रयासों में कमी :** इसकी वजह से संरक्षण नीतियों की विश्वसनीयता एवं प्रभावशीलता कमज़ोर होती है जिसके परिणामस्वरूप वैश्विक जैव-विविधता लक्ष्यों को प्राप्त करना कठिन हो जाता है।
- **सामाजिक एवं आर्थिक व्यवधान :** विशेष तौर पर विकासशील देशों में संरक्षण के लिए किया जाने वाला विस्थापन पर्यावरणीय लक्ष्यों एवं स्थानीय आजीविका के बीच संघर्ष उत्पन्न कर सकता है।
- इसके अतिरिक्त अन्य कारणों में किसी स्थान पर मत्स्यन पर प्रतिबंध लगाना और किसी स्थान पर अत्यधिक मत्स्यन, वनों की कटाई पर प्रतिबंध तथा पाम ऑयल का विस्तार, कार्बन ऑफसेट दुविधा (विस्थापित वनों की कटाई) आदि प्रमुख हैं।

जैव-विविधता रिसाव के लिए समाधान

- **एकीकृत भूमि-उपयोग योजना :** हानिकारक गतिविधियों को समाप्त करने के लिए पूरे क्षेत्र में संरक्षण प्रयासों को सुव्यवस्थित करना।
- **मज़बूत वैश्विक शासन :** संरक्षित क्षेत्रों के अलावा संधारणीयता सुनिश्चित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विनियमन एवं सहयोग को बढ़ाना।
- **समावेशी संरक्षण नीतियाँ :** स्थानीय समुदायों एवं स्वदेशी समूहों को शामिल करके ऐसे समाधान तैयार करना जो संरक्षण एवं आजीविका के बीच संतुलन बनाए रखें।
- **आपूर्ति शृंखला जवाबदेही :** सही तरीके से की गई सोर्सिंग एवं प्रमाणन योजनाओं (जैसे- इमारती लकड़ी के लिए FSC, पाम ऑयल के लिए RSPO) को बढ़ावा देना।
- **पारिस्थितिक क्षतिपूर्ति तंत्र :** यह ध्यान रखना की संरक्षण प्रयासों से अनजाने में पर्यावरणीय क्षति न हो।

अफ्रीकी शहरी ताप सम्मेलन व हीट एक्शन प्लान

संदर्भ

हाल ही में सिएरा लियोन की राजधानी फ्रीटाउन ने पहले अफ्रीकी शहरी ताप शिखर सम्मेलन में अफ्रीका की पहली ताप कार्य योजना का उद्घाटन किया।

अफ्रीकी शहरी ताप शिखर सम्मेलन के बारे में

- इसने अत्यधिक गर्मी के प्रभावों को कम करने के लिए सहयोगी समाधानों की तत्काल आवश्यकता को रेखांकित किया है।
- यह शहरी हीट आइलैंड प्रभाव से निपटने के लिए टिकाऊ शहरी नियोजन एवं हरित बुनियादी ढाँचे के एकीकरण के महत्त्व पर ज़ोर देता है।
- चर्चा के मुख्य बिंदु शहरी हीट आइलैंड, शहरीकरण की तेज़ गति एवं जलवायु परिवर्तन द्वारा उत्पन्न चुनौतियों से संबंधित हैं।
- इसका विषय 'अफ्रीकी शहरों को ताप-प्रतिरोधी बनाना: नवाचार, शिक्षा एवं कार्यों के माध्यम से शहरी ताप से निपटना' है।

अफ्रीका के पहले हीट एक्शन प्लान के प्रमुख घटक

- **शीतलन गलियारा एवं हरित स्थान :** गर्मी के प्रभाव को कम करने और शहरी जीवन-यापन में सुधार करने के लिए छायायुक्त क्षेत्रों एवं हरित बुनियादी ढाँचे का निर्माण करना।
- **बुनियादी ढाँचे का अनुकूलन :** बढ़ते तापमान का सामना करने और गर्मी से संबंधित जोखिमों को कम करने के लिए शहरी बुनियादी ढाँचे को उन्नत करना।
- **कमज़ोर समूहों के लिए सुरक्षात्मक उपाय :** महिलाओं, बच्चों एवं बुजुर्गों के स्वास्थ्य व देखभाल के लिए कल्याणकारी सुरक्षा उपायों से संबंधित कार्यक्रमों को लागू करना।
- **सार्वजनिक जागरूकता अभियान :** समुदायों को गर्मी से संबंधित जोखिमों के बारे में शिक्षित करना और अनुकूल व्यवहार को बढ़ावा देना।

इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली

भारतीय जलवायु राजनीति और नीति का विकास

संदर्भ

भारत में जलवायु नीति के संदर्भ में चल रहा घरेलूकरण/स्थानीयकरण जलवायु और विकास के पृथक्करण से अभी भी बहुत दूर है जिसने भारत की जलवायु बहस के शुरुआती दशकों को सूचित किया गया था । इस बदलाव के कारणों में स्वच्छ ऊर्जा के अर्थशास्त्र में बदलाव और जलवायु प्रभावों के बढ़ते संकेत एवं भू-राजनीतिक कारक भी शामिल थे।

जलवायु नीतियों का बदलता रुख एवं जलवायु परिवर्तन का स्थानीयकरण/घरेलूकरण (domestication)

जलवायु परिवर्तन का "घरेलूकरण" घरेलू राजनीति और नीति में जलवायु परिवर्तन के बढ़ते एकीकरण को संदर्भित करता है।

बदलती नीति

- वैश्विक जलवायु बहस के पहले 20 वर्षों तक, भारत का आधिकारिक रुख विकास पर ध्यान केंद्रित करना तथा जलवायु परिवर्तन को एक अलग क्षेत्र मानना था। इस पृथक्करण को बनाए रखना तथा विकसित देशों पर कार्रवाई का भार डालना, भारतीय जलवायु कूटनीति का प्रमुख उद्देश्य था। वर्ष 1990 और वर्ष 2000 के दशक में यह दृष्टिकोण काफी सार्थक रहा। जिसके निम्न कारण रहे –
  - भारत का प्रति व्यक्ति ऊर्जा उपयोग कम था और विकास के लिए ऊर्जा की ज़रूरत काफी थी।
  - जीवाश्म ईंधन अब तक उपलब्ध ऊर्जा का सबसे सस्ता रूप था।
  - विकसित दुनिया निर्विवाद रूप से ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन के संचय के लिए ज़िम्मेदार है।
- वर्ष 2020 के दशक में, संदर्भ और भारत का रुख, दोनों ही कुछ हद तक भिन्न हैं, यद्यपि इसमें निरंतरता के महत्त्वपूर्ण तत्त्व मौजूद हैं।
  - चूँकि विकास के लिए भारत की ऊर्जा की ज़रूरतें अभी भी काफी हैं हालाँकि अक्षय स्रोत अब पहले की तुलना में सस्ते हैं ,लेकिन विकसित दुनिया संकट के लिए उस ज़िम्मेदारी को पूरा करने के बहुत कम संकेत दे रही है।
- इस बदले हुए संदर्भ में, इस बात के संकेत बढ़ रहे हैं कि विकास पर घरेलू निर्णय लेने में जलवायु परिवर्तन के विचारों को आंतरिक रूप से शामिल किया जा रहा है अक्सर, भारतीय जलवायु बहस को द्विआधारी विकल्प में धकेल दिया जाता है जो या तो वर्ष 1990 के दशक के विकास-जलवायु विभाजन की ओर वापसी हो या विकास चुनौतियों को जलवायु अनिवार्यता के अंतर्गत समाहित करने की तीव्र इच्छा।

समानता, अवसर और परिवर्तन का अंतर्संबंध

- जलवायु समानता, भारत की जलवायु राजनीति का मूल रही है जो कि आज भी है। यह इस तथ्य में निहित है कि अमीर देशों और लोगों ने गरीब लोगों और देशों की तुलना में जी.एच.जी. उत्सर्जन में बहुत अधिक योगदान दिया है, जबकि गरीब लोग असमान रूप से जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को सहन करते हैं।
- भारत का ग्रीनहाउस उत्सर्जन में विश्व में चौथा स्थान है ऐसे में भारत के जलवायु परिवर्तन से निपटने के प्रयास वैश्विक स्तर पर जलवायु नीतियों को प्रभावित करते हैं।
- वैश्विक स्तर पर जलवायु समानता का क्रियान्वयन एक विवादास्पद कार्य रहा है, जिसमें विभिन्न नैतिक अवधारणाओं द्वारा समर्थित विभिन्न मापदंडों एवं विभिन्न हितों की पूर्ति होती है।

- इस संदर्भ में विश्वसनीय नैतिक सिद्धांत संयुक्त राष्ट्र (यूएन) फ्रेमवर्क कन्वेंशन में निहित हैं जिसमें आवश्यकता, समानता, जलवायु परिवर्तन के लिए ज़िम्मेदारी, तथा इससे निपटने की क्षमता आदि शामिल हैं।

- हालाँकि जलवायु समानता के विचार का क्रियान्वयन न होना विकसित एवं विकासशील देशों के बीच विभिन्न मुद्दों पर असहमति के कारण भी है।
  - हालाँकि इस संदर्भ में भारत द्वारा हमेशा एक सुझाव दिया जाता रहा है जो कि वैश्विक कार्बन बजट के प्रति व्यक्ति के आधार पर विभाजित करने पर आधारित है।
  - इसकी चर्चा आर्थिक सर्वेक्षण 2022–23 में भी की गई है कि वैश्विक कार्बन बजट में न्यायसंगत और उचित हिस्सेदारी का अधिकार जलवायु न्याय को क्रियान्वित करने का सबसे बेहतर तरीका है।

विभिन्न क्षेत्रों में जलवायु परिवर्तन को मुख्यधारा में लाना

- भारतीय अर्थव्यवस्था को कम कार्बन वाले भविष्य में बदलने के लिए मांग और आपूर्ति दोनों पक्षों पर जीवाश्म ईंधन के दहन से आर्थिक विकास को अलग करने का एक चुनौतीपूर्ण कार्य है –
  - उदाहरण के लिए, मांग से संबंधित परिवर्तनों के लिए पैदल चलने और सार्वजनिक परिवहन के लिए डिज़ाइन किए गए शहरीकरण व कम शीतलन की आवश्यकता वाली इमारतों की आवश्यकता होती है, जबकि भारत के शहरों को आवास, अपशिष्ट प्रबंधन और पानी की बुनियादी सेवाओं से संबंधित समस्याएँ पहले ही विद्यमान हैं।
- भारत में ऊर्जा आपूर्ति में परिवर्तन केवल तकनीकी परिवर्तन नहीं हैं बल्कि वे राजनीतिक और संस्थागत भी हैं, जिसका सबसे अच्छा उदाहरण बिजली क्षेत्र है।
  - इसके लिए कम कार्बन संक्रमण के लिए बिजली को डीकार्बोनाइज़ करना महत्त्वपूर्ण है, क्योंकि यह परिवहन जैसे क्षेत्रों में उत्सर्जन को कम करने में भी सक्षम बनाता है।
- कृषि क्षेत्र को भी जलवायु अनुकूलन में शामिल करना एक अन्य महत्त्वपूर्ण क्षेत्र हो सकता है वर्तमान में कृषि जैसे क्षेत्रों में अनुकूलन संबंधी विचारों को भी शामिल किया जा रहा है।
  - इस संदर्भ में अरावली ज़िले में किए गए एक अध्ययन में पाया गया है कि जलवायु परिवर्तन के कारण होने वाले सूखे, वर्षा में व्यवधान, प्रतिरोधी कीटों के उभरने और फसल रोगों के प्रसार द्वारा छोटे किसानों को प्रभावित कर रहा है इसके प्रभावों को कम करने के लिए किसानों ने स्वयं को पहले से ही पानी और भूमि-उपयोग प्रथाओं में बदलाव करके खुद को इसके प्रति समायोजित कर लिया।
- दक्षिण भारत में एक सर्वेक्षण में उन कारकों को समझने की कोशिश की गई जो किसानों द्वारा फसल विविधीकरण, मृदा और जल संरक्षण, तथा एकीकृत कृषि प्रणालियों जैसे अनुकूलन प्रथाओं को अपनाने को प्रभावित करते हैं।
  - इसमें पाया गया कि कृषि और कृषि से इतर आय तथा किसान अनुभव जैसे कारक अनुकूली रणनीतियों को निर्धारित करने में सहायक होते हैं ,लेकिन जलवायु संबंधी जानकारी तक पहुँच के लिए शिक्षा का स्तर भी महत्त्वपूर्ण है।

जलवायु-तैयार राज्य का निर्माण

- एक 'जलवायु-तैयार राज्य' का निर्माण करने के लिए न केवल राज्य क्षमता की मौजूदा क्षमताओं को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है, बल्कि इसके लिए जलवायु परिवर्तन के कारण उत्पन्न अतिरिक्त चुनौतियों का समाधान भी किया जाना चाहिए इस संदर्भ में निम्नलिखित कार्य किए जाने की आवश्यकता है –
- सामाजिक और आर्थिक रूप से विघटनकारी बदलावों को प्रबंधित करने की क्षमता विकसित करना
- विभिन्न क्षेत्रों में समन्वय करना और ज्ञान संस्थानों को मज़बूत करना
- अनुकूलन के लिए विकेंद्रीकृत निर्णय लेने को सक्षम बनाना
- कम कार्बन, लचीले बदलावों की दिशा में एक मार्ग तैयार करने के लिए एक कानूनी ढाँचा तैयार करना

जल प्रबंधन के विभिन्न आयाम

संदर्भ

वर्तमान वैश्विक परिदृश्य में विभिन्न प्रकार की जल प्रबंधन प्रथाओं का सामाजिक-आर्थिक विकास पर व्यापक प्रभाव पड़ता है। हालाँकि, इस परिपेक्ष्य में विभिन्न अवसरों के साथ अनेक चुनौतियाँ भी हैं जो हालिया समय में चर्चा का प्रमुख विषय भी है। चूँकि सतत् विकास लक्ष्य 6 का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सभी को स्वच्छ जल एवं स्वच्छता तक पहुँच प्राप्त हो, ऐसे में भारत जैसे विकासशील देश में जल प्रबंधन अधिक महत्त्वपूर्ण हो जाता है

जल की बढ़ती मांग

- जनसंख्या वृद्धि और बेहतर जीवन स्तर के परिणामस्वरूप उच्च गुणवत्ता वाले नगरपालिका व औद्योगिक जल की मांग में लगातार वृद्धि के साथ ही अपशिष्टों की मात्रा में भी लगातार वृद्धि होगी। इसके अलावा आबादी की बढ़ती खाद्य मांगों को पूरा करने के लिए कृषि सिंचाई के पानी की बढ़ती मात्रा की आवश्यकता होगी।
- जलीय जीवन, वन्यजीव, मनोरंजन, दर्शनीय मूल्य व नदी के किनारे के आवास जैसे पर्यावरणीय चिंताओं के लिए पानी की अधिक मात्रा की आवश्यकता होगी। इस प्रकार, बढ़ी हुई जल प्रतिस्पर्द्धा का अनुमान लगाया जा सकता है।

- ऐसा अनुमान है कि आने वाले समय में पानी की औद्योगिक ज़रूरत दोगुनी हो जाएगी, जिसका एक बड़ा हिस्सा पानी की अधिक खपत वाले उद्योगों में उपयोग होगा, जिसमें स्टील, तेल रिफाइनरियाँ, बिजली, कागज़ व लुगदी एवं स्टील शामिल हैं।

जल की वहनीयता : एक वैश्विक मुद्दा

- पेयजल की गुणवत्ता मानव स्वास्थ्य के प्राथमिक निर्धारकों में से एक है। हालाँकि, कई देशों में, विशेष रूप से विकासशील देशों में पानी की गुणवत्ता अवांछनीय है और पेयजल की खराब गुणवत्ता कई जलजनित बीमारियों के प्रसार का कारण बना है।
- इंटरनेशनल जर्नल ऑफ एनवायरनमेंटल रिसर्च एंड पब्लिक हेल्थ ने सार्वजनिक स्वास्थ्य पर पीने के पानी की गुणवत्ता के प्रभावों की गहरी समझ प्राप्त करने के लिए 'एक्सपोजर एंड हेल्थ' पर एक विशेष अंक प्रकाशित किया, ताकि विभिन्न देशों में इसे बेहतर बनाने के लिए उचित कदम उठाए जा सकें।
- कई देशों में मानव जीवन के लिए पानी की वहनीयता एक आधिकारिक उद्देश्य और कानूनी आवश्यकता है। हालाँकि, पानी के उपभोग की कीमत उचित होनी चाहिए, लेकिन पानी के लिए उचितता या आर्थिक पहुँच की सीमा निर्धारित करने के लिए कोई सहमत तरीका नहीं है।
- विकासशील एवं संक्रमणकालीन देशों में वहनीयता सूचकांक प्राय: उन मामलों में अधिक होता है जहाँ देश जल सब्सिडी को कम करना चाहता है।
- एशिया में सबसे सस्ते पेयजल कीमतों वाले नामित वैश्विक शहरों का एक महत्त्वपूर्ण हिस्सा है।

जल प्रबंधन के विभिन्न अवसर एवं चुनौतियाँ

अवसर

- **प्रौद्योगिकी प्रगति**
  - जल स्तर एवं गुणवत्ता की निगरानी के लिए रिमोट सेंसिंग
  - वास्तविक समय डाटा संग्रह के लिए IoT डिवाइस
  - उन्नत जल उपचार प्रौद्योगिकियाँ
  - स्मार्ट सिंचाई प्रणालियाँ
  - जल-कुशल उपकरण
- **टिकाऊ प्रथाएँ**
  - अपशिष्ट जल का पुन: उपयोग और पुनर्चक्रण
  - एकीकृत जल प्रबंधन दृष्टिकोण
  - आर्द्रभूमि जैसे प्रकृति-आधारित समाधान
- **नीति एवं प्रशासन में सुधार**
  - संरक्षण को प्रोत्साहित करने के लिए जल मूल्य निर्धारण तंत्र
  - जन-जागरूकता अभियान
  - विभिन्न क्षेत्रों में सहयोगात्मक जल प्रबंधन
  - जल अधिकार आवंटन एवं प्रबंधन
- **सामुदायिक सहभागिता**
  - नागरिक विज्ञान पहल
  - सहभागितापूर्ण निर्णय लेना
  - जल संरक्षण शिक्षा कार्यक्रम

चुनौतियाँ

- **जलवायु परिवर्तन के प्रभाव**
  - अनियमित वर्षा पैटर्न
  - सूखे की आवृत्ति एवं गंभीरता में वृद्धि
  - समुद्र स्तर में वृद्धि से तटीय जलभृतों पर प्रभाव
- **कुछ क्षेत्रों में जल की कमी**
  - भू-जल का अत्यधिक दोहन
  - स्वच्छ जल तक असमान पहुँच
- **जल की गुणवत्ता में गिरावट**
  - औद्योगिक एवं कृषि प्रदूषण
  - शहरी अपवाह
  - भू-जल में प्रदूषकों का स्थानांतरण
- **बुनियादी ढाँचे की सीमाएँ**
  - पुराने जल उपचार संयंत्र
  - अपर्याप्त जल वितरण नेटवर्क
- **सामाजिक-आर्थिक कारक**
  - जागरूकता व शिक्षा का अभाव
  - राजनीतिक इच्छा-शक्ति एवं शासन संबंधी मुद्दे
  - निवेश के लिए वित्तीय बाधाएँ

आगे की राह

- बेहतर जल प्रबंधन राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाओं, कृषि व खाद्य क्षेत्रों को वर्षा की परिवर्तनशीलता के प्रति अधिक लचीला बनाता है तथा बढ़ती आबादी की आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम बनाता है, जबकि जल की कमी खाद्य सुरक्षा व ग्रामीण किसानों की आय को कमज़ोर करती है।
- जल संबंधी पारिस्थितिकी तंत्र और उनकी जैव-विविधता की रक्षा व पुनर्स्थापना करके जल शोधन एवं गुणवत्ता मानकों को बनाए रखा जा सकता है।
- जल संसाधनों का सतत् प्रबंधन एवं सुरक्षित जल व स्वच्छता तक पहुँच आर्थिक विकास तथा उत्पादकता को बढ़ावा देने के साथ-साथ स्वास्थ्य व शिक्षा में मौजूदा निवेश की प्रभावशीलता को बढ़ाने के लिए महत्त्वपूर्ण है।

साइन्स रिपोर्टर

जटामांसी पौधा

संदर्भ

हिमालयी क्षेत्र के पौधे एवं वनस्पतियाँ विश्व की अमूल्य धरोहर हैं। हिमालयी जटामांसी पौधे के औषधीय गुणों और बहुमूल्य उपयोगिताओं के कारण आधुनिक चिकित्सा विज्ञान में अनेक अनुसंधान किए जा रहे हैं।

जटामांसी पौधे के बारे में

- **क्या है :** एक महत्त्वपूर्ण औषधीय पौधा
- **अन्य नाम :** तपस्विनी, इंडियन नार्ड आदि
- **वंश (Genus) :** नार्डोस्टैचिस (Nardostachys)
- **कुल (Family) :** कैप्रीफोलिएसिएसी (Caprifoliaceae)
- **उपकुल (Sub-family) :** वेलेरियनोइडिया (Valerianoideae)
- **वितरण :** मुख्यत: हिमालय के पर्वतीय क्षेत्रों में 3,000 से 5,000 मीटर की ऊँचाई पर भारत, नेपाल तथा तिब्बत में
- **भारत में वितरण :** हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश आदि
- **IUCN स्थिति :** अति संकटग्रस्त (CR)
- **जोखिम :** अनियंत्रित संग्रह, अत्यधिक चराई, आवास क्षति और वन क्षति के कारण जोखिम
- **अनुकूल दशाएँ :** नमी वाली ठंडी जलवायु में विकास और पहाड़ी ढलानों, चट्टानी क्षेत्रों व जंगलों में मिलता है।

जटामांसी से प्राप्त रसायन

- इसमें टेरपेनोइड्स (Terpenoids), एस्टर (Esters), अल्कोहल्स (Alcohols) और कुछ महत्त्वपूर्ण एल्कलॉइड्स (Alkaloids) पाए जाते हैं।
- इसके प्रकंदों में सुगंधित तेल नार्डोस्टैचिस जटामांसी होता है जिसमें सेस्क्यूटरपेन्स एवं कीमारिन्स जैसे यौगिक होते हैं।
- इनमें वैलेरानोन (Valeranone), जटामांसीन (Jatamansin), वैलेरिक एसिड (Valericacid) जैसे रासायनिक यौगिक प्रमुख रूप से शामिल हैं।

जटामांसी के उपयोग

- आयुर्वेद और अन्य पारंपरिक चिकित्सा प्रणालियों में
- आधुनिक चिकित्सा विज्ञान में इसके औषधीय गुणों पर विभिन्न अनुसंधान
- न्यूरोप्रोटेक्टिव, एंटीऑक्सीडेंट, एंटी-इंलेमेटरी जीवाणुरोधी, एंटीफंगल, कीटनाशक, एंटीडिप्रेसेंट एवं हृदय को सुरक्षा प्रदान करने वाले गुण
- मानसिक विकार एवं मस्तिष्क के तंत्रिका संचारण के संतुलन में सहायक
- स्मरण शक्ति सुधारने में उपयोगी
- पाचन तंत्र, हृदय स्वास्थ्य एवं संतुलित रक्तचाप में सहायक

जटामांसी का महत्त्व

- **ऐतिहासिक महत्त्व :** यूनान, मिस्र, रोमन एवं अरब की सभ्यताओं में भी इसका औषधीय महत्त्व था।
  - जटामांसी के औषधीय गुणों का वर्णन 'सुश्रुत संहिता', 'निघंटु चिकित्सा ग्रंथ' और 'चरक संहिता' जैसे आयुर्वेद ग्रंथों में भी है।
- **धार्मिक महत्त्व :** ईसाई धर्म में बाइबल के पुराने और नए नियम में भी इसका उल्लेख मिलता है।
  - यहूदी धर्म में इसे पवित्र मंदिर की ग्यारह जड़ी-बूटियों में गिना जाता है।
  - प्राचीन मिस्र एवं रोम में इससे इत्र व मलहम बनाए जाते थे।
- **आर्थिक एवं पर्यावरणीय महत्त्व :** इसके व्यावसायिक उपयोग में आयुर्वेदिक दवाइयाँ, सौंदर्य प्रसाधन और सुगंधित तेल शामिल हैं।

सबमरीन ग्राउंडवाटर डिस्चार्ज

सबमरीन ग्राउंडवाटर डिस्चार्ज (Submarine Groundwater Discharge : SGD) के बारे में

सबमरीन ग्राउंडवाटर डिस्चार्ज से तात्पर्य भूमि से समुद्र की ओर जल के प्रवाह से है, जिसमें ताज़ा भू-जल एवं पुन: परिसंचारी समुद्री जल व भू-जल शामिल होते हैं, चाहे उनकी रासायनिक संरचना एवं उनको प्रभावित करने वाले कारक कुछ भी हों।

- सबमरीन ग्राउंडवाटर डिस्चार्ज की परिघटना समुद्री जल अंतर्वेधन (Seawater Intrusion : SWI) के विपरीत है और यह आमतौर पर पारगम्य तटीय जलभृत क्षेत्रों में होती हैं जिनका जल स्तर औसत समुद्री तल से अधिक है और समुद्र से संबद्ध है।
  - समुद्री जल का अंतर्वेधन तब होता है जब समुद्री जल मीठे पानी के भू-जल आपूर्ति के साथ मिल जाता है। यह समुद्र स्तर में वृद्धि के कारण स्वाभाविक रूप से हो सकता है या मानवीय गतिविधियों के कारण भी हो सकता है।

एस.जी.डी. को प्रभावित करने वाले कारक

- एस.जी.डी. को प्रभावित करने वाले कारकों में बारिश, भू-जल का पुनर्भरण, हाइड्रोलिक परिवर्तन, हाइड्रोलिक ढाल (पानी का उच्च से निम्न स्तर तक प्रवाह), भूविज्ञान एवं भू-जल निर्वहन आदि शामिल हैं।
- इसके अलावा क्षेत्र की भू-आकृति विज्ञान, आसपास की चट्टानों/मृदा के गुण (पारगम्यता, छिद्रण), ज्वार, लहर, जलवायु, मौसमी उतार-चढ़ाव व तट के निकट स्थलाकृतियाँ भी एस.जी.डी. को प्रभावित करने वाले कारकों में महत्त्वपूर्ण हैं।

एस.जी.डी. का महत्त्व

- एस.जी.डी. तटीय समुद्रों में महत्त्वपूर्ण मात्रा में ट्रेस धातुओं व पोषक तत्त्वों को पहुँचाता है तथा जलभृतों को लवणीकरण से बचाता है। एस.जी.डी. और तटीय जलभृतों के साथ समुद्री जल की परस्पर क्रिया से जल बजट, कई तत्त्वों के भू-रासायनिक चक्र व जल का जैविक विज्ञान प्रभावित हो सकती है।
- पोषक तत्त्वों का संवर्द्धन-'यूट्रोफिकेशन' (जल निकायों में पोषक तत्त्वों का संचयन सूक्ष्मजीवों की वृद्धि करता है और पानी में ऑक्सीजन को कम करता है) एवं 'फाइटोप्लांकटन' (सूक्ष्म समुद्री शैवाल जिस पर जीव पनपते हैं) को प्रभावित करता है तथा हाइपोक्सिया (ऑक्सीजन की कमी) की ओर ले जाता है।

एस.जी.डी. के उपयोग

- ताज़ा एस.जी.डी. का उपयोग लंबे समय से संसाधन के रूप में किया जाता रहा है और अब भी कुछ दूरदराज़ की आबादी द्वारा इसका उपयोग किया जाता है। शोधकर्ताओं ने एस.जी.डी. के निम्नलिखित पाँच व्यापक उपयोग बताए हैं-
- **मीठे पानी के स्रोत के रूप में :** कुछ तटीय क्षेत्रों में रहने वाले समुदाय ताज़े एस.जी.डी. का उपयोग सीधे तौर पर पीने के लिए करते हैं, विशेषकर जहाँ मीठे पानी के अन्य स्रोत सीमित हैं।
  - 20वीं सदी के मध्य तक नावों में समुद्र से एकत्र किया गया ताज़ा पानी भरा जाता था और बेचा जाता था। लीमा (पेरू) के पास एस.जी.डी. पानी को ट्रकों में पंप करके आपूर्ति किया जाता है, जबकि इंडोनेशिया में कुछ तटीय स्थानों पर लोग पीने के लिए एस.जी.डी. का उपयोग करते हैं।
- **स्वच्छता संबंधी उपयोग :** पोसानियस के प्राचीन अभिलेखों में प्राचीन इटली के एट्रस्केन साम्राज्य में डिकारचिया में एस.जी.डी. का उपयोग स्नान आदि के लिए किया जाता था। 19वीं शताब्दी में एट्रेट (फ्राँस) में समुद्र तट के गड्ढों में ताज़े पानी का उपयोग धुलाई के लिए किया जाता था।
  - ताज़ा एस.जी.डी. का उपयोग फिजी (कोरो द्वीप), पापुआ न्यू गिनी (आंद्रा द्वीप) और कोटाबारो व क्विसिको (मोज़ाम्बिक) में कपड़े की धुलाई के लिए किया जाता है।
- **कृषि संबंधी गतिविधियों में :** इंडोनेशिया के दक्षिणी जावा में मवेशियों को ताज़ा एस.जी.डी. दिया जाता था और वेडन सागर में छोटे द्वीपों में इसका उपयोग किया जाता था। किवेरी (ग्रीस) में एस.जी.डी. को समुद्र में एक रिंग संरचना में बांध दिया गया है जिसका प्रयोग व्यापक रूप से सिंचाई के लिए किया जाता है।
- **मनोरंजन गतिविधियों में :** एस.जी.डी. का उपयोग आमतौर पर प्रत्यक्ष रूप से मनोरंजन के लिए नहीं किया जाता है, लेकिन कुछ स्थितियों में, उच्च एस.जी.डी. वाले क्षेत्र पोषक तत्त्वयुक्त वातावरण बनाकर अप्रत्यक्ष रूप से मनोरंजक गतिविधियों का समर्थन कर सकते हैं जो समुद्री जीवन आबादी को बढ़ावा देते हैं, जिसमें मछली पकड़ना, गोताखोरी व जल-आधारित अन्य मनोरंजन आदि शामिल हैं।
- **सांस्कृतिक गतिविधियों में :** एस.जी.डी. सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए महत्त्वपूर्ण हो सकता है क्योंकि यह प्रायः समुद्र में सीधे उभरने वाले मीठे पानी के झरनों के रूप में प्रकट होता है जिससे दुनिया भर के कई संस्कृतियों में आध्यात्मिक एवं धार्मिक महत्त्व होता है। लोग इन झरनों का उपयोग अनुष्ठानिक स्नान, आशीर्वाद के लिए करते हैं और यहाँ तक कि समुद्र में ताज़े पानी की 'चमत्कारी' उपस्थिति के कारण उन्हें पौराणिक उत्पत्ति से जोड़ते हैं। यह मूलतः स्थानीय लोककथाओं व विश्वासों से जुड़ा एक पवित्र स्थल होता है।

ताज़ा एस.जी.डी. के लिए जोखिम

- जब खारा जल तटीय जलभृतों में प्रवेश कर जाता है, तो एस.जी.डी. नष्ट हो सकता है। स्थलीय प्रदूषक तटीय पारिस्थितिकी तंत्र को प्रभावित करते हैं, विशेषकर उष्णकटिबंधीय पोषक तत्त्वों से वंचित क्षेत्रों में।
- वैश्विक, स्थानीय एवं जलवायु परिवर्तन एस.जी.डी. को प्रतिकूल रूप से प्रभावित कर सकते हैं। भू-जल पंपिंग एवं क्षेत्रीय अवतलन में वृद्धि से समुद्र का स्तर बढ़ सकता है और ताज़ा एस.जी.डी. कम हो सकता है।

एस.जी.डी. का भारतीय परिदृश्य

- जल शक्ति मंत्रालय के केंद्रीय भू-जल बोर्ड द्वारा वर्ष 2012 में राष्ट्रीय जलभृत प्रबंधन परियोजना (NAQUIM) की शुरुआत की गई।
- NAQUIM क्षेत्र और प्रयोगशाला विधियों के माध्यम से जलभृतों का मानचित्रण करता है तथा भू-जल की मात्रा, गुणवत्ता व स्थिरता को चिह्नित करता है।

भारत के मध्य-पश्चिमी तट पर एस.जी.डी. की संभावना

- उत्तरी गोवा एवं सिंधुदुर्ग ज़िले के बीच तटीय क्षेत्र एस.जी.डी. के लिए महत्त्वपूर्ण स्थितियाँ उपलब्ध कराते हैं जिनमें शामिल हैं-
  - दक्षिण महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग में पहाड़ी परिदृश्य व चट्टानें
  - उच्चस्तरीय जलभृतों की घटना
  - उत्तरी गोवा में चापोरा एवं तेरेखोल जैसी बड़ी नदियों की उपस्थिति
  - सिंधुदुर्ग ज़िले में करली, देवगढ़, वागोटन, तिलारी व गाद नदियों की उपस्थिति
  - समुद्र में मीठे पानी के प्रवाह के लिए अनुकूलित खड़ी समुद्री स्थलाकृति

- ये सभी कारक पर्याप्त भू-जल की उपस्थिति और तट के पास तथा समुद्र तल से ऊपर जलभृतों के निर्माण के लिए उपयुक्त हैं साथ ही एस.जी.डी. के लिए आवश्यक हैं।

आगे की राह

- एस.जी.डी. का अध्ययन उन देशों में महत्त्वपूर्ण है जहाँ तटीय आबादी बड़े पैमाने पर भू-जल पर निर्भर है। 800 करोड़ की वैश्विक आबादी का 37% हिस्सा तट के करीब रहता है, इसलिए एस.जी.डी. का गहन परीक्षण किया जाना चाहिए।
- एस.जी.डी. भूमि-समुद्र इंटरफेस में होता है, इसलिए इसके वैज्ञानिक पक्षों व वातावरण को अच्छी तरह से चित्रित करने की आवश्यकता है।
- तटीय समुद्रों में पोषक तत्त्वों व प्रदूषकों के परिवहन में एस.जी.डी. एक महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है और ये समुद्री जीवों की वृद्धि व क्षय को प्रभावित करते हैं।
- भविष्य के जल निष्कर्षण पैटर्न, मांग एवं आपूर्ति, भूमि उपयोग में परिवर्तन व जलवायु परिवर्तन जैसे कारक एस.जी.डी. व तटीय एवं मुहाना प्रक्रियाओं के युग्मन को प्रभावित कर सकते हैं।

किशोरावस्था में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का प्रभाव

संदर्भ

हाल ही में ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने ऐसे कानून पेश करने की योजना की घोषणा की है, जो 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का उपयोग करने से रोकेगा। ऐसे में इस प्रकार के कानून पर चर्चा करना वर्तमान में प्रासंगिक हो जाता है।

सोशल मीडिया साइट्स के लाभ

- सोशल मीडिया लोगों के बीच संवाद के ऐसे माध्यम के रूप में काम करता है जिसके ज़रिए वे वर्चुअल समुदायों तथा नेटवर्क में जानकारी व विचारों का निर्माण एवं उनका आदान-प्रदान करते हैं।
- सोशल नेटवर्किंग साइट्स व्यक्तियों व संगठनों को पारंपरिक प्रचार या शैक्षणिक तरीकों से बेजोड़ गति से जानकारी साझा करने और आदान-प्रदान करने में सक्षम बनाती हैं।
- सोशल मीडिया ने लोगों के बीच जानकारी साझा करने के तरीके को बदल दिया है। परिणामस्वरूप, यह निर्णय लेने में नागरिक भागीदारी को प्रोत्साहित करके सुशासन को बढ़ावा देने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
- सोशल मीडिया का प्रमुख लाभ है कि यह सशक्तीकरण के लिए एक शक्तिशाली उपकरण के रूप में उभरा है। सोशल मीडिया ने नागरिकों और उनकी चुनी हुई सरकार व राजनेताओं के बीच की खाई को कम किया है जिससे लोकतंत्र में अधिक भागीदारी हुई है।

सोशल मीडिया का प्रभाव

- सोशल मीडिया बच्चों व युवाओं को साइबरबुलिंग, हानिकारक सामग्री एवं ऑनलाइन फ्रॉड सहित कई संभावित जोखिमों के संपर्क में लाता है।
- अध्ययनों से पता चलता है कि सोशल मीडिया का अत्यधिक उपयोग स्वस्थ मस्तिष्क विकास, नींद व शैक्षणिक प्रदर्शन में बाधा डाल सकता है।
- सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, उपयोगकर्ताओं से बड़ी मात्रा में व्यक्तिगत डाटा एकत्र करते हैं और बच्चे पूरी तरह से समझ नहीं पाते हैं कि उनका डाटा कैसे एकत्रित व उपयोग किया जाता है।
- सोशल मीडिया का अत्यधिक उपयोग मस्तिष्क के उन हिस्सों को प्रभावित कर सकता है जो भावनाओं व सीखने से संबंधित हैं। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 के तहत सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यस्थ दिशा-निर्देश एवं डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021 में सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को शिकायत निवारण और अनुपालन तंत्र स्थापित करने के लिए कहा गया है, जिसमें एक रेजिडेंट शिकायत अधिकारी, मुख्य अनुपालन अधिकारी एवं एक नोडल संपर्क व्यक्ति की नियुक्ति शामिल है।

क्या किया जाना चाहिए

- पहुँच को प्रतिबंधित करने से माता-पिता व अभिभावकों को अपने बच्चों की ऑनलाइन गतिविधियों को बेहतर ढंग से निर्देशित करने और यह सुनिश्चित करने में मदद मिलती है कि वे निगरानी के साथ इस प्लेटफॉर्म का उपयोग करें।
- हमें बच्चों और युवाओं को ऑनलाइन स्पेस को बेहतर तरीके से नेविगेट करने में मदद करने की भी आवश्यकता है, यह सुनिश्चित करके कि राष्ट्रीय पाठ्यक्रम में डिजिटल साक्षरता और ऑनलाइन सुरक्षा सिखाने पर विशेष ध्यान दिया जाए। युवाओं को इस बारे में गंभीरता से सोचना व सिखाना चाहिए।
- माता-पिता और शिक्षकों को उचित मार्गदर्शन व सहायता प्रदान करने में मदद करने के लिए बेहतर उपकरणों तथा संसाधनों की भी आवश्यकता है।
- ऐसे कम प्रतिबंधात्मक विकल्प उपलब्ध हैं जो अन्य मानवाधिकारों पर गंभीर रूप से नकारात्मक प्रभाव डाले बिना बच्चों व युवाओं को ऑनलाइन नुकसान से बचाने के उद्देश्य को प्राप्त कर सकते हैं।

बच्चों पर सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने के लाभ

युवा उपयोगकर्ताओं के लिए पहुँच पर प्रतिबंध लगाने से गोपनीयता के उल्लंघन और बड़ी प्रौद्योगिकी कंपनियों द्वारा व्यक्तिगत डाटा के दोहन को कम करने में मदद मिल सकती है। इसकी पहुँच को प्रतिबंधित करने से उनके मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक स्वास्थ्य को सुरक्षित रखने में मदद मिलेगी।

निबंध उद्धरण

शहरीकरण से संबंधित उद्धरण

- भारत में शहरीकरण उसके गाँवों एवं ग्रामीणों के लिए एक मंद किंतु निश्चित मृत्यु है। *–महात्मा गांधी*
- मैं शहरी जीवन से मिलने वाले अनेक सांस्कृतिक लाभों को लेना पसंद करता हूँ और मुझे गाँव की भी कुछ चीज़ें पसंद हैं। *–जवाहर लाल नेहरू*
- स्मार्ट आवास गाँवों एवं शहरों का एक एकीकृत क्षेत्र है जो सामंजस्य के साथ काम करता है और जहाँ ग्रामीण व शहरी विभाजन काफी हद तक कम हो गया है। *–ए.पी.जे. अब्दुल कलाम*
- शहरीकरण संकट नहीं बल्कि अवसर है और इसे संकट के रूप में देखना गलत है। केवल गाँव ही नहीं, हम चाहते हैं कि हर किसी को जहाँ भी वे रह रहे हैं, अवसर मिलें। आत्मा गाँव की हो और सुविधा शहर की हो, यही हमारा मानना है। *–प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी*
- एथलेटिक्स प्रतिभा शहरी क्षेत्रों की तुलना में गाँवों में अधिक प्रमुख है क्योंकि अंतर निर्धारित करने वाला मुख्य कारक कड़ी मेहनत है जो एथलीट के प्रशिक्षण का एक अभिन्न अंग है। *–मिल्खा सिंह*
- शहरीकरण विकास एवं आधुनिकीकरण की प्रक्रियाओं का अपरिहार्य परिणाम है। *–मनमोहन सिंह*
- हम न तो शहर विरोधी हैं और न ही ग्रामीण समर्थक। हम जानते हैं कि शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों के बीच एक खाई है; हम केवल इसे पाटने की कोशिश कर रहे हैं। *–एच. डी. कुमारस्वामी*
- पूरी दुनिया भित्तिचित्रों से भरी हुई है। किसी को परवाह नहीं है। यह शहरी शोर का ही एक हिस्सा है। *–बेन ईने*
- शहरीकरण का तात्पर्य केवल शहरी निवासियों की संख्या बढ़ाना या शहरी क्षेत्र का विस्तार करना नहीं है। इससे भी महत्त्वपूर्ण बात यह है कि यह उद्योग संरचना, रोज़गार, रहने के वातावरण और सामाजिक सुरक्षा के मामले में ग्रामीण से शहरी शैली में पूर्ण परिवर्तन के बारे में है। *–ली केकियांग*
- हमारे शहरों के सामने आने वाली चुनौतियों या आवास संकट के लिए कोई 'वन साइज़ फिट फॉर ऑल' समाधान नहीं है किंतु, दोनों मुद्दों पर एक-साथ विचार करने की आवश्यकता है। शहरी डिज़ाइन एवं नियोजन के दृष्टिकोण से अच्छी तरह से जुड़े हुए खुले शहर एक शक्तिशाली प्रतिमान और एकीकरण व समावेशिता के लिए एक इंजन हैं। *–रिचर्ड रोजर्स*
- मुझे लगता है कि अंततः शहर में अधिक प्राकृतिक वातावरण को वापस लाना शहरी विस्तार से निपटने का एक तरीका है। अगर शहर थोड़ा अधिक प्राकृतिक लगते हैं तो लोग वहाँ रहना अधिक पसंद करते हैं, बजाय इसके कि वे बाहर जाकर ज़मीन के दूसरे टुकड़े को बाँट लें जिसे छुआ नहीं जाना चाहिए। *–स्टोन गोसार्ड*
- वर्तमान एवं भविष्य के बीच संतुलन बनाएँ और मैं हर युवा भारतीय को एक सलाह देता हूँ- भारत में, शहरी भारत में, सबसे मुश्किल काम है घर खरीदना। इसलिए सबसे पहले आप घर खरीदने की कोशिश करें क्योंकि इससे आपको सुरक्षा का अहसास होता है। *–राकेश झुनझुनवाला*
- शहरी परिवहन एक बहुत बड़ी वैश्विक चुनौती है। दुनिया को ऐसे लोगों की ज़रूरत है जो कम ऊर्जा वाले परिवहन के वैकल्पिक साधनों का इस्तेमाल करें। *–जेन्स मार्टिन स्किबस्टेड*
- अंततः हमें यह स्वीकार करना होगा कि मनुष्य शहरी परिदृश्यों का निर्माण तो करते रहते हैं किंतु, हम इन स्थानों को अन्य प्रजातियों के साथ साझा करते हैं। *–डेविड सुज़ुकी*
- शहरीकरण भूमि रूपांतरण एवं भूमि वित्तपोषण पर निर्भर रहा है जिसके कारण शहरी विस्तार हो रहा है और कभी-कभी 'घोस्ट टाउन' की भी स्थापना हो रही है। *–मुल्यानी इंद्रावती*
- शहरी कोर में एक ऐसी ऊर्जा होती है जो आपको कहीं और नहीं मिलती है। *–डैन गिल्बर्ट*
- दुनिया के शहरी गरीब एवं अशिक्षित लोग तेज़ी से वंचित होते जा रहे हैं और उनके पीछे छूट जाने का खतरा है। *–टिम बर्नर्स-ली*
- शहरी नवीनीकरण हमेशा घटनाओं की एक श्रृंखला के रूप में होता है और श्रृंखला का एक हिस्सा अभिनव व आशावादी विकासकर्ता होते हैं जो ऐतिहासिक संपत्तियों को बदलने की क्षमता तथा इच्छा रखते हैं। *–डैन गिल्बर्ट*
- सभी विकास का दो-तिहाई हिस्सा शहरों में होता है क्योंकि जनसंख्या घनत्व के कारण हमारे शहरी स्थान आदर्श नवाचार प्रयोगशालाएँ हैं। *–पीटर डायमंडिस*
- औद्योगिक क्रांति और शहरी क्षेत्रों के विकास के कारण गुमनामी की भावना पैदा हुई। *–विंट सेर्फ*
- हमें अपने शहरी क्षेत्रों में भीड़भाड़ को कम करने और अपने ग्रामीण क्षेत्रों में पहुँच व गतिशीलता बढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए। *–जॉन वार्नर*

❑❑❑

क्विक रिवीज़न

महत्त्वपूर्ण तथ्य : एक नज़र में

- भारतीय वायुसेना ने 24 से 28 फरवरी, 2025 तक वायुसेना स्टेशन, जोधपुर में डेजर्ट हंट-2025 नामक एकीकृत त्रि-सेवा विशेष बल अभ्यास का आयोजन किया। इसमें भारतीय सेना के विशिष्ट पैरा (विशेष बल), भारतीय नौसेना के मरीन कमांडो और भारतीय वायुसेना के गरुड़ (विशेष बल) ने कृत्रिम युद्ध वातावरण में एक-साथ भागीदारी की।
- आई.आई.एफ.टी. ने व्यापार एवं लॉजिस्टिक्स शिक्षा को मज़बूत करने के लिए बेल्जियम के ए.ई.पी.सी.- एंटवर्प/फ्लैंडर्स पोर्ट ट्रेनिंग सेंटर के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।
- केरल के मुख्यमंत्री श्री पिनराई विजयन ने पुलिस प्रणालियों और महत्त्वपूर्ण बुनियादी ढाँचे की सुरक्षा के लिए सी-डॉट द्वारा विकसित केरल पुलिस के उन्नत साइबर सुरक्षा संचालन केंद्र का उद्घाटन किया।
- केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पशुधन स्वास्थ्य एवं रोग नियंत्रण कार्यक्रम में संशोधन को मंज़ूरी दी है। इस योजना में पशु औषधि को एक नए घटक के रूप में जोड़ा गया है। दो वर्षों यानी वर्ष 2024–25 और वर्ष 2025–26 के लिए योजना का कुल परिव्यय 3,880 करोड़ रुपए है जिसमें पशु औषधि घटक के तहत अच्छी गुणवत्ता वाली और सस्ती जेनेरिक पशु चिकित्सा दवा एवं दवाओं की बिक्री के लिए प्रोत्साहन प्रदान करने के उद्देश्य से 75 करोड़ रुपए का प्रावधान शामिल है।
- इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन, टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड और टाटा सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग प्राइवेट लिमिटेड ने गुजरात के धोलेरा में भारत के पहले वाणिज्यिक सेमीकंडक्टर फैब के लिए एक राजकोषीय सहायता समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं।
- आदर्श महिला-हितैषी ग्राम पंचायतों पर राष्ट्रीय सम्मेलन 5 मार्च, 2025 को पंचायती राज मंत्रालय द्वारा नई दिल्ली में आयोजित किया गया। इसका उद्देश्य देश के प्रत्येक ज़िले में कम-से-कम एक आदर्श ग्राम पंचायत स्थापित करना है जो महिलाओं एवं बालिकाओं दोनों के लिए अनुकूल हो।
- केंद्रीय युवा कार्य एवं खेल राज्य मंत्री श्रीमती रक्षा खडसे ने गुजरात के गांधीनगर स्थित गिफ्ट सिटी में ऑस्ट्रेलिया-भारत खेल उत्कृष्टता मंच का उद्घाटन किया। इसका उद्देश्य खेल विकास में ऑस्ट्रेलियाई विशेषज्ञता का लाभ उठाना और भारत को वर्ष 2036 ओलंपिक एवं पैरालंपिक की बोली के लिए सर्वोत्तम प्रथाओं से परिचित कराना है।
- तीनों सेनाओं की सैन्य शक्ति का जीवंत प्रदर्शन 'शौर्य वेदनम उत्सव' का पहली बार 7 मार्च, 2025 से बिहार के मोतिहारी में आयोजन किया गया है।
- नरेंद्र मोदी मॉरीशस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान 'ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार' और 'की ऑफ द इंडियन ओशन' से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बन गए।
- आर.बी.आई. को ब्रिटेन के लंदन में सेंट्रल बैंकिंग ने डिजिटल परिवर्तन पुरस्कार, 2025 से सम्मानित किया है। इसमें आर.बी.आई. की इन-हाउस डेवलपर टीम द्वारा विकसित इसकी अभिनव डिजिटल पहलों 'प्रवाह' एवं 'सारथी' को मान्यता दी गई है।
- भारत एवं न्यूज़ीलैंड ने रक्षा, शिक्षा, खेल, बागवानी व वानिकी क्षेत्रों में समझौतों पर हस्ताक्षर किए।
- केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइज़र कॉर्पोरेशन लिमिटेड, नामरूप (असम) के मौजूदा परिसर में 12.7 लाख मीट्रिक टन वार्षिक उत्पादन क्षमता के साथ एक नए ब्राउनफील्ड अमोनिया-यूरिया कॉम्प्लेक्स की स्थापना को मंज़ूरी दी है।
- एशिया की एकमात्र और दुनिया की सबसे ऊँची 11,000 फीट की ऊँचाई पर आयोजित होने वाली स्नो मैराथन लाहौल का चौथा संस्करण 23 मार्च को हिमाचल प्रदेश के लाहौल-स्पीति ज़िले में स्थित सिस्सू में आयोजित किया गया।
- केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वित्त वर्ष 2024–25 के लिए कम मूल्य वाले भीम-यू.पी.आई. लेनदेन (P2M) को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन योजना को मंज़ूरी दी। यह योजना छोटे व्यापारियों के

बीच भीम-यू.पी.आई. प्लेटफॉर्म को अपनाने को प्रोत्साहित करने के लिए बनाई गई है।

- भारतीय नौसेना एवं फ्राँसीसी नौसेना ने 19 से 22 मार्च तक द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास वरुण का 23वाँ संस्करण आयोजित किया।
- स्वच्छ भारत मिशन-शहरी के तहत इंदौर में भारत का पहला पी.पी.पी. हरित अपशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्र शुरू किया जाएगा
- प्रतिवर्ष 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस मनाया जाता है। इस दिवस की शुरुआत 'नेचर फॉरएवर' नामक एक पक्षी संरक्षण संगठन द्वारा वर्ष 2010 में की गई थी। इसका उद्देश्य गौरैया की घटती आबादी के बारे में जागरूकता बढ़ाना था।
- सरकारी स्वामित्व वाले रिन्यूएबल एनर्जी फाइनेंशर 'भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड (IREDA)' की घोषणा के अनुसार उसने अपना पहला परपेचुअल बॉन्ड लॉन्च किया है।
- हर साल 21 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र ने वनों की महत्त्वपूर्ण भूमिका के बारे में जागरूकता बढ़ाने और उत्सव मनाने के लिए 21 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस घोषित किया। इस वर्ष की थीम 'वन एवं भोजन है।
- प्रतिवर्ष 21 मार्च को 'राष्ट्रीय एनीमिया दिवस' मनाया जाता है।
- यूरोपीय आयोग ने इस वर्ष की पहली तिमाही में नवीन यूरोपीय संघ जलवायु लक्ष्य का प्रस्ताव करने की योजना को स्थगित कर दिया है।
- सुश्री नंदी-नदैतवा दक्षिणी अफ्रीकी देश नामीबिया की पहली महिला राष्ट्रपति बन गई हैं।
- केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह के अनुसार, उत्तर भारत की पहली परमाणु ऊर्जा परियोजना हरियाणा के गोरखपुर में स्थापित की जाएगी।
- उष्णकटिबंधीय चक्रवात 'अल्फ्रेड' ने ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड एवं न्यू साउथ वेल्स को प्रभावित किया।
- एशिया एवं प्रशांत क्षेत्र में 12वें क्षेत्रीय 3R सर्कुलर इकोनॉमी फोरम का समापन सर्वसम्मति से 'जयपुर घोषणा' को अपनाने के साथ हुआ। इस घोषणा में संसाधन दक्षता बढ़ाने, टिकाऊ सामग्री उपभोग को बढ़ावा देने एवं मज़बूत बनाने के लिए प्रमुख रणनीतियों की रूपरेखा प्रस्तुत की गई है।
- भारत ने राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के तहत हाइड्रोजन-ईंधन वाली बसों एवं ट्रकों के लिए पाँच पायलट परियोजनाओं की शुरुआत करके स्वच्छ ऊर्जा अपनाने की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण कदम उठाया है। इस पहल का उद्देश्य परिवहन ईंधन के रूप में हाइड्रोजन की व्यवहार्यता का आकलन करना और बड़े पैमाने पर अपनाने का मार्ग प्रशस्त करना है।
- चक्रवाती तूफान 'गारेंस' ने फ्राँस के ला रियूनियन द्वीप को प्रभावित किया।
- संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2025 को ग्लेशियरों के संरक्षण का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है। साथ ही, वर्ष 2025 से प्रत्येक वर्ष 21 मार्च को विश्व ग्लेशियर दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है।
- युवा कार्य एवं खेल मंत्रालय ने अंतर्राष्ट्रीय युवा आदान-प्रदान कार्यक्रम के तहत 22 से 28 मार्च तक भारत में तीसरे मध्य एशियाई युवा प्रतिनिधिमंडल की मेज़बानी किया। इस पहल का उद्देश्य युवा सहयोग को बढ़ावा देना, सांस्कृतिक आदान-प्रदान को बढ़ावा देना और भारत तथा पाँच मध्य एशियाई देशों 'कज़ाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान व उज़्बेकिस्तान' के बीच राजनयिक संबंधों को मज़बूत करना है।
- भारत एवं सिंगापुर ने समुद्री डिजिटलीकरण व कार्बन उत्सर्जन में कमी लाने पर सहयोग के लिए आशय-पत्र पर हस्ताक्षर किए।
- विश्व एथलेटिक्स ने महिला एथलीटों को महिला स्पर्द्धाओं में भाग लेने के लिए आनुवंशिक परीक्षण अनिवार्य कर दिया है जिससे यह पता चल सके कि उनमें एस.आर.वाई. जीन नहीं है जो कि मनुष्यों एवं अधिकांश स्तनधारियों में पुरुष लिंग का निर्धारण करता है।
- भारत सरकार के डाक विभाग ने एक प्रतिष्ठित संत एवं समाज सुधारक माता कर्मा को श्रद्धांजलि देने के लिए उनकी 1009वीं जयंती के अवसर पर एक स्मारक डाक टिकट जारी किया है।
- केंद्र सरकार ने स्वर्ण मौद्रीकरण योजना (GMS) के मध्यम अवधि एवं दीर्घकालिक सरकारी जमा घटकों को बंद करने की घोषणा किया है जो 26 मार्च, 2025 से प्रभावी हुआ। स्वर्ण मौद्रीकरण योजना की शुरुआत वर्ष 2015 में की गई थी जिसका उद्देश्य दीर्घावधि में सोने के आयात पर देश की निर्भरता को कम करना तथा परिवारों और संस्थाओं द्वारा रखे गए सोने को उत्पादक उद्देश्यों के लिए जुटाना था।
- भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद् (ICMR) ने एक पायलट अध्ययन में मानव कॉर्निया के परिवहन के लिए ड्रोन के उपयोग का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है।

- उत्तर-पूर्वी आयुर्वेद एवं होम्योपैथी संस्थान (NEIAH) ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 से पूर्व मेघालय के नोंग्रियाट में प्रसिद्ध 'डबल डेकर लिविंग रूट ब्रिज' पर एक विशेष योग कार्यक्रम आयोजित किया गया।
- एम्स, नई दिल्ली के परमाणु चुंबकीय अनुनाद (NMR) विभाग के 32वें स्थापना दिवस के अवसर पर सोसाइटी फॉर एप्लाइड माइक्रोवेव इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग एंड रिसर्च (SAMEER) एवं (AIIMS) ने चिकित्सा उपकरणों पर सहयोगात्मक अनुसंधान के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।
- भारत एवं सिंगापुर ने ग्रीन शिपिंग व डिजिटल कॉरिडोर सहयोग पर आशय-पत्र पर हस्ताक्षर किए।
- भारत-चीन सीमा मामलों पर परामर्श एवं समन्वय के लिए कार्य तंत्र की 33वीं बैठक बीजिंग में संपन्न हुई।
- पूर्व कैबिनेट सचिव राजीव गौबा को नीति आयोग का पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त किया गया।
- भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ने भास्कराचार्य राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुप्रयोग एवं भू-सूचना विज्ञान संस्थान के साथ भौगोलिक सूचना प्रणाली और सुदूर संवेदन में उन्नत प्रौद्योगिकियों का लाभ उठाने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।
- भारतीय रेलवे ने यात्री सुरक्षा बढ़ाने और भीड़ प्रबंधन को सुचारु बनाने के लिए देश भर के 60 स्टेशनों पर स्थायी होल्डिंग क्षेत्रों के साथ-साथ एक व्यापक प्रवेश नियंत्रण प्रणाली लागू करने की घोषणा की है। यह निर्णय विशेष त्योहारों और महाकुंभ जैसे प्रमुख आयोजनों के दौरान सफल परीक्षणों के बाद लिया गया है।
- लोक सभा द्वारा भारत के पहले राष्ट्रीय सहकारी विश्वविद्यालय के निर्माण के लिए त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय विधेयक, 2025 पारित किया गया जिसे गुजरात के ग्रामीण प्रबंधन संस्थान आणंद में स्थापित किया जाएगा। इसका नाम प्रमुख सहकारी नेता त्रिभुवन दास पटेल के नाम पर रखा गया है।
- भारत सरकार के दूरसंचार अनुसंधान एवं विकास केंद्र 'सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स (सी-डॉट)' ने गुवाहाटी विश्वविद्यालय में एक स्वदेशी 5जी प्रयोगशाला स्थापित की।
- सी.डी.एस. जनरल अनिल चौहान ने आई.आई.टी. कानपुर में एशिया के सबसे बड़े अंतर-महाविद्यालय तकनीकी एवं उद्यमशीलता महोत्सव 'टेककृति 2025' का उद्घाटन किया।
- केंद्र सरकार ने दीर्घकालिक खाद्य एवं पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करने के प्रयासों के तहत दूसरे राष्ट्रीय जीन बैंक की स्थापना की घोषणा की है।
- प्रमुख शहनाई वादक पंडित दया शंकर का निधन हो गया है।
- भारत पड़ोसी देश श्रीलंका को पीछे छोड़ते हुए दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा चाय निर्यातक देश बन गया है। केन्या चाय निर्यात के मामले में शीर्ष पर बना हुआ है।
- आंध्र प्रदेश सरकार ने वरिष्ठ आई.पी.एस. अधिकारी एवं पूर्व सी.आई.डी. प्रमुख पी.वी. सुनील कुमार को अखिल भारतीय सेवा (आचरण) नियम, 1968 का उल्लंघन कर कथित रूप से अनधिकृत विदेश यात्रा करने के आरोप में निलंबित कर दिया है। आई.पी.एस. अधिकारी द्वारा की गई कथित अनधिकृत विदेश यात्राएँ राष्ट्रीय सुरक्षा हितों के खिलाफ हैं।
- कर्नाटक के चामराजनगर ज़िले के पलार आदिवासी गाँव में राज्य सरकार के कार्यक्रम के तहत पहली बार विद्युतीकरण किया गया।
- प्रसिद्ध चित्रकार एवं मूर्ति कलाकार हिम्मत शाह का निधन हो गया।
- निजी लैंडर 'ब्लू घोस्ट (Blue Ghost)' ने नासा के उपकरणों के साथ चंद्रमा पर लैंडिंग की। ब्लू घोस्ट की सीधी और स्थिर लैंडिंग से फायरफ्लाई एयरोस्पेस पहली निजी कंपनी बन गई है जिसने सुरक्षित रूप से सफलतापूर्वक चंद्रमा पर अंतरिक्ष यान भेजा है। ब्लू घोस्ट नासा की वाणिज्यिक चंद्र पेलोड सेवा (CLPS) पहल का हिस्सा है जिसका उद्देश्य निजी क्षेत्र की प्रतिस्पर्द्धा के माध्यम से चाँद पर वाणिज्यक कार्यक्रमों को प्रोत्साहित करना है।
- बिहार के वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने 3 मार्च, 2025 को वित्तीय वर्ष 2025–26 के लिए विधान सभा में ₹3,16,895.02 करोड़ का अनुमानित बजट पेश किया। बजट आवंटन पिछले बजट ₹2,78,725.72 करोड़ से ₹38,169.30 करोड़ अधिक है।
- झारखंड के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने 3 मार्च, 2025 को राज्य विधान सभा में वित्तीय वर्ष 2025–26 के लिए ₹1.45 लाख करोड़ का बजट पेश किया। वर्तमान मूल्य पर झारखंड सकल राज्य घरेलू उत्पाद (GSDP) वित्तीय वर्ष 2023–24 में लगभग 4.6 ट्रिलियन रुपए था और अब राज्य सरकार वित्तीय वर्ष 2029–30 तक इसे 10 ट्रिलियन रुपए करने का प्रयास करेगी।
- भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) ने आदित्य-एल1 सौर मिशन से वैज्ञानिक आँकड़ों का दूसरा सेट जारी किया है। डाटासेट में सूर्य के फोटोस्फीयर, क्रोमोस्फीयर एवं उसके बाह्य वायुमंडल (कोरोना) के बारे में महत्त्वपूर्ण वैज्ञानिक जानकारी

के साथ-साथ पहले पृथ्वी-सूर्य लैग्रेंज बिंदु एल 1 पर इन-सीटू कणों व चुंबकीय क्षेत्र के माप शामिल हैं।

- मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस, 2025 का आयोजन बार्सिलोना (स्पेन) में किया गया। इसमें भारत की ओर से केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भाग लिया।

- दूरसंचार विभाग (DoT) और सेलुलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (COAI) द्वारा आयोजित वार्षिक कार्यक्रम इंडिया मोबाइल कांग्रेस का वर्ष 2025 संस्करण 8-11 अक्तूबर तक आयोजित किया जाएगा।

- भारतीय क्रिकेट स्टार ऋषभ पंत को प्रतिष्ठित लॉरियस कमबैक ऑफ द ईयर, 2025 पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया है। यह पुरस्कार 21 अप्रैल, 2025 को वितरित किया जाना है।

- भारतीय विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने द्विपक्षीय संबंधों को मज़बूत करने के लिए ब्रिटेन एवं आयरलैंड का दौरा किया। इस यात्रा में रणनीतिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक सहयोग पर ध्यान केंद्रित किया गया।

- जापान के ओफुनाटो में जंगल की आग से गंभीर क्षति हुई है। यह आग इवाते प्रांत के वन क्षेत्र में लगी है जो होक्काइडो के बाद जापान का दूसरा सबसे बड़ा प्रांत है।

- चेन्नई में परंदूर हवाई अड्डा परियोजना को स्थानीय लोगों एवं पर्यावरण कार्यकर्ताओं के भारी विरोध का सामना करना पड़ रहा है। इसमें तीन टर्मिनल एवं दो समानांतर रनवे होंगे और इसकी क्षमता 100 मिलियन यात्रियों को संभालने की होगी।

- आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा गोदावरी पुष्करम महोत्सव का आयोजन 23 जुलाई से 3 अगस्त, 2027 तक किया जाएगा। यह आंध्र प्रदेश के राजमुंद्री ज़िले में गोदावरी नदी के तट पर आयोजित किया जाता है।

- भारत के दिग्गज टेबल टेनिस खिलाड़ी ए.शरत कमल ने पेशेवर खिलाड़ी के रूप में अपने संन्यास की घोषणा की।

- लेब्रोन जेम्स अमेरिका की बास्केटबाल लीग एन.बी.ए. के इतिहास में 50,000 संयुक्त अंक हासिल करने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। वर्तमान में वह लॉस एंजिल्स लेकर्स टीम के खिलाड़ी हैं।

- सरकार ने 99% से कम शुद्धता वाले प्लैटिनम मिश्रधातु पर आयात प्रतिबंध लगा दिया है, ताकि भारी मात्रा में सोने के साथ मिश्रित इस कीमती धातु के अवैध आयात पर अंकुश लगाया जा सके।

- भारतीय रिज़र्व बैंक ने मौजूदा एवं उभरती हुई तरलता स्थितियों की समीक्षा के बाद खुले बाज़ार से ₹1 लाख करोड़ की सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद की घोषणा की है।

- भारतीय विधि सेवा की अधिकारी अंजू राठी राणा विधि सचिव नियुक्त होने वाली पहली महिला हैं।

- अमेरिका ने उस छूट को नवीनीकृत करने से इनकार कर दिया है जिसके तहत इराक को प्रतिबंधों का उल्लंघन किए बिना ईरान से बिजली खरीदने की अनुमति थी। इससे इराक में बिजली संकट उत्पन्न हो गया है।

- निजी भारतीय कंपनी 'अल्फा टोकोल इंजीनियरिंग सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड' द्वारा निर्मित लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट (LCA) एमके-1ए के लिए पहला रियर फ्यूज़लेज़ बेंगलुरु में विमान प्रभाग में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की उपस्थिति में हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड को सौंप दिया गया।

- केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने संयुक्त राष्ट्र में महिला स्थिति आयोग के 69वें सत्र में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया। यह सत्र लैंगिक समानता एवं महिला सशक्तीकरण प्राप्त करने में वैश्विक प्रगति पर केंद्रित होगा, जो बीजिंग घोषणा एवं कार्रवाई मंच की 30वीं वर्षगाँठ के अवसर पर आयोजित किया जा रहा है।

- जम्मू एवं कश्मीर सरकार द्वारा 6 मार्च, 2025 को विधान सभा में प्रस्तुत वर्ष 2024-25 के लिए आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार, जम्मू एवं कश्मीर में नवजात मृत्यु दर प्रति 1,000 जीवित जन्मों पर 9.8 पर पहुँच गई है जिसमें 13.3 अंकों की कमी दर्ज की गई है। जन्म के समय लिंगानुपात में उल्लेखनीय सुधार हुआ है जो 923 से बढ़कर 976 हो गया है।

- वर्तमान में भारत द्वारा अमेरिका से इलेक्ट्रॉनिक्स आयात पर 16.5% मूलभूत सीमा शुल्क (Basic Custom Duty) लगाया जाता है, जबकि अमेरिका द्वारा भारतीय निर्यात पर मात्र 0.4% शुल्क लगाया जाता है। अमेरिकी आयात पर टैरिफ कम करने से एप्पल एवं मोटोरोला जैसी कंपनियों के लिए भारत अपने उत्पादों के विनिर्माण व निर्यात के लिए और भी अधिक आकर्षक गंतव्य बन सकता है।

- उत्तर कोरिया ने पहली बार निर्माणाधीन परमाणु ऊर्जा चालित पनडुब्बी का अनावरण किया है। यह एक हथियार प्रणाली है जो दक्षिण कोरिया एवं अमेरिका के लिए एक बड़ा सुरक्षा खतरा उत्पन्न कर सकती है।

- वरिष्ठ अधिवक्ता एवं पूर्व टी.एन.सी.ए. उपाध्यक्ष पी.एस. रमन द्वारा लिखित चेन्नई सुपर किंग्स पर एक नई पुस्तक 'लियो-

द अनटोल्ड स्टोरी' का आधिकारिक तौर पर पूर्व सी.एस.के. कप्तान एम.एस. धोनी की उपस्थिति में विमोचन किया गया।

- पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित प्रख्यात ओडिया कवि रमाकांत रथ का निधन हो गया है।

- इसरो के अध्यक्ष वी. नारायणन के अनुसार, केंद्र सरकार ने हाल ही में चंद्रमा का अध्ययन करने के लिए महत्त्वाकांक्षी चंद्रयान-5 मिशन को मंज़ूरी दी है। चंद्रयान-3 मिशन में 25 किग्रा. का रोवर 'प्रज्ञान' ले जाया गया था, जबकि चंद्रयान-5 मिशन चंद्रमा की सतह का अध्ययन करने के लिए 250 किग्रा. का रोवर ले जाएगा।

- राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल द्वारा वैश्विक खुफिया एवं सुरक्षा प्रमुख के चौथे सम्मेलन में वैश्विक चुनौतियों व खुफिया-साझाकरण तंत्र, आव्रजन एवं प्रत्यर्पण जैसे कई मुद्दों पर चर्चा की गई।

- चीन की बायडू कंपनी ने दो नए कृत्रिम बुद्धिमत्ता मॉडल ERNIE X1 एवं ERNIE 4.5 लॉन्च किए हैं जिसमें एक नया तर्क-केंद्रित मॉडल भी शामिल है जिसे डीपसीक के मॉडल का प्रतिद्वंद्वी माना जा रहा है।

- भारतीय मूल के दो मंत्रियों 'अनीता आनंद' एवं 'कमल खेड़ा' को कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी की नवगठित कैबिनेट में शामिल किया गया है। अनीता आनंद नवाचार, विज्ञान एवं उद्योग मंत्री हैं, जबकि कमल खेड़ा को स्वास्थ्य मंत्री के पद पर नियुक्त किया गया है।

- राष्ट्रपति द्वारा कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में शपथ दिलाई गई।

- अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में मंत्री रहे वरिष्ठ भाजपा नेता देवेंद्र प्रधान का निधन हो गया। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इनके पुत्र हैं।

- फरवरी 2025 में भारत का वस्तु व्यापार घाटा $14.05 बिलियन होकर 42 महीने के निचले स्तर पर पहुँच गया है। इसका मुख्य कारण सोने, चाँदी एवं कच्चे तेल के आयात में कमी है।

- हंगरी की संसद ने LGBTQ+ के प्राइड कार्यक्रमों पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसमें प्रसिद्ध बुडापेस्ट प्राइड मार्च भी शामिल है जिसमें प्रतिवर्ष हज़ारों लोग शामिल होते हैं।

- भारत ने 1975 में अपना पहला हॉकी विश्व कप जीता था और इस उपलब्धि की स्वर्ण जयंती के उपलक्ष्य में मार्च ऑफ ग्लोरी नामक पुस्तक का विमोचन किया गया। यह हॉकी इतिहासकार और एन.जी.ओ. वन थाउजेंड हॉकी लेग्स के संस्थापक के. अरुमुगम एवं पत्रकार एरोल डीश्क्रूज़ द्वारा लिखी गई है।

- भारत का लक्ष्य लैटिन अमेरिका एवं कैरिबियन क्षेत्र के साथ व्यापार संबंधों को मज़बूत करना और इस क्षेत्र के साथ व्यापार को दोगुना करके 100 अरब डॉलर तक ले जाना है। वर्तमान में इस क्षेत्र में कुल 3.6 ट्रिलियन डॉलर का व्यापार भारत के साथ सहयोग के लिए व्यापक अवसर प्रस्तुत करता है।

- भारत और चार देशों (अर्जेंटीना, ब्राज़ील, पराग्वे एवं उरुग्वे) के समूह मर्कोसुर के मध्य द्विपक्षीय मुक्त व्यापार समझौतों पर हस्ताक्षर करने के लिए वार्ता जारी है।

- भारतीय चीनी एवं जैव ऊर्जा निर्माता संघ के अनुसार, चालू चीनी विपणन सीज़न (अक्तूबर 2024 से सितंबर 2025) में घरेलू खपत के लिए 280 लाख टन चीनी की उपलब्धता संतोषजनक स्तर पर है जिससे घरेलू बाज़ार में चीनी की उपलब्धता में कमी की आशंका दूर हो गई है।

- आर.बी.आई. के 'भारत के धन प्रेषण की बदलती गतिशीलता-भारत के धन प्रेषण सर्वेक्षण के छठे दौर से अंतर्दृष्टि' शीर्षक वाले एक शोध के अनुसार, पिछले चार वर्षों में अमेरिका एवं ब्रिटेन जैसी विकसित अर्थव्यवस्थाएँ खाड़ी देशों की तुलना में भारतीयों के लिए आवक धन प्रेषण का शीर्ष स्रोत बनकर उभरी हैं। पिछले वित्त वर्ष (2024–25) में अमेरिका और ब्रिटेन से प्राप्त धनराशि लगभग दोगुनी होकर भारत में आने वाली कुल धनराशि का 40% हो गई।

- तेलंगाना के उपमुख्यमंत्री मल्लू भट्टी विक्रमार्क ने विधान सभा में ₹3.05 लाख करोड़ के परिव्यय वाला राज्य बजट पेश किया। संशोधित अनुमानों के अनुसार, वर्ष 2024–25 वित्त वर्ष के लिए सकल राज्य घरेलू उत्पाद ₹16.1 लाख करोड़ था। वृद्धि दर 10.5% रहने का अनुमान है।

- विंजो गेम्स एवं इंटरएक्टिव एंटरटेनमेंट एंड इनोवेशन काउंसिल (IEIC) की संयुक्त रिपोर्ट के अनुसार, भारत का ऑनलाइन गेमिंग क्षेत्र वर्ष 2029 तक दोगुना से अधिक बढ़कर 78,551 करोड़ रुपए (9.1 बिलियन डॉलर) तक पहुँचने की उम्मीद है जो वर्ष 2024 में 31,938 करोड़ रुपए (3.7 बिलियन डॉलर) रहा।

- केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 19 मार्च, 2025 को राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम के लिए अतिरिक्त ₹1,000 करोड़ आवंटित किए, जिससे वर्ष 2021–22 से वर्ष 2025–26 की अवधि के लिए योजना का कुल बजट ₹2,790 करोड़ हो गया।

- केंद्र सरकार ने देश से वामपंथी उग्रवाद (LWE) को खत्म करने के लिए मार्च 2026 तक की समय सीमा तय की है।
- वर्ष 2025 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन (UNFCCC: COP30) नवंबर में ब्राज़ील के बेलेम शहर में आयोजित किया जाएगा। COP30 के मनोनीत अध्यक्ष आंद्रे अरन्हा कोरेया डो लागो ने भारत की यात्रा की है।
- इन्वेस्ट यू.पी. के सी.ई.ओ. अभिषेक प्रकाश को उत्तर प्रदेश राज्य में प्रस्तावित सौर विनिर्माण परियोजना की मूल्यांकन प्रक्रिया में भ्रष्टाचार एवं अनियमितताओं के आरोपों के बाद निलंबित कर दिया गया।
- 20 मार्च, 2025 को ग्रीस के पाइलोस में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति (IOC) के 144वें सत्र में थॉमस बाक के उत्तराधिकारी के रूप में क्रिस्टी कोवेंट्री को IOC का अध्यक्ष चुना गया। वह पहली महिला एवं पहली अफ्रीकी IOC अध्यक्ष हैं। IOC के कार्यकारी बोर्ड ने वर्ष 2028 के लॉस एंजिल्स ओलंपिक कार्यक्रम में मुक्केबाज़ी को शामिल करने की मंजूरी दे दी है।
- भारतीय रिज़र्व बैंक ने 20 मार्च, 2025 को इंद्रनील भट्टाचार्य को कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया है।
- निजी क्लाउड सेवा प्रदाता कंपनी टाटा कम्युनिकेशंस लिमिटेड ने उद्यमों को लागत प्रभावी क्लाउड उपलब्ध कराने के लिए अपनी अगली पीढ़ी का क्लाउड फैब्रिक 'वायु' लॉन्च किया है।
- महाराष्ट्र के नासिक ज़िले में त्र्यंबकेश्वर सिंहस्थ कुंभ मेला, 2027 की तैयारियों की समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने त्र्यंबकेश्वर मंदिर के विकास के लिए 1,100 करोड़ रुपए की योजना और उत्तर प्रदेश की तर्ज़ पर कुंभ मेला प्राधिकरण कानून की स्थापना की घोषणा की है।
- भारत ने घरेलू उत्पादकों को पड़ोसी देश चीन से सस्ते आयात से बचाने के लिए पाँच आयातित वस्तुओं पर डंपिंग-रोधी शुल्क लगाया है। भारत का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार चीन है। भारत का वर्ष 2023-24 में चीन के साथ व्यापार घाटा 85 बिलियन डॉलर था।
- वायलिन वादक आर.के. श्रीरामकुमार को संगीत अकादमी द्वारा वर्ष 2025 के लिए प्रतिष्ठित संगीत कलानिधि पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। प्रतिष्ठित कर्नाटक गायिका श्यामला वेंकटेश्वरन एवं वरिष्ठतम तमिल कलाकार तंजावुर आर. गोविंदराजन को संगीत कला आचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया।
- अमेरिका द्वारा अक्तूबर 2022 से मानवीय पैरोल कार्यक्रम के तहत अमेरिका पहुँचे विदेशी नागरिकों को प्रदान की गई कानूनी सुरक्षा समाप्त कर दी गई है जिससे उन्हें लगभग एक महीने के भीतर निर्वासित किया जा सकेगा। इस आदेश का प्रभाव चार देशों 'क्यूबा, हैती, निकारागुआ एवं वेनेज़ुएला' के लोगों पर पड़ेगा।
- डोनाल्ड ट्रंप द्वारा अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जॉन एफ. केनेडी की 23 नवंबर, 1963 को हुई हत्या से संबंधित 63,000 से अधिक गुप्त दस्तावेज़ ऑनलाइन जारी किए गए।
- हरियाणा के वित्त मंत्री नायब सिंह सैनी ने विधान सभा में वर्ष 2025-26 का बजट प्रस्तुत किया। इस बजट का आकार 2 लाख 5 हज़ार 17 करोड़ रुपए है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने अत्याधुनिक कृत्रिम मेधा संचालित चैटबॉट 'सारथी' का भी शुभारंभ किया।
- पाँच-दिवसीय बिहार दिवस समारोह 22 मार्च, 2025 को पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में प्रारंभ हुआ, जहाँ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने औपचारिक रूप से कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इस वर्ष का थीम 'उन्नत बिहार, विकसित बिहार' है।
- सरकार ने 10 क्षेत्रों के लिए पी.एल.आई. योजनाओं के तहत लगभग 14,020 करोड़ रुपए का प्रोत्साहन वितरित किया है जिसमें बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण, आई.टी. हार्डवेयर, थोक दवाएँ, चिकित्सा उपकरण, फार्मास्युटिकल्स, दूरसंचार एवं नेटवर्किंग उत्पाद शामिल हैं।
- मेघालय सरकार द्वारा जारी नवीनतम आँकड़ों के अनुसार, राज्य में संभावित टी.बी. जाँच में 126% की वृद्धि हुई है। भारत दुनिया में सर्वाधिक टी.बी. रोग का बोझ झेल रहा है। वर्ष 2023 में भारत में वैश्विक टी.बी. बोझ का अनुमान 26% रहा है अर्थात् 28 लाख मामले सामने आए।
- केंद्र सरकार ने 22 मार्च, 2025 को 1 अप्रैल, 2025 से प्याज पर 20% निर्यात शुल्क वापस लेने की घोषणा की है।
- दिल्ली उच्च न्यायालय के वर्तमान न्यायाधीश न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा के खिलाफ आय से अधिक धन एवं संपत्ति के आरोपों की गहन जाँच के लिए भारत के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना ने वरिष्ठ न्यायाधीशों की तीन-सदस्यीय समिति गठित की है। इसमें पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति शील नागू, हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति जी.एस. संधावालिया और कर्नाटक उच्च न्यायालय की न्यायाधीश न्यायमूर्ति अनु शिवरामन शामिल हैं।

- हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध लेखक विनोद कुमार शुक्ल को 59वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह सम्मान पाने वाले वे छत्तीसगढ़ के पहले लेखक हैं। 88 वर्षीय शुक्ल अपनी सरल भाषा और संवेदनशील लेखन के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने नौकर की कमीज़ और दीवार में एक खिड़की रहती थी जैसी प्रसिद्ध कृतियां लिखीं।

- अफ्रीका में चीन द्वारा बड़े पैमाने पर घुसपैठ, समुद्री डकैती के खतरे व वैश्विक शिपिंग के लिए हूती/हाउथी विद्रोहियों से लगातार खतरे की पृष्ठभूमि में भारतीय नौसेना ने महाद्वीप एवं हिंद महासागर क्षेत्र के साथ सहयोग बढ़ाने की पहल की घोषणा की है। इसमें 'अफ्रीका इंडिया की मैरीटाइम एंगेजमेंट' नामक एक बड़े पैमाने पर बहुराष्ट्रीय अभ्यास शामिल है जिसे 'AIKEYME' के नाम से भी जाना जाता है, जो 10 अफ्रीकी देशों के साथ आयोजित होने वाला है।

- तुर्किये में आयोजित आई.टी.एफ. मास्टर्स विश्व चैंपियनशिप में भारतीय खिलाड़ियों ने दो रजत एवं दो कांस्य पदक जीतें।

- केंद्र सरकार 1 अप्रैल, 2025 से ऑनलाइन विज्ञापनों पर 6% इक्वलाइज़ेशन लेवी को समाप्त करने की योजना शुरू की है जिसका उद्देश्य गूगल एवं मेटा जैसे प्लेटफॉर्म पर विज्ञापनदाताओं को लाभ पहुँचाना है। यह कदम भारत के कर कानूनों को सरल बनाने और अमेरिका के साथ सहयोगात्मक संबंध बनाए रखने के प्रयासों के अनुरूप है।

- सकल स्थायी पूंजी निर्माण में निजी पूंजीगत व्यय की हिस्सेदारी पिछले कुछ वर्षों में कम होकर (33%) वित्त वर्ष 2024 में दशक के निचले स्तर पर पहुँच गई है जिसका मुख्य कारण गैर-सूचीबद्ध संस्थाओं के नेतृत्व में पूंजीगत व्यय में मंदी है।

- झारखंड सरकार ने 24 मार्च, 2025 को घोषणा की कि वह आगामी वित्तीय वर्ष में राज्य में जाति-आधारित सर्वेक्षण कराएगी। नोडल एजेंसी कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग को जातिगत सर्वेक्षण की ज़िम्मेदारी दी गई है।

- भारतीय कुश्ती संघ के वर्तमान अध्यक्ष संजय सिंह को कुश्ती खेल की सर्वोच्च संचालन संस्था यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग की एशिया ब्यूरो का सदस्य चुना गया है।

- दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने वर्ष 2025–26 के लिए ₹1 लाख करोड़ का बजट पेश किया, जिसमें बुनियादी ढाँचे, पानी एवं कनेक्टिविटी पर ध्यान केंद्रित किया गया। विशेष आवंटन में महिलाओं की वित्तीय सहायता के लिए ₹5,100 करोड़, स्वच्छता के लिए ₹9,000 करोड़ और यमुना नदी की सफाई के लिए ₹500 करोड़ शामिल हैं।

- भारत ने सैमसंग और उसके अधिकारियों को देश में प्रमुख दूरसंचार उपकरणों के आयात पर टैरिफ से बचने के लिए $601 मिलियन का पिछला कर एवं जुर्माना भरने का आदेश दिया है।

- केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में बताया कि 30,000 से अधिक करदाताओं ने 'नज' अभियान के तहत संशोधित आयकर रिटर्न या विलंबित रिटर्न दाखिल करके लगभग 30,300 करोड़ रुपए की विदेशी संपत्ति एवं आय की घोषणा की है।

- अमेरिकी सीनेट ने भारतीय-अमेरिकी वैज्ञानिक जय भट्टाचार्य को अमेरिका के राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थान के निदेशक के रूप में मंज़ूरी दे दी है।

- नीति आयोग के सी.ई.ओ. बी.वी.आर. सुब्रह्मण्यम ने कहा कि भारत में मध्यम आकार की पर्याप्त फर्में नहीं हैं जो बड़ी कंपनियों में तब्दील हो सकें।

- उद्यम पोर्टल के नवीनतम आँकड़ों के अनुसार, भारत में लगभग 6.18 करोड़ सूक्ष्म, लघु एवं माध्यम उद्योग हैं जिनमें 6.09 करोड़ सूक्ष्म, 7.44 लाख लघु तथा 70,000 मध्यम उद्यम शामिल हैं।

- केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय के अनुसार, देश में नक्सली हिंसा में 81% की कमी आई है, जबकि नागरिकों एवं सुरक्षा बलों की मौतों में 85% की कमी आई है।

- प्रवर्तन निदेशालय के पूर्व प्रमुख संजय कुमार मिश्र को प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद् का पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त किया गया है।

- पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने विधान सभा में वर्ष 2025–26 के लिए राज्य का बजट प्रस्तुत किया। बजट में 2,36,080 करोड़ रुपए के कुल बजट व्यय का प्रस्ताव रखा गया। पंजाब द्वारा राज्य में प्रचलित मादक पदार्थों की समस्या और नशामुक्ति केंद्रों के उपयोग को समझने के लिए पहली 'ड्रग जनगणना' की जाएगी।

- रक्षा मंत्रालय ने 26 मार्च, 2025 को लगभग ₹6,900 करोड़ की कुल लागत से 155 मिमी., 52 कैलिबर एडवांस्ड टोड

आर्टिलरी गन सिस्टम और हाई-मोबिलिटी 6×6 गन टोइंग वाहनों की खरीद के लिए भारत फोर्ज लिमिटेड और टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स लिमिटेड के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर किए।

- गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने वर्ष 2025–26 के लिए राज्य का बजट प्रस्तुत किया। कुल बजट 28,163 करोड़ रुपए का है।

- उत्तर प्रदेश सरकार ने आगरा में छत्रपति शिवाजी महाराज का एक भव्य स्मारक बनाने की घोषणा की है, जहाँ वे नज़रबंद थे।

- भारत द्वारा संयुक्त राज्य अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता आयोग को चिंताजनक संस्था के रूप में नामित करने पर विचार किया जा रहा है। इस संस्था ने अपनी जारी वार्षिक रिपोर्ट-2024 में भारत को अल्पसंख्यकों के अधिकारों के उल्लंघनकर्ता देश के रूप में चिह्नित किया है।

- केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह के अनुसार, सरकार उबर एवं ओला की तर्ज़ पर सहकारी संचालित सवारी सेवा 'सहकार' टैक्सी शुरू करने की तैयारी में है। यह यात्रा सवारी प्रदाता प्लेटफॉर्म दोपहिया टैक्सियों, ऑटोरिक्शा व चारपहिया वाहनों को कवर करेगा।

- राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह के अनुसार, देश में परमाणु ऊर्जा की स्थापित क्षमता वर्ष 2029–30 तक वर्तमान 8.18 गीगावाट से बढ़कर 13 गीगावाट हो जाएगी और वर्ष 2032 तक सभी स्वीकृत परियोजनाएँ पूरी हो जाने के बाद यह बढ़कर 22.5 गीगावाट हो जाएगी।

- ओडिशा के आधिकारिक आँकड़ों के अनुसार, पिछले पाँच वर्षों में ओडिशा में बिजली गिरने से 1,418 लोगों की मौत हो गई है जो कि देश में सर्वाधिक है।

- भारतीय सेना ने 25 से 27 मार्च, 2025 तक अरुणाचल प्रदेश के उच्च ऊँचाई वाले क्षेत्रों में त्रि-सेवा एकीकृत बहु-डोमेन युद्ध अभ्यास 'प्रचंड प्रहार' का आयोजन किया।

- वर्तमान में लोक सभा के दुभाषिए यूट्यूब पर 18 भाषाओं में वास्तविक समय में कार्यवाही प्रसारित कर रहे हैं।

- दालों का घरेलू उत्पादन बढ़ाने, किसानों को प्रोत्साहित करने और आयात पर निर्भरता कम करने के लिए सरकार ने खरीद वर्ष 2024–25 के लिए राज्य उत्पादन के 100% पर मूल्य समर्थन योजना के तहत अरहर, उड़द एवं मसूर की खरीद को मंज़ूरी दी है।

- केंद्रीय रक्षा मंत्रालय (MoD) ने भारतीय सेना की मशीनीकृत संरचनाओं के लिए नाग एंटी-टैंक मिसाइल सिस्टम (NAMIS) के ट्रैक किए गए संस्करण की खरीद के लिए 2,500 करोड़ रुपए के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए और सशस्त्र बलों के लिए लगभग 5,000 हल्के वाहनों के लिए फोर्स मोटर्स लिमिटेड एवं महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड के साथ एक अन्य अनुबंध पर हस्ताक्षर किए।

- केरल के शिक्षा मंत्री वी. शिवनकुट्टी ने घोषणा की कि राज्य में कक्षा 1 में प्रवेश के लिए न्यूनतम आयु बढ़ाकर पाँच वर्ष के स्थान पर छह वर्ष कर दी गई है।

- न्यायमूर्ति एच.एन. नागमोहन दास आयोग ने कर्नाटक में अनुसूचित जातियों के बीच आंतरिक आरक्षण पर मुख्यमंत्री को अंतरिम रिपोर्ट सौंपी। इसके आधार पर कर्नाटक सरकार अगले दो माह के भीतर राज्य में अनुसूचित जातियों की आबादी का एक नया सर्वेक्षण कराएगी, ताकि दलित समुदाय में आंतरिक आरक्षण के लिए अनुभवजन्य आँकड़े एकत्र कर निर्णय लिया जा सके।

- हुरुन ग्लोबल रिच लिस्ट के अनुसार, 284 भारतीय अरबपतियों की कुल संपत्ति देश के सकल घरेलू उत्पाद (3.57 लाख करोड़ डॉलर) का एक-तिहाई है। गौतम अडानी विश्व स्तर पर सर्वाधिक संपत्ति अर्जित करने वाले व्यक्ति के रूप में उभरे हैं उनकी संपत्ति एक लाख करोड़ रुपए से बढ़कर 8.4 लाख करोड़ रुपए हो गई है।

- फिक्की एवं ईवाई की एक रिपोर्ट के अनुसार, मीडिया उद्योग में डिजिटल मीडिया ने राजस्व आय के मामले में टेलीविज़न क्षेत्र को पीछे छोड़ दिया है और सबसे बड़ा खंड बन गया है।

- प्राइवेट कंपनी वारी एनर्जीज ने गुजरात में 5.4 गीगावाट क्षमता के साथ भारत की सबसे बड़ी सौर सेल विनिर्माण गीगा फैक्ट्री का उद्घाटन किया है।

- भारतीय प्रबंधन संस्थान अहमदाबाद द्वारा सितंबर 2025 में दुबई (संयुक्त अरब अमीरात) में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर का शुभारंभ किया जाएगा।

❑❑❑

मानचित्र अध्ययन

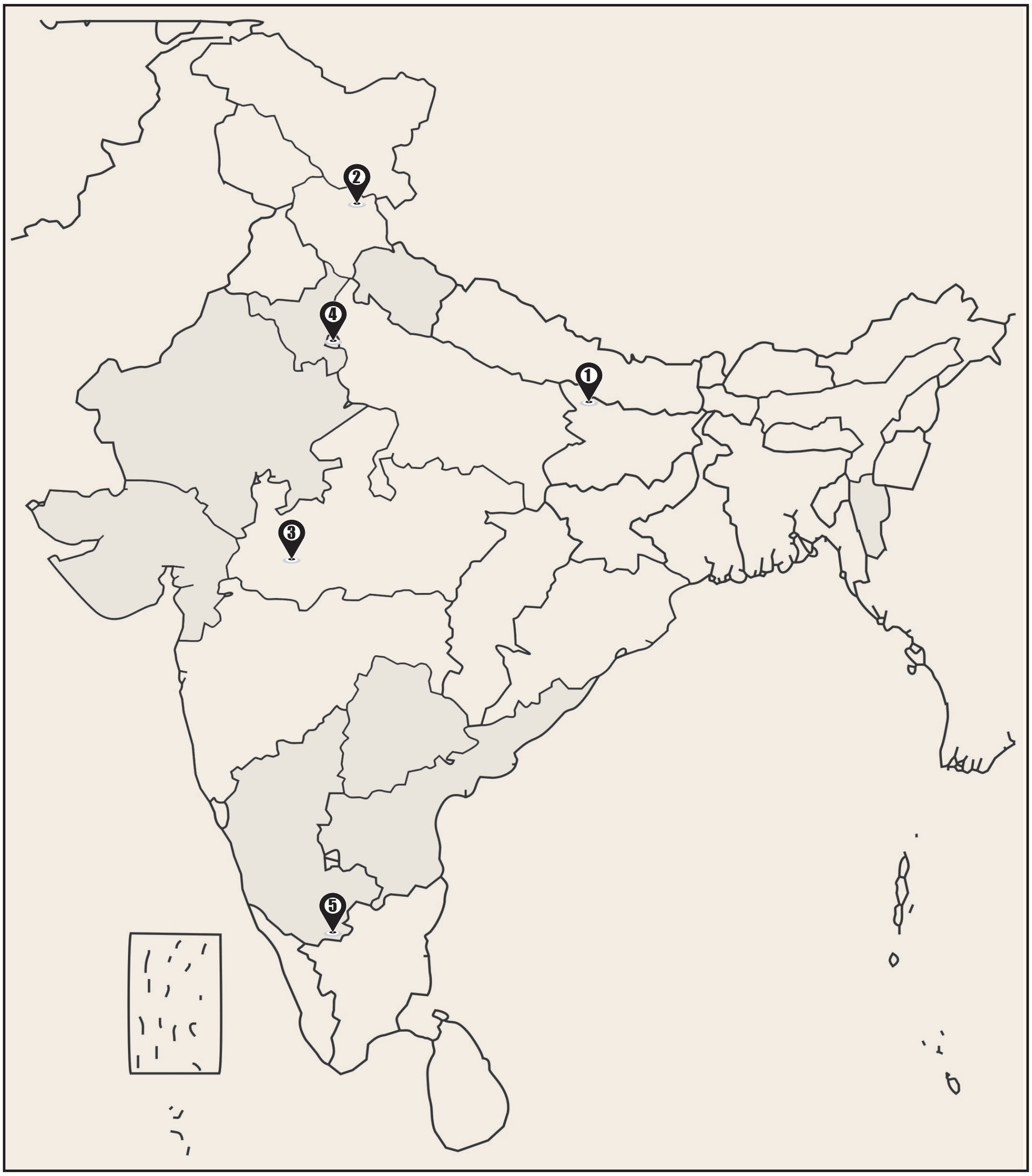

मानचित्र-1 (भारत)

1. वह जिला जहाँ पर हाल ही में प्रथम ''शौर्य वेदनाम उत्सव'' का आयोजन 7 और 8 मार्च 2025 को किया गया।
2. वह स्थान जहाँ पर हाल ही में एशिया की एकमात्र और दुनिया की सबसे ऊंचाई पर आयोजित होने वाली 'स्नो मैराथन' का चौथा संस्करण 23 मार्च को आयोजित किया जाएगा।
3. वह शहर जहाँ पर स्वच्छ भारत मिशन-शहरी के तहत भारत का पहला पीपीपी आधारित हरित अपशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्र शुरू किया जाएगा।
4. वह स्थान जहाँ पर हाल ही में कार्बन बाज़ार पर दो दिवसीय अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन सम्पन्न हुआ।
5. वह जिला जिसके, आदिवासी गाँव पलार में राज्य सरकार के कार्यक्रम के तहत हाल ही में पहली बार विद्युतीकरण किया गया।

(इस मानचित्र के उत्तर पृष्ठ संख्या 162 पर देखें)

मानचित्र अध्ययन

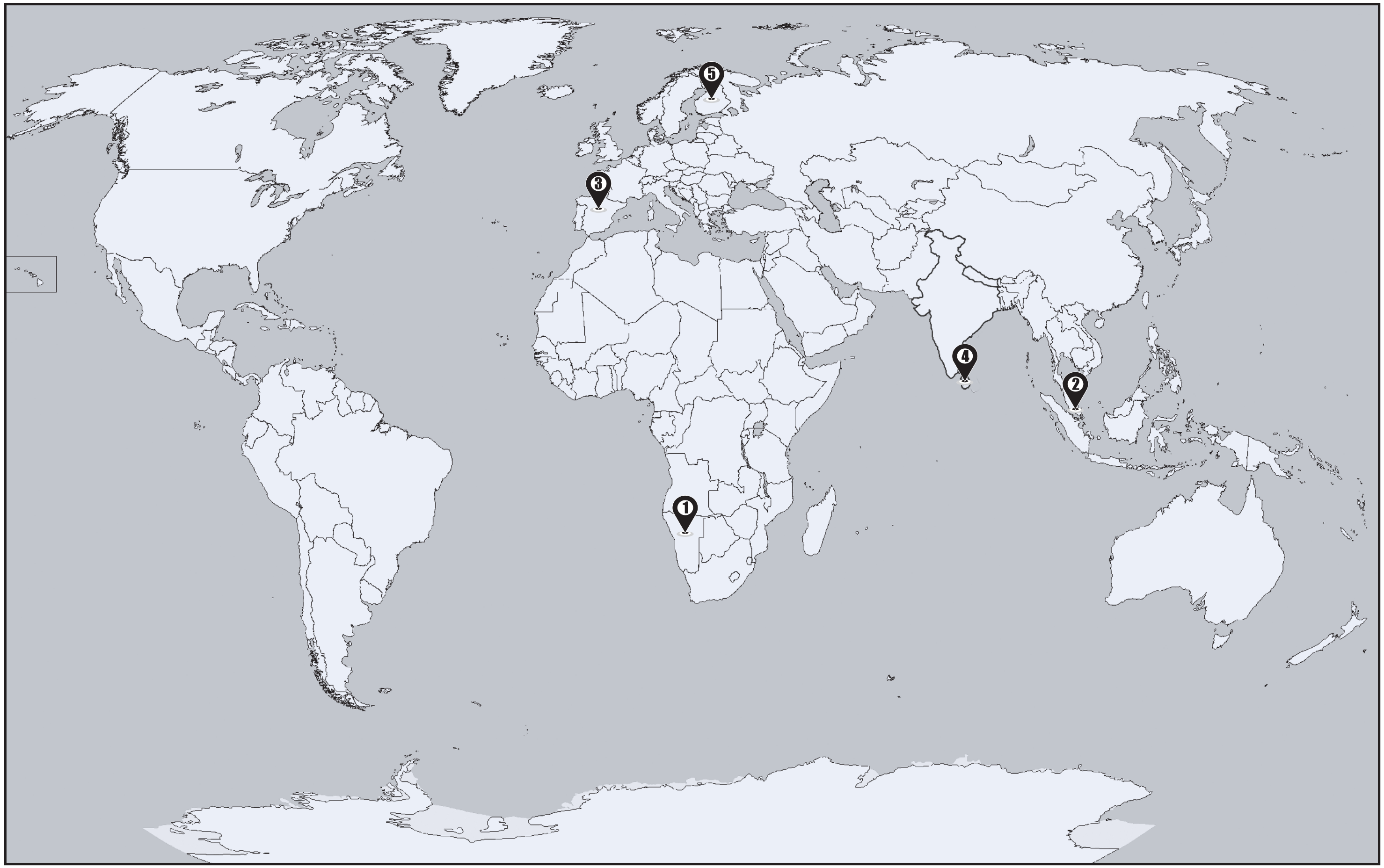

मानचित्र–2 (विश्व)

1. वह देश जहाँ पर हाल ही में सुश्री नंदी–नदैतवा पहली महिला राष्ट्रपति बनी हैं।
2. वह देश जिसके साथ मिलकर हाल ही में भारत ने समुद्री डिजिटलीकरण व कार्बन उत्सर्जन में कमी लाने पर सहयोग के लिए आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए।
3. वह देश जहाँ पर हाल ही में मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस, 2025 का आयोजन किया गया।
4. वह पड़ोसी देश जिसको पीछे छोड़ते हुए भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा चाय निर्यातक देश बन गया है।
5. वह देश जो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय खुशहाली दिवस पर संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क द्वारा जारी विश्व खुशहाली रिपोर्ट, 2025 में शीर्ष स्थान पर रहा।

(इस मानचित्र के उत्तर पृष्ठ संख्या 162 पर देखें)

करेंट अफेयर्स आधारित अभ्यास प्रश्न

प्रारंभिक परीक्षा आधारित प्रश्न

1. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. आकाशगंगा में पानी और जीवन बनाने वाले अणुओं को बायोजेनिक अणु के रूप में जाना जाता है।
2. बायोजेनिक अणु आकाशगंगा के कुछ सबसे ठंडे हिस्सों में स्थित होते हैं।

उपर्युक्त कथनों में कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2

(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1, न ही 2

2. SPHEREx टेलीस्कोप के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. इसे यूरोपियन स्पेस एजेंसी द्वारा लॉन्च किया गया है।
2. इसे अंतरिक्ष में स्पेक्ट्रोस्कोपिक इमेज लेने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
3. इसकी कार्यावधि 2 वर्ष है।

उपर्युक्त में से कौन-से कथन सही हैं?

(a) केवल 1 और 2 (b) केवल 2 और 3

(c) केवल 1 और 3 (d) केवल 1, 2 और 3

3. 73वें संविधान (संशोधन) अधिनियम के तहत निम्नलिखित में से कौन-सा अनुच्छेद पंचायतों में महिलाओं के अनिवार्य आरक्षण से संबंधित है?

(a) अनुच्छेद 243(D) (b) अनुच्छेद 243(F)

(c) अनुच्छेद 243(I) (d) अनुच्छेद 243(C)

4. अमीर खुसरो के संदर्भ में, निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही **नहीं** है?

(a) इनका मूल नाम अबुल हसन यमीन उद-दीन मुहम्मद था।

(b) इनके गुरु हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया थे।

(c) मसनवी आइना-ए-सिकंदरी इनकी महत्त्वपूर्ण रचना है।

(d) ये अकबर के समकालीन थे।

5. राष्ट्रीय आत्महत्या रोकथाम रणनीति के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. यह आत्महत्या की रोकथाम को सार्वजनिक स्वास्थ्य प्राथमिकता बनाने वाली पहली नीति है।
2. इसका मुख्य उद्देश्य वर्ष 2020 की तुलना में वर्ष 2030 तक आत्महत्या मृत्यु दर को 10% कम करना है।
3. इसके तहत सभी ज़िलों में प्रभावी निगरानी तंत्र स्थापित किए जाएंगे।

उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं?

(a) केवल एक (b) केवल दो

(c) सभी तीन (d) कोई भी नहीं

6. विक्टोरिया झील के संदर्भ में, निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही **नहीं** है?

(a) मकर रेखा इस झील के मध्य से होकर गुज़रती है।

(b) यह दुनिया की सबसे बड़ी उष्णकटिबंधीय झील है।

(c) यह व्हाइट नील (White Nile) नदी का उद्गम स्रोत है।

(d) यह विश्व की दूसरी सबसे बड़ी ताज़े पानी की झील है।

7. ब्लैक प्लास्टिक के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. इसका निर्माण प्राय: पुनर्चक्रित इलेक्ट्रॉनिक अपशिष्ट से किया जाता है।
2. इसमे BPA एवं फैथलेट्स (Phthalates) जैसे रसायन पाए जाते हैं।
3. यह अन्य प्लास्टिक की तुलना में आसानी से रीसाइकिल हो जाता है।

उपर्युक्त में से कौन-से कथन सही हैं?

(a) केवल 1 और 2 (b) केवल 2 और 3

(c) केवल 1 और 3 (d) केवल 1, 2 और 3

8. राष्ट्रीय उच्च उपज बीज मिशन के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. इस मिशन की घोषणा केंद्रीय बजट 2025-26 में की गई है।
2. इसके लिए कुल बजट आवंटन 100 करोड़ रुपए है।
3. इसके उद्देश्यों में अनुसंधान को बढ़ावा देकर बीजों की विभिन्न किस्में विकसित करना शामिल है।

उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं?

(a) केवल एक (b) केवल दो

(c) सभी तीन (d) कोई भी नहीं

9. दंड प्रक्रिया संहिता के तहत गिरफ्तारी पर महिलाओं को प्राप्त सुरक्षा उपायों के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. किसी भी स्थिति में एक महिला को सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के बाद गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है।
2. किसी भी महिला को केवल महिला कांस्टेबल की मौजूदगी में ही गिरफ्तार किया जाएगा।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1, न ही 2

10. मीथेन गैस के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. इसकी ग्लोबल वार्मिंग क्षमता कार्बन डाइ-ऑक्साइड की तुलना में कम है।
2. यह ग्राउंड-लेवल ओज़ोन के निर्माण में प्रमुख योगदानकर्ता है।
3. मीथेन उत्सर्जन का सबसे बड़ा मानवजनित स्रोत कृषि है।

उपर्युक्त में से कौन-से कथन सही हैं?

(a) केवल 1 और 2 (b) केवल 2 और 3
(c) केवल 1 और 3 (d) 1, 2 और 3

11. 'न्योकुम महोत्सव' का संबंध, निम्नलिखित में से किस राज्य से है ?

(a) हिमाचल प्रदेश (b) तमिलनाडु
(c) जम्मू-कश्मीर (d) अरुणाचल प्रदेश

12. विश्व वन्यजीव दिवस, 2025 के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. इस दिवस का आयोजन प्रत्येक वर्ष 3 मार्च को किया जाता है।
2. इस वर्ष की थीम 'वन्यजीव संरक्षण वित्त: लोगों और ग्रह में निवेश' है।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1, न ही 2

13. औपनिवेशिक काल के कानूनों के संदर्भ में, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए:

(अधिनियम)	(संबंधित वर्ष)
1. नाट्य प्रदर्शन अधिनियम	: 1875
2. वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट	: 1878
3. राजद्रोह कानून	: 1870

उपर्युक्त में से कौन-सा/से युग्म सही सुमेलित है/हैं?

(a) केवल 1 और 2 (b) केवल 2 और 3
(c) केवल 1 (d) 1, 2 और 3

14. निम्नलिखित पर विचार कीजिए:

1. परागणकर्ता के रूप में
2. बीज फैलाने वाले के रूप में
3. प्राकृतिक कीट नियंत्रक के रूप में

चमगादड़ की पारिस्थितिकी भूमिका के संदर्भ में उपर्युक्त में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1 और 2 (b) केवल 2 और 3
(c) केवल 1 (d) 1, 2 और 3

15. मतदाता फोटो पहचान-पत्र (EPIC) के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. यह निर्वाचन आयोग द्वारा जारी किया जाने वाला 12 अंकों का पहचान-पत्र है।
2. इस संख्या के होने से व्यक्ति के वोट देने की योग्यता का पता चलता है।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1, न ही 2

16. शेंदुर्नी वन्यजीव अभयारण्य के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. यह अभयारण्य अगस्त्यमलाई बायोस्फीयर रिज़र्व का हिस्सा है।
2. काजुथुरुथी एवं कुलथुपुझा नदियाँ अभयारण्य से होकर प्रवाहित होती हैं।
3. यहाँ सदाबहार, अर्द्ध-सदाबहार वन एवं मिरिस्टिका दलदली वन पाए जाते हैं।

उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं?

(a) केवल एक (b) केवल दो
(c) सभी तीन (d) कोई भी नहीं

17. हाल ही में जारी डॉल्फिन गणना रिपोर्ट के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. यह राष्ट्रीय स्तर पर जारी की गई पहली नदी डॉल्फिन गणना रिपोर्ट है।
2. रिपोर्ट के अनुसार डॉल्फिनों की सर्वाधिक संख्या बिहार में है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1, न ही 2

18. पशुधन स्वास्थ्य एवं रोग नियंत्रण कार्यक्रम के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. यह केंद्रीय क्षेत्र की एक योजना है।
2. पशुपालन एवं डेयरी विभाग (DAHD) इसकी नोडल एजेंसी है।
3. हाल ही में इस कार्यक्रम में 'पशु औषधि' नामक एक नया घटक शामिल किया गया है।

उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं?

(a) केवल एक (b) केवल दो
(c) सभी तीन (d) कोई भी नहीं

19. 'नवरत्न' कंपनियों को निम्नलिखित में से कितने लाभ प्राप्त होते हैं?

1. किसी एक परियोजना में सरकार की अनुमति के बिना अपनी कुल संपत्ति का 25% तक निवेश
2. प्रत्यक्ष सरकारी हस्तक्षेप के बिना विलय या अधिग्रहण
3. नौकरशाही बाधाओं के बिना गठबंधन बनाकर वैश्विक स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में प्रवेश

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए:

(a) केवल 1 (b) केवल 1 और 2
(c) केवल 2 और 3 (d) 1, 2 और 3

20. राष्ट्रीय रोपवे विकास कार्यक्रम 'पर्वतमाला' परियोजना के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. इस परियोजना की घोषणा केंद्रीय बजट 2025-26 में की गई।
2. इसका क्रियान्वयन पर्यटन मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1, न ही 2

21. सेमी-क्रायोजेनिक इंजन के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. इसमें ईंधन के रूप में तरल ऑक्सीजन एवं केरोसिन के संयोजन का उपयोग किया जाता है।
2. ये क्रायोजेनिक इंजन की तुलना में कम तापमान पर कार्य करते हैं।
3. ये पारंपरिक तरल रॉकेट इंजन की तुलना में ठंडे होते हैं।

उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं?

(a) केवल एक (b) केवल दो
(c) सभी तीन (d) कोई भी नहीं

22. आयकर विधेयक, 2025 के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. इसमें पहली बार आभासी डिजिटल परिसंपत्तियों (BDA) को परिभाषित किया गया है।
2. यह विधेयक वी.डी.ए. को संपत्ति एवं पूंजीगत परिसंपत्ति के रूप में मान्यता देता है।
3. इस विधेयक में वी.डी.ए. हस्तांतरण से होने वाली आय पर 30% कर है।

उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं?

(a) केवल एक (b) केवल दो
(c) सभी तीन (d) कोई भी नहीं

23. ताज ट्रेपेज़ियम ज़ोन (TTZ) के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. इसकी स्थापना वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम के तहत की गई थी।
2. इसकी स्थापना का उद्देश्य ताजमहल को प्रदूषण से बचाना था।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1
(b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों
(d) न तो 1, न ही 2

24. गोलियथ बीटल के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. ये वन स्वास्थ्य के महत्त्वपूर्ण संकेतक होते हैं।
2. ये पोषक तत्त्वों के चक्रण में प्रमुख भूमिका निभाते हैं।
3. ये केवल पौधों का ही भक्षण करते हैं।

उपर्युक्त में से कौन-से कथन सही हैं?

(a) केवल 1 और 2
(b) केवल 2 और 3
(c) केवल 1 और 3
(d) 1, 2 और 3

25. अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2025 की थीम निम्नलिखित में से क्या है?

(a) महिला सशक्तीकरण : वर्तमान की महत्त्वपूर्ण आवश्यकता
(b) सशक्त महिला, सशक्त विश्व
(c) टिकाऊ भविष्य के लिए लैंगिक समानता
(d) सभी महिलाओं एवं बालिकाओं के लिए : अधिकार, समानता, सशक्तीकरण

26. प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. इसे वर्ष 2008 में जन औषधि योजना के नाम से प्रारंभ किया गया था।
2. इसे भारतीय औषधि एवं चिकित्सा उपकरण ब्यूरो (BPPI) द्वारा क्रियान्वित किया जाता है।
3. इसका उद्देश्य सभी नागरिकों को सस्ती एवं गुणवत्तापूर्ण जेनेरिक दवाइयाँ उपलब्ध कराना है।

उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं?

(a) केवल एक (b) केवल दो
(c) सभी तीन (d) कोई भी नहीं

27. निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए :

(प्रमुख कानून)	(वर्ष)
1. बाल विवाह निषेध अधिनियम	: 2006
2. घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम	: 2007
3. पॉक्सो अधिनियम	: 2012
4. कार्यस्थल पर महिला यौन उत्पीड़न अधिनियम	: 2013

उपर्युक्त में से कौन-से युग्म सही सुमेलित हैं?

(a) केवल 1 और 4 (b) केवल 1, 3 और 4
(c) केवल 2 और 3 (d) 1, 2, 3 और 4

28. 'बीजिंग घोषणापत्र एवं कार्रवाई मंच' का संबंध निम्नलिखित में से किससे है?

(a) महिला अधिकारों से (b) जलवायु परिवर्तन से
(c) साइबर सुरक्षा से (d) जैविक हथियारों से

29. निम्नलिखित पर विचार कीजिए:

1. मल्चिंग
2. पारदर्शी एजेंटों का उपयोग
3. ड्रिप सिंचाई

उपर्युक्त में से कितने सूखा शमन रणनीतियों में प्रभावी भूमिका निभाते हैं?

(a) केवल एक (b) केवल दो
(c) केवल तीन (d) कोई भी नहीं

30. नेल्सन मंडेला नियम (2015) का संबंध, निम्नलिखित में से किससे है?

(a) रंगभेद के विरुद्ध उपचार से
(b) एसिड अटैक पीड़ितों से
(c) दिव्यांग कैदियों से
(d) जलवायु शमन रणनीतियों से

31. हाल ही में 'क्वांटम कंप्यूटिंग: राष्ट्रीय सुरक्षा निहितार्थ और रणनीतिक तैयारी' शीर्षक से रिपोर्ट किस संस्थान द्वारा जारी की गई?

(a) भारतीय विज्ञान संस्थान, बेंगलुरु
(b) नीति आयोग
(c) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर
(d) भारतीय रिज़र्व बैंक

32. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. मध्य प्रदेश के माधव राष्ट्रीय उद्यान को भारत का 58वाँ टाइगर रिज़र्व घोषित किया गया है।
2. क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे छोटा बाघ अभयारण्य नामदफा टाइगर रिज़र्व है।
3. राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की सलाह पर केंद्र सरकार किसी क्षेत्र को बाघ अभयारण्य अधिसूचित कर सकती है।
4. भारत में सर्वाधिक बाघ की आबादी वाला राज्य कर्नाटक है।

उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं?

(a) केवल एक (b) केवल दो
(c) केवल तीन (d) सभी चार

33. 'जेल' को निम्नलिखित में से किस सूची में शामिल किया गया है?

(a) संघ सूची
(b) राज्य सूची
(c) समवर्ती सूची
(d) अवशिष्ट विषय

34. सर्वाधिक बाघ जनसंख्या वाले राज्यों का निम्नलिखित में से सही क्रम कौन-सा है?

(a) मध्य प्रदेश > कर्नाटक > उत्तराखंड > महाराष्ट्र
(b) कर्नाटक > मध्य प्रदेश > उत्तराखंड > महाराष्ट्र
(c) मध्य प्रदेश > उत्तराखंड > कर्नाटक > महाराष्ट्र
(d) मध्य प्रदेश > उत्तराखंड > महाराष्ट्र > कर्नाटक

35. 'ऑपरेशन स्काई शील्ड' का संबंध, निम्नलिखित में से किस संस्था से है?

(a) क्वाड
(b) संयुक्त राष्ट्र संघ
(c) नाटो
(d) यूरोपीय संघ

36. हाल ही में स्टॉकहोम अंतर्राष्ट्रीय शांति अनुसंधान संस्थान (SIPRI) द्वारा जारी रिपोर्ट के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. वर्ष 2020-24 की अवधि के दौरान प्रमुख हथियार निर्यातक देशों में फ्राँस शीर्ष पर रहा।
2. इसी अवधि के दौरान प्रमुख हथियार आयातक देशों में भारत शीर्ष पर रहा।

उपर्युक्त कथनों में कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1, न ही 2

37. राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. इसका गठन वर्ष 2003 में वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 में संशोधन के बाद किया गया था।
2. बोर्ड के पदेन अध्यक्ष केंद्रीय पर्यावरण मंत्री होते हैं।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1, न ही 2

38. हाल ही में जारी वैश्विक आतंकवाद सूचकांक, 2025 के अनुसार, आतंकवाद से प्रभावित शीर्ष देशों का सही क्रम निम्नलिखित में से कौन-सा है?

(a) बुर्किना फासो > पाकिस्तान > सीरिया > माली
(b) पाकिस्तान > सीरिया > माली > बुर्किना फासो
(c) सीरिया > माली > बुर्किना फासो > पाकिस्तान
(d) माली > पाकिस्तान > सीरिया > बुर्किना फासो

39. निम्नलिखित पर विचार कीजिए:

1. माइक्रोग्रैविटी में माँसपेशियों और हड्डियों की क्षति
2. प्रतिरक्षा प्रणाली का कमज़ोर होना
3. ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन
4. हड्डियों के घनत्व में वृद्धि
5. ग्रैविटी सिकनेस
6. हृदय संबंधी बीमारियों का खतरा

अंतरिक्ष यात्रा से स्वास्थ्य पर उपर्युक्त में से कौन-से प्रभाव पड़ते हैं?

(a) केवल 1, 2, 3 और 4
(b) केवल 2, 3, 4, 5 और 6
(c) केवल 1, 2, 3, 5 और 6
(d) 1, 2, 3, 4, 5 और 6

40. हाल ही में यूनेस्को की अस्थायी सूची में, निम्नलिखित में से किस स्थल को शामिल **नहीं** किया गया है?

(a) माधव राष्ट्रीय उद्यान (मध्य प्रदेश)
(b) विभिन्न राज्यों के अशोक के शिलालेख स्थल
(c) चौसठ योगिनी मंदिर (मध्य प्रदेश और ओडिशा)
(d) बुंदेलों के महल-किले (मध्य प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश)

41. हाल ही में 'नोथोब्रांचियस सिल्वेटिकस' नामक किलिफिश की खोज कहाँ की गई?

(a) केन्या (b) श्रीलंका
(c) स्पेन (d) कांगो

42. निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए:

	(मिशन)		(संबंधित वर्ष)
1.	चंद्रयान-1	:	2008
2.	चंद्रयान-2	:	2019
3.	चंद्रयान-3	:	2022

उपर्युक्त में से कौन-सा/से युग्म सही सुमेलित है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 1 और 2
(c) केवल 1 और 3 (d) 1, 2 और 3

43. पोबितोरा वन्यजीव अभयारण्य के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. यह अभयारण्य असम में ब्रह्मपुत्र नदी के दक्षिणी तट पर स्थित है।
2. यह अभयारण्य एक सींग वाले गैंडों की सर्वाधिक संख्या के लिए जाना जाता है।
3. इसे वर्ष 1999 में वन्यजीव अभयारण्य घोषित किया गया है।

उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं?

(a) केवल एक (b) केवल दो
(c) सभी तीन (d) कोई भी नहीं

44. स्टारलिंक के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. यह इंटरनेट एक्सेस प्रदान करने वाले निम्न भू-कक्षीय उपग्रहों का एक समूह है।
2. उपग्रहों का यह नेटवर्क पृथ्वी की सतह से 550 किमी. ऊपर संचालित होता है।
3. स्टारलिंक उपग्रह लेज़र प्रकाश का उपयोग करते हुए एक-दूसरे से संचार करते हैं।

उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं?

(a) केवल एक (b) केवल दो
(c) सभी तीन (d) कोई भी नहीं

45. युवा लेखक परामर्श योजना 3.0 के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. इसे शिक्षा मंत्रालय और राष्ट्रीय पुस्तक न्यास (NBT) द्वारा लॉन्च किया गया।
2. इसका उद्देश्य 30 वर्ष से कम आयु के युवा लेखकों को मार्गदर्शन व अवसर प्रदान करना है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1,न ही 2

46. क्यासानूर फॉरेस्ट डिजीज़ के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. यह एक जीवाणुजनित रक्तस्रावी बुखार है।
2. इसे मंकी फीवर के नाम से भी जानते हैं।
3. इसकी पहचान सर्वप्रथम कर्नाटक में हुई थी।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 1 और 2
(c) केवल 1 और 3 (d) केवल 2 और 3

47. पराबैंगनी सूचकांक (UVI) के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. यह सूर्य से आने वाली पराबैंगनी विकिरण (यू.वी. विकिरण) के स्तर की माप है।
2. इसे WHO, UNEP एवं WMO जैसी संस्थाओं के सहयोग से विकसित किया गया है।
3. उच्च पराबैंगनी सूचकांक, त्वचा एवं प्रतिरक्षा प्रणाली पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है।

उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं?

(a) केवल एक (b) केवल दो
(c) सभी तीन (d) कोई भी नहीं

48. निम्नलिखित राज्यों पर विचार कीजिए:

1. नागालैंड
2. मणिपुर
3. मिज़ोरम
4. मेघालय

उपर्युक्त में से कौन-से भारतीय राज्य म्याँमार के साथ सीमा साझा करते हैं?

(a) केवल 1 और 2 (b) केवल 1, 2 और 3
(c) केवल 1, 3 और 4 (d) 1, 2, 3 और 4

49. 'वारली चित्रकला' के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. यह राजस्थान की जनजातीय लोककला है।
2. इसमें प्रकृति के तत्त्वों को ज्यामितीय आकृतियों द्वारा दर्शाया जाता है।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1, न ही 2

50. राष्ट्रीय वन्यजीव स्वास्थ्य नीति के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. यह राष्ट्रीय वन्यजीव कार्य योजना (2017-31) का प्रमुख हिस्सा है।
2. इसके तहत वन्यजीवों के लिए राष्ट्रीय रेफरल केंद्र जूनागढ़ में स्थापित किया जाएगा।
3. यह नीति आई.आई.टी. दिल्ली के सहयोग से विकसित की जा रही है।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 1 और 2
(c) केवल 2 और 3 (d) 1, 2 और 3

प्रारंभिक परीक्षा आधारित प्रश्नों के उत्तर

1	(c)	2	(b)	3	(a)	4	(d)	5	(c)	6	(a)	7	(a)	8	(c)	9	(d)	10	(b)
11	(d)	12	(c)	13	(b)	14	(d)	15	(b)	16	(c)	17	(a)	18	(b)	19	(c)	20	(d)
21	(b)	22	(c)	23	(b)	24	(a)	25	(d)	26	(c)	27	(b)	28	(a)	29	(b)	30	(c)
31	(b)	32	(a)	33	(b)	34	(a)	35	(d)	36	(d)	37	(a)	38	(a)	39	(c)	40	(a)
41	(a)	42	(b)	43	(b)	44	(c)	45	(c)	46	(d)	47	(c)	48	(b)	49	(b)	50	(b)

मुख्य परीक्षा आधारित प्रश्न

1. भारत में कानून के क्षेत्र में प्रगति के बावजूद न्यायपालिका में उच्च स्तर पर महिलाओं का प्रतिनिधित्व अत्यंत कम होने के पीछे कौन से कारक ज़िम्मेदार हैं? इसके समाधान के लिए उपयुक्त सुझाव भी दीजिए।
2. वर्ष 2025-26 के बजट में ऊर्जा क्षेत्र की भागीदारी बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा की जा रही विभिन्न पहलों का उल्लेख कीजिए? इनकी प्रभावशीलता का भी उल्लेख कीजिए।
3. पंचायत स्तर पर प्रधान पति की प्रथा जमीनी स्तर पर लोकतंत्र में महिलाओं को सशक्त बनाने में बाधक है। स्पष्ट कीजिए। इसके उन्मूलन के लिए व्यावहारिक सुझाव प्रस्तुत कीजिए।
4. सतत प्रशासन एवं संरक्षण प्रयासों के बीच संबंधों को स्पष्ट कीजिए। ये एक-दूसरे को किस प्रकार प्रभावित करते हैं?
5. आव्रजन एवं विदेशी विषयक विधेयक की मुख्य विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। यह भारत में विदेशियों के आव्रजन, प्रवेश एवं प्रवास को विनियमित करने में कहाँ तक सफल होगा? विश्लेषण कीजिए।
6. भारत का सर्वोच्च न्यायालय दिव्यांग कैदियों के अधिकारों के संबंध में जेलों में भीड़भाड़ के मुद्दे को संबोधित करने में कितना सफल रहा है?
7. नासा के SPHEREx टेलिस्कोप एवं PUNCH मिशन के उद्देश्यों का उल्लेख कीजिए। ये मिशन अंतरिक्ष विज्ञान के लिए किस प्रकार सहायक हैं?
8. इंडिया ए.आई. मिशन के उद्देश्यों का उल्लेख कीजिए। इस मिशन के सात प्रमुख कार्यक्षेत्र कौन-कौन से हैं? स्पष्ट करें।
9. समुद्र में पूरी तरह से विघटित होने वाला प्लास्टिक (ओशन डिग्रेडेबल प्लास्टिक) के विकास से माइक्रोप्लास्टिक प्रदूषण को किस सीमा तक नियंत्रित किया जा सकता है? टिप्पणी कीजिए।
10. स्वास्थ्य देखभाल अवसंरचना में करुणा (Compossion) के महत्त्व को स्पष्ट कीजिए। स्वास्थ्य सेवा प्रणाली में करुणा को समाहित करने के समक्ष कौन सी चुनौतियाँ विद्यमान है? विवेचना करें।
11. ए.आई. कार्यबल में योग्य पेशेवरों की कमी के चलते भारत पर पड़ने वाले प्रभावों को स्पष्ट कीजिए। भारत द्वारा इस चुनौती से निपटने के लिए किस प्रकार की रणनीति का पालन किया जाना चाहिए? वर्णन करें।
12. लंबे समय तक अंतरिक्ष में रहने से स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभावों का उल्लेख कीजिए। किस प्रकार की तैयारियों से इन प्रभावों को कम किया जा सकता है। स्पष्ट करें।
13. वर्तमान में राष्ट्रीय वन्यजीव स्वास्थ्य के समक्ष उभरती समस्याओं का उल्लेख कीजिए। आपके अनुसार प्रस्तावित राष्ट्रीय वन्यजीव स्वास्थ्य नीति में किन पहलुओं को शामिल किया जाना चाहिए? विवेचना करें।
14. ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन का अंतरिक्ष विज्ञान पर पड़ने वाले प्रभावों एवं उसके परिणामों का अध्ययन क्यों आवश्यक है? मूल्यांकन करें।
15. आर्थिक एवं वैज्ञानिक रूप से महत्त्वपूर्ण होने के बावजूद अपतटीय खनन परियोजनाओं को कई बार विरोध का सामना क्यों करना पड़ता है? आलोचनात्मक मूल्यांकन करें।
16. भारत सरकार द्वारा जनजातियों की पहचान के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले मानदंडों का उल्लेख कीजिए। समकालीन परिस्थितियों में इन मानदंडों में परिवर्तन की माँग कितनी न्यायोचित है? स्पष्ट करें।
17. भारत एवं म्यांमार के मध्य खुली सीमा के कारण आंतरिक सुरक्षा के समक्ष उत्पन्न होने वाली समस्याओं का उल्लेख कीजिए। भारत-म्यांमार सीमा प्रबंधन के लिए अपनाई जा सकने वाली प्रभावी नीतियों को स्पष्ट कीजिए।
18. महिलाओं के संदर्भ में 'समय की कमी' (Time Poverty) से संबंधित अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। इससे महिलाओं पर पड़ने वाले प्रभावों को न्यूनतम करने के लिए सुझाव प्रस्तुत कीजिए।
19. केंद्र सरकार ने कुछ खनिजों को लघु खनिज (Minor Minerals) की सूची से निकालकर प्रमुख खनिज (Major Minerals) की सूची में वर्गीकृत कर दिया है। आपके अनुसार, इस वर्गीकरण के लिए कौन-से कारक ज़िम्मेदार हैं? मूल्यांकन कीजिए।
20. शीत एवं शुष्क क्षेत्रों में मौसम के प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए कौन-सी रणनीतियाँ प्रभावकारी सिद्ध हो सकती हैं? उल्लेख कीजिए।

❑❑❑

मानचित्र अध्ययन (पृष्ठ संख्या 154 & 155) के उत्तर

मानचित्र-1 (भारत)

1. पूर्वी चंपारण जिला
2. लाहौल-स्पीति जिला
3. इंदौर
4. नई दिल्ली
5. चामराजनगर (कर्नाटक)

मानचित्र-2 (विश्व)

1. नामीबिया
2. सिंगापुर
3. स्पेन
4. श्रीलंका
5. फिनलैंड

संस्कृति IAS

जहाँ एक नहीं, हर शिक्षक है श्रेष्ठ

देश में हिंदी माध्यम से सामान्य अध्ययन की सर्वश्रेष्ठ टीम

CIVIL SERVICES DAY
Special Offer

UPSC फाउंडेशन कोर्स

GS ONLY	GS+CSAT	VOD COURSE
PRELIMS+MAINS	PRELIMS+MAINS	PRELIMS+MAINS
~~₹ 1,10,000~~	~~₹ 1,20,000~~	~~₹ 1,10,000~~
₹ 50,000	₹ 55,000	₹ 40,000

UPTO 75% OFF
सभी लाइव/ऑनलाइन, पेनड्राइव, टेस्ट सीरीज़ और DLP कोर्सेज़ पर

OFFER VALID
18-24, APRIL

इतिहास
वैकल्पिक विषय
द्वारा- श्री अखिल मूर्ति

भूगोल
वैकल्पिक विषय
द्वारा- श्री कुमार गौरव

वैकल्पिक विषय : कार्यक्रम की विशेषताएँ
- मानचित्र द्वारा अध्ययन के लिए वैज्ञानिक प्रविधि का प्रयोग
- क्लास के तुरंत बाद प्रत्येक विद्यार्थी की विषय संबंधी शंकाओं का निवारण
- प्रत्येक विद्यार्थी की पर्सनल मेंटरिंग व टेस्ट का मूल्यांकन फैकल्टी द्वारा
- मुख्य परीक्षा में पूछे गए विगत 25 वर्षों के प्रश्नों का उत्तर लेखन अभ्यास

कोर्स फीस: ~~₹45,000~~ ₹ 17,500

ऑनलाइन कोर्सेज़

UPPSC फाउंडेशन कोर्स
(प्रिलिम्स + मेन्स)
फीस: ~~₹1,00,000~~ ₹30,000

BPSC फाउंडेशन कोर्स
(प्रिलिम्स + मेन्स)
फीस: ~~₹50,000~~
प्रिंटेड नोट्स के साथ फीस : ₹12,999
पीडीएफ नोट्स के साथ फीस : ₹10,000
मेन्स बैच फीस : ₹7,500

MPPSC फाउंडेशन कोर्स
(प्रिलिम्स + मेन्स)
फीस: ~~₹50,000~~
प्रिंटेड नोट्स के साथ फीस : ₹12,999
पीडीएफ नोट्स के साथ फीस : ₹10,000

RAS फाउंडेशन कोर्स
(प्रिलिम्स + मेन्स)
फीस: ~~₹50,000~~
प्रिंटेड नोट्स के साथ फीस : ₹12,999
पीडीएफ नोट्स के साथ फीस : ₹10,000

UP RO/ARO COURSE
सामान्य अध्ययन (प्री. + मेन्स) + सामान्य हिंदी + निबंध
फीस: ~~₹10,000~~ ₹ 3,999

NCERT ONLINE COURSE
सामान्य अध्ययन (प्री. + मेन्स) + सामान्य हिंदी + निबंध
फीस: ~~₹11,000~~ ₹ 5,500

UPPCS Mains 2024
क्रैश कोर्स / मेंटरशिप प्रोग्राम
फीस: ~~₹20,000~~
FOR ONLINE : ₹5,000
FOR CLASSROOM ₹9,500

हेड ऑफिस: 636, भू-तल, डॉ. मुखर्जी नगर, दिल्ली-110009
प्रयागराज केंद्र: महाराणा प्रताप चौराहा, स्टैनली रोड, सिविल लाइन्स, प्रयागराज, उ.प्र.
9555 124 124
sanskritiIAS.com
Follows us:

संस्कृति IAS

जहाँ एक नहीं, हर शिक्षक है श्रेष्ठ

देश में हिंदी माध्यम से
सामान्य अध्ययन की सर्वश्रेष्ठ टीम

सामान्य अध्ययन

फाउंडेशन कोर्स (प्रिलिम्स + मेन्स)

नि:शुल्क कार्यशाला

01 MAY
3:00 PM

द्वारा -
श्री अखिल मूर्ति

इतिहास
वैकल्पिक विषय
द्वारा- श्री अखिल मूर्ति

वैकल्पिक विषय : कार्यक्रम की विशेषताएँ

- मानचित्र द्वारा अध्ययन के लिए वैज्ञानिक प्रविधि का प्रयोग
- क्लास के तुरंत बाद प्रत्येक विद्यार्थी की विषय संबंधी शंकाओं का निवारण
- प्रत्येक विद्यार्थी की पर्सनल मेंटरिंग व टेस्ट का मूल्यांकन फैकल्टी द्वारा
- मुख्य परीक्षा में पूछे गए विगत 25 वर्षों के प्रश्नों का उत्तर लेखन अभ्यास

भूगोल
वैकल्पिक विषय
द्वारा- श्री कुमार गौरव

Mode of Courses

Offline Classroom
दिल्ली और प्रयागराज
दोनों केन्द्रों पर

Online Live Stream
3 साल तक Mobile App पर
वीडियो लैक्चर देखने की सुविधा

Hybrid Course
Offline Classroom &
Online Live Stream

हेड ऑफिस: 636, भू-तल, डॉ. मुखर्जी नगर, दिल्ली-110009
प्रयागराज केंद्र: महाराणा प्रताप चौराहा, स्टैनली रोड, सिविल लाइन्स, प्रयागराज, उ.प्र.

9555 124 124
sanskritiIAS.com

Follows us: